देश माला, खंड 23, अंक 15

FOR REFERNCE ONLY.

बुधवार, 20 मार्च, 2002
29 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 23 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 15, बुधवार, 20 मार्च, 2002/29 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 243	4–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 244 से 260	27–54
अतारांकित प्रश्न संख्या 2569 से 2798	54–340
सभा पटल पर रखे पए पत्र	339–350
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
आठवां और नौवां प्रतिवेदन	350
वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	351
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	351
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
ई.टी.बी.ई. के स्थान पर आक्सीजेनेट के रूप में पेट्रोल में एथेनोल के उपयोग का अनुमोदन	351–353
श्री राम नाईक	351
नियम 377 के अधीन मामले	363–370
(एक) गोदावरी एक्सप्रेस को महाराष्ट्र में भुसावल तक चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई.जी. महाजन	363
(दो) गुजरात के पालनपुर में रेल उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाई चौधरी	364
(तीन) उपचार के लिए दुर्लभ जड़ी-बूटियों और औषधीय वनस्पति का प्रयोग करने वाले खानाबदोश समूहों की पारम्परिक विशेषज्ञता का उपयोग किए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	364

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में स्थित ''केसरिया'' का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधामोहन सिंह	365
(पांच)	बिहार में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	365
(छह)	मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुन्दरलाल तिवारी	366
(सात)	आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केबल टी वी आपरेटरों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	366
(आठ)	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र नाथ सिंह	367
(नौ)	नेवेली लिग्नाइट कापोरेशन के विनिवेश के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. कुप्पुसामी	367
(दस)	सतारा जिले में कराड़ में कृष्णा नदी के किनारे-किनारे दीवार के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीनिवास पाटील	369
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर स्थित पाकबड़ा को काशीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र विजय सिंह	370
सामान्य बजट, 2002-2003—सामान्य चर्चा		
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 2002-2003		
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2001-2002		
और		
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1998-99		370–554
	श्री खारबेल स्वाइं	371
	श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया	381
	श्री त्रिलोचन कानूनगो	391

विषय कॉलम

श्री एच.डी. देवगौड़ा 395
कुमारी ममता बनर्जी 405
श्री के. मलयसामी 413
श्री पी.डी. एलानगोवन 419
श्री मधुसूदन मिस्त्री 423
श्री हसन खान 428
श्री प्रभुनाथ सिंह 429
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 435
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 443
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार 454
श्रीमती जयश्री बैनर्जी 458
श्री सुरेश कुरूप 460
श्री सुकदेव पासवान 464
श्री जोवाकिम बखला 467
श्रीमती कैलाशो देवी 469
श्री बीर सिंह महतो 472
डा. रामकृष्ण कुसमरिया 473
श्री अधीर चौधरी 475
श्री जी.एम. बनातवाला 477
श्री पी.सी. थामस 480
श्री के.एच. मुनियप्पा 482
श्री के. फ्रांसिस जार्ज 486
श्री अब्दुल रशीद शाहीन 490
श्री पवन सिंह घाटोवार 492
श्री विष्णु पद राय 495
श्री शिवराज वि. पाटील 497
श्री यशवन्त सिन्हा 508

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002 555–556

श्री यशवन्त सिन्हा 555

विचार करने के लिए प्रस्ताव 555

खंड 2 से 4 और 1 556

पारित करने के लिए प्रस्ताव 556

विषय	कॉलम
विनियोग विधेयक, 2002	556–557
श्री यशवन्त सिन्हा	556
विचार करने के लिए प्रस्ताव	557
खंड 2, 3 और 1	557
पारित करने के लिए प्रस्ताव	557
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2002	558–559
श्री यशवन्त सिन्हा	558
विचार करने के लिए प्रस्ताव	558
खंड 2 से 4 और 1	559
पारित करने के लिए प्रस्ताव	559
उत्तर प्रदेश बजट, 2002-2003	
लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) 2002-2003	
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 2001-2002	559–578
श्री यशवन्त सिन्हा	560
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2002	579–580
श्री यशवन्त सिन्हा	579
विचार करने के लिए प्रस्ताव	579
खंड 2, 3 और 1	580
पारित करने के लिए प्रस्ताव	580
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002	580–582
श्री यशवन्त सिन्हा	580
विचार करने के लिए प्रस्ताव	581
खंड 2, 3 और 1	582
पारित करने के लिए प्रस्ताव	582

लोक सभा

बुधवार, 20 मार्च, 2002/29 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, गुजरात में फिर हिंसा शुरू हो गई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने मुसलमानों में दहशत पैदा करने का काम किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को प्रश्न-काल के बाद जीरो आवर में उठाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उस तरफ के कुछ माननीय सदस्य निवेदन करना चाहते हैं...*(व्यवधान)* हिंसा में कई लोग मारे गए हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बाद में बोलने का मौका दूंगा। कृपया आप अपने दल के सदस्यों से कहें कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे। मैंने आपको कहा है कि आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने का मौका मिलेगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: मुसलमानों को धमकाने का काम हो रहा है। यह देशद्रोही काम है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको जीरो आवर में बोलने का चांस दे दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): महोदय, हम इस शोर में कुछ सुन नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। वह वहां से होकर आए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा है कि मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान भी मौका नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): महोदय, गुजरात में शांति होने वाली नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न-काल में शांति रखिए, मैं जीरो आवर में आपको बोलने का चांस दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप रोज इस तरह करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे किस तरह हाउस चलेगा? मैंने आपको कहा है कि मैं आपको जीरो आवर में बोलने का चांस दे दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में खून-खराबा नहीं रुका।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में मुसलमानों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपको इस सभा में गृह मंत्री को बुलाने के लिए सरकार को सलाह देनी चाहिए...*(व्यवधान)* उन्हें इस सभा में वक्तव्य देना चाहिए। आपको उन्हें कहना चाहिए कि वे इस सभा के समक्ष आएं और अपना वक्तव्य दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपको 'शून्य काल' के दौरान मौका मिलेगा।

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): महोदय, आपको माननीय सदस्यों को कम से कम यह कहना चाहिए कि वे प्रश्न काल को बेकार न करें। प्रत्येक दिन हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए जो प्रश्न काल में बाधा डालते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, संघ परिवार के लोग पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि एक बार फिर संघ परिवार के लोग देश का बंटवारा करेंगे। इसलिए यह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप इस मामले को प्रश्न-काल के बाद जीरो आवर में उठाइए।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाले इस देश को तोड़ना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न-काल के बाद जीरो आवर में बोलिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, ये लोग इस घटना को मजाक के रूप में ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जायसवाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम लोग प्रश्न काल शुरू करें।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ग्रामीण डाकघरों में ई-मेल

***241. श्री रामशकल:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मेल, इंटरनेट और कम्प्यूटर सुविधाओं वाले डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण डाकघरों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के शेष ग्रामीण डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण डाकघरों में ई-मेल अथवा इंटरनेट तथा कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इस समय विभाग का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपलब्ध संसाधनों और कम्प्यूटरों के श्रेष्ठतम उपयोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऐसा कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामशकल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मेल,

इंटरनेट और कम्प्यूटर सुविधाओं वाले डाकघरों की संख्या कितनी है?...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: महोदय, लोग हम से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, आप प्रश्न-काल चलने दीजिए, जीरो आवर में बोलिए। मैं आपको जीरो आवर में बोलने का चांस दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रामशकल: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस स्तर तक के डाकघरों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गांव में यह सुविधा उपलब्ध न कराने के कारण क्या हैं?

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, ई-मेल की सुविधा डाकघरों को क्यों चाहिए, यह बात हम समझने की कोशिश करें। डाकघरों का मुख्य काम एक जगह के लिखित संदेश को दूसरी जगह पहुंचाना होता है। अगर हम इसमें ई-मेल का उपयोग करें तो समय बचता है। अब वह लिखा हुआ पत्र तो नहीं पहुंचेगा लेकिन जैसे मनी-आर्डर या टेलीग्राम पहुंचता है उसी प्रकार से पहुंचेगा। अभी हिन्दुस्तान के पांच प्रांतों में हमने एक पायलट प्रोजैक्ट चलाया है जिसमें जिला-स्तर पर 200 ऐसे डाकघर हैं जिनमें ई-मेल की सुविधा उपलब्ध है। अब दुनिया के किसी भी कोने से जिन लोगों के पास कम्प्यूटर या इंटरनेट सुविधा है वह सीधे इन 200 मुख्य डाकघरों को संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 2002 दिसम्बर तक हमारा यह प्रयास है कि हिंदुस्तान के सभी जिलों में जो मुख्य डाकघर हैं ई-मेल की व्यवस्था की जाए जिससे दुनिया का कोई भी आदमी ई-मेल के द्वारा उस डाकघर तक पहुंच सके।

हमारी एक कल्पना है कि अगर योजना आयोग हमारा समर्थन करे तो अगले पांच साल में हम 15000 पोस्ट आफिस जो जिला स्तर पर होंगे वहां भी ई-मेल की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा उस डाकघर में उपलब्ध होगी। हमें यह समझना चाहिए कि गांव के हर डाकघर में यह सुविधा संभव नहीं है क्योंकि ई-मेल सेवा टेलीफोन या इंटरनेट के बिना नहीं चलती। इससे ग्रामीण विभाग को फायदा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि मिदनापुर जिले में एक मुख्य डाकघर है। वहां तक तो ई-मेल द्वारा तुरंत संदेश पहुंच जाता है लेकिन मिदनापुर से गांव तक जो संदेश ले जाना है वह तो पुरातन डाकघर के तरीके से ही करना पड़ता है। लेकिन दिसम्बर के अंत तक सभी जिला क्षेत्र तक यह पहुंचेगा। आज तो दिल्ली की डाक उठाकर वहां भेजने की स्थिति आती है, उसके स्थान पर यह ई-मेल वाली डाक सीधे उस जिला-स्थान पर पहुंचेगी और उसको हम डाउन-लोड करके उस कागज को गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए यह सुविधा गांव तक मिलेगी। यह सेवा ई-मेल सेवा है। हमारा पोस्ट-कार्ड और लिफाफा पुराने तरीके से ही जाएगा। जो लोग ई-मेल का उपयोग करना चाहते हैं उनको गांव तक इसके द्वारा ले जाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन हर गांव तक ई-मेल सेवा संभव नहीं है।

श्री रामशकल: उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो नये जिले बने हैं जहां अभी कार्यालय नहीं है, अधीक्षक नहीं है, उनको कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, हमने यह निर्णय लिया है क्योंकि पहले मुख्य डाकघर साधारण जिला स्तर पर होते थे। अब विभाजन करके कुछ नये राज्यों में नये जिले बनाए गये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि भले ही नये जिले बने हों लेकिन उस जिले के मुख्य डाकघर तक इस सेवा को हम दिसम्बर 2002 के अंत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमने सिद्धांतत: यह तय किया है कि हर जिले का जो मुख्य डाकघर होगा वहां तक इस सेवा को पहुंचाएंगे और 6-8 महीने में एक मुख्य डाकघर में दो-दो जिले नहीं रहेंगे। हर जिले का अपना एक अलग डाकघर होगा, जो मुख्य डाकघर होगा।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला स्थान तक वह ई-मेल की सुविधा प्रदान कराना चाहते हैं लेकिन कई प्रदेशों में ऐसे जिला स्थान हैं जो जिले से भी बड़े हैं। क्या आप उन्हें भी इसमें शामिल करने का विचार रखते हैं। यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रमोद महाजन: मेरे विभाग की तो यह इच्छा है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में अगर योजना आयोग हमें निधि उपलब्ध कराए तो हम 15000 तहसील तक ई-पोस्ट सुविधा पहुंचाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह सुविधा हिन्दुस्तान के हर जिले की हर तहसील तक जाएगी। सूचना तकनीक के जमाने में पुराने डाकघरों को स्नेल-पोस्ट कहा जाता है क्योंकि यह स्नेल स्पीड से चलते हैं जबकि आईटी एकदम ई-स्पीड से चलती है। हमारी यह इच्छा है कि यह स्नेल-पोस्ट में तब्दील हो। जैसा आदरणीय सांसद ने कहा हम इसे बड़े गांव तक ही क्यों, हर तहसील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा: महोदय, माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि वह 'तहसील' तक जाएंगे। यह प्रगतिशील राजीव गांधी का स्वप्न था जिन्होंने कम्प्यूटर शुरू किया और दूरसंचार की

गति को तेज किया। मैं समझता हूं माननीय मंत्री भी उतने ही प्रगतिशील हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि राजीव गांधी और गांधीजी के सपनों को सिर्फ तहसील तक ही नहीं अपितु पंचायत मुख्यालयों तक कब तक पहुंचाया जाएगा। क्या कम्प्यूटर, फैक्स और ई-मेल सुविधाओं को पंचायत मुख्यालयों तक पहुंचाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा और माननीय मंत्री को कितना समय चाहिए?

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, सबसे पहले मैं दिवंगत श्री राजीव गांधी की प्रशंसा करता हूं और उनके योगदानों को स्वीकार करता हूं कि उन्होंने देश में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति का सूत्रपात किया। उनकी इस बात के लिए अवश्य प्रशंसा की जानी चाहिए कि जब उन्होंने कम्प्यूटर के बारे में बात करना शुरू किया था तब सामान्यतया समाज ने या तो उनकी आलोचना की या उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उसके 16 वर्ष बाद, अब हमें लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है। विशेषकर दूरसंचार क्रांति से संबंधित सार्वजनिक टेलीफोन के क्षेत्र में क्रांति भी उन्हीं का योगदान है, जिसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूं और इसलिए मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता। इसी तरह से, जैसा कि आपने ठीक ही कहा, यह महात्मा गांधीजी का सपना था कि प्रत्येक गांव के न्यूनतम स्तर तक के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 15000 से आगे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रानिक डाकघर (ई-पोस्ट आफिस) खोलने के लिए कम से कम एक कम्प्यूटर और एक टेलीफोन कनेक्शन या वी-सैट कनेक्शन चाहिए जिसके लिए कम से कम 2 से 3 लाख तक के अवसंरचनात्मक व्यय की आवश्यकता पड़ेगी और इसके अलावा, इस पर काम करने वाले दो-चार लोगों पर भी आवर्ती व्यय होगा। जैसा कि मैंने कहा अगले पांच वर्षों में सभी गांवों में यह सुविधा प्रदान करने का सपना मैं नहीं दोहराना चाहता लेकिन यदि योजना आयोग की सहमति बनती है और मैं समझता हूं यदि हम दसवीं योजना के अंत तक देश में 15000 इलेक्ट्रानिक डाकघरों (ई.-पोस्ट आफिस) की सुविधा प्रदान करते हैं तो मैं समझता हूं कि राजीव गांधी का सपना, महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा, और इस क्रांति को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते: माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पोस्ट आफिस में इंटरनेट और ई-मेल की फिलहाल जरूरत नहीं है और मुख्य डाकघर में जिला लेवल पर एक मुख्य पोस्ट आफिस में ही हम इंटरनेट और ई-मेल की सुविधा कर रहे हैं। सर, इस बात की ग्राउंड हकीकत को मैं बताना चाहूंगा और मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जितनी जरूरत जिला लैवर पर ई-मेल और इंटरनेट की है, उससे भी ज्यादा जरूरत आज रूरल सैक्टर में है। मैं अपने गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। मैं औरैंज बैल्ट से आता हूं। मेरे गांव में किसान और मैं स्वयं एक संतरा पांच पैसे में बेचते हैं जबकि इसकी वैल्यू दिल्ली में पांच रुपए है। आप पांच पैसे और पांच रुपए के बीच तुलना कर सकते हैं। अगर ई-मेल या इंटरनेट की सुविधा ताल्लुका और विलेज स्तर पर होती तो किसान इसके द्वारा दिल्ली, चेन्नई और बंगलौर में संतरे का रेट देख कर अपना बिजनेस कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी जितनी जरूरत अरबन एरिया में है उनती जरूरत रूरल एरिया में है। 2002-2003 के बजट में हार्डवेयर और साफ्टवेयर में काफी कनसैशन दिए गए हैं और बजट भी ज्यादा एनहांस किया है। मेरा सीधा सवाल यह है कि रूरल एरिया में इस सिस्टम को पैनिट्रेट करने के लिए आईटी का पर्सपैक्टिव प्लान क्या है? यदि आपकी पैनिट्रेशन करने की प्लानिंग है तो रूरल एरिया को अरबन एरिया की तुलना में कोई कनसैशन देंगे?

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ कर दूं और जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने इस सदन में न लिखित रूप से और न मौखिक रूप से कभी यह नहीं कहा कि गांवों में इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इस शब्द का कभी उपयोग नहीं किया है। अगर माननीय सदस्य प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न में यह पूछा गया था कि इस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मेल सुविधा वाले डाकघरों की कितनी संख्या है? मैं इसमें गलत बात नहीं कह सकता। ऐसे जितने डाकघर हैं, उतने ही मुझे बताने पड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि रूरल एरिया में यह नहीं हैं। मैं सभी सदस्यों, खास तौर पर जिन्होंने प्रश्न पूछा है और मोहिते जी से भी सहमत हूं। मैं यह मानता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की जरूरत जितने पढ़े-लिखे लोगों को है उससे ज्यादा जरूरत ग्रामीण इलाकों के लोगों को है क्योंकि यह सूचना की क्रांति है जो उन तक पहुंचनी चाहिए। सूचना की क्रांति का कोई महत्व नहीं होगा यदि वह उन तक न पहुंचे। वह उन तक पहुंचनी चाहिए लेकिन सूचना की क्रांति बिना टेलीफोन के पहुंच नहीं सकती है। इंटरनेट कम्प्यूटर का बक्सा नहीं होता है। माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि दुनिया के साथ जोड़ने के लिए साधन चाहिए और वे साधन उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की जरूरत है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में अगर हम सब मिल कर इसे 15 हजार गांवों तक ले जाएंगे तो समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सभी मंडियां ऐसी होंगी जहां किसान इसका उपयोग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ई-मेल केन्द्रों में यह जानने की कुछ सुविधा है कि भेजा गया ई-मेल उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए वह भेजा गया था, उदाहरणस्वरूप, पंजीकृत डाक की प्राप्ति मिलती है, जो कि अभी भी मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई विधि है। जिसके द्वारा मेल भेजने वाला व्यक्ति कम समय में ही यह जान ले कि—ये संवाद कम समय में ही चले जाएं—कि उसका मेल उचित स्थान पर पहुंचा है या नहीं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया था कि डाक विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक संवाद भेजने के लिए ई-मेल प्रणाली का उपयोग कर रहा है। लेकिन ई-पोस्ट की हमारी संकल्पना बिल्कुल भिन्न है। ये दो प्रकार के हैं। ई-पोस्ट में ई-मेल का पता होगा। यहां तक कि वे लोग जिनका अपना कम्प्यूटर नहीं है और इसलिए उनके पास अपना ई-मेल पता नहीं है—जैसे पोस्ट आफिस बाक्स प्रणाली जो कि अभी हमारे पास है—इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। डाकघरों के लिए आप ई-मेल बाक्स रख सकते हैं और यदि आप अपने को पंजीकृत करते हैं और नाममात्र के शुल्क का भुगतान करते हैं, तो उस ई-मेल बाक्स में आपका ई-मेल चला जाएगा और इकट्ठा होता रहेगा। आप या तो डाकघर में आकर संवाद डाउनलोड कर सकते हैं और अपना ई-मेल चेक कर सकते हैं या आप मुझे थोड़ी और राशि का भुगतान कर सकते हैं ताकि आपका ई-मेल हम डाउनलोड कर सकें और आपके घर भेज सकें। मैं यह चाहता हूं कि कम से कम अगली पीढ़ी के बच्चे अपने राज्य और घर के पते के बदले ई-मेल पता जानने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में कम्प्यूटर और ई-मेल सुविधा देने के बारे में है लेकिन सत्यता यह है कि अभी अनेकों पंचायतें ऐसी हैं, विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां डाकघर भी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, जैसा मंत्री जी ने कहा, सचमुच में स्नेल पोस्ट की सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम विभाग से डाकघर खोलने के लिये लिखते हैं तो एक नपा-तुला जवाब मिलता है कि विभागीय मापदंड के अनुसार यहां पर पोस्ट आफिस खोलना संभव नहीं है। क्या सरकार मापदंडों में इस प्रकार की कोई छूट देगी कि जिन पंचायतों में पोस्ट आफिस नहीं हैं, वहां खोले जायें? शायद मंत्री जी का उत्तर होगा कि सीमित संसाधनों के कारण यह संभव नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि संसाधन बढ़ें, इसके लिये क्या कोई ऐसा प्रावधान करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और टेलीफोन के बिल भी जमा करा सकते हैं ताकि कमीशन की आय बढ़े। दूसरा विभिन्न कम्पनियों से विज्ञापन इकट्ठा करके लैटरबाक्स पर वे विज्ञापन छपें और वहां से शुल्क मिले। क्या इस प्रकार की कोई या अन्य तरह की कोई व्यवस्था ऐसे स्रोतों से करेंगे ताकि विभाग की आय बढ़ सके?

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक उप-प्रश्न में तीन प्रश्न पूछे और मैं तीनों का उत्तर देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास इन तीनों का उत्तर है?

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, डाक सेवा दुनियाभर में सब्सिडाइज्ड सेवा होती है। जैसा कि हम पोस्टकार्ड भेजते हैं, उस पर 6-7 रुपये का खर्चा लगता है और उसे 50 पैसे में बेचते हैं। स्वाभाविक तौर पर डाक सेवा सब्सिडाइज्ड होती है। कहीं-कहीं डाक सेवा को अपना पैसा उपलब्ध कराना चाहिये, सैल्फ सफिशिएंट होना चाहिये। इसलिये विज्ञापनों का प्रयोग करने की कल्पना हम जरूर सोच रहे हैं। हमारे जो पोस्ट आफिस, पोस्ट बाक्स और पोस्ट आफिस की गाड़ियां होती हैं, वहां विज्ञापन कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: पोस्टकार्ड भी हैं।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, इसमें भी एक योजना है। जैसा मैंने कहा कि पोस्टकार्ड पर एक विज्ञापन आता है जिससे थोड़ा पैसा मिलता है "छोटा परिवार सुखी परिवार" इतना ही वह होता है। हमारा इरादा है और अगर वित्त मंत्रालय मान लें तो जैसा हम सब जानते हैं कि 50 पैसे का जो पोस्टकार्ड मिलता है, वह हम सोच रहे हैं कि एक नया पोस्टकार्ड 25 पैसे कर दिया जाये। आज 50 पैसे के पोस्टकार्ड पर तीन जगह लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, अड्रेस की साइड होती है। अगर हम एक तरफ विज्ञापन कर दें और अगर एक साइड में लिखें तो उस कार्ड की कीमत आधी कर सकते हैं और आधी कीमत करके वह कार्ड लोगों को 25 पैसे में मिल सकता है। आज हम देख रहे हैं कि 30 प्रतिशत लोग पीछे लिखते ही नहीं और दूसरी साइड खाली रहती है। इस प्रकार लोगों को कार्ड सस्ता मिल जायेगा क्योंकि 50 पैसे वाला कार्ड 25 पैसे में मिलेगा। सरकार इस योजना पर विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने पूछा है कि जहां पोस्ट आफिस नहीं हैं, वहां खोलेंगे?

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। आज भी कई जगह पोस्ट आफिस में बिजली या अन्य बिल स्वीकार किये जाते हैं। हम इस सुविधा को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जितनी भी बिलिंग है, यह पोस्ट आफिस में मिले। ऐसे सुझाव पर विचार हो रहा है।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने डाकघरों की संख्या के बारे में कहा है कि जहां पंचायत मुख्यालय हो, वहां डाकघर खोला जाये। मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज देश में 847 मुख्य डाकघर हैं, 25 हजार पोस्ट आफिस सब डिवीजनल हैं, 26,006 डाकघर हैं। इसके आगे लगभग 1 लाख 28 हजार पोस्ट आफिस जो हम नहीं चलाते बल्कि ग्रामीण डाक सेवक चलाते हैं। हमारी कल्पना है कि एक डाकघर 8 घंटे चले लेकिन जहां 8 घंटे से कम डाकघर चलते हैं, वहां आपके आग्रह पर ऐसे डाकघर खोले गये हैं, जहां महीने-महीने न कोई खरीदने आता है और न कोई पोस्ट कार्ड डालने आता है। इन सबका खर्चा बाकी सब पर आता है लेकिन हर पंचायत में एक डाकघर हो, इस प्रकार की जो मांग की गई है, विभाग इस पर विचार करेगा।

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है, उसके आधार पर प्रश्न पूछने का मकसद यही था कि गांवों में जो पोस्ट आफिसेज हैं, जल्दी से जल्दी उन्हें सूचना कैसे प्राप्त हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि ई-मेल में अभी आपको बहुत कठिनाई है, चूंकि पैसे का अभाव है। हिन्दुस्तान में एक लाख 28 हजार आफिसेज हैं। आप उनका सर्वे करायें और जो पोस्ट आफिसेज अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें पी.सी.ओ. की व्यवस्था कर दी जाए तो उनसे आपको भी लाभ होगा और वह सरकारी पी.सी.ओ. होगा और गांवों में इस पी.सी.ओ. में काम करने वाले लोगों को पी.सी.ओ. के माध्यम से अलग से सूचना मिल सकती है। चाहे उस व्यक्ति का संतरा या प्याज बेचने का काम हो, वह दिल्ली या कलकत्ता में सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या इस संबंध में सरकार कोई योजना बना रही है। यदि हां, तो उस योजना को सरकार कब तक लागू करने का विचार रखती है।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, किसी डाकघर में आटोमैटिक पैसा डालकर चलाने वाल; पी.सी.ओ. हो तो उसे चलाने में डाकघर को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पी.सी.ओ. चलाना 24 घंटे का काम है और अगर मैं हर डाकघर में पी.सी.ओ. लगा दूं तो मुझे हर डाकघर में कम से कम पांच एम्पलायीज लगाने पड़ेंगे। जो आठ-आठ घंटे की ड्यूटी में वहां बैठेंगे। हमें उनकी तनख्वाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, टी.ए., डी.ए., कपड़े-लत्ते आदि सब मिलाकर यह बहुत बड़ा काम हो जायेगा। उससे अच्छा है कि

[अनुवाद]

मूलत: सार्वजनिक टेलीफोन बूथ निजी क्षेत्र में चल रहे हैं

[हिन्दी]

लाखों पी.सी.ओ. इस देश में हैं। यदि कोई और पी.सी.ओ. चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन डाक विभाग 24 घंटे चलने वाला पी.सी.ओ. चलाने का काम करे, इस प्रकार की योजना अभी नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ई-पोस्ट आफिस की योजना पांच प्रांतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे पांच प्रान्त कौन से हैं और यह पायलट प्रोजेक्ट कब से शुरू की गई है और इसके अब तक के परिणाम क्या हैं।

श्री प्रमोद महाजन: सर, पांच प्रान्तों में आन्ध्र प्रदेश में 50 स्थानों पर चल रही है। केरल में 51 जगह चल रही है, गुजरात में 43 स्थानों पर चल रही है, गोवा में एक स्थान पर चल रही है और महाराष्ट्र में 56 स्थानों पर चल रही है। ये पांच प्रान्त हैं जहां यह योजना चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम मार्च की बात कर रहे हैं, दिसम्बर के अंत तक बाकी जो 640 जिले बचे हैं, उनमें भी यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कह दूं कि ई-मेल के पत्र पाना बहुत ज्यादा लोग पसन्द नहीं करते। क्योंकि जो लिखता है उसके हस्ताक्षर उस पर नहीं होते हैं। एक टाइप्ड कागज के जैसा आता है और इसलिए अभी तक यह व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत भारी मात्रा में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आज नहीं है। क्योंकि डाक विभाग ने शायद इसका जितना विज्ञापन करना चाहिए, उतना विज्ञापन भी नहीं किया है। मेरे पास सूची है कि हमारी वैबसाइट पर लाखों लोग जा रहे हैं। कम से कम 50-60 देशों के लोग इसे उपयोग में ले रहे हैं। परन्तु लोगों को इसकी सुविधा की उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं विस्तार से अभी दे रहा था। जैसे-जैसे जानकारी होती जायेगी, शायद लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे।

[अनुवाद]

पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह

***242. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई मुख्य बंदरगाह न होने के कारण देश में व्यापार और पोत परिवहन का विकास धीमा होता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का देश के पूर्वी तट पर मुख्य बंदरगाह का विकास करने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ पूर्वी तट पर किसी बंदरगाह का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुख्य बंदरगाह के रूप में विकसित किए जाने वाले बंदरगाह के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश पी. गोयल): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आधार पत्तन शब्द सामान्यत: उस पत्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है जहां निर्यात के लिए कंटेनर कार्गो अपने अन्तिम गन्तव्य स्थान पर सीधी डिलीवरी के लिए बड़े कंटेनर जलयानों द्वारा उठाए जाने हेतु इकट्ठा किया जाता है अथवा जहां कंटेनर आयात कार्गो आगे छोटे पत्तनों को फीडर जलयानों द्वारा भेजने के लिए बल्क में प्राप्त किया जाता है। पारिभाषिक रूप से आधार पत्तन के लिए आवश्यक है कि वह बर्थ पर बड़े जलयान हैंडल करने के लिए उपयुक्त हो। भारतीय विमानपत्तनों में कंटेनर यातायात पिछले तीन वर्षों के दौरान 12 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित दर से बढ़ा है। व्यापार की संवृद्धि विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति और घरेलू उद्योग तथा व्यापार की प्रतिस्पर्द्धात्मकता जैसे कई कारणों से प्रभावित होती है। पत्तन और नौवहन समुद्र में कार्गो के परिवहन में मदद करते हैं परन्तु कार्गो के अर्जन में इनकी कोई भूमिका नहीं है। आधार पत्तन न होने से व्यापार की संवृद्धि धीमी नहीं हुई है।

भारत से शुरू होने वाले अथवा भारत को जाने वाले कंटेनरों का लगभग दो तिहाई यानांतरण दुबई, कोलम्बो, सिंगापुर आदि जैसे पड़ोसी विदेशी पत्तनों पर होता है। इस स्थिति से अधिक परिवहन लागत आती है। गन्तव्य स्थानों पर भारतीय निर्यात कार्गो की ढुलाई कर रहे कंटेनरों की सीधी समुद्री यात्रा को अथवा भारत आ रहे आयात कंटेनरों को किसी विदेशी पत्तन पर यानांतरित किए बिना सीधे भारतीय पत्तन पर प्राप्त करने को सुकर बनाने के लिए मंत्रालय ने देश के क्रमश: पश्चिमी और पूर्वी तट पर एक आधार पत्तन/प्रमुख पत्तन का विकास करने के लिए प्रयास किए हैं।

कारणों को समग्र रूप में देखते हुए जिसमें, यातायात का संकेन्द्रण, भूगोलीय अवस्थिति बनाम अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग, आयात और निर्यात कार्गो के लिए मौजूदा और संभावित बाजारों के साथ निकटता आदि शामिल हैं, पूर्वी तट पर चेन्नै को आधार पत्तन/प्रमुख पत्तन के लिए अपेक्षित सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि आधुनिक और सुविकसित पत्तनों के अभाव के कारण भारत में उद्योग और विदेश व्यापार में रुकावट आ रही है। यह भी एक तथ्य है कि हमारे यहां गहरे पानी वाले पत्तन नहीं हैं और हमारे बंदरगाहों पर बड़े जहाज नहीं ठहर सकते हैं।

ऐसा इसलिए है कि हमारे पत्तन विदेशी पत्तनों की तुलना में छोटे और अविकसित हैं। यद्यपि, कृषि उत्पादों और अन्य घरेलू वस्तुओं के निर्यात के क्रम में, हमारे यहां गहरे जल वाले और सुविकसित पत्तन अवश्य होने चाहिए। पूर्वी तट पर गहरे जल वाले पत्तन नहीं हैं। पश्चिमी तट पर दो गहरे जल वाले पत्तन हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूर्वी तट पर विशेषकर विशाखापत्तनम में मुख्य पत्तनों (मदर पोर्ट) या कृत्रीम पत्तनों के विकास के लिए हमारी सरकार की क्या योजना है और विशाखापत्तनम बंदरगाह को मुख्य पत्तन के रूप में विकसित करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

श्री वेद प्रकाश गोयल: महोदय, अपने जवाब में, मुख्य पत्तन (मदर पोर्ट) क्या है, मैंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, वस्तुत: मदर पोर्ट या 'डॉटर पोर्ट' वाली संकल्पना जैसी कोई बात नहीं है। यह केवल आम बोलचाल की भाषा है। 'फादर' या 'सन' पोर्ट जैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। पत्तन वास्तव में एक केन्द्र है और बाकी उसकी शाखाएं (स्पोक पोर्ट) हैं। केन्द्र मुख्य है और शाखाओं के माध्यम से यह सब जगह पहुंचता है।

पूर्वी तट पर, छ: प्रमुख पत्तन हैं जिन पर बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारे काम चल रहे हैं। विशाखापत्तनम उनमें से एक है। यदि हम कोलकाता से शुरू करें तो सबसे पहले कोलकाता, फिर पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ईन्नोर पत्तन और दक्षिण जाने पर तुतीकोरीन है। प्रश्न किया गया था कि इन पत्तनों के अलावा किसी अन्य को प्रमुख पत्तन के रूप में नामित किया गया है। हां, महोदय, हमने चेन्नई को प्रमुख बंदरगाह के रूप में चयनित किया है।

विशाखापत्तनम बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने के लिए, हमने एक कंटेनर टर्मीनल का निजीकरण कर दिया है क्योंकि हमने पाया कि जहां-जहां कंटेनर टर्मीनलों का निजीकरण किया गया है, कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि दर्ज की गई है। उस संदर्भ में अब हमारी निगाहें विशाखापत्तनम बंदरगाह पर हैं। इसलिए, इस दिशा में यह एक कदम है और निकट भविष्य में ही इसे मुख्य पत्तन बनाया जा रहा है। वर्तमान में, मुख्य पत्तन बनने की इसकी पात्रता नहीं है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वर्तमान में हमारे पत्तनों पर केवल मध्यम आकार के जहाज ही आ पाते हैं और बड़े जहाज हमारे पत्तनों में नहीं आ सकते। इसलिए हमें अपने माल को सिंगापुर में ही उतारना पड़ता है, जो कि बड़ा महंगा सौदा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार ने 'जेट्टी' या 'बर्थ' निर्माण के लिए कोई प्रयास किया है ताकि बड़े जहाज सीधे भारत में आ सकें। क्या पूर्वी तट पर बड़े बंदरगाह बनाने का कोई प्रस्ताव है?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने करीब-करीब इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री वेद प्रकाश गोयल: वस्तुत:, उत्तर देते समय, ''ई-पोर्ट'' के विपरीत ''पोर्ट'' जैसा उत्तर दिया था। 'नहीं, महोदय या 'हां, महोदय, कहने के बजाए, मैंने अधिकांश सूचनाएं देने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, यह सकारात्मक था।

श्री वेद प्रकाश गोयल: मैं आपको कारण बता सकता हूं कि क्यों चेन्नई पत्तन को ही चुना गया है। इसका एक बहुत ठोस कारण है। तटीय यातायात के लिए 'जेट्टियों' का निर्माण किया जा रहा है आपका प्रश्न तटीय यातायात से ही जुड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार को देश में 12 प्रमुख पत्तनों की देखभाल का जिम्मा दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा है, प्रत्येक पत्तन पर विशेषत: पूर्वी तट पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए कोलकाता पत्तन को लें। दो महीने पहले ही हमने तलकर्षण और नदी विनियामक प्रणाली के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है क्योंकि इस पत्तन पर धीरे-धीरे काम मंद पड़ता जा रहा था। आप इसे मुख्य आधार पत्तन कहें या न कहें, यह देश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन है। हमने इस पत्तन के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत की है और कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा।

आपके पास हल्दिया गोदी प्रणाली है। यह हाल ही में बना एक और महत्वपूर्ण पत्तन है। यह एक कंटेनर पत्तन है। वस्तुत: मुख्य/आधार पत्तन का विचार कंटेनरीकरण से ही संबंधित है। भारत में कंटेनरीकरण का विकास नहीं हुआ है। ऐसा पिछले चार-पांच वर्षों के दौरान काम नहीं होने के कारण हुआ है। निवेश बराबर नहीं हुआ है। हम इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

जिन-जिन स्थानों के लिए राज्य सरकारें हमसे सम्पर्क कर रही हैं, वहां जेटियां बनाई जा रही हैं। तटीय यातायात राज्य का विषय है। लेकिन जहां भी राज्य सरकारें हमसे सम्पर्क करती हैं हम उन्हें मदद देते हैं। अत: जेट्टियों का निर्माण किया जा रहा है।

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, माननीय मंत्री जी के लिखित उत्तर से मैं यह समझ पाया हूं कि आधार या मुख्य पत्तन नहीं बनाया जा सकता है जहां आधुनिक कंटेनर सुविधाएं हों। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि फिलहाल भारत का निर्यात और आयात मुख्यत: दुबई, कोलम्बो और सिंगापुर के माध्यम से हो रहा है।

महोदय, हमें खुशी है कि चेन्नई को देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तनों में चुना गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कलकत्ता पत्तन पर काम घट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांजा, यह कलकत्ता नहीं कोलकाता है।

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, आप ठीक कह रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि कोलकाता पत्तन के जीर्णोद्धार के लिए 350 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है। यदि कंटेनर प्रणाली स्थापित करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इस प्रयोजन के लिए कोलकाता पत्तन को क्यों नहीं चुना जा रहा है? उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि केवल दो पत्तनों को चुना जाएगा— एक पूर्वी क्षेत्र में और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र में। आस्ट्रेलिया अपने पत्तनों पर कंटेनर सुविधाएं स्थापित करने में काफी आगे निकल गया है। सिंगापुर ने भी ये सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। यदि पत्तनों पर कंटेनर सुविधाएं स्थापित करने में संसाधनों की कमी है तो हम इन देशों से सहयोग ले सकते हैं या निजी उद्यमों से पत्तनों पर कंटेनर प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं ताकि विकास संभव हो सके।

महोदय, जहां तक हुगली गोदी पत्तन का संबंध है, समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि वहां कुछ सूखी गोदियों को बंद किया जा रहा है। कोलकाता पत्तन की कुछ सुविधाओं को बंद किया जा रहा है। क्या यह सही है? वहां पर तलकर्षण के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं? इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूरे भाग बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र लाभान्वित होगा। अन्यथा यदि दुबई, चीन और पश्चिमी तट के अन्य स्थानों से ही माल आता रहा तो ऐसी समस्याएं आती ही रहेंगी। इसकी लागत बहुत अधिक आएगी।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों के बारे में बताएं।

श्री वेद प्रकाश गोयल: जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं मुख्य पत्तन के चयन के मापदंड एक बार फिर दोहराता हूं। यह बिना

सोचे-विचारे नहीं किया जाता। मुख्या/आधार पत्तन और प्रमुख (हब) पत्तन और स्पोक पत्तन के चयन में पत्तन की भौगोलिक स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक होती है। अन्य कारक उद्योग, व्यापार, बाजार, उत्पादन और खपत केन्द्रों की समीपता और अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग से निकटता है।

महोदय, जब मैं नवशेवा स्थित जे.एन.पी.टी. की बात करता हूं तो यह अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग अर्थात् कोलम्बो, सिंगापुर और हांगकांग के निकट है। यह इस मार्ग के सबसे निकट है। यह सुविकसित पत्तन है। यह पहले से ही कुशलता पूर्वक काम कर रहा था। इस पत्तन के एक टर्मिनल को निजी हाथों में दे दिया गया है इसलिए दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है। यह मापदंड है। हालांकि, कोलकाता उद्योग, व्यापार, बाजार आदि से समीपता जैसी अपेक्षाओं को पूरा करता है परंतु यह अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग के बहुत निकट नहीं है। दुर्भाग्यवश, कोलकाता का ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल का उद्योग लम्बे समय से विभिन्न कारणों से पिछड़ गया है।

इसलिए, ये उद्योग पर्याप्त यातायात पैदा नहीं करते। कुछ सूखी गोदियों के बंद होने संबंधी एक प्रश्न है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य के मन में हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स की बात है। मैं वहां की जलवायु देखने के लिए स्वयं गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि वहां पर मुझे कामगार ने भी वेतन या अन्य किसी चीज के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे काम दिलाने को कहा ताकि वे अपनी कुशलता का उपयोग कर सकें। परन्तु, मैं क्या करूं? सरकारी क्षेत्र की इकाइयां भी उन्हें काम देने से भागती हैं। उन्हें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्राधिकरण ने 1987 में एक काम दिया था। विभिन्न कारणों से यह काम पूरा नहीं किया जा सका है। कोई ग्राहक कब तक प्रतीक्षा कर सकता है? इस कारण काम की लागत बढ़ गई है और समय अधिक लगा है। लेकिन, अब हम अन्य सरकारी इकाइयों और पत्तनों को नामनिर्देशन आधार पर काम देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के आधार पर ये काम प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं।

अगला पैरामीटर पर्याप्त तटीय नगर भाग का होना है। कोलकाता नदी तटवर्ती पत्तन है। यहां पर नदी के साथ बहकर आई रेत जमा हो जाती है। यहां पर प्रतिवर्ष तलकर्षण की आवश्यकता होती है और इस काम पर बहुत लागत आती है। तलकर्षण का बड़ा काम हमने हाथ में लिया है और जैसा कि मैंने कहा है इसके लिए 350 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एक बार यह काम पूरा हो जाए, मेरे विचार से यह लगभग 18 महीने का कार्यक्रम रहेगा और फिर यह एक सफल पत्तन बन जाएगा।

एक अन्य पैरामीटर आधुनिकतम उपकरणों की उपलब्धता है। कोलकाता में उपकरण बहुत पुराने हैं। जैसा की कुछ क्रेनें 40 वर्ष पुरानी हैं। आजकल सभी आधुनिक पत्तनों पर उपकरणों की उपयोगिता अवधि 25 वर्ष आंकी जाती है। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं परन्तु क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ नहीं बदल सकते, आप सारे उपकरण नहीं बदल सकते। यह बहुत बड़ी लागत वाला काम है। एक क्रेन की लागत ही 25 करोड़ रुपये होती है।

अगला पैरामीटर बड़ा बैकअप क्षेत्र उपलब्ध होना है। एक अन्य पैरामीटर जहाज के लिए पानी की अपेक्षित गहराई का होना है। नदी तटीय पत्तन में पानी की इतनी गहराई नहीं हो सकती। इसीलिए, हल्दिया पत्तन बना। अब हम कुछ और अधिक गहराई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चैनल को और अधिक गहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अन्य पहलू पर्याप्त रेल रोड सम्पर्क का होना है, जो कोलकाता में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। लेकिन कोलकाता में सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: उपाध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में पोत परिवहन मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 1999 से ही पैरवी करते आए हैं। अब पोत परिवहन मंत्री श्री वेद प्रकाश गोयल ने तुतीकोरिन का दौरा किया है और तूतीकोरिन पत्तन पर स्थिति का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा है। तमिलनाडु की ओर से हमने उनके समक्ष जो अनुरोध रखा था, उस पर उन्होंने 15 दिन पहले ध्यान दिया है। तमिलनाडु तीन समुद्रों—बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर—से घिरा हुआ है। हमने 1982 में आपना मसला सागर सम्मेलन (ला आफ दी सी कान्फ्रेंस) में भी रखा था। तमिलनाडु ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित ला आफ द सी कान्फ्रेंस में अपनी भूमिका अदा की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्ग का अध्ययन करके उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई है और चेन्नई को आधार पत्तन के रूप में उचित ही चुना है। मैं तमिलनाडु की ओर से चेन्नई पत्तन का चयन आधार पत्तन के रूप में करने पर पोत परिवहन मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

साथ ही, मैं कहूंगा कि तूतीकोरिन पत्तन पर बड़े जलपोत आ रहे हैं। इसलिए हम इसे चेन्नई के आधार (मदर) पत्तन का अनुषंगी पत्तन कह सकते हैं। क्या चेन्नई के आधार पत्तन के प्रोत्साहन के लिए आप तूतीकोरिन पत्तन के उन्नयन के लिए निधियां आबंटित करेंगे? यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री वेद प्रकाश गोयल: चेन्नई में कई टर्मिनलों का निजीकरण किया जा रहा है और अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य मुझसे जो आश्वासन चाहते हैं वह तो पहले से ही है। हम उन्हें सर्वोत्कृष्ट पत्तनों में से एक पत्तन दे रहे हैं।

तूतीकोरिन की अवस्थिति ऐसी है कि इसकी प्रचालन दर बहुत अधिक है। यहां पर गुजरात के पश्चिमी तट की 7 रुपये की प्रचालन दर की तुलना में दर 42 रुपये है। विशेष मामले के तौर पर हमने इसे 20 प्रतिशत तक घटाया है। अधिक यातायात की संभलाई करने पर हमने रियायत देने की शुरूआत भी की है।

इसका प्रचालन सिंगापुर की एक कंपनी पी एस ए कर रही है। तूतीकोरिन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए हमने सेतुसमुद्रम परियोजना शुरू की है जिससे तूतीकोरिन पत्तन पर संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

श्री वैको: माननीय पोत परिवहन मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है और हम सब इस बात पर प्रसन्न हैं। सरकार के निर्णय को देखते हुए और माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के कार्यान्वयन के प्रति बचनबद्ध होने के तथ्य को देखते हुए तूतीकोरिन पत्तन दक्षिण पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तूतीकोरिन परियोजना की दो जुड़वां परियोजनाएं हैं और यह सेतुसमुद्रम नहर परियोजना से परस्पर संबद्ध है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे तूतीकोरिन पत्तन पर पानी से मिट्टी निकालकर सफाई करने पर विचार करेंगे जिससे कंटेनरों के आवागमन में बढ़ोत्तरी हो सके। जिसमें मंत्री महोदय की भी रुचि है? उन्होंने इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है। मैं माननीय मंत्री से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री वेद प्रकाश गोयल: मिट्टी निकालकर उसकी सफाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस पर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है कि यह काम शुरू हो जायेगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए अपने वक्तव्य में यह कहा है कि मंत्रालय द्वारा देश के पश्चिमी समुद्र तट एवं पूर्वी समुद्रतट पर क्रमश: मूल पत्तन एवं केन्द्रीय पत्तन के विकास को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्णय जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के आधार पर तय किये जाते हैं। मैं कहूंगा कि कोचीन पत्तन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पत्तन है। यह उत्तर मंत्री द्वारा दिया गया है।

मेरा प्रश्न है कि वल्लारपदम कंटेनर परियोजना सरकार के पास काफी समय से लंबित है। मैंने इस परियोजना की स्थिति जानने के लिए अनेक स्मरण-पत्र दिए हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि कोचीन के विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं और बल्लारपदम कंटेनर परियोजना को कब तक मूर्तिरूप दे दिया जाएगा।

श्री वेद प्रकाश गोयल: जब हम अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय पत्तन की बात करते हैं तो वास्तव में हम अपने यहां के यातायात को दूसरी दिशा में छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि इस समय कोलम्बो और सिंगापुर होकर जाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कोचीन है। यह स्वीकार कर लिया गया है और विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के मुख्य पत्तन के लिए वेल्लारपदम उपयुक्त स्थान है। यह परियोजना बहुत लम्बे समय से चल रही है। मैंने यह काम अपने हाथ में ले लिया है। इसमें निये सिरे से रुचि दिखाई गई है? पहले निविदाएं आमंत्रित की गई थीं लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं आया। इस परियोजना का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विपणन किया है क्योंकि आज हम यह आशा नहीं कर सकते कि घर बैठे उद्यमी हमारे पास आएंगे। उन्हें 2,000 करोड़ रुपये व्यय करने हैं क्योंकि यह परियोजना 2,000 करोड़ रुपये की है। हम मलेशिया, सिंगापुर और हांग-कांग गए। उन्होंने रुचि दिखाई, पार्टियां आना चाहती हैं और यहां अपना धन लगाना चाहती हैं और बीओटी आधार पर परियोजना चलाना चाहती हैं मुझे आशा है कि हम इस वर्ष की समाप्ति के पहले वल्लारपदम में भूमि पूजन कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चुतर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न में पचास मिनट लग गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा। एक घंटे में दो प्रश्नों से ज्यादा नहीं हो पाते। कम से कम समय का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाए कि बाकी प्रश्नों को भी समय मिल जाए।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस: गत वर्ष भारत के विभिन्न पत्तनों पर कार्य करने वाले कामगार दिल्ली में एकत्रित हुए और उन्होंने निजीकरण का विरोध किया। अनेक पत्तन विशेषकर कोचीन पत्तन और बाम्बे पत्तन लाभ में चल रहे हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। बहुत अधिक धन आरक्षित है विशेषकर कोचीन पत्तन में मंत्री महोदय ने यह कहकर उदारता दिखाई है कि भौगोलिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के आवागमन की टर्मिनल परियोजना के लिए वल्लारपदम सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। यह परियोजना लम्बे समय से लम्बित है। मेरी जानकारी में यह एक दशक से अधिक समय से लंबित है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता हूं क्या अन्तर्राष्ट्रीय बोलीदाता बोली लगाने आ रहे हैं और क्या विपणन करने वाले आ रहे हैं या नहीं। क्या सरकार बिना किसी देरी के आरक्षित निधि का प्रयोग करके बल्लारपुरम परियोजना शुरू करेगी?

श्री वेद प्रकाश गोयल: यदि आप इस प्रश्न से राजनीति को निकाल दें तो आज स्थिति यह है कि पूरे विश्व में टर्मिनलों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि चीन भी यदि आप वहां के बारे में सोच रहे हैं तो वहां भी यही स्थिति है। हर जगह यही हो रहा है। यह देखने में आया है जहां भी दो टर्मिनल रहे हैं और उनमें एक का संचालन निजी संचालक और एक का विभाग द्वारा किया जाता है। तब इन दोनों के संचालन में बहुत अन्तर होता है। मैं लोगों की कुशलता के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। वे बहुत अच्छे इंजीनियर कुशल लोग हैं। लेकिन यह अलग प्रकार का कार्य है। यह छोटी कार्यशाला या फैक्टरी लगाने का कार्य नहीं है। यह 2,000 करोड़ रुपये का ही मामला नहीं है बल्कि इसमें बहुत अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है और इस पर बहुत सोच की आवश्यकता है, जिसका विकास हम अपने देश में स्वतन्त्रता के 50 वर्षों बाद भी नहीं कर सके हैं। हम बर्बाद हुए समय की भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 243, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मैं विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अगले प्रश्न को पूछने को कह दिया है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मुझे अपनी बात स्पष्ट करनी है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगले प्रश्न की शुरूआत पहले ही कर दी गई है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, किसी ने विशाखापत्तनम के बारे में बात की है। कृपया मुझे एक सेकेण्ड बोलने की अनुमति दीजिए*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही अगले प्रश्न को पूछने की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, मैं शुरू से ही प्रयास कर रहा था कि आप मुझे बोलने का अवसर देंगे। मुझे स्पष्ट करना है।*...(व्यवधान)* मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आपने चेन्नई का चुनाव किया है। चेन्नई इसके लिए उपयुक्त शहर है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने अगले प्रश्न को पूछने की अनुमति दी है। सदस्य ने पहले ही प्रश्न कर दिया है और मंत्री ने उत्तर भी दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम सूची के केवल दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर सकेंगे। प्रतिदिन 'प्रश्न काल' का दस या पन्द्रह मिनट शून्य काल के रूप में व्यतीत किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: महोदय, कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय इससे सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वेद प्रकाश गोयल: मैं इसका स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

हेपेटाइटिस 'बी' के मामले

***243. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 2001 के ''दैनिक जागरण'' में ''हेपेटाइटिस 'बी' और 'सी' से पीड़ित 4.5 करोड़ रोगी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा हेपेटाइटिस 'बी' और 'सी' से पीड़ित रोगियों को शीघ्र और नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वायरल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस-बी वाइरस और हेपेटाइटिस-सी वाइरस सहित बहुत से विषाणुओं से हो सकता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में वाइरल हेपेटाइटिस के कुल रोगियों की सूचित संख्या वर्ष 1998 में 113527, 1999 में 131798 और 2000 में 148754 थी। तथापि, संस्थागत आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जनसंख्या का काफी भाग हेपेटाइटिस-बी और सी वायरस का वाहक हो सकता है, यद्यपि, उनमें से बहुत कम लोगों में रोग के लक्षण होंगे जिन्हें उपचार की आवश्यकता होगी।

हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण के लिए अधिक खतरे वाले वर्ग हैं- नवजात शिशु, बच्चे, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्त्ता और वे लोग जो एच आई वी/एड्स संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं, क्योंकि यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित रक्ताधान, इंजेक्शन आादि से तथा माता से भी बच्चे में फैलता है। ऐसे वाइरल हेपेटाइटिस से प्राय: प्रकोप नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इसकी चिरकारिता बनी रहने से सिरोसिस और यहां तक कि लीवर कैंसर भी हो सकता है।

हेपेटाइटिस बी और सी का उपचार अत्यधिक महंगा है और इसमें लम्बी अवधि तक इंटरफेरल और लमिवुडीन जैसी औषधियों का प्रयोग करके एंटी-वाइरल थिरेपी का उपयोग होता है। हेपेटाइटिस बी अथवा सी से संक्रमण को रोकने के लिए उपाय करना उपचारात्मक चिकित्सा की अपेक्षा बहुत अधिक किफायती है।

वाइरल हेपेटाइटिस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- जोखिम उठाने वाले केन्द्रीय सरकार के अस्पताली कर्मचारियों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी गई है।
- संभी रक्त बैंकों में रक्त के अनिवार्य रूप से परीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन सम्बन्धों को बढ़ावा देने का प्रचार किया जाता है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अविसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों के प्रयोग के खतरे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग-अलग विसंक्रमित सिरिंजों और सुईयों का प्रयोग करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- देश के उच्च खतरे वाले 15 चुने हुए शहरों और 17 राज्यों के 32 जिलों में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन के प्रयोग के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की संभावना है। इस प्रायोगिक परियोजना पर 27.29 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जिसमें वैक्सीनों और ए डी सिरिंजों का खर्च 23.89 करोड़ रुपए होगा, जिसके लिए ग्लोबल एलायंस आन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन (जी.ए.वी.आई.) द्वारा धन प्रदान किया जाएगा। हेपेटाइटिस-सी संक्रमण के लिए अभी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।
- चूंकि इस समय हेपेटाइटिस-बी और सी की व्याप्तता के बारे में उपलब्ध आंकड़े पूरी तरह से स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए देश में हेपेटाइटिस बी और सी वाइरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या का सही अनुमान प्राप्त करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से निगरानी स्थल स्थापित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश भर में हैपीटाइटिस बी और सी का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैला है। यह न केवल शहरों में फैला है, गरीब बस्तियों में, मजदूर बस्तियों में फैला है, बल्कि शहरी बस्तियों के अलावा भी जो मध्यम वर्ग की जो बस्तियां हैं, उनके अन्दर भी इसका संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता हुआ देखा गया है। माननीय मंत्री जी ने अपना जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि निरन्तर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इस बात को बताते

हैं कि हैपीटाइटिस बी और हैपीटाइटिस सी के संक्रमण का प्रकोप बढ़ता गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्योकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अभी जो भी सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें कोई विश्वसनीय आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराकर वास्तविक आंकड़ों की विश्वसनीयता के आंकड़ों को एकत्रित करने का कोई प्रयास अभी आरम्भ किया गया है, किया गया तो ऐसा सर्वेक्षण कब आरम्भ किया गया और जो उच्च खतरे वाले राज्य हैं, क्षेत्र हैं, ग्राम हैं, शहर हैं, उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बचाव के जो उपाय आपने बताये हैं, इस प्रश्न के उत्तर में, वे उपाय करने के बाद उनका क्या परिणाम सामने आया, क्योंकि यह हमारी और आपकी सबकी जानकारी है कि उपाय हम कागजों में जरूर कर देते हैं, आदेश पहुंचा देते हैं, लेकिन वहां जमीनी स्तर पर उन उपायों का दरअसल प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था न होने के कारण उसका जो प्रभाव होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है, इस सम्बन्ध में आप कृपया जानकारी देने का कष्ट करें?

डा. सी.पी. ठाकुर: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, जो भी रिसर्च हुई हैं, वे हास्पिटल बेस और हाई रिस्क एरिया में हुई हैं। उन्हें चिन्ता है और मुझे भी इसकी चिन्ता है। जितने भी आंकड़े आए हैं, उनकी पुष्टि कैसे की जाए, कैसे सही आंकड़े आएं, एड्स का सर्वे कराते हैं, वह काफी साइट पर होता है। उसके लिए खून लिया जाता है। उससे यह भी टैस्ट हो सकता है। इस साल से हम लोगों ने जो सेंटिनल सर्वे एड्स का किया है, उसके साथ बी एंड सी को भी जोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद सही आंकड़ा देश के सामने आएगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जो रोकथाम के उपाय हैं, वे कब आरम्भ किए हैं और अभी तक उसमें क्या प्रगति हुई है?

डा. सी.पी. ठाकुर: इस साल से हम पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। यह 50 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट है। यह 15 शहर और 17 राज्यों में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट का जब परिणाम आ जाएगा, तो अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मंत्री जी ने अपने जवाब में जो उपाय बताए हैं उनमें इस बात का उल्लेख किया है कि वैक्सीन के जरिए, इंजेक्शन के जरिए, इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात की जानकारी शायद मंत्री जी को होगी, क्योंकि उनके विभाग को इस बात के लिए रिपोर्ट भी किया गया है और कई शिकायतें भी की गई हैं कि वैक्सीन उत्पादन के लिए देश के अंदर कुछ कम्पनीज ने, जिसमें हैदराबाद की एक कम्पनी भारत बायोटैक है, वह हैपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन का उत्पादन करती है। उसके सम्बन्ध में शिकायत हुई है कि वहां पर घटिया क्वालिटी की वैक्सीन बनाई गई है। यह जांच के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन द्वारा उस कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई और क्या उसे ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है, जिससे अन्य कम्पनीज ऐसी घटिया स्तर की वैक्सीन न बनाएं? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं अपने उत्तर में कि इसका उपचार बहुत महंगा है। अगर इसकी रोकथाम करनी है तो यह उपाय सस्ता और कम्पनी वैक्सीन उत्पादित कर रही हैं, उसकी गुणवत्ता का स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

डा. सी.पी. ठाकुर: देश में पांच कम्पनीज वेक्सीन बनाती हैं। हैदराबाद की भारत बायोटैक कम्पनी है, सांता बायोटैक औरंगाबाद की है, दिल्ली की पैनिसिया बायोटैक कम्पनी है और एक गुजरात की कैडिला हैल्थ केयर है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है कि भारत बायोटैक कम्पनी के बारे में कुछ शिकायतें आई थीं। लेकिन उनका कहना है कि हमारे प्रतिद्वंद्वी हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में एक इन्क्वायरी भी सैटअप हुई है। इसके अलावा जो अन्य कम्पनीज वैक्सीन बनाती हैं, वह वैक्सीन विश्व स्तर की है और निर्यात भी हो रही है। कमोबेश जो वैक्सीन देश में बन रही है, वह ठीक बन रही है। कुछ शिकायतें जो आई हैं, हम जांच कर रहे हैं

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जांच में क्या पता चला है?

डा. सी.पी. ठाकुर: जो वैक्सीन था, वह ठीक था, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारत बायोटैक ने घटिया स्तर की वैक्सीन बनाई थी। उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हुआ है। यह लोगों की मिलीभगत है और इसकी ठीक ढंग से जांच नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूं कि गुणवत्ता की विधिवत जांच कराई जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।

डा. सी.पी. ठाकुर: मैं फिर जांच कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे पता है कि समय बहुत कम है। मैं एकदम विषय से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। भारत में यकृत की बीमारियां फैल रही हैं। हमारे पास दवा नहीं है और भारत में उनका इलाज करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ भी नहीं

हैं। पश्चिम के देशों में इस प्रकार की दवा का विकास नहीं हुआ है। लेकिन पूर्वी देशों में इस दवा का विकास हो गया है। क्या भारत सरकार के पास रोगियों को भारत में ही अपने बल पर चिकित्सा सुविधाएं एवं दवाएं उपलब्ध कराने के लिए यकृत की बीमारियों का अध्ययन करने हेतु किसी बहुत बड़ी संस्था या प्रयोगशाला की स्थापना करने की कोई योजना है? या यदि कुछ वैज्ञानिक या डाक्टर इस प्रकार का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार उनकी मदद करेगी?

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, मैं सदस्य की इस बात से पूरा सहमत हूं कि यहां शोध का ऐसा कोई केन्द्र नहीं है जो कि पूर्णत: यकृत की बीमारियों के लिए हो। भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अन्य स्थानों पर हुए इस तरह के केन्द्र हैं जहां उत्कृष्ट डाक्टर हैं और वे अच्छा शोध कार्य कर रहे हैं। संसाधन उपलब्ध होने पर मैं निश्चय ही यकृत की बीमारियों के लिए अलग केन्द्र स्थापित करने का प्रयास करूंगा। यह आज की आवश्यकता है। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम यह कार्य नहीं कर रहे हैं। हम यकृत की बीमारी का अलग केन्द्र स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया: उपाध्यक्ष महोदय, एचआईवी का संबंध यकृत की बीमारियों से भी है अनेक सदस्य पूछना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सहमत हूं। मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"ल्यूकेमिया" का उपचार

***244. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:**
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चांदी आधारित आयुर्वेदिक यौगिक से "ल्यूकेमिया" के उपचार में दो वर्ष पहले ही सफलता प्राप्त कर ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में इसके उपचार और खोज में किए गए आगे के अध्ययनों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपचार की अस्पतालों में "ल्यूकेमिया" रोगियों के उपचार के लिए सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधानरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् ने अक्तूबर, 1997 में "तीव्र प्रो-माइलोसिटिक ल्यूकेमिया (ए.पी.एम.एल.) पर धातु आधारित आयुर्वेदिक योगों के प्रभाव" का मूल्यांकन करने संबंधी अनुसंधान परियोजना की संस्वीकृत दी थी। ए.पी.एम.एल. के 15 रोगियों पर किए गए नैदानिक अध्ययन में 4 रोगी मर गए। सूचना मिली है कि 90 दिनों का उपचार पूरा कराने वाले 11 रोगियों में सभी अस्थि मज्जा की जांच के आधार पर ल्यूकेमिया से मुक्त पाए गए तथा 11 में से 10 को जीवित बताया गया। तथापि, प्रमुख अन्वेषक से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा धातु संबंधी योगों के संभावित विषैले प्रभाव के कारण योग पर प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण चल रहा था।

परिषद् ने ए.पी.एम.एल. मामलों के उपचार में प्रयुक्त औषधि के विकास का पर्यवेक्षण करने के लिए तारीख 23.01.2001 को एक औषधि विकास समिति का गठन किया, जिसमें आयुर्वेदिक विशेषज्ञ तथा आधुनिक भेषजगुण-विज्ञानी शामिल हैं। यह देखा गया कि फार्मुलेशन को औषधि के रूप में मानकीकृत करने के लिए नई औषधियों के विकास के लिए वैज्ञानिक निदेशों के तहत आवश्यक विभिन्न अपेक्षाओं को अभी पूरा किया जाना है। इन निदेशों पर भी कड़ाई से अमल करने की आवश्यकता है क्योंकि फार्मुलेशन में संघटकों के रूप में प्रयुक्त विभिन्न धातुओं और खनिजों का प्रभाव विषैला हो सकता है।

अब प्रमुख अन्वेषक को यह सलाह दी गई है कि वे "नवजीवन"-औषधियों को तैयार करने संबंधी सभी ब्यौरों को शामिल करते हुए मोनोग्राफ तैयार करने सहित औषधि विकास के लिए की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों हेतु समय सारणी को प्रस्तुत करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वह ऐसी प्रयोगशाला की पहचान करें, जो औषधि के एफ्लुएन्ट आदि की अभिक्रिया के लिए कार्रवाई की रीति का इन विटरो अध्ययन कर सकें और उस अभिक्रिया का प्रबंध कर सके।

जल जाने, कुत्ते के काटने और संक्रामक रोगों का उपचार

***245. श्री रघुनाथ झा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जल जाने, कुत्ते के काटने और संक्रामक रोगों के उपचार हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इन मामलों के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये उपचार कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ)

जलने के मामले:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पास अलग बर्न यूनिट नहीं है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से केवल 100 मीटर दूर सफदरजंग अस्पताल में बर्न और प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा यूनिट में सभी मानक सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राय: जब कोई जला हुआ व्यक्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रिपोर्ट करता है, तो उसे प्राथमिक उपचार देने के पश्चात् सफदरजंग अस्पताल को भेजा जाता है। तथापि, महाविपदा की स्थिति में, जहां बड़ी संख्या में लोग पीड़ित होते हैं, तो रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आपाती वार्ड में दाखिल किया जाता है और उन्हें अपेक्षित उपचार प्रदान किया जाता है।

कुत्ते काटने के मामले:

सामान्यत: कुत्ते काटने के मामलों को सफदरजंग अस्पताल को भेजा जाता है। तथापि, यदि रोगी की स्थिति ऐसी होती है कि उसे शल्यचिकित्सीय परिचर्या की तत्काल आवश्यकता है तो उसे अपेक्षित उपचार के पश्चात् ही सफदरजंग अस्पताल को भेजा जाता है।

संक्रामक रोग:

सामान्यतया ऐसे रोगियों को किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में स्थित संक्रामक रोग अस्पताल को भेजा जाता है। तथापि, महामारी जो राष्ट्रीय महत्ता की हो गई है अथवा उन मामलों में जहां रोगी स्थानान्तरित किए जाने की स्थिति में नहीं होता है, के मामलों में रोगियों को आवश्यक उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पृथक वार्ड (आइसोलेशन वार्ड) में दाखिल किया जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का संवर्धन

***246. श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के संवर्धन हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान कुटीर उद्योगों के संवर्धन हेतु आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार पहले से ही खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, खादी एवं ग्रामोद्योगों, जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं, के संवर्धन एवं विकास हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है, और 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख का 25 प्रतिशत जमा परियोजना की शेष लागत पर 10 प्रतिशत है। कमजोर वर्गों नामत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय, लाभार्थी/संस्थान एवं पर्वतीय सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को, जिसमें कुटीर उद्योग शामिल हैं, कुशलता उन्नयनीकरण, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सहयोग के रूप में भी सहायता प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, ये उद्योग उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, खादी एवं ग्रामोद्योगों का उत्पादन 1997-98 में 4519.31

करोड़ रु. से बढ़कर 2000-2001 में 6923.26 करोड़ रु. हो गया है और इसी अवधि के दौरान रोजगार 56.50 लाख से बढ़कर 60.07 लाख हो गया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प और विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.), खादी कारीगरों हेतु बीमा सुरक्षा, खादीय उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाईन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास शामिल हैं।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 2000-2001 के दौरान, अनुदान एवं ऋण के रूप में संवितरित राज्यवार निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

के.वी.आई.सी. द्वारा 2000-2001 के दौरान अनुदान और ऋणों का राज्यवार संवितरण

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुदान	ऋण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	520.66	46.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.18	0.26
3.	असम	59.09	46.12
4.	बिहार	326.28	112.72
5.	गोवा	58.49	0.00
6.	गुजरात	1167.46	19.71
7.	हरियाणा	652.32	17.24
8.	हिमाचल प्रदेश	217.32	17.24
9.	जम्मू एवं कश्मीर	219.54	28.92
10.	कर्नाटक	703.25	43.01
11.	केरल	810.85	57.65
12.	मध्य प्रदेश	302.22	74.50
13.	महाराष्ट्र	378.95	16.40
14.	मणिपुर	420.77	4.59
15.	मेघालय	61.23	5.22
16.	मिजोरम	0.61	14.82
17.	नागालैंड	198.57	130.09
18.	उड़ीसा	67.98	53.97
19.	पंजाब	473.03	0.36
20.	राजस्थान	708.25	7.22
21.	सिक्किम	3.20	1.83
22.	तमिलनाडु	2091.54	31.10
23.	त्रिपुरा	3.73	3.60
24.	उत्तर प्रदेश	4723.14	184.84
25.	पश्चिम बंगाल	225.30	101.81
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.50	0.00
27.	चंडीगढ़	0.23	0.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00
29.	दिल्ली	266.76	25.96
30.	पांडिचेरी	25.23	0.00
31.	दमन एवं दीव	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
33.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
34.	झारखंड	0.00	0.00
35.	उत्तरांचल	0.00	0.00
	कुल	14719.43	912.74

बच्चों में दांत संबंधी समस्या

***247. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 2002 के "दैनिक जागरण" में "करीब 80 प्रतिशत बच्चों को दांत संबंधी समस्याएं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दंत चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और बच्चों के दांतों की देखभाल सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) जी, हां। यद्यपि बच्चों में दन्त अस्थिक्षरण की व्याप्तता-दर की मूल्यांकन करने के लिए लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, कुछ प्रकाशित अध्ययनों से बच्चों में इसकी 60-80 प्रतिशत तक की व्याप्तता का संकेत मिलता है।

मुखीय दन्त संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम एक प्राथमिक निवारक कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों सहित जनसाधारण में मुखीय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इस समय दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में यह कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर दन्त शल्य चिकित्सकों का प्रशिक्षण शामिल है जो फिर स्वास्थ्य कार्यकताओं, स्कूल शिक्षकों और समुदाय को प्रशिक्षित करते हैं और अधिक दन्त चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 2500 बी.डी.एस. छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ निजी क्षेत्र में 35 दन्त चिकित्सा कालेजों को अनुमति दी गई है।

आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक अस्पतालों को प्रोत्साहन

***248. श्री जे.एस. बराड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी अस्पतालों में और सरकार द्वारा सहयाता प्राप्त अस्पतालों में एलोपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रशिक्षित चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के कितने मेडिकल कालेज खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) सरकार अगली योजना अवधि में जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति स्कंध, 10 सरकारी अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विशिष्टता क्लिनिकों और विशिष्टता उपचार सुविधाओं की स्थापना करने के लिए सहायता संबंधी योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव करती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सांस्थानिक रूप से प्रशिक्षित 4,88,501 चिकित्सक हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के परिचिकित्सा-कार्मिकों की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए कोई पृथक् सांविधिक परिषद् नहीं है।

राज्य सरकारें/रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां/न्यास महसूस की गई जरूरत और अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर मेडिकल कालेजों की स्थापना करते हैं। इस मंत्रालय ने बंगलूर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को कार्यशील बनाने और चेन्नई में राष्ट्रीय सिद्ध स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के भवन का निर्माण करने के लिए कदम उठाए हैं।

जैविक युद्ध

***249. श्री राम प्रसाद सिंह:**
श्री प्रबोध पण्डा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जैविक युद्ध के खतरों से अवगत है; और

(ख) सरकार ने एन्थ्रैक्स और अन्य जैविक एजेंटों, जिनका देश के दुश्मनों द्वारा उपयोग किया जा सकता है, से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कार्रवाई की है:

1. हथियारों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जीव विज्ञानीय कारकों की एक ब्यौरेवार सूची इनके चिन्हों एवं लक्षणों, प्रसार की संभावित विधि, इनकी उदभवन अवधि,

घातकता और वैक्सीनों की उपलब्धता सहित सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों तथा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को निम्नलिखित एहतियाती उपाय करने के सलाह देते हुए परिचालित की गई है:-

* आपाती आकस्मिकता के लिए बिस्तरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।

* यथासंभव वैक्सीनों/सीरा/औषधों का भंडारण करना।

* समन्वित कार्रवाई के लिए डाक्टरों का एक विशेष दल बनाना। उनके ऐसे हथियारों और उपचार संबंधी उपायों के प्रभाव के बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक संस्थान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 को एन्थ्रैक्स के संदेहास्पद नमूनों की जांच करने हेतु नौडल एजैन्सी नियुक्त किया गया है। एन्थ्रैक्स बेसिलस की जांच करने की सुविधाएं राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे, आन्त्रविषाणु अनुसंधान संस्थान, मुम्बई, वेक्टर मिशन अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी, चिकित्सीय कीटविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मदुरई, विकृतिविज्ञान संस्थान, सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध है।

3. एन्थ्रैक्स के संबंध में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

4. डेंगू, एन्थ्रैक्स आदि हाल ही में उभरने वाले जनस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगों के प्रबंधन (निदान, उपचार, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों आदि) की समीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ दल की दो बैठकें (1 और 17 अक्तूबर) में आयोजित की गई। देश में विभिन्न संगठनों के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली में विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया और मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में जैव-आतंक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

5. सी डी एलर्ट में जारी होने वाले दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विशेष दल की दो बैठकें (18 एवं 21 अक्तूबर, 2001) आयोजित की गई।

6. सी डी एलर्ट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का मासिक न्यूजलेटर "जैव आतंक-जन स्वास्थ्य प्रणाली का सतर्क रहना" अनन्य रूप से एन्थ्रैक्स पर व्यापर रूप से परिचालित किया गया है। आम जनता की सूचना के लिए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाइट (एच टी पी:/एम ओ एच एफ डब्ल्यू, एन आई सी, आई एन) में भी रखा गया है।

7. स्वास्थ्य विभाग ने 29 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में जैविक एवं रासायनिक आतंकवाद पर एक बैठक सह-कार्यशाला आयोजिक की जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, गृह सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, देश के विभिन्न संगठनों के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों और दिल्ली में सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के प्रमुखों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। बैठक का उद्देश्य डाक्टरों, स्वास्थ्य कार्मिकों एवं जनसाधारण के सुग्राहीकरण के जरिए सभी स्तरों पर तैयारी के बारे में चर्चा करना है। राज्य के प्रतिनिधियों ने किए गए प्रारम्भिक उपायों के बारे में सूचना दी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधों की उपलब्धता का आश्वासन दिया।

अंधता उन्मूलन

*250. **श्री रूपचंद मुर्मू:**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 2002 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "नम्बर आफ ब्लाइंड वुड बी डबल इन ट्वेन्टी इयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आंख की देखभाल में महत्वपूर्ण विकास होने के बावजूद देश में एक दशक पहले चिकित्सायोग्य लोग अब बड़ी संख्या में पूर्ण अंधता से ग्रस्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिहार्य अंधता उन्मूलन हेतु कोई विश्वव्यापी अभियान शुरू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को दी गई चिकित्सीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 21.1.02 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित अनुमान एक अध्ययन पर आधारित है जो केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित हैं और इसलिए उनको पूरे देश के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89) के आधार पर वर्ष 2001 में अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति लगभग 15 मिलियन होंगे। वर्ष में किए जा रहे मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या प्रतिवर्ष के अनुमानित नये रोगियों से अधिक है। इसे देखते हुए ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दृष्टिविहीन व्यक्तियों की संख्या वर्षानुवर्ष बढ़ रही है।

(ग) और (घ) लगभग 80 प्रतिशत दृष्टिविहीन व्यक्तियों को, मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा के द्वारा चश्में प्रदान करके और अन्य नेत्र समस्याओं का उपचार करके, उनकी दृष्टि को लौटाने के लिए उपचार किया जा सकता है। मोतियाबिन्द आपरेशनों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जो 1992-93 में 16 लाख से बढ़ कर 2000-2001 के दौरान 37 लाख हो गई है।

(ङ) और (च) जी हां। "विजन 2020: दी राइट टू साइट" नामक एक वैश्विक पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई है। "विजन 2020: दी राइट टू साइट" की भारत में पहल के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यदल एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहा है। इस योजना में मोतियाबिन्द, सबलबाय, मधुमेह और रिफ्रेक्टिव एरर्स के कारण कारनियल दृष्टिविहीनता की रोकथाम करना शामिल है। इसमें विशेष ध्यान बच्चों में दृष्टिविहीनता के निवारण और नियंत्रण पर दिया जायेगा। विजन 2020 पहल का उद्देश्य वर्ष 2020 तक परिहार्य दृष्टिहीनता को कम करना है। इस पहल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता दी जा रही है जिसके लिए 2001-2002 के दो वर्षों के लिए 2 लाख अमरीकी डालर मंजूर किये गये हैं। तथापि क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता का पात्र नहीं होगा।

[अनुवाद]

आयोडीन की कमी से होने वाले रोग

***251. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन कोलीशन फार कंट्रोल आफ आयोडीन डेफीशिएंसी डिस्आर्डर्स (आई.सी.सी.आई.डी.डी.) की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक 100 में से आठ लोग घेंघा से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.सी.सी.आई.डी.डी. के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले 29 मिलियन बच्चों में से एक लाख से अधिक बच्चों में किसी न किसी के आयोडीन की कमी से होने वाले रोग से ग्रस्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) इण्डियन कोलीशन फार कंट्रोल आफ आयोडीन डेफीशिएंसी डिस्आर्डर्स (आई.सी.सी.आई.डी.डी.) के पास कोई सूचना या प्रकाशित आंकड़े नहीं हैं। तथापि, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न समय में सर्वेक्षण किए गए 305 जिलों में से 252 जिले स्थानिकमारी हैं जहां आयोडीन अल्पता जन्य विकारों की व्याप्तता 10 प्रतिशत से अधिक है।

देश में सभी वर्ग के लोगों में आयोडीन अल्पताजन्य विकारों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। अभी तक केरल एवं गुजरात राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में आंशिक प्रतिबंध है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के सहयोग से गहन सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के जरिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोडीकृत नमक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने स्तर पर शिक्षा शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

जन उपयोगी सेवाओं को सुधारने हेतु एम.टी.एन.एल. द्वारा किए गए उपाय

***252. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली और मुम्बई में जन उपयोगी सेवाओं को सुधारने हेतु कई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सेवाओं में से प्रत्येक सेवा का लाभ उठाने के लिए नगर-वार क्या-क्या औपचारिकताएं अपेक्षित हैं;

(ग) क्या इन सेवाओं में प्रत्येक नगर में उपभोक्ता सेवा के किसी भी कार्यालय द्वारा डुप्लीकेट बिल जारी किया जाना भी शामिल है;

(घ) टेलीफोन शिकायत सेवा पर पंजीकृत शिकायतों को दूर करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या उन उपभोक्ताओं को स्वत: किराया छूट प्रदान की जाती है जिनका टेलीफोन कनेक्शन लगातार 7 दिनों से अधिक समय के लिए खराब रहता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो खराब टेलीफोन को ठीक करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) दिल्ली और मुम्बई में जन-उपयोगी सेवाओं में सुधार लाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि. ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- दिल्ली में 197 तथा अन्य लेवल-1 सेवाओं के लिए काल केन्द्र अवधारणा (काल सेन्टर कान्सेप्ट) शुरू की गई है। शुरूआत के तौर पर किदवई भवन में 197 के लिए 52 स्थानों वाला मुख्य काल केन्द्र तैयार है तथा यह परीक्षणाधीन है।
- अस्पताल, रेलवे प्लेटफार्म, हवाई अड्डों, बस स्टाप, स्कूल, कालेज, सिनेमाघरों, मुख्य बाजारों आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों में विभागीय तथा निजी पीसीओ (पब्लिक काल आफिस) खोले गए हैं।
- एम्बुलेन्स, अग्नि-शमन, पुलिस, दुर्घटना तथा आपातकाल (ट्रौमा), नेत्र दान, चाइल्ड हेल्प लाइन, रक्त दान, एड्स संबंधी जागरुकता, विभिन्न प्रकार की पूछताछ (रेलवे, हवाई अड्डा, सड़क परिवहन, जल, बिजली आदि) जैसी कतिपय जन-उपयोगी सेवाओं के लिए 3/4 डिजिट वाले नि:शुल्क (टॉल फ्री) नम्बर खोले गए हैं।
- जनता के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के लिए, महानगर टेलीफोन निगम लि. ने उपभोक्ता सेवा केन्द्र और संचार हाट खोले हैं जिनमें इच्छानुरूप टेलीफोन नं. तथा उपकरण सहित नए टेलीफोन का पंजीकरण करना, डुप्लीकेट बिल जारी करना तथा बिलों का भुगतान करना, प्रीपेड कार्डों की बिक्री आदि जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

पीसीओ सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सरल तथा उपभोक्ता अनुकूल बना दिया गया है।

(ग) उपभोक्ता सेवा केन्द्रों से डुप्लीकेट बिल भी जारी किए जाते हैं।

(घ) सामान्यतया, खराब टेलीफोन 48 घंटे के भीतर ठीक कर दिए जाते हैं। कुछ मामलों में भूमिगत केबल की खराबियों के कारण विलम्ब हो जाता है।

(ङ) से (छ) जिन उपभोक्ताओं के टेलीफोन 7 अथवा इससे अधिक दिनों तक खराब रहते हैं, उन सभी को स्वत: किराया छूट दी जाती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

***253. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:**
श्री के. येरनायडू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद के कृत्य क्या हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार परिषद नाम्मनिर्देशित और निर्वाचित सदस्यों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद में सदस्यों के कितने रिक्त स्थान है;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी खर्च को कम करने के लिए परिषद को भंग करने और भारतीय चिकित्सा परिषद के कृत्य को सीधे अपने हाथ में लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) 1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्य:

- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के एकसमान मानदण्डों को बनाए रखना।

- एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल कालेजों को शुरू करने, नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने तथा सीटों को बढ़ाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के उपबंधों के अंतर्गत अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिशें भेजने हेतु मेडिकल कालेजों का निरीक्षण/दौरा करना।

- देश के भीतर तथा बाहर की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने अथवा मान्यता समाप्त करने के लिए केन्द्र को सिफारिशें भेजना।

- भारतीय मेडिकल रजिस्टर का रखरखाव और उन लोगों को अस्थायी/स्थायी पंजीयन देना, जिन्होंने मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं प्राप्त कर ली हैं।

- पंजीकृत चिकित्सा स्नातकों को उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र जारी करना।

2. आज की तिथि के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सदस्यता एवं रिक्तियां:

सदस्यों की श्रेणी	कुल सदस्यता	मौजूद सदस्य	रिक्त
राज्य सरकार के नामित व्यक्ति	28	26	02
केन्द्र सरकार के नामित व्यक्ति	08	08	शून्य
राज्यों के पंजीकृत चिकित्सा स्नातक (निर्वाचित)	17	06	11
विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि (निर्वाचित)	59	32	27
लासेंसिएट चिकित्सा अर्हता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि	07	शून्य	07
कुल	119	72	47

3. रिक्तियों के कारण और उन्हें भरने के लिए की गई कार्रवाई: राज्यों के पंजीकृत चिकित्सा स्नातकों के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करती है। केन्द्र सरकार लाइसेंसिएट चिकित्सा अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए परिषद में सात सीटों हेतु निर्वाचन करने के लिए भी निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करती है। केन्द्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों से विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने के लिए अनुरोध किया जाता है।

4. राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को नामांकित करने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार से उनके नामित व्यक्तियों के नामों को अग्रेषित करने के लिए अनुरोध करती है।

5. इन प्राधिकारियों से चुनाव शीघ्र कराने और अपने प्रतिनिधियों के नामों को अग्रेषित करने के लिए केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से इन रिक्तियों को भरने की स्थिति में तब तक नहीं है जब तक इसे परिषद की सदस्यता के लिए निर्वाचित व्यक्तियों के नाम प्राप्त नहीं होते/राज्य सरकारें अपने नामित व्यक्तियों के नाम अग्रेषित नहीं करती हैं।

6. परिषद् की रिक्तियां मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से रिक्त पड़ी हुई हैं:

- परिषद में राज्य सरकारों के नामित व्यक्तियों की रिक्तियां बनी हुई हैं क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों ने अपने नामित व्यक्तियों के नाम केन्द्र सरकार को अग्रेषित नहीं किए हैं।

- विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय सदस्यों में से विश्वविद्यालय के सीनेट या सभा द्वारा अपनी बैठक में किया जाएगा। कुछ विश्वविद्यालय सीनेट के पुनर्गठित होने में अत्यधिक विलंब के कारण वर्षों से अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने में समर्थ नहीं रहे हैं। कुछ मामलों में सीनेट की बैठक काफी समय से नहीं हुई है।

- राज्यों में पंजीकृत चिकित्सा स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में कुछ निर्वाचन अधिकारियों ने अद्यतन मतदाता सूची उपलब्ध न होने और निर्वाचन विवादों के कारण बहुत समय से चुनाव नहीं करवाए हैं।

- लाइसेंसिएट चिकित्सा अर्हताओं वाले व्यक्तियों के लिए परिषद् में सात सीटों के लिए निर्वाचन कराने के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी बहुत समय से निर्वाचन कराने में समर्थ नहीं रहे हैं मुख्यत: क्योंकि कुछ चिकित्सा

परिषदें अद्यतन मतदाता सूची प्रदान करने में समर्थ नहीं रही हैं।

7. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है और यह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न सांविधिक कार्यों का निष्पादन करती है। केन्द्र सरकार के पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को समाप्त करने एवं इसके कार्यों को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों में कैपीटेशन फी

***254. श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में चिकित्सा महाविद्यालय विद्यार्थियों से अत्यधिक कैपीटेशन फी वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि योग्य विद्यार्थियों, जो कैपीटेशन फी देने में समर्थ नहीं हैं, को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) मेडिकल कालेजों के व्यापारीकरण को रोकने और प्राइवेट कालेजों को कैपिटेशन फीस लेने से रोकने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम राज्य के मामले में प्राइवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश विनियमित करने की एक स्कीम तैयार की। इस स्कीम के अनुसार अल्पसंख्यक कालेजों को छोड़कर सभी प्राइवेट मेडिकल कालेजों में कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटें मेरिट सीटें हैं, 35 प्रतिशत भुगतान सीटें और शेष 15 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के लिए रखी जाती हैं। पहली दो श्रेणियों अर्थात् मेरिट और भुगतान सीटों के लिए प्रवेश संबंधित राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित की जाने वाली मेरिट के आधार पर अथवा अर्हक परीक्षा में निर्धारित की गई मेरिट के आधार पर किया जाता है। अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों में 50 प्रतिशत सीटें संबंधित राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के जरिए भरी जाती हैं और शेष 50 प्रतिशत मैनेजमेंट द्वारा संबंधित अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों के बीच मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं। चूंकि प्रवेश लेने हेतु मेरिट ही एकमात्र मानदण्ड है, इसलिए परिश्रमी और मेधावी उम्मीदवारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार की गई स्कीम से लाभ पहुंचा है। जहां तक फीस ढांचे का संबंध है, यह 1993-94 से 1996-97 की अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियत किया गया था। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कालेजों में मेरिट और भुगतान सीटों के लिए फीस की ऊपरी सीमा केन्द्र सरकार नियत करती रही है और इस ऊपरी सीमा के भीतर प्रत्येक मेडिकल कालेज में फीस का संबधित राज्य द्वारा नियतन किया जा रहा है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के लिए रखी गई 15 प्रतिशत सीटों के लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सड़क नेटवर्क से जुड़े बंदरगाह

***255. श्री दिलीप संघाणी:** क्या **सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख बंदरगाहों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने हेतु बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनका व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में सड़क नेटवर्क से जोड़े जाने वाले बंदरगाहों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) देश में सड़क नेटवर्क को महापत्तनों से जोड़ने के लिए परियोजनाओं हेतु कार्ययोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात में कांडला एकमात्र महापत्तन है और इसके लिए सड़क संपर्क का सुधार राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए के समख्याली-गांधीधाम खंड को चार लेन का बनाकर किया जा रहा है जो पूर्व-पश्चिम महामार्ग को जोड़ेगा।

विवरण

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

क्रम सं.	पत्तन	विकास के लिए खंड	लंबाई कि.मी.	पूरे होने की संभावित तारीख
1.	पारादीप	राष्ट्रीय राजमार्ग 5ए (0 कि.मी. से 74 कि.मी. तक)	74	सितम्बर, 2005
2.	हल्दिया	राष्ट्रीय राजमार्ग-41 (रा.रा.-6 पर कोलाघाट से हल्दिया तक)	53	अप्रैल, 2005
3.	विशाखापत्तनम	राज्यीय सड़क	12	अप्रैल, 2005
4.	चेन्नै व इन्नौर	चेन्नै-इन्दौर एक्सप्रैस मार्ग	6	दिसम्बर, 2005
5.	तूतीकोरिन	राष्ट्रीय राजमार्ग-7ए (तूतीकोरिन-तिरूनेलवेली खंड)	51	सितम्बर, 2005
6.	कोचीन	राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (5 पुलों सहित 348/382 कि.मी. से 358/300 कि.मी. तक)	10	जून, 2005
7.	नव मंगलूर	राष्ट्रीय राजमार्ग-17 (कासरगोडू-मंगलूर-उडुपी खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (मंगलौर-बंतावल खंड)	37	सितम्बर, 2005
8.	मुरगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग-17बी (रा.रा.-17 पर पोर्ट से वर्णा जंक्शन तक)	18	सितम्बर, 2003
9.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन	राष्ट्रीय राजमार्ग-4बी + राष्ट्रीय राजमार्ग-4,	30	अप्रैल, 2005
		राज्यीय राजमार्ग-54 +	10	
		अमरा मार्ग + पनवेल क्रीक पुल	6	
10.	कांडला	राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए (समख्याली-गांधीधाम)	56	जून, 2002

नीति अनुसंधान संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र

***256. श्री मंजय लाल:** क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु कृषि और ग्रामीण उद्योगों हेतु नीति अनुसंधान संबंधी राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा अब तक जिन अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कडिया मुण्डा): (क) ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु परिवार मानदंड

***257. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु परिवार के मानदंड अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने/ हतोत्साहित करने के लिए एक समान नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु परिवार के मानदंड अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विधान बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु परिवार के मानदंड अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) सरकार ने 15 फरवरी, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अंगीकार की है। नीति में प्रजनक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए नागरिकों की स्वैच्छिक एवं सोची-समझी पसंद तथा सहमति और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में लक्ष्य रहित कार्यनीति को जारी रखने के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की गई है।

तथापि, नीति में देश में शीघ्र जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु नीति में सूचीबद्ध कार्यनीति संबंधी विषयों का समर्थन करने हेतु निम्नलिखित संवर्धनात्मक/प्रेरणात्मक उपायों का उल्लेख किया गया है:-

(1) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(2) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बी.सी.जी. टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(3) परिवार कल्याण से संबद्ध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपए तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले पति/पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(4) गरीबी की रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते हैं, जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में शिशु सदन और बाल परिचर्या केन्द्र खोले जाएंगे। यह वैतनिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को सुकर बनायेगा और उसे बढ़ावा देगा।

(6) विविध प्रसव केन्द्रों में परामर्शी सेवाओं सहित वहनीय विकल्प सुलभ कराये जाएंगे ताकि स्वीकारकर्त्ताओं द्वारा स्वैच्छिक और सोची-समझी सहमति दी जा सके।

(7) सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

(8) ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय उद्यमियों को उदार ऋण प्रदान किया जाएगा और रेफरल परिवहन की मौजूदा व्यवस्थाओं

को अनुपूरित करने के लिए एम्बूलेंस सेवाएं चलाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।

(9) लड़कियों के लिए स्व-रोजगार प्रदायक बढ़ी हुई व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(10) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1976 को कड़ाई से लागू करना।

(11) प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को कड़ाई से लागू करना।

(12) सहायक नर्स-धात्रियों की गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उदार ऋणों में वृद्धि की जायेगी।

(ग) और (घ) 2000 में ही अंगीकृत की गई व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को देखते हुए, कोई नया विधान लाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन के लिए प्रदान की गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंध पर संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान छोटे परिवार के मानदण्डों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99			1999-2000			2000-2001		
		नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70	17363.99	3458.96	20822.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	144.06	75.75	291.18	231.20	103.35	334.55	256.18	130.72	386.90
3.	असम	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91	6466.42	1817.62	8284.04
4.	बिहार	8792.62	4025.28	12817.90	28435.89	4868.39	33304.28	13087.72	5957.71	19045.43
5.	गोवा	184.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94	269.68	125.61	395.29
6.	गुजरात	10503.85	2108.13	12611.98	14612.87	2600.21	17213.08	7201.05	3335.35	10536.40
7.	हरियाणा	12746.01	906.66	3652.67	3388.16	1019.59	4407.75	3878.80	1420.10	5298.90
8.	हिमाचल प्रदेश	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	338.33	2407.34	2778.77	470.20	3248.97
9.	जम्मू व कश्मीर	1600.73	455.77	2056.50	1803.64	458.21	2261.85	1913.98	539.43	2453.41
10.	कर्नाटक	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19086.05	13002.34	2640.17	15642.51
11.	केरल	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6864.11	5478.14	1575.88	7054.02
12.	मध्य प्रदेश	8566.08	4587.46	13153.54	11373.87	4988.02	16361.97	10820.86	5477.07	16297.93
13.	महाराष्ट्र	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.09	13758.03	4423.30	18181.33
14.	मणिपुर	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35	978.87	118.94	1097.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71	641.79	139.93	781.72
16.	मिजोरम	239.11	68.77	307.88	368.47	75.80	444.27	456.13	70.32	526.45
17.	नागालैंड	247.96	90.31	338.27	402.78	97.73	500.51	457.72	90.13	547.85
18.	उड़ीसा	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7819.21	6742.34	1630.78	8373.12
19.	पंजाब	2558.65	1125.51	3684.16	2941.14	1246.95	4188.09	3122.93	1284.46	4407.39
20.	राजस्थान	8492.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57	14506.55	4039.05	18545.60
21.	सिक्किम	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06	653.55	38.73	692.28
22.	तमिलनाडु	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19	21195.98	1708.95	22904.93
23.	त्रिपुरा	1781.61	193.98	1975.59	823.48	177.00	1000.48	1683.73	211.06	1894.79
24.	उत्तर प्रदेश	42482.52	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35	22669.33	11338.42	34007.75
25.	पश्चिम बंगाल	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24	10813.82	3140.07	13953.89
	कुल (राज्य)	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.65	180198.70	55182.96	235381.66

[हिन्दी]

पानी से होने वाले रोग

***258. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पानी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के नियंत्रण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रस्ताव योजना आयोग को विचारार्थ अग्रेषित किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

1. जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के अत्यधिक भार वाले क्षेत्रों की पहचान।
2. जल की गुणवत्ता की मानीटरिंग एवं निगरानी।
3. पेय जल आपूर्ति विभाग के सहयोगी तंत्र।
4. कृमिरोधी औषधियां देना।
5. जल से उत्पन्न होने वाले रोगों के लिए मानकीकृत उपचार प्रोटोकाल।
6. हैलोजन गोलियों का वितरण।
7. सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा सामुदायिक सहभागिता।
8. क्षमता निर्माण।
9. मानीटरिंग एवं मूल्यांकन।

[अनुवाद]

तीन चरण वाली उपग्रह संचार प्रणाली

***259. श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शेष विश्व के साथ सभी सातों पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए तीन चरण वाली उपग्रह संचार प्रणाली की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित प्रणाली को किस तिथि से शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) पूर्वोत्तर में सभी राज्यों की राजधानियों को माइक्रोवेव प्रणालियों से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, गुवाहाटी, शिलांग और ईटानगर को आप्टिकल फाइबर से भी जोड़ा गया है। गुवाहाटी, अगरतला और गंगटोक के लिए उपग्रह प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित अन्य एक्सचेंजों के लिए कनेक्टिविटी का संबंध है, यह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से संभव होने के आधार पर उपग्रह या माइक्रोवेव या आप्टिकल फाइबर प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

राज्यों की राजधानियों के लिए तीन स्तरीय दूरसंचार प्रणाली शुरू करने की एक योजना तैयार की गई है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि जहां तक संभव हो, राज्यों की राजधानियों को पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन तीनों माध्यमों अर्थात् माइक्रोवेव, आप्टिकल फाइबर और उपग्रह की सहायता से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए शेष राज्यों की राजधानियों को वर्ष 2002-2003 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य चल रहा है जो कार्य के परिवेश पर निर्भर है। इसी प्रकार, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन इन्हें उपग्रह प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा।

मोबाइल फोनों का स्वास्थ्य पर प्रभाव

***260. श्री नरेश पुगलिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोबाइल फोन के उपयोग का मानव मस्तिष्क के लिए खतरे संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पता चला है कि मोबाइल फोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र 'ब्रेन कैंसर' का कारण बन रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मोबाइल फोनों के उपयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के बारे में कोई अनुसंधान कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ङ) अब तक प्रकाशित हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अभिकरणों के साहित्य के अनुसार मानवों पर मोबाइल फोनों के इस्तेमाल से पड़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल प्रभावों का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में किए गए एक महामारी विज्ञानी केस नियंत्रण अध्ययन से सेलफोनों के इस्तेमाल से मस्तिष्क ट्यूमर के खतरे में वृद्धि होना प्रमाणित नहीं हुआ है। 25 नवम्बर, 2000 को लैंसेट में प्रकाशित लेखों में मोबाइल टेलीफोनों के खतरे पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा की गई है। मस्तिष्क ट्यूमर और अन्य दुर्दमताओं के साथ मोबाइल फोनों की किसी भी सम्बद्धता का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण संधि

2569. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ ऐसी संधि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

पाकिस्तान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जुलाई, 2001 में की गई भारत-यात्रा के दौरान, गृह मंत्री श्री एल.के. आडवाणी ने अंत में दोनों देशों की बीच प्रत्यर्पण संधि के सम्पन्न करने का प्रस्ताव विशेषरूप से रखा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस सुझाव को यह तर्क देते हुए ठुकरा दिया कि ऐसी संधि दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण के बाद ही संभव होगी। तथापि, हाल ही में मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि ऐसी संधि तब सम्पन्न हो सकती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो और पाकिस्तान से भारत द्वारा मांगे गए कानून से भागे गए 20 भगोड़ों पर इस संदर्भ में विचार किया जा सकेगा।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान प्रत्यर्पण संधि के मुद्दे को दुष्प्रचार के प्रयोजन के लिए प्रयोग कर रहा है और इस तथ्य से ध्यान परिवर्तित करने की युक्ति कर रहा है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों और कानून से भागे अन्य भगोड़ों को सुरक्षित संरक्षण प्रदान करना जारी है।

रिक्त पद

2570. श्री अमर राय प्रधान: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-वार कौन-कौन से पद रिक्त हैं, ये पद कब से रिक्त हैं और इसके कारण क्या हैं; और

(ख) इन रिक्तियों के कब तक भर जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

डाक्टरों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम

2571. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एलोपैथिक संकाय के डाक्टरों के लिए होम्योपैथी में नियमित संक्षिप्त पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) क्या इस प्रकार के पाठ्यक्रम की कोई मांग है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारत सरकार ने एम.बी.बी.एस. छात्रों के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी के बुनियादी सिद्धान्तों एवं विचारों को शामिल करने पर विचार करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अनुरोध किया है। परिषद ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक उपसमिति गठित की है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

2572. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में राज्य-वार और स्थान-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित नहीं किया गया है;

(ख) इन एक्सचेंजों के राज्यवार कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावना है;

(ग) गत दो वर्षों में उपर्युक्त राज्यों के इनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के टेलीफोन एक्सचेंजों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र

2573. श्री रामजी मांझी: क्या **प्रधान मंत्री** 'आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित योजना के बारे में' 21 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 677 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गया को आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए कोई विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) अभी बिहार सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए शेष धनराशि जारी किया जाना

2574. श्री सुरेश चंदेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2001-2002 के लिए शेष निधियों में से किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि अलग-अलग अभी जारी की जानी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए 2001-2002 के बजटीय आवंटन के आधार पर निधियां रिलीज कर दी गई हैं। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार से पिछले वर्षों के दौरान रिलीज किए गए अनुदानों से अधिक खर्च की गई 27937.19 लाख रुपए की धनराशि, जिसे बकाया राशि के रूप में जाना जाता है, आवश्यक निधियों की कमी के कारण निम्नलिखित राज्यों को अभी रिलीज की जानी है:-

(लाख रुपये में)

1	2	3
1.	असम	501.77
2.	त्रिपुरा	1667.23
3.	बिहार	6041.96
4.	तमिलनाडु	2856.82
5.	केरल	3094.34
6.	राजस्थान	1717.73
7.	उत्तर प्रदेश	6759.62
8.	कर्नाटक	2399.77
9.	हरियाणा	448.05
10.	महाराष्ट्र	2449.90
	कुल	27937.16

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन अदालत

2575. श्री बीर सिंह महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में किन-किन तारीखों को टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं;

(ख) उपर्युक्त अवधि में इन अदालतों में जिला-वार कितने मामले दाखिल किए गए और कितने मामले निपटाए गये; और

(ग) टेलीफोन अदालतों को आयोजित किए जाने के लिए बनाए गए नियमों सहित टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में जिन तारीखों को टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं थीं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन अदालतों को भेजे गए और निपटाए गए मामलों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिए गए प्रोत्साहन संबंधी ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। टेलीफोन अदालत दूरसंचार सर्किल स्तर पर तीन माह में एक बार और गौण स्विचन क्षेत्र (दूरसंचार जिला) स्तर पर दो माह में एक बार आयोजित की जाती है।

विवरण

2000-01 और 2001-02 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित टेलीफोन अदालतें

क्र. सं.	दूरसंचार जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	2000-2001					2001-2002				
			आयोजित की गई अदालतों की संख्या	तारीखें	भेजे गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दिए गए प्रोत्साहन (रुपए)	आयोजित की गई अदालतों की संख्या	तारीखें	भेजे गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दिए गए प्रोत्साहन (रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आसनसोल	बुर्दवान	1	20.09.2000	18	18	66133	3	23.05.2001 19.12.2001 12.03.2002	47	47	0
2.	बांकुरा	बांकुरा	2	26.09.2000 24.01.2001	11	10	16028	3	22.05.2001 24.08.2001 01.09.2001	20	19	0
3.	बेरहमपुर	मुर्शिदाबाद	4	13.06.2000 20.09.2000 16.01.2001 15.03.2001	210	210	278816	5	30.50.2001 26.07.2001 26.09.2001 28.11.2001 24.01.2002	128	128	152479
4.	कलकत्ता	24 परगना (नार्थ) 24 परगना (साउथ) हावड़ा हुगली	2	29.11.2000 08.12.2000	11	11	20960	2	11.05.2001 22.02.2002	49	49	18905
5.	कूचबिहार	कूचबिहार	1	22.12.2000	41	41	0	1	12.09.2001	6	6	4290
6.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	4	19.05.2000 13.09.2000 27.12.2000 13.03.2001	17	10	33305	2	29.06.2001 21.09.2001	21	7	0
7.	खड़गपुर	मिदनापुर	1	24.01.2001	0	0	0	1	24.08.2001	62	45	0
8.	कृष्णानगर	नादिया	1	28.11.2000	28	11	0	1	28.09.2001	20	20	98000
9.	माल्दा	माल्दा	1	22.12.2000	0	0	0	2	26.11.2001 12.02.2002	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	पुरूलिया	पुरूलिया	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	रायगंज	उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर	2	19.12.2000 11.07.2000	2	2	1696	1	23.05.2001	20	20	0
12.	सिलीगुड़ी	दार्जिलिंग	2	23.02.2001 24.02.2001	56	41	0	4	13.07.2001 14.07.2001 12.11.2001 13.11.2001	77	46	0
13.	सूरी	बीरभूम	1	27.12.2000	1	1	0	5	24.07.2001 24.08.2001 08.11.2001 24.12.2001 27.02.2002	26	26	886

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208 पर बाइपास मार्ग का निर्माण

2576. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-208 पर किसी बाइपास मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाना

2577. श्री टी. गोविन्दन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के समेकन की स्थिति और देश में इस पद्धति का प्रभावी उपयोग शुरू करने संबंधी अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की शुरूआत से अब तक होम्योपैथी डाक्टरों के कितने पद सृजित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) दूसरे देशों में समेकन की स्थिति का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश में 297 होम्योपैथी अस्पताल और 7437 औषधालय हैं। राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को तैनात करने और अस्पतालों तथा औषधालयों में औषधियां उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। अनिवार्य औषधियों की सूची तैयार कर राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

(ग) इस समय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन होम्योपैथी चिकित्सकों के विभिन्न स्तरों पर 77 पद हैं।

क्षमता का उपयोग

2578. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापित क्षमता और वर्तमान में उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक उपक्रम में क्षमता के कम प्रयोग, यदि कोई हो, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक उपक्रम में क्षमता का उपयोग बढ़ाये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रम (पीएसयू) हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग:

(1) इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ईटीएण्डटी) लिमिटेड, और

(2) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल)

दूरसंचार विभाग:

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और

(4) भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई)

(1) ईटीएण्डटी लिमिटेड: ईटीएण्डटी बंद की जा रही है, अत: इसमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है।

(2) एससीएल लिमिटेड: इसकी प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता और उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

(मात्रा हजार में)

	प्रतिष्ठापित क्षमता	उपयोग (लगभग)
(1) वीएलएसआई वेफर (6") संविरचना	20	10 प्रतिशत
(2) प्रणाली/बोर्ड स्तरीय संयोजन	100	90 प्रतिशत

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल): बीएसएनएल मुख्यत: एक सेवा प्रदाता है। किन्तु, इसके नियंत्रण में कुछ दूरसंचार फैक्टरियां हैं जो अपने ही उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। वर्तमान उपयोगिता की तुलना में प्रमुख उत्पादों की उत्पादन क्षमता के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

उत्पाद	उत्पादन क्षमता	उत्पादन क्षमता का प्रतिशत उपयोग
बुटिन्सिकी टेलीफोन	42000	95
सीबीटी-95	23000	143
सीडी कैबिनेट	22000	109
सीटी बाक्स 100 युग्म	24000	104
डीपी बाक्स	800000	100
लाइन जैक यूनिट	4300000	107
एमडीएफ	7250	100
मोडेम	3000	100
एमडब्ल्यू टावर (एमटी में)	10000	73
सार्ट की ट्यूब	825000	81

(5) भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड: ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सामरिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एससीएल में सुविधा स्थापित की गई थी। वीएलएसआई वेफर संविरचना के कम क्षमता पर उपयोग का मुख्य कारण यह है कि इन उत्पादों का सीमित तथा खण्डित घरेलू एकीकृत परिपथ बाजार है। इसके अतिरिक्त, एससीएल में इस समय 1.2 माइक्रान/ 8 माइक्रान (प्रायोगिक) प्रौद्योगिकी में वेफर निर्माण की सुविधा है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे है। प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाए जाने तक वीएलएसआई वेफर फैब में प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाना संभव नहीं है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) में उपयोगिता का स्तर संतोषजनक है।

विवरण

आईटीआई लि. से संबंधित प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता और उपयोग के ब्यौरे

उत्पादन	लेखांकन इकाइयां	प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (2000-2001)	वास्तविक उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
स्विचन उत्पाद:	एम लाइन्स	4.83	4.78 99%
ओसीबी 283-लोकल	केएल	1000.0	1262.5 126%
ओसीबी टैक्स/टैन्डेम	केसी	330.0	183.5 56%
ई10बी लोकल	केएल	900.0	270.3 30.0%
सीडाट एक्सचेंज	केएल	2600.0	2818.7 108%
एसएमपीएस	करोड़ रुपए	90.0	89.78 100%
प्रसारण उत्पाद:			
डीआईजी रेडियो टीएक्स/आरएक्स (2/6/7/11/13 गीगा हर्ट्ज)	संख्या	2500	1604 64%
प्रकाशित तंतु पीडीएच	संख्या	4000	6971 174%
प्रकाशित तंतु एसडीएच	संख्या	3000	4226 141%
एमसीपीसी वीसैट	संख्या	75	25 33%
टर्मिनल उपस्कर:			
टेलीफोन	एम संख्या	1.20	1.195 100%
सौर पैनल	संख्या	30000	325 1%

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

2579. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ख) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के तहत दिए गए अनुदेशों के तहत इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 'अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रतिरक्षण टीकाकरण कार्यक्रम

2580. डा. जसवन्त सिंह यादव:
श्री अरुण कुमार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निवारक रोगों के लिए कितने प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण टीकाकरण किया गया;

(ख) व्यापक पल्स पोलियो कार्यक्रम के अधीन बच्चों को पोलियो ड्राप किस तारीख को पिलाना शुरू किया गया और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार के पास देश के बच्चों के हेपेटाइटिस-ए, बी और सी (पीलिया) के लिए बड़े पैमाने पर नि:शुल्क टीकाकरण का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यूनिसेफ के माध्यम से स्वतंत्र अभिकरणों ने राज्यों द्वारा एक वर्ष की आयु तक के बच्चों की सूचित की गई कवरेज का एक मूल्यांकन किया। वर्ष 2000-2001 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी वैक्सीनों की सभी अपेक्षित खुराकों से इस आयु वर्ग में 53.6 प्रतिशत बच्चों को पूरी तरह कवर किया गया।

(ख) पल्स पोलियो रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम दिसम्बर, 1995 में शुरू किया गया। सूचित किए गए पोलियो के रोगियों की संख्या 1995 में लगभग 3200 से घटकर 2001 में 268 तक रह गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हेपाटाइटिस-बी वैक्सीन को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को 2002-03 के दौरान 15 महानगरीय शहरों की मलिन बस्ती वाले क्षेत्रों और 2003-04 के दैरान 32 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।

आदिवासी, पिछड़े, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

2581. श्री राजो सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य के आदिवासी, पिछड़े, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए और धनराशि आबंटित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेंशन की दर

2582. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेंशन की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1995 से आज तक वर्ष-वार कितनी वृद्धि की गई;

(ग) पेंशन की दर में बढ़ोत्तरी किन आधारों पर की गई है; और

(घ) पेंशन की दर बढ़ाने के लिए किन मानकों और दर को अपनाया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) पेंशन से संबंधित प्रसुविधाएं, इस प्रयोजन से सरकार द्वारा गठित वेतन-आयोगों अथवा किसी अन्य प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर संशोधित की जाती हैं। पेंशन का पिछला संशोधन, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करते समय किया गया। पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने पेंशन के समेकन और एकरूपता के प्रयोजन से कुछ निश्चित मानदंड संस्तुत किए जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा जनवरी 01, 1996 से कार्यान्वित कर दिया गया। पेंशन के समेकन के प्रयोजन से, उपर्युक्त वेतन-आयोग द्वारा संस्तुत तथा सरकार द्वारा स्वीकृत मानदंड, मूल पेंशन में महंगाई-राहत, अंतरिम राहत-1, अंतरिम राहत-2 तथा मूल पेंशन की 40 प्रतिशत धनराशि का, पेंशन, उपयुक्ततः निश्चित किए जाने से जुड़े लाभ के रूप में जोड़ा जाना था। पेंशन का संशोधन, वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता। रहन-सहन से जुड़े खर्च में होने वाली बढ़ोत्तरी की भरपाई किए जाने के फलस्वरूप, पेंशन की धनराशि बढ़ जाती है। ऐसी भरपाई, प्रति वर्ष दो बार, सेवारत कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के बराबर, महंगाई-राहत देकर की जाती है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप, पेंशन में किए गए बदलाव नीचे दर्शाए जा रहे हैं:-

क्रमांक	01.01.1996 से पहले लागू पेंशन	01.01.1996 को अथवा उसके बाद लागू पेंशन
1	2	3
1.	पेंशन की अधिकतम सीमा 4500/- रुपए प्रति माह	अधिकतम सीमा बढ़ाकर, उच्चतम वेतन की 50 प्रतिशत अर्थात् 15,000/- रुपए प्रति माह कर दी गई।
2.	पेंशन के 1/3 का सारांशीकरण	पेंशन का संराशीकरण बढ़ाकर पेंशन का 40 प्रतिशत कर दिया गया।
3.	महंगाई राहत	मुद्रास्फीति का 100 प्रतिशत भरपाई। पेंशनभोगियों/ रहन-सहन से जुड़े खर्च की भरपाई के रूप में देय पेंशन 100 प्रतिशत - 1750/- रुपए तक 75 प्रतिशत - 1751-3000/- रुपए 65 प्रतिशत - 3000/- रुपए से अधिक	कुटुम्ब-पेंशनभोगियों को सेवारत कर्मचारियों के बराबर पूर्ण राहत।
4.	कुटुम्ब-पेंशन की दरें, 30%, 20% और 15% की श्रेणियों में थीं	सभी वर्गों के कुटुम्ब-पेंशनभोगियों की न्यूनतम कुटुम्ब-पेंशन 1275/- रुपए प्रति माह के अधीन, वेतन के 30 प्रतिशत की एक-सी दर पर।
5.	कुटुम्ब-पेंशन की अधिकतम सीमा: 1250/- रुपए प्रति माह	सभी वर्गों के कुटुम्ब-पेंशनभोगियों की अधिकतम कुटुम्ब-पेंशन 9000/- रुपए प्रति माह के अधीन, कुटुम्ब-पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर वेतन की 30 प्रतिशत कर दी गई।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा किया गया कार्य

2583. श्री अनंत नायक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान आज की तिथि तक औषधीय पादप बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से कराये गये कार्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

(1) बोर्ड ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पादपों की मांग और महत्व के आधार पर उनकी 31 मूल्यवान प्रजातियों का पता लगाया है।

(2) 14 राज्य औषधीय पादप बोर्ड स्थापित किए गए हैं। राज्यों में बोर्ड के न्यूक्लियस केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां निर्मुक्त की जा रही हैं।

(3) बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए संचलनात्मक निदेशों को अंतिम रूप देकर उन्हें राज्य सरकारों, संबंधित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कम्पनियों में परिचालित कर दिया गया है।

वेतनमान का पदानुक्रम

2584. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवें वेतन आयोग द्वारा यथा अनुशंसित एश्योर्ड कैरियर प्रमोशन योजना के संबंध में ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वेतनमानों का पदनुक्रम क्या है;

(ख) क्या ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सिनियर ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और सिनियर फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपि और ओक्यूपेशनल थेरेपी विषयों के प्राध्यापकों के मामले में इसे सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और कलावती शरण चिल्ड्रन हास्पिटल में भी लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन

2585. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दो और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने, उन्हें दो या चार लेन वाले राजमार्ग में बदलने, उपमार्गों के निर्माण और पुलों आदि के पुनर्निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं और वर्ष 2001-2002 के दौरान उनके लिए बजट में कितना आबंटन किया गया है; और

(ङ) इनके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,122 किमी. है जिसमें से 33186 कि.मी. 2 लेन और 1850 कि.मी. 4 लेन के हैं।

(ख) से (ङ) नौवीं योजनावधि के दौरान राजस्थान सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 31 प्रस्ताव पेश किए थे जिनमें से लगभग 1666 कि.मी. लंबे 6 मार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2001-02 के दौरान राजस्थान सरकार ने 2/4 लेन बनाने, बाइपासों के निर्माण और पुलों आदि के पुनर्निर्माण के लिए 71 प्रस्ताव पेश किए हैं। इनमें से 48 प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, 5 प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है और शेष 18 प्रस्ताव स्पष्टीकरण के लिए राजस्थान सरकार को वापस भेज दिए गए हैं। वर्ष 2001-02 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11, 11ए, 12, 14, 15, 76, 59 और 90 पर सुधार कार्यों हेतु राजस्थान के लिए कुल बजट आबंटन 96.85 करोड़ रु. है। इन सभी कार्यों के दिसम्बर, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

प्राकृतिक चिकित्सा

2586. श्री रामदास रुपला गावीत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन पर किये जाने वाले व्यय के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार पहले से ही केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.), नई दिल्ली और राष्ट्रीय योग संस्थान (एन.आई.एन.), पुणे के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित कर रही है। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा

संस्थाओं को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार और विकास के लिए सहायता दी जा रही है। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिए वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान योजना के अंतर्गत किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(रुपये लाखों में)

	2001-02	2002-03
केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	175.00	200.00
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान	80.00	90.00

राजस्थान में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली

2587. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के किन-किन स्थानों पर डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली के केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) राजस्थान में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली के माध्यम से कितने ग्रामों और कितने उपभोक्ताओं को टेलीफोन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लि. (बी.एस.एन.एल.) और राजस्थान सेवा क्षेत्र में निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जिन स्थानों में डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों के केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 गांवों में बी.एस.एन.एल. के 8400 उपभोक्ताओं और मै. श्याम टेलीलिंक लि. के 4000 उपभोक्ताओं को डब्ल्यू.एल.एल. प्रणालियों के माध्यम से टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

राजस्थान के जिन स्थानों में बी.एस.एन.एल. तथा श्याम टेलीलिंक लि. द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. प्रणाली के केन्द्र स्थापित किए जाने हैं, उनकी सूची

बी.एस.एन.एल. द्वारा:

अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, लखनपुर, बस्सी, सिकराई, डूडू, चौमू, जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर, मथानिया, बिलारा, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, भादरा, नोहर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद।

श्याम टेलीलिंक द्वारा:

नीमराणा, पाली, भीलवाड़ा, बगरू, हनुमानगढ़, राजसमंद, शाहपुरा, सरदारशहर, अजमेर, डूडू, झुंझुनू, सोजत, उदयपुर, शाहजहांपुर, श्री गंगानगर, नाथद्वारा, कोतपूतली, सुजानगढ़, सीकर, बहरोड़, चूरू, पुष्कर, गंगापुर चौमू।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग में अन्तरण

2588. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में राज्य राजमार्ग सं. 10 मनमाड-शिरडी-अहमद नगर-दौंद-विटा सांगली को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिलों का भुगतान न करने पर टेलीफोन कनेक्शन काटना

2589. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद शहर में वर्ष 2001-2002 में बिलों का भुगतान न करने के लिए बी.एस.एन.एल. के कितने टेलीफोन काट दिए गए हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार ऐसे चूककर्त्ताओं से हैदराबाद केन्द्र को कुल कितनी धनराशि लेनी है;

(ग) क्या ऐसी बकाया राशि एकत्र करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) हैदराबाद केन्द्र द्वारा इस संबंध में क्या कदम प्रस्तावित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) लगभग 56,000।

(ख) 70.48 करोड़ रु.।

(ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद टेलीफोन्स द्वारा प्रस्तावित और उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:-

(1) वसूली के लिए टेलीफोन राजस्व निरीक्षकों और फील्ड स्टाफ की प्रतिनियुक्ति।

(2) राजस्व बकायों का विशेष रूप से परिनिर्धारण करने के लिए बकाया राजस्व उगाही कक्ष स्थापित करना।

(3) चूककर्त्ताओं के यहां कार्यरत अन्य टेलीफोन कनेक्शन काटना।

(4) चूककर्त्ताओं और उसी परिसर में रह रहे उनके करीबी रिश्तेदारों को नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान न करना।

(5) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल कार्यालय द्वारा प्रगति की निगरानी।

[हिन्दी]

दूरसंवेदी उपग्रह कार्यक्रम

2590. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए दूरसंवेदी अनुप्रयोग को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय किन क्षेत्रों में दूरसंवेदी अनुप्रयोग का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंवेदी अनुप्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) इस समय जिन प्रमुख क्षेत्रों में सुदूर संवेदन उपयोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे इस प्रकार हैं: कृषि और मृदा, वानिकी और पर्यावरण, जल संसाधन, भूविज्ञान, तटवर्ती तथा समुद्री संसाधन, ग्रामीण विकास, शहरी तथा अवसंरचना विकास, मानचित्रकला और मौसमविज्ञान।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए आयोजित किए जा रहे सुदूर संवेदन उपयोग से संबंधित अध्ययन इस प्रकार हैं: (1) देश में पैदा की जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलों के लिए फसल की कटाई से पूर्व एकड़वार क्षेत्रफल तथा पैदावार का आकलन, (2) सूखाग्रस्त राज्यों में कृषि संबंधी सूखे का मूल्यांकन और मानीटरन, (3) क्षति के मूल्यांकन और सहायता संबंधी क्रियाकलापों की दिशा में बाढ़ की घटनाओं का मानीटरन, (4) देश में वन क्षेत्र का मूल्यांकन, (5) संरक्षण की योजना बनाने के लिए भूदृश्यक स्तर पर जैव विविधता का विशिष्टिकरण, (6) जलाशय प्रचालनों के प्रबंध के लिए हिमगलन अपवाह का पूर्वानुमान, (7) जलविभाजक विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन, (8) भूमि को उपजाऊ बनाने के उपायों की योजना के लिए परती भूमि का मानचित्रण, (9) ग्रामीण आबादी में पेयजल प्रदान करने के लिए भूमिगत जल के संभावित क्षेत्रों के मानचित्रों को तैयार करना, (10) चुने हुए सिंचाई वाले कमाण्ड क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, (11) तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना के लिए तटीय नियमन क्षेत्र का मानचित्रण, (12) संभावित मत्स्य भण्डारण क्षेत्र का पूर्वानुमान, (13) उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के निम्नीकरण उपायों की योजना के लिए भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण, तथा (14) संरक्षण की योजना के लिए नम भूमि का मानचित्रण।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

2591. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अम्बरीश:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सड़क कोष के तहत सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य प्रस्तावों की जांच की है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ प्रस्तावों को छोड़कर जिनके बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, अन्य प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

सिविल सेवा-परीक्षा

2592. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिविल सेवाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं को प्रारंभिक परीक्षा में माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के भाषा के प्रश्न-पत्रों के सिवाय, सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्र, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं।

(ख) और (ग) सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होते हैं-प्रश्न पत्र-1: सामान्य अध्ययन का और प्रश्न पत्र-2: वैकल्पिक विषयों की सूची में से उम्मीदवार द्वारा चुने जाने वाले किसी एक विषय का होता है। उपर्युक्त दोनों प्रश्न-पत्र, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के और बहुवैकल्पिक प्रश्नों से युक्त होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के प्रश्नों के उत्तर, उम्मीदवारों द्वारा किसी भी भाषा में लिखे जाने अपेक्षित नहीं होते, अपितु उत्तरों के दिए गए विकल्पों में से, उनके द्वारा सही उत्तर चुनकर उत्तर-पत्रक में दर्शाए जाने अपेक्षित होते हैं।

केरल की सीमा पर कबानी नदी

2593. श्री के. मुरलीधरन: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केरल की सीमा पर वागानड जिले में कबानी नदी के पार बैरारा कुप्पर पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने अंतर्राज्यीय संपर्क स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान सहायता से लगभग 830 लाख रुपए की लागत से लगभग 160 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 15.3.2002 को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

प्रतिव्यक्ति आय

2594. श्री अरुण कुमार:
श्री मंजय लाल:

क्या **प्रधान मंत्री** 20.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिव्यक्ति आय के बारे में सूचना के संबंध में बिहार सरकार से आंकड़े एकत्र कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) अभी बिहार सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न के इस भाग का उत्तर दिनांक 20.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4981 द्वारा पहले ही दिया जा चुका है तथा वही नीचे दिया गया है–

प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) द्वारा संकलित किए जाते हैं। पहले के बिहार के विभाजन के पश्चात् बिहार के नवगठित राज्य द्वारा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी सूचना भिजवाई जानी अपेक्षित है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह अभी तक भी भिजवाई नहीं गई है। तथापि, 1998-99 के दौरान त्वरित अनुमानों (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा आकलित) के अनुसार बिहार के अविभाजित राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति एनएसडीपी) (15.11.2000 की स्थिति के अनुसार) संबंधी सूचना देश में सबसे कम थी।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक रूप से उत्पादक स्कीमों के कार्यान्वयन और जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी से होगी। बिहार राज्य सरकार स्वयं इन उद्देश्यों को पूरा करने वाली ऐसी स्कीमें शुरू करने के लिए उत्तरदायी है।

तमिलनाडु को धनराशि देना

2595. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान तमिलनाडु सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु द्वारा कौन-कौन सी विशेष परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि की मांग की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.सी.-814 विमान के अपहरण संबंधी दस्तावेज

2596. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल के दूतावास को दिसम्बर, 1999 में इंडियन एयर लाइन्स की आई.सी.-814 उड़ान के काठमांडु से कंधार को अपहरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अपहरणकर्त्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) 6-7 फरवरी, 2002 तक नई दिल्ली में भारत और नेपाल के बीच आयोजित गृह सचिव वार्ता के दौरान नेपाली पक्ष ने सूचित किया कि 24 दिसम्बर, 1999 को हुई आई.सी.-814 के अपहरण से जुड़े मामले में मुकदमा चलाये जाने के लिए भारत के लिए आवश्यक मूल दस्तावेज भारत में नेपाली राजदूतावास को उपलब्ध करा दिये गये हैं ताकि जब भी आवश्यक हो उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके।

(घ) और (ङ) आई.सी.-814 के अपहरण के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी। सी.बी.आई. ने अपहरणकर्त्ताओं और उनके उन साथियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया है जिन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया और उनकी अनुपस्थिति में ही उनके विरुद्ध साक्ष्य रिकार्ड किये जा रहे हैं। अपहर्त्ताओं और उनके सहायकों के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

इजराइल के उप प्रधानमंत्री की यात्रा

2597. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजराइल के उप प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। इजरायल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री

श्री शिमोन पेरेज बंगलौर में भारतीय उद्योग परिसंघ के भागीदारी शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के सिलसिले में 7 से 11 जनवरी, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने इस अवसर पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया की स्थिति से भारतीय नेताओं को अवगत कराने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। उन्होंने 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर हुए हमले के बारे में इजरायल द्वारा की गई निन्दा से भी अवगत कराया।

[अनुवाद]

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

2598. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य के प्रस्ताव 1373 के तहत प्रत्येक सदस्य देश को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है कि अन्दरूनी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में उसकी क्या स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी-रोधी समिति को सूचित किया है कि भारत को आतंकवाद के संबंध में अपना कानून बनाने से पूर्व कुछ प्रश्नों को हल करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) 28 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने आतंकवाद को रोकने से सम्बद्ध व्यापक प्रादेशात्मक उपायों को प्रस्तुत करके संकल्प 1373 पारित किया। संकल्प में सभी देशों से संकल्प के क्रियान्वयन के लिए किए गए उपायों पर राष्ट्रीय रिपोर्ट संकल्प के तहत स्थापित आतंकवाद विरोधी समिति को प्रस्तुत करने को कहा।

(ख) से (घ) संकल्प के अनुपालन स्वरूप, भारत ने अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट आतंकवाद विरोधी समिति को सौंप दी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आतंकवाद का शिकार होने के नाते, विशेषरूप से सीमापार आतंकवाद के कारण भारत और उसकी जनता इसके परिणामों से परिचित है और आतंकवाद विरोधी उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता को समझती है। आतंकवाद की रोकथाम से सम्बद्ध अध्यादेश की रिपोर्ट में एक सन्दर्भ दिया गया है और यह कहा गया है कि "पोटो अपनी वर्तमान स्थिति अथवा अधिनियम, जैसे भी रूप में भारत की संसद द्वारा पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् पारित किया गया विशेषरूप से आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानून होगा।"

बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध

2599. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाले ओटावा अभिसमय पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत ने 1997 के "कार्मिक-विरोधी बारूदी सुरंगों के उपयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा अन्तरण के निवेध और उनके विनाश से सम्बद्ध अभिसमय" जिसे ओटावा अभिसमय भी कहते हैं, पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इससे उसकी सुरक्षा चिन्ताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं होता है। तथापि, भारत अमानुषिक हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय का पक्षकार है और इसके संशोधित प्रोतोकोल-2 के प्रति वचनबद्ध है जो कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों से संबंधित है। भारत ने अमानुषिक हथियारों से सम्बद्ध अभिसमय तथा इसके सभी चारों प्रोतोकोलों के सार्वभौम अनुप्रयोग की मांग की है।

जनसंख्या नियंत्रण

2600. श्रीमती प्रभा राव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2000 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(ख) सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने की क्या योजना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में

लक्ष्यों को नियत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है लेकिन इसमें सन्, 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कई सामाजिक जनांकिकी लक्ष्यों की सूची दी गई है ये हैं:-

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना।
2. स्कूली शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत को कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।
3. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।
4. मातृ मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।
5. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।
6. लड़कियों के विवाह देर से करने, 18 वर्ष से पहले नहीं, और बेहतर रूप से 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा देना।
7. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।
8. सूचना/परामर्श की व्यापक सुलभता प्राप्त करना और ढेर सारे विकल्पों के साथ प्रजनन विनियमन और गर्भनिरोधन के लिए सेवाएं प्रदान करना।
9. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।
10. एड्स के फैलने को नियंत्रित करना और जनन-मार्गीय संक्रमणों और यौन संचारित संक्रमणों के उपचार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच और अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
11. संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण।
12. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने और उन्हें परिवारों तक पहुंचाने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।
13. कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को जोरदार ढंग से प्रोत्साहित करना।
14. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सकें।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित परिमेय सूचकों को प्राप्त करना है-

(1) सन् 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दशकीय दर में 16.2 प्रतिशत की कमी।

(2) शिशु मृत्यु दर में कमी लाकर उसे 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 45 तथा 2012 तक 28 पर लाना।

(3) मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाकर उसे 2007 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 2 और 2012 तक 1 पर लाना।

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिनमें अन्य के साथ-साथ उक्त सूचक भी शामिल हैं, कार्यनीतिक विषय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में पहले ही दिए गए हैं।

श्रीलंका में युद्ध विराम

2601. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीलंका की सरकार और लिब्रेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार ने युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है और कहा है कि इससे दोनों पक्षों को जातीय संघर्ष का इस पद्धति से बातचीत के जरिए राजनैतिक समाधान निकालने के लिए सार्थक बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करे तथा उस देश में शान्ति कायम हो।

भारत ने श्रीलंका की एकता, सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता की अपनी वचनबद्धता दोहरायी है और एक बार फिर श्रीलंका के

लोगों और उसकी सरकार को शान्ति प्रक्रिया का निरन्तर समर्थन करने और श्रीलंका के आर्थिक विकास एवं प्रगति के प्रति पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

मुम्बई और कांडला पत्तन का विकास

2602. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से मुम्बई और कांडला पत्तनों के विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001 के अंत तक पूरे किए गए प्रस्तावित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2001 की समाप्ति तक मुम्बई और कांडला पत्तनों पर पूरी की गई प्रमुख योजना स्कीमें और प्रत्येक स्कीम पर 9वीं योजना अवधि के दौरान किया गया खर्च नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	किया गया खर्च (करोड़ रु.)
1	2	3
	मुम्बई पत्तन	
1.	पीर पाउ ऑयल पियर का प्रतिस्थापन	1.58
2.	पोत मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	8.64
3.	जवाहर द्वीप में मैरीन तेल टर्मिनल को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली सबमैरीन पाइप लाइनों का प्रतिस्थापन	264.00
4.	भण्डारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण	4.90
5.	वी टी एम एस का संस्थापन	4.61
6.	ग्रैब ड्रेजर "विकास" का प्रतिस्थापन	22.07
7.	भूमिगत केबलों का प्रतिस्थापन	1.87
8.	सब-स्टेशनों को आधुनिक बनाना	10.16
9.	6.6 के वी रिंग फीडर	3.28
10.	22 के वी/6.6 के वी केबल स्विच गियर और ट्रांसफारमर उपलब्ध कराना	5.25
11.	विक्टोरिया गोदी के प्रवेश द्वार का प्रतिस्थापन और पी एंड बी गोदी की मशीनरी और स्विंग पुल का प्रतिस्थापन	5.82
12.	2 डॉक टगों (रूद्र और राहुल) का प्रतिस्थापन	3.32
13.	हार्बर टग अतुल को 45 टन बोलार्ड पुल टग से प्रतिस्थापित करना	13.60
14.	हार्बर टग अंकुश को 45 टन बोलार्ड पुल टग से प्रतिस्थापित करना	13.60
15.	इंदिरा गोदी पर इनर लॉक गेट का प्रतिस्थापन	4.50
16.	भण्डारण सुविधाओं (नई) का आधुनिकीकरण	5.85
17.	मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे प्रणाली का नवीकरण	29.19
	कांडला पत्तन	
1.	तीसरी तेल जेट्टी	6.75
2.	तौथी तेल जेट्टी	17.33
3.	आठवीं कार्गो बर्थ	46.56
4.	(चार) व्हार्फ क्रेनों की खरीद	19.62
5.	66/11 के वी विद्युत सब-स्टेशन उपलब्ध कराना	4.17
6.	भूमिगत फीडरों के जरिए पत्तन संस्थापनाओं को विद्युत का वितरण	4.51
7.	चार 35 टन टी यू जी खरीदना	48.10
8.	वाडिनार में कच्चा तेल हैंडल करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	17.38
9.	चैनलों, एप्रोचों और समीप की बर्थों को गहरा करना	48.21
10.	खुले प्लाटों का विकास/उन्नयन	4.96
11.	पश्चिमी द्वार के बाहर सड़कों आदि सहित भूमि का विकास	6.71

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में टेलीफोन सुविधा

2603. श्री विष्णु पद राय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी आदिवासी ग्रामों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी आदिवासी ग्रामों में दूरसंचार सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी नहीं, अब तक अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के 191 ग्रामों में से 50 ग्रामों में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। स्थान-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) इन जनजातीय ग्रामों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इन ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित नहीं किया गया है। सरकार की नीति के अनुसार, वर्ष 2002 तक सभी राजस्व ग्रामों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है और सभी राजस्व ग्रामों को दूरसंचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में टेलीफोन सुविधा

क्रम सं.	ग्राम का नाम	क्या दूरसंचार सुविधा प्रदान की गई है
1	2	3
द्वीप समूह का नाम: कार निकोबार		
1.	मुस	जी हां
2.	तिटॉप	जी हां
3.	स्वाई	जी हां
4.	आरांग	जी हां
5.	किमॉइस	जी हां
6.	काकाना	जी हां
7.	जेआईएएफ कैम्प	जी हां
8.	मालाक्का	जी हां
9.	पर्का	जी हां
10.	तमालू	जी हां
11.	किन्यूका	जी हां
12.	चकचूचा	जी हां
13.	तपोईमिंग	जी हां
14.	बिग लापाथी (जयन्ती)	जी हां
15.	स्मॉल लापाथी	जी हां
16.	किनमै	जी हां
द्वीप समूह का नाम : चौवरा		
1.	तहैला	जी नहीं
2.	चोंगकामोंग	जी नहीं
3.	रेनॉन	जी नहीं
4.	अलहैट	जी नहीं
5.	कुअतासुक	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम : ताइलांग चुंग		
1.	ताइलांग चुंग	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम : तेरासा		
1.	अलूरंग	जी नहीं
2.	बंगाली	जी नहीं
3.	अलूरा	जी नहीं
4.	ऐनाम	जी नहीं
5.	लक्सी	जी नहीं
6.	कालड़ा	जी नहीं
7.	चुकामची	जी नहीं
8.	सेफेड बाल	जी नहीं

1	2	3
9.	मिनयक	जी नहीं
10.	कानहीनॉट	जी नहीं
11.	कालासी	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम : बम्बूका		
1.	बम्बूका	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम : कातचल		
1.	झूला	जी हां
2.	जैनसिन	जी नहीं
3.	हिटलट	जी नहीं
4.	मायाटपीस/माराटपिया	जी नहीं
5.	चोन्हरीपोह	जी हां
6.	सान्या	जी हां
7.	अलकैपोह/अलकरीपोह	जी नहीं
8.	अल्हीटिथ/अल्हलौथ	जी नहीं
9.	कटहुवा	जी हां
10.	कुमैकिया	जी नहीं
11.	कमराइक	जी हां
12.	हुटनयाक	जी नहीं
13.	ओगलनघो	जी नहीं
14.	चन्सियाला	जी नहीं
15.	हन्टोना	जी नहीं
16.	कुलायपांगला	जी हां
17.	वियावटापू	जी हां
18.	हिओपोहो	जी हां
19.	मापयाला	जी हां
20.	चेंगटामिलन	जी नहीं
21.	अटकूना/अल्कून	जी हां
22.	टैनी	जी हां
23.	कल्मिनीकुम/कालमेनकम	जी नहीं
24.	हाकोनहाला	जी नहीं
25.	रीकमलांग	जी नहीं
26.	सोनमकुवा	जी नहीं
27.	तविनकिन/तवाकिन	जी हां
28.	हाल्नाटा (होइनाताल)	जी नहीं
29.	आल्तापल	जी हां
30.	क्वाटिनपियू/कारानपहोनपोह	जी हां
31.	अल्सामा	जी नहीं
32.	कापन्गा	जी हां
33.	कुपिंगा	जी हां
34.	मिल्डेरा	जी हां
35.	प. बंगाल कतछई (हिंदरै)	जी हां
द्वीप समूह का नाम : ननकॉवरी		
1.	अलीपा/अलिप्स	जी नहीं
2.	लापत	जी नहीं
3.	हिन्दार	जी नहीं
4.	मुस	जी नहीं
5.	पायक	जी नहीं
6.	निआंग	जी नहीं
7.	तपोंग	जी नहीं
8.	लनऊआन्जे	जी नहीं
9.	अलथीक	जी नहीं
10.	अल-हित टच (बालू बस्ती)	जी हां
11.	मालाक्का	जी हां
12.	चम्पिन	जी हां
13.	हिन्नुगां	जी हां
14.	तापानी (तपेनी)	जी नहीं

1	2	3
15.	इनरौक/चिनलक	जी नहीं
16.	इटोइ	जी नहीं
17.	अलरीक	जी नहीं
18.	होन्तोना	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम: कमोरत		
1.	अपर टापू	जी नहीं
2.	पिलपिलौ	जी नहीं
3.	नीचे टापू	जी नहीं
4.	मन्जुला	जी नहीं
5.	ओकिया/चीया	जी नहीं
6.	ओलिनपोन (अल्हिनपोन)	जी नहीं
7.	बम्पल	जी नहीं
8.	करल (कारव)	जी नहीं
9.	डारिंग	जी नहीं
10.	मारू	जी नहीं
11.	चेनल (चानोल)	जी नहीं
12.	तनाऐ	जी नहीं
13.	अलोइनतगं	जी नहीं
14.	बन्देरकार्ल (पूलू)	जी नहीं
15.	अल्पिन्टू/अलपिन्टुगं	जी नहीं
16.	तोमाए/इन्मग	जी नहीं
17.	छनगुआ/छनुगप	जी नहीं
18.	मसाला टापु	जी नहीं
19.	अलुकिआह/अल्हुरवेक	जी नहीं
20.	नॉट	जी नहीं
21.	इन्मेई	जी नहीं
22.	पयुहा	जी नहीं
23.	मुनाक	जी नहीं
24.	रामजाऊ	जी नहीं
25.	कमोरटा/कालाटापु	जी हां
26.	छोटा इनक	जी नहीं
27.	बेरारनाक/बदनाक	जी नहीं
28.	विकास नगर	जी नहीं
29.	ककाना	जी हां
30.	न्यलकालंग	जी नहीं
31.	मोहरीक/कोहरीआकाप	जी नहीं
32.	कुल्कुआ	जी नहीं
द्वीप समूह का नाम : त्रिनकेत		
1.	सफेदबालु	जी नहीं
2.	होकूक	जी नहीं
3.	त्रिनकेत	जी नहीं
4.	तपिआंग	जी नहीं
5.	कपीला	जी नहीं
द्वीप का नाम : पुलोमिलो		
1.	पुलोमिलो	जी नहीं
द्वीप का नाम : कोन्डुल		
1.	कोन्डुल	जी नहीं
द्वीप का नाम : लिटिल निकोबार		
1.	मेनलाना/मिनलान	जी नहीं
2.	अनुल/अनुला	जी नहीं
3.	मरवाहू/मकाचुआ	जी नहीं
4.	अकुपा	जी नहीं
5.	इनलोक इनपोक	जी नहीं
6.	पुलोटलीआ/पुलोटोहीओ	जी नहीं
7.	पुलोबाहार (पाथाथिफेन)	जी नहीं
8.	बेवाई (कुवाक)	जी नहीं
9.	किबांग	जी नहीं
10.	पुल्लोउल्लो/पुलोउलो	जी नहीं

1	2	3
11.	होइन (इंक्ल इकुजा)	जी नहीं
12.	पिआ	जी नहीं
13.	पुलोभा/पुलोबाहन	जी नहीं
14.	होकेसिआंग	जी नहीं
15.	पट्टीआ	जी नहीं
16.	ओलिनची (बोम्बे)	जी नहीं
17.	इनिकोक/पट्टाला	जी नहीं
18.	पुलोपनजा	जी नहीं
19.	इलाही/इहोया	जी नहीं
20.	इनोड	जी नहीं
21.	पहाये	जी नहीं
22.	बहूआ	जी नहीं
द्वीप का नाम : ग्रेट निकोबार		
1.	पुलोबेद (लपापू)	जी नहीं
2.	कटाहू	जी नहीं
3.	डैरकुरात	जी नहीं
4.	अलक्जेंडर रीवर	जी नहीं
5.	अयौक	जी नहीं
6.	पुलोबेद	जी नहीं
7.	पुलोकुजं	जी नहीं
8.	शोमपेन गांव	जी नहीं
9.	रेनगुआंग	जी नहीं
10.	डोगमार नदी	जी नहीं
11.	कोपेनहीट	जी नहीं
12.	शोमपेन गांव (ख)	जी नहीं
13.	कसिनटुंग	जी नहीं
14.	कोए	जी नहीं
15.	देनलेल	जी नहीं
16.	पुलोभाबी	जी नहीं
17.	पतातीया	जी नहीं
18.	हिन-पौ-ची	जी नहीं
19.	कोकीऔ	जी नहीं
20.	देखीओन (एक सी)	जी नहीं
21.	पुलोपक्का	जी नहीं
22.	इन-हिन-लोइ	जी नहीं
23.	पुलोबाहा	जी नहीं
24.	इन्दिरा पॉइंट	जी नहीं
25.	चिनगान	जी नहीं
26.	गलीथीआ रीवर (एफ सी)	जी नहीं
27.	शास्त्री नगर	जी हां
28.	गांधी नगर	जी हां
29.	लक्ष्मी नगर	जी हां
30.	विजय नगर	जी हां
31.	जोगिन्दर नगर	जी हां
32.	7 के एम फार्म	जी हां
33.	27.8 किलोमीटर को अभी नाम नहीं दिया है	जी नहीं
34.	शोमपेन हाट	जी हां
35.	गोविन्द नगर	जी हां
36.	कैम्पबैल बे	जी हां
37.	रंगनाथन बे	जी नहीं
38.	अभी नाम नहीं दिया है	जी नहीं
39.	अभी नाम नहीं दिया है	जी नहीं
40.	चावनाल्लाह	जी नहीं
41.	नेवी डेरा	जी हां
42.	लापुल	जी नहीं
43.	त्रिन्केत बे	जी नहीं

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

2604. प्रो. दुखा भगत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार के मामलों, जिनमें आई.पी.एस. और आई.ए.एस. अधिकारी संलिप्त हैं, की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे आई.पी.एस. और आई.ए.एस. की संख्या क्या है जिनकी सेवाएं भ्रष्ट कदाचारों में उनकी संलिप्तता के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान समाप्त की गई हैं; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस बारे में कोई भी अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 से आज तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों और भारतीय पुलिस-सेवा के एक अधिकारी को बरखास्त किया गया है तथा भ्रष्टाचार/प्रशासनिक कदाचार के आरोप के कारण की गई भारी शास्ति की कार्यवाही पूरी हो जाने पर निकले निष्कर्ष के मद्देनजर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है।

[अनुवाद]

सैल्यूलर हैंडसैटों पर सीवीडी

2605. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान दूरसंचार सेवाओं, विशेषत: सेल्यूलर क्षेत्र में लगभग शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है और वर्ष के अंत तक इसके उपभोक्ताओं की संख्या तीन मिलियन तक पहुंच जाने की संभावना है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि मोबाइल हैंडसैटों के विधिसम्मत बाजार में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं है और इसके परिणामस्वरूप देश में सैल्यूलर हैंडसैटों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सेल्यूलर प्रचालकों की ओर से भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 2002 तक भारत में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 57,37,907 अर्थात् लगभग 5.74 मिलियन थी।

वर्ष 2000-2001 के दौरान सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की वृद्धि दर निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	माह तथा वर्ष	भारत में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या	वृद्धि दर प्रतिशत में
1.	31 मार्च, 2000	18,84,311	-
2.	31 मार्च, 2001	35,77,095	89.84% (लगभग)

(ख) और (ग) जी, नहीं। विधिसम्मत बाजार में उपलब्ध मोबाइल हैंडसैटों की मांग में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा-शुल्क विभाग सतर्क है। तथापि, वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 (अक्टूबर, 2001 तक) के दौरान राजस्व-आसूचना निदेशालय सहित सीमा-शुल्क विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए सेल्यूलर हैंडसैटों के अभिगृहणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अभिगृहीत सैल्यूलर हैंडसैटों की संख्या	अभिगृहीत सेल्यूलर हैंडसैटों का मूल्य (लाख रु. में)
2000-2001	23547	1341.06
2001-2002 (अक्टूबर, 2001 तक)	14472	713.56

इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में, सेल्यूलर फोनों पर से प्रतिसंतुलनकारी शुल्क हटा दिया गया है और सेल्यूलर फोनों पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत (मूल सीमा-शुल्क) + शून्य (प्रतिसंतुलनकारी शुल्य

का सीवीडी) + 4 प्रतिशत (विशेष अतिरिक्त शुल्क या एसएडी) निर्धारित किया गया है। इन परिवर्तनों से, सेल्यूलर फोनों पर कुल आयात शुल्क भार 26.6 प्रतिशत यथा-मूल्य से कम करके 14.4 प्रतिशत यथा-मूल्य तक करने का प्रस्ताव है।

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

2606. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र के कारण कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) अब तक इनमें से कुल कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) क्या अनेक परिवारों को अभी मुआवजा नहीं मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें मुआवजा कब तक प्राप्त होने जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना से कुल मिलाकर 160 परिवार प्रभावित हुए थे लेकिन वास्तव में केवल 60 परिवार ही विस्थापित हुए थे। राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए पुनर्वास पैकेज को क्रियान्वित किया और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से इसे पूरा किया।

विदेशी डाकघर, मुंबई

2607. श्री पी. मोहन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई के विदेशी डाकघर ने नवंबर, 2001 से जनवरी, 2002 तक अमरीका की राजधानी के लिए डाक स्वीकार करने से इंकार कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) अमरीकी डाक प्रशासन के विशेष अनुरोध पर मुंबई जीपीओ तथा देश के डाकघरों से वाशिंगटन डीसी के डाक कोड (जिप कोड) 202 से 205 के लिए ईएमएस डाक-वस्तुओं की बुकिंग केवल 20.11.2001 से 30.11.2001 तक स्थगित रही। इसके बाद सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई। उपर्युक्त अवधि के लिए ईएमएस के स्थगन को छोड़कर मुंबई विदेश डाकघर ने नवंबर 2001 से जनवरी, 2002 के दौरान अमरीका की राजधानी के लिए डाक लेने से मना नहीं किया। इस अवधि में अमरीका के लिए ईएमएस डाक-वस्तुओं समेत 205 डाक-वस्तुएं बुक की गई और बाकायदा भेजी गई।

(ख) और (ग) निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए सेवाएं अमरीकी डाक प्रशासन के विशेष अनुरोध पर स्थगित की गई थी। स्थगन अवधि के तुरंत बाद ये सेवाएं बहाल भी कर दी गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क

2608. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भगउ-गांधीधाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क को चार लेन बनाने का काम चल रहा है;

(ख) क्या यह परियोजना अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 8-क के भगउ-गांधीधाम खंड को दो पैकेजों में 4 लेन का बनाया जा रहा है अर्थात्-

(1)	भगउ से पाडना	(22 कि.मी.)
(2)	पाडना से गांधीधाम	(16.16 कि.मी.)

भगउ से पाडना पैकेज को जून, 2002 तक और पाडना से गांधीधाम पैकेज को मई, 2002 तक पूरा किया जाना है। 26 जनवरी, 2001 को आए भूकंप के कारण मार्ग और संरचनाओं को पहुंची भारी क्षति की वजह से कार्य पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है।

आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य योजना

2609. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही और कार्यान्वयन हेतु मंजूरी के लिए लंबित स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के लिए कितनी राशि का आबंटन किया है और राज्य सरकार ने कितनी निधियों का उपयोग किया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटित राशियों को निर्धारित समय में खर्च नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कारण बताए हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार की मंजूरी, अनुदान और सहायता हेतु कुछ नई स्वास्थ्य योजनाएं भेजी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य को आबंटित/जारी किए गए धन और किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण में है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए 608 करोड़ रुपए की परिव्यय से विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना भी राज्य में 1.3.1995 से कार्यान्वित हो रही है। आंध्र प्रदेश में डी.एफ.आई.डी. सहायता प्राप्त यौन स्वास्थ्य परियोजना का भी कार्यान्वयन हो रहा है। 2000-01 और 2001-02 के दौरान इस परियोजना के अंतर्गत क्रमश: 2.50 करोड़ रुपए और 10.25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने राज्य को आबंटित/जारी किए गए धन का कमोबेश उपयोग कर लिया है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए डी.एफ.आई.डी. धन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से इस प्रस्ताव के पूरे ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

1998-99 से 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं और धन के आबंटन/जारी की गई धनराशियां तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	आबंटन/जारी धनराशि			व्यय		
		1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
1.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम*	464.91	322.86	539.67	482.93	663.50	644.13
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	322.50	442.21	508.75	322.50	402.41	508.75
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	783.93	482.76	448.58	521.06	350.74	514.11
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	442.50	434.40	521.00	559.77	592.86	732.41
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	650.00	1219.67	824.50	843.51	1003.93	823.95

*व्यापक मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोकड़ एवं सामग्रीगत अनुदान सहित राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में औषधि भंडार खोला जाना

2610. श्री सुबोध राय: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में इसका अपना कोई औषधि भंडार (ड्रग स्टोर) नहीं है, जबकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय-4 के एक खंड में यह अनुमति दी गई है कि चिकित्सा संस्थाएं लाइसेंस लिए बिना औषधि भंडार खोल सकती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रोगियों को आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। संस्थान के परिसर में औषध भंडार खोलने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक निविदा जारी की गई है। यद्यपि संस्थान का अपना औषध केन्द्र नहीं है तथापि इस समय संस्थान के नजदीक के कुछ प्राइवेट औषध भंडार केमिस्ट रोगियों की मांग पूरा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

झुंझनू को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना

2611. श्री शीश राम ओला: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान के झुंझनू जिले को किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने झुंझनू जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेंशन संबंधी नियम

2612. श्री वाई.जी. महाजन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के संबंध में पेंशन संबंधी नियम स्पष्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं। पेंशन-नियम स्पष्ट, विस्तृत, सुस्थापित और प्रामाणिक हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चिकित्सक-रोगी अनुपात

2613. डा. वी. सरोजा:
श्री वाई.वी. राव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व में सब से कम चिकित्सक-रोगी अनुपात वाले देशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अनुपात में कमी लाने के लिए सरकार का विचार कोई योजना तैयार करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों का डाक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग

1:800 है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के अर्हता-प्राप्त व्यवसायियों की संख्या जो लगभग 6 लाख है, को ध्यान में रखा गया है। यह अनुपात अन्य विकासशील देशों के अनुपात के साथ तुलनीय है।

[हिन्दी]

गांवों में टेलीफोन सेवाएं

2614. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री नवल किशोर राय:
श्री विष्णुदेव साय:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने का काम निजी संस्थाओं को सौंपा गया था;

(ख) प्रत्येक राज्य में 31 दिसम्बर, 2001 तक इन संस्थाओं ने कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) क्या इनमें से किन्हीं कम्पनियों ने कुल कनेक्शनों के 10 प्रतिशत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करने संबंधी निविदा समझौते का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आवश्यक सूचना विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) आवश्यक सूचना विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) इन कंपनियों ने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, गांवों को कनेक्शन प्रदान नहीं किए हैं। सरकार ने प्रचालकों के कार्य-निष्पादन में विलम्ब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी प्रभारों को वसूल कर लिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके प्रतिबद्ध निष्पादित दायित्वों को किसी भी मामले में कम नहीं किया जा सकता। सरकार ने दिसंबर 2002 तक, अधूरे वचनबद्ध रोल आउट दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूतियों के विलेख और अतिरिक्त निष्पादन बैंक प्रत्याभूतियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पहले ही उचित कदम उठा चुकी है।

विवरण-I

बुनियादी टेलीफोन सेवा के प्रावधान के लिए निजी लाइसेंसधारकों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	सर्किल का नाम	निजी लाइसेंसधारकों का नाम
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
2.	आंध्र प्रदेश	मै. टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
5.	दिल्ली	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
		मै. टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
6.	गुजरात	मै. रिलायंस टेलीकाम प्रा. लिमिटेड
		मै. टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
7.	हरियाणा	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
8.	हिमाचल प्रदेश	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
		मै. टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड

1	2	3
11.	केरल	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
12.	मध्य प्रदेश	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
13.	महाराष्ट्र	मै. ह्यूजिजटेलीकाम इंडिया लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
14.	पूर्वोत्तर	शून्य
15.	उड़ीसा	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
16.	पंजाब	मै. एचएफसीएल इनफोटेल लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
17.	राजस्थान	मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
18.	तमिलनाडु	मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड
		मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
		मै. टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड
19.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
20.	उत्तर प्रदेश पूर्व	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
21.	पश्चिम बंगाल	मै. रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

*उक्त लाइसेंसधारकों द्वारा इन छः लाइसेंस करारों के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं सीधी एक्सचेंज लाइनों की निर्धारित संख्या के अनुसार प्रदान की जानी थीं और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए वे स्वैच्छिक रूप से वचनबद्ध थे।

विवरण-II

प्राइवेट लाइसेंसधारकों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) का प्रावधान

क्र.सं.	लाइसेंसधारी और लाइसेंसशुदा सर्किल	लाइसेंस की प्रभावी तारीख	पहले तीन वर्षों में वीपीटी के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्य* (लाइसेंस करार के अंतर्गत दायित्वों के अनुसार)			पहले तीन वर्षों के लिए प्रतिबद्ध वीपीटी की कुल संख्या	वास्तव में प्रदान किए गए वीपीटी की संख्या@ (30.12.01 तक
			पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स टाटा टेलीसर्विसिज (आंध्र प्रदेश)	30.9.1997	9635 (30.9.1998 तक)	(सभी गांवों को पहले वर्ष अर्थात् 30.9.1998 तक सुविधा प्रदान की जानी थी)		9635	15

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मैसर्स रिलायन्स टेलीकाम (गुजरात)	30.9.1997	8635 (30.9. 1998 (तक)	(सभी गांवों को पहले वर्ष अर्थात् 30.9.1998 तक सुविधा प्रदान की जानी थी)		8635	शून्य
3.	मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड (पंजाब)	30.9.1997	5442 (30.9. 1998 तक)	(सभी गांवों को पहले वर्ष अर्थात् 30.9.1998 तक सुविधा प्रदान की जानी थी)		5442	शून्य
4.	मैसर्स ह्यूजिज टेलीकाम (इंडिया) लिमिटेड (महाराष्ट्र)	30.9.1997	4000 (30.9. 1998 तक)	21760 (30.9.99 तक)	30.9.99 तक कोई भी गांव सुविधा रहित नहीं रहना चाहिए था।	25760	103
5.	मैसर्स भारती टेलीनेट (मध्य प्रदेश)	30.9.1997	5500 (30.9. 1998 तक)	5500 (30.9 99 तक)	5500 (30.9 2000 तक)	16500	348
6.	मैसर्स श्याम टेलीलिंक (राजस्थान)	4.3.1998	7439 (4.3. 1999 तक)	10629 (4.3.2000 तक)	13766 (4.3.2001 तक)	31834 [36727]**	209
	योग		40651	37889	19266	97806	675

* सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्यों और निविदा में उल्लिखित टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या के मद्देनजर बोली/निविदा दस्तावेजों के आधार पर पूर्णतः परिणत।

** लाइसेंसधारक की 36727 टेलीफोन प्रदान करने संबंधी वचनबद्धता के प्रति राजस्थान सेवा क्षेत्र में सुविधा रहित गांवों की कुल संख्या केवल 31834 है।

@ लाइसेंसधारकों द्वारा यथा-सूचित।

[अनुवाद]

सैल्यूलर उपभोक्ता

2615. श्री रूपचन्द पाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सैल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में इसकी वृद्धि दर कितनी रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): सैल्यूलर प्रचालकों की ओर से भारतीय सैल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 2001 को भारत में सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 54,90,322 थी।

गत तीन वर्षों के लिए सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की वृद्धि दर से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	माह और वर्ष	भारत में सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर का प्रतिशत
1.	31 दिसम्बर, 1998	10,70,603	-
2.	31 दिसम्बर, 1999	15,99,364	49.39 प्रतिशत
3.	31 दिसम्बर, 2000	31,07,449	94.29 प्रतिशत
4.	31 दिसम्बर, 2001	54,90,322	76.68 प्रतिशत

गुजरात के राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन

2616. श्री सवशीभाई मकवाना:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) नौवीं योजनावधि के दौरान मंत्रालय को गुजरात सरकार से नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के संबंध में 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से लगभग 830 कि.मी. लंबे 5 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। बकाया प्रस्तावों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन प्रस्तावों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

विवरण

बकाया प्रस्तावों के ब्यौरे

1. बागोदरा-वातामन-तारापुर-बरसाड़-पादरा करजन सड़क
2. राजकोट-जामनगर-वादीनार सड़क
3. शामलजी-मोदसा-गोधरा-हलोल-राजपिपला-वापी पूर्वी राज्यीय राजमार्ग सं. 5
4. सरखेज-आनन्द-बीरमागाम-मालवन-धरनगधरा-हलवड़-मलिया राज्यीय राजमार्ग सं. 7 और अहमदाबाद के निकट रा.रा.-8सी और मलिया के निकट रा.रा. 8-ए को जोड़ने वाला राज्यीय राजमार्ग सं. 17
5. रा.रा. 14 पर पालनपुर से रा.रा. 8 पर गांधीनगर-अहमदाबाद संपर्क मार्ग
6. महसाणा-चनसमा-राधनपुर
7. रा.रा. सं. 8-ए पर राजकोट और रा.रा. 8-बी पर मोरवी को जोड़ने वाला राज्यीय राजमार्ग सं. 14 और नवलखी पत्तन तक विस्तार।
8. रा.रा. 8 को रा.रा. 6 से जोड़ने वाली वड़ोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सतपुरा-नासिक सड़क
9. भुज-खावड़ा-इंडिया ब्रिज-धर्मशाला से भारत सीमा तक रा.रा. 15 का विस्तार।
10. मलिया-जामनगर-ओखा-पोरबंदर-सोमनाथ
11. मांडवी-नारायण सरोवर
12. नड़ियाद-कपड़वंज-मोदसा
13. अहमदाबाद-धोलका-भावनगर
14. सूरत-कालीकट-मुंबई वाया नागपुर
15. जामनगर-महुआ-भावनगर-वड़ोदरा
16. भावनगर-करजन।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का मानकीकरण

2617. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप भारतीय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (पी.एफ.ए.) के मानकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौजूदा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानकीकरण को पूरा नहीं कर पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने विदेशों से आ रहे खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 विभिन्न खाद्य उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने हेतु सक्षम कानून है।

मौजूदा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम तथा उसके अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए बनाए गए विनिर्देश, विदेशों से आने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए पर्याप्त हैं।

कोडक्स अलाइमेन्टेरियस कमीशन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कई खाद्य सम्मिश्रणों के प्रयोग की सिफारिश की है तथा विभिन्न संदूषकों के लिए अलग-अलग स्तर बनाए हैं। इनमें से सब खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में शामिल नहीं हैं। तथापि, देश की जरूरतों के अनुसार उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

2618. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 फरवरी, 2002 के सभी दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार केन्द्रीय जांच-ब्यूरो ने केन्द्र सरकार और सरकारी उपक्रमों के बहुत से अधिकारियों पर देश भर में भ्रष्टाचार-रोधी विशेष छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये छापे किस आधार पर मारे गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, आर्थिक अपराधियों तथा अन्य के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान के एक भाग के रूप में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने दिनांक 22.02.2002 को देश भर में विशेष भ्रष्टाचार-निरोधी छापे मारे हैं। उपर्युक्त अभियान के दौरान, सरकारी कर्मचारियों सहित, 112 व्यक्तियों के विरुद्ध, कुल 36 मामले दर्ज किए गए, जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के भ्रष्टाचार-निरोधी प्रभाग में 23, आर्थिक अपराध-प्रभाग में 4 और विशेष अपराध-प्रभाग में 9 मामले दर्ज किए गए।

(ग) भ्रष्टाचार-निरोधी उपायों पर जोर देना कायम रखने के क्रम में, सामान्य रूप से जांच-पड़ताल करने के अतिरिक्त, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, एक निवारक कार्रवाई के रूप में, समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर, भ्रष्ट कर्मचारियों का पता लगाने/उन्हें पकड़ने/गिरफ्तार करने के विशेष अभियान चलाता है। छापे, छान बीन की प्रक्रिया के भाग होते हैं और इनका उद्देश्य, जांच-पड़ताल के दौरान साक्ष्य इकट्ठा करना होता है।

(घ) भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसे विभिन्न अधिकरणों के माध्यम से, सरकार यह बुराई जड़ से समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में सरकार निवारण, निगरानी और निवारक दंडात्मक कार्रवाई की है एक बहुसूत्रीय कौशल-परक रणनीति अपना रही है।

कुड्डालोर-चित्तूर सड़क का उन्नयन

2619. **श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से कुड्डालोर-चित्तूर सड़क का उन्नयन कर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव लगभग 230 कि.मी. लंबी सड़क को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पल्स पोलियो की खुराक

2620. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने बच्चों को पल्स पोलियो दवा पिलाई गई;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में पल्स पोलियो की खुराक दिए जाने में ढिलाई बरती गई है;

(घ) यद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के कब तक पोलियो मुक्त हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) भारत पोलियो उन्मूलन तथा 2005 में अंतर्राष्ट्रीय पोलियोमुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

विवरण

पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों द्वारा सूचित कवरेज को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	24 सितम्बर 2000		5 नवम्बर, 2000		10 दिसम्बर 2000		21 जनवरी 2001	
		कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत	कुल	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अ.व.नि.द्वीप समूह	–	–	–	–	39150	97.26	49404	96.97
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	10592242	103.34	10660112	104.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	160265	84.92	172843	91.36
4.	असम*	–	–	4505206	102.43	4548935	103.42	4528733	102.96
5.	बिहार**	20035015	107.74	20587370	106.87	21219453	107.42	21259668	106.14
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	98426	85.42	115912	100.59
7.	दा. व न. हवेली	–	–	–	–	32397	102.58	32665	103.43
8.	दमन व दीव	–	–	–	–	17655	100.45	18755	106.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	दिल्ली**	2313104	115.66	2316187	101.82	2321917	102.07	2383461	104.78
10.	गोवा	–	–	–	–	123630	101.07	127335	102.51
11.	गुजरात*	–	–	7058640	106.90	7119245	107.82	7227050	109.45
12.	हरियाणा*	–	–	3493866	109.47	3619264	112.40	3750177	117.50
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	669455	97.22	688618	100.00
14.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	1559857	103.30	1575451	104.33
15.	कर्नाटक	–	–	–	–	6721983	103.26	6991685	106.06
16.	केरल	–	–	–	–	2890252	100.14	2932313	101.60
17.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	6595	101.92	6814	101.38
18.	मध्य प्रदेश*	–	–	13235768	112.76	10638458	111.25	13400520	113.81
19.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	10937442	94.45	11898695	103.26
20.	मणिपुर	–	–	–	–	296781	89.06	305605	93.96
21.	मेघालय	–	–	–	–	346869	89.17	357155	91.87
22.	मिजोरम	–	–	–	–	103499	93.40	104915	94.68
23.	नागालैंड	–	–	–	–	213105	95.31	209106	93.69
24.	उड़ीसा*	–	–	4578117	99.42	4601351	100.04	4617921	100.30
25.	पांडिचेरी	–	–	–	–	103593	106.33	105175	107.97
26.	पंजाब*	–	–	3561609	104.30	3587792	105.07	3619246	105.99
27.	राजस्थान*	–	–	10460850	116.09	10733032	119.12	10910844	121.09
28.	सिक्किम	–	–	–	–	70068	94.66	71190	93.33
29.	तमिलनाडु	–	–	–	–	7209197	103.24	7390587	105.17
30.	त्रिपुरा	–	–	–	–	386280	96.13	399927	99.53
31.	उत्तर प्रदेश**	31957229	102.94	33633787	102.54	34086747	103.91	34570056	105.10
32.	पश्चिम बंगाल**	7023754	91.76	9100626	99.58	9152659	100.15	9311549	101.88
	कुल	61329102	103.43	112532026	105.72	154207594	104.77	159793487	106.62

** उच्च खतरे वाले 4 राज्यों में चार दौर आयोजित किए गए।

* मध्य खतरे वाले 7 राज्यों में तीन दौर आयोजित किए गए।

मोबाइल की दरें

2621. श्री हरिभाई शंकर महाले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 2002 के बाद देश में टेलीफोन और मोबाइल फोन की दरों में कटौती होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार ने मोबाइल टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं से कुल कितना लाभ कमाया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ-निर्धारण का अधिकार "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" के पास है। प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 द्वारा यथा परिकल्पित टैरिफ पुनर्संतुलन का तीसरा तथा अन्तिम भाग 14 मार्च, 2002 को अधिसूचित किया। इस भाग में एसटीडी/आईएसडी टैरिफ की उच्चतम सीमा कम की गई है। संगत संशोधन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। ये टैरिफ 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे।

सेल्यूलर मोबाइल फोन के टैरिफ में निरन्तर गिरावट आ रही है। टीटीओ, 1999 के कार्यान्वयन से दो वर्ष में सेल्यूलर टैरिफ में समग्र कटौती औसतन लगभग 50 प्रतिशत आ रही है।

(ग) देश की अर्थ-व्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव सकारात्मक होने की संभावना है क्योंकि इससे दूरसंचार सेवाएं अधिक वहनीय हो रही हैं जिसके फलस्वरूप इनके उपयोग में वृद्धि हो रही है और साथ ही टेली घनत्व भी बढ़ रहा है।

(घ) इन सेवाओं से सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये सेवाएं निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

विवरण

व्यस्ततम समय के लिए अधिकतम टैरिफ की पल्स दरें

1	2	3
उपभोक्ता ट्रंक डायल लंबी दूरी कालों के लिए अधिकतम टैरिफ की पल्स दरें	किन्ही दो एक्सचेंजों के बीच अथवा किन्हीं दो प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी	1 अप्रैल 2002 से (सेकेण्ड में)
	50 किमी तक	180.0
	50 किमी से ऊपर और 200 किमी तक	18.0
	200 किमी से ऊपर और 500 किमी तक	6.8
	500 किमी से ऊपर और 1000 किमी तक	4.6
	1000 किमी से ऊपर	3.5
इन पल्स दरों की तात्पर्य एक मिनट की अवधि की एसटीडी काल के लिए निम्नलिखित व्यस्ततम घंटे के अधिकतम टैरिफ से है।		
प्रति मीटर्ड काल 0.8 रु. के पल्स प्रभार पर	किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच अथवा किन्हीं दो प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी	1 अप्रैल 2002 से (रुपये)
	50 किमी तक	0.80
	50 किमी से ऊपर और 200 किमी तक	3.20

1	2	3
	200 किमी से ऊपर और 500 किमी तक	7.20
	500 किमी से ऊपर और 1000 किमी तक	11.20
	1000 किमी से ऊपर	14.40
प्रति मीटर्ड काल 1.00 रु. के पल्स प्रभार पर	किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच अथवा किन्हीं दो प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी	1 अप्रैल, 2002 से (रुपये)
	50 किमी तक	1.00
	50 किमी से ऊपर और 200 किमी तक	4.00
	200 किमी से ऊपर और 500 किमी तक	9.00
	500 किमी से ऊपर और 1000 किमी तक	14.00
	1000 किमी से ऊपर	18.00
प्रति मीटर्ड काल 1.20 रु. के पल्स प्रभार पर	किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच अथवा किन्हीं दो प्रभारण केन्द्रों के बीच की अरीय दूरी	1 अप्रैल, 2002 से (सेकेण्ड)
	50 किमी तक	1.20
	50 किमी से ऊपर और 200 किमी तक	4.80
	200 किमी से ऊपर और 500 किमी तक	10.80
	500 किमी से ऊपर और 1000 किमी तक	16.80
	1000 किमी से ऊपर	21.60
इंटरनेशनल सब्स्क्राइबर डायल कालों के लिए अधिकतम टैरिफ की पल्स दर	प्रभारण के प्रयोजन से विभिन्न देशों का वर्गीकरण	1 अप्रैल, 2002 से (सेकेण्ड)
	सार्क तथा अन्य पड़ोसी देश	3.3
	अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी, एशिया तथा ओशेनिया स्थित देश	2.3
	अमरीकी महाद्वीप तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित देश	1.8
पल्स दरों का तात्पर्य 1 मिनट की अवधि के आईएसडी काल के लिए निम्नलिखित घंटे के अधिकतम टैरिफ से है		
प्रति मीटर्ड काल 0.80 रु. के पल्स प्रभार पर।	काल किया गया स्थान	1 अप्रैल, 2002 से (रुपये)
	सार्क तथा अन्य पड़ोसी देश	14.40

1	2	3
	अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी, एशिया तथा ओशेनिया स्थित देश	21.60
	अमरीकी महाद्वीप तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित देश	27.20
प्रति मीटर्ड काल 1.00 रु. के पल्स प्रभार पर।	काल किया गया स्थान	1 अप्रैल, 2002 से (रुपये)
	सार्क तथा अन्य पड़ोसी देश	18.00
	अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी, एशिया तथा ओशेनिया स्थित देश	27.00
	अमरीकी महाद्वीप तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित देश	34.00
प्रति मीटर्ड काल 1.20 रु. के पल्स प्रभार पर।	काल किया गया स्थान	1 अप्रैल, 2002 से (रुपये)
	सार्क तथा अन्य पड़ोसी देश	21.60
	अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी, एशिया तथा ओशेनिया स्थित देश	32.40
	अमरीकी महाद्वीप तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित देश	40.80

उत्तर प्रदेश का मैनपुरी टेलीफोन एक्सचेंज

2622. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी टेलीफोन एक्सचेंज में घटिया सेवाओं के कारण लोग परेशान हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। मैनपुरी टेलीफोन एक्सचेंज की दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

2623. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **प्रधान मंत्री** 5 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2442 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उत्तर में उल्लिखित पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती

वसुन्धरा राजे): (क) लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2442 में मांगा गया उत्तर, चयन-समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य मनोनीत किए जाने के बारे में था। इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत और अनुदेश विद्यमान हैं। फिर भी, ऐसी समितियों का ब्यौरा अथवा ऐसी समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्य मनोनीत किए जाने का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय और अनिवासी भारतीयों के लिए उनमें आरक्षित सीटें

2624. श्री वाई.वी. राव:
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय हैं और उनमें अनिवासी भारतीयों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षण के अभाव में अनिवासी भारतीयों का कोटा प्रतिवर्ष निर्धारित कोटे को पार कर जाता है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा परिषद के विरुद्ध कार्य में कोताही बरतने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारत में कुल 155 मान्यताप्राप्त कालेज हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्राइवेट संस्थाओं में अनिवासी भारतीयों/विदेशी छात्रों के लिए सीटों की संख्या कुल संख्या का 15 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) चूंकि अनिवासी भारतीयों के कोटे का निर्धारण भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना संबंधित विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की प्रारम्भिक जिम्मेदारी है। जब कभी वे नए स्थापित कालेजों के मामले में वार्षिक अनुमति के नवीकरण हेतु निरीक्षण और मान्यताप्राप्त कालेजों के मामले में 5 वर्ष के अन्तराल में आवधिक निरीक्षण करते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भी मेडिकल कालेज की मान्यता को जारी रखने के लिए इस पहलू की जांच करती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 और 200

2625. श्री विष्णुदेव साय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-78 और 200 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इसमें से उन राजमार्गों की स्थापना, सर्वेक्षण और उन पर निर्माण कार्य शुरू करने में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान उक्त धनराशि में से कितनी राशि प्रत्येक के निर्माण कार्य के लिए निर्धारित की गई; और

(घ) इन प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) धनराशि का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

(ख) और (ग) स्वीकृत अनुमानित लागत में निर्माण, सर्वेक्षण, जांच और संस्थापना की लागत (परियोजना लागत के 9 प्रतिशत की दर से) शामिल होती है।

वित्त वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान रा.रा.-78 और रा.रा.-200 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के प्राक्कलन इस प्रकार हैं-

धनराशि (लाख रु.)

वर्ष	रा.रा.-78	रा.रा.-200
1999-2000	कुछ नहीं	428.881
2000-2001	788.92	1833.41
2001-2002	1632.63	1553.72

(घ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2001-2002 (फरवरी, 2002 तक) में किया गया व्यय इस प्रकार है-

रा.रा.-78	946.13 लाख रु.
रा.रा.-200	971.70 लाख रु.

अब तक रा.रा.-78 के 70 कि.मी. में और रा.रा.-200 के 54 कि.मी. में सुधार किया गया है।

दुर्घटना/संघात केन्द्र

2626. **डा. अशोक पटेल:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीकृत दुर्घटना और संघात (केट) योजना दिल्ली में 1980 के दशक में शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इस समय इसका नेटवर्क क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने संघात केन्द्र चल रहे हैं और इनका ब्यौरा क्या है और इनको क्या आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक संघात केन्द्र सहित कुछ और केन्द्र बनाए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत 1984 में एक केन्द्रीकृत दुर्घटना एक अभिघात सेवा आरम्भ की गई थी। वर्ष 1989 में तत्कालीन दिल्ली प्रशासन द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था और यह तबसे कार्य कर रहा है।

इस समय केन्द्रीकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाओं के पास 35 एम्बूलेंस का नेटवर्क है जो प्रभारी मानीटरिंग और तैनाती के लिए केन्द्रीय कमान और नियंत्रण में सम्पूर्ण दिल्ली में स्थित विभिन्न स्थानों से संचालित किए जा रहे हैं। लोकनायक अस्पताल के अंतर्गत सुश्रुत अभिघात केन्द्र बुनियादी जीवन सहायता तथा एडवांस्ड ट्रामा लाइफ सपोर्ट के लिए अच्छा है और चौबीसों घंटे कार्य करता है। इसके अतिरिक्त गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दूसरे अभिघात ब्लाक की स्थापना की गई है।

(ग) से (ङ) जी हां। अखिल भारतीय-आयुर्विज्ञान संस्थान में एक केन्द्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात केन्द्र खोलने पर विचार किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रस्तावित अभिघात केन्द्र बहुविज्ञानी होगा जो समग्र अभिघात परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के अलावा संकल्पन, परियोजना निर्माण, प्रशिक्षण एवं प्रचालन के संबंध में अन्य केन्द्रों के लिए माडल के रूप में भूमिका अदा करेगा। 14 बिस्तर वाली सुविधा की कुल परियोजना लागत 54.14 करोड़ रुपए होने की प्रत्याशा है।

केन्द्रीय सरकार के अस्पताल नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल दुर्घटनाग्रस्त एवं आपाती रोगियों के उपचार के लिए सुसज्जित हैं। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूदा केजूएल्टी एवं आपाती सेवाओं के विस्तार करने एवं उनको समुन्नत करने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। इस परियोजना की अपेक्षित लागत 28.13 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि एक अन्य अभिघात केन्द्र दीन दयाल अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। इसे भी नवीनतम उपस्कर एवं बुनियादी ढांचा से सज्जित किया जाएगा।

[अनुवाद]

लक्ष्मी नगर, दिल्ली के एमटीएनएल कार्यालय में चोरी

2627. **श्री राम जीवन सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** 19 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4560 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के लक्ष्मी नगर दूरभाष केन्द्र के लाकर से पैसे की चोरी के मामले में सरकार द्वारा कराई गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) यह मामला दिनांक 29.11.2001 को प्रीत विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380/411/120बी/34 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 610 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने सूचित किया है कि अब तक सात अपराधियों को पकड़ लिया गया है और उनसे 12,55,400 रु. की राशि बरामद हुई है तथा आगे जांच चल रही है।

(ख) पुलिस ने अब तक एमटीएनएल के किसी कर्मचारी के लिप्त होने की सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

दृष्टिहीनता का उन्मूलन

2628. श्री रामदास आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन देशों में एक है जहां लोग बड़ी संख्या में दृष्टिहीनता के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राज्यवार कितने दृष्टिहीन हैं;

(घ) दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) देश में बढ़ रही दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी हां। 1986-89 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 2001 के लिए अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्तियों की संख्या 1.5 करोड़ है। मोतियाबिन्द दृष्टिविहीनता का सबसे बड़ा कारण है अन्य मुख्य कारणों में रिफ्रेक्टिव ऐरर्स, सबलबाय और कोर्निया संबंधी दृष्टिविहीनता शामिल है।

(ग) राज्यवार दृष्टिविहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता इस प्रकार है:-

वर्ष	उपयोग किया गया धन
1998-1999	73.00 करोड़ रुपए
1999-2000	83.83 करोड़ रुपए
2000-2001	109.70 करोड़ रुपए

(ङ) देश में दृष्टिविहीनता नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित हैं:-

(1) नेत्र बोर्डों और आपरेशन थियेटरों के निर्माण के माध्यम से नेत्र परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास और उपकरणों की आपूर्ति।

(2) नेत्र शल्य चिकित्सकों और सम्बद्ध कार्मिकों का प्रशिक्षण।

(3) बुनियादी ढांचे, नि:शुल्क मोतियाबिन्द शल्य चिकित्सा और नेत्र बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से नेत्र परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करना।

(5) रिफ्रेक्टिव एरर्स का पता लगाने और उनको ठीक करने के लिए स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम।

(6) दृष्टिविहीनता के निवारण और नियंत्रण के बारे में जन-जागरूकता।

विवरण

वर्ष 2001 में राज्यवार दृष्टिविहीनता की व्याप्तता दर और अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्ति

राज्य	जनसंख्या (लाख में) (2001)	दृष्टिविहीनता व्याप्तता दर 10,000 जनसंख्या	अनुमानित दृष्टिविहीन व्यक्ति (लाख में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	75727541	150	1135913
अरुणाचल प्रदेश	1091117	123	13421
असम	26638407	134	356955
बिहार	82878796	128	1060849

1	2	3	4
झारखण्ड	26909428	128	344441
दिल्ली	13782976	63	86833
गोवा	1343998	203	27283
गुजरात	50596992	144	728597
हरियाणा	21082989	113	238238
हिमाचल प्रदेश	6077248	87	52872
जम्मू व कश्मीर	10069917	280	281958
कर्नाटक	52733958	129	680268
केरल	31838619	131	417086
मध्य प्रदेश	60385118	201	1213741
छत्तीसगढ़	20795956	201	417999
महाराष्ट्र	96752247	164	1586737
मणिपुर	2388634	65	15526
मेघालय	2306069	22	5073
मिजोरम	891058	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
नागालैंड	1988636	38	7557
उड़ीसा	36706920	172	631359
पंजाब	24289296	73	177312
राजस्थान	56473122	224	1264998
सिक्किम	540493	45	2432
तमिलनाडु	62110839	165	1024829
त्रिपुरा	3191168	118	37656
उत्तर प्रदेश	166052859	158	2623635
उत्तरांचल	8479562	158	133977
पश्चिम बंगाल	80221171	96	770123
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	356265	67	2387
चण्डीगढ़	900914	189	17027
दादरा व नगर हवेली	220451	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1	2	3	4
दमन व दीव	158059	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
लक्षद्वीप	60595	89	539
पांडिचेरी	973829	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
अखिल भारत	1027015247	149	15302527

*स्रोत—विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार राष्ट्रीय सर्वेक्षण (1986-89)

दिल्ली से मुंबई के बीच नया राष्ट्रीय राजमार्ग

2629. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शामल जी से औदोदरा, राजपीपला से सोनगढ़, विरार से वापी होते हुए दिल्ली से मुंबई तक एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है, क्योंकि ये सभी जनजातीय क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कब तक काम शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 की लंबाई कितनी है और प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) दिल्ली से मुंबई तक दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गुजरात में शामलाजी-मोदसा-गोधरा-हलोल-राजपीपला-वापी राज्यीय सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा। विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 की लंबाई लगभग 1428 कि.मी. है।

पासपोर्ट कार्यालय के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

2630. श्री के.पी. सिंह देव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की थी;

(ख) यदि हां, तो गत समीक्षा में कितना समय लगा था;

(ग) क्या उनकी फिर से समीक्षा किए जाने की जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की गयी थी और इसने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। अनुशंसाओं में पासपोर्ट सेवाओं को विकेन्द्रित करने, ताकि जिला स्तर पर पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किये जा सकें, का प्रस्ताव शामिल है और इसका क्रियान्वयन आरंभ हो गया है। नियत स्पीड पोस्ट पासपोर्ट संग्रहण केन्द्रों पर पहले से ही आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। एक अन्य अनुशंसा जिसे क्रियान्वित कर दी गयी है वह पुलिस जांच प्रक्रिया के सरलीकरण से संबंधित है जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की श्रेणियों, जिनकी पहचान और राष्ट्रीयता सुस्थापित है, के लिए बिना पुलिस जांच के पासपोर्ट जारी किये जा सकेंगे।

[अनुवाद]

सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन पर इनकमिंग काल

2631. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एमटीएनएल की मोबाइल सेवा पर इनकमिंग काल नि:शुल्क करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टैरिफ का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

फिक्सड सर्विस

2632. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्सड सर्विस प्रोवाइडर्स और लिमिटेड मोबिलिटी आपरेटरों को आमतौर पर सेल्युलर आपरेटरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सेन्ट्रल स्विच सिस्टम के परिचालन की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) टी आर ए आई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को स्थानीय क्षेत्र/कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए), विशेषकर तहसीलों में वायरलेस एक्सेस प्रणालियों पर अपने उपभोक्ताओं को हैंड-हेल्ड टेलीफोन सेट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी प्रणालियां, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र द्वारा यथा निर्धारित राष्ट्रीय मानक वी 5.2 पर अथवा अनुमोदित उन्नत रूपान्तर वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित एक्सेस नेटवर्क प्रोटोकाल पर कम दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीए) के टेलीफोन एक्सचेंज को जोड़ने के लिए तैयार की जानी होती हैं।

संचारी और असंचारी रोगों पर नियंत्रण

2633. श्री विक्रम केशरी देव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन रोगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक राज्य में क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) देश को प्रभावित कर रहे प्रमुख संचारी रोग मलेरिया, क्षय रोग, एड्स वायरल हेपेटाइटिस एवं अन्य जल जनित रोग हैं। असंचारी रोग, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, कैंसर हृदयवाहिका रोग एवं मधुमेह मिलिटस है। संचारी रोगों की पहचान करने एवं उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एवं संचारी रोगों पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे संकेन्द्रित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों और तम्बाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने और लोगों की स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने जैसे स्वास्थ्यवर्धक उपायों के माध्यम से असंचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रोग नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में समान रूप से चलाए गए हैं। संकेन्द्रित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अतिरिक्त, शुरू में ही रोग का पता करने, पहले सम्पर्क के समय ही उसके उपचार को सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्यात प्रोत्साहन

2634. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्यात निदेशालय ने बकाए ऋण और उन पर ब्याज पर ध्यान दिए बिना निर्यात प्रोत्साहन जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्यात प्रोत्साहन को जारी करने से पहले ऋण/ब्याज को समायोजित करने के सरकारी आदेश का उल्लंघन किए जाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए दावों का पार्टीवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) ने बकाया देनदारियों के समायोजन के पश्चात् एक नीतिगत उपाय के रूप में प्रोत्साहन जारी करने का निर्णय केवल अक्तूबर, 1998 में ही लिया। यह इसलिए था, क्योंकि योजना 1995 में पहली बार के.वी.आई. क्षेत्र में निर्यातों को बढ़ाने के प्रथम प्रयास के रूप में लागू की गई थी। 1998 के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात प्रोत्साहनों का दावा करने वाली कुछ इकाइयों ने सी.बी.सी. योजना के अंतर्गत आयोग से कार्यशील पूंजी का भी लाभ उठाया है और इन इकाइयों से सी.बी.सी. ऋण किस्तों को उन्हें स्वीकृत किए गए निर्यात प्रोत्साहनों में समायोजित करना आवश्यक हो गया है। इसलिए 1998 से पूर्व निर्यात प्रोत्साहनों को बकाया ऋण एवं ब्याज को ध्यान में लिए बिना ही जारी कर दिया गया। चूंकि उस समय के.वी.आई.सी. के प्रचलित नियमों/विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं था, अत: किसी कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं किया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए दावों का पार्टीवार और वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	हैंड मेड पेपर एवं बोर्ड इंडस्ट्रीज सागानेर, जयपुर	रु. 18,72,607	रु. 23,48,818	रु. 3,44,963
2.	ए.एल. पेपर हाउस, सांगानेर, जयपुर	रु. 03,36,870	रु. 04,89,427	-

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 से जोड़ना

2635. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 को अठागढ़, मुन्डेट, त्रिशुटिया, मेंढ़सल खुर्द से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-5 से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पासपोर्ट संबंधी लंबित आवेदन

2636. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 के प्रारंभ में बरेली के पासपोर्ट कार्यालय में कितने पासपोर्ट आवेदन लंबित थे;

(ख) जनवरी, 2002 से आज तक पासपोर्ट कार्यालय बरेली में कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ग) वर्ष 2002 के प्रारंभ में कितने आवेदन लंबित थे और ऐसे आवेदनों के लंबित रहने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या होती है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पासपोर्ट कार्यालय बरेली में पहले से लंबित चले आ रहे आवेदनों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) सुस्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद किसी आवेदन को लम्बित माना जाता है। बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 2002 के शुरू में पासपोर्ट जारी करने के लिए लम्बित आवेदनों की संख्या 1382 थी।

(ख) बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जनवरी, 2002 से आज (14.3.2002 तक) प्राप्त आवेदनों की संख्या 7559 है।

(ग) वर्ष 2002 के शुरू में पासपोर्ट जारी करने के लिए लम्बित आवेदनों की अधिकतम और न्यूनतम बकाया अवधि क्रमश: 4 सप्ताह और 2 सप्ताह है।

(घ) और (ङ) पासपोर्ट आवेदनों की संख्या वर्ष 2000 में 34230 से बढ़कर वर्ष 2001 में 42512 हो गई है जो 24 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी है। पासपोर्ट कार्यालय कार्य की इस बढ़ी हुई मात्रा को कम्प्यूटरीकरण के जरिए तथा कर्मचारियों के काम की शैली में सुधार करके निपटाता है। बकाया मामलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है परन्तु उनका पूरी तरह से निपटान प्राप्त होने वाले नए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है।

चिकित्सा पद्धति का कार्यकरण

2637. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
डा. एस. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद, डी.वाई. महिला मेडिकल कालेज, पिम्परी, पुणे और कस्तूरबा गांधी मेडिकल कालेज, मणिपाल में अस्पताल के लिए निर्धारित बिस्तरों के अनुकूल पर्याप्त बिस्तर नहीं हैं और उनमें अनिवासी भारतीयों के दाखिले के निर्धारित कोटे का उल्लंघन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उन कालेजों का किस तिथि में निरीक्षण किया गया और उनकी क्या टिप्पणी थी; और

(ग) देश की समस्त चिकित्सा पद्धति का कार्यकरण समुचित ढंग से हो, को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद और डी.वाई. पाटिल महिला मेडिकल कालेज, पिम्परी, पुणे में क्रमश: एक वर्ष में 50 और 100 व्यक्तियों को दाखिल करने के लिए पलंगों की पर्याप्त जगह है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा 8 और 9 जनवरी, 2001 को किए गए पिछले निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कस्तूरबा मेडिकल कालेज मणिपाल से सम्बद्ध अस्पतालों में वर्ष 2000 के लिए पलंगों का स्थान पलंगों के लिए वांछित स्थान 80 प्रतिशत से कम पाया गया था।

यह पाया गया था कि वर्ष 1995-96 और 1999-2000 के शैक्षणिक सत्र के बीच सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद ने प्रबन्धन/अनिवासी भारतीय कोटा के अंतर्गत 40 अधिक विद्यार्थियों को दाखिला दे दिया था। विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए केन्द्र सरकार ने प्रबन्धन/अनिवासी भारतीय सीटों का कोटा समाप्त करके उपरोक्त अधिक दिए गए दाखिलों को आगामी शैक्षणिक सत्रों में समाप्त करने के लिए कालेज प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के लिए एक बारगी उपाय के रूप में अपना अनुमोदन संसूचित कर दिया था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जनवरी 2001 में किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी द्वारा संचालित दो मेडिकल कालेज निर्धारित 15 प्रतिशत दाखिला क्षमता से अधिक अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों को दाखिला दे रहे हैं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार डी.वाई. पाटिल महिला मेडिकल कालेज, पिम्परी, पुणे ने क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया है।

(ख) परिषद् के निरीक्षकों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान सन्तोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद का 12-14 अक्तूबर, 2000, 19 और 20 जनवरी, 2001 तथा 16 अप्रैल, 2001 को निरीक्षण किया गया था। परिषद् के निरीक्षकों द्वारा पिछले दो वर्ष के दौरान डा. डी.वाई. पाटिल महिला मेडिकल कालेज, पिम्परी, पुणे का दिनांक 9 और 10 जून, 2000, 26 से 28 दिसम्बर, 2000 और 2 से 3 अप्रैल, 2001 को निरीक्षण किया गया था। इस विषय में सन्तुष्ट होने के बाद कि ये दोनों कालेज आधारभूत ढांचे और अन्य सुविधाओं के रूप में निर्धारित न्यून वांछनीयता को पूरा करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार से सिफारिश की कि इन दोनों कालेजों में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों को दी गई एम.बी.बी.एस. की डिग्री को कालेजों के सम्बन्धित विश्वविद्यालय मान्यता दे दें। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल का दिनांक 8 और 9 जनवरी, 2001 को निरीक्षण किया गया था परिषद के निरीक्षकों द्वारा सूचित कमियों को देखते हुए परिषद ने कालेज के प्राधिकारियों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कालेज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की जांच परिषद द्वारा की जा रही है।

(ग) देश में विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों अर्हताएं दिए जाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है। परिषद इस प्रयोजन के लिए मेडिकल संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण करती है। परिषद यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है कि निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई कमियों को संबंधित मेडिकल संस्था ने दूर कर दिया है।

सड़क विकास में विदेशी निवेश

2638. श्री ए. नरेन्द्र: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकृत भूतल परिवहन नीति के अंतर्गत सड़क संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण निजी विदेशी निवेश आना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं और उनमें कितनी मंजूर की गई हैं;

(ग) चालू परियोजनाओं के मामले में परियोजनावार कितनी प्रगति हुई है और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) इन परियोजनाओं/योजनाओं को क्रियान्वित करते समय आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई अड़चन नहीं है।

विवरण

निजी विदेशी निवेश से संबंधित परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	पूरा करने की नियत तारीख
1.	रा.रा.-5 के टाडा-नेल्लौर खंड और रा.रा.-9 के विजयवाड़ा-नंदीगांव खंड का उन्नयन/चार लेन का बनाना	146	760 (भा.रा.रा.प्रा. से 167.5 करोड़ रु. के अनुदान सहित)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसम्बर, 2003
2.	रा.रा. 2 के पानागढ़-पालसित और पालसित-दनकुनी खंडों को उन्नयन/चार लेन का बनाना	130	782 (वार्षिकी आधार पर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसम्बर, 2003

साफ्टवेयर उद्योग

2639. श्री विनय कुमार सोराके:
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के साफ्टवेयर उद्योग को चीन से कुछ प्रतिस्पर्धा की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। नैस्काम-मेकिन्जी 2002 अध्ययन से यह संकेत मिला है कि हमें चीन को सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर तथा सेवा व्यवसाय में भावी प्रतिस्पर्धी के रूप में मानना चाहिए। पिछले दो दशकों में इसकी विकास दर अधिकांश वर्षों में भारत की तुलना में लगभग दुगुनी रही है। चीन का अपेक्षाकृत बड़ा वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रसार इन्टरनेट प्रयोक्ता आधार, मोबाइल फोन प्रयोक्ता आधार तथा एक ठोस घरेलू बाजार है।

किन्तु, जबकि चीन का एक बड़ा विकासशील घरेलू बाजार है, इसका साफ्टवेयर निर्यात भारत के वर्तमान 6.2 बिलियन अमरीकी डालर (2000-2001) की तुलना में अनुमानत: लगभग 600 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारत को और अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। ये उपाय हैं- सूचना प्रौद्योगिकी को जनता तक पहुंचाना, उभरकर सामने आ रही प्रौद्योगिकियां आम आदमी को सुपुर्द करना तथा अंकीय विभाजन समाप्त करके भारत की 100 करोड़ जनता को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का भावी प्रयोक्ता बनाना।

इन्टरनेट टेलीफोनी

2640. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडरों (आईएसपी) ने बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस और प्रवेश शुल्क के इन्टरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू करने की उन्हें अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरआई) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के लिए इंटरनेट टेलीफोनी की शुरूआत करने हेतु सरकार से सिफारिश की है।

(ग) टी आर ए आई की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ की महानदी का विकास

2641. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ की महानदी को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यासो नाईक): (क) से (ग) तलचेर को पारादीप से जोड़ने के लिए महानदी के डेल्टा सहित ब्राह्मणी/खरसुआ नदियों का तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन पूरा हो चुका है। धामरा और हल्दिया पत्तनों को जोड़ने वाली पूर्व तटीय नहर के साथ एकीकृत यह जलमार्ग विकास के लिए व्यवहार्य पाया गया है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में महानदी पर कोई भी तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा पर प्रति व्यक्ति खर्च

2642. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री मानसिंह पटेल:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवा पर राज्यवार प्रतिव्यक्ति कितना खर्च आता है;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या सेवा पर आने वाले खर्च में भारी अंतर पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के लिए स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय का राज्यवार विवरण संलग्न है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संबंध में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर होने वाले व्यय के अलग से अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के लिए क्षयरोग, कुष्ठरोग, मलेरिया, दृष्टिहीनता और एड्स सरीखे रोगों के नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तथापि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य सूचकों की असमान प्राप्ति की समस्या से निपटने के लिए प्रारूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में केवल मौजूदा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ही नहीं बल्कि अतिरिक्त जन स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोलने के लिए भी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्रीय परिव्यय में कुल जन स्वास्थ्य निवेश को बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की अभिकल्पना है।

विवरण

प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय (स्वास्थ्य)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय (स्वास्थ्य) (1999-2000)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	128
2.	अरुणाचल प्रदेश	613
3.	असम	94
4.	बिहार	50
5.	गोवा	852
6.	गुजरात	192
7.	हरियाणा	169
8.	हिमाचल प्रदेश	418
9.	जम्मू व कश्मीर	374
10.	कर्नाटक	150
11.	केरल	253
12.	मध्य प्रदेश	110
13.	महाराष्ट्र	163
14.	मणिपुर	352
15.	मेघालय	310
16.	मिजोरम	674
17.	नागालैंड	445
18.	उड़ीसा	109
19.	पंजाब	256
20.	राजस्थान	163
21.	सिक्किम	575
22.	तमिलनाडु	189
23.	त्रिपुरा	186
24.	उत्तर प्रदेश	79
25.	प. बंगाल	175
26.	दिल्ली	317
27.	पांडिचेरी	659
	भारत	162

* स्वास्थ्य पर व्यय में, परिवार कल्याण पर हुआ खर्च, रक्षा सेवाओं और स्थानीय निकायों पर हुआ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यय शामिल नहीं है।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में गैर-सरकारी भागीदारी

2643. श्री सुबोध मोहिते:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री गुनपाटी रामैया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का है ताकि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में गैर-सरकारी भागीदारी को अनुमति प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जुड़े 'संवेदनशील' मुद्दों की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की क्या सिफारिशें हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। इस समय परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की पुनरीक्षा करने और उसमें संशोधन करने के बारे में सुझाव देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भुज में अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय

2644. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गुजरात में तबाही मचाने वाले भूकम्प के बाद अपनी भुज यात्रा के दौरान भुज में विश्व स्तर का एक अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तक इस संदर्भ में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास गुजरात के कच्छ जिला, विशेषकर जिले के दूरवर्ती क्षेत्रों में सचल अस्पताल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कितना वित्तीय आबंटन किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री महोदय ने भुज जिले में जिला अस्पताल के पुनर्निमाण की घोषणा की थी जो कि भूकम्प में पूरी तरह नष्ट हो गया था। यह घोषणा राज्य सरकार के अनुरोध के उत्तर में की गई थी। अस्पताल का निर्माण अब तक समय-सारणी के अनुसार है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डिजिटल वितरण प्रणाली

2645. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल वितरण प्रणाली से जुड़े कितने गांव हैं;

(ख) नगरों, कस्बों और गांवों को जोड़ने हेतु डिजिटल वितरण प्रणाली बिछाने के लिए कौन-कौन सी कंपनियां आगे आयी हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) किसी भी गांव को डिजिटल वितरण प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है। तथापि, जैसा कि निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों ने सूचित किया है, 4 राज्यों के 792 गांवों में डिजिटल प्रौद्योगिकी वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिनांक 25.1.2001 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जिन निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं उनसे यह अपेक्षित है कि वे अपने रोल आउट दायित्वों के एक भाग के रूप में समान अनुपात में शहरी, अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) विशेषकर तहसीलों में "प्वाइंट आफ प्रेजेंस" स्थापित करें।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

2646. **श्रीमती जस कौर मीणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 15120.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 43996.58 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

2647. श्री मोहन रावले: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 'इनसैट मोबाइल सेटेलाइट सिस्टम रिपोर्टिंग सर्विसिज' के संबंध में की गयी सिफारिशों को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी हां।

(ख) इनसेट मोबाइल उपग्रह प्रणाली रिपोर्टिंग सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-

(1) प्रचालकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(2) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड कोई भी भारतीय कंपनी आवेदन के लिए पात्र है।

(3) अधिकतम विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत है।

(4) कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।

(5) लाइसेंस शुल्क-सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) के प्रति वार्षिक सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत।

(6) लाइसेंस की तारीख से 6 माह के भीतर सेवा अवश्य शुरू कर दी जाए।

(7) पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) से साथ इंटरकनेक्शन की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पुनर्गठन

2648. श्री नागमणि: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों से केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के पास कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, पुनर्गठित किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो में पिछले तीन वर्ष से जांच के लिए लम्बित चले आ रहे मामलों की संख्या नीचे दर्शाई जा रही है:

निम्नलिखित तारीख को मौजूद स्थिति के अनुसार	मामलों की संख्या
31.12.1999	1573
31.12.2000	1555
31.12.2001	1456

मामलों का शीघ्रता से निबटाया जाना सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने जांच के लिए लम्बित चल रहे मामलों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी और 2 वर्ष से अधिक समय से जांच के लिए लम्बित चले आ रहे मामलों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी लाने की एक कार्य-योजना तैयार की है। दो वर्ष

से अधिक समय से जांच के अधीन चले आ रहे मामले, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से मानीटर किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

भारतीय मछुआरों पर हमले

2659. श्री पी. कुमारासामी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमलों के कितने मामलों की सूचना मिली है;

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या श्रीलंकाई सरकार ने कचाथेवू समझौते को लागू किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) गत वर्ष भारतीय मछुआरों पर गोलाबारी की आठ वारदातों की सूचना थी। भारत सरकार श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर गोलाबारी की प्रत्येक सूचित वारदात को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाती है और इस प्रकार की वारदातों को टालने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्रीलंका की सरकार ने अधिकांश मामलों में अपनी नौसेना का हाथ होने से इंकार किया है। उसने भारत सरकार को इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि उसके बलों के लिए यह अनुदेश हैं कि श्रीलंका के जल क्षेत्र में पाए जाने वाले भारतीय मछुआरों के साथ अधिकतम संयम बरतें।

(ग) से (ङ) भारत सरकार 1974 और 1976 के करारों के जरिए भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा के सीमांकन का एक तय किए हुए मामले के रूप में सम्मान करती है। इन करारों के प्रावधानों के अनुसार, कच्चाटीवू दीप समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के श्रीलंका की ओर स्थित है। करार में यह उल्लेख है कि भारतीय मछुआरों और तीर्थयात्रियों को यथा अब तक कच्चादीवू पर जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, और इन प्रयोजनों के लिए यात्रा दस्तावेज अथवा वीजा प्राप्त करना श्रीलंका द्वारा अपेक्षित नहीं होगा। इन परम्परागत अधिकारों की पूर्ति 1983 से पाक जलडमरूमध्य में सुरक्षा स्थिति के कारण आस्थगित रही है।

[हिन्दी]

लेखा अधिकारियों के पद समाप्त किया जाना

2650. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में सृजित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के पदों का विभागवार और मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कर्मचारियों के किस बैच तक को पदोन्नति प्रदान की गयी है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इन श्रेणियों के कितने पद श्रेणीवार, मंत्रालयवार और विभागवार रिक्त पड़े हैं;

(घ) क्या वर्ष 1994 के पश्चात् इन श्रेणियों के पदों को समाप्त कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए अनुदान

2651. श्री अम्बरीश: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य की विभिन्न एजेंसियों को प्रदान किए गए ऋण और अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): सरकार, खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास हेतु राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से फण्ड्स रिलीज नहीं करती है। सरकार ऐसे उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग को फण्ड्स प्रदान करती है। ये फण्ड्स आवश्यकता आधार पर रिलीज किए

जाते हैं। के.वी.आई.सी. द्वारा कर्नाटक को विगत दो वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. सेक्टर के विकास हेतु संवितरित किए गए ऋण और अनुसंधान संबंधी विवरण निम्नोक्त हैं:-

(लाख रु. में)

1999-2000		2000-2001	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
43.84	1182.75	43.01	703.25

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा परिषद नियमों का उल्लंघन

2652. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों की सांवधिक पुनरीक्षा करने का आदेश दिया है ताकि वे भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन न कर सकें;

(ख) कितने चिकित्सा महाविद्यालय उक्त मानदंड को पूरा करने में विफल रहे हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेडिकल कालेजों का समय-समय पर निरीक्षण करती रही है कि कालेज स्टाफ, बिस्तर की संख्या, उपस्कर आदि जैसी अपेक्षित बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे निरीक्षण प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किए जाते हैं। सामान्यतया, मेडिकल कालेज मानदण्ड को पूरा करते रहे हैं। जहां कहीं भी कमियां देखी जाती हैं, वहां कालेज के प्राधिकारियों को इन्हें दूर करने को कहा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 का रबड़ीकरण

2653. डा. संजय पासवान:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रबड़ीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-2 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-31 पर क्रमश: 197 कि.मी. और 13 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने के लिए ऊपरी परत में रबड़/पालीमर शोधित बिटुमन के उपयोग के लिए पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान सड़क गुणता सुधार और आवधिक नवीकरण के लिए अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिक यातायात वाले खंडों पर भी इसके उपयोग का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को प्रदान की गई पूंजी

2654. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) देश में लघु उद्योग इकाइयों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा कितनी पूंजी की मांग की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान की गई मांग के मुकाबले अलग-अलग कितनी पूंजी प्रदान की गई; और

(घ) उक्त संस्थान के अतिरिक्त कौन-कौन से अन्य संस्थान लघु उद्योग क्षेत्र की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) आवधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजी के रूप में पुनर्वित प्रदान करता

है तथा राज्य वित्त निगमों और बैंकों को जो कि लघु उद्योग यूनिटों (एस.एस.आई.) की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा यह ल.उ. यूनिटों को प्रत्यक्ष वित्त भी प्रदान करता है।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा ल.उ. यूनिटों की पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए प्रस्तावों की जीवन क्षमता के आधार पर संवितरित की गई राशि निम्नोक्त है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संवितरण
1998-99	6285
1999-2000	6964
2000-2001	6441

(घ) सिडबी के अलावा लघु उद्योग यूनिटों की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) राज्य लघु उद्योग निगम (एस.एस.आई.सी.) राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी.), राज्य उद्योग विकास निगमों (एस.आई.डी.सी.) तथा वाणिज्यिक, बैंकों इत्यादि द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

सैकेंडरी स्विच एरिया

2655. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य के गडवा जिले को डाल्टनगंज दूरसंचार डिविजन से अलग करके सैकेंडरी स्विच एरिया (डी.ई.टी.) का इसका एक स्वतन्त्र कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गडवा, डाल्टनगंज सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) के अंतर्गत एक राजस्व जिला है। एस.एस.ए. प्रशासन, प्रभारण, मार्गनिर्धारण और संख्यांकन योजनाओं के प्रयोजनार्थ मूल प्रचालनात्मक इकाई है, इसलिए इसे प्रशासनिक और प्रचालनात्मक कारणों से दो भागों में नहीं बांटा जाता है। अत: इसे डाल्टनगंज दूरसंचार जिला से अलग करके गडवा में डी.ई.टी. का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करना व्यवहार्य नहीं होगा।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जाना

2656. श्री जी.जे. जावीया: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी ग्रामोद्योग आयोग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा गैर-सरकारी कंपनियों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नयी राजमार्ग परियोजना

2657. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगले वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में गोपालपुर से पोलासरा होते हुए रायपुर तक नयी राजमार्ग परियोजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में सुपर राजमार्ग परियोजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसका गैर-सरकारी वित्त स्रोत से वित्त पोषण कराने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

2658. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): सरकार ने 10वीं योजना अवधि अर्थात् 31.3.2007, तक के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। 10वीं योजना अवधि हेतु निश्चित लक्ष्य, 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग

2659. श्री आर.एस. पाटिल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिदर-श्रीरंगापटनम, जेवारगो संकेश्वर और काललारायचूर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने का कर्नाटक सरकार का अनुरोध गत तीन वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विधिवत् विचार किया गया था किंतु यातायात की आवश्यकता, ऐसे सभी प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ग) इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद और धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परियोजानएं

2660. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से आरंभ की गयी स्वास्थ्य परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को कितना धन आबंटित और संवितरित किया गया और राज्यों ने कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता से कुछ स्वास्थ्य परियोजनाएं आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की अनुषंगी विपणन संस्था

2661. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) अपनी अनुषंगी विपणन संस्था स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान का स्तरोन्नय करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक विपणन कम्पनी की स्थापना के संबंध में एक प्रस्ताव रखा है।

(ग) वर्धा में मौजूदा जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (जे.बी.सी.आर.आई.) के सुदृढ़कीरण को मद्देनजर रखते हुए, भारतीय तकनालाजी संस्थान, दिल्ली के परामर्श से एक परियोजना तैयार की गई है, जोकि कार्यान्वयन के अंतर्गत है। परियोजना हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 8.35 करोड़ रु. का कुल आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्ट

2662. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में चालकों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु और अन्य स्थानों पर हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्टों की स्थापना हेतु विशेष अनुदान देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि नौवीं योजना अवधि में यह स्कीम बंद कर दी गई थी।

दसवीं योजना अवधि के दौरान माडल चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए एक नई स्कीम तैयार की गई है जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है।

मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो हाईवे पेट्रोलिंग चैक पोस्टों की स्थापना के लिए धन प्रदान करती हो।

[अनुवाद]

बॉन में भारतीय कॉन्सुलेट

2663. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बान स्थित भारतीय कान्सुलेट को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। अक्तूबर, 1989 में जर्मन के एकीकरण, जून 1991 में डच बुन्देस्ताग के जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी को बोन से बदलकर बर्लिन बनाने के निर्णय, अगस्त, 1999 में राजधानी को वास्तव में बर्लिन स्थानान्तरित करने के पश्चात् अक्तूबर, 1999 में जर्मन संघीय गणराज्य स्थित भारत के राजदूतावास को बोन से बर्लिन स्थानान्तरित करना आवश्यक था। म्यूनिख बवारिया राज्य की राजधानी है, जो जर्मन का सबसे बड़ा संघीय राज्य है और यह राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। दक्षिणी जर्मन में भारत का कोई कोंसलावास नहीं था और म्यूनिख स्थित नया कोंसलावास जर्मन का एक गतिशील, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त तथा आर्थिक रूप से प्रथम विशिष्ट हिस्सा है।

(ग) जर्मन राज्य की उत्तर राहिन वेस्टफालिया (जहां बोन स्थित है) स्थित कई भारतीय संघों ने भारत के राजदूतावास का कार्यालय अथवा कोंसलावास बोन में अथवा विकल्प के तौर पर उत्तरी राहिन वेस्टफालिया राज्य के किसी अन्य शहर में खोलने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं।

(घ) उत्तरी राहिन वेस्टफानिया (जहां बोन स्थित है) में रहने वाले अनिवासी भारतीय समुदाय की सुविधा को जर्मन संघीय गणराज्य स्थित हमारे मिशन और केन्द्रों अर्थात् बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, हैमबर्ग तथा म्यूनिख के कोंसली कार्यक्षेत्रों के नियोजित पुनर्गठन द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

अस्पतालों में होमियोपैथी अनुसंधान केन्द्र

2664. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में एलोपैथी केन्द्रों की तरह होमियोपैथी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों को किन-किन अस्पतालों में स्थापित किया जायेगा और इनके कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है; और

(ग) इन केन्द्रों के स्थापनार्थ वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1975 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, होम्योपैथी चिकित्सा के अनुसंधान कार्यों में लगी हुई है।

2. इस विभाग के अधीन अन्य निकाय, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में होम्योपैथी चिकित्सा के स्नातकोत्तर विभाग हैं तथा यह होम्योपैथी चिकित्सा में अनुसंधान भी करता है।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी में बाह्य अनुसंधान के लिए एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्यायित अनुसंधान संस्थाओं को अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. देश में जिन होम्योपैथी कालेजों में स्नातकोत्तर विभाग हैं, वे भी अनुसंधान क्रियाकलापों में लगे हुए हैं।

राजस्थान के ग्रामों में टेलीफोन सुविधाएं

2665. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के कितने ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया;

(ख) क्या सरकार ने, विशेषकर जोधपुर जिले में, यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष ग्रामों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) राजस्थान में निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालक मै. श्याम टेलीलिंक लि. का लक्ष्य 4.3.1998 से 3 वर्षों में कुल 31834 गांवों में (पहले वर्ष में 7439, दूसरे वर्ष में 10629 तथा तीसरे वर्ष में 13766) टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का था।

(ख) मै. श्याम टेलीलिंक लि. ने बताया है कि उसने राजस्थान में 209 गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की है, जिसमें जोधपुर जिले के 35 गांव शामिल हैं।

(ग) कंपनी के निष्पादन में विलंब के लिए सरकार ने परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी) प्रभार वसूल कर लिए हैं और यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिबद्ध निष्पादन दायित्वों को किसी भी हाल में कम नहीं किया जाएगा। सरकार ने कंपनी को अधूरे प्रतिबद्ध राल आउट दायित्वों को दिसंबर, 2002 तक पूरा करने के लिए कहा है और इसकी एवज में कंपनी को अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटियां और गारंटी विलेख जमा कराने होंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना

2666. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने तथा उनके विकास के उद्देश्य से कुछ देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ ऐसा समझौता किया गया है और इसके अंतर्गत किन राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है, और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना योजनागत व्यय आने की संभावना है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के टाडा-नैल्लौर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के विजयवाड़ा-नंदीगांव खंड को

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए मलेशिया सरकार के सी आई डी बी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस परियोजना के लिए 167.5 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 760 करोड़ रुपए है।

(घ) इस परियोजना को दिसंबर, 2003 तक पूरा किया जाना है।

डाकघरों का खोला जाना

2667. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि विश्वभर में केवल भारत में ही डाकघरों और डाकसेवा-संजाल का सेवा-विस्तार सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की अत्यधिक आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने की मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, और अधिक डाकघर खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं। भारत का डाकघर नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। डाकघरों का घनत्व भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 500 डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 65 डाकघर महाराष्ट्र में खोलने का लक्ष्य है। हालांकि, इन डाकघरों का खुलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9

2668. श्री राजैया मल्याला: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद से विजयवाड़ा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-9 का विस्तार करके उसे चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 को हैदराबाद से विजयवाड़ा तक लेनों वाला बनाने का कार्य चरणों में किया जा रहा है। हैदराबाद से विजयवाड़ा 13 कि.मी. इब्राहिमपट्टनम से विजयवाड़ा रा.रा. सं. 9 की लगभग 27 कि.मी. की दूरी और हैदराबाद शहर के अंदर 13 कि.मी. पहले ही चार लेन वाला है। नंदीगाम से इब्राहिमपट्टनम का अन्य 35 कि.मी. का चार लेन निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, कोडाड से नंदीगाम का लगभग 40 कि.मी. का चार लेन का कार्य बी ओ टी आधार पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

नौवीं योजना के दौरान धनराशि का आबंटन

2669. श्री शिवाजी माने: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पचंवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा सड़क क्षेत्र हेतु उपार्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान सड़कों के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्तावधि के दौरान सड़क क्षेत्र के लिए उपार्जित की गई राजस्व राशि को इस प्रयोजनार्थ आबंटित नहीं किया गया और उसे अन्यत्र प्रयोग हेतु भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सड़क क्षेत्र में आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए सरकार के पास कौन-कौन से प्रस्ताव हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर के

उपकर से कुल वसूली नवम्बर, 2001 तक 15034 करोड़ रुपए हैं और स्थायी पुलों से पथकर वसूली जनवरी, 2002 तक 348.46 करोड़ रुपए है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के लिए आबंटित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य सड़कों के लिए
17748.82	3789.76	2155.32

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-5

2670. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में खुर्दा रोड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-5 को स्तरोन्नत कर उसे नयागढ़-दसपाला-बौध और सोनेपुर के रास्ते बोलांगीर के पश्चिमी अंचल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-201 जोड़ने के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अंचल में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अन्य और क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) जी हां। राज्यीय राजमार्ग-1 और राज्यीय राजमार्ग-14 जो राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-5 पर खुर्दा को और राष्ट्रीय राजमार्ग-201 पर बोलनगीर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ते हैं, के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इस प्रस्ताव पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में अंतिम रूप देने के बाद यातायात आवश्यकताओं और परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और निधियों की उपलब्धता के आधार पर अन्य राज्य सरकारों से प्रात अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

तमिलनाडु में अस्पाताल का खोला जाना

2671. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली की तरह के आधुनिक सुविधाओं के साथ चेंगालपट्टु और डिन्डीवनम के बीच बड़ा अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आतंकवाद के खिलाफ अमरीकी रणनीति

श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए उस संदेश की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें आतंकवाद से निपटने की अमरीकी रणनीति और इस हेतु भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा दर्शायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 29.1.2002 को अमरीकी कांग्रेस को दिए अपने राष्ट्र संबोधन में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय आंतकवाद से संघर्ष करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार की प्रतिबद्धता सहित अपनी सरकार की अनेक आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने आंतकवाद और महाविनाश के शास्त्रों के बीच संपर्कों के संबंध में चिंता व्यक्त की और महाविनाश के शास्त्रों से अमरीका और उसके मित्रों तथा सहयोगियों के लिए उत्पन्न खतरे के लिए उत्तरदायी आतंकवाद का प्रायोजन करने वाली हुकूमतों पर रोक लगाने के अपने उद्देश्य को दोहराया। सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि संयुक्त राज्य का आशय नामित किसी भी देश को सैन्य निशाना बनाना है।

वल्लारपादम कन्टेनर पार-नौवहन टर्मिनल

2673. श्री सुरेश कुरूप:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोच्ची पत्तन के लिए वल्लारपादम कन्टेनर पार-नौवहन टर्मिनल के निर्माणार्थ किसी कम्पनी का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

संसद पर हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका

2674 श्री रमेश चेन्नितला:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय संसद पर हुए हमले में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका को दर्शाने वाले उन साक्ष्यों, को जिन्हें हमारी जांच एजेंसियों ने एकत्र किया है, सरकार ने विदेशी राष्ट्रों के समक्ष रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर उन राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) सरकार ने अंतराष्ट्रीय समुदाय को 13 दिसम्बर के भारत की संसद पर हमले की अपनी जांच के परिणामों के आधार सूचना मुहैया कराई है। इसमें मारे गए पांच आतंकवादियों की पाकिस्तानी राष्ट्रीयता का साक्ष्य और लश्करे-तैयबा (एल ई टी) और जैस-ए-मोहम्मद (जे यू एम), दो पाकिस्तान आस्थानिक आतंकवादी समूहों जिन्हें पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों के साथ उनके निकट संपर्क के लिए जाना जाता है का हाथ होना शामिल हैं।

सरकार भारत में सीमा-पार आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रायोजन से संबंधित तथ्यों को उपर्युक्त रूप से तथा प्रभावकारी रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जानकारी में लाती रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान सीमा-पार आंतकवाद का प्रायोजन करता है और इसका उपयोग राज्य नीति के एक हथियार के रूप में करता है। यह परिदृश्य पाकिस्तान पर मीडिया कवरेज में भी प्राय: परिलक्षित हुआ है।

13 दिसम्बर के भारत की संसद पर हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इस तथ्य को एक बार पुन: नितांत रूप से उजागर किया है कि आंतकवाद हमारे जैसे उदार, मुक्त और प्रजातांत्रिक समाजों के लिए सबसे गंभीर खतरे की चुनौती है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के आतंकवाद दमन संबंधी इस संकल्प का कि जब तक कि इसे निर्णायक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है, पुरजोर समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह व्यापक सर्वानुमति है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है, इसे जहां कहीं यह विद्यमान है, इसे समाप्त किया ही जाना चाहिए।

सहायक विपणन सहायता

2675. श्री अकबर अली खांदोकर: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सहायक विपणन संस्था को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से एक संस्था की स्थापना पश्चिम बंगाल में किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक मार्किटिंग कंपनी की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

2676. श्रीमती मारग्रेट आल्वा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कर्नाटक के बीदर-श्रीरंगपटनम, जेवारगी-सानकेश्वर और कालाला-रायचूर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव गत दो वर्षों से लंबित है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय लिए जाने में देरी होने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों के साथ विधिवत् विचार किया गया था किन्तु यातायात की आवश्यकता, ऐसे सभी प्रस्तावों की पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

2677. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विश्रामालयों का निर्माण करने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आबंटित की गई धनराशि और इस योजना पर आये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सड़क सुरक्षा के संदर्भ में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) देश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे डिजाइन के प्रयोग की दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विश्राम क्षेत्रों के लिए कोई अलग से आबंटन नहीं किया है। तथापि, जहां-कहीं अपेक्षित है, विश्राम क्षेत्रों के लिए प्रावधान एन एच ए आई द्वारा निष्पादित किए जा रहे ठेकों में सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार का देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चौराहों का उन्नत संशोधित खाका, सुरक्षा बैरियर्स, समुचित साइन बोर्ड, पेवमेंट का चिह्नांकन आदि जैसे सुरक्षा उपाय सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

झारखंड में टेलीफोन सेवाएं

2678. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के बंदगांव, सुवां गायलकेरा, टंटनगर, मंझारी और कुमारीगेड़ी ब्लाकों में टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन ब्लाकों में टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) इस समय टेलीफोन सेवाएं झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र के बंदगांव, सुवां गायलकेरा और कुमारीगेड़ी ब्लाकों में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान सिंहभूम क्षेत्र के टंटनगर और मंझारी ब्लॉकों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनायी गई है।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों में नये एक्सप्रेस राजमार्ग

2679. श्री जे. एस. बराड़: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने वाले नये एक्सप्रेस राजमार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि

2680. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार में विश्वव्यापी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना-संचार क्षेत्र से वर्ष 2000 में दो ट्रिलियन से भी अधिक राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) यदि हां, तो विश्व व दूरसंचार क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्व दूरसंचार क्षेत्र में भारत के राजस्व का हिस्सा 1% के आस-पास है।

विश्व बैंक से धनराशि

2681. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक दूरसंचार विभाग के आधुनिकीकरण और विनियामक क्षमता के विस्तार हेतु 62 मिलियन डालर (260 करोड़ रुपये) का ऋण देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इस ऋण से लागू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं पर कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) निधि का उपयोग भारत में दूरसंचार क्षेत्र में निजी निवेश और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत और विनियामक घटकों को सशक्त बनाने हेतु किया जायेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की सहायता से सरकारी कार्यकलापों, जिनमें रेडियो आवृत्ति प्रबंधन व लाइसेंस प्रणालियों का आधुनिकीकरण और तकनीकी मानकों की निर्धारण प्रक्रिया शामिल हैं, को सशक्त बनाने; दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई) तथा दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (टी.डी.एस.ए.टी) की क्षमता सशक्त बनाकर की जा सकती हैं।

(ग) इस ऋण द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली स्कीमों "दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना" है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) दूरसंचार विभाग के सरकारी कार्य तथा संस्थागत संगठन और क्षमता सृजन हेतु सहायता-परियोजना

(2) रेडियो आवृत्ति स्पैक्ट्रम प्रबंधन और रेडिया विनियामक तथा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सशक्त बनाना और उनका आधुनिकीकरण

(3) दूरसंचार के क्षेत्र में उभर रही प्रौद्योगिकियों के लिहाज से तकनीकी मानकों की निर्धारण-प्रक्रिया को सशक्त बनाना

(4) टी.आर.ए.आई. व टी.डी.एस.ए.टी. की संस्थागत सामर्थ्य और विनियामक क्षमता को सुदृढ़ बनाना

(घ) परियोजना 28.9.2000 को आरंभ हो गई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण

2682. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांडिचेरी सिविल सेवा समूह 'ख' में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित 15%, 7.5% और 27% के स्तर पर नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पांडिचेरी सिविल सेवा समूह 'ख' में कितने 'स्वीकृत पद' हैं;

(घ) 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार डीओपीटी के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 में यथा सुनिश्चित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत है और इनका अलग-अलग प्रतिशत क्या है; और

(ङ) वर्ष, 1999, 2000 और 2001 के दौरान कितने नए रिक्त पद बने और इन रिक्तियों/पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) इस बारे में जानकारी निम्नानुसार है:-

1. पांडिचेरी सिविल सेवा में संस्वीकृत पद-62 पद (31 पद सीधी भर्ती से और 31 पद पदोन्नति से भरे जाने अपेक्षित)

2. सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु उद्दिष्ट पदों की संख्या और उनके धारण किए जाने की स्थिति:

सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु उद्दिष्ट पदों की कुल संख्या	विभिन्न श्रेणियां जिनके लिए आरक्षण किया जाना अपेक्षित है	निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या	02.07.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार पदासीन अधिकारी	हासिल की गई प्रतिशतता का स्तर	18.03.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार पदासीन अधिकारी	हासिल की गई प्रतिशतता का स्तर	यदि कोई कमी रही हो तो उसके कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
31 पद	अनुसूचित जाति	5	5	16.13%	5	16.13%	-
	अनुसूचित जनजाति	2	1	3.23%	2	6.45%	-
	अन्य पिछड़े वर्ग	8	1	3.23%	3	9.68%	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण वर्ष, 1994 से लागू किया गया। निर्धारित प्रतिशतता का स्तर हासिल करने की दृष्टि से, संघ-लोक-सेवा-आयोग को रिक्तियां, पद-आधारित रोस्टर के अनुसार सूचित की जाती हैं।

3. पदोन्नति से भरे जाने हेतु उद्दिष्ट पदों की संख्या और उनके धारण किए जाने की स्थिति:

पदोन्नति से भरे जाने हेतु उद्दिष्ट पदों की कुल संख्या	विभिन्न श्रेणियां जिनके लिए आरक्षण किया जाना अपेक्षित है	निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या	02.07.1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार पदासीन अधिकारी	हासिल की गई प्रतिशतता का स्तर	18.03.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार पदासीन अधिकारी	हासिल की गई प्रतिशतता का स्तर	यदि कोई कमी रही हो तो उसके कारण
31 पद	अनुसूचित जाति	5	6	19.35%	5	16.13%	-
	अनुसूचित जनजाति	2	1	3.23%	1	3.23%	संभरक (फीडर) ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं मिल पाने के कारण

(ङ) वर्ष 1999,2000 और 2001 के दौरान हुई रिक्तियों का ब्यौरा और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जानजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरी गई ऐसी रिक्तियों/भरे गए ऐसे पदों का ब्यौरा नीचे दर्शाया जा रहा है:-

क. सीधी भर्ती

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	रोस्टर पॉइन्ट के अनुसार आरक्षण की श्रेणी	कैसे भरी गई
1999	1	सामान्य-1	1 (सामान्य)
2000	2	सामान्य-1	सामान्य-1
		अन्य पिछड़ा वर्ग-1	अन्य पिछड़ा वर्ग-1
2001	2	सामान्य-1 अन्य पिछड़ा वर्ग-1	सं.लो.से. आयोग को सूचित की गई रिक्तियां सं.लो.से. आयोग द्वारा संस्तुत उम्मीदवारों का आबंटन अभी किया जाना है।

ख. पदोन्नति

वर्ष	रिक्तियों की संख्या	रोस्टर पॉइन्ट के अनुसार आरक्षण की श्रेणी	कैसे भरी गई
1999	-	-	-
2000	2	सामान्य-2	रिक्तियां भरने की कार्रवाई प्रगति पर है
2001	3	सामान्य-2 अनुसूचित जाति-1	रिक्तियां भरने की कार्रवाई प्रगति पर है

[हिन्दी]

राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु धनराशि

2683. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए राजस्थान सरकार को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ऐसे केन्द्र खोलने हेतु राजस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के स्वास्थ्य क्षेत्रों परिव्यय और बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन रखी गई निधियों से किया जाता है। राजस्थान को स्वास्थ्य क्षेत्र परिव्यय और बुनियादी न्यूनतम सेवा के अधीन पिछले तीन वर्ष के दौरान दी गई निधियां इस प्रकार हैं:

(रुपये लाख में)

वर्ष	स्वास्थ्य क्षेत्र परिव्यय	बु.न्यू.से./प्र.मं.ग्रा.यो.
1999-2000	17262.00	9656
2000-2001	9914.94	1446
2001.2002	12366.30	1446

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

2684. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बी.के. पार्थसारथी:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन हेतु किसी संगठन या राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(घ) उस पर क्या कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विभिन्न उपबंधों में संशोधन चाहने वाले विभिन्न संगठनों, कतिपय राज्य सरकारों और कुछ समितियों से अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सुझाए गए संशोधनों में शामिल हैं:-

(1) अधिनियम के नाम में परिवर्तन;

(2) इस अधिनियम के अधीन दी गई कतिपय परिभाषाओं में संशोधन।

(3) विक्रेता को नमूने का प्रतिरूप (काउंटरपार्ट) देने के लिए उपबंध बनाना।

(4) अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए दण्ड के उपबंधों को संगत बनाना

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में अपेक्षित संशोधन किए जाने पर विचार करने हेतु इस अधिनियम की समीक्षा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की यूनानी शाखा में अनियमितताएं

2685. **श्री अमर रायप्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) की यूनानी शाखा में व्याप्त अनियमितताओं की विस्तार से जांच हेतु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस. औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट दे दी हैं जिसकी जांच की जा रही है।

(ग) जांच कि रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि:

(एक) शिकायत में बाताए गए किसी भी अधिकारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टतया मामला स्थापित करना जांच अधिकारी के कार्यक्षेत्र से परे है।

(दो) मामले के तकनीकी पहलू की कूछ यूनानी विशेषज्ञों अथवा कुछ अन्य उपयुक्त विधियों द्वारा तकनीकी दृष्टि से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(तीन) शिकायतकर्ता को ढूंढा नहीं जा सका और उनकी पहचान नहीं की जा सकी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या शिकायत कर्ता एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी था अथवा नहीं।

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर खोले जाने के लिए धन दिया जाना

2686. **श्री राजो सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में नये डाकघर भवनों के निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में नए डाकघरों के निर्माण और सभी विभागीय भवनों (डाकघर, प्रशासनिक कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर्स) के रखरखाव के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	डाकघर भवनों के निर्माण के लिए आवंटित राशि	भवनों के रखरखाव के लिए आवंटित राशि
1998-99	29.65 लाख	120.00 लाख
1999-2000	34.99 लाख	158.10 लाख
2000-2001	59.87 लाख	370.00 लाख

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	खोले गए डाकघरों की संख्या
1998-1999	74
1999-2000	51
2000-2001	71

(ग) निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 60 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

पुरूलिया क्षेत्र में ब्लाकों को टेलीफोन सुविधा

2687. श्री बीर सिंह महतो: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र के अनेक ब्लाकों में अभी तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन ब्लाकों को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया क्षेत्र के सभी 20 ब्लॉकों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

बी.ओ.टी. के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग

2688. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.ओ.टी. विश्व बैंक के वित्त पोषण के अंतर्गत कोई राष्ट्रीय राजमार्ग योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना से राजस्थान को धनराशि आबंटित की गयी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण I पर हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण II पर है।

(ग) नवम्बर, 2000 से प्रभावी नवीकृत केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राजस्थान के लिए वर्ष 2000-2001 में 38.03 करोड़ रु. की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

विवरण-I

बी ओ टी पथकर आधारित परियोजना

क्रम सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	किशनगढ़ में आर ओ बी	8	1	18
2.	दुर्ग बाइपास	6	18	70

1	2	3	4	5
3.	टाडा-नेल्लोर	5	111	760
4.	विजयवाड़ा-नंदीगाम	9	35	
5.	विवेकानंद पुल	2	6	600
6.	जयपुर-किशनगढ़	8	90.38	644
7.	सतारा-कागल	4	133	530
8.	दिल्ली-गुड़गांव	8	27.7	555
	कुल		454	3302

बी ओ टी वार्षिकी आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1.	राजामुंदरी-धरमावरम	5	53	206
2.	धरमावरम-तुनी	5	47	232
3.	तुनी-अंकापल्ली	5	59	283
4.	ताम्बरम -टिंडीवनम	45	93	375
5.	पानागढ़-पलसित	2	65	350
6.	पलसित-दनकुनी	2	65	432
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	4	77	332
	कुल		459	2210

विवरण-II

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजनाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग जिसके लिए ऋण की स्वीकृति दी गई है	कुल लंबाई (कि.मी.)	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	रा.रा.-2 (उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में मार्गखंड)	478	516
2.	गांड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना	रा.रा.-2 (उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में मार्गखंड)	421	589

राजस्थान में सेल्यूलर सेवा

2689. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान सर्किल के कोटा एस.एस.ए. में कोई मोबाइल फोन सेवा शुरू किये जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान में पहले और दूसरे चरणों के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली शहरी मोबाइल लाइनों की स्थान-वार संख्या क्या है और उपरोक्त सेवाओं के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य के किन शहरों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी, हां।

(ख) बातचीत में समय लगने के कारण क्रय आदेश 5 फरवरी, 2002 को ही जारी किया जा सका।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां कहीं स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है और स्थलों का स्थान-निर्धारण कर लिया गया है, अधिग्रहण/अवसंरचना निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य के 2002-2003 तक ही पूरा होने की संभावना है।

(च) आशा है कि चरण-1 के अंतर्गत मोबाइल टेलीफोन सेवाएं अगले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होगीं।

विवरण

राजस्थान दूरसंचार सर्किल

आई एम पी सी- मुख्य परियोजना

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	आबंटित आई.एम.पी.सी.एस. लाइनों की संख्या		कुल लाइनें
		चरण-I	चरण-II	
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	2000	3000	5000
2.	अलवर	2000	3000	5000
3.	बांसवारा	1000	1600	2600
4.	बरान	0	1000	1000
5.	बाड़मेर	500	800	1300
6.	बीवार	500	800	1300
7.	भरतपुर	1000	1600	2600
8.	भीलवाड़ा	1500	2500	4000
9.	भिवाड़ी	1000	1600	2600
10.	बीकानेर	3500	5600	9100
11.	बंदी	0	1000	1000
12.	चित्तौड़गढ़	500	800	1300
13.	चुरू	1000	1600	2600
14.	दौसा	0	1000	1000
15.	धौलपुर	500	800	1300
16.	डुगंरपुर	0	1000	1000
17.	हनुमानगढ़	500	800	1300
18.	जयपुर	11000	18000	29000
19.	जैसलमेर	500	800	1300
20.	जालौर	0	1000	1000

1	2	3	4	5
21.	झालावाड़	0	1000	1000
22.	झुंझनु	1000	1600	2600
23.	जोधपुर	3000	4750	7750
24.	कंकरोली	1000	1600	2600
25.	राजसमंद	0	1000	1000
26.	करौली	0	1000	1000
27.	कोटा	4000	6400	10400
28.	मदनगंज	500	800	1300
29.	मकराना	500	800	1300
30.	माउंट आबू	500	800	1300
31.	नागौर	500	800	1300
32.	नाथ वाड़ा	500	800	1300
33.	पाली	2000	3000	5000
34.	रामगंज मंडी	500	800	1300
35.	सीकर	1000	1600	2600
36.	सिरोही	500	800	1300
37.	श्रीगंगानगर	2000	3000	5000
38.	एस डब्ल्यू एम	1000	1600	2600
39.	टोंक	500	800	1300
40.	उदयपुर	4000	6400	10400
	जोड़	50000	87650	137650

[अनुवाद]

डाकघर में ई-मेल सेवा

2690. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग 'ई-कामर्स', विदेशी मुद्रा विनिमय सेवा और इंटरनेट संबंधी गतिविधियों में प्रवेश करने हेतु कोई प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनसे होने वाले लाभों के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) विभाग की ई-कामर्स के क्षेत्र

में प्रविष्ट होने की कोई तत्काल योजना नहीं है। तथापि, देश के चुनिंदा डाकघरों में विदेशी मुद्रा को खरीदने व बेचने से संबंधित एक प्रस्ताव है। विभाग ने देश के 200 डाकघरों में इंटरनेट संबंधी ई-पोस्ट सेवा भी शुरू की है। ये डाकघर पांच राज्यों अर्थात् गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र एवं गुजरात में स्थित हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कनार्टक और आन्ध्र प्रदेश को धनराशि

2691. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अम्बरीश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के लिए संबंधित एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करता है और भारत सरकार इन अनुमोदित कार्य योजनाओं के लिए समय-समय पर निधियां विमुक्त करती है।

विदेशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत

2692. श्री के. येरननायडू: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक विरासत की कई चीजें विदेशों में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें वापस लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों के संग्रहालयों में भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबद्ध कुछ सामग्री है।

(ग) सरकार इस मामले का संतोषजनक हल ढूंढने के तौर-तरीकों का पता लगा रही है।

समुद्री जल सीमा और कांटीनेंटल शेल्फ की पुनर्परिभाषित सीमा

2693. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री जल सीमा और कांटीनेंटल शेल्फ की सीमाओं को पुनर्परिभाषित करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कच्चाथेवू द्वीप के अलग हो जाने के कारण देश को समुद्री जल सीमा या कोंटीनेंटल शेल्फ के कुछ हिस्से का नुकसान होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले से किस तरह निपटेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन

2694. श्री नरेश पुगलिया:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने का है ताकि केन्द्र और राज्य-सरकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किए गए न्यायाधिकरणों को समाप्त करने की शक्तियों मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कुछ न्यायिक उद्घोषणाओं-निर्णयों और कुछ राज्यों द्वारा की गई मांगों के मद्देनजर, सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में उपयुक्त संशोधन किए जाने के बारे में विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की किसी भी न्यायपीठ और किसी भी राज्य-प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त कर दिए जाने की दृष्टि से समर्थकारी प्रावधान किया जाना, ऐसी स्थिति में लम्बित चल रहे मामले के अन्तरण/निबटारे के प्रस्ताव तथा अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का एक प्रावधान किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण/सहयोग

2695. श्री रामशकल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु ऊर्जा संबंधी ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिनके संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कई देशों के साथ प्रौद्योगिकी स्थानांतरण या सहयोग किया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सहकार अथवा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण के सोलह (16) मामले हैं।

[अनुवाद]

जे.एन.पी.टी. का आधार पत्तन के रूप में विकास

2696. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जे.एन.पी.टी. को देश के पश्चिमी तट पर आधार पत्तन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है और इसके विकास पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) किसी विदेशी पत्तन पर यानान्तरण किए बिना निर्यात कंटेनरों को सीधे उनके गन्तव्य स्थानों के लिए रवाना करने अथवा भारत भेजे जाने वाले आयात कंटेनरों को सीधे प्राप्त करने की सुविधा के लिए आधार पत्तन में बड़े आकार के जलयान आ सकते हैं। जवाहर लाल नेहरू पत्तन आधार पत्तन की कई आवश्यकताएं पूरी करता है जैसे कि यातायात का संकेन्द्रण, अन्तर्राष्ट्रीय रूटों एवं बाजारों से निकटता, लम्बे तटीय नगरबाग, बेहतर सड़क/रेल सम्पर्क, बड़ा पश्च क्षेत्र और सहायक भीतरी क्षेत्र। सीमा शुल्क की कुछ प्रक्रियाएं जिन्हें यानान्तरण में रूकावट समझा गया, को भी हाल में सरल कर दिया गया है। इस संबंध में पत्तन द्वारा तैयार की गई कुछ बड़ी स्कीमों में 700 करोड़ रु. से अधिक लागत से कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं में वृद्धि करना और चैनल को गहरा और चौड़ा करना शामिल है।

पत्तन का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें आधार पत्तन के रूप में इसका रख-रखाव शामिल है।

[हिन्दी]

विभिन्न विकास योजनाओं के अधीन राज्यों के लिए निधियां

2697. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं के अधीन सभी राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि संसद सदस्यों की सिफारिशों पर खर्च की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि पर केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारत सरकार के वर्ष 2001-02 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार, राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के

रूप में विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों को आबंटित निधियों की कुल राशि 37593.38 करोड़ रुपए थी।

(ख) केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दी गई कुल निधियों में से जैसाकि उपर्युक्त भाग (क) में दर्शाया गया है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों को सांसद की सिफारिशों पर व्यय किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचित किया है कि जिला शीर्षों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28.2.2002 तक योजना के आरंभ से अब तक 6445 करोड़ रुपये की कुल राशि का उपयोग हो चुका है। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उपयोगिता संचयी आंकड़ा 4649 करोड़ रुपये था। इस प्रकार वर्ष 2001-02 में 28.2.2002 तक 1796 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) और (घ) एमपीएलएडीएस की मानीटरिंग के लिए स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कीम के अंतर्गत अन्य दिशा-निर्देशों हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा परीक्षा कार्यविधि प्रदान करती है, जिला शीर्षों द्वारा प्रति वर्ष कम-से-कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण एवं दौरा तथा मुख्य सचिव स्तर पर अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ प्रधान सचिव/उप मुख्य सचिव स्तर पर स्कीम के अंतर्गत कार्यों की प्रगति का आकलन करने हेतु वर्ष में कम-से-कम एक बैठक करना है।

राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

2698. श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यवार कितने किलोमीटर राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): ब्योरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित राज्यीय राजमार्गों की लंबाई कि.मी. में

क्र.सं.	राज्य	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	128	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	40	–
3.	असम	130	–
4.	बिहार	853	–
5.	चंडीगढ़	–	–
6.	छत्तीसगढ	278	–
7.	दिल्ली	–	–
8.	गोवा	–	–
9.	गुजरात	220	–
10.	हरियाणा	–	–
11.	हिमाचल प्रदेश	–	–
12.	जम्मू और कश्मीर	85	–
13.	झारखंड	523	–
14.	कर्नाटक	176	–
15.	केरल	210	–
16.	मध्य प्रदेश	986	–
17.	महाराष्ट्र	–	–
18.	मणिपुर	–	–
19.	मेघालय	–	–
20.	मिजोरम	70	–
21.	नागालैंड	–	–
22.	उड़ीसा	438	–
23.	पांडिचेरी	–	–
24.	पंजाब	225	–

1	2	3	4
25.	राजस्थान	100	116
26.	सिक्किम	–	–
27.	तमिलनाडु	77	–
28.	त्रिपुरा	–	–
29.	उत्तर प्रदेश	1028	41
30.	उत्तरांचल	160	218
31.	पाश्चिम बंगाल	–	–
	जोड़	5727	375

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माल ढ़ोने वाली नौकाएं

2699. श्री विष्णु पद राय: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के पास माल ढ़ोने वाली नौकाओं/जहाजों की संख्या कितनी है जो निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत हैं;

(ख) मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े माल ढ़ोने वाली नौकाओं/जहाजों की संख्या कितनी है और वे कौन-कौन से हैं तथा वे कब से बेकार पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) उनकी मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि के व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) इन नौकाओं/जहाजों के कब तक मरम्मत और संचालन में लाए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पास पांच कार्गो नौकाएं/जलयान हैं जिनमें से इस समय दो प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) मरम्मत आदि की कमी के कारण खड़ी कार्गो नौकाओं/जलयानों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

क्र.सं.	जलयान का नाम	तारीख जिससे मरम्मत के लिए खड़ा है	टिप्पणियां
1.	एम.वी.बादाम	1.1.2002	मरम्मत कार्य प्रगति पर है
2.	एम.बी. मोहवा	20.10.2001	जलगत मरम्मत और सांविधिक सर्वेक्षणों के लिए निर्जल गोदी की प्रतीक्षा है।
3.	एम.वी.वन विकास	29.8.2001	जलगत मरम्मत और सांविधिक सर्वेक्षणों के लिए निर्जल गोदी की प्रतीक्षा है।

(ग) मरम्मत करने में विलम्ब निर्जल गोदी, मुख्य भूमि से खरीदे जाने वाले हिस्से पुर्जों और मानक अनुमोदित प्लेटों के उपलब्ध न होने के साथ-साथ सांविधिक सर्वेक्षणों के कारण भी विलम्ब हुआ है।

(घ) इन नौकाओं/जलयानों की मरम्मत पर 27.00 लाख रु. (लगभग) का खर्च होने की संभावना है।

(ङ) इन नौकाओं/जलयानों की मरम्मत होने और प्रचालित कर दिए जाने की संभावित समय निम्न प्रकार है:

1.	एम वी बादाम	1.4.2002 तक
2.	एम वी मोहवा	मोदी में जाने के 125 दिन पश्चात्
3.	एम वी वन विकास	गोदी में जाने के 30 दिन पश्चात्

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2700. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुकंपा के आधार पर एक मृतक कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति हेतु क्या मौजूदा मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों की कटौती के कारण अनुकंपा के आधार पर कोटे को कम/घटाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों हेतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति-कोटे को बढ़ाने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना, 1998 के अनुसार, सेवारत रहते हुए दिवंगत हो गए अथवा डॉक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्त कर दिए गए और अपने परिवार को गुजर-बसर के किसी जरिए के बिना आर्थिक तंगहाली में छोड़ गए किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव-विपन्ना के संकट से उबारने की दृष्टि से, संबधित सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी आश्रित सदस्य की, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर दी जाती है। उपर्युक्त योजना, (क) सेवा के दौरान दिवंगत हो गए; अथवा (ख) सैनिक कार्रवाई में मारे गए; अथवा (ग) डॉक्टरी-बोर्ड द्वारा सेवा में बने रहने के अयोग्य ठहरा दिए गए तथा सिविल रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य के परिवार के किसी आश्रित सदस्य के संबंध में भी लागू है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंकरीट सड़क

2701. **श्री राम प्रसाद सिंह:**
श्री रूपचंद पाल:
श्री बासुदेव आचार्य

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को डामर सड़कों की बजाय कंकरीट सड़कों में किया जाए तो ईंधन बिलों में 15% की बचत होगी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का कंकरीट से निर्माण करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) बिटुमनयुक्त पेवमेंट की तुलना में कंकरीट पेवमेंट पर ईंधन में बचत के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए बिटुमनयुक्त पेवमेंट और कंकरीट पेवमेंट दोनों पर विचार किया जा रहा है। पेवमेंट के प्रकार का विकल्प मृदा जलवायुगत स्थितियों यातायात और आपेक्षिक लागत सहित विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है।

त्रिपक्षीय समझौता

2702. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री अनंत नायक:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्री ब्रह्मानंद मंडल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय समझौता करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ त्रिपक्षीय समझौता के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इस मामले मे क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि

2703. श्री मंजय लाल: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अतंर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या बिहार को आबंटित धनराशि में दिन-प्रति-दिन कमी की जा रही है;

(ग) बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता करने और उनके उद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) केन्द्र सरकार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम. आर.वाई.) के अंतर्गत सब्सिडी हेतु तथा ही साथ प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास आदि के लिए निधियां जारी करती है। हालांकि सब्सिडी हेतु निधियां कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से वैयक्तिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत हैं। प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास आदि हेतु निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं। बिहार को 1998-99 के दौरान 17.26 लाख रु. की राशि, 1999-2000 के दौरान 13.74 लाख रु. तथा 2000-2001 के दौरान 44.52 लाख रु. की राशि जारी की गई थी। तथापि, राज्य को पहले से ही जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण 2001-02 के दौरान अब तक बिहार राज्य को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग) राज्य सरकार की रिपोर्टों के अनुसार, 14.03.2002 की स्थिति के अनुसार, बैंकों में संस्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों के राज्यवार विवरण अनुबंध-I पर हैं।

(घ) पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत, कमजोर वर्गों से संबंधित अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। केन्द्र सरकार, इनकी सहायता के लिए सब्सिडी, अभिप्रेरणात्मक कैंप आयोजित करना, लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण, आकस्मिकता आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विवरण

14.03.2002 की स्थिति के अनुसार, बिहार में, बैंकों में संस्वीकृति हेतु लंबित आवेदनों की जिलावार संख्या (राज्य सरकार की रिपोर्ट पर आधारित)

क्रम सं.	जिले का नाम	बैंकों में संस्वीकृति हेतु लंबित आवेदन
1	2	3
1.	अररिया	154
2.	औरंगाबाद	131
3.	बांका	179
4.	बेगुसराय	252
5.	भागलपुर	420
6.	भोजपुर	11
7.	बक्सर	39
8.	दरभंगा	307
9.	पूर्वी चंपारन	284
10.	गया	437
11.	गोपालगंज	252
12.	जमूई	116
13.	जहानाबाद	119
14.	कैमूर (भा.)	140
15.	कटिहार	221
16.	खगारिया	106
17.	किशनगंज	112
18.	लेखीसराय	73
19.	मधेपुरा	131
20.	मधुबनी	287
21.	मुंगर	174
22.	मुज्जफ्फरपुर	473
23.	नालंदा	274

1	2	3
24.	नबादा	383
25.	पटना	943
26.	पूर्णिया	204
27.	रोहतास	211
28.	सहरसा	208
29.	समस्तीपुर	196
30.	सरन	527
31.	शेखपुर	18
32.	शेधर	21
33.	सीतामढ़ी	260
34.	सिवान	316
35.	सुपॉल	155
36.	वैशाली	290
37.	पश्चिमी चंपारन	245

आतंकवादियों की दुबारा गिरोहबंदी

2704. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 21 फरवरी, 2002 के 'दी टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की दुबारा गिरोहबंदी शुरू हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) इस आशय के रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं कि पाकिस्तान के कुछ भागों से आतंकवादी पुन: संगठित होकर पाक अधिकृत कश्मीर में अड्डे बना रहे हैं।

(ख) और (ग) आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को अपना समर्थन देने की बात कहने के बावजूद उत्तरोत्तर यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत में सीमा पार आतंकवाद के प्रायोजन को जारी रखने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों के विरुद्ध दिखावे के लिए आधे-अधूरे उपाय तथा काल्पनिक मुठभेड़ किये है जिसे वह तथाकथित रूप से अपने क्षेत्रों में सक्रिय आतंकवादी गुटों के विरुद्ध कार्रवाई मानता है। तथापि 5 फरवरी, 2002 को दिये एक सार्वजनिक सम्बोधन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने सीमा पार आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के वास्तविक दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत दिया। अपने संबोधन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के संबंध में अपने पुराने और अतर्कसंगत दृष्टिकोष को दोहराया तथा जम्मू और कश्मीर में जारी आंतकवादी हिंसा को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया।

सरकार इसे स्पष्ट तौर पर अस्वीकार करती हैं और सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पक्के तौर पर वचनबद्ध है जब तक कि इसका सफाया न हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात के प्रति व्यापक सहमति है कि आंतकवाद का कोई औचित्य नहीं और और यह जहां भी है इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए।

जनसख्या नियंत्रण

2705. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पुरूषों और महिलाओं की जनसंख्या नियंत्रण में संतुलन स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जन्म दर नियंत्रण के लक्ष्य को अब तक प्राप्त कर लिया गया है जबकि अन्य एशियाई देशों में यह लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो जनगणना 2001 के अनुसार अन्य एशियाई देशों की तुलना में देश में प्रति 1000 पुरूष और महिला की राज्यवार जन्म दर क्या है;

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तावित आवंटन कितना है; और

(च) सरकार द्वारा देश में जन्म दर को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश में लगातार लैंगिक अनुपात के निम्न स्तरों के बारे में स्पष्ट करने के लिए अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ कारण ये हैं:-

* पुत्र को तरजीह देना;
* बालिका शिशु की उपेक्षा करना जिससे छोटी आयु में उनकी उच्चतर मृत्युदर हो जाती है;
* उच्च मातृ मृत्यु दर;
* कन्या शिशु हत्या;
* जनसंख्या गणना में पुरूष अभिनति;
* लिंग का चयन करके बालिका शिशु का गर्भपात (भ्रूण हत्या)।

इस प्रकार पुरूष-महिला जनसंख्या में असंतुलन सामाजिक समस्या के कारण अधिक है। देश में लैंगिक अनुपात को प्रभावित करने वाले पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में बालिका शिशु के लाभ के लिए तथा मातृ मृत्यु दर में कमी करने के लिए कुछ संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपायों की बात सोची गई है।

(1) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(2) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बी.सी.जी. टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(3) परिवार कल्याण से संबंध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपए तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले पति/पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(4) गरीबी की रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो विवाह की कानूनी आयु के बाद विवाह करते है, जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानंदड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजना का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

(5) लड़कियों के लिए स्वरोजगार वाली और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(6) बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1976 को कठोरता से लागू करना।

(7) कन्या भ्रूण हत्या बुराई को रोकने वाले प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 को कठोरता से लागू करना।

(ग) जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए 2.1 की कुल प्रजनन दर एक पूर्वापेक्षा है और वर्ष 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में उल्लिखित लक्ष्यों में से एक है। वर्तमान में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.97 है। अन्य एशियायी देशों की कुल प्रजनन दर विवरण II में दी गई हैं।

(घ) देश में प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यवार विवरण-I में दी गई है। अन्य एशियायी देशों में प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में स्त्रियों का विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) 2001-2002 के दौरान राज्य को विमुक्त किये गए सहायता अनुदानों और वर्ष 2002-2003 हेतु प्रस्तावित आबंटन का ब्यौरा देने वाला विवरण-III संलग्न है।

(च) वर्ष 1997 से जन्म दर को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:

* अक्टूबर, 1997 में प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य हेतु एक एकीकृत तथा सामग्रतावादी कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन के विषय सम्मिलित है।

* फरवरी, 2000 में सरकार ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अंगीकार की है जो देश में जनसंख्या स्थिरीकरण लाने हेतु एक अन्त:क्षेत्रीय कार्यसूची (एजेन्डा) उपलब्ध करती है। इस नीति में प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाते हुए नागरिकों को स्वैच्छिक और सोचे समझे विकल्प और सहमति, और परिवार नियोजन सेवाएं देने में लक्ष्य-मुक्त अप्रोच बनाए रखने में सरकार की प्रतिबद्धता को अभिपुष्ट करती है।

* विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को मजबूत बनाने हेतु, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में तात्कालिक आधार पर दी जाने वाली प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य कार्मिक, गर्भ निरोधन और एकीकृत सेवा प्रदान करने की पूरी न हुई आवश्यकता पर ध्यान देने के उद्देश्य को बताया गया है। कार्मिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए संविदा और मानदेय के आधार पर निजी डाक्टरों तथा परा चिकित्सा स्टाफ की सेवाओं का लाभ उठाने का प्रयास किया गया है।

* आठ राज्यों-उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक संघों, सामुदायिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं को इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल करते हुए सेवाओं की कवरेज एवं आऊटरीच में सुधार लाने के संबंध में संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार संपन्न कार्य समूह गठित किया गया है।

विवरण-I

प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1991	2001
1	2	3	4
1.	पंजाब	882	874
2.	हरियाणा	865	861
3.	चंडीगढ़	790	773
4.	हिमाचल प्रदेश	976	970
5.	जम्मू व कश्मीर	एन.ए.	900
6.	दिल्ली	827	821
7.	राजस्थान	910	922
8.	उत्तर प्रदेश	876	898
9.	बिहार	907	921
10.	उड़ीसा	971	972
11.	मध्य प्रदेश	912	920
12.	उत्तरांचल	936	964
13.	झारखण्ड	922	966
14.	छत्तीसगढ़	985	990
15.	सिक्किम	878	875
16.	अरूणाचल प्रदेश	859	901
17.	नागालैण्ड	886	909
18.	मणिपुर	958	978
19.	मिजोरम	921	938
20.	त्रिपुरा	945	950
21.	मेघालय	955	975
22.	असम	923	932
23.	पश्चिम बंगाल	917	934
24.	गुजरात	934	921
25.	दमन व दीव	969	709
26.	दादर नगर हवेली	952	881
27.	महाराष्ट्र	934	922
28.	आंध्र प्रदेश	972	978
29.	कर्नाटक	960	964
30.	गोवा	967	960
31.	लक्षद्वीप	943	947
32.	केरल	1036	10.58

1	2	3	4
33.	तमिलनाडु	974	986
34.	पांडिचेरी	979	1001
35.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	818	846

विवरण-II

प्रमुख एशियन देशों के जनांकिकीय संकेतक

देश का नाम	कुल जनसंख्या (मिलियन) 2001	प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की जन्म दर	कुल प्रजनन दर (2000-2001)
चीन	1,285.0	944	1.80
इंडोनेशिया	218.8	1004	2.27
बंगलादेश	140.4	953	3.56
भारत	1,025.5	933	2.97
पाकिस्तान	145.0	938	5.08
श्रीलंका	19.1	एन.ए.	2.09

विवरण-III

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निदेशन और प्रशासन	प्रशिक्षण			ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
			एन एन एन/एल एच वी का प्रशिक्षण	स्था.और प.क. प्रशिक्षण केन्द्र	बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (पुरूष) का प्रशिक्षण	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	उपकेन्द्र	वी एच जी स्कीम	सब-डिवीजन पर प्रसवोत्तर कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	643.00	318.00	90.00	160.00	3135.00	3450.00	52.00	430.00
2.	बिहार	699.00	285.00	67.50	–	2981.00	3725.00	10.65	222.89
3.	छत्तीसगढ़	249.00	80.00	24.00	64.00	1381.00	1280.00	16.00	104.87
4.	गोवा	31.00	16.00	–	16.00	95.00	55.00	–	–
5.	गुजरात	602.00	255.00	45.00	–	1875.00	3350.00	4.50	425.00
6.	हरियाणा	327.00	158.00	22.50	32.00	693.00	1110.00	0.41	153.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	200.00	143.00	22.50	48.00	574.00	815.00	5.42	173.00
8.	झारखंड	330.00	127.00	23.50	–	1404.00	3155.00	5.00	131.11
9.	कर्नाटक	740.00	285.00	45.00	–	2008.00	3650.00	25.85	495.00
10.	केरल	374.00	350.00	45.00	32.00	1216.00	3000.00	–	465.00
11.	मध्य प्रदेश	695.00	524.00	67.50	160.00	2054.00	2550.00	30.18	500.13
12.	महाराष्ट्र	665.00	508.00	90.00	112.00	3196.00	4800.00	56.10	536.00
13.	उड़ीसा	226.00	270.00	45.00	48.00	2344.0	2935.00	34.61	484.00
14.	पंजाब	212.00	95.00	22.50	48.00	962.00	785.00	14.41	280.00
15.	राजस्थान	755.00	476.00	45.00	32.00	1733.00	4520.00	13.98	808.00
16.	तमिलनाडु	601.00	238.00	67.50	48.00	2860.00	4280.00	–	678.00
17.	उत्तर प्रदेश	1100.00	730.00	157.50	–	6185.00	5852.00	115.66	1085.67
18.	उत्तरांचल	18.00	80.00	–	–	590.00	1463.00	20.00	105.33
19.	पश्चिम बंगाल	438.00	270.00	67.50	80.00	2502.00	4485.00	63.45	428.00
	कुल (अन्य राज्य)	8905.00	5208.00	947.50	880.00	37788.00	55260.00	468.22	7505.00
20.	जम्मू व कश्मीर	275.00	127.00	22.50	–	612.00	870.00	–	45.00
	कुल (जम्मू व कश्मीर)	275.00	127.00	22.50	–	612.00	870.00	–	45.00
	कुल (राज्य एन ई आर)	9180.00	5335.00	970.00	880.00	38400.00	56130.00	468.22	7550.00
1.	अरुणाचल प्रदेश	81.00	17.00	–	–	–	185.00	–	22.00
2.	असम	343.00	373.00	31.00	–	2315.00	4700.00	19.00	564.00
3.	मणिपुर	260.00	32.00	31.00	22.00	492.00	390.00	2.54	22.00
4.	मेघालय	75.00	32.00	31.00	–	365.00	300.00	1.95	22.00
5.	मिजोरम	83.00	17.00	–	22.00	223.00	185.00	0.80	90.00
6.	नागालैंड	133.00	32.00	–	–	112.00	285.00	0.82	22.00
7.	त्रिपुरा	72.00	65.00	–	–	555.00	510.00	2.76	64.00
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	1047.00	568.00	93.00	44.00	4062.00	6555.00	27.87	806.00
8.	सिक्किम	73.00	32.00	–	–	238.00	195.00	0.35	44.00
	कुल (सिक्किम)	73.00	32.00	–	–	238.00	195.00	0.35	44.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल (पूर्वोत्तर + सिक्किम)	1120.00	600.00	93.00	44.00	4300.00	6750.00	28.22	850.00
	कुल सभी राज्य	10300.00	5935.00	1063.00	924.00	42700.00	62880.00	496.44	8400.00
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र									
1.	दिल्ली	30.500	–	30.00	–	80.00	30.00	–	100.00
2.	पांडिचेरी	195.00	20.00	–	–	120.00	40.00	0.25	–
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य									
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह								
2.	दादरा व नागर हवेली								
3.	चंडीगढ़								
4.	लक्षद्वीप								
5.	दमन व दीव								
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	500.00	20.00	30.00	–	200.00	70.00	0.25	100.00
	महायोग	10800.00	5955.00	1093.00	924.00	42900.00	62950.00	496.69	8500.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं			पी ओ एल	क्षतिपूर्ति	बंध्यी-करण पलंग	कुल
		शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	शहरी परिवार कल्याण सेवाओं का नवीकरण	जिला स्तर पर पी पी				
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	302.00	–	311.00	112.18	1776.00	13.80	10792.98
2.	बिहार	85.15	-	258.59	100.67	505.00	2.29	8942.74
3.	छत्तीसगढ़	29.55	72.47	67.84	32.22	269.00	0.29	3572.24
4.	गोवा	–	–	44.00	4.71	13.00	–	274.71
5.	गुजरात	354.00	114.54	330.00	75.92	615.00	16.03	8061.99
6.	हरियाणा	48.00	50.04	112.00	30.59	223.30	3.18	2963.02
7.	हिमाचल प्रदेश	102.00	–	100.00	27.46	71.40	–	2281.78

1	2	11	12	13	14	15	16	17
8.	झारखंड	42.85	–	89.41	50.34	238.00	1.46	5597.67
9.	कर्नाटक	280.00	–	425.00	82.37	987.00	10.34	9033.56
10.	केरल	–	–	242.00	54.58	355.00	5.35	6138.93
11.	मध्य प्रदेश	175.45	272.26	387.16	102.67	759.00	2.02	8279.37
12.	महाराष्ट्र	205.00	1206.55	572.00	122.97	1246.00	83.43	13349.05
13.	उड़ीसा	34.00	38.93	187.00	84.33	223.30	–	6954.17
14.	पंजाब	74.00	260.21	210.00	41.97	316.30	0.44	3321.83
15.	राजस्थान	157.00	160.13	345.00	84.14	493.50	1.25	9624.00
16.	तमिलनाडु	122.00	449.25	390.00	107.28	916.70	24.47	10782.20
17.	उत्तर प्रदेश	320.58	706.82	717.93	201.77	992.40	4.06	18169.39
18.	उत्तरांचल	12.42	43.80	67.07	50.44	184.30	–	2634.36
19.	पश्चिम बंगाल	379.00	–	385.00	90.61	641.30	11.00	9840.86
	कुल (अन्य राज्य)	2723.00	3375.00	5241.00	1459.22	10825.50	129.41	140714.85
20.	जम्मू व कश्मीर	22.00	–	109.00	26.28	24.50	0.59	2133.87
	कुल (जम्मू व कश्मीर)	22.00	–	109.00	26.28	24.50	0.59	2133.87
	कुल (राज्य एन ई आर)	2745.00	3375.00	5350.00	1485.50	10850.00	130.00	142848.72
1.	अरुणाचल प्रदेश	82.00	–	–	1.60	29.90	–	418.50
2.	असम	100.00	–	306.00	49.66	934.00	0.50	9735.16
3.	मणिपुर	35.00	–	112.00	11.11	18.68	–	1428.33
4.	मेघालय	21.00	–	82.00	9.52	46.71	0.18	986.36
5.	मिजोरम	21.00	–	55.00	6.12	93.42	0.32	796.66
6.	नागालैंड	–	–	26.00	7.71	24.28	–	642.81
7.	त्रिपुरा	70.00	–	43.00	8.84	70.32	–	1460.92
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	329.00	–	624.00	94.56	1217.31	1.00	15468.74
8.	सिक्किम	21.00	–	26.00	5.44	32.69	–	667.48
	कुल (सिक्किम)	21.00	–	26.00	5.44	32.69	–	667.48
	कुल (पूर्वोत्तर + सिक्किम)	350.00	–	650.00	100.00	1250.00	1.00	16136.22
	कुल सभी राज्य	3095.00	3375.00	6000.00	1585.50	12100.00	131.00	158984.94

1	2	11	12	13	14	15	16	17
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र								
1.	दिल्ली	350.00	200.00	160.00	5.88	174.80	5.00	1440.68
2.	पांडिचेरी	–	–	40.00	3.92	25.20	–	444.37
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य								
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह							
2.	दादरा व नागर हवेली							
3.	चंडीगढ़							
4.	लक्षद्वीप							
5.	दमन व दीव							
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	350.00	200.00	200.00	9.80	200.00	5.00	1885.05
	महायोग	3445.00	3575.00	6200.00	1595.30	12300.00	136.00	160869.99

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय के स्कीमवार ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना	2002-2003	पूर्वोत्तर के लिए परिव्यय
1	2	3	4	5	6
		2444.70	335.50	2780.20	253.32
1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	राज्यों को स्थानान्तरित किए जाने वाले			
2.	उप-केन्द्र	1809.00		1809.00	180.90
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	122.00		122.0	12.20
	(क) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	64.00		64.00	6.40
	(ख) शहरी नवीकरण स्कीम (स्वास्थ्य पद)	58.00		58.00	5.80
4.	निदेशन एवं प्रशासन	200.00		200.00	20.00
5.	प्रसवोत्तर केन्द्र				
	(क) जिला स्तर पर	राज्यों को स्थानान्तरित किए जाने वाले			
	(ख) उप जिला स्तर पर				

1	2	3	4	5	6
6.	ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड स्कीम	राज्यों को स्थानान्तरित की जाने वाली			
7.	संभार-तंत्र सुधार	10.00	10.00	1.00	
8.	संविदा अधार पर सेवाएं/परामर्श	162.00	162.00	13.72	
	सहायक नर्स धात्री (उप केन्द्र का भाग)	100.00	100.00	10.00	
	अतिरिक्त एएनएम/पीएचएन/प्रयोगशाला तकनिशीयन	50.00	50.00	3.00	
	एसएस परामर्शदाता	5.00	5.00	0.30	
	संवेदनाहरक	1.00	1.00	0.06	
	अन्य व्यय (राज्य/राष्ट्र स्तरीय परामर्शदाता/आकस्मिकताएं)	6.00	6.00	0.36	
9.	बकाये	अलग-अलग किए जाएंगे और संबंधित स्कीमों में प्रावधान रखा जाएगा			
10.	क्षेत्र विकास कार्यक्रम	28.70	56.10	84.80	1.00
	क्षेत्र परियोजनाएं (आईपीपी परियोजनाएं)	18.70	56.10	74.80	
	सामाजिक मार्केटिंग क्षेत्र परियोजनाएं	10.00		10.00	1.00
11.	यूएसएड सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजना		59.40	59.40	
12.	अन्य बाह्य सहायता प्राप्त अवसंरचना विकास परियोजना				
13.	ईसी सहायता प्राप्त एसआईपी परियोजना		220.00	220.00	13.20
14.	परिवहन	113.00		113.00	11.30
	पहले से ही उपलब्ध वाहनों का रखरखाव	98.00		98.00	9.80
	सहायक नर्स-धात्रियों को मोपेडों की आपूर्ति	15.00		15.00	1.50
	प्रशिक्षण	99.60		99.60	9.30
15.	एएनएम/एलएचवी के लिए बेसिक प्रशिक्षण	67.00		67.00	6.70
16.	एचएफडब्ल्यूटीसी का रखरखाव व सुदृढ़ीकरण	14.00		14.00	1.40
17.	एमपीडब्ल्यू कार्यकर्ता (पुरूष) के लिए बेसिक प्रशिक्षण	10.00		10.00	1.00
18.	बेसिक प्रशिक्षण स्कूलों का सुदृढ़ीकरण	2.00		2.00	0.20
19.	परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	1.50		1.50	
20.	एनआईएचएफडब्ल्यू, नई दिल्ली	3.15		3.15	
21.	आईआईपीएस,मुम्बई	1.70		1.70	
22.	आईएमए को सहायता	0.25		0.25	

1	2	3	4	5	6
अनुसंधान		30.30		30.30	0.30
23.	जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र	8.00		8.00	0.30
24.	सी.डी.आर.आई. लखनऊ	2.30		2.30	
25.	आईसीएमआर और आईआरआर	20.00	20.00		
26.	अन्य अनुसंधान प्रयोजनाएं				
गर्भ निरोधन		483.50		483.50	48.30
	गर्भनिरोधकों, उपकरणों और औषधों की आपूर्ति				
27.	गर्भनिरोधकों का मुफ्त वितरण	184.50		184.00	18.40
	पारम्परिक गर्भनिरोधक	138.00		138.00	13.80
	मुखीय गर्भनिरोधक	24.00		24.00	2.40
	आईयूडी	22.00		22.00	2.20
	नए तरीके				
28	गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन	115.00		115.00	11.50
	पारम्परिक गर्भनिरोधक	95.00		95.00	9.50
	मुखीय गर्भनिरोधक	20.00		20.00	2.00
29.	बंध्यीकरण	180.00		180.00	18.05
	बंध्यीकरण पलंग	2.00		2.00	0.20
	बंध्यीकरण और आईयूडी निवेशन	160.00		160.00	16.00
	लेप्रोस्कोपों की आपूर्ति/प्रापण	18.00		18.00	1.80
	रिकेनालाईजेशन	0.50		0.50	0.05
30.	परीक्षण सुविधाएं	0.50		0.50	
31.	नियोजति पितृत्व में पुरूषों की भूमिका	3.50		3.50	0.35
	नो स्केलप वैसेक्टामी	1.50		1.50	0.15
	अन्य नवीन योजनाएं (पुरूष सहभागिता)	2.00		2.00	0.20
	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य	614.80	569.40	1184.20	74.35
32.	प्रतिरक्षण	167.00	59.00	226.00	13.56
	नेमी प्रतिरक्षण हेतु वैक्सीनों का प्रापण	150.00		150.00	9.00
	कोल्डचेन	17.00	44.00	61.00	3.66

1	2	3	4	5	6
	(क) कोल्डचेन अनुरक्षण	6.00		6.00	0.36
	(ख) कोल्डचेन उपकरण	11.00	44.00	55.00	3.30
	वीपीडी के लिए निगरानी		अतिरिक्त बजटीय-विश्व स्वास्थ्य संगठन		
	अन्य वैक्सीन (हेपेटाइटिस बी)		15.00	15.00	0.90
33.	नेमी प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण		10.00	10.00	0.60
34.	पल्सपोलियो	15.00	385.00	400.00	24.00

(रुपये करोड़ में)

क्र सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित परिव्यय ए. प्लान 2002-03			उत्तर पूर्व के लिए परिव्यय
		डी बी एस	ई ए पी	कुल	
	(क) ओ पी वी	10.00	230.00	240.00	14.40
	(ख) प्रचालन लागत	5.00	155.00	160.00	9.60
35.	बाल स्वास्थ्य	1.00		1.00	0.60
	अनिवार्य नवजात परिचर्या (गृह आधारित नवजात परिचर्या)	1.00		1.00	0.60
	अतिसारीय रोग-निवारण/उपचार				
	ए आर आई-निवारण एवं उपचार				
36.	पोषण				
	विटामिन ए कार्यक्रम				
37.	किशोर स्वास्थ्य	3.00		3.00	
38.	मातृत्व स्वास्थ्य	245.00	8.60	254.00	15.24
	प्रसव-पूर्व परिचर्या				
	पोषणिक रक्ताल्पता (रक्ताल्पता नियंत्रण एवं कृमि उन्मूलन)	1.00		1.00	0.06
	गृह-प्रसूति परिचर्या	5.40	8.60	14.00	0.84
	(क) सामुदायिक आधारिक दाइयां	0.60	1.40	2.00	0.12
	(ख) दाइयों का प्रशिक्षण	4.80	7.20	12.00	0.72
	दाइयों की किटें (औषधें, किटें और उपकरण)	234.00		234.00	14.04
	(क) औषध किटें/एफ आर यू औषधें/पी एच सी औषधें/ आर टी आई औषधें	115.00		115.00	6.90
	(ख) एम टी पी/आर टी आई/एसटी आई उपकरण/किट/आई यू डी किट	90.00		90.00	5.40

1	2	3	4	5	6
	(ग) रक्त संग्रहण के लिए उपकरण और प्रयोगशाला उपकरण	1.00		1.00	0.06
	(घ) सुइयां और सिरिंजे	20.00		20.00	1.20
	(ङ) प्रसव-पूर्व उपकरण	8.00		8.00	0.48
	संस्थानिक प्रसवों को प्रोत्साहन देना	5.00		5.00	0.30
	(क) 24 घंटे प्रसूति सेवा	3.00		3.00	0.18
	(ख) आपाती प्रसूति और नवजात परिचर्या के लिए प्रथम रेफरल यूनिटें शुरू करना	2.00		2.00	0.12
39.	एम टी पी सेवाएं (सुरक्षित गर्भपात के लिए मैनुअल वैक.स्पाइरेटर)	1.20		1.20	0.07
40.	आर टी आई/एस टी आई निवारण और प्रबंधन	2.00		2.00	0.12
41.	मातृत्व लाभकारी योजना	90.00		90.00	9.00
42.	अन्य आर सी एच कार्यकलाप और सेवाएं	90.20	31.80	122.00	7.20
	रैफरल परिवहन	0.20	1.80	2.00	0.12
	आऊटरीच सेवाएं	8.00	12.00	20.00	1.20
	आर सी एच कैम्प	6.00	9.00	15.00	0.90
	सिविल कार्य	60.00		60.00	3.60
	अनुसंधान (आर सी एच कार्यकलापों में)	8.00		8.00	0.48
	एम आई एस	6.00	9.00	15.00	0.90
	मुख्यालयों पर व्यय	2.00		2.00	
43.	गैर सरकारी संगठन और स्कोवा		22.00	22.00	1.32
44.	प्रशिक्षण		53.00	53.00	3.18
	आर.सी.एच. प्रशिक्षण		50.00	50.00	3.00
	आई.एस.एम. एण्ड एच. का प्रशिक्षण		1.00	1.00	0.06
	ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू का प्रशिक्षण		2.00	2.00	0.12
विशेष	परियोजनाएं	35.00	45.00	80.00	5.00
45.	जनजातिय परियोजनाएं	एस.आई.पी. के अन्तर्गत शामिल की गई।			
46.	शहरी स्लम परियोजनाएं	5.00		5.00	0.30
47.	जिला परियोजनाएं	30.00	45.00	75.00	4.70
48.	अन्य परियोजनाएं				

1	2	3	4	5	6
49.	सूचना, शिक्षा व संचार	84.70		84.70	5.23
	गैर आर. सी .एच.	53.70		53.70	3.37
	आर.सी.एच.	31.00		31.00	1.86
50.	विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि	1.50		1.50	
51.	अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	1.70		1.70	
52.	शक्ति सम्पन्न कार्य दल	50.00		50.00	
53.	अन्य स्कीमें	128.00		128.00	12.80
	कम्यूनिटी इन्सेन्टीव स्कीम	60.00		60.00	6.00
	फैमिली वैलफेयर/लिंग हैल्थ इन्सोरेन्स प्लान	50.00		50.00	5.00
	पालिसी एडवोकेसी/सेमिनार	3.00		3.00	0.30
	लिगल एज बेनिफीट स्कीम	14.80		14.80	1.50
	रिबाल्वींग फंड फॉर इंकम जेनेरेटिंग एक्टीविटिज स्कीम	0.10		0.10	
	साफ्ट लॉन्स टू रन एम्बूलेन्स सर्विसिज स्कीम	0.10		0.10	
54.	एस.टी.आर. ऑफ आर.एफ.डब्ल्यू.सी.एस अन्डर नेशनल ह्यूमन डेव, इनसिएटिव	स्कीम स्थगित कर दी गई।			
55.	निर्देशाधीन और प्रशासन के अधीन अन्य कार्यालय	स्थगित की जानी है।			
56.	हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड	स्कीम स्थगित कर दी गई।			
57.	फैमिली वैलफेयर काउंसलर स्कीम	स्कीम स्थगित कर दी गई।			
58.	स्कूल हैल्थ स्कीम	स्कीम स्थगित कर दी गई।			
59.	दसवीं योजना में नई पहलें	6.20	0.10	6.30	0.40
	सी.एन.ए.ए. के माध्यम से एम.आई.एस. को सुदृढ़ करना	2.00		2.00	
	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करना				
	पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कार्यान्वयन	4.00		4.00	0.40
	अतिरिक्त आर.सी.एच. कार्यकलाप	0.20	0.10	0.30	
	(क) संवेदनाहरक देने के लिए डाक्टरों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम		0.10	0.10	
	(ख) सूक्ष्म पोषक और चयापचयी विकास-महिलाएं और बच्चे	0.10		0.10	
	(ग) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम	0.10		0.10	
	कुल योग:	3980.00	950.00	4930.00	409.00

प्लान/ए पी 2002-03/योजना आयोग प्रोफार्मा/शीट

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत ब्लड बैंक

2706. श्री पदम सेन चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का प्रथम कम्प्यूटरीकृत ब्लड बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बल्ड बैंक को स्थापित करने में कुल कितनी लागत आयी है;

(घ) क्या देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ब्लड बैंकों को स्थापित करने हेतु कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, नहीं। दिल्ली और शेष देश में अनेक रक्त बैंक है जिनमें उनके आपरेशन के कुछ पहलू उनके और अधिक दक्ष कार्यकरण के लिए कम्प्यूटरीकृत हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी.जी.एच.एस. के औषधालय

2707. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों ने विशेषकर गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालयों की अनुपलब्धता के कारण निजी स्वास्थ्य परिचर्या/अस्पतालों को विकल्प चुना है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में निजी चिकित्सा परिचर्या के अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के लाभार्थियों के कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन शहरों में सी.जी.एच.एस. औषधालय की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) गाजियाबाद, गुडगांव और फरीदाबाद के शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय पहले से ही कार्य कर रहे है जहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बहिरंग रोगी उपचार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, निजी अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्रदान की गई है जहां निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात लाभार्थी विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाएं/जांच/परीक्षण आदि करवा सकते हैं।

चूंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन निजी चिकित्सा परिचारकों को प्राधिकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, गाजियाबाद, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजन्र के औषधालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं। कार्मिक शक्ति और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में गाजियाबाद, गुडगांव और फरीदाबाद में और अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नये राजमार्गों का प्रस्ताव

2708. श्री सुबोध राय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 के दौरान कितने नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त राजमार्गों द्वारा कितने क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या चालू वर्ष में नए राजमार्गों को बिहार राज्य में बनाये जाने का प्रस्ताव है

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त राजमार्ग बनाये जाने हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ङ) देश में बिहार सहित नये राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने से संबंधित प्रस्तावों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के बाद और निधियों की उपलब्धता, यातायात संबंधी आवश्यकताएं और परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा और इसलिए इस समय कोई विवरण नहीं दिया जा सकता है।

[अनुवाद]

निगरानी तंत्र

2709. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी जिलों में समेकित रोग निगरानी नेटवर्क (इंटीग्रेटेड डीजिस सर्वेलेंस नेटवर्क) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिये गए हैं;

(ङ) उक्त नेटवर्क सभी जिलों में कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(च) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम पहले ही 80 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चल रहा है। कार्यक्रम की समीक्षा से पता चला कि उन जिलों में जहां इसे पूर्ण रूप से चलाया जा रहा है निश्चित रूप से प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने और समयबद्ध आधार पर इस एक संरचनात्मक अनुक्रिया प्राप्त होने की क्षमता में सुधार हुआ है। इस स्कीम की अत्यधिक उपयोगिता और आवश्यकता को देखते हुए इस कार्यक्रम का 10वीं योजना, जिले अन्तिम रूप दिया जा रहा है, के दौरान पूरे देश में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

यह कार्यक्रम प्रकोप की संभावना वाले संचारी रोगों पर ध्यान केन्द्रित करेगा एवं इनकी ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग करेगा। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण गैर-संचारी रोगों एवं संबंधित जोखिमपूर्ण कारणों पर भी ध्यान देने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए वैचारिक योजना तैयार करने तथा कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीतियों को कार्यन्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श बैठक के बाद कार्यशालाएं आयोजित की गई। कवर किए जाने वाले रोगों, मॉनीटरिंग तंत्र, केन्द्र तथा राज्य की एजेंन्सयों की भूमिका, निजी चिकित्सकों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक सहभागिता, इत्यादि के संबंध में उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए और परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए उनका उचित उपयोग किया गया।

(ङ) और (च) 10वीं योजना के अंत तक सभी जिलों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया जाएगा। 2002-03 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय उद्दिष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में भारत-रूस समझौता

2710. **श्री वाई.जी. महाजन:**
डा. अशोक पटेल:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल में रूसी कंपनी 'एटमॉस्ट्राइ इक्सपोर्ट' के साथ देश में परमाणु बिजली संयत्रों के लिए सामग्रियों/उपस्करों की परस्पर आपूर्ति से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन परमाणु बिजली संयंत्रों को रूसी उपस्कर और सामग्रियों की आपूर्ति होगी;

(घ) तत्संबंधी लागत क्या है; और

(ङ) परमाणु बिजली संयंत्रों द्वारा कब तक विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति किये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) यह करार, रूसी परिसंघ के सहकार से तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर स्थापित की जा रही परमाणु विद्युत परियोजना (2×1000 मेगावाट) के लिए उपस्करों की आपूर्ति हेतु है।

(ग) इस परियोजना को कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (यूनिट 1 और 2) कहा जाता है।

(घ) इस परियोजना की संस्वीकृत लागत, भारत में किए जाने वाले कार्यों के अंश सहित, 13.171 करोड़ रुपए है।

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य-तारीख यूनिट-1 के मामले में दिसम्बर, 2007 और यूनिट-2 के मामले में दिसम्बर, 2008 है।

ब्लड संबंधी शुल्क

2711. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी, स्वैच्छिक ब्लड बैंकों तथा अस्पतालों को रोगियों को खून देने के लिए प्रति यूनिट 250 रुपये शुल्क लेने का दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गरीब रोगियों और ऐसे रोगियों जो थैलीसीमिया और होमोफीलिया से पीड़ित हैं तथा जिन्हें बारंबार जीवन रक्षक उपाए के रूप में खून की आवश्यकता होती हैं, को यह सुविधा नि:शुल्क प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां। लागत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वे रक्त बैंक जो रक्त यूनिटों की आपूर्ति के लिए अपने प्रोसेसिंग प्रभारों का एक भाग वसूल करना चाहते हैं, वे इन दिशा-निर्देशों का उपयोग कर सकें।

(ख) रक्त बैंकों द्वारा रक्त को जारी करने से पहले रक्ताधान संचारित रोगों के लिए इसकी अनिवार्य जांच सहित रक्त की हैंडलिंग में कुछ व्यय होता है। इस व्यय के लगभग 500/- रुपए होने का अनुमान लगाया गया है (इसमें एच सी वी की जांच जिसे बाद में अनिवार्य बना दिया गया है, की लागत शामिल नहीं है)।

(ग) ज्यादातर राज्यों में सरकारी रक्त बैंक गरीब रोगियों से सेवा प्रभार वसूल नहीं करते। थेलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों के मामले में दिशा-निर्देशों उनको रक्त/रक्त उत्पादों की मुफ्त आपूर्ति को प्रोत्साहित करते है।

[अनुवाद]

पोतों का चलाया जाना

2712. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोलकाता से गुवाहाटी, कोलकाता से इलाहाबाद और कोचीन से मौजूदा जलमार्गों में पोतों को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बृहत मार्गों और यात्रियों के आवागमन हेतु कई पोतों की स्थापना हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय जलयान कोलकाता से गुवाहाटी, कोलकाता से इलाहाबाद, तथा कोच्चि तक के मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों में पहले ही चल रहे हैं। सरकार ने हाल ही में एक अन्तर्देशीय जलयान निर्माण सब्सिडी स्कीम को अनुमोदित किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों में अन्तर्देशीय जलयानों के प्रचालन में वृद्धि करना है।

(ग) और (घ): जी हां। तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो एवं यात्रियों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए 15 जेट्टियां हैं। सरकार ने गायघाट, पटना में स्थायी टर्मिनल स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसी प्रकार पांडु, गुवाहाटी में स्थायी टर्मिनल स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया जाने वाला है। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 में 11 टर्मिनलों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान

2713. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा अनुसंधान का गहराई से कोई अध्ययन शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, विभिन्न जर्नलों में प्रकाशित तथा 1990 और 1994 के तीन डेटाबेसों अर्थात् इण्डैक्स मैडीकस, एक्सर्पटा मेडिका और ट्रोपिकल डिसिसिज बुलेटिन में सूचीबद्ध शोध लेखों के आधार पर जैव-चिकित्सा विज्ञान में भारत के योगदानों के मान-चित्रण के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जैव-चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों द्वारा दिए गए योगदानों का विवरण इन्फारमेशन टूडे और टूमारो के खंड 19, संख्या 1, 2000 में प्रकाशित एक लेख में दिया जा चुका है।

टेलीफोन अदालत

2714. श्री रामजी मांझी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में प्रत्येक तीन महीनों पर टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने हेतु टेलीफोन अदालतें लगाई जा रही हैं लेकिन सुलझाए गए/लंबित मामलों की संख्या, शिकायतों इत्यादि की प्रकृति से संबंधित ब्यौरे को केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन अदालतों के कार्य-निष्पादन/लक्ष्य प्राप्ति की निगरानी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) सामान्यत: टेलीफोन अदालतें उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी दूरसंचार सर्किलों से दूरसंचार सर्किल के प्रमुख के स्तर पर प्रत्येक तीन महीने में और दूरंसचार जिला प्रमुख के स्तर पर प्रत्येक दो महीने में लगायी जा रही हैं। सुलझाए गए/लंबित मामलों की संख्या, शिकायतों की प्रकृति आदि से सम्बन्धित ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से रखा जा रहा है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में, मुम्बई और दिल्ली में टेलीफोन अदालतें त्रैमासिक रूप से लगायी गयी। सुलझाए गए/लंबित मामलों की संख्या, शिकायतों की प्रकृति आदि से सम्बन्धित ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

दूरसंचार सेवाएं

2715. श्री वाई.वी. राव:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टेलीफोन विश्वस्तरीय क्वालिटी तक नहीं पहुंची और अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में टेलीफोन सेवाएं संबंधी प्रभार शुल्क भी बहुत ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने, जो विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता की निगरानी भी करता है, ने बुनियादी और मोबाइल दोनों सेवाओं के लिए विश्व स्तरीय बेंचमार्क निर्धारित करते हुए सेवा की गुणवत्ता सम्बन्धी विनियम अधिसूचित किया है जिसके अनुसार सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी की जाती है। प्राधिकरण ने अद्यतन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और सेवा प्रदाताओं के मध्य स्पर्द्धा के कारण विभिन्न नेटवर्क सेवाओं के कार्य निष्पादन में उल्लेखनीय प्रगति का अवलोकन किया है।

लम्बी दूरी के टैरिफ पहले किराये और स्थानीय काल प्रभारों में आर्थिक सहायता दे रहे थे। ट्राई द्वारा अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 ने टैरिफ को शामिल करने के लिए पुनर्निर्धारण का कार्य तो किया ही और चरणबद्ध रूप से इसका कार्यान्वयन करने के लिए कहा जिससे एसटीडी/आईएसडी टैरिफ में लगभग 35% की कमी आयी। दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 द्वारा यथा परिकल्पित टैरिफ पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया 14 मार्च, 2002 की तीसरी बार की टैरिफ की अधिसूचना के साथ पूरी हो गयी है।

बुनियादी और राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाओं के बाजार को असीमित स्पर्द्धा के लिए खोलने के साथ, इन टैरिफों में 50 से 63% के बीच और गिरावट आयी है जिससे भारत और विकसित देशों के बीच टैरिफ में अंतराल कम हुआ है। टैरिफ में गिरावट की इसी प्रकार की प्रवृत्ति तब देखी जा सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी क्षेत्र में स्पर्द्धा आती है जिसे 1 अप्रैल, 2002 से असीमित स्पर्द्धा के लिए खोल दिया गया है।

जहां तक भारतीय टैरिफ का अन्य देशों के टैरिफ के साथ तुलना का संबंध है, ऐसी तुलना अलग-अलग दरों के आधार पर या एक समेकित दृष्टिकोण का प्रयोग कर की जा सकती है जो आगे चलकर एक विशिष्ट प्रयोक्ता प्रतिमान को प्रोत्साहित करती है। तथापि, विभिन्न देशों में टैरिफ योजना में अनेक दरों, भिन्न-भिन्न एक्सचेंज दरों और क्रय शक्ति में अंतर के कारण तुलना कठिन है।

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

2716. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति

2717. श्री टी. गोविन्दन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में एलोपैथिक और होमियोपैथिक चिकित्सा-पद्धतियों के बीच, स्वास्थ्य-चर्या परेषण तथा चिकित्सा-शिक्षा के संदर्भ में, किस स्तर तक समेकन अनुमत्य/उपलब्ध है;

(ख) हमारे देश में ऐसे समेकन की कहां तक अनुमति दी गई है; और

(ग) होमियोपैथी चिकित्सा-पद्धति की सुरक्षितता और मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए और स्वास्थ्य-चर्या परेषण की अग्रपंक्ति वाली उपचार विधि बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार के पास समेकन की सीमा और स्तर के बारे में सूचना नहीं है। तथापि, कुछ देश एलोपैथिक डाक्टरों के लिए होमियोपैथिक पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहे लगते हैं।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सिद्धांतों और अवधारणाओं को समाविष्ट कर एक कोर्स कैप्सूल को आधुनिक चिकित्सकों के कोर्स करिक्युलम में शामिल करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी चिकित्सकों को तैनात करने के लिए सलाह दी गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्साभ्यासियों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल किया जाए।

(ग) देश में 14,477 पलंग संख्या वाले 297 होम्योपैथी अस्पताल हैं और 7,437 औषधालय हैं। केन्दीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपचार किट प्रदान करने, भारतीय चिकित्सा प्रद्धति एवं होम्योपैथी उपचार का आरंभ करने हेतु अस्पतालों को सहायता देने तथा जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी स्कंध खोलने के लिए योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव कर रही है।

परमाणु विद्युत केन्द्रों को बंद करना

2718. श्री अनन्त नायक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के कुछ परमाणु विद्युत केन्दों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) देश में चौदह परमाणु बिजलीघर कार्यरत है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, निकट भविष्य में किसी भी यूनिट की डीकमीशनिंग का काम हाथ में लिए जाने की कोई योजना नहीं है। जहां तक पुराने संयंत्रों के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति का प्रश्न है, वह है, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से संयंत्र के कार्यकाल को बढ़ाना।

दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

2719. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में दूरभाष केन्द्रों के आधुनिकीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, नहीं। केरल में 1032 दूरभाष एक्सचेंज हैं और वे सभी आधुनिक डिजीटल एक्सचेंज हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) व (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय स्तर पर औषधि खरीद में घपला

2720. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए स्थानीय स्तर पर औषधियों की खरीद में बहुत बड़ा घपला होता है और अधिकांश दवाइयां स्थानीय केमिस्टों से ही खरीदी जाती है।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त पोषित उद्योग

2721. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कितने उद्योगों को वित्तपोषित किया गया;

(ख) क्या ये सभी उद्योग कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और गायब हो गई संस्थाओं को ढूंढने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा वित्त पोषित उद्योगों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या
1998-1999	352
1999-2000	297
2000-2001	199

(ख) और (ग) के.वी.आई.सी, इस प्रकार के ग्रामीण उद्योग लगाने के लिए मार्जिन मनी के रूप में एक बारगी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। हालांकि आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति करते समय वाणिज्यिक बैंक इस प्रकार की परियोजनाओं की संभाव्यता तथा व्यवहार्यता पर विचार करते हैं तथा इस प्रकार के उद्योगों के सही रूप से कार्य करने तथा ऋणों की अदायगी का अनुश्रवण करने के लिए उनकी कार्यप्रणाली की नजदीक के देखरेख करते हैं। तथापि, सरकार इस प्रकार के उद्योगों की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार के आकंड़े नहीं रखती है।

एम.टी.एन.एल. की 'ट्रम्प' प्री-पेड मोबाइल-सेवा

2722. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री जी.जे. जावीया:
श्रीमती कैलाशो देवी:
श्री के.पी. सिंह देव:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 15 जनवरी, 2002 से दिल्ली और मुंबई में 'ट्रम्प' प्री-पेड मोबाइल सेवाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों की जनता ने एम टी एन एल द्वारा निर्धारित इसके कम शुल्क का स्वागत किया है;

(ग) क्या इसने निजी कम्पनियों को शुल्क घटाने पर मजबूर कर दिया है;

(घ) इस संबंध में एम.टी.एन.एल. को कितनी सफलता मिली हैं;

(ङ) क्या मासिक किराए को कम करने और पल्स दर को तीन मिनट से घटाकर दो मिनट करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 14 जनवरी, 2002 से दिल्ली और मुम्बई में अपनी ''ट्रम्प'' प्री-पेड मोबाइल सेवा शुरू की है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 14 जनवरी, 2002 से ''ट्रम्प'' प्री-पेड सेवा शुरू करने के बाद, अब तक दिल्ली में 17000 और मुम्बई में 10096 उपभोक्ता हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पाक विदेश मंत्री के साथ वार्ता

2723. **श्रीमती रेणूका चौधरी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दक्षिण एशिया उप महाद्वीप में सुरक्षा वातावरण के बारे में फरवरी, 2002 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वार्ता का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा ने इस वर्ष (1-3 फरवरी) तक सुरक्षा नीति से संबंध म्यूनिख सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीमा पार आतंकवाद के मसले सहित अतंर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री सहित सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण सहित अन्य मसलों पर अनौपचारिक बातचीत की।

अमरीकी थल सेना प्रमुख के साथ बैठक

2724 **श्री ब्रह्मानंद मंडल:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने 18 फरवरी, 2002 को नई दिल्ली में अमरीकी थल सेना प्रमुख के साथ एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम क्या रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) अमरीकी संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल रिचर्ड बी मायर्स ने चीफ ऑफ स्टाफ समिति के प्रमुख के नियंत्रण पर 17.18 फरवरी, 2002 तक भारत का दौरा किया। जनरल मायर्स ने विदेश मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर भारत अमरीकी रक्षा सहयोग एवं आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मसलों पर चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि भारत और अमरीका के एशिया और उससे आगे अनेक साझे हित हैं और उन्होने सुदृढ़ तथा आपसी लाभकारी भारत अमरीका रक्षा सहयोग के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

मौसम की निगरानी करने वाला राडार

2725. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम की निगरानी करने वाला एक नया राडार विकसित किया है जो नई सहस्त्राब्दि की मौसम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या राडार का यह नया वर्ग खराब मौसम से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जान-माल की रक्षा करने में सटीक चेतावनी देकर सहायता पहुंचाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राडार का यह नया वर्ग पवन संरचना, संभावित वर्षा वाले क्षेत्रों, मेघ संरचना इत्यादि जैसे प्राचलों पर सूचना प्रदान करेगा, जोकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों जैसी खराब मौसम की स्थितियों के बारे में चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी है। यह राडार वर्षा की तीव्रता, वर्ष के संचयन का अनुमान लगा सकता है तथा लगभग 300 से 350 किलोमीटर की दूरी तक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की निगरानी कर सकता है।

(घ) इस प्रणाली के वर्ष 2002 के अन्त तक प्रचलित होने की संभावना है।

नई सब्सिडी योजना

2726. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए एक नई सब्सिडी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तीन राष्ट्रीय जलमार्गों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में 'आई.डब्ल्यू.ए.आई.' द्वारा कितने धन का आबंटन किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां।

(ख) भावी अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमी पर पूंजीगत बोझ को कम करने के लिए और इसके द्वारा उनकी लाभकारिता में वृद्धि करने तथा अंतर्देशीय जल परिवहन प्रशुल्क को प्रतिस्पर्धा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल में एक अतर्देशीय जलयान निर्माण सब्सिडी स्कीम अनुमोदित की है। यह स्कीम दिनांक 1.4.2000 से लागू होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। अंतर्देशीय जलयान निर्माण सब्सिडी स्कीम राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रचालित करने वाले कार्गों और यात्री अंतर्देशीय जलयानों पर लागू होगी। यह सब्सिडी केवल उन्हीं जलयानों के लिए उपलब्ध होगी जो भारतीय शिपयार्ड से किसी भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमी द्वारा खरीदे जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत देय सब्सिडी अंतर्देशीय जलयान के एक्स फैक्ट्री मूल्य के 30% के बराबर होगी।

(ग) जी हां।

(घ) तीन जलमार्ग अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र और उद्योगमंडल तथा चम्पाकारा नहरों सहित कोट्टापुरम के कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आधारभूत संरचना के प्रावधान जैसे नौचालन चैनल, चुनिंदा स्थानों पर टर्मिनल और नौचालन उपकरण राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की स्कीमों के हिस्से होते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को धनराशि उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 34.23 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे।

[हिन्दी]

विदेशी भेषज कंपनियों का प्रवेश

2727. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में भेषज क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों को स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाजार में इनके प्रवेश से घरेलू भेषज कंपनियों प्रभावित होंगी; और

(घ) यदि हां, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) नीति के अनुसार, औषध और फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में आटोमेटिक रूट के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) अनुमत है बशर्ते कि संबंधित कार्यकलाप के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य न हो या इसमें रिकम्बीनेंट डी एन ए प्रौद्योगिकी और विशिष्ट कोशिका/ऊतक (टीशू) लक्षित फार्मूलेशनों का इस्तेमाल न हो। औषध और फार्मास्युटिकल्स के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस लेने की या रिकम्बीनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी और विशिष्ट कोशिका/ऊतक लक्षित फार्मूलेशनों के प्रयोग की अपेक्षा रखने वाले क्रियाकलापों में 100 प्रतिशत तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) सरकारी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ पी आई बी) रूट के अन्तर्गत अनुमत है।

(ग) और (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) का लाभ पूंजी निवेश में योग करके घरेलू निवेश प्रयासों को पूरक बनाने में ही नहीं है, अपितु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और उत्तम वैश्विक प्रचलनों, जो घरेलू उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, में योग करने में भी है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को कृषि-ग्रामीण उद्योग विकास हेतु धन

2728. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु को और अधिक संख्या में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को लगाने हेतु अतिरिक्त धन आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में कृषि और ग्रामीण उद्योगों का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) और (ख) सरकार कृषि एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु सीधे राज्य सरकारों को निधियां जारी नहीं करती है। सरकार ऐसे उद्योगों के सवंर्धन एवं विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को निधियां प्रदान करती है।

(ग) सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) कार्यान्वित कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 25 लाख रु. तक मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत पर 10% है। कमजोर वर्गों नामत: अ.जा./अनु.ज. जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान और पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% हैं।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का 10% अंशदान देना होगा। अनु. जाति/अनु.ज. जाति और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंश दान परियोजना लागत का 5% होगा। परियोजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और चयन के आधार पर सहकारी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजनाओं के लिए शेष निधियां बैंकों द्वारा आवधिक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं।

दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता

2729. श्री अम्बरीश: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने के लिए अन्य देशों के साथ किसी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्र मार्ग से हज यात्रा

2730. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मार्ग से हज यात्रा की अनुमति देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। मुम्बई स्थित हज समिति को तमिलनाडु राज्य हज समिति से हजयात्रियों को समुद्र मार्ग से हज पर भेजने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) संभारतंत्रिय कारणों से इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं था।

भारतीय संचार निगम लिमिटेड के लिए बोली लगाना

2731. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 7 फरवरी, 2002 के ''दि स्टेट्समैन'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार चीन की फर्मों द्वारा भारत में भारतीय संचार निगम लिमिटेड के नेटवर्क के लिए लगाई गई बोली सरकार द्वारा स्वीकार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कदमों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने वाला है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चीन की फर्मों द्वारा किए गए निवेशों एवं बोलियों की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित समाचार मद बीएसएनएल द्वारा डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्स (डी डब्ल्यू डी एम) उपक्रण के लिए जारी की गई निविदा से सम्बन्धित है। डी डब्ल्यू डी एम उपकरण की खरीद के लिए निविदा में, जिसे 19.7.2001 को खोला गया, भागीदारी के लिए केवल भारतीय कम्पनियां पात्र थीं। ग्यारह भारतीय कम्पनियों ने इस निविदा में भाग लिया जिसमें से चार कंपनियों ने चीनी प्रौद्योगिकी वाले अपने उपकरण प्रदान करने की पेशकश की।

(ग) से (ङ) डी डब्ल्यू डी एम उपकरण में नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) की व्यवस्था है। इस साफ्टवेयर में स्व-निर्मित सुरक्षा है और केवल अधिकृत स्टाफ को प्रचालन के लिए पासवर्ड दिया जाता है। यह नेटर्वक प्रबंधन प्रणाली पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं है और इसलिए नेटवर्क को दूर से अवरुद्ध करना या किसी सूचना के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, डी डब्ल्यू डी एम उपकरण की खरीद के लिए निविदा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और निर्णय लेते समय सुरक्षा सम्बन्धी पहलू सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

ट्रांजिट मेल कार्यालयों के लिए अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर

2732. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रांजिट मेल कार्यालयों को आपूर्तित अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और कम्प्यूटर बेकार पड़े हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) मार्च, 2000 तक सरकार द्वारा इस मद में कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा राजकोष को इतनी बड़ी क्षति पहुंचाने में संलिप्त उन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) ट्रांजिट मेल कार्यालयों को सप्लाई किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आकस्मिक व्यवधान पैदा हो गया था। फलस्वरूप इसकी पुनरीक्षा की गई, इसको संशोधित किया गया और अब इसे सुस्थिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) ट्रांजिट मेल कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मार्च 2000 तक सरकार ने 1,88,75,570.00 रु. व्यय किये हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डेडवेट टनेज इन्सेन्टिव स्कीम

2733. श्री के.ई. कृष्णामूर्ति: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न पत्तनों में 'डेडवेट टनेज इन्सेन्टिव स्कीम' को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पत्तन संघ ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) बड़े/अधिक सकल भार नामित जलयानों को हैंडल करने के लिए सकल टनभार प्रोत्साहन स्कीम केवल जवाहर लाल नेहरू, चेन्नै और कोचीन महापत्तनों पर कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि का दुरूपयोग

2734. श्री अरूण कुमार:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में धनराशि के दुरूपयोग के आरोपों की जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में औचक जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तरदायी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) जी, हां। 3.1.2002 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोध शाखा, दिल्ली ने एच एल ए प्रयोगशाला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक आकस्मिक जांच की थी ताकि इस विश्वसनीय सूचना का सत्यापन किया जा सके कि रोगियों से लिए गए जांच शुल्कों का सही ढंग से हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है और इन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रोकड़/लेखा विभाग में जमा नहीं कराया जा रहा है। अभी तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोध शाखा दिल्ली से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग

2735. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेहूरोड एवं तालेगांव को जोड़ने के लिए मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क परिवहन को सुचारू बनाने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) जी नहीं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एसटीडी/पीसीओ बूथों को साइबर कैफे में परिवर्तित किया जाना

2736. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना इंटरनेट टेलीफोन के साथ विश्व में सर्वत्र सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश में स्थित पीसीओ/एसटीडी बूथों को साइबर कैप में परिवर्तित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे एसटीडी/आईएसडी दरों में कितनी कमी आएगी;

(ग) यह कब तक लागू होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार ई-कामर्स एवं ई-गवर्नेंस के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का है;

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने का निर्णय लिया है। अब दूरसंचार सेवाओं के प्रचालकों द्वारा इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई की जानी है। इंटरनेट टेलीफोनी को लागू करने के बाद ही एसटीडी/आईएसडी दरों पर इसके प्रभाव का पता चलेगा और अंतत: इसका निर्धारण यथा समय सृजित प्रतिस्पर्धा द्वारा होगा।

(घ) और (ङ) ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेन्स इंटरनेट प्रौद्योगिकी के कुछ अनुप्रयोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता यथा उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के माध्यम से इस प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकेगी।

भारत और बंगलादेश के बीच बकाया मामले

2737. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अवैध आप्रवासियों के मुद्दे से संबंधित भारत और बंगलादेश के बीच वर्ष 1990-91 में हस्ताक्षरित समझौता अभी भी प्रभावी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच बकाया मुद्दों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (ग) भारत सरकार बंगलादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों के मामले को विभिन्न बैठकों में नियमित रूप से उठा रही है। 29-31 मार्च, 1994 को नई दिल्ली में भारत-बंगलादेश के बीच प्रथम संयुक्त कार्य-दल की बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि अवैध रूप से सीमा पार करने के मामलों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच 1991 में किए गए प्रबंधों को पुन: आरंभ किया जाए। 19-21 अप्रैल, 1995 को ढाका में संयुक्त कार्य दल की द्वितीय बैठक में इन प्रबन्धों को संशोधित करके विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों में अवैध प्रवासियों को वापिस भेजने की व्यवस्था है। अप्रैल, 2000 में नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्त्ताओं में, दिसम्बर, 2000 में दिल्ली में भारत और बंगलादेश के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्त्ताओं में तथा 28 मार्च से 1 अप्रैल 2001 को दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच महानिदेशक स्तर की बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष संयुक्त कार्य दल की द्वितीय बैठक में सहमत विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने पर सहमत थे। पड़ोसी मित्र होने के नाते दोनों देश बातचीत के द्वारा सभी बकाया मसलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है।

गरीबी स्तर

2738. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो नब्बे के दशक में गरीबी के स्तर में कमी लाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या गरीबी स्तर में कमी लाने संबंधी प्रगति बहुत धीमी रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीबी स्तर का आकलन करने संबंधी विद्यमान प्रक्रिया को परिवर्तित करने का है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से मानदंड अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सामान्यत: पूरे देश में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी स्तर में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता एवं संख्या का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगता है। ऐसे दो नवीनतम सर्वेक्षण 1993-94 (एनएसएस का 50वां दौर) तथा 1999-2000 (एनएसएस का 55वां दौर) में कराए गए थे। एनएसएसओ द्वारा 1993-94 में कराए गए 50वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 320.4 मिलियन थी जो कि कुल जनसंख्या का 35.97 प्रतिशत है। 55वें दौर के नवीनतम वृहद सर्वेक्षण के आंकड़े देश में 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 260.25 मिलियन दर्शाते हैं, जो कुल जनसंख्या का 26.10 प्रतिशत है।

(ङ) से (छ) फिलहाल गरीबी रेखा के आकलन की पद्धति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, क्योंकि यह गरीबी के अनुपात व संख्या के आकलन हेतु देश के अग्रणी विशेषज्ञों वाले विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर आधारित है।

(ज) देश में गरीबी के उन्मूलन और उसमें कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। ये है: (1) आर्थिक विकास की गति को तेज करना (2) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को उठाने आदि के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास, तथा (3) रोजगार एवं आय-सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि सामान्य विकास प्रक्रिया और गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर चलाए गए विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रमों से गरीबों को हुई प्रत्यक्ष आय सृजन के परिणामस्वरूप हुई। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) से सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार एवं परिसम्पत्ति सृजन स्कीमें कार्यान्वित करती आ रही है। ये स्कीमें मुख्यत: दो प्रकार की है: स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) एक प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम रहा है तथा 1980 से ही यह देश के सभी ब्लाकों में प्रचालित किया जा रहा है। छठी योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी) प्रारम्भ में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था। सातवीं योजना में, ग्रामीण श्रम रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) नाम से एक अन्य मजदूरी रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। फिर 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण श्रम रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) शुरू की गई और यह एक प्रमुख मजदूरी रोजगार कार्यक्रम बन गया। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1999 तक गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम भी प्रचालन में थे। ये कार्यक्रम हैं: मिलियन वैल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (ड्वाकरा), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण दस्तकारों को सुधरे हुए टूलकिट्स की पूर्ति (सिट्)

1 अप्रैल, 1999 से ईएएस और जेआरवाई को छोड़कर इन कार्यक्रमों की गरीबी उन्मूलन के संबंध में केंद्रित दृष्टिकोण, वर्ग उधार के लोगों के पूंजीकरण और कार्यक्रमों की बहुलता के साथ जुड़ी समस्याओं पर काबू पाने के प्राथमिक उद्देश्य सहित, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक स्व-रोजगार कार्यक्रम में पुन: संरचना की गई है। 1 अप्रैल, 1999 से ही जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की भी, ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्तियों और सतत-रोजगार के लिए अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने की परिसम्पत्तियों सहित, मांग आधारित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना के प्राथमिक उद्देश्य से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुन: संरचना की गई है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार सृजन है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी रोजगार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल) को दिया जाता है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 15.08.2001 को घोषित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) को सितम्बर, 2001 में शुरू किया गया था। यह स्कीम ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार के सृजन, टिकाऊ ग्रामीण परिसम्पत्तियों और अवसंरचना के सृजन तथा खाद्य सुरक्षा के प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित करती है। जेजीएसवाई स्कीम और ईएएस को इस मेगा स्कीम के दायरे मे ला दिया गया है। एसजीआरवाई एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) होगी जिसे कार्यक्रम के लागत घटक के 75:25 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच लागत शेयर करने के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

आयुर्वेद को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाना

2739. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुर्वेद और आयुर्वेदिक दवाइयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या अनेक देशों ने आयुर्वेद दवाइयों को वहां निर्यात करने के लिए अनुरोध किया है और कई देशों ने अपने यहां हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयुर्वेद को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा समेकित सांख्यिकीय आकंड़े से वर्ष 2000-2001 के दौरान भारतीय पद्धति के संबंध में औषधियों के 221.51 करोड़ रुपये के निर्यात की सूचना मिली है।

सरकार ने विभिन्न देशों, यथा संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, हंगरी और रूस से भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेषत: आयुर्वेद के विशेषज्ञों की मांग प्राप्त की है।

कई शिष्टमंडलों ने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, रूस, पुर्तगाल आदि का दौरा किया है। तथापि, शिक्षण और चिकित्सीय अभ्यास के लिए विशेषज्ञ अभी भेजे नहीं जा सके है।

भारत सरकार और रूसी परिसंघ सरकार के बीच भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग व सहभागिता के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हमने वर्ष 2001-2005 के लिए हंगरी गणराज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग की योजना" पर भी दिसंबर, 2001 में हस्ताक्षर किए हैं।

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा विदेशों में स्थित संस्थानों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

2740. श्री पी.एस. गढ़वीः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और इनमें से प्रत्येक को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इनको दिए जा रहे अनुदानों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अर्थात् गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय काम कर रहा हैं। आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.पी.जी.टी.आर.ए.), जो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का एक संघटक हैं, को इस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्ष 2000-01 के दौरान इस संस्थान को 448.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए। इसके अलावा वर्ष 2000-01 में आयुर्वेदक फार्मेसी के विकास के लिए 85.00 लाख रुपये के विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया। वर्ष 2001-02 के लिए 483.00 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं।

(ख) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नैदानिक अनुसंधान, औषधि अनुसंधान और साहित्यिक अनुसंधान में लगा हुआ है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। आई.पी.जी.टी.आर.ए. को दी गई सहायता प्रर्याप्त समझी गई है।

[हिन्दी]

नर्सिंग महाविद्यालय

2741. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने नर्सिंग महाविद्यालय खोले गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने नर्सिंग महाविद्यालयों को मंजूरी दी गई है/मान्यता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार एवं स्थानवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान 80 नर्सिंग कालेजों को मान्यता प्रदान की गई हैं। इसके अलावा वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा 32 कालेजों को मान्यता प्रदान की गई है। वर्षवार तथा राज्यवार सूचना विवरण-I पर दी गई है।

10 नर्सिंग कालेजों के संबंध में कार्रवाई चल रही है जिसका ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेजों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-02 (फरवरी तक)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	11	4
2.	दिल्ली	-	-	1	-
3.	गुजरात	1	-	-	-
4.	कर्नाटक	3	20	15	13
5.	मध्य प्रदेश	-	-	1	2
6.	महाराष्ट्र	1	2	3	2
7.	मिजोरम	-	1	-	-
8.	उड़ीसा	1	-	-	-
9.	पंजाब	-	1	2	2
10.	सिक्किम	-	-	-	1
11.	तमिलनाडु	2	8	6	8
12.	पश्चिम बंगाल	-	-	1	-
	कुल	8	32	40	32

विवरण-II

वर्ष के दौरान नर्सिंग कालेज खोलने हेतु प्राप्त प्रस्ताव

क्रम सं.	संस्था का नाम	कार्यक्रम
1	2	3
कर्नाटक		
1.	श्रीमती सरस्वती गुरूपादप्पा नागमोरपाली, बीदर, कालेज ऑफ नर्सिंग कनार्टक	बी.एससी.(एन)
2.	कीरथी कालेज ऑफ नर्सिंग, गुलबर्गा कर्नाटक	बी.एससी. (एन)
3.	गौधाम काले ऑफ नर्सिंग, बंगलौर कर्नाटक	पी.बी.बी. एससी. (एन)
4.	आक्सफोर्ड कालेज ऑफ नर्सिंग, बंगलौर, कर्नाटक	एम.एससी. (एन)
5.	जे.एस.एस.कालेज ऑफ नर्सिंग मैसूर, कर्नाटक	पी.सी.बी. एससी. (एन)
पंजाब		
6.	कालेज ऑफ नर्सिंग, वेलफेयर सोसाइटी, कोटकापुरा रोड, मुक्तसर, पंजाब	पी.बी.बी.एससी. (एन)
7.	सी/ओ, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंसेज V- पी.ओ. बादल, मुक्तसर, पंजाब	बी.एससी. (एन)
तमिलनाडु		
8.	श्री बालाजी सी/ओ, बेलाचेरी, मेन रोड, चेन्नई तमिलनाडु	बी.एससी. (एन)
9.	एस.आर.एम. कालेज ऑफ नर्सिंग भारतीय साले, रामापुरम, चेन्नई-600089, तमिलनाडु	बीएससी. (एन)
10.	संत जोन्स कालेज ऑफ नर्सिंग, पी.बी.नं. 201, नं.1, धानसुरा काम्पलेक्स, वेल्लूर-632001, तमिलनाडु	बी.एससी. (एन)

[अनुवाद]

टेलीफोन के केबल बिछाना

2742. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2001-2002 के दौरान देश में टेलीफोन केबल बिछाने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 के लिए निर्धारित लक्ष्य संबंधी कार्य अभी हो रहा है। वर्ष 2001-2002 के लिए 3.1.2002 तक पीआईजेएफ भूमिगत केबल के संबंध में 502 एलसीकेएम के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले में 331 लाख कंडक्टर किलो मीटर (एलसीकेएम) और आप्टिकल फाइबर केबल के संबंध में 146000 आरकेएम के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 55644 रूट किलोमीटर की उपलब्धि हासिल की गई है।

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा केबल की आपूर्ति और कार्य निष्पादन में गति लाने के उद्देश्य से अपेक्षित कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक

2743. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक की थी और पकिस्तान के राष्ट्रपति को कुछ दस्तावेज भी सौंपे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षेस शिखर सम्मेलन में भारत की क्या उपलब्धि रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 4-6 जनवरी, 2002 के बीच काठमाण्डू में आयोजित 11वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठकों अथवा वार्ता में हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कोई दस्तावेज नहीं सौपे गए।

(ग) हाल ही में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों, गरीबी उन्मूलन, सार्क सामाजिक चार्टर और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में सहयोग सहित क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रगति हुई। इस अवसर पर सार्क देशों के विदेश मंत्रियों ने दो अभिसमयों-वेश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और बच्चों में देह-व्यापार पर रोक और उसका सामना करने पर अभिसमय' और 'दक्षिण एशिया में बाल कल्याण के संवर्धन हेतु क्षेत्रीय व्यवस्थाओं पर अभिसमय' पर भी हस्ताक्षर किए।

[अनुवाद]

गलत रक्ताधान

2744. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली सहित चिकित्सालयों में गलत रक्तधान के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, गलत रक्ताधान के किसी मामले की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गलत रक्ताधान के मामलों से बचने के लिए केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रक्त बैंकों में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 उसके अधीन बने नियमों में यथानिर्धारित क्रिया विधि और गुणवत्ता आश्वासन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

2745. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय भण्डार के बारे में 22 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन मामलों में विभागीय जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष, 2000 और 2001 के दौरान वित्तीय दुरूपयोग के अन्य मामलों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार के कार्यकरण में सुधार करने और सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) तीन कर्मचारी अनियमितताओं के दोषी पाए गए हैं। तीन मामलों में, कर्मचारी दंडित किए गए हैं और चौथे मामले में, जांच-अधिकारी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान, वित्तीय अनियमितताओं के तीन मामलों का पता चला है। इन सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) अपने काम-काज के संचालन में सुधार लाने तथा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की दृष्टि से केन्द्रीय भण्डार ने नीचे दर्शाए जा रहे विभिन्न कदम उठाए हैं।

(1) केन्द्रीय भण्डार ने, एक क्रय-नीति बनाई है जो उसके निदेशक-मण्डल द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित है।

(2) जहां कहीं संभव हो, पंजीकृत/विख्यात आपूर्तिकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा विकसित करने की दृष्टि से, उनसे सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

(3) केन्द्रीय भंडार, आपूर्तिकर्ताओं से यह वचन-पत्र लेता आ रहा है कि उनके द्वारा उद्धृत दरें न्यूनतम हैं।

(4) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय भण्डार आपूर्तिकर्ताओं से कीमत की गारन्टी से संबंधित क्षतिपूर्ति का बॉण्ड भी लेता आ रहा है कि उपभोक्ताओं को सामान सर्वोत्तम अर्थात् न्यूनतम मूल्य पर मिले।

(5) सभी स्टोरों पर उपभोक्ताओ द्वारा सुझाव/शिकायत आदि भेजे जाने के लिए पहले से ही कीमत अदा किए हुए पोस्ट-कार्ड भी मुहैया करवाए गए हैं।

(6) केन्द्रीय भण्डार में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं और वह अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के बारे में मिलने वाली सभी शिकायतें देखते हैं। शिकायतों की समुचित जॉच-पड़ताल के उपरांत, उनके बारे में, नियमों के अनुसार, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

उड़ीसा में स्पीड पोस्ट सुविधाएं

2746. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कौन-कौन से जिलों के डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिवासी बहुल इस राज्य में डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इन जिलों और अब डिवीजनों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) उड़ीसा में नवरंगपुर और मलकानगिरी ऐसे दो जिला मुख्यालय हैं जहां स्पीड पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है जिसे व्यवसायिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, मांग के निर्धारण, प्रत्याशित राजस्व और परिवहन नेटवर्क पर आधारित होता है।

बिक्री-कर की शेष राशि

2747. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली-बिक्री-कर विभाग ने वर्ष 1995-96 तथा 1998-99 के लिए केन्द्रीय भण्डार से क्रमश: 1,37,00,000 रुपए और 9,06,23,549/- रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर यह मांग की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार अभी भी अपने द्वारा वसूल किए जाने वाले स्थानीय बिक्री-कर के भुगतान का अन्वेषण कर रहा है पर अपने बीचकों में उसे प्रदर्शित नहीं कर रहा है और इस संबंध में दिल्ली-बिक्री-कर विभाग ने केन्द्रीय भण्डार में एक शिकायत दर्ज कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दिल्ली-बिक्री-कर विभाग ने वर्ष 1995-96 और वर्ष 1998-99 से संबंधित निम्नलिखित मांगें की हैं:

वर्ष 1995-96	-	1,38,67,205/-रुपए
वर्ष 1998-99	-	दो आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से एक आदेश, 1,12,208/- रुपए की वापसी के बारे में था तथा दूसरे आदेश में 1,43,31,686/- रुपए के कर की वसूली की मांग की गई थी।

(ख) से (घ) बिक्री-कर-विभाग ने एजेंसी के आधार पर, बिक्री-कर लगाना तय किया जिसका केन्द्रीय भण्डार के संबंधित वर्षों के बही-खातों में लेखा-जोखा नहीं रखा गया। केन्द्रीय भण्डार का यह मत है कि बिक्री कर, एजेंसी-बिक्री पर लगाए जाने योग्य नहीं है और तद्नुसार उसने इस बारे में समुचित प्राधिकारियों के समक्ष अपीलें दायर कर दी हैं तथा लगभग 1.82 करोड़ रुपए की

धनराशि भी जमा करवा दी है। ये मामले अभी भी न्यायाधीन हैं। केन्द्रीय भण्डार को, बिक्री-कर-विभाग से हाल ही में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार को, कुछ दस्तावेज पेश किए जाने का अनुरोध मिला है, जिसे माना जा रहा है।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

2748. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के गंजम जिले में नए दूरभाष केन्द्रों की स्थापना और अनुज्ञेय करवेज दूरी के अन्दर टेलीफोन लाइनों के विस्तार के लिए कोई आवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस जिले के कितने व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं प्रदान किए गए हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। जहादा और नंदीघर में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) फरवरी, 2002 की स्थिति के अनुसार 450 व्यक्ति।

(घ) और (ङ) चूंकि अधिकतर आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं इसलिए उन्हे अगले दो महीनों के भीतर मौजूदा एक्सचेंजों से वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) उपकरण के माध्यम से अथवा लैंडलाइन के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतें

2749. श्री रामदास आठवले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय में लोक शिकायत और पेंशन के संबंध में प्रतिमाह औसतन कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) आज की तिथि के अनुसार कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है और उनमें से कितनी लम्बित हैं;

(ग) इनमें से दिल्ली से संबंधित कितनी शिकायतें हैं और उनकी प्रकृति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धारित समय के अन्दर शिकायतों का निपटान करने के लिए प्रखण्ड/जिला स्तर पर जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) 1.1.99 से 31.12.2001 तक की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री कार्यालय में प्राप्त लोक शिकायतों और पेंशन संबंधी शिकायतों की मासिक औसत संख्या 8153 थी।

(ख) प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त सभी शिकायतों की छानबीन की जाती है और उन्हें समुचित कार्रवाई के लिए संबधित अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है।

(ग) 1.1.1999 से 31.12.2001 तक की अवधि में दिल्ली से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या 25,883 थी। इन शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ बेरोजगारी, सेवा संबंधी शिकायतें, फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन, पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें, अप्राधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण आदि संबंधी शिकायतें शामिल होती हैं।

(घ) से (च) राज्य सरकारों ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा 24 मई, 1997 को आयोजित किए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के लिए एक कार्ययोजना अपनाई थी। इस योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य सरकारें लोक शिकायतों के शीघ्र एवं प्रभावी निवारण के लिए सचिवालय से लेकर गांव स्तर तक विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार करेंगी। संबंधित राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे शिकायतों के निवारण के बारे में संबंधित मुद्दों पर प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए कार्ययोजना के ध्यान में रखते हुए एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेंगी।

[अनुवाद]

भारत-चीन संबंध

2750. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत-चीन सहयोग स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास भारत-चीन संबंधों में सुधार संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) भारत और चीन ने कई क्षेत्रों में सहयोगी संबंध स्थापित कर लिए हैं। भारत और चीन के सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम, कोयला, इस्पात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इत्यादि में समझौता ज्ञापन/कार्य दल हैं। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय व्यापार 2000 की तुलना में 23.4 प्रतिशत बढ़कर 2001 में 3.596 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है।

(ख) से (ग) भारत सरकार चीन के साथ पंचशील के सिद्धांतों, एक दूसरे की हित-चिंताओं के प्रति परस्पर संवेदनशीलता और समानता के आधार पर मैत्री और अच्छे पड़ौसी के संबंधों का विकास करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसे मई-जून 2000 में चीन की राष्ट्रपति को यात्रा, जनवरी, 2001 में वरिष्ठ चीनी नेता और एन पी सी अध्यक्ष श्री ली पेंग की यात्रा और जनवरी 2002 में चीन प्रीमियर जू रोंगजी की यात्रा के दौरान सहित, भारत और चीन के बीच हाल के उच्च स्तरीय राजनैतिक आदान-प्रदान के दौरान रेखांकित किया गया है।

चीन के प्रीमियर जू रोंगजी की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बाह्य अंतरिक्ष, पर्यटन, फाईटोसेनेटरी उपाय और बाढ़ के मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में भारत के लिए चीन द्वारा जल विज्ञान आकड़ों की पूर्ति के संबंध में सहयोग से संबंध छह समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर हुए। इन दस्तावेजों से भारत-चीन संबंधों का विस्तार और विविधता परिलक्षित होती हैं।

दोनों प्रधान मंत्री (1) भारत-चीन सीमा के आर-पार वास्तविक नियंत्रण रेखा के संरेखन के स्पष्टीकरण तथा पुष्टिकरण की प्रक्रिया को तेज करने, (2) आतंकवाद के विरुद्ध एक द्विपक्षीय संवाद तंत्र स्थापित करने के लिए भी समहत हुए हैं। विदेश मंत्रालयों के बीच तौर-तरीकों पर चर्चा चल रही है, और (3) व्यापार और आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ करने के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए मंत्री स्तरीय संयुक्त आर्थिक समूह की सातवीं बैठक अयोजित करने के लिए सहमति हुई।

प्रधान मंत्री को चीन की यात्रा का निमंत्रण मिला है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यात्रा की तिथियां राजनयिक माध्यमों के जरिए तय की जाएंगी।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा पारपत्र जारी करना

2751. श्री मोहन रावले: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितने पारपत्र कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या पारपत्र आवेदकों की बढ़ती संख्या तथा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की जांच में विलम्ब के दृष्टिगत सरकार राज्य सरकारों को पारपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) देश में अभी कार्यरत पासपोर्ट कार्यालयों की कुल संख्या 28 है। सदन के पटल पर एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) देश को 28 पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्त सरकार ने अंडमान और निकोबार प्रशासन को भी पासपोर्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों की राजधानियों में भी पासपोर्ट जारी करने की सुविधा का विस्तार हो सके।

सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं को विकेन्द्रित करने और इन्हें जनता के और निकट लाने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदक पूरे देश के सभी राज्यों में जिला मैजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के जरिए अपने भरे हुए पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। जिन जिलों में आवेदनों की संख्या 10,000 प्रतिवर्ष से अधिक हो जाती है, उनमें इस कार्य के लिए जिला पासपोर्ट सैल होंगे। प्रपत्रों और दस्तावेजों की जांच जिला पासपोर्ट सैल द्वारा की जाएगी और फिर इन्हे पासपोर्ट जारी किये जाने के लिए पासपोर्ट कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यह योजना पहले ही सिक्कम, नागालैंड, तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में शुरू हो गयी है।

विवरण

भारत में पासपोर्ट कार्यालयों की संख्या

क्र. सं.	पासपोर्ट कार्यालय/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम
1.	अहमदाबाद
2.	बंगलौर
3.	बरेली
4.	भोपाल
5.	भुवनेश्वर
6.	कोलकाता
7.	चण्डीगढ़
8.	चेन्नई
9.	कोचिन
10.	दिल्ली
11.	गाजियाबाद
12.	गुवाहाटी
13.	हैदराबाद
14.	जयपुर
15.	जालंधर
16.	जम्मू
17.	कोजीकोड
18.	लखनऊ
19.	मुम्बई
20.	नागपुर
21.	पणजी
22.	पटना
23.	पुणे
24.	श्रीनगर
25.	थाणे
26.	त्रिची
27.	त्रिवेन्द्रम
28.	विशाखापत्तनम

सेल्यूलर मोबाइल सेवा

2752. श्रीमती जयश्री बैनजी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) क्या ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जहां अब भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (ग) मध्य प्रदेश टेलीकाम सर्किल में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (सी.एम.टी.एस) के प्रचालन के लिए निम्नलिखित चार कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं:-

1. मै. आर पी जी सेलकाम लिमिटेड.
2. मै. रिलायन्स टेलीकाम (प्राइवेट) लिमिटेड
3. मै. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
4. मै. भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड।

इन चार कम्पनियों में से, मध्य प्रदेश टेलीकॉम सर्किल में पहली दो कम्पनियों द्वारा सेवा शुरू की गई है तथा भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ (सीओएआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये दोनों कम्पनियों जिला मुख्यालय जबलपुर में भी सीएमटीएस सेवा उपलब्ध करा रही हैं।

बीएसएनएल ने भी जिला मुख्यालय जबलपुर में सीएमटीएस सेवा मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है तथा अगले वित्त वर्ष में नेटवर्क रोल-आउट की आशा है। बीएसएनएल की योजना में जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण केन्द्रों और राजमार्गों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है जिसके कारण आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को उक्त सुविधा का आकस्मिक लाभ मिल सकता है।

सी एम टी एस लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार, एक आपरेटर के लिए जिला मुख्यालय का 10% एक वर्ष के भीतर और 50% तीन वर्ष के भीतर कवर करना आवश्यक है। कवर किए जाने वाले मुख्यालयों/शहरों को चुनने और जिला मुख्यालयों/कस्बों के 50% से अधिक हिस्से को कवर करने का अधिकार लाइसेंसधारकों के व्यावसायिक निर्णय पर निर्भर करेगा। लाइसेंस के

अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज की बाबत सेल्यूलर प्रचालकों के हित के लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में दूरभाष केन्द्र

2753. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने दूरभाष केन्द्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दूरभाष केन्द्रों की विद्यमान क्षमताओं में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आंध्र प्रदेश में 2815 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं। 31.01.2002 की स्थिति के अनुसार उनकी कुल क्षमता 36,34,140 लाइनों की है।

(ख) और (ग) जी, हां, वर्ष 2001-2002 के दौरान, उनकी क्षमता में 2.7 लाख लाइनें और बढ़ाई गई। मार्च 2002 तक लगभग 1.5 लाख लाइनें और बढ़ाने की योजना है।

[हिन्दी]

एस.टी.डी. सुविधा

2754. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार जम्मू और कश्मीर, बिहार और झारखंड में जिलेवार कितने दूरभाष केन्द्र एस.टी.डी. सुविधा युक्त हैं;

(ख) कितने दूरभाष केन्द्रों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और तत्संबधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य में सभी दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आज की तिथि के अनुसार, जम्मू व कश्मीर के 300 टेलीफोन एक्सचेंजों, बिहार के 976 टेलीफोन एक्सचेंजों और झारखंड के 365 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा है।

राज्यवार/जिला-वार ब्यौरे विवरण-I व II में दिए गए हैं।

(ख) आज की तिथि के अनुसार जम्मू व कश्मीर के 28 टेलीफोन एक्सचेंजों और झारखंड के 3 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा नहीं है। बिहार के सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

राज्य-वार/जिलावार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) (1) झारखंड के शेष तीन एक्सचेंजों में अप्रैल, 2002 तक एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

(2) जम्मू व कश्मीर के शेष 28 टेलीफोन एक्सचेंजों में मार्च 2003 तक चरणबद्ध तरीके से एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है बशर्ते निधि व सामग्री उपलब्ध हों।

विवरण-I

आज की तारीख तक एस टी डी सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

बिहार

क्र.सं.	जिला	एसटीडी सुविधा वाले एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
1.	आरा	26
2.	बक्सर	16
3.	भागलपुर	40
4.	बांका	19
5.	बेतिया	28
6.	छपरा	32
7.	सिवान	25
8.	गोपालगंज	18
9.	दरभंगा	52

1	2	3
10.	मधुबनी	41
11.	गया	36
12.	जहानाबाद	14
13.	औरंगाबाद	25
14.	नवादा	19
15.	अरवल	8
16.	हाजीपुर	43
17.	कटिहार	22
18.	पुर्णिया	20
29.	अररिया	14
20.	किशनगंज	15
21.	खगड़िया	20
22.	बेगूसराय	31
23.	मोतिहारी	44
24.	मुंगेर	14
25.	जमुई	17
26.	लखीसराय	14
27.	शेखपुरा	11
28.	मुजफ्फरपुर	39
29.	सीतामढ़ी	24
30.	शिवहर	6
31.	पटना	48
32.	नालंदा	37
33.	सहरसा	24
34.	सुपौल	21
35.	मधेपुरा	19
36.	समस्तीपुर	46
37.	सासाराम	30
38.	भभुआ	18
	जोड़	976

विवरण-II

आज की तिथि के अनुसार एसटीडी सुविधा वाले एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	एसटीडी सुविधा वाले एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
	जम्मू व कश्मीर	
1.	अनंत नाग	15
2.	बड़गांव	10
3.	बारामुल्ला	20
4.	डोडा	10
5.	जम्मू	72
6.	कारगिल	09
7.	कथुआ	36
8.	कुपवाड़ा	03
9.	लेह	24
10.	पूंछ	10
11.	पुलवामा	09
12.	राजौरी	.22
13.	श्रीनगर	12
14.	उधमपुर	48
	जोड़	300
	झारखंड	
1.	रांची	57
2.	लोहार दगा	6
3.	गुमला	11
4.	सिमदेगा	10
5.	धनबाद	26
6.	बोकारो	24

1	2	3
7.	हजारीबाग	39
8.	कोडरमा	10
9.	गिरीडीह	25
10.	चतरा	5
11.	पूर्व सिंहभूम	30
12.	पश्चिम सिंहभूम	24
13.	लतेहार	10
14.	पलामू	17
15.	गढ़वा	9
16.	पाकुर	7
17.	दुमका	14
18.	जमतारा	6
19.	साहिबगंज	13
20.	देवगढ़	10
21.	गोड्डा	10
22.	सरायकेला	2
	जोड़	365

विवरण-III

आज की तिथि के अनुसार एसटीडी सुविधा रहित टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	एसटीडी सुविधा रहित एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
	जम्मू व कश्मीर	
1.	बारामुल्ला	1
2.	डोडा	10
3.	कारगिल	1
4.	कुपवाडा	1
5.	लेह	1
6.	पूंछ	6
7.	पुलवामा	2
8.	राजौरी	6
	जोड़	28
	झारखंड	
1.	गोड्डा	1
2.	पश्चिम सिंहभूम	2
	जोड़	3

[अनुवाद]

रोजगार सृजन

2755. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्य को हसिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) अब तक किस सीमा तक लक्ष्य हासिल किए गए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि चालू आर्थिक सुधार रोजगार सृजन में असफल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा रोजगार के और अधिक अवसरों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती

वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) आठवीं योजना (1992-97) और नौवीं योजना (1997-2002) के बीच रोजगार अवसरों में वृद्धि श्रमबल में प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत की समनुरूपी वृद्धि के साथ 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष आंकी गई थी। नवीनतम सर्वेक्षण आंकड़े, जो वर्ष 1999-2000 तक के उपलब्ध हैं, 1993-94 से 1999-2000 के बीच रोजगार अवसरों में 1.02 प्रतिशत वृद्धि और श्रम बल में 1.08 प्रतिशत की प्रतिवर्ष वृद्धि दर्शाते हैं।

(ङ) और (च) यूपीएसएस आधार पर, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1993-94 में 374 मिलियन से बढ़ कर 1999-2000 में 398 मिलियन हो गई।

(छ) 2002-03 के बजट प्रस्तावों में अर्थव्यवस्था में श्रम गहन क्षेत्रकों के विकास के लिए की गई पहलों के अलावा, वित्त मंत्री ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) को जारी रखने और जय प्रकाश रोजगार गारन्टी योजना (जेपीआरजीवाई) शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

व्यय सुधार आयोग

2756. श्री अमर रायप्रधान: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में गठित व्यय सुधार आयोग द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 की तिथि के अनुसार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों द्वारा जिन सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना शेष है उनका ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक उन्हें कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें ईमानदारी से कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

व्यय सुधार आयोग (9वीं रिपोर्ट) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट/टिप्पणियां

सिफारिश सं.1

सभी महापत्तनों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वी आर एस) शुरू करने और सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर वापस 58 वर्ष करने के निर्णय से स्टाफ की संख्या में 16000 व्यक्तियों की कमी करने में सहायता मिली है। तथापि, भारतीय पत्तनों में स्टाफ की संख्या अभी भी बहुत अधिक है और इस संख्या को कम करके सामान्य स्तर पर लाने के लिए इन स्कीमों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।

की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने सभी नई भर्तियों पर रोक लगाने का पहले ही निर्णय ले लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऐसी सभी रिक्तियां जो एक वर्ष से ज्यादा समय से खाली पड़ी हैं, समाप्त हो जाएंगी। पत्तनों को स्टाफ की आवश्यकता का पता लगाने के बाद फालतू स्टाफ को अभिज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और फालतू स्टाफ को धीरे-धीरे कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

सिफारिश सं. 2

सरकार को ऐसी पत्तन कंपनियां स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जिनको बर्थ और हैंडलिंग उपस्कर जैसी सभी वाणिज्य सुविधाएं पट्टे पर दी जा सकें और पत्तन न्यास भूमि और तटीय नगरभाग का केवल स्वामित्व अपने पास रखे। इन पत्तन कंपनियों का सार्वजनिक पेशकश के जरिए से जल्दी अधिमान्य रूप से निजीकरण कर दिया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक 31.8.2001 को लोक सभा में पेश किया गया है जिससे पत्तन न्यासों के निगमीकरण के लिए अधिनियम में एक समर्थन प्रावधान उपलब्ध होगा।

सिफारिश सं. 3

मंत्रालय में विकास सलाहकार के पद और विकास पक्ष को समाप्त किया जा सकता है।

की गई कार्रवाई

यह मंत्रालय विकास सलाहकार का पद समाप्त करने पर सहमत नहीं है। विकास सलाहकार के पद को घटाकर संयुक्त सचिव के स्तर का बना दिया गया है और विकास पक्ष की संख्या में हाल में ही कमी की गई है।

सिफारिश सं. 4

भारतीय निकर्षण निगम (डी सी आई) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसका निजीकरण किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई

मामले को विनिवेश आयोग को भेज दिया गया है।

सिफारिश सं. 5

मंत्रालय के अधीन कार्यरत लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का निगमीकरण कर दिया जाना चाहिए अथवा वाणिज्यिक आधार पर इसका प्रचालन करने दिया जाए या इसे भारत सरकार के मुख्य जलराशिक सर्वेक्षण के कार्यालय के साथ संबद्ध कर दिया जाए।

की गई कार्रवाई

लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन पहले से ही न लाभ न हानि आधार पर प्रचालन कर रहा है। लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण अंडमान एवं लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर से नौवहन महानिदेशालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। दोनों के मुख्यालय मुम्बई में हैं। यह महसूस किया जाता है कि लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन को भारत सरकार के मुख्य जलराशिक सर्वेक्षक के कार्यालय के साथ समबद्ध करने से कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

सिफारिश सं. 6

अंडमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य को या तो संबंधित संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को सौंप दिया जाए अथवा इसका कलकत्ता/चेन्नै पत्तन न्यास और कोचीन पत्तन न्यास के साथ विलय कर दिया जाए।

की गई कार्रवाई

मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान अंडमान एवं लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्य का क्रमश: अंडमान एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ विलय करने की पहले ही सिफारिश कर दी है।

सिफारिश सं. 7

पोत अधिग्रहण की लाइसेंसिंग समाप्त कर दी जानी चाहिए और सरकार को पोत की सुरक्षा तथा समुद्री योग्यता सुनिश्चित करने के लिए इसे नौवहन महानिदेशालय पर छोड़ देना चाहिए।

की गई कार्रवाई

पहले ही किया जा चुका है। आवश्यक आदेश/मार्गनिर्देश 15.6.2001 को जारी किए गए।

सिफारिश सं. 8

चार संस्थानों अर्थात् (1) प्रशिक्षण पोत चाणक्य (2) मैरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इन्सिट्यूट मुम्बई, (3) मैरीन इंजीनियरिंग एडं रिसर्च इन्स्ट्यूट, कलकत्ता, और (4) एल बी एस कॉलेज ऑफ एडवांस मैरीटाइम स्टडी एंड रिसर्च, मुम्बई को चलाने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित इंडियन इन्स्ट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज को सम विश्वविद्यालय अथवा आई आई टी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसे पूर्णरूप से स्वायत्त होना चाहिए।

की गई कार्रवाई

पहले ही किया जा चुका है। आवश्यक कार्रवाई चल रही है।

सिफारिश सं. 9

एस सी आई विनिवेश के लिए एक उम्मीदवार है और विनिवेश पूरा किया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई

विनिवेश प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। सरकार ने अपना इक्विटी हिस्सा घटाकर 26% करने का निर्णय लिया है।

सिफारिश सं. 10

ट्रांसचार्ट के प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण से स्टाफ की संख्या घट जाएगी। यह कार्य 6 माह में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई

चार्टरिंग पक्ष के पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्रवाई पहले से ही की जा रही है तथापि चार्टरिंग पक्ष की स्टाफ संख्या में किसी भी प्रकार की कमी करने के लिए मूल्यांकन पक्ष का पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकरण करने के बाद ही किया जा सकता है और स्टाफ की आवश्यकता के संबंध में मूल्यांकन पक्ष का पूर्ण रूप से कम्पयूटरीकरण करने के बाद कोई छ: से बारह माह बाद किया जाता है।

सिफारिश सं. 11

एच एस एल जो कि घाटा उठाने वाली कंपनी है, के लिए एक अनुकूल सहभागी प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए और भारत सरकार को होल्डिंग का विनिवेश करना चाहिए।

की गई कार्रवाई

कम्पनी से संबंधित यह मामला पहले ही विनिवेश आयोग को भेज दिया गया है।

सिफारिश सं. 12

सी एस एल को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का कोई अनुकूल अथवा वाणिज्यक औचित्य नहीं है। कंपनी का यथाशीघ्र निजीकरण कर देना चाहिए।

की गई कार्रवाई

कंपनी से संबंधित यह मामला पहले ही विनिवेश आयोग को भेज दिया गया है।

सिफारिश सं. 13

एच डी पी ई के पास कलकत्ता में बहुमूल्य भूमि है और इसको रयल इस्टेट के रूप मे बेचा जाना चाहिए।

की गई कार्रवाई

कंपनी के भविष्य से संबंधित निर्णय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसलिए भूमि के निपटान से संबंधित निर्णय उसके बाद ही लिया जा सकता है।

सिफारिश सं. 14

सी आई डब्ल्यू टी सी के जहाज निर्माण और मरम्मत कार्यकलाप बन्द कर दिए जाने चाहिए और इसकी परिसम्पत्तियां बेच दी जाएं।

की गई कार्रवाई

मंत्रिमंडल के अनुमोदन से सी आई डब्ल्यू टी सी के राजाबागान डॉक यार्ड को बन्द करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

सिफारिश सं. 15

जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कार्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के व्यावसायिक रूप से चलाये जा रहे शिपयार्डों द्वारा किए जाने से तथा उदार अर्थव्यवस्था में अनुषंगी विकास होने से एस बी आर पक्ष को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत से संबंधित विकास कार्य यार्डों के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए जिनको इस क्षेत्र में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकास की मंत्रालय की तुलना में बेहतर समझ और जानकारी है।

की गई कार्रवाई

आवश्यक कार्रवाई चल रही है।

सिफारिश सं. 16

एन एस डी आर सी को मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

की गई कार्रवाई

एन एस डी आर सी पहले से ही आत्मनिर्भर है और बजटीय संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं। इसको मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर लाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि सोसायटी का अधिदेश मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के भीतर है।

सिफारिश सं. 17

इस मामले की, कि क्या दीपघरों और अन्य नौचालन उपकरणों को स्थापित करने और उनका प्रचालन करने के कार्य का निजीकरण सरकार के पास अथवा मानक व गुणता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के पास हो, जांच की जानी चाहिए।

की गई कार्रवाई

इनका निजीकरण नहीं किया जा सकता है। दीपघर आवश्यक अवसंरचना और नौचालनात्मक सहायक उपकरण जो कि सुरक्षा आवश्यकताओं का हिस्सा हैं, उपलब्ध कराते हैं और उनका व्यापारीकरण नहीं किया जा सकता। इस समय दीपघर एवं दीपपोत विभाग राजकोष पर बोझ नहीं हैं क्योंकि वसूल किए गए प्रकाश शुल्क विभाग के खर्च को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा ही है।

सिफारिश सं. 18

महा और लघु पत्तनों मे सफाई संबंधी कार्यकलापों की निगरानी करने और नियंत्रण रखने के लिए एक समुद्री प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए और इसे नौवहन महानिदेशालय और दीपघर महानिदेशालय के कार्य करने चाहिए। इस समुद्री प्राधिकरण में पत्तन प्रभारी के रूप में एक सदस्य, नौवहन प्रभारी के रूप में एक

सदस्य, दीपघर प्रभारी के रूप में एक सदस्य और वित्तीय काम-काज की देख-रेख के लिए एक सदस्य होगा तथा इस प्राधिकरण का प्रमुख इन्हीं सदस्यों में से कोई एक होगा जो अपर सचिव के रैंक का होगा। परिणामस्वरूप महापत्तनों के प्रशुल्क प्राधिकरणों को बंद किया जा सकता है और समुद्री प्राधिकरण को जहां भी आवश्यक होगा, उत्पादक संघ संबंधी/एकाधिकार मुद्दों तथा पत्तनों/नौवहन कंपनियों द्वारा प्रशुल्क के मनमाने निर्धारण के मामले को देखने का अधिकार होगा। समुद्री प्राधिकरण की स्थापना से मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, जिसकी सहायता के लिए एक अथवा दो उप सचिव होंगे, के लिए पत्तन नीति, अंतर्राष्ट्रीय पोटोकॉल और तटीय नौवहन की देख-रेख करना पर्याप्त होना चाहिए।

की गई कार्रवाई

यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिश है क्योंकि यह इस समय फील्ड संगठनों के जरिए किए जा रहे मंत्रालय के विभिन्न कार्यों को फील्ड स्तर पर प्रदर्शित करेगी। इसके अन्तर्गत समुद्री प्राधिकरण के कार्यात्मक ढांचे को तैयार करना, शक्तियों का प्रत्यायोजन करना, उपयुक्त विधान बनाना तथा अन्य परिणामी नीतिगत मुद्दे शामिल हैं। इसलिए इस प्रश्न पर एक अध्ययन करवाना आवश्यक होगा ताकि इन आवश्कताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचा तैयार किया जा सके। इस मंत्रालय ने इस अध्ययन के विचारार्थ विषय तैयार कर लिए हैं और नौवहन महानिदेशक को यह अध्ययन शुरू करने के लिए कहा है।

सिफारिश सं. 19

सरकार, अंतर्देशीय जल परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और एन एच डी पी की तर्ज पर राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम तैयार करे तथा अनुमोदित जलमार्गों को नौगम्य बनाने के लिए तत्संबंधी सभी निवेश से जुड़े निर्णय लेने हेतु व्यय सचिव और योजना सचिव इत्यादि को आई डब्ल्यू ए आई के बोर्ड में शामिल करके इसे अधिकार संपन्न बनाए।

की गई कार्रवाई

स्वीकार है। आई डब्ल्यू ए आई के बोर्ड का 3 पूर्णकालिक निदेशकों और 3 अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों का प्रावधान करके 2001 में विस्तार किया गया है। आई डब्ल्यू ए आई के कार्यों के हिसाब से इसका और अधिक जल्दी विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

सिफारिश सं. 20

पत्तनों के निगमीकरण से और पत्तनों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा दीपघरों की देख-रेख करने के लिए नौवहन महानिदेशालय की सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने हेतु एक समुद्री प्राधिकरण स्थापित करने से और भारतीय नौवहन निगम, शिपयार्डों तथा मंत्रालय में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने से और मंत्रालय में विकास और एस बी आर पक्ष समाप्त करने से मंत्रालय का कार्य काफी कम हो जाएगा।

सिफारिश सं. 21

मंत्रालय के लिए यह पर्याप्त होगा कि एक संयुक्त सचिव दो उप सचिवों की सहायता से सभी पत्तन संबंधी मामलों को देखे और एक संयुक्त सचिव एक उप सचिव की सहायता से शेष बचे नौवहन मामलों और अंतर्देशीय जल परिवहन को देखें। टांसचार्ट को जारी रखा जाना चाहिए हालांकि इसकी स्टाफ संख्या की समीक्षा की जाएगी। पोत परिवहन मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार कम होने से दोनों मंत्रालयों को एक बार फिर मिलाकर जल भूतल परिवहन मंत्रालय बनाने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए ताकि रेलवे को छोड़कर जल भूतल परिवहन के सभी साधनों के संबंध में एक एकीकृत कार्यनीति अपनाई जा सके।

सं. 20 और 21 पर की गई कार्रवाई

यह एक मूल सिफारिश न होकर परिणामी सिफारिश है। पोत परिवहन मंत्रालय की संख्या की जांच पैरा 20 में उल्लिखित कार्रवाई के पूरा होने के बाद की जाएगी। दोनों मंत्रालयों के विलय के मामले पर उचित समय पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

कुपोषण

2757. श्री राजो सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल न्यूट्रीशन मानिटरिंग ब्यूरो ने बिहार में निम्न आय वाले लोगों के बच्चों में कुपोषण के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के दौरान आयोडीन और विटामिन-ए की कमी ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो ने बिहार में निम्न आय समूह के लोगों के बच्चों में कुपोषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एस.टी.डी. सुविधायें

2758. श्री बीर सिंह महतो:
श्री शिवाजी माने:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आज की तिथि के अनुसार एस.टी.डी. सुविधा वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को उक्त सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के सभी एक्सचेंजों में कब तक एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) आज की तिथि के अनुसार महाराष्ट्र के 4140 टेलीफोन एक्सचेंजों और पश्चिम बंगाल के 1388 टेलीफोन एक्सचेंज एस टी डी सुविधा युक्त है।

जिला-वार ब्यौरे विवरण-I व II में दिए गए हैं।

(ख) इस समय महाराष्ट्र के 500 टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा नहीं है। पश्चिम बंगाल के सभी एक्सचेंजों को एस टी डी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) महाराष्ट्र के शेष 500 टेलीफोन एक्सचेंजों को 2002-2003 के दौरान चरणबद्ध तरीके से एस टी डी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

विवरण-I और II

एस टी डी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	एसटीडी सुविधा युक्त एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	अहमदनगर	254
2.	अकोला	83
3.	बाशिम	51
4.	अमरावती	114
5.	औरंगाबाद	127
6.	बीड	60
7.	भंडारा	32
8.	गोंदिया	31
9.	बुलढ़ाणा	82
10.	चन्द्रपुर	69
11.	धुले	70
12.	नन्दुरबर	30
13.	गड़चिरौली	28
14.	जलगांव	195
15.	जालना	63
16.	कल्याण (थाने)	134
17.	कोल्हापुर	305
18.	लातूर	126
19.	नागपुर	134
20.	नांदेड	105
21.	नासिक	211
22.	उसमानाबाद	72

1	2	3
23.	परभनी	53
24.	हिंगोली	33
25.	पुणे	279
26.	रायगढ़	160
27.	रत्नागिरी	136
28.	सांगली	303
29.	सतारा	204
30.	सिन्धु दुर्ग	93
31.	शोलापुर	180
32.	वर्धा	70
33.	यवतमाल	90
34.	मुम्बई	133
35.	थाने	30
	जोड़	4140

पश्चिम बंगाल

1.	बर्दवान	165
2.	मुर्शिदाबाद	84
3.	बाकुरा	63
4.	हावडा	54
5.	हुगली	106
6.	24 परगना (उत्तर)	115
7.	24 परगना (दक्षिण)	136
8.	कूचबिहार	28
9.	जलपाईगुड़ी	50
10.	मिदनापुर	151
11.	नादिया	71
12.	मालदा	50
13.	पुरूलिया	28
14.	दीनाजपुर (उत्तर)	42
15.	दीनाजपुर (दक्षिण)	29
16.	दाजलिंग	70
17.	बीरभूम	81
18.	कोलकाता	65
	जोड़	1388

विवरण-III

एसटीडी सुविधा रहित टेलीफोन एक्सचेजों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिला	एसटीडी सुविधा रहित एक्सचेंजों की सं.
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	अहमदनगर	67
2.	अकोला	–
3.	बाशिम	–
4.	अमरावती	16
5.	औरंगाबाद	16
6.	बीड	58
7.	भंडारा	19
8.	गोंदिया	23
9.	बुलढ़ाणा	35
10.	चन्द्रपुर	15
11.	धुले	14
12.	नन्दुरबर	17
13.	गड़चिरौली	10
14.	जलगांव	18
15.	जालना	16
16.	कल्याण (थाने)	–

1	2	3
17.	कोल्हापुर	–
18.	लातूर	6
19.	नागपुर	–
20.	नांदेड	20
21.	नासिक	18
22.	उसमानाबाद	16
23.	परभनी	4
24.	हिंगोली	12
25.	पुणे	–
26.	रायगढ़	1
27.	रत्नागिरी	12
28.	सांगली	24
29.	सतारा	7
30.	सिन्धु दुर्ग	–
31.	शोलापुर	48
32.	वर्धा	1
33.	यवतमाल	7
34.	मुम्बई	–
35.	थाने	–
	जोड़	500

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक सड़क

2759. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दर्च से पाडुम और जंस्कार से फिर लेह तक एक अन्य वैकल्पिक सड़क बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी):(क) जी हां।

(ख) दारचा से लेह के बीच सड़क की लंबाई लगभग 228 कि.मी. है। परियोजना की मोटे तौर पर अनुमानित लागत लगभग 154.00 करोड़ रुपए है।

(ग) इस परियोजना को 2010 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा

2760. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा संबंधी पी.सी. जैन आयोग ने लगभग 1382 केन्द्रीय अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की थी;

(ख) आयोग द्वारा की गई उन मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकृत और कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिये गठित पी.सी. जैन अयोग के सुझावों के अनुसरण में न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के प्रवधानों की हाल ही में समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि फिलहाल न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में संशोधन नहीं किया जाए।

विवरण

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित आयोग ने, जिसका गठन सरकार द्वारा मई, 1998 में किया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1998 में प्रस्तुत कर दी थी, विभिन्न श्रेणियों के 1382 केन्द्रीय कानूनों को इस आधार पर निरस्त करने की सिफारिश की है कि ये अधिनियम आदि या तो अप्रासंगिक हो गये हैं अथवा अकार्यशील हो गये हैं।

क्र.सं.	विधान का स्वरूप	संख्या
1.	संशोधन अधिनियम	315
2.	विनियोग अधिनियम (लगभग)	700
3.	राज्य विषयों से संबंधित केन्द्रीय अधिनियम	114
4.	केन्द्रीय अधिनियम (राष्ट्रीयकरण-पूर्व के 11 अधिनियम और 20 मान्यकरण अधिनियमों सहित)	166
5.	ब्रिटिश संविधियां जो अभी भी लागू हैं	11
6.	युद्धकाल के स्थायी अध्यादेश	17
7.	पुनर्गठन अधिनियम	35
8.	उच्च न्यायालयों पर लागू कानून	12
9.	वैयिक्तक कानून	12
	जोड़	1382

ऊपर (1) पर उल्लिखित 315 संशोधन अधिनियमों को, निरसन और संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 30) के अधिनियमन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ऊपर (2) पर उल्लिखित 700 विनियोग अधिनियमों का मामला सलाह के लिए भारत के महान्यायवादी को भेजा गया था जो कि उनसे प्राप्त हो गया है और अब लोक लेखा समिति के सचिवालय को उनके विचारों के लिए भेजा गया है। जहां तक ऊपर (3) पर उल्लिखित 114 केन्द्रीय अधिनियमों का संबंध है, राज्य सूची (सूची-II) से संबंधित 5 केन्द्रीय अधिनियमों को न्यायिक प्रशासन विधि (निरसन) अधिनियम, 2001 के अधिनियमन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों को स्थिति से अवगत दिया गया है और शेष अधिनियमों के संबंध में आगे कार्रवाई संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। जहां तक ऊपर (4) से (9) पर उल्लिखित शेष 253 अधिनियमों का संबंध है, आज की तिथि के अनुसार 4 अध्यादेशों सहित 65 अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है। 41 अधिनियम निरस्त किये जाने के विभिन्न चरणों में है। 20 अधिनियमों के संबंध में यह निर्णय लेने के लिए उनकी जांच की जा रही है कि उन्हें निरस्त किया जाए या नहीं। छः अधिनियम राज्य सूची से संबंधित हैं जिन पर कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। 166 केन्द्रीय अधिनियमों, जिन्हें आयोग ने निरस्त करने की सिफारिश की है, की सूची में 4 अधिनियमों को दोहराया गया है। शेष 117 अधिनियमों के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने उन्हें निरस्त न करने का निर्णय लिया है।

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु 16 नवम्बर, 1998 को एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। इसकी अभी तक 23 बैठकें अभी तक 23 बैठकें हो चुकी है।

बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता

2761 श्री के. येरननायडू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 3.5 मिलियन लोग "माइक्रोन्यूट्रियंट डेफिसेंसी" से पीड़ित हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों में लौह तत्व की कमी और रक्ताल्पता व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समाज के निम्न स्तर के लोगों में पोषण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार विटामिन "ए" की कमी के कारण 0.04% दृष्टिहीनता है। लौह अल्पता अरक्तता बच्चों (6-35 महीने) में 74.3% और महिलाओं में 51.8% है।

(ख) समाज के निचले स्तर सहित जनसंख्या की पोषक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे:

- बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन
- आम उत्पादक स्कीमों के माध्यम से लोगों की खरीदने की क्षमता को सुधारना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त लागत पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता
- जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण शिक्षा और स्तन पान के प्रोत्साहन सहित खाने की आदतों में वांछित परिवर्तन लाना।

– अनुपूरक पोषक कार्यक्रम जैसे

(1) एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस)

(2) विशेष पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.)

(3) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (बी.एन.पी.)

(4) गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

(5) प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (पी.एस.जी.वाई)

(6) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

–विशेष पोषण अल्पता विकासी निवारण कार्यक्रम जैसे-

(क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

(ख) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भाग के रूप में विटामिन "ए" अल्पता और लोहे अल्पता के कारण हुई पोषणत्मक अरक्तता का रोग निरोधन

(ग) सूक्ष्म पोषण कुपोषण के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम।

इंडियन एयरलाइन्स के अपहरण का मामला

2762 श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के 'फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्टेस्टिगेशन' ने वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइन्स के आई सी - 814 विमान को अपहरण करके कंधार ले जाने के संबंध में काबुल में एक घर से कतिपय दस्तावेजों को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका सरकार से उन्हें देने के लिए कोई आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) से (घ) सरकार ने इससे संबंधित मीडिया रिपोर्टों को देखा है। अमरीकी सरकार ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि काबुल में 1999 में आई सी 814 विमान के अपहरण से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये हैं। 21-22 जनवरी, 2002 तक नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंध भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की चौथी बैठक में अमरीकी सरकार आतंकवाद, जिसमे भारत से संबंधित आतंकवाद भी शामिल है, से जुड़े अफगानिस्तान में प्राप्त सभी सूचनाओं और साक्ष्यों को बांटने पर सहमत हुई है।

कंटेनर कार्गों की वार्षिक विकास दर

2763. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समुद्री कंटेनर कार्गों की वार्षिक विकास दर 7% प्रतिवर्ष के अंतरराष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में 12.5% प्रतिवर्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ताकि कंटेनर खंड में यह विकास बेहतर पत्तन सुविधाओं के माध्यम से जारी रहे;

(ग) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन तथा अन्य पत्तनों पर भीड़भाड़ से देश में कंटेनर यातायात के विकास में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कंटेनर यातायात वाले पत्तनों पर भीड़भाड़ को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी हां। 1998-99 से 2000-01 की अवधि तक कंटेनरों के लिए उनकी संख्या के संदर्भ में बीस फुट समकक्ष युनिट (टी ई यू) में लगभग 12.5% की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर पंजीकृत की गई है। अन्य कार्गों की तरह कंटेनरों की वृद्धि व्यापार की यात्रा में होने वाली सामान्य वृद्धि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, कंटेनर-योग्य कार्गों के कंटेनरीकरण से भी कंटेनरों की वृद्धि होती है। इस रूख को बनाए रखने के लिए किए गए मुख्य प्रयासों में ऐसे कार्गों का कंटेनरीकरण करना जिनको अब तक कंटेनरीकृत नहीं किया जाता था, कंटेनरों की हैंडलिंग के लिए बेहतर पत्तन सुविधाओं का विकास करना, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का विकास करना तथा कंटनरों की ढुलाई के लिए परिवहन प्रणाली में सुधार करना शामिल है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित करना

2764. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का विचार खारे समुद्री जल को व्यापक स्तर पर पेयजल में परिवर्तित करने के लिए किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के संबंध में कोई योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा समुद्री-जल का विलवणीकरण करने के लिए दो प्रक्रियाएं नामत: मल्टी स्टेज फ्लैश (एमएसएफ) और रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) विकसित की गई हैं। तमिलनाडु में कलपाक्कम नामक स्थल पर एक प्रदर्श संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो समुद्री-जल से प्रतिदिन 6300 घनमीटर विलवणीकृत जल उत्पादित करेगा जिसमें से प्रतिदिन 4500 घनमीटर जल का उत्पादन मल्टी स्टेज फ्लैश प्रौद्योगिकी द्वारा और शेष 1800 घनमीटर जल का उत्पादन प्रतिदिन रिवर्स ऑसमोसिस प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन

2765. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन विश्व में 17 प्रतिशत की तुलना में केवल 3 प्रतिशत है;

(ख) वर्तमान में देश 14 परमाणु विद्युत केन्द्रों द्वारा दैनिक आधार पर कितने मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार 2020 तक 20 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता कुल मिलाकर 2720 मेगावाट है। वित्त-वर्ष 2001-02 (28.02.2002 तक) के दौरान, औसतन लगभग 53 मिलियन यूनिट प्रतिदिन विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) मौजूदा 2720 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता को ग्यारहवीं योजना (31.03.2012) के अंत तक बढ़ाकर 9935 मेगावाट और वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट तक किए जाने की योजना है। तथापि, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ङ) तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3 और 4 [2×500 मेगावाट (जिसे बढ़ाकर 2×540 मेगावाट किया जा रहा है)], कर्नाटक में कैगा 3 और 4 (2×220 मेगावाट) और तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर के. के. 1 और 2) (2×1000 मेगावाट) परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है। राजस्थान में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र 5 और 6 (2×220 मेगावाट) की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट परमाणु विद्युत क्षमता हासिल करने के लिए क्रमिक रूप से अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू करने की भी योजना है।

सेल्यूलर मोबाइल सेवा

2766. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोबाइल फोन आपरेटरों को लगभग 4 मेगाहर्ट्ज का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों को अपनी सकल वार्षिक आय में से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस निर्णय की घोषणा कब तक होने की संभावना है; और

(च) इससे मोबाइल कम्पनियों तथा सरकार को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बढ़ते उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी एम टी एस आपरेटरों को 1.8 मेगाहर्ट्ज + 1.8 मेगाहर्टस तक अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोई भी आपरेटर किसी सेवा क्षेत्र में 4 लाख या उससे अधिक के उपभोक्ता आधार तक पंहुचने के पश्चात अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके पश्चात आबंटन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी; तथापि सेवा क्षेत्र में 5 लाख या उससे अधिक का उपभोक्ता आधार प्राप्त हो जाने के पश्चात स्पेक्ट्रम का वास्तविक आबंटन प्रत्येक मामले के आधार पर उपलब्धता और समन्वय के अध्यधीन किया जाऐगा। यह अतिरिक्त आबंटन पहले आबंटित किए जा चुके 6.2 + 6.2 मेगाहर्टज के स्पेक्ट्रम के अलावा होगा। 1.8 + 1.8 मेगाहर्टज का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम 1800 मेगाहर्टज बैंड में आबंटित किया जायेगा।

(ग) और (घ) कम्पनियों (सेल्यूलर लाइसेंसधारियों/आपरेटरों) को 1.8.1999 से राजस्व हिस्सेदारी आधार पर 4.4+4.4 मेगाहर्टज तक के स्पेक्ट्रम के लिए अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 2% की दर से और 6.2 + 6.2 मेगाहर्टज तक के स्पेक्ट्रम के लिए ए जी आर के 3% की दर से स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त 6.2+6.2 मेगाहर्टज के अलावा इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए यदि इसे किसी सेवा क्षेत्र में किसी एक या उससे अधिक स्थानों के लिए आबंटित किया जाता है, तो उस पर एजीआर का 1% अतिरिक्त प्रभार (संबंधित सेवा क्षेत्र के लिए ए जी आर का कुल 4%) लगाया जायेगा।

(ङ) इस आशय का अदेश 1.2.2002 को जारी किया गया है।

(च) इससे मोबाइल कम्पनियों को अपना उपभोक्ता आधार बढ़ाने तथा सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। उनके राजस्व में वृद्धि होने से सरकार के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार में भी वृद्धि होगी।

राज्यों के बीच सामाजिक-जनसांख्यिकीय असमानताएं

2767. श्री मंजय लाल:
श्री अरूण कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में देश के राज्यों के बीच व्यापक सामाजिक-जनसांख्यिकीय असमानताएं दर्शाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों को एनसीपी द्वारा दो समूहों यथा-अगड़े और पिछड़े राज्यों में वर्गीकृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त समूहों में से प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) पिछड़े समूह के अंतर्गत आने वाले राज्य अभी तक आवश्यक सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल क्यों नहीं हो पाए है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) ने ''डिस्ट्रिक्ट-वाइज इंडीकेटर्स'' नामक प्रकाशन प्रकाशित किया है जिसमें देश के 569 जिलों को निम्नलिखित 12 सामाजिक-जनसांख्यिकीय संकेतकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया था:

1. दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत
2. 3 और उससे अधिक जन्मों का प्रतिशत (कुल जनन क्षमता दर के स्थान पर)
3. परिवार नियोजन तरीकों के वर्तमान प्रयोक्ताओं का प्रतिशत
4. 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत
5. लिंग अनुपात

6. बच्चे के जन्म के दौरान कुशल देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत।

7. पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत।

8. महिला साक्षरता दर

9. उन गांवों का प्रतिशत जो पक्की सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं (अनुमानित)

10. सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता की कवरेज का प्रतिशत (अनुमानित)

11. पंजीकृत जन्मों का प्रतिशत (अनुमानित)

12. पंजीकृत मृत्यु का प्रतिशत (अनुमानित)

उपर्युक्त संकेतकों से संबंधित आकंड़ों का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त सूचकांक भी तैयार किया गया था और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित के अनुसार इस संयुक्त सूचकांक के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया था।

श्रेणी (रैंक)	राज्य	संयुक्त सूचकांक
1	2	3
1.	गोवा	83.71
2.	पांडिचेरी	82.70
3.	केरल	81.88
4.	चंडीगढ़	79.68
5.	तमिलनाडु	78.06
6.	दिल्ली	78.01
7.	पंजाब	73.88
8.	कर्नाटक	70.31
9.	हिमाचल प्रदेश	70.02
10.	लक्षद्वीप	69.89
11.	मिजोरम	69.24
12.	दमन व द्वीप	68.95
13.	हरियाणा	66.80
14.	महाराष्ट्र	65.58
15.	गुजरात	65.22
16.	आन्ध्र प्रदेश	65.13
17.	त्रिपुरा	64.17
18.	अंडमान व निकोबार	63.89
19.	उत्तरांचल	60.52
20.	पश्चिम बंगाल	59.58
21.	सिक्किम	58.64
22.	असम	56.35
23.	छत्तीसगढ़	55.44
24.	उड़ीसा	55.40
25.	मणिपुर	54.01
26.	दादर व नगर हवेली	51.97
27.	मेघालय	50.51
28.	मध्य प्रदेश	49.33
29.	नागालैण्ड	48.31
30.	उत्तर प्रदेश	44.09
31.	अरूणाचल प्रदेश	43.58
32.	राजस्थान	43.39
33.	बिहार	39.01
34.	झारखण्ड	38.27

संयुक्त सूचकांक का उच्चतर मूल्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बेहतर समग्र निष्पादन और इसके विपरीत को परिलक्षित करता है। कतिपय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के तुलनात्मक पिछड़ेपन के कई सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारण हैं। उनमें से कुछ को, उपर्यक्त प्रकाशन में जिलों और राज्यों को श्रेणीबद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए गए सूचकांकों के माध्यम से उजागर किया गया है।

माडर्न ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान

2768. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और माडर्न ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत तथा जारी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय सड़कों को दुर्घटना रहित बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी पर मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने को प्रोत्साहित करने का भी है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी):(क) जी हां।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान मॉडल ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव राज्यवार और वर्षवार नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	राज्य
2000	असम
2001	कर्नाटक

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने 10वीं योजना में मॉडल ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ड्राइविंग और अनुसंधान के संबंध में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संबंधी प्रस्तावों के लिए दिशानिर्देश

1. यदि प्रस्ताव राज्य सरकार से भिन्न एजेंसियों से है तो प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्पष्ट संस्तुति होनी चाहिए।

2. संस्थान के लिए भूमि, सभी ऋण भार से मुक्त रूप में राज्य सरकार को प्रदान करनी होगी और भूमि का हक राज्य सरकार के पास होगा। पट्टाधारक के मामले में यह 99 वर्ष के स्थायी पट्टे पर होगी।

3. इस प्रस्ताव में आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की परिकल्पना होगी क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रारंभिक अनुदान में प्रथम वर्ष के लिए ही उपभोज्य के लिए एक घटक हो सकता है।

4. केन्द्र सरकार का अनुदान, प्रस्ताव के पूंजी घटक के लिए एकबारीय अनुदान होगा और इस मद से संबंधित प्राक्कलन केन्द्रीय लो.नि.वि. और राज्य लो.नि.वि. द्वारा नवीनतम अनुमोदित दर अनुसूची पर आधारित होने चाहिए। तथापि, वास्तविक अधिप्राप्ति सबसे अधिक प्रतियोगी मूल्य गुणता उत्पाद प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाकर होगी। प्रस्ताव के पूंजी घटक में सिमूलेटर, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक सुविधाओं जैसे आधुनिक उपस्कर शामिल हो सकते हैं। इस शीर्ष के तहत फिटिंग और फर्निसिंग सहित हॉस्टल सुविधाओं के लिए प्रावधान पर भी विचार किया जा सकता है।

5. गैर सरकारी संगठनों के मामले में प्रस्ताव में स्वतंत्र प्रतिष्ठित एजेंसी और राज्य सरकार की टिप्पणियों, यदि कोई हो, द्वारा परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट/साध्यता रिपोर्ट अनिवार्यत: होनी चाहिए।

6. यह परियोजना भारत सरकार के अनुमोदन की अवधि में पूरी करनी होगी और परियोजना पूरी होने के छ: माह के बाद उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर यथोचित जुर्माना लगाया जा सकता है जिसमें भावी अनुदान से राज्य सरकार को वंचित करना भी शामिल है।

7. राज्य सरकार/अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन छमाही निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8. केन्द्रीय सरकार की धनराशि से स्थापित संगठन के लिए यह अनिवार्य होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर चालक प्रशिक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्कीमें कार्यान्वित की जाएं।

9. प्रारंभ में राज्य की राजधानी/प्रमुख शहरों में/इनसे लगे शहरों के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और एक राज्य से एक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

2. प्रस्ताव कौन दे सकते हैं:

1. राज्य सरकार, और/अथवा

2. राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत और संस्तुत गैर सरकारी संगठन/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता

एसोसिएशन/स्वायत्तशासी निकाय/निजी वाहन निर्माता जैसी कोई अन्य एजेंसी।

3. राज्य सरकार से भिन्न एजेंसियों के मामले में, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए ताकि वे संस्थान को चला सकें।

3. राज्य सरकार से भिन्न एजेंसियों के मामले में पात्रता मानदंड

1. समुचित विधिक प्राधिकरण के पास आवश्यक पंजीकृत होना चाहिए।

2. शुरू से ही रिकार्ड अवश्य अच्छा होना चाहिए।

3. सार्वजनिक संस्थान या गैर सरकारी संगठन अवश्य होना चाहिए।

4. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

डिजिटल प्रौद्योगिकी

2769. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अपनी सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिकीकरण करके प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की गुणवत्ता क्या होगी;

(ख) क्या बीएसएनएल नेटवर्क में अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार टेलीफोन की किराया प्रणाली को समाप्त करके बिलिंग के लिए सभी कालों की गणना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) बीएसएनएल ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) द्वारा प्रस्तावित सेवाओं की गुणवत्ता को चरणबद्ध तरीके से हासिल करने हेतु योजना बनाई है।

(ख) और (ग) जी, हां। बीएसएनएल नेटवर्क में सभी एक्सचेंज पहले से ही आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल), सेल्यूलर मोबाइल टेलीकाम सर्विस (केवल पायलट परियोजना) जैसी अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। इंटरनेट, आई-नेट, इंटिग्रेटिड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन), इंटेलिजेन्ट नेटवर्क (आई एन) और मैनेज्ड लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) जैसी अन्य सेवाएं भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। भविष्य में भी बी एस एन एल नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता रहेगा। अखिल भारत कवरेज के साथ सेल्यूलर मोबाइल टेलीकाम सर्विस, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटाकाल (बीओआईपी), डिजिटल वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम) और ब्रोडबेंड एक्सेस नेटवर्क को भी अगले वर्ष शामिल करने की योजना है बशर्ते कि सामग्रियां उपलब्ध हों।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(च) दूरसंचार टैरिफ का निर्धारण करने वाला प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण हैं। एक सेवा प्रदाता होने के नाते बीएसएनएल टीआरएआई (ट्राई) द्वारा यथा निर्धारित टैरिफ संरचना को केवल लागू करता है।

[हिन्दी]

मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं

2770. श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सकों, अस्पतालों और औषधि विनिर्माण के संबंध में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में मानसिक रोगियों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) मनोविकारी रोगियों के लिए 18000 से अधिक बिस्तर है जो 37 सरकारी मानसिक अस्पतालों में हैं। इसके अलावा, लगभग 3500 बिस्तरे सामान्य अस्पतालों/चिकित्सा कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में हैं। देश में 3000 से अधिक अर्हताप्राप्त मनोचिकित्सक, 500 से अधिक नैदानिक मनोविज्ञानी, 300 से अधिक मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता और लगभग 600 प्रशिक्षित मनचिकित्सक नर्स हैं। साइकोट्रापिक औषधि की उपलब्धता संतोषजनक है और ऐसी औषधों की लागत उचित/वहनीय है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नामक एक मार्गदर्शी कार्यक्रम शुरू किया है जिसे इस समय 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 29 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य विभिन्न मानसिक विकारों और मिरगी से ग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनका प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा और उन परिवारों तथा समुदाय जिनमें रोगी रहता है, के सक्रिय सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र और जिला स्तर पर उपचार प्रबन्ध करना है। मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी पद्धति का दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उन्नयन/विस्तार किए जाने के प्रस्ताव हैं। अनेक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए बड़ी अनुसंधान पहलों की योजना बनाई गई हैं।

(ख) सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार कार्यकलाप भी जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं।

(ग) और (घ) जानपदिक रोगविज्ञानी अध्ययनों से पता चला है कि 1 से 2% लोग बड़े मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं और 5 से 10% छोटे मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं।

(ङ) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए वर्ष 2002-2003 के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधियों के अन्तिम आबंटन की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

घरेलू क्षेत्र में गिरावट

2771. श्री वाई. वी. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात लक्ष्यों को पार कर गया है जबकि घरेलू सॉफ्टवेयर खण्ड में आय में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सॉफ्टवेयर निर्यात तथा घरेलू उद्योग के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमान तथा वास्तविक उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं। देश में हो रही विभिन्न गतिविधियों जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर के प्रसार में विकास, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विस्तार, इंटरनेट के इस्तेमाल में वृद्धि, हार्डवेयर मूल्यों में कमी करना तथा बैंडविड्थ की कम दामों पर उपलब्धता शामिल है, के फलस्वरूप घरेलू सॉफ्टवेयर उद्योग की विकास दर सुदृढ़ होने का अनुमान है।

विवरण

9वीं योजना के अनुमान तथा वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अनुमान (9वीं योजना)		वास्तविक निष्पादन	
	निर्यात	घरेलू	निर्यात	घरेलू
1	2	3	4	5
1997-98	5850	3900	6530	4647
1998-99	9250	5850	10940	6182

1	2	3	4	5
1999-00	14600	8800	17150	7138
2000-01	23100	13200	28350	9891
2001-02	36500	19800	36855*	11634*

* अनुमानित

मांग पर टेलीफोन

2772. श्री अनन्त नायक:
श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 के अंतर्गत मांग पर टेलीफोन की प्रतीक्षा-सूची की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ख) उसमें दर्ज आवेदकों को कब तक टेलीफोन दे दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) 28.02.2002 के अनुसार, विभिन्न राज्यों में टेलीफोन की राज्य-वार प्रतीक्षा-सूची की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केरल व अन्य राज्यों के तकनीकी रूप में अव्यवहार्य कुछ भागों को छोड़कर, सभी राज्यों की प्रतीक्षा-सूची दिसंबर, 2002 तक निपटा लिए जाने की संभावना है। केरल में प्रतीक्षा-सूची को मार्च, 2003 तक निपटा लिए जाने की संभावना है। तथापि, यह धनराशि की उपलब्धता तथा समय पर सामग्री उपलब्ध होने के अध्यधीन है।

विवरण

राज्य/सर्किलवार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्रतीक्षा सूची (28.02.2002 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	466
2.	आंध्र प्रदेश	180693
3.	असम	17709
4.	बिहार	94030
5.	छत्तीसगढ़	9397
6.	गुजरात	140889
7.	हरियाणा	107407
8.	हिमाचल प्रदेश	30859
9.	जम्मू और कश्मीर	46150
10.	झारखंड	14138
11.	कर्नाटक	157481
12.	केरल	722317
13.	मध्य प्रदेश	16806
14.	महाराष्ट्र	282525
15.	उत्तर पूर्व	21581
16.	उड़ीसा	49235
17.	पंजाब	112081
18.	राजस्थान	154590
19.	तमिलनाडु	71053
20.	उत्तर प्रदेश	113235
21.	उत्तरांचल	12643
22.	पश्चिम बंगाल	199818
23.	दिल्ली	28624
	जोड़	2583727

टिप्पणी:- उत्तर पूर्व में मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागलैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर शामिल है, पश्चिम बंगाल में सिक्किम शामिल है, तमिलनाडु में पांडिचेरी शामिल है, महाराष्ट्र में गोवा शामिल है, गुजरात में दमन व द्वीव तथा नगर हवेली शामिल है और केरल में लक्षद्वीप शामिल है।

लघु उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग

2773. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के समग्र विकास हेतु एक राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग गठित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय स्तर पर एक शीर्षस्थ निकाय और राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय देश में लघु उद्योगों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए पहले ही विद्यमान हैं।

इंडोनेशिया के साथ सीमा विवाद

2774. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया के साथ सीमा-विवाद सुलझाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को लेकर विवाद कई दशकों से लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो मामले को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) इंडोनेशिया के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। भारत और इंडोनेशिया के बीच महाद्वीपीय कगार सीमा संबंधी करार 1974 में सम्पन्न और 1977 में अनुसमर्थित हुआ जिसमें अंडमान सागर में सीमाओं को असीमित कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। 22 जून 1978 को नई दिल्ली में सम्पन्न अंडमान सागर की तीन देशों भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लगी सीमाओं से संबंध करार से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा

2775. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री मोहन रावले:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सम्पन्न हुए ''सार्क'' सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हिंसक हमलों के बारे में बांग्लादेश के प्रधान मंत्री के साथ चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार बांग्लादेश से कितने अल्पसंख्यक भारत में भाग कर आये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। हमारे प्रधानमंत्री ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के साथ काठमाण्डू में सार्क शिखर-सम्मेलन के दौरान 4 जनवरी, 2002 को हुई मुलाकात के समय इस मसले को उठाया था। मुलाकात के दौरान बंगलादेश की प्रधानमंत्री ने बताया कि कई मामले दायर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा रही है जो मानवाधिकार के उल्लंघन के सभी रिपोर्टों की जांच करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बंगलादेशी राष्ट्रिकों का आगमन अक्तूबर 2001 की घटनाओं से पहले और उसके बाद जारी है क्योंकि अप्रवासी आर्थिक मजबूरी सहित विविध कारणों से भारत में प्रवेश करते हैं जिनका सही आकलन किया जाना कठिन है।

[अनुवाद]

राज्य की राजधानियों में परम विशेषता वाले अस्पताल स्थापित करना

2776. श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति प्रत्येक राज्य की राजधानी में परम विशेषता अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव की सूचना दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आवंटित की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आंकड़ों का अध्ययन

2777. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एल.आई.एम.एस. (ग्लोबल लैण्ड आइस मैनेजमेंट फ्रॉम स्पेस) नामक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत गत दिसम्बर में प्रक्षेपित अमरीकी उपग्रह टी.ई.आर.आर.ए. ने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों में मिलने वाले हिमालय के हिमनदों के आकंड़े भेजना प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अध्ययन करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के विभिन्न भागों पर अपने टेरा उपग्रह से आंकड़े प्राप्त किये हैं। टेरा उपग्रह में रखे उन्नत अन्तरिक्ष वाहित तापीय उत्सर्जन और परावर्तन रेडियोमीटर (एस्टर) यंत्र का उपयोग जी.एल.आई.एम.एस. (अन्तरिक्ष से ग्लोबल भू-हिम प्रबंध) कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व के हिमनदों के मानीटर के लिए किया जा रहा है। हिमालय क्षेत्र सहित विश्व के अधिकांश हिम क्षेत्रों और हिमनद क्षेत्रों के लिए अमेरिका द्वारा एस्टर आंकड़े अर्जित किये गये हैं। भारत में, जी.एल.आई.एम.एस. कार्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली एक क्षेत्रीय केन्द्र है और यह अमेरिका से टेरा/एस्टर आंकड़े प्राप्त करता है। ये आंकड़े हिमनदों हवाई विस्तार, हिम रेखा का निर्धारण, वेग क्षेत्रों और हिमनदों के टर्मिनस के निर्धारण के अध्ययन के लिए पंजीकृत शोध परियोजना दलों के लिए उपलब्ध है।

एम.टी.पी. एक्ट में संशोधन

2778. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवैध गर्भपात को समाप्त करने के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विधेयक कब तक संसद में पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) सरकार संसद के वर्तमान सत्र में चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2002 पुर:स्थापित करने हेतु कदम उठा रही है। संशोधन में (क) निजी क्लिनिकों के पंजीकरण हेतु जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति को शक्तियां प्रत्यायोजित करने (ख) चिकित्सीय गर्भ-समपान करने हेतु बिना अनुमोदन वाले क्लिनिकों तथा चिकित्सीय गर्भ समापन नियमों

के अधीन चिकित्सीय गर्भ समापन करने हेतु यथानिर्धारित अर्हताएं, प्रशिक्षण और अनुभव न रखने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, की सजा निर्धारित करने और (ग) इसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अनुसार बनाने हेतु अभिव्यक्ति ''विक्षिप्त'' की जगह ''मानसिक रूप से बीमारी'' शब्द रखने पर विचार किया गया है।

इन संशोधनों का आशय सुरक्षित गर्भपात सेवाओं को लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना और गैर कानूनी गर्भपातों को निरूत्साहित करना है।

एच.सी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन

2779. श्री सुबोध मोहिते: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने एच.सी.एल. इंफोसिस के साथ अपने सभी प्रकार के कम्प्यूटर उत्पादों का विपणन करने के लिए संपूर्ण देश में डाकघरों का नेटवर्क प्रदान करने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से क्या वित्तीय लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) और (ख) डाक विभाग और एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम्स ने पारस्परिक लाभ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का विकास तथा उनकी शुरूआत करने के उद्देश्य से एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(1) एच.सी.एल. द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर स्पीड पोस्ट का उपयोग।

(2) डाकघर नेटवर्क के माध्यम से एच.सी.एल. के उत्पादों हेतु आर्डरों की बुकिंग।

(ग) सहमति-ज्ञापन पर आधारित विस्तृत प्रचालन अनुबंध को सेवा की सुनिश्चित किस्म, लेखांकन तथा मूल्य संबंधी मामलों के आधार पर अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

न्यूयार्क में मिशन स्थापित करना

2780. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यूयार्क में तीसरा मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संरचना और कृत्य क्या हैं और उसे स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, नहीं हालांकि, अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच बेहतर समन्वयन तथा भारत के साथ अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा आर्थिक सहयोग, निवेश और वाणिज्य के कूटनीतिक संवर्धन के उद्देश्य से संयुक्त राज्य में रह रहे भारतीय नागरिक श्री बी.के. अग्निहोत्री को भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में सलाहकार और अप्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनका कार्यालय न्यूयार्क से कार्य कर रहा है।

अ.जा. और. अ.ज.जा. हेतु विशेष घटक योजना (एस सी पी) और आदिवासी उप योजना (टी एस पी)

2781. सरदार बूटा सिंह: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने और लघु उद्योगों के क्षेत्र में उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए चल रही योजनाओं के अतिरिक्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के तहत कौन-कौन सी नई योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और इन योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रकृति/विस्तार क्या है और इसके लक्षित समूह कौन-कौन से है;

(ख) इन योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि की निधियों की मांग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अंतर्गत क्या लाभ और लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दसवीं पंच-वर्षीय योजना में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) लि. द्वारा ''आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास'' के लिए एक नई स्कीम शामिल की गई है।

लघु उद्योग, मंत्रालय की स्कीमों और कार्यक्रम सम्वर्धनात्मक प्रकृति के हैं और उनका आशय देश में लघु उद्योग के विकास को तेज करना है; ये स्कीमें अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के सदस्यों सहित सभी उद्यमियों के लिए समान रूप से लागू हैं। कुछेक स्कीमें/कार्यक्रम, जिसमें अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के सदस्यों के लिए आरक्षण/रियायतें/वरीयता दी गई है, वे निम्नोक्त है:-

(1) उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.): नए उद्योग की शुरूआत हेतु विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरूकता द्वारा युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास करना।

(2) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.): उभरती प्रबंधन तकनीक/व्यवहार में स्टेट-आफ आर्ट लर्निंग प्रदान करना जिससे लघु उद्यमियों को बेहतर लाभ प्राप्त करने तथा उन्हें घरेलू/विदेशी मार्किटों में पर्याप्त शेयर प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(3) हायर परचेज स्कीम: हायर परचेज आधार पर मशीनें प्रदान करना।

(4) प्रशिक्षण: परम्परागत प्रौद्योगिकी ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) समग्र स्कीमों/कार्यक्रमों हेतु फण्ड्स की मांग की गई है तथा स्कीम के एन.सी.पी. और टी.एस.पी. कम्पोनेन्टस के लिए अलग से कोई मांग नहीं की गई है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनु.जा. तथा अनु.ज.जा. के लिए जिन लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी है, वे है:

(1) ई.डी.पी.- 28125 व्यक्ति

(2) एम.डी.पी. 6185 उद्यमी

(3) राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार-05

(4) आदिवासी उद्योग विकास -4000

विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के तहत धनराशि का आवंटन

2782. श्री भेरूलाल मीणा: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन योजनाओं/कार्यक्रम की प्रकृति, क्षेत्र और लक्ष्य समूहों का उल्लेख करते हुए उनकी शुरूआत से लेकर विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के तहत उनके मंत्रालय द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई है/कार्यान्वित की जा रही हैं। जैसाकि विशेष घटक योजना/आदिवासी उप योजना शुरू करते समय अन्य मंत्रालयों/संगठनों में परिवहन मंत्री को संबोधित प्रधान मंत्री के कार्यालय के पत्र सं. 280-प्र. मं. कार्या/80 दिनांक 12.3.1980 में निर्धारित है,

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितनी धनराशि की मांग की गई/प्राप्त की गई;

(ग) इस संबंध में कितना लाभ और लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(घ) इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण हेतु कोई अन्य योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) पूर्व जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नवम्बर, 2000 में बना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव तथा मोटरयान अधिनियम/सी एम वी नियम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विशेष घटक योजना (एस सी पी) और जनजातीय उप योजना (टी एस पी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के आर्थिक लाभों के लिए कोई स्कीम/कार्यक्रम इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

सिंधु जल संधि को निरस्त करना

2783. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर विधान सभा और भारतीय संसद पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के दृष्टिगत सरकार पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निरस्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में पड़ने वाले सभी प्रभावों पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): (क) और (घ) संसद पर 13 दिसम्बर को हुए हमले के पश्चात सरकार

ने पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार आतंकवाद का समर्थन और घुसपैठ समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए वे सभी उपाय किये जिन्हें आवश्यक और प्रभावी समझा गया। इनमें इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायुक्त को वापस बुलाने और 1 जनवरी, 2002 से समझौता एक्सप्रैस और दिल्ली-लाहौर बस सेवा बंद करने, दोनों देशों में अपने-अपने उच्चायोगों में कार्मियों की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाने, भारत में रह गये अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की आवाजाही दिल्ली नगर निगम की सीमा के भीतर प्रतिबंधित करने और 1 जनवरी, 2002 से पाकिस्तानी अथवा पाकिस्तान एयरलाइन्स के लिए भारत के ऊपर से उड़ने की सुविधा पर रोक लगाने जैसे निर्णय शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को कानून से भागे अपराधियों की एक सूची सौंपी है और अनुरोध किया है कि वह उन्हें भारत को सौंप दें।

सरकार सीमा-पार आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत की सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

बड़े/लघु पत्तन

2784. डा. साहिब सिंह वर्मा: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के प्रबंधन के तहत कितने बड़े और लघु पत्तन है;

(ख) उसमें से कितने पत्तन सामान चढ़ाने और उतारने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों के आवागमन और भूमिका नियंत्रित उपयोग तथा कार्यकलापों के मामलों में ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या देश में पत्तनों के लिए पांच अथवा दस वर्षों की कोई संदर्शी योजना है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में संदर्शी योजना बनाने पर विचार कर रही है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रण में 12 महापत्तन हैं और वह सभी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। लघु पत्तन संबंधित राज्य सरकारों के प्रसाशनिक नियंत्रण में हैं।

(ग) से (ङ) महापत्तनों के विकास की योनजाएं पत्तन क्षेत्र के लिए सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की जाती हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान सरकार ने अतिरिक्त क्षमता के सृजन पर बल दिया है ताकि क्षमता से अधिक यातायात के कारण इन पत्तनों में भीड़ की समस्या पर काबू पाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप 9वीं योजना अवधि में महापत्तनों में क्षमता की कुल वृद्धि 124.85 मिलियन टन होने की संभावना है जिससे नौवीं योजना की समाप्ति पर अर्थात् 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार कुल क्षमता 344.40 मिलियन टन हो जायगी। चूंकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के समापन वर्ष में महापत्तनों द्वारा हैंडल किया जाने वाला ट्रैफिक लगभग 290 मिलियन टन हो जाने की संभावना है इसलिए इन पत्तनों में क्षमता के कारण कोई बाधा नहीं होगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में क्षमता में वृद्धि करने और उत्पादकता में सुधार करने का प्रस्ताव है जिसमें महापत्तनों का निगमीकरण करके और निजी क्षेत्र की अधिक सहभागिता के जरिए आधुनिकीकरण, कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करने, सेवा की गुणता में वृद्धि करने और वाणिज्यिकीकरण पर लक्षित उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

[हिन्दी]

राज्यों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता

2785. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्रों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अधीन माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग ने हाल ही में संशोधित विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन योजना (क्लास) शुरू की है। क्लास के तहत 19.50 लाख रुपए की संघ सरकार की 75% भागीदारी के रूप में मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए शेष 25% राशि मध्य प्रदेश सरकार का योगदान करेगी। पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 975 लाख रुपए (50%) जारी किए गए हैं। क्लास योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंड विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बी.बी.सी. माइक्रो कम्प्यूटरों की ब्रिटिश सहायता के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम क्लास परियोजना प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। ऐसे कुल 12000 कम्प्यूटर प्राप्त हुए थे जिन्हें सरकारों के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बांटा गया था। तत्पश्चात आठवीं योजना (1993-98) के दौरान इस परियोजना को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत अनुयोजना के रूप में अपनाया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उन संस्थानों को वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराने, जिन्हें बी.बी.सी. माइक्रो कम्प्यूटर दिए गए थे और सरकारी सहायता प्राप्त नए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को योजना में शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। 8वीं योजनावधि की समाप्ति तक केन्द्रीय विद्यालयों सहित लगभग 5,000 विद्यालय इस योजना में शामिल कर लिए गए थे।

2. सचिव (व्यय) और सचिव (शिक्षा) के बीच योजना 11.9.1997 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्लास को इसके वर्तमान स्वरूप के साथ समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह इस योजना की प्रकृति 'आपूर्ति' द्वारा संचालित है और योजना में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की सहभागिता नहीं है, तथा परियोजना की प्रगति धीमी रही है। अब वर्ष 2001-2002 से क्लास योजना के संशोधित स्वरूप को शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2001-2002 अर्थात् 9वीं योजनावधि के अंतिम वर्ष के दौरान संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए 74.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात् योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।

3. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी 18 दिसम्बर, 2001 की बैठक में इस योजना को अनुमोदन दे दिया है। संशोधित योजना की विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं:-

(1) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश कम्प्यूटर शिक्षा योजना (सीईपी) बनाएगा। इस सीईपी में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पहले से उठाए गए कदमों और अब इसके लिए अपेक्षित सहायता की जानकारी होगी।

(2) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने सचिव, (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना मानीटरिंग और मूल्यांकन समूह का गठन किया है। जो सीईपी पर विचार करेगा। परियोजना मानीटरिंग और मूल्यांकन समूह की सिफारिशों के आधार पर धनराशि को आबंटित किया जा रहा है।

(3) राज्य सरकारें इस योजना के लिए अपेक्षित धनराशि का कम से कम 25% योगदान करेंगी। योजना में राज्य सरकारों के योगदान के अतिरिक्त या विकल्प के रूप में एमपीएलएडी निधियों के 25% योगदान का प्रावधान है।

(4) भारत सरकार की सहायता निम्नलिखित मदों और प्रत्येक मद के आगे दर्शाई गई सीमा तक ही होगी।

- वैयक्तिक कम्प्यूटर/सीटीवी जो प्रति सेट 60,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।
- साफ्टवेयर/पाठ्यसामग्री/सीडी जो प्रति विद्यालय/प्रतिवर्ष 25,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।
- फर्नीचर (एक बार), प्रति विद्यालय 10,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।
- कम्प्यूटर लेखन सामग्री जो प्रति विद्यालय/प्रतिवर्ष 20,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।
- अनुरक्षण-वार्षिक अनुरक्षण ठेके की लागत का 50% (वारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद)
- इंटरनेट सम्पर्क, जो प्रतिवर्ष 50,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा।
- शिक्षण प्रशिक्षण: प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 10,000/- रुपए से अधिक नहीं होगा (ऐसे विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण जिन्हें अनुदान देने पर सहमति हो गई है)

साफ्टवेयर, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण माडलों का डिजाइन बनाने, मूल्यांकन, मानीटरिंग और अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि अलग रखी गई है।

(5) इस योजना के अंतर्गत केवल ऐसे विद्यालय ही अनुदान के पात्र होंगे जिनमें माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा एक वैकल्पिक विषय के रूप में है। परन्तु, योजना अंग्रेजी/हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है।

(6) (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के एक विद्यालय को निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन स्मार्ट विद्यालय में परिवर्तित करेंगे। प्रति स्मार्ट विद्यालय को अधिकतम 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

(ख) आगामी 3 वर्षों में 10,000 विद्यालयों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों को समीपवर्ती 10 से अनाधिक्य विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता देने के लिए 15000 रुपए प्रति समीपवर्ती विद्यालय की दर से धनराशि दी जाएगी।

(7) यह योजना एक वर्ष 2001-2002 (अर्थात् 9वीं योजना को अंतिम वर्ष) की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी और उसके बाद समीक्षा की जाएगी।

(8) ईएफसी में विहित प्रावधानों के अनुसार राज्यों के पक्ष में पुरानी क्लास योजना की बकाया राशि का समाशोधन किया जाएगा।

वर्ष 2001-2002 के दौरान क्लास योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संघ सरकार के 75% अंश के रूप में मंजूर राशि (लाख रुपए)	पहली किस्त के रूप में जारी की जा रही राशि (लाख रुपए में) 50%	विद्यालयों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	900.00	450.00	180
2.	छत्तीसगढ़	500.00	250.00	100
3.	दादर एवं नगर हवेली	70.00	35.00	14
4.	हरियाणा	500.00	250.00	100
5.	पश्चिम बंगाल	1114.7625	557.38125	300
6.	पंजाब	997.50	498.75	200
7.	आंध्र प्रदेश	1401.1875	700.59375	500
8.	तमिलनाडु	1000.00	500.00	200
9.	मणिपुर	250.00	125.00	50
10.	गोवा	250.00	125.00	50
11.	उत्तर प्रदेश	1500.00	750.00	300
12.	हिमाचल प्रदेश	500.00	250.00	100
13.	सिक्किम	145.00	72.5	29
14.	मध्य प्रदेश	1950.00	975.00	390
15.	गुजरात	1500.00	750.00	300
16.	मेघालय	295.00	147.5	59
	कुल	13323.45	6661.725	2962

धलेश्वरी-भैराबी राष्ट्रीय राजमार्ग

2786. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में हैलाकांडी जिले में धलेश्वरी-भैराबी राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के बी.आर.टी.एफ. अथवा सी.पी.डब्ल्यू.सी. बिंदु अर्थात धलेश्वरी ब्रिज प्वाइंट के बजाय सड़क के मध्य बिंदु से प्रारंभ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्य विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) धलेश्वरी-भैरावी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 154) के सुधार का कार्य निधियों की उपलब्धता और खंडों के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर चरणों में शुरू किया जा रहा है। इस सड़क के 30.00 कि.मी. से 51.50 कि.मी. के खंड के सुधार का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खंडों में सड़क आपेक्षिक स्थिति के आधार पर प्रथम चरण में शुरू किया गया है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने कार्यों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर इस कार्य का निरीक्षण हमारे क्षेत्रीय अधिकारी, गुवाहाटी ने किया। राज्य लोक निर्माण विभाग को अनुदेश दिए गए हैं कि वह निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई छोटी-मोटी कमियों को दूर करें।

राज्यों को सड़कों के रख-रखाव के लिये निधियों का आवंटन

2787. श्री थावर चन्द गहलौत: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को नई सड़कों और राजमार्गों के निर्माण सुधार/रख-रखाव के लिए किये गये आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्मित सड़कों की लंबाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी राज्य द्वारा प्रदान की गई निधियों का दुरूपयोग किया गया या उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए विभिन्न राज्यों को दिए गए आबंटन के ब्यौरे विवरण I, II और III पर दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सुधारी गई सड़कों की लंबाई के राज्यवार ब्यौरे विवरण IV पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान धनराशि के दुर्विनियोजन के किसी मामले की सूचना नहीं है। उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग की गई धनराशि विवरण I, II और III में दशाई गई है।

विवरण-I

1998-99 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास		अनुरक्षण	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4879.82	4273.04	4568.40	4069.47
2.	असम	2661.10	1517.99	2815.51	2282.33
3.	बिहार	3417.35	3238.60	3336.97	3336.97
4.	चंडीगढ़	82.00	70.82	48.04	45.40
5.	दिल्ली	1400.00	1225.54	210.00	209.82

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	1100.00	1172.54	617.08	617.08
7.	गुजरात	6628.54	9332.70	3296.94	3296.94
8.	हरियाणा	7588.50	6913.18	1239.42	1040
9.	हिमाचल प्रदेश	2500.00	2500.00	2256.01	2256.01
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00	6.15	129.65	4.51
11.	कर्नाटक	3709.01	3772.04	3111.75	3065.34
12.	केरल	7080.16	8820.63	2090.63	2090.63
13.	मध्य प्रदेश	8247.73	7932.47	3945.04	3787.67
14.	महाराष्ट्र	11382.63	11659.74	4957.67	4957.67
15.	मणिपुर	700.30	828.29	365.59	365.59
16.	मेघालय	1060.50	911.03	625.80	620.50
17.	नागालैंड	200.00	210.87	382.90	382.90
18.	उड़ीसा	9726.82	8711.02	2761.15	2760.77
19.	पांडिचेरी	100.81	86.30	64.18	18.06
20.	पंजाब	7148.88	7672.10	1538.81	1440.83
21.	राजस्थान	4605.81	4620.18	3718.19	3642.29
22.	तमिलनाडु	3921.37	3652.38	3740.00	3597.85
23.	उत्तर प्रदेश	12649.35	10722.86	6128.44	6071.00
24.	पश्चिम बंगाल	10150.94	8394.40	2757.83	2757.83

विवरण-II

1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास		अनुरक्षण	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5707.87	3736.51	6897.26	5067.65
2.	असम	4239.32	2769.61	5420.00	3068.35

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	6117.52	5950.16	11907.64	9059.08
4.	चंडीगढ़	100.00	73.93	141.50	118.30
5.	दिल्ली	700.00	422.13	139.84	133.27
6.	गोवा	1700.00	1670.19	1426.69	1048.64
7.	गुजरात	8851.90	8683.39	3820.17	3660.72
8.	हरियाणा	10000.00	9046.65	2011.70	1544.73
9.	हिमाचल प्रदेश	4000.00	3502.72	2726.24	2428.44
10.	जम्मू और कश्मीर	100.00	0.91	302.36	23.99
11.	कर्नाटक	6113.84	6846.09	8445.04	6815.98
12.	केरल	12837.07	10808.59	5309.00	4769.37
13.	मध्य प्रदेश	12334.80	11546.69	6573.14	6038.04
14.	महाराष्ट्र	17808.08	16662.16	8648.63	8528.70
15.	मणिपुर	1014.15	894.90	876.08	584.60
16.	मेघालय	1785.28	1372.61	1305.89	814.84
17.	मिजोरम	300.00	282.90	780.00	538.41
18.	नागालैंड	800.00	886.17	924.63	1021.63
19.	उड़ीसा	9228.02	9198.19	5638.24	4713.20
20.	पांडिचेरी	319.46	281.27	269.00	152.27
21.	पंजाब	5300.10	4233.38	1635.80	468.77
22.	राजस्थान	5214.02	4311.94	7820.00	6336.13
23.	तमिलनाडु	6754.08	5348.20	13479.66	12160.40
24.	त्रिपुरा	50.00	0.00	24.00	24.00
25	उत्तर प्रदेश	12647.45	11776.30	10179.49	10118.81
26	पश्चिम बंगाल	8818.02	8072.55	6260.00	4756.96

विवरण-III

2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन

(लाख रु.)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विकास		अनुरक्षण	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11188.26	10781.93	5413.75	5097.60
2.	असम	5253.64	4877.01	4778.92	3749.75
3.	बिहार	6927.56	6014.41	6448.55	4945.92
4.	चंडीगढ़	144.00	139.57	44.54	27.75
5.	छत्तीसगढ़	1227.80	472.08	1180.00	884.97
6.	दिल्ली	483.00	0.00	82.00	82.00
7.	गोवा	2300.00	2138.45	605.53	561.67
8.	गुजरात	9099.97	8675.49	2457.79	2182.89
9.	हरियाणा	10100.00	9290.11	1953.49	1466.93
10.	हिमाचल प्रदेश	4415.00	3889.36	3351.53	3350.99
11.	जम्मू और कश्मीर	250.00	51.59	284.42	83.42
12.	झारखंड	2200.00	1188.78	960.84	771.81
13.	कर्नाटक	8104.00	7451.90	4683.83	4583.98
14.	केरल	8978.03	4390.91	3340.03	3340.03
15.	मध्य प्रदेश	13472.11	12649.59	8634.19	8034.34
16.	महाराष्ट्र	21236.20	19631.80	4295.00	4295.00
17.	मणिपुर	851.31	535.31	824.49	687.62
18.	मेघालय	1708.34	1562.73	1016.71	875.16
19.	मिजोरम	1000.00	994.52	981.43	753.41
20.	नागालैंड	1500.00	1489.52	361.25	358.17
21.	उड़ीसा	10046.89	8388.97	4776.99	4047.26
22.	पांडिचेरी	200.00	146.65	182.10	123.20

1	2	3	4	5	6
23.	पंजाब	5365.00	3817.01	2085.10	1537.32
24.	राजस्थान	8720.00	8403.34	4104.10	3878.02
25.	तमिलनाडु	10342.21	8256.09	5380.57	4896.25
26.	उत्तर प्रदेश	14949.76	13938.82	6076.50	5579.02
27.	उत्तरांचल	199.35	123.88	459.30	409.19
28.	पश्चिम बंगाल	12800.00	10824.28	5374.80	2295.26

विवरण-IV

गत तीन वर्ष के दौरान अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 तक सुधारी गई सड़कों की लंबाई

क्रम सं.	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	897.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	बी आर डी बी में शामिल
3.	असम	61.61
4.	बिहार	246.15
5.	चंडीगढ़	12.15
6.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश में शामिल
7.	दिल्ली	34.65
8.	गोवा	19.50
9.	गुजरात	468.96
10.	हरियाणा	322.90
11.	हिमाचल प्रदेश	134.27
12.	जम्मू और कश्मीर	बी आर डी बी में शामिल
13.	झारखंड	बिहार में शामिल
14.	कर्नाटक	284.20
15.	केरल	127.10
16.	मध्य प्रदेश	264.89
17.	महाराष्ट्र	441.35
18.	मणिपुर	30.44
19.	मेघालय	38.00
20.	मिजोरम	18.00
21.	नागालैंड	55.00
22.	उड़ीसा	366.80
23.	पांडिचेरी	13.33
24.	पंजाब	68.81
25.	राजस्थान	282.60
26.	सिक्किम	बी आर डी बी में शामिल
27.	तमिलनाडु	465.66
28.	त्रिपुरा	बी आर डी बी में शामिल
29.	उत्तर प्रदेश	1007.83
30.	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश में शामिल
31.	पश्चिम बंगाल	357.99

उपुर्यक्त के अलावा गत दो वर्षों के दौरान सीमा सड़क विकास बोर्ड ने 289.77 कि.मी. में सुधार किया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में ग्रामीण उद्योग

2788. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के गांवों में कितने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई है और उनमें जिलेवार कार्यरत लोगों की संख्या क्या है;

(ख) इन उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें से कितने उद्योग लाभार्जन कर रहे हैं और कितने उद्योग घाटे में चल रहे हैं;

(ग) क्या घाटे में चल रहे उद्योगों को सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) ग्रामीण उद्योग के संबंध में जिला-वार सूचना केन्द्रीयकृत तौर से नहीं रखी जाती है। तथापि, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार 14,241 परियोजनाओं को मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में 1,30,486 रोजगार सृजित हुए हैं।

(ख) व्यक्तिगत इकाईयों के लाभ/हानि के संबंध में सूचना केन्द्रीयकृत तौर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) प्रौद्योगिकीय, प्रशिक्षण और विपणन समर्थन के रूप में सहायता के अतिरिक्त ऐसे ग्रामोद्योग की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के तौर पर एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। घाटे में चल रही इकाइयों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए विपणन कंपनी

2789. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग की रोजगार क्षमता के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए कोई विपणन कंपनी बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से पहले ही पूरे देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। आर.ई.जी.पी. को दसवीं योजना अवधि अर्थात् 31.3.2007 तक भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दसवीं योजना में 2.0 मिलियन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। आर.ई.जी.पी. के अतिरिक्त के.वी.आई.सी. दसवीं योजना अवधि के दौरान के.वी.आई. क्षेत्र हेतु अपने अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप जारी रखे हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, खादी क्षेत्र के विकास तथा संवर्धन हेतु भारत सरकार ने 14.05.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं-5 वर्षों हेतु छूट नीति, छूट का विकल्प तथा विपणन सहायता (एम.डी.ए.) खादी कामगारों हेतु बीमा कवच, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन हेतु उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि।

(घ) और (ङ) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन हेतु एक विपणन कंपनी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विकास

2790. श्री रामजी लाल सुमन: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 46 के निर्देश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और इन समुदायों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और

इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य प्रायोजित/सहायता प्राप्त योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उनके रख-रखाव के द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): सरकार सारे देश में अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित समुदायों सहित नियोजन के अवसरों को बढ़ावा देने तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) तथा प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) का कार्यान्वयन कर रही है। आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से तथा पी.एम.आर.वाई. का कार्यान्वयन आर.ई.जी.पी. के तहत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। मार्जिन मनी के रूपमें बैंक एन्डिड आर्थिक सहायता 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25% की दर से तथा 25 लाख रु. तक की शेष परियोजना लागत के संबंध में 10% की दर से प्रदान की जाती है। कमजोर वर्गों अर्थात् अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं/शारीरिक तौर पर विकलांग भूतपूर्व सैनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राही और पहाड़ी, बार्डर तथा आदिवासी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह लक्षद्वीप के संबंध में मार्जिन मनी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 30% की दर से तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना की शेष राशि के लिए 10% की दर से प्रदान की जाती है। अनु.जा./अनु.ज.जा. तथा अन्य कमजोर वर्गों के हितग्राही का योगदान परियोजना लागत का 5% है। स्कीम का कार्यान्वयन पब्लिक सेक्टर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

पी.एम.आर.वाई. के तहत परियोजना लागत का 80 प्रतिशत ऋणों के रूप में तथा शेष 20% केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में और मार्जिन मनी हितग्राही का योगदान होता है। स्कीम में अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए 22.5% के आरक्षण तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए 27% के आरक्षण की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

कैंसर अनुसंधान संस्थान

2791. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले:
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसी कैंसर अनुसंधान संस्थान/सेन्टर की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अनुसंधान संस्थान केन्द्र किस सीमा तक इस रोग के इलाज में सफल रहे हैं;

(घ) क्या कैंसर के इलाज के लिए कोई नया टीका बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में आगे क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 19 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। इनमें से प्रत्येक संस्थान को कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकलाप करने के लिए उपस्कर की खरीद करने हेतु प्रति वर्ष 75.00 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अनुसंधान कार्यकलापों के अलावा ये संस्थान कैंसर के उपचार के लिए संदर्भ केन्द्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र मान्यता देने तथा कैंसर के उपचार में भौगोलिक अन्तरालों को भरने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) से (च) विकिरण चिकित्सा/शल्य चिकित्सा और रसायन चिकित्सा कैंसर के उपचार के तरीके हैं। कैंसर के उपचार के लिए कोई नई वैक्सीन तैयार नहीं की गई है।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तिरूवन्तपुरम
चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, गुजरात

किदवई मेमोरियल इंस्ट. आफ आन्कोलाजी,
बंगलौर, कर्नाटक

एम एन जो इंस्टीट्यूट आफ आन्कोलाजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (डब्ल्यू आई ए),
अड्यार, चेन्नई, तमिलनाडु

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी, जिपमेर, पांडिचेरी

आचार्य हरिहर रीजनल कैंसर,
सेंटर फार कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट
कटक, उड़ीसा

डा. बी.बी.कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम

क्षेत्रीय कैंसर नियंत्रण सोसायटी
शिमला, हिमाचल प्रदेश

टाटा मेमोरियल अस्पताल मुम्बई, महाराष्ट्र

कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

इंडियन रोटरी कैंसर संस्थान,
(ए.आई.आई.एम.एस.), नई दिल्ली

आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर ट्रस्ट और अनुसंधान संस्थान (आर सी सी) बीकानेर, राजस्थान

आर.एस.टी. अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र,
नागपुर, महाराष्ट्र

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, पं. बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा

पं. जे.एन.एम.मेडिकल कालेज, रायपुर,छत्तीसगढ़

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

2792. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अब तक कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर कार्य किया गया है;

(ख) इन परियोजनाओं में विश्व बैंक, एडीबी और निजी प्रबंधकों द्वारा कितना निवेश किया गया है और तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निवेशों/धनराशि के उपयोग संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) के निम्नलिखित दो घटक हैं:

(1) स्वर्णिम चतुर्भुज: चारों महानगरों-दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4/6 लेन बनाना (संरेखण के बाद कुल लंबाई 5846 कि.मी.)।

(2) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग: श्रीनगर से कन्याकुमारी (कोच्चि-सलेम खंड सहित) को जोड़ने वाले राजमार्ग और सिलचर से पोरबंदर (कुल लंबाई लगभग 7300 कि.मी.) को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 4/6 लेन बनाना।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महापत्तन संपर्क सुधार परियोजना और कुछ अन्य परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिनकी कुल लंबाई लगभग 1000 कि.मी. है।

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। निजी निवेश संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण II में हैं।

(ग) उपर्युक्त परियोजना पर फरवरी, 2002 तक के संचयी व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना	320.91 करोड़ रु.
(2) एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	1475.13 करोड़ रु.
(3) निजी निवेश संबंधी परियोजनाएं	297.27 करोड़ रु.

विवरण-I

क्रम सं.	एजेंसी	कुल लंबाई (कि.मी.)	ऋण की राशि (अरब अमरीकी डालर)
1.	विश्व बैंक		
	(क) विश्व बैंक-III (टीएनएचपी) रा.रा. 2 (उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मार्ग-खंड)	477	516
	(ख) विश्व बैंक-जीटीआरआईपी		
	रा.रा. 2 उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मार्ग-खंड	421	589
2.	एशियाई विकास बैंक		
	(ख) ए डी बी-III		
	(1) रा.रा.-8 (गुड़गांव-कोटपुतली)		
	(2) रा.रा.-2 (रानीगंज-पानागढ़) (बरवाअड्डा-बराकर)	333	245
	(3) रा.रा.-9 (नंदीगाम-विजयवाड़ा)		
	(4) रा.रा.-5 (विजयवाड़ा-इलूरू)		
	(ख) ए डी बी-IV रा.रा.-8 (सूरत मनोर)	176	180
	(ग) ए डी बी (डब्ल्यू टी सी) रा.रा.-4 (तुमकुर-हावेरी)	259	240

विवरण-II

बी ओ टी पथकर आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	किशनगढ़ में आर ओ बी	8	1	18
2.	दुर्ग बाइपास	6	18	70
3.	टाडा-नेल्लोर	5	111	760
4.	विजयवाड़ा-नंदीगाम	9	35	
5.	विवेकानंद पुल	2	6	600
6.	जयपुर-किशनगढ़	8	90.38	644
7.	सतारा-कागल	4	133	530
8.	दिल्ली-गुड़गांव	8	27.7	555
	कुल		454	3302

बी ओ टी वार्षिकी आधारित परियोजनाएं

क्रम सं.	खंड	रा.रा.सं.	लंबाई (कि.मी.)	परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1.	राजामुंदरी-धरमावरम	5	53	206
2.	धरमावरम-तुनी	5	47	232
3.	तुनी-अंकापल्ली	5	59	283
4.	ताम्बरम-टिंडीवनम	45	93	375
5.	पानागढ़-पलसित	2	65	350
6.	पलसित-दनकुनी	2	65	432
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम	4	77	332
	कुल		459	2210

विदेशी मुद्रा की बिक्री

2793. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा की खरीद एवं बिक्री की सुविधा देश की कुछ चिन्हित डाकघरों में उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) यदि हां, तो डाकघरों में कौन-कौन सी विदेशी मुद्राएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ग) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): (क) से (घ) चुनिंदा डाकघरों में विदेशी मुद्रा खरीद और बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस बारे में निर्णय तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाएगा।

कोचीन में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

2794. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोचीन में नए प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक स्थापित किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कोची में सूचना प्रौद्योगिक (आईटी) हैबीटेट की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार की प्रस्तावित परियोजना के मॉड्यल-1 के लिए 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का अनुमोदन दिया गया है। यह परियोजना केरल औद्योगिक मूलसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई), जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, को कोचीन स्थित किनफ्रा पार्क में उपग्रह भू-केन्द्र/आंकड़ा संचार सुविधा की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किनफ्रा प्रदत्त निर्मित स्थल से एसटीपीआई ने कोचीन में एक नेटवर्क प्रचालन केन्द्र (एनओसी) की स्थापना की है तथा डेटाकॉम उपस्करों सहित आवश्यक मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह एनओसी कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

घटिया स्टेशनरी की आपूर्ति

2795. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों को उच्च दरों पर घटिया स्टेशनरी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार से आपूर्ति की गई मदों में भी गुणवत्ता मानदण्डों की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी अधिकारी को दोषी पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। उपभोक्ताओं द्वारा अपने मांग-पत्र में दर्शाए गए विनिर्देशनों के अनुसार, केन्द्रीय भण्डार, सरकार के विभागों इत्यादि को लेखन-सामग्री की आपूर्ति करता है। जहां-कहीं आवश्यक समझा जाता है, वस्तुओं का यादृच्छिक परीक्षण भी किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव

2796. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव एवं उसके सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास के लिए आबंटित राशि और खर्च की गई राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

अवधि	विकास		रखरखाव	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
आठवीं पंचवर्षीय योजना	188.79	182.53	54.45	54.45
नौवीं पंचवर्षीय योजना	479.00	363.62 (जन., 2002 तक)	153.44	142.43 (जनवरी, 2002 तक)

कृषि-आधारित उद्योगों के लिए योजना

2797. श्री पी. कुमारासामी: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे शहरों में कृषि-आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार की कोई निर्देश योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार तमिलनाडु के डिंडिकल जिले में स्थिति पलानी तीर्थनगर में ऐसा उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) सरकार पहले से ही खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। देश के किसी भी भाग के उधमी आर ई जी पी के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव तैयार करके अपने इलाके के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास सहायता के लिए जा सकते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 20,000 से कम जनसंख्या वाले किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में इकाई स्थापित की जा सकती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग अपनी स्वयं की इकाइयां स्थापित नहीं करता। अत: खादी ग्रामोद्योग आयोग अपनी स्वयं की ऐसी कोई इकाई स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा।

स्वर्ण-चतुर्भुज परियोजना

2798. श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री अनन्त नायक:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण-चतुर्भुज परियोजना को पूरा करने और सिलचर को पोरबन्दर तथा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले चार लेनों के सड़क-गलियारों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, इन दोनों परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित समयावधि में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (घ) जी हां। विवरण संलग्न हैं।

(ङ) निधारित समय के अंदर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:

(1) तत्काल निर्णय लेना और शीघ्र भुगतान करना।

(2) पहले पूरा करने के लिए बोनस और विलंब के लिए दंड।

(3) कम अधिकारियों वाला संगठन।

(4) परियोजना की तैयारी, निर्माण पर्यवेक्षण और रखरखाव के लिए बाहरी स्त्रोतों द्वारा निजी क्षेत्र की दक्षताओं को प्राप्त करना।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाना।

विवरण

परियोजना	अधिकांश कार्य पूरा करने के लिए नियत तिथि	निर्दिष्ट निधियां (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति			
			कुल लंबाई (कि.मी.)	4 लेन वाला कार्य पूरा किया गया (कि.मी.)	कार्यान्वयन के अधीन लंबाई (कि.मी.)	सौंपी जाने वाली शेष लंबाई (कि.मी)
स्वार्णिम चतुर्भुज	दिसम्बर, 2003	25055 (वर्ष 2000-2001 के मूल्य पर)	5846 (पुन:संरेखण के बाद)	1063	4690	93
श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला और पूर्व-पश्चिम महामार्ग	दिसम्बर, 2007	30000 (लगभग) (वर्ष 2000-2001 के मूल्य पर)	7300 (लगभग)	717	644	5939

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5287/2002]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यटन विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5288/2002]

(2) पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय (संस्कृति विभाग) की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5289/2002]

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2000-2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5290/2002]

(3) (एक) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5291/2002]

(5) (एक) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)।

(दो) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5292/2002]

(7) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्कृति मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5293/2002]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5294/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5295/2002]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदय, मैं कुमारी उमा भारती की ओर से युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5296/2002]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): महोदय, मैं श्री शरद यादव की ओर से श्रम मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5297/2002]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 81(अ) जो 17 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (हरिहर के महाराष्ट्र सीमा तक) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(दो) का.आ. 118(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(तीन) का.आ. 119(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 पर उदयपुर-मंगलवाड़-चित्तौड़गढ़ खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या-79 पर भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ खंड के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन), जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना है।

(चार) का.आ. 120(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर इलाहाबाद बाईपास के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु प्रतापगढ़ कलक्टरी के अपर उप-कलक्टर/विशेष भू-अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना है।

(पांच) का.आ. 121(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 को चौड़ा करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-अर्जन), जिला भीलवाड़ा को प्राधिकृत करना है।

(छह) का.आ. 122(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 (रतनपुर से गांधी नगर खंड) पर भूमि का अर्जन करने के लिए विशेष भू-अर्जन अधिकारी, हिम्मतनगर, गुजरात को प्राधिकृत करना है।

(सात) का.आ. 123(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 (चेन्नई-रानीपेट खंड) पर भूमि का अर्जन करना है।

(आठ) का.आ. 124(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79 के चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा खंड के लिए भूमिका अर्जन करना है।

(नौ) का.आ. 125(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय गुजरात राज्य में सूरत से मनोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(दस) का.आ. 126(अ) जो 29 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 का चोर लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(ग्यारह) का.आ. 164(अ) जो 5 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य के हवेरी और धारवाड़ जिले में हरिहर से महाराष्ट्र सीमा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 को चार लेनों वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(बारह) का.आ. 1223(अ) जो 14 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड के बीच के हिस्से के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क को अधिसूचित करना है।

(तेरह) का.आ. 129(अ) जो 30 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में दनकुनी और पोलसिट के बीच दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के दो लेनों के इस्तेमाल के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5298/2002]

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5299/2002]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5300/2002]

(2) योजना मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5301/2002]

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5302/2002]

(4) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5303/2002]

(5) लघु उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5304/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

नौवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 51, दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5305/2002]

2. विवरण संख्या 30, सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5306/2002]

दसवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 50, पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5307/2002]

4. विवरण संख्या 42, चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5308/2002]

5. विवरण संख्या 28, आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5309/2002]

6. विवरण संख्या 33, नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5310/2002]

7. विवरण संख्या 31, तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5311/2002]

ग्यारहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 27, दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5312/2002]

9. विवरण संख्या 25, तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5313/2002]

बारहवीं लोक सभा

10. विवरण संख्या 22, दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5314/2002]

11. विवरण संख्या 17, चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5315/2002]

तेरहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या 15, दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5316/2002]

13. विवरण संख्या 14, तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5317/2002]

14. विवरण संख्या 10, चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5318/2002]

15. विवरण संख्या 8, पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5319/2002]

16. विवरण संख्या 7, छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5320/2002]

17. विवरण संख्या 4, सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5321/2002]

(खण्ड 1, 2 और 3)

18. विवरण संख्या 2, आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5322/2002]

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5323/2002]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2002-2003 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5324/2002]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 904(अ) जो 20 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (वाहन खरीद के लिए अग्रिम देना) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 905(अ) जो 20 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) (संशोधन) विनियम, 2001 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5325/2002]

(2) हमापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 928(अ) जो 28 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 798 (अ) का शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 925(अ) जो 27 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 21 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 204(अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा.का.नि. 906(अ) जो 20 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 4 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 650 (अ) का शुद्धि-पत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) दिया हुआ है।

(3) (एक) कांडला डाक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डाक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5326/2002]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) आल-इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल-इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5327/2002]

(3) (एक) इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट आफ मेडीकल साइन्सेज, पटना के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट आफ मेडीकल साइन्सेज, पटना के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5328/2002]

(5) (एक) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5329/2002]

(7) (एक) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5330/2002]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): उपाध्यक्ष जी, मैं दूरसंचार विभाग के वर्ष 1999-2000 के लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5331/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

आठवां और नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

*(1) ''संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव'' संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

*(2) ''संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी मार्गनिदेशों'' में संशोधन करने के प्रस्तावों के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

---

*अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 20 दिसम्बर, 2001 जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और प्रचालन के आदेश लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत दिये थे।

अपराह्न 12.03 बजे

वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं लक्षद्वीप वक्फ बोर्ड और पांडिचेरी वक्फ बोर्ड के संबंध में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के क्रमशः पहले और दूसरे प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2001-2002 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति (तेरहवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ई.टी.बी.ई. के स्थान पर आक्सीजेनेट के रूप में पेट्रोल में एथेनोल के उपयोग का अनुमोदन

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, जैसा कि माननीय संसद सदस्यों को मालूम होगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (गैसोहोल) के उपयोग को प्रोत्साहन देने के प्रयास करता रहा है। मैंने सारे देश में प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता और गैसोहोल के उपयोग को बढ़ाने के संबंध में दिसंबर, 2001 में इस सम्माननीय सदन में एक स्व-प्रेरणा वक्तव्य दिया था।

इसके साथ-साथ मंत्रालय पेट्रोल में आक्सीजेनेट के रूप में इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर (ई.टी.बी.ई.) के उपयोग की व्यवहार्यता पर विचार कर रहा था। ई.टी.बी.ई. को मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर (एम.टी.बी.ई.) की तुलना में बेहतर आक्सीजेनेट माना जाता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डा. एस.जे. चोपड़ा, कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी.एच.टी.) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पेट्रोल में एथेनोल का मिश्रण प्रचालनात्मक, वित्तीय, पर्यावरणी, तकनीकी, संभारतंत्रीय आदि जैसे विभिन्न पहलुओं की दृष्टि से ई.टी.बी.ई. के मिश्रण की तुलना में एक बेहतर विकल्प है। इसके अलावा एथेलोन बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है और पेट्रोल इंजनों में परिवर्तनों के बिना गैसोलीन में 10 प्रतिशत तक मिश्रित किया जा सकता है। इसकी आक्टेन संख्या उच्च है इसकी थर्मल प्रभावकारिता बेहतर है। समिति ने यह सुझाव दिया है कि ई.टी.बी.ई. संयंत्रों की स्थापना के लिए व्यापक लागत वाली रिफाइनरियों पर ई.टी.बी.ई. का मिश्रण करना होगा। ऐसे प्रत्येक संयंत्र पर डिपुओं पर एथेनोल मिश्रण सुविधाएं जुटाने के लिए लगभग 30 से 40 लाख रुपये के मुकाबले लगभग 100 करोड़ रुपए लागत आएगी। ऐथेनोल का उपयोग करने का यह दृष्टिकोण कम पूंजी गहन और विकेन्द्रीकृत है क्योंकि डिपो सारे भारत में स्थित हैं।

एथेनोल का आक्सीजेनेट के रूप में उपयोग करने के निर्णय से एक तरफ इसका उपयोग बढ़ेगा और एम.टी.बी.ई. का उपयोग भी चरणबद्ध रूप से समाप्त होगा। भारत में पेट्रोल में योगज के रूप में उपयोग किए जाने वाला एम.टी.बी.ई. दो रिफाइनरियों— भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की मुंबई रिफाइनरी और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की गुजरात स्थित कोयाली रिफाइनरी में उत्पादित किया जाता है। पेट्रोल में आक्सीजेनेट के रूप में एम.टी.बी.ई. के उपयोग के बारे में चिंता बढ़ रही है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब यह भूमिगत जल में मिल जाता है, तो इससे जल प्रदूषण हो जाता है और जल को अस्वीकार्य गंध प्रदान करता है। संयोगवश, अमरीकी सीनेट ने चार वर्षों में एम.टी.बी.ई. की चरणबद्ध समाप्ति का अनुमोदन कर दिया है।

वर्तमान में पेट्रोल में एथेनोल का मिश्रण महाराष्ट्र में मनमाड तथा मीराज एवं उत्तर प्रदेश में बरेली में आरंभ की गई 3 प्रायोगिक परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। आगे, उत्तर

प्रदेश में तीन (गोंडा, कानपुर तथा नजीबाबाद) और स्थानों पर, पंजाब में दो (भटिंडा तथा पठानकोट) तथा आंध्र प्रदेश में एक (राजामुन्द्री) स्थान पर ऐसे मिश्रण की योजना है। सरकार ने देश भर में पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रण का दो चरणों में विस्तार करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। प्रथम चरण में गन्ना उगाने वाले आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्य शामिल होंगे। देश के शेष भाग को द्वितीय चरण में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल में एथेनोल का उपयोग बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के बजट में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल में 0.75 रुपए प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क रियायत की घोषणा की है।

पेट्रोल में एथेनोल (5 प्रतिशत) के उपयोग से अपेक्षाकृत अच्छा दहन तथा प्रदूषकों का काफी कम उत्सर्जन होता है। अखिल भारतीय स्तर पर पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रण के लिए लगभग 500 मिलियन लीटर एथेनोल की जरूरत होगी। एथेनोल का उपयोग करने संबंधी निर्णय एथेनोल के उपयोग से तेल उद्योग, गन्ना उगाने वाले कृषकों तथा पर्यावरण को होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त देश इस दूरगामी निर्णय से लाभ प्राप्त करेगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5332/2002]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री के निर्वाचन-क्षेत्र में भी गड़बड़ हुई है। उन्होंने मुझे बताया है और मैं उन्हें बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर): महोदय, मुझे भी गुजरात के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाना है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल 26 सदस्यों ने ही बोलने के लिए नोटिस दिया है और आप सबको मौका मिलेगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी आप आराम से बैठ जाइए। मैं आप सबको बोलने का चांस दूंगा। पासवान जी, आप भी बैठ जाइए, मैं आपको भी चांस दूंगा।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज, गुजरात बहुत ही संवदेनशील और विस्फोटक स्थिति में है। जब से यह दावे किए गये हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 72 घण्टों के अंदर हिंसा पर काबू पा लिया है और गृह मंत्री द्वारा सभा में इस बारे में एक वक्तव्य भी दिया गया था, तब से गुजरात में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन लोग मारे न गए हों। कल ही की बात है, मेरे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में मदौसा शहर में, जब कुछ लड़कियां परीक्षा देकर स्कूल से लौट रही थीं, उनसे छेड़खानी की गई। अफवाह फैली, हिंसा शुरू हो गई और पुलिस फायरिंग में दो व्यक्ति मारे गये। रात भर लूटपाट, आगजनी और दुकानें जलाने की घटनाएं होती रहीं। मुझे रात 12.40 बजे टेलीफोन से इसकी सूचना मिली-सुबह 4 बजे तक दुकानें जलायी जाती रहीं। भरूच में दो व्यक्ति मारे गए। इस सभा में वक्तव्य दिये जाने के बाद की बात है, अहमदाबाद और बड़ोदरा में हिंसा हुई। और यह दिखाने के लिए कि गुजरात में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है—राज्य सरकार ने वास्तव में केवल दो ही केन्द्रों पर परीक्षाएं स्थगित की थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें निर्धारित कार्यक्रमानुसार ही कराया गया। छात्र परीक्षाओं में बैठना नहीं चाह रहे हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि जैसे, जब भरूच में एक छात्र परीक्षा देकर एक आटोरिक्शे में घर लौट रहा था, तो उसे बार खींचकर मारा-पीटा गया। बाद में उसकी मौत हो गई। कल भी एक लड़की को मार दिया गया। उसने अहमदाबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। पहले उसे मदौसा, फिर हिम्मतनगर और फिर अहमदाबाद ले जाया गया था।

मुझे गहरी आशंका है कि गुजरात की वर्तमान सरकार हिंसा पर नियंत्रण नहीं कर सकेगी क्योंकि उसने वहां के पुलिस बलों के अधिकारों को दबा रखा है*...(व्यवधान)* लोगों को पुलिस का कोई भय नहीं है*...(व्यवधान)* वे पुलिस के सामने ही हिंसा करते हुए दुकानें जला रहे हैं। वहां यह सब हो रहा है और यही कारण है कि छः दिन से अबाध रूप से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं-क्योंकि राज्य की इसमें मिलीभगत है जिसने 'विश्व हिंदू परिषद' और 'बजरंग दल' के एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया है, जबकि ये संगठन राज्य भर में हिसा में लिप्त हैं*...(व्यवधान)* महोदय, मेरी मांग है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर उत्तर देने के लिए आएं। गुजरात में सभी संवेदनशील स्थानों पर केन्द्रीय बलों को तैनात किया जाये*...(व्यवधान)* स्थिति बहुत विस्फोटक है, मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक-समुदाय होने के नाते सुरक्षित नहीं है*...(व्यवधान)*।

मैं हिंसा में संलिप्त सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपको पता नहीं है, वहां क्या चल रहा है।

[अनुवाद]

आपको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। यह सब वोटों की राजनीति की वजह से हो रहा है...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के एफ.आई.आर. में नाम हैं, और 'विश्व हिन्दू परिषद्' तथा 'बजरंग दल' के लोगों को गिरफ्तार किया जाये...*(व्यवधान)*। इस सरकार ने दर्ज एफ.आई.आर. में नामोलिखित एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। महोदय, इससे अल्पसंख्यक-समुदाय के लोगों में अविश्वास का भाव उत्पन्न हो रहा है। यह सरकार राज्य में हिंसा भड़का रहे उन लोगों को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती है। मेरी मांग है कि केन्द्र इसमें हस्तक्षेप करे और संसद की ओर से कुछ लोगों को भेजा जाये जो जाकर पूरी स्थिति की जानकारी लें तथा उस पर नियंत्रण करें...*(व्यवधान)* महोदय, 28 तारीख को हिंसा भड़कने के बाद से आज तक, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लगे राहत-शिविरों में 13,000 व्यक्ति रह रहे हैं। इन शिविरों में मुश्किल से ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं या राहतों की बात तो भूल ही जाइए।

उन्हें अपना प्रबंध खुद करने के लिए छोड़ दिया गया है...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी यहां आएं। वास्तव में, मैंने उनसे संपर्क किया था...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यक-समुदाय में विश्वास पुनः जागृत करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय बलों की तैनाती की जाये और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक और सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपने नोटिस दिया है, तो आपको बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, माननीय मंत्री को यहां आकर सभा को आश्वासन देना चाहिए।...*(व्यवधान)* सत्र का पूर्वार्द्ध समाप्त होने में अब केवल दो ही दिन बचे हैं...*(व्यवधान)* सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभा को आश्वस्त करे कि स्थिति को नियंत्रित किया जायेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ई. अहमद, इसी विषय पर एक और सदस्य को बोलना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष जी, आये दिन वहां से लोग भागकर आ रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भूरिया, यदि आप इसी तरह व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे, तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा?

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, हमें भी चांस दिया जाए...*(व्यवधान)* केवल उन्हीं को चांस मिले, यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)* हमने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस दिया है तो आपको चांस भी मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का विशेषकर संबंधित मंत्री का, ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* अहमदाबाद में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राहत के कोई उपाय नहीं किये गये हैं। इस तथ्य के बावजूद कि प्रधानमंत्री ने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि राहत उपाय किये जायेंगे और अहमदाबाद में दंगों से प्रभावित लोगों के लिए उचित प्रबंध किया जायेगा—कुछ भी नहीं किया गया है...*(व्यवधान)* बारह शिविर हैं और प्रत्येक शिविर में छह-सात हजार से अधिक पीड़ित लोग हैं...*(व्यवधान)* इन सभी लोगों को उनके समाज के व्यक्तियों द्वारा राहत उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार सिर्फ थोड़ा सा चावल और गेहूं दे रही है...*(व्यवधान)* कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है—कोई आश्रय नहीं, भोजन नहीं, न ही अन्य सुविधाएं!...*(व्यवधान)* स्वास्थ्य-सुविधाओं का कोई प्रबंध नहीं है। सफाई नहीं होती है...*(व्यवधान)* इस लोकतांत्रिक भारत देश में यह सब हो रहा है...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभा को आश्वस्त किया था कि यह सरकार समुचित प्रबंध करेगी और इस कार्य की देखरेख के लिए एक समिति बनाई जायेगी...*(व्यवधान)* गुजरात के जिन क्षेत्रों में शिविर लगे हैं, वहां के संसद-सदस्य भी उत्तरदायी

हैं। लेकिन उनमें इतना सौजन्य नहीं कि वे जाएं और उन क्षेत्रों का दौरा करें...*(व्यवधान)* आप जाइए और उन शिविरों का दौरा कीजिए...*(व्यवधान)* मैं उन शिविरों में गया हूं...*(व्यवधान)* मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है...*(व्यवधान)* उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)* सोने के लिए बिछावन नहीं है...*(व्यवधान)* उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। स्थिति बहुत खराब है और यह बड़े दुख की बात है...*(व्यवधान)* एक तरफ तो मारकाट चल रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ई. अहमद, कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद: दूसरी तरफ, वे लोग अपने घरों को भी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास घर नहीं हैं—वे नष्ट कर दिये गये हैं...*(व्यवधान)* यदि वे अपने परिजनों के पास जाना चाहें तो पुलिस जाने नहीं देती। कर्फ्यू लगा हुआ है...*(व्यवधान)* यदि वे पास चले भी जाते हैं, तो उन पर हमला किया जाता है...*(व्यवधान)* गुजरात में अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है...*(व्यवधान)* अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है...*(व्यवधान)* वे भी इस देश के नागरिक हैं...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब देने के लिए सरकार को निर्देश दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसके कई कारण हैं। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने के लिए कहा है, आप इन्हें रोकिये...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, बंगलौर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो अधिवेशन हुआ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग पार्टी का हाल देखिए।...*(व्यवधान)* आप लोग वहां दंगा करा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सूची में 26 नाम हैं। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है। उन सभी को अवसर मिलेगा। पर यदि आप केवल खड़े होकर इस तरह बोलते रहेंगे, तो किसी को भी अवकर नहीं मिलेगा। मुझे 'शून्य काल' समाप्त करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आज के 'इंडियन एक्सप्रैस' में लिखा है कि अहमदाबाद में नरसंहार का कोई भी आरोपी, आज की तारीख तक 'पोटो' के तहत बन्दी नहीं बनाया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के दंगों के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। गृह मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में 42 आदमी दंगाइयों की गोली से मारे गए।...*(व्यवधान)* वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किए बिना स्थिति सामान्य नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह हाउस में होगा तो जीरो आवर को डिसपैंस करना पड़ेगा। सभी लोग इसी तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: 26 मैम्बर्स के नाम हैं। अगर आप सब शान्त रहेंगे तो सबको चांस मिलेगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इनके चलते साम्प्रदायिकता का बोलबाला है। ऐसे में देश नहीं बचेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी। मैंने आपको फ्लोर ही नहीं दिया फिर भी आप बोलते जा रहे हैं। कोई लिमिट ही नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बैठाते क्यों नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में संघ परिवार द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया, वह धमकी भरा है। संघ परिवार ने एक प्रस्ताव पास करके यह धमकी दी कि हिन्दुस्तान में अगर मुसलमानों को रहना है तो दब कर रहना है। ...*(व्यवधान)* जो इनके प्रचारक हैं, उन्होंने कहा है कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कल यह मैटर उठाया गया था। आपने इस बारे में कोई नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह नहीं करें। आपने नोटिस नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया। किसी ने नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: यह देश को बांटना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* हम दोबारा देश का बंटवारा होने नहीं देंगे।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: न आपका और न ही मुलायम सिंह जी का इस बारे में नोटिस है। दोनों का नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में नोटिस दिया है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नोटिस दिए बिना बोलना ठीक नहीं है। आपने और श्री रामजीलाल सुमन ने भी नोटिस नहीं दिया है। श्री अखिलेश सिंह ने नोटिस दिया है। मैं उनको एलाऊ करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस है।

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में ऐसा कोई नोटिस नहीं होता है।

श्री अखिलेश सिंह।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्या जीरो आवर चलने देना है, या नहीं?

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि क्वश्चन आवर के बाद मेरी बात सुनेंगे। आपने रूलिंग दी थी*...(व्यवधान)* पहले एक बार देश का बंटवारा हो चुका है, दुबारा देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। आर.एस.एस. ने जो धमकी दी है*...(व्यवधान)* उसका मुकाबला किया जायेगा*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस तरह से नोटिस न देकर बोलना ठीक नहीं।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के सीनियर मैम्बर ने राज्य सभा में देश के बंटवारे की बात कही है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कुंवर अखिलेश सिंह को बोलने को कहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह के भाषण के अलावा, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, आर.एस.एस. के प्रस्ताव से पूरे देश में*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव एडमिट नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आपने नोटिस नहीं दिया है।

कुंवर अखिलेश सिंह।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): सरकार इस मसले पर वक्तव्य दे*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को वक्तव्य देने पर बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सरकार कोई वक्तव्य देना चाहे, तो दे सकती है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार गुजरात पर वक्तव्य देकर सभा को ताजा हालात से सूचित करे...*(व्यवधान)* सरकार तो संज्ञान भी नहीं ले रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कुंवर अखिलेश सिंह का नाम पुकारा था। कृपया उस तरह व्यवधान मत डालिए।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, मैं आपके द्वारा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने को गंभीरता-पूर्वक लूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या आपने नोटिस दिया है?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस क्यों नहीं दिया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वहां इतने लोग मारे गये, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस भी नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: देश की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री कीर्ति जा आजाद।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वे शून्यकाल चाहते हैं या नहीं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सबको समय देने की कोशिश कर रहा हूं। महत्वपूर्ण मामले पर माननीय सदस्यों ने 26 नोटिस दिये हैं। आम बजट पर चर्चा के लिये हमारे पास 6 घंटे का समय है। मुझे नहीं पता कि यदि हम इसी रफ्तार से चलें तो चर्चा समाप्त कर पायेंगे कि नहीं। यदि आप सब धैर्यपूर्वक सुनें कि प्रत्येक माननीय सदस्य महत्वपूर्ण मामलों पर क्या कहना चाहता है, तो हम एक बजे तक इन नोटिसों पर चर्चा समाप्त कर लेंगे। अन्यथा, इसे पूरा करना कठिन होगा। शोर-गुल मचाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी स्थिति में हम परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के बारे में समाधान होना चाहिये। गुजरात में लोग मारे जा रहे हैं। वहां कानून और व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहां सिचुएशन नार्मल नहीं है, वहां सरकार चुप बैठी है।...*(व्यवधान)*

डा. संजय पासवान (नवादा): ये जानबूझकर बोल रहे हैं ताकि बिहार पर चर्चा न हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह चर्चा जारी रखने का क्या फायदा? मुझे लगता है कि बेहतर हो आप सभा स्थगित कर दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस तक नहीं दिया बोलने का और आप बोलते ही जा रहे हैं। आपको क्या हक है, इन्हें बताने के लिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कीर्ति झा आजाद, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे? मैं उन्हें बैठने के लिये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप केवल मेरी कठिनाई बढ़ा रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी। श्री वाई.जी. महाजन।

अपराह्न 2.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) गोदावरी एक्सप्रेस को महाराष्ट्र में भुसावल तक चलाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव (महाराष्ट्र) से सुबह मुंबई के लिए जाने वाली सेवाग्राम एक्सप्रैस के समय में परिवर्तन होने से इस क्षेत्र को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कुर्ला-मनमाड़ के बीच चलने वाली गोदावरी एक्सप्रैस का चालन बढ़ाकर इस गाड़ी को भुसावल तक ले जाने से इस क्षेत्र के लोगों को नासिक रोड तथा मुंबई जाने में काफी सुविधा हो सकती है। गोदावरी एक्सप्रैस कुर्ला के लिए मनमाड़ की बजाय भुसावल से छूटती है। इसलिए रेल प्रशासन को इसके लिए कोई भी अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है और न ही गाड़ी के वर्तमान चालन समय में कोई परिवर्तन करने की। भुसावल डिवीजन स्टेशन है तथा यहां पर 4 अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में स्टाफ भी उपलब्ध है। अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गोदावरी एक्सप्रैस का चालन भुसावल तक बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई के आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(दो) गुजरात के पालनपुर में रेल उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर में 30 साल पहले एक रेलवे उपरिपुल बनाया गया था, परन्तु तीस साल के बाद यातायात में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण यातायात में अनावश्यक भीड़-भाड़ होती है एवं एक्सीडेंट भी आए दिन होते रहते हैं। गुजरात सरकार ने इस रेलवे उपरिपुल को चौड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था एवं इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद दो वर्ष पूर्व 50 प्रतिशत लागत व्यय के रूप में दो करोड़ रुपए भी रेलवे को भेज दिए हैं, परन्तु अभी तक इस रेलवे उपरिपुल का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण एक ओर तो इस उपरिपुल की लागत बढ़ रही है एवं दूसरी ओर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जो लोकहित में नहीं है। अत: सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उपचार के लिए दुर्लभ जड़ी-बूटियों और औषधीय वनस्पति का प्रयोग करने वाले खानाबदोश समूहों की पारम्परिक विशेषज्ञता का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

डा. संजय पासवान (नवादा): महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान पारम्परिक उपचार करने वाले खानाबदोश समूहों, जो समाज के शारीरिक और मानसिक बीमारियों का उपचार करते रहे हैं, की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उनके पास औपचारिक डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास विरासत और परम्परा से मिला ज्ञान है, जिसे संरक्षित, प्रचारित और लोकप्रिय बनाये जाने की आवश्यकता है। इन खानाबदोश समूहों की संख्या बहुत अधिक है जो स्वदेशी मूल की जड़ी-बूटियों और औषधीय वनस्पतियों की खोज और उनके संग्रहण के काम में लगे हैं। आधुनिक विश्व में ऐसी भारतीय जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों से किये जाने वाले उपचार की पूरे विश्वभर में भारी मांग है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि महारी सरकार को ऐसी विशेषज्ञता वाले इस तरह के लोगों का 'ऐड्रेस बैंक' बनाना चाहिये, ऐसे खानाबदोश समूहों की पहचान करनी चाहिये, पारंपरिक तरीके से उपचार करने वाले ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करना चाहिये और तदुपरांत भारतीय मूल की ज्ञान आधारित उपचार की पीढ़ियों से चली आ रही इस पद्धति के संरक्षण के लिये इस तरह के सभी समूहों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में स्थित ''केसरिया'' का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): सभापति जी, बिहार के गंगा के उत्तरी तट पर पूर्वी चम्पारण जिले में अवस्थित ''केसरिया'' नामक एक महान प्राचीन ऐतिहासिक भूखण्ड है। यह धरती पौराणिक काल में कमला, पदमा, रसा तथा पुण्डु भूमि के नाम से पूजनीय धरा थी। यह भूखण्ड प्राचीन भग्नावशेषों एवं ध्वंशावशेषों सम्राट अजातशत्रु तथा सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ध्मेख, स्तूप, अशोक स्तम्भ, शिलालेख, गृहालेख, तरायी लेखों से भरा बड़ा है तथा अपने अंदर भारत की संस्कृति और सभ्यता एवं गौरवशाली इतिहासों को छुपाये हजारों वर्षों से किसी ''दिदावर'' की प्रतीक्षा में खड़ा है। पूर्वी चम्पारण की ऐसी धरती का नाम ''केसरिया'' है जो लिच्छवी संघीय गणराज्यों के अंतर्गत प्राचीन काल में आता था। सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक तथा अनेक राजा-महाराजाओं की राजधानी बनने का सौभाग्य पूर्व काल में इस धरती को प्राप्त था। यहां की बज्जी (वैशाली) के चर्मोत्कर्ष के समय की इतिहास प्रसिद्ध सम्राज्ञी आम्रपाली की यह जन्मभूमि है। यह भगवान बुद्ध की प्यारी नगरी बनने तथा कुछ काल तक इस धरती पर उनके निवास एवं अपना अन्तिम उपदेश देने के लिए इस धरती को चुना था।

मेरा पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि विश्व के इस सबसे ऊंचे स्तूप की सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को विकसित कराने की व्यवस्था की जाए।

(पांच) बिहार में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, विभाजन के बाद पूरे बिहार में एन.टी.पी.सी. का केवल एक पावर स्टेशन कहलगांव में है। विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता का 63 प्रतिशत झारखंड में चला गया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि शेष बिहार में अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित की जाए और मौजूदा विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों की क्षमता को बढ़ाया जाये। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट और बरौली थर्मल पावर प्लांट के विस्तार की आवश्यकता है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट तथा निजी क्षेत्र में नबीनगर में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट की परियोजना को यदि अमल में लाया जाता है तब जाकर बिहार में 10,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता प्राप्त हो सकती है और चौमुखी विकास के रास्ते में आने वाली प्रमुख अड़चनों में से बिजली संबंधी एक प्रमुख अड़चन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नये ट्रांसमीशन तथा वितरण नेटवर्क स्थापित करने की जरूरत है। इसकी अत्यंत आवश्यकता विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार राज्य में विद्युत की समस्या का निदान शीघ्र कराने तथा इसके अतिरिक्त बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है उस प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र काम कराने का आग्रह करता हूं।

(छह) मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दरलाल तिवारी (रीवा): सभापति जी, रीवा संभाग में बाणसागर बांध परियोजना लगभग पूर्ण हो चुकी है और इससे बिजली का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है किन्तु इससे निकलने वाली नहरों क्योटी, पूर्वा और सिहावल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिसके कारण रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिलों के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं। इन नहरों का निर्माण राज्य सरकार की सामर्थ्य के बाहर है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार इन नहरों के निर्माण के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता की लगातार मांग करती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा आज तक मध्य प्रदेश सरकार को इन नहरों के निर्माण के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और निर्माण लागत भी बढ़ती जा रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाणसागर की नहरों के निर्माण के लिए तत्काल आवश्यक धनराशि आवंटित करे।

[अनुवाद]

(सात) आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केबल टी वी आपरेटरों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): बड़े शहरों में अधिकांश केबल टी.वी. आपरेटर अपने क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं और बिना किसी औचित्य के मनमानी वसूली कर रहे हैं। वे अपने निर्धारित संचालन क्षेत्र में सस्ती सेवा देने वाले किसी नये आपरेटर को अनुमति नहीं देते हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर आपरेटर

जो उचित दर पर बेहतर सेवा देने को तैयार हों की सेवा नहीं लेने दी जाती। ऐसे आपरेटर भुगतान चैनलों द्वारा दर बढ़ाये जाने के बहाने करीब हर महीने शुल्क बढ़ा रहे हैं। अब वे चालू बजट में उन पर लगाये गये पेशेवर सेवा कर लगाये जाने पर फिर से शुल्क बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि बजट अभी पारित नहीं हुआ है, पर वे अतिरिक्त भुगतान की मांग कर रहे हैं।

अत: मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अपील करता हूं कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान दें और शुल्क को मानकीकृत बनायें जिसकी शीघ्र सार्वजनिक घोषणा करें और उपभोक्ताओं के पास ऐसे चैनल देखने का विकल्प हो, जो उन्हें अभी उपलब्ध नहीं है। मैं एक विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से केबल टी.वी. आपरेटरों की गतिविधियों पर तुरंत नियंत्रण करने का अनुरोध करता हूं ताकि अभी उनकी गिरफ्त में फंसे करोड़ों टी.वी. दर्शकों को बचाया जा सके।

[हिन्दी]

(आठ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित है, की ओर दिलाना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंत्री, ग्रामीण विकास भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि स्थानीय लोक सभा सदस्यों की राय से 2 करोड़ रुपये तक सड़क मार्ग पर लोक सभा सदस्यों का प्रस्ताव लिया जाएगा किन्तु इसका अनुपालन मेरे संसदीय क्षेत्र जो जौनपुर एवं प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में है, नहीं हो रहा है। संभवत: यही शिकायत अनेक लोक सभा सदस्यों को भी है। यही स्थिति सुनिश्चित रोजगार योजना की है।

अत: आपके माध्यम से मैं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से घोषित योजना में लोक सभा सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब तक लोक सभा सदस्य अनुमोदित न करें, उपरोक्त योजनाओं पर धन आबंटित करने पर रोक लगा दी जाए।

[अनुवाद]

(नौ) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के विनिवेश के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, सरकार का नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के विनिवेश का प्रस्ताव है। कोयला खनन और विद्युत उत्पादन की समेकित परियोजना वाला यह अनोखा उपक्रम है। गत 25 वर्षों के दौरान इसे कुल 4515 करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ है और इसने पिछले विर्ष 725 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। इस वर्ष के दौरान इसे अब तक कुल 950 करोड़ रुपये का लाभ हो चुका है। इसके अलावा इसके विद्युत स्टेशनों से उत्पन्न बिजली दक्षिणी क्षेत्र, यानि केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश को बहुत सस्ती दर पर 1.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से और तमिलनाडु को 1.14 रुपये की दर से बेची जाती है। जबकि निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली 4.50 रुपये से 5.50 रुपये तक बेची जाती है। अत: यदि एन.एल.सी. का निजीकरण किया जाता है, तो सभी दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनका बिजली बजट बढ़ जायेगा और उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जायेगी। एन.एल.सी. के पास बजटीय समर्थन पर निर्भर किये बिना अपने संसाधनों से शुरू की जाने वाली कई परियोजनायें हैं जैसे माइन-2, माइन-3 एक्सपैंशन और थर्मल पावर स्टेशन टी.पी.एस.-III 2×500 एम.डब्ल्यू. पावर।

अत: मैं सरकार से इस उपक्रम के पूंजीगत अवसंरचनात्मक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिये प्रयास करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह न केवल विद्युत क्षेत्र में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न करेगा। बल्कि इससे दक्षिणी राज्यों की समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, क्या मैं एक अनुरोध करूं? माननीय कोयला मंत्री और माननीय वित्त मंत्री यहां उपलब्ध हैं। नेवेली में समूचा स्टाफ हड़ताल पर है। विद्युत उत्पादन शून्य पर आ गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो लिखित में है आपको वही पढ़ना है।

श्री सी. कुप्पुसामी: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जवाब देने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

कोयला और खान मंत्री (श्री राम विलास पासवान): मैंने मुख्य प्रबंधन निदेशक से कहा है कि वह इस बारे में केन्द्र सरकार से चर्चा करें। आपने ठीक कहा है कि विद्युत उत्पादन में गिरावट आई है। इसी कारण हमें बिजली नहीं मिल रही है। इसलिये मैंने सी.एम.डी. से कहा है कि वे आज ही केन्द्र सरकार से बात करें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रक्रिया यह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मंत्री महोदय ने इसका जवाब दे दिया है। मैं इस हस्तक्षेप का समर्थन करता हूं।

लेकिन जो भी सदस्य नियम 377 के अधीन मामला उठाता है उसे सत्तापक्ष से बराबर हस्तक्षेप की अपेक्षा रहती है। यहां भेदभाव है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं मंत्री महोदय की बात पूरी तरह समझता हूं। लेकिन जब बाकी सदस्य नियम 377 के अधीन मामला उठायें तो भी सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप एन.एस.सी. का विनिवेश करने जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: प्रियरंजन दासमुंशी जी, हमको बोलना नहीं चाहिए था।...*(व्यवधान)* आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने तो आपको एप्रीसिएट किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: लेकिन चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट मामला था, इसलिए मैंने इण्टरवीन कर दिया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने तो कहा कि सरकार की तरफ से सब के ऊपर कहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर तो गायब हैं, वे तो हाउस में ही नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्योंकि मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है, मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से नहीं निकाल रहा हूं।

(दस) सतारा जिले में कराड़ में कृष्णा नदी के किनारे-किनारे दीवार के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़): महाराष्ट्र में सतारा जिले में कराड़ में कृष्णा और कोयाना नदियों के संगम के पास कृष्णा नदी के किनारे-किनारे एक दीवार के निर्माण का तत्काल आवश्यकता है ताकि भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री यशवंत राव चव्हाण की समाधि की सुरक्षा की जा सके।

मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर स्थित पाकबड़ा को काशीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करने और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रविजय सिंह (मुरादाबाद): महोदय, उत्तरांचल प्रदेश के कुमाऊं अंचल की दिल्ली से दूरी कम करने हेतु यदि सरकार मुरादाबाद शहर से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित पाकबड़ा के समीप एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना करे, जो गांगन नदी पार करते हुए मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग को भी पार करते हुए राम गंगा नदी पर नया पुल स्थापित करके काशीपुर राजमार्ग पर मिले। इस नये मार्ग से करोड़ों रुपये का पैट्रोल, डीजल बचेगा। मुरादाबाद शहर रामगंगा के पार बस जायेगा, जिससे उन्नति होगी। हजारों गांवों को लाभ मिलेगा। उत्तरांचल और दिल्ली के बीच लगभग 30-40 किलोमीटर की सड़क यात्रा बचेगी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का शीघ्र निर्माण राष्ट्रहित में होना चाहिए. जरूरत पड़ने पर सेना को भी बोर्डर पर पहुंचाने हेतु करीब हो जायेगा, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से इस नए मार्ग की अति आवश्यकता है।

अपराह्न 2.20 बजे

[अनुवाद]

सामान्य बजट, 2002-2003–सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 2002-2003
अनुपूरक अनुदानो की मांगें (सामान्य) 2001-2002
और
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1998-99–*जारी*

सभापति महोदय: अब, हम सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मैं अपने अंतर्मन से माननीय वित्त मंत्री को ऐसा साहसी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। एक पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बजट के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए साहस की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, टिप्पणी के लिए आपको धन्यवाद...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, जब तक आप पीठासीन हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, मैंने ऐसा मजाक में कहा था।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने पटरी से उतरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को कशिश की है। उन्होंने ऐसा कार्य अनुकरणीय साहस के साथ किया है। उन्होंने वित्तीय वाहवाही लूटने की बजाए उन्होंने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है। उन्होंने इस अवसर पर गौरवपूर्ण वादे नहीं किए बल्कि, मूलरूप से उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें किया जा सकता है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है।

कल जब वाद-विवाद शुरू हुआ था, तो मैं विपक्ष के कम-से-कम दो सदस्यों के भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वे हैं—श्री मणिशंर अय्यर और श्री रूपचन्द पाल।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सुबोध मोहिते जी भी बोले थे।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: मैंने श्री सुबोध मोहिते का भाषण भी सुना। श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बजट कमियों से भरा हुआ है और उसमें सभी गलत बातें हैं। माननीय वित्त मंत्री जिन्होंने अपना पांचवां बजट प्रस्तुत किया, ने सभी गलत कदम उठाये। वह पांच वर्ष पूर्व भी गलत थे। वह पिछले वर्ष भी गलत थे। वह इस वर्ष भी गलत हैं। उन्होंने माननीय वित्त मंत्री की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि वे सब बातों में और सब जगह गलत हैं। लेकिन, कम से कम मैं एक सुझाव चाहता हूं कि वह बताये कि इसे कैसे ठीक किया जाय, हां, वह सब जगह गलत हैं। ठीक है, लेकिन इसे कैसे ठीक किया जाये? अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए? भारत में विकास को कैसे बढ़ाया जाये। इस संबंध में उन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया। मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है क्योंकि अपनी पार्टी की तरह श्री मणिशंकर अय्यर भी भ्रमित हैं।

पिछले करीब 50 वर्षों से, जब इस देश पर कांग्रेस पार्टी का शासन था, उनका आर्थिक लक्ष्य क्या था? वे देश में किस तरह से विकास करना चाहते हैं और देश के गरीब लोगों का भाग्य बदलना चाहते हैं? वे क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि इस देश में सब लोगों को सब चीज नि:शुल्क मिलना चाहिए। सब चीजों पर राजसहायता दी जानी चाहिए। आपने ''ऋण मेला'' के माध्यम से आई.आर.डी.पी. ऋण प्रदान किये और उनको धनराशि वापस न करने के लिए कहते हैं। आपने ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर सभी गांवों में बिजली के खंभे गाढ़ दिये और उनको न भुगतान करने के लिए कहा। आपने प्रतिकिलोग्राम 2 रुपए की दर से चावल दिये और उसमें से 70 प्रतिशत चावल कालाबाजारियों को बेच दिये और वे करोड़पति बन जाते हैं। आप मिट्टी तेल 2 या 3 रुपए प्रति लीटर देते हैं और मिलावटकर्त्ताओं को राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का 70 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल की मिलावट करने के लिए कहते हैं। कांग्रेस पार्टी की पिछले 50 वर्षों की यही नीति रही है। इसी कारण देश दिनोंदिन निर्बल/निर्धन होता गया। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या निर्धन लोगों की स्थिति को सुधारने का यह तरीका नहीं है। यह निर्धन व्यक्ति को और निर्धन बनाने का तरीका है। इससे आप उसे स्थायी रूप से गरीब बना देते हैं ताकि वह बराबर अपने हाथ में कटोरा लेकर सरकार के समक्ष आएं और कहें

[हिन्दी]

दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे।

[अनुवाद]

वे लोगों को ऐसा ही बनाना चाहते हैं और लोग वैसा बन जाते हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा और उन्होंने जिस तरह से कहा उसका मतलब तो यही था कि भारत में विक्रमादित्य जैसा स्वर्ण काल सिर्फ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में रहा। यही एकमात्र स्वर्ण काल था। सब कुछ बहुत अच्छा था और सब बहुत खुश एवं सुखी-सम्पन्न थे। क्या मैं एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि सब कुछ इतना अच्छा था, यदि श्री राजीव गांधी के चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान या स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत में आर्थिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर था तो ऐसा क्यों था कि इस देश के लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया?

यदि सब कुछ ठीक-ठाक था, तो वे क्यों कई चुनाव हार गए? उन्हें सत्ता में वापस आने के लिए किसी की हत्या का इंतजार करना पड़ता था क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी। यह गलत था। तत्कालीन नीति गलत थी।

मैंने श्री रूपचन्द पाल को भी तल्लीन होकर सुना। वे उसी पुरानी वामपंथी विचारधारा को ही दोहरा रहे थे। कुछ भी नया नहीं था, एक वाक्य भी नहीं, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा।

मैं उनके व्यावहारिक विचारों का एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा, ''आप ग्रामीण अवसंरचना के लिए व्यापक खाद्यान्न भंडार का उपयोग क्यों नहीं करते?'' वह चाहते हैं कि चावल कामगारों को दिया जाए और कि वे ग्रामीण अवसंरचना तैयार या निर्माण करेंगे। यदि वह व्यावहारिक आदमी होते, मैं केवल एक प्रश्न करूंगा। कच्ची सड़क बनाने या कुछ तालाब खुदवाने के अलावा लोगों को चावल देकर कौन-सा निर्माण कार्य किया जा सकेगा? क्या आप लोगों को चावल देकर पक्की सड़क या विद्यालय भवन का निर्माण कर सकते हैं?

हमारे पास सुनिश्चित रोगजार योजना का उदाहरण है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कुल लागत का 70 श्रम घटक और केवल 30 प्रतिशत ही नकद घटक था। आप ही बताइए, यदि आप विद्यालय भवन, क्लब हाउस या अस्पताल का निर्माण करते हैं, तो क्या श्रम घटक 70 प्रतिशत होगा? यह मुश्किल से दस प्रतिशत या 20 प्रतिशत होगा और नकद घटक 80 प्रतिशत होगा। आपको ऐसे निर्माण के लिए इस्पात, सीमेंट और अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए, आपको नकद चाहिए, ऐसा करने के लिए चावल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य रूप से ही यह संभव नहीं है कि आप निर्धन लोगों को चावल वितरित कर ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण कर सकेंगे। यह सामान्य रूप से व्यवहार्य नहीं है लेकिन उन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि यह बहुत अच्छा जान पड़ता है।

मूलत:, सभी माननीय सदस्यों ने क्या कहा? उन्होंने दो या तीन प्रश्न उठाए औद्योगिक मंदी क्यों थी, क्यों रोजगार सृजित नहीं किए गए और मांग में कमी क्यों आई। माननीय सदस्यों द्वारा ये ही तीन मूल प्रश्न रखे गए। रोजगार के संबंध में मेरा मूल प्रश्न है। क्या अनुत्पादक कार्य से रोजगार सृजित किया जा सकता है। आप रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेंगे? प्रेरणादायक विकास के माध्यम से ही आप स्व-रोजगार का वातावरण निर्मित कर सकते हैं। संसार में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो सब व्यक्तियों को रोजगार दे सके, यह संभव नहीं है।

माननीय सदस्य श्री रूपचन्द पाल ने कई बार चीन का उदाहरण दिया। पिछले वर्ष संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल चीन गया था। श्री तिवारी यहां बैठे हैं। वे भी हमारे साथ हैं। जब वामपंथियों को आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने कहा कि वे उनके साथ नहीं आएंगे। उन्होंने जाने से इंकार कर दिया क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि चीन में क्या हो रहा है। वे जानते थे कि यदि वे उनके साथ गए तो वे लज्जित होंगे और इसलिए उन्होंने जानबूझ कर जाने से इंकार कर दिया। अब वे चीन का उदाहरण दे रहे हैं। क्या वे जानते हैं कि वे अपने लोगों को कैसे रोजगार देते हैं? क्या वे जानते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? क्या वे जानते हैं कि खुदरा क्षेत्र में भी उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है? वे चीन जाएं और स्वयं देखें। हांग-कांग, ताइवान, जर्मनी, अमेरिका और जापान चीन के बाजार पर छा गये हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि श्री सुबोध मोहिते ने भी इस बारे में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के दबाव में आकर यह बजट तैयार किया था। उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर 40 रु. कर दी और मिट्टी तेल की कीमत 1.50 रु. और बढ़ा दी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा विश्व बैंक के दबाव में किया गया।

यह सही है कि केवल वही लोग जो गरीबी के नाम पर बोलते हैं, ''राष्ट्रभक्त'' हैं और हम विश्व बैंक के दलाल हैं? हम भी किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। क्या मध्य वर्ग के लोगों ने हमें मत नहीं दिया है? क्या हम दुबारा मत प्राप्त करने के लिए जनता के पास नहीं जाएंगे? क्या हमारे मन में समाज की भलाई की इच्छा नहीं है, लेकिन इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के संबंध में एक बात मैं आपके ध्यान में लाता हूं। वे कहते हैं कि इससे निर्धन व्यक्ति प्रभावित होंगे। कौन-सा निर्धन व्यक्ति रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहा है? क्या इस देश में वेतनभोगी वर्ग का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी 10,000 रुपए से कम वेतन मिल रहा है? सरकार किसी व्यक्ति को राज-सहायता प्राप्त रसोई गैस सिलेंडर क्यों दे जिसे वेतन के रूप में 10,000 रुपये से अधिक मिल रहा है? यही मेरा मूल प्रश्न है। मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं। इस देश में पांच करोड़ रसोई गैस कनेक्शन हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): श्री स्वाइं, क्या आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे? जब आपने कहा कि 10,000 रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा ही रसोई गैस का उपयोग किया जाता है, तो आप अपने माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करें कि मिट्टी तेल की कीमत घटाएं जिसका उपयोग आम लोगों द्वारा किया जाता है।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल का 70 प्रतिशत उपयोग पेट्रोल और डीजल में मिलावट के लिए किया जाता है। देश में एक बड़ा

[श्री खारबेल स्वाइं]

काला बाजार है जो राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल के कारण ही फल-फूल रहा है। इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूं कि मिट्टी के तेल के मूल्य में किसी भी तरह की कमी लाई जाए...*(व्यवधान)*

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। बहस के लिए ही सही मान लें कि देश में अभी 5 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन हैं। किसी भी घर में एक से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन नहीं है। तब हम यह कह सकते हैं कि पांच करोड़ घरों में रसोई गैस कनेक्शन हैं। यदि एक घर में पांच सदस्य हैं, तो आसानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस देश के 25 करोड़ लोग रसोई गैस सिलेंडर से लाभान्वित हो रहे हैं। 78 करोड़ लोगों का क्या होगा? मात्र 25 करोड़ लोगों की आवश्यकता के लिए 78 करोड़ लोगों को क्यों राजसहायता दी जानी चाहिए।

मैं इसी मूल प्रश्न को पूछ रहा हूं। हमें इस विशेषाधिकार को केवल 25 करोड़ लोगों को ही क्यों देना चाहिए। इसे नहीं दिया जाना चाहिए। यहां तक कि मैं रसोई गैस सिलेन्डर के मूल्य में 20 रुपये की घोषित कटौती के भी विरुद्ध हूं। मैं इसका भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): इसका जवाब जनता देगी, फिर वहां से यहां अपोजिशन में बैठना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, जनता ने कई बार पहले भी अपना निर्णय दिया है और वह भविष्य में भी कांग्रेस के लोगों को रास्ता दिखाएगी। उन्हें और 10-20 वर्षों के लिए वहीं बैठे रहने दीजिए। हम इस देश को सही दिशा में ला रहे हैं और हम ऐसा करेंगे और हमारे वित्त मंत्री और हमारे माननीय प्रधान मंत्री सही दिशा में देश का नेतृत्व करेंगे। उन्हें इसके बारे में चिन्तित नहीं होना चाहिए।

अब, मैं कृषि राजसहायता के प्रश्न पर आता हूं। लोग कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप और अन्य देशों में इतनी अधिक राजसहायता दी जा रही है तो हमें अपने देश में भी राजसहायता क्यों नहीं देनी चाहिए? यूरोप और अमरीका में बामुश्किल दो से तीन प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। वहां, कृषि परम्परागत कृषि नहीं है यह कृषि संबंधी व्यवसाय है। यह मूलत: व्यवसाय है। वह व्यक्ति कभी भी कृषि व्यवसाय नहीं अपनाता जिसके पास तीन-चार हजार एकड़ भूमि न हो। वहां यह जीवन का ऐसा भाग नहीं है जैसा कि हमारे देश में है, इसलिए जहां अन्य देशों के मात्र तीन-चार प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं वहीं हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि आप किसानों को सभी राजसहायताएं दें। महोदय, हम हमेशा ही गरीब, असहाय, उसके पास कुछ नहीं है कहकर किसान का अपमान करते हैं। हम उसका अपमान करते हैं क्योंकि यह वही किसान है जिसने उसी अतिरिक्त 32.4 मिलियन टन गेहूं और 48.39 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया है जिसका भारत में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण किया जा रहा है। क्या यह वही किसान नहीं है जिसे हम कहते हैं कि वह गरीब है? यदि वह वास्तव में गरीब है, यदि वह वास्तव में ही असहाय है तो उसने इतना अधिक अनाज का उत्पादन कैसे किया।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह एक शानदार शोध प्रबंध है जिसे विश्व बैंक को भेजा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह आपकी बात से सहमत नहीं हैं, श्री दासमुंशी आपको उन्हें सहमत करना ही होगा।

...(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, उन्हें मंत्रीमंडल में वित्त मंत्री के सहायक के रूप में शामिल कर लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह क्या है? हर कोई खड़ा हो रहा है। श्री चक्रवर्ती कृपया बैठ जाइए।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, क्या आप ऐसे वरिष्ठ सदस्य से इस सभा में ऐसा व्यवहार करने की आशा करते हैं? कृपया, उन्हें कम से कम चुप रहने के लिए कहेंगे। मैं भाषण दे रहा हूं और यह सभा की कार्यवाही में शामिल हो रहा है। प्रेस के लोग यहां हैं। यदि वह मेरे विरुद्ध कुछ कहना चाहते हैं, यदि उन्हें लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो उन्हें लोगों के बीच जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भा.ज.पा. के लोग इस तरह कह रहे हैं इसलिए उन्हें अगले चुनाव में हमें मत नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का अधिकार है और मैं कह रहा हूं। मैं अपनी सरकार का दृष्टिकोण सामने रख रहा हूं। मैं इसके लिए हकदार हूं...*(व्यवधान)*

महोदय, जब वे कह रहे थे तो मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उन्हें शांत रहने के लिए कहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, उनके भाषण को सभी भा.ज.पा. संसदीय क्षेत्रों में पंपलेट के रूप में परिचालित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, अब मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर आता हूं। मैं जो भी सुबोध मोहिते ने कहा है उसका विरोध करता हूं। वह यहां नहीं हैं। उनके कल बोलने के बाद वे चले गए थे। उन्होंने कहा कि इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को क्यों लाया गया है। कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं चाहता है। यदि आप किसी को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त करते हैं तो वह या उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेते हैं, उन्होंने यही कहा, लेकिन यहां माननीय वित्त मंत्री जी हैं। जब बैंक के लोगों विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक के लोगों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन देने को कहा गया तो कई लोगों ने इसके लिए आवेदन दे दिए और बैंक प्राधिकारियों को इसे रोकना पड़ा। उन्होंने कह दिया कि हम इसके लिए अब और आवेदन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? क्या आप मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति दिखा सकते हैं जिसने इसलिए आत्महत्या की हो क्योंकि उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है और ऐसा भी व्यक्ति दिखा सकते हैं जो कि इतना अधिक धन लेकर निजी क्षेत्र में जा रहा है और वहां उसे दूसरी नौकरी मिल रही है। क्या वे आत्महत्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हैं उन्हें सर्वाधिक लाभ हुआ है, इसलिए यह अफवाह फैलाकर कि भा.ज.पा. सरकार ने उर्वरकों, मिट्टी के तेल, गैस सिलेन्डर, किसानों को दी जाने वाली राजसहायता समाप्त कर दी है इसलिए यह किसान विरोधी, मध्यम वर्ग के लोगों की विरोधी और हर चीज विरोधी है जो कि मूलरूप से झूठ है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। यह आज दृष्टिगोचर नहीं हो सकता लेकिन वह एक-दो वर्षों के बाद दृष्टिगोचर होगा। जो विपक्षी सदस्य हमारी आलोचना कर रहे हैं, जो हमारे विरुद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हें स्वयं जाकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित की गई स्वर्णचतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को देखना चाहिए। यहां श्री खण्डूड़ी हैं, वे यहां बैठे हुए हैं। 'बिजनेस टुडे' और अन्य सभी पत्रिकाओं ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जलभूतल परिवहन मंत्रालय जो कि श्री खंडूड़ी के पास है से परियोजना कार्यान्वयन के बारे में सीख लेनी चाहिए।

उन्हें जलभूतल परिवहन मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से सीखना चाहिए और उसे देखना चाहिए। जिस चीज की कल्पना वे पिछले 50 वर्षों में नहीं कर सके, उसे माननीय मंत्री जी ने कर दिखाया है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग को किस तीव्र गति से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में भी यही आलोचना की गई है, मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी-कभी संसद सदस्यों की सलाह पर विचार नहीं किया जाता। मेरी सलाह पर भी विचार नहीं किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कृपया, वहां जाकर देखिए कि किस तरीके से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके बारे में कुछ विनिर्देशन हैं कि इसे कैसे बनाया जाना चाहिए—वहां एक ठोस आधार है और इसी आधार पर वहां कोलतार बिछाया जाएगा—ताकि यह सड़क बीस वर्षों तक चलती रहे और क्षतिग्रस्त न हो। आप वहां स्वयं जाकर देखिए।

मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि उड़ीसा में सतर्कता विभाग के अधिकारी केन्द्र से वहां गए और वहां एक बी.डी.ओ. और कुछ कनिष्ठ इन्जीनियरों को निलम्बित किया गया है क्योंकि हमने इन विनिर्देशनों का कार्यान्वयन पूर्णत: नहीं किया था। यह कहीं भी हो सकता है। यह उड़ीसा में हुआ है। यह समाचार-पत्रों में भी आया है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं। सरकार भी इस परियोजना के बारे में बहुत ही विशिष्ट है। मैं कह सकता हूं कि यह अवसंरचना-निर्माण उपायों में से एक है जिससे की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

महोदय, मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा, अब मैं अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। एक प्रश्न इस बारे में पूछा गया था कि मांग में कमी क्यों है और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी क्यों है। माननीय वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष बजट में मध्यवर्ग को करों में चार प्रकार की छूट दी थी। यही कारण है कि राजस्व का संग्रहण इतना कम रहा है, इसके बारे उन्होंने क्या आशा की थी? उन्होंने आशा की थी कि इससे मांग बढ़ेगी जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए माननीय वित्त मंत्री के पास ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र, दूध उत्पादक क्षेत्र और खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र को इतने अधिक प्रोत्साहन दिए हैं कि भविष्य में किसानों के पास काफी धन होगा।

यदि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र को स्वत: ही बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा और औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास में वे सही दिशा में गए हैं।

लघु बचतों संबंधी ब्याज दरों में कटौती के संबंध में हर एक का कहना है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को इससे घाटा होगा क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इस आशा से जमा कराया था कि उन्हें ब्याज के रूप में काफी पैसा मिलेगा। लेकिन मैं बहुत ही मूल प्रश्न पूछ रहा हूं। कृपया विश्व के किसी भी विकसित देश में जाइए। कौन सा देश लघु बचतों पर किसी को 12 प्रतिशत ब्याज दर देता है? अमरीका में पिछले वर्ष विद्यमान ब्याज दर में छह गुनी कमी कर दी गई थी। अब अमरीका में ब्याज दर 1.5 प्रतिशत

[श्री खारबेल स्वाइं]

है। मूल अर्थशास्त्र कहता है कि लघु बचतों पर ब्याज की दर को स्फीति की दर के समान होना चाहिए। भारत में पिछले पांच वर्षों से स्फीति की दर मात्र 4.5 प्रतिशत है। यदि स्फीति दर मात्र 4.5 प्रतिशत है तो ब्याज दर 12 प्रतिशत क्यों होनी चाहिए? इसे अब 9 प्रतिशत तक घटाया गया है? विपक्ष के माननीय सदस्य दो विरोधाभासी बातों की मांग कर रहे थे, आपने राजसहायता क्यों कम की, और आपने राजकोषीय घाटा कम क्यों नहीं किया। ये दो बातें आपस में कैसे जोड़ी जा सकती हैं? एक तरफ आपने कहा 'राजसहायता देते रहिए' और दूसरी तरफ आपने कहा 'प्रत्येक को अधिक से अधिक ब्याज देते रहिए', राजकोषीय घाटा कैसे कम किया जा सकता है? यह कैसे सम्भव है?

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जो कि सरकारी खर्चे को पिछले वर्ष 10,000 करोड़ तक कम करने में सफल रहे हैं। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं।

लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं। एक माननीय सदस्य, श्री सुबोध मोहिते कह रहे थे कि कुछ मंत्रियों के निजी सहायकों के पास कार है और वे उस पर घूमते हैं। इस कारण उन्हें 3 लाख रुपये देने पड़े। मंत्री कौन थे? वह भी उसी सत्ताधारी दल से संबंधित है। उस पार्टी के इस गठबंधन सरकार में दो मंत्री हैं। उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि वह मंत्री कौन थे जिन्होंने इसका उपयोग किया? केवल यह कहना और थोथा आरोप लगाना कि कुछ मंत्रियों के निजी सहायकों ने कार का उपयोग किया और राष्ट्र के धन को व्यय किया है से कोई सहायता नहीं मिलेगी। क्या इस तरीके से हमने सरकार के खर्च को कम करना है? क्या यह मुख्य व्यय है? मुख्य व्यय ब्याज का बोझ है और आप इसे कम नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा भी हो तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ब्याज का बोझ निश्चित है और क्योंकि आप लघु बचतों पर इतनी ऊंची ब्याज दर दे रहे हैं। इसलिए उनका गणित सही है। वित्त मंत्री की किफायत सही है कि उन्होंने ब्याज दर को घटा दिया है। मैं उनसे इसे और घटाने का अनुरोध करता हूं। वह इसे आठ प्रतिशत पर ला सकते हैं। महोदय, मैं उनसे ऐसा करने का अनुरोध करूंगा। महोदय, मैं इन्हें दो और बातों के लिए बधाई देता हूं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: क्या इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है?

सभापति महोदय: यदि इन्होंने अधिक समय तक बोला है तो इनके दल के समय में से उसे घटा दिया जाएगा और इससे अन्य सदस्यों को नुकसान होगा। प्रत्येक दल के लिए समय निर्धारित है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, इससे इन्हें पीड़ा पहुंचती है। ये सच सुनना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते कि इस सदन में कोई सच बोले। ये इसी बात पर क्षुब्ध हैं। मैं ये समझ सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इन्हें भाजपा को दिए गए पूरे समय तक बोलने दीजिए। इससे हमें मदद मिलेगी।

श्री खारबेल स्वाइं: महोदय, अन्ततः मैं निष्कर्ष पर आता हूं।

मैं वित्त मंत्री को शहरी विकास के लिए 500 करोड़ रु. देने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने राज्यों को यह 500 करोड़ रु. सुधार संबंधी सहायता के उद्देश्य से दिए हैं। उन्होंने उन राज्यों के लिए 14,000 करोड़ रु. रखे हैं जो जीवन के सभी क्षेत्र में सुधार अपनाने जा रहे हैं। जो भी राज्य सुधार अपनाएंगे उन्हें अधिक धनराशि मिलेगी। यह वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया सर्वाधिक आविष्कारी विचार है। इसीलिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मैं उन्हें कई अन्य चीजों के लिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने पत्तनों के महत्व को समझा है। उन्होंने पर्यटन के महत्व को समझा है। उन्होंने महत्व को समझा है।

सभापति महोदय: आपके दल से आठ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं इसे दो मिनट में समाप्त करता हूं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण का महत्व समझा है क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन इस देश में भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। उन्होंने इस बात को समझा है और इस क्षेत्र को प्रमुखता दी है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

अन्त में, विमानपत्तन, आवास क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र का विकास, इस्पात उद्योग और वस्त्र क्षेत्र विकास के अग्रदूत हैं। अतः उन्होंने इनको बढ़ावा देने का प्रयास किया है।

मैं उन्हें एक या दो सुझाव देकर बात समाप्त करूंगा। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को सम्मान देते हुए मैं कहूंगा कि उड़ीसा पहला राज्य था जहां ऊर्जा में सुधार हुए और यह लगभग असफल रहे। वहां मुख्य समस्या यह है कि लोगों से धनराशि एकत्रित नहीं की जा रही है। अब, लोगों की आम धारणा यह है कि उत्तरोत्तर सरकारों ने कारपोरेट घरानों द्वारा देय बकाया राशि के भुगतान को माफ कर दिया है। आम आदमी इस प्रकार महसूस करता है जबकि उद्योगजगत महसूस करता है कि आम आदमी पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए? यदि आप उड़ीसा में असफल रहे हैं तो अन्य कोई राज्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को नहीं अपनाएगा। इसलिए कृपया आप वहां जाएं और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के अग्रदूत उड़ीसा में इसे सफल बनाएं।

महोदय, मैं वित्त मंत्री से एक और अनुरोध करूंगा कि यदि वे सेवाकर के दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं तो उन्होंने इसमें वकीलों और डाक्टरों को शामिल क्यों नहीं किया है?

आप ऐसा क्यों नहीं करते? कृपया ऐसा करें क्योंकि समाज में वे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वे इसे देने में सक्षम हैं।

सभापति महोदय: आपने आधा घंटा ले लिया है।

श्री खारबेल स्वाईं: अन्त में, मेरा सुझाव है कि आप कृपया श्रम सुधार भी लाएं क्योंकि यह भी एक कारण है जिसकी वजह से उद्योग में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। कृपया ऐसा करें। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए और आप में वह साहस है।

इस शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया (गुना): सभापति महोदय, आरम्भ में मैं हमारे प्रिय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री बालयोगी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट वक्तव्य में कहा था:

> "यह मांग बढ़ाने, निवेश प्रोत्साहन, आर्थिक वृद्धि त्वरित करने और उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह बजट सुधार प्रक्रिया को मजबूत करने, दायरा बढ़ाने और गहरा करने के लिए है।"

इससे अधिक कोई भी बात सत्य से परे नहीं हो सकती। मैं अब इसे स्पष्ट करता हूं। सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था उतार के दौर में है और गति को बनाए रखने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। विकास के उद्देश्य और आर्थिक समृद्धि को मात्र सकल घरेलू उत्पाद या प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि के रूप में नहीं मापा जाता अपितु मानव जीवन स्तर सूचकांक के रूप में भी मापा जाता है। हम इसमें से कुछ का संक्षिप्त परीक्षण करते हैं।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 433 मिलियन भारतीय 50 रु. प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष से पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिलता। विश्व के 75 देशों में मापे गए प्रतियोगितात्मकता वृद्धि सूचकांक में वर्ष 2000 के दौरान भारत का अड़तालीसवां स्थान है। हमारा स्थान वर्ष 2001 के दौरान और नीचे गिर कर सत्तावनवां हो गया है। विश्व की जनसंख्या का 17 प्रतिशत हमारे पास है। यद्यपि, विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी केवल आधा प्रतिशत और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 1.1 प्रतिशत है। चीन की तुलना में हमारी साक्षरता 50 प्रतिशत है और वहीं, हमारी जनसंख्या वृद्धि उनसे 50 प्रतिशत अधिक है। सभापति महोदय, आज हमारे पास हमारे देश की आबादी में प्रत्येक वर्ष एक आस्ट्रेलिया की आबादी से अधिक की जनसंख्या जुड़ने अर्थात् 16 मिलियन लोगों से भी अधिक की जनसंख्या बढ़ाने की अनोखी विशिष्टता है।

मैं अब समष्टि अर्थव्यवस्था के विषय में बात करना चाहूंगा। यहां, हमें सबसे बड़ी राजनीतिक बिडम्बना का सामना करना पड़ रहा है जबकि हम तेजी से हिन्दू विकास दर की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था में धर्मनिरपेक्ष गिरावट देख रहे हैं। आज विश्व के औसतन 2.4 प्रतिशत वृद्धि दर की हमारी 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर से तुलना करना भ्रामक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सीधी-सीधी तुलना की अपेक्षा सापेक्ष तुलना अधिक महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, 400 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति आय दर और हमारे संसाधनों के आकार को देखते हुए 5 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पर गर्व नहीं किया जा सकता जबकि हमारे आस-पास के देश यथा ताईवान और कोरिया का प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय 10,000 अमरीकी डालर से अधिक है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1992-96 की अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 8 प्रतिशत हुआ।

इसके विपरीत, भाजपा सरकार के गत तीन वर्षों के शासन में हमने वृद्धि दर को 6.4 प्रतिशत से गत वर्ष 3.9 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक गिरते देखा है। सभापति महोदय, लगभग बीस वर्ष पूर्व छठी योजना में जो वृद्धि दर थी उसी औसत के बराबर 5.4 प्रतिशत की वृद्धि नौवीं योजना के लिए है। आज केन्द्रीय राजकोषीय घाटा 5.7 प्रतिशत है जिसके विषय में पुन: मेरी दृढ़ मान्यता है कि जब अन्तिम आंकड़े आएंगे तो यह लगभग 6.1 प्रतिशत होगा। यह चिंताजनक है। राज्यों के घाटे में इसे जोड़ने पर यह घाटा लगभग दस प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगा जो अत्यन्त चिंताजनक आंकड़ा है।

सभापति महोदय, आज हमारा राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत के आसपास पहुंच रहा है। इस घाटे की पूर्ति लगातार और अधिक कर्ज से की जा रही है। यहां तक की आज ऋण पुनर्सेवा भुगतान हमारे कर राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत है। सभापति महोदय, आज राष्ट्रीय ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत है जो पाकिस्तान के 105 प्रतिशत से कुछ ही कम है। हमें इन सब मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज हमारे देश पर जो कर्ज है उसकी प्रति अदायगी क्षमता जंक बाण्ड की क्षमता से थोड़ी सी

[श्री ज्योदिरादित्य मा. सिंधिया]

बेहतर है। हम आसानी से आर्थिक ऋण जाल की ओर या उससे बुरी स्थिति अत्यधिक मुद्रा स्फीति की ओर बढ़ रहे हैं और इससे आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी।

आज हमारा मुख्य ब्याज दर बड़े विवाद का विषय है। आज हमारा मुख्य ब्याज दर 12 प्रतिशत है। 1.1 प्रतिशत स्फीति दर की पृष्ठभूमि में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए जिसका तात्पर्य यह है कि आज की अर्थव्यवस्था में 10.5 प्रतिशत से अधिक का वास्तविक ब्याज दर है। इस वास्तविक ब्याज दर पर पुरानी सुविधाओं के उन्नयन की बात छोड़िए नए निवेश करना भी सुझाव देने योग्य नहीं है।

महोदय, आज हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ा गर्व करते हैं। ये लगभग 50 बिलियन डालर के लगभग है। यद्यपि, इस भंडार में मुख्य हिस्सा उस पूंजी का है जो देश से बाहर जा सकती है जबकि चीन में यह मुख्यत: चालू खाते में व्यापार से हुए लाभ का है। हमारा ऋण और हमारा विदेशी संस्थागत निवेश इस विदेशी मुद्रा भण्डार का 95 प्रतिशत है। हमारी विदेशी मुद्रा या ऋण पर जरा से दबाव पर ही यह पूंजी देश से बाहर चली जाएगी। किसी भी तरह आज विदेशी संस्थागत निवेश जो वास्तविक वृद्धि का अग्रदूत है वह भारत में प्रतिवर्ष चार बिलियन डालर है जबकि चीन में जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां विदेशी संस्थागत निवेश की दर प्रतिवर्ष 40 बिलियन डालर है। इसलिए अंतत: आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे कुल राजस्व का 51 प्रतिशत ब्याज भुगतान में चला जाता है। उसमें 26 प्रतिशत रक्षा, 14 प्रतिशत वेतन और 7 प्रतिशत पेंशन में चला जाता है। यह हमारे राजस्व का कुल 98 प्रतिशत है। इनको पहले ही छोड़ दीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भविष्य में सभी विकास के लिए व्यय, सभी पूंजी व्यय के लिए और कर्ज लेना होगा जो कि चिंताजनक स्थिति है।

सभापति महोदय, अब मैं संक्षेप में बजट के विषय में बात करना चाहूंगा। गत वर्ष हमारा व्यय 12 प्रतिशत बढ़ा और उसकी तुलना में कर राजस्व में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारा राजकोषीय घाटा या तो व्यय कम करके या राजस्व बढ़ाकर कम किया जा सकता है। यह भविष्यवाणी की गयी है कि इस वर्ष हमारा कर राजस्व 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ेगा। जैसा कि हमारे कर राजस्व में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान उद्योग करते हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आने वाले वित्तीय वर्ष में उद्योग का विकास 8 प्रतिशत से अधिक हो जो कि हममें से कोई नहीं नकार सकता कि यह असंभव है। वर्ष 2001 की अन्तिम तिमाही के प्राप्त आखिरी आंकड़े दर्शाते हैं कि उद्योग का विकास 2.3 प्रतिशत की दयनीय दर से हुआ। उद्योग जिसे वृद्धि का इंजन माना जाता है वह अब आवाज करने लगा है और विश्व स्तर पर भारतीय उद्योग की प्रतियोगितात्मकता चिन्ताजनक स्थिति में है।

अपराह्न 3.00 बजे

कृषि उत्पादन में वृद्धि जोकि 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से गिरकर 2.1 प्रतिशत पर आ गई है, इतनी वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए एकमात्र अन्य संभावना जो बची है वह है निवेश में वृद्धि की है। अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर लाभ मिलने में औसतन ढ़ाई वर्ष का समय लगता है। सभापति महोदय, गत दो वर्ष के दौरान भारत में निवेश वृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद की 23 से 24 प्रतिशत रही है जबकि चीन में यह दर 36 प्रतिशत रही है। सकल घरेलू उत्पाद की 8 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि दर के लिए अपेक्षित वृद्धिगत पूंजी निर्यात अनुपात निवेश की दृष्टि से 32.6 प्रतिशत के ऊपर है। इसके अलावा बचत को 30 प्रतिशत की दर से बढ़ना चाहिए जो आज की स्थिति में मात्र 23 प्रतिशत पर है।

तो आइए, एक नजर कुछ आंकड़ों पर डालें। इस बजट में सार्वजनिक निवेश 9,700 करोड़ रुपये बढ़ा है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.4 प्रतिशत है। अत: यह स्पष्ट है कि निवेश में यह वृद्धि सार्वजनिक निवेश से नहीं हो सकती। अत: एकमात्र अन्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र बच जाता है। और निजी क्षेत्र को ब्याज दरों में दो प्रतिशत की ऊंची मूल्यह्रास सुरक्षा देने मात्र से निवेश में आठ प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष के बजट में कर राजस्व और विनिवेश, दोनों क्षेत्रों में खामियां थीं। दुर्भाग्यवश, माननीय वित्त मंत्री अगले बजट, अर्थात् वित्त वर्ष 2002-2003 में राजस्व में वृद्धि के लिए दोनों क्षेत्रों पर निर्भर कर रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपये के विनिवेश का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे 1994-95 में ही प्राप्त किया जा सका। दूसरी ओर, सकल घरेलू उत्पाद के कर राजस्व के 6.8 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य 1996-97 में ही प्राप्त किया जा सका। सरकार की वित्तीय स्थिति का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद हम आयकर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह वास्तव में एक बेजोड़ स्थिति है। खपत की दर 6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई है। सभापति महोदय, कर घटाने, खपत बढ़ाने, बचत बढ़ाने अर्थात् वृद्धि दर का यह उचित समय है।

भारत का कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात विश्व में सबसे कम है। हम सकल घरेलू उत्पाद में कर के 8.5 प्रतिशत अनुपात की बात कर रहे हैं। बजट में कर वसूली सुनिश्चित करने की बजाय कर अदा करने वाले पर बोढ़ बढ़ाने का प्रस्ताव है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कर वसूली में वृद्धि सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन अभी देखा जाना है।

तो आइए, व्यय प्रश्न का थोड़ा अवलोकन करें।

हमारा रक्षा बजट मात्र 5 प्रतिशत बढ़कर 65,000 करोड़ रुपये हुआ है। सभापति महोदय, वातावरण ऐसा है कि हम बाहरी खतरे का सामना कर रहे हैं। हमारे उन सैन्य बलों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है और उन सैनिकों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए जानें की आवश्यकता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कश्मीर में पर्वत चोटियों पर या पुराने उपकरणों के कारण लड़ाकू विमानों में लगातार जाने जा रही हैं। यह चकित करने वाली बात है कि गतवर्ष पूंजी व्यय के लिए दिए गए 20,000 करोड़ रुपये में से लगभग 15 प्रतिशत राशि, अर्थात् 3,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च ही नहीं की गई। रक्षा बजट के 65,000 करोड़ रुपये में से 70 प्रतिशत राजस्व व्यय में चला जाता है और मात्र 30 प्रतिशत ही पूंजी व्यय में उपयोग किया जाता है।

अब, मैं माननीय रक्षा मंत्री की उस बात का उल्लेख करता हूं जिसमें उन्होंने इस वर्ष चीन के रक्षा बजट में 17 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। ''अंतत: आर्थिक ताकत ही हमारी सैन्य शक्ति का निर्णय करेगी।'' इसलिए, व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि और उसके अनुरूप अगले वित्त वर्ष में राजस्व में मात्र 8 से 10 प्रतिशत की ही वृद्धि होने के कारण हमें बढ़े हुए राजस्व घाटे के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे विचार से यह सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के आस-पास होगा।

यह वस्तुत: बड़ी चिंताजनक स्थिति है।

अब मैं संक्षेप में पूंजी बाजार में सुधारों के संबंध में बात करता हूं। बाजार में शेयर जारी करने में 80 प्रतिशत की गिरावट आई। माननीय वित्त मंत्री ने ''निवेशकों का विश्वास बहाल करने और बाजार की विश्वसनीयता को मजबूती प्रदान करने'' के इरादों की बात कही है। उन्होंने निवेशकों के लाभांश पर कर लगाकर स्पष्ट तौर पर ऐसा किया। यह जन सामान्य विशेषत: हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहितकर रहा है क्योंकि लाभांश पर कर लगाने, छूट में कटौती करने, ब्याज दरों में कटौती करने और रियायती बांड पर 2 लाख की सीलिंग रखने के कारण निवेश के ये माध्यम आकर्षक नहीं रह गए हैं।

गत वर्ष बंबई स्टाक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 1,00,000 करोड़ रुपये गिरा और इससे छोटे निवेशक बुरी तरह प्रभावित हुए। इस वर्ष, बजट की प्रतिक्रिया में अगले ही दिन बंबई स्टाक एस्सचेंज का सूचकांक 4 प्रतिशत तक गिर गया।

अब मैं विनिवेश नीति के बारे में संक्षेप में बात करना चाहता हूं। सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया है और अब शेयर बेचने के स्थान पर लाभकारी बिक्री की जा रही है। लेकिन हमें, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी कम्पनी में सरकार की पूरी भागीदारी को बेच रहे हैं या 26 प्रतिशत या इससे अधिक की हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। हमको उचित प्रीमियम मिलना चाहिए। एक पारदर्शी विनिवेश नीति का विकास और सम्प्रेषण किया जाना अभी शेष है। हमें यह प्रश्न करना है कि कम्पनियों का आरक्षित मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए। क्या इसे रियायती नकदी आगम विश्लेषण के आधार पर किया जाए या वास्तविक मूल्य के निकटवर्ती मूल्य के माडल पर किया जाए? क्या इस प्रक्रिया के परिणाम एक समान आ रहे हैं? या इसमें मामला-दर-मामला आधार पर परिवर्तन आ जाता है? इन असंख्य प्रश्नों के उत्तर कागजों के ढेर में दबे पड़े हैं और हमारे नवरत्न लगातार नीलाम होते जा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अंत में कहा कि विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग सामाजिक क्षेत्र के विकास अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। आज की तारीख तक हम बनाई जा रही समग्र निधि का, इस नीति का कोई स्पष्ट कार्यान्वयन नहीं देख पाए हैं। इसकी बजाये, आज हम विनिवेश से प्राप्त पूंजी को राजस्व काम में जाते हुए देख रहे हैं। हमें अपने संसाधनों के साथ मितव्यता बरतनी चाहिए और बुद्धिमानी पूर्वक सामाजिक क्षेत्र में इनका निवेश करना चाहिए, चाहे फिर वह बुनियादी ढांचा बनाए जाने में हो या सामाजिक क्षेत्र के संवर्धन में हो, ऋण ग्रस्तता को कम करने में हो या उत्पादक पूंजी सृजन में हो।

देश को मानवीय सरोकारों से युक्त सुधार पैकेज की आवश्यकता है। सरकार को आधे-मन से काम करने और टुकड़ों में काम करने का रवैया बदलना होगा और एक अधिक लक्षित इस प्रकार का

[श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया]

पैकेज तैयार करना होगा जिससे आज के विश्व उद्योग में भारतीय उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और जिसमें समाज के कमजोर वर्गों की चिंताओं का ध्यान रखा गया हो। सरकार को आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन यह भूमिका पहले वाला परिलक्षित भूमिका से एकदम अलग है। ऐसे कई सामाजिक क्षेत्र हैं जिनमें इसकी भूमिका बढ़ानी होगी तो आइए, इनमें से कुछ क्षेत्रों की जांच करें।

सबसे पहले मैं कृषि क्षेत्र की बात करता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में "किसानों की स्वतंत्रता" की बात की है जबकि वास्तव में सरकारी खरीद और मूल्य निर्धारण की नीतियों के कारण किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं।

[हिन्दी]

आज हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आती है। उनका एक बुलन्द नारा था। उनका नारा क्या था- उनका नारा था "जय जवान, जय किसान" लेकिन इस बजट के बाद हमारे जवानों की क्या हालत है और हमारे किसानों की क्या हालत है, वह हमें विदित है।

[अनुवाद]

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हरित क्रांति लेकर आई। हम भारतीय नागरिक आज विश्व मंच पर इस बात का गर्व करते हैं कि हमारे पास प्रचुर खाद्य भंडार है। परन्तु, इसका श्रेय भी हमारे अन्नदाता, हमारे किसान और मजदूरों को मिलना चाहिए जो जमीन पर कठिन पारेश्रम करते हैं।

स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1988 और 1989 में कृषि उत्पादन को प्रौद्योगिकी मिशनों के माध्यम से बहुत बढ़ावा दिया था। सभापति महोदय, इस समय के दौरान और उन नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन की 16.3 की रिकार्ड वृद्धि दर दर्ज हुई और, देश की आर्थिक स्थिति पर तुरन्त इसका असर भी पड़ा। आर्थिक वृद्धि दर एक बार फिर 10.6 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई, यह दर उस समय के बाद फिर कभी प्राप्त नहीं की जा सकी। अत: कृषि क्षेत्र देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्ष 1994-95 के बाद से कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। सिंचाई प्रणालियों और नहरों के रख-रखाव की दशा बहुत खराब है और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अनुसंधान कार्य बंद पड़े हैं।

आज देश का कृषि क्षेत्र संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है। एक ओर, 70 प्रतिशत निवेश वाली डीजल और उर्वरक मदों के मूल्य बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर, खरीद और मूल्य निर्धारण नीतियों के कारण आम किसान को अपना ऋण चुकता करना मुश्किल हो गया है और आत्महत्याओं के रूप में इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विभिन्न फसलें उगाने के बारे में कहा। इस पहलू पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सभापति महोदय, अब प्रमुख मुद्दा कार्यान्वयन है। यह सच है कि हमारे देश में गेहूं और चावल का अतिरिक्त उत्पादन होता है। अत: अब हमें अपना ध्यान तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने पर केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि भारत आज भी इनका आयात करता है। लेकिन, बजट पर ध्यान देने पर पता चलता है कि जहां तक तिलहनों का संबंध है, योजना परिव्यय में 44 प्रतिशत की कमी की गई है अर्थात् 84.7 करोड़ रुपये से घटकर योजना परिव्यय 44.52 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही, दलहनों का योजना परिव्यय 35 करोड़ रुपये से घटाकर 19 करोड़ रुपये कर दिया गया है अर्थात् इसमें 46 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसलिए सरकार की नीति क्या है, इस बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

अब मैं खाद्य व्यवस्था के प्रबंधन के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार के पास आज की तारीख में बढ़ते हुए खाद्य भंडारों के मुद्दे से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के पास फिलहाल 60 मिलियन टन का अतिरिक्त भंडार है जबकि बफर स्टाक की अपेक्षित मात्रा 70 मिलियन टन है। माननीय वित्त मंत्री यह कहने की अपेक्षा कि वह इस विषय पर गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतिरिक्त बफर स्टाक से निपटने संबंधी किसी रूपरेखा पर चुप ही रहे। दुर्भाग्यवश यह अब समस्या हमारे समक्ष है। इस समस्या को हम सुअवसर में तबदील कर सकते हैं। राजकोष पर इस अतिरिक्त भंडार की वार्षिक परिवहन लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये होती है।

यह बहुत आघात पहुंचाने वाली बात है कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाद्य भंडारों को खुले में रखा जा रहा है और भंडारण क्षमताओं के अभाव में खाद्य भंडार सड़ रहा है। गेहूं की आगामी फसल में सरकार की नीति क्या होगी इसे लेकर हर कोई असमंजस में रहता है। गेहूं का मूल्य-निर्धारण और खरीद का मामला हमारे ऊपर निर्भर है। सभापति महोदय, यह बहुत शर्मनाक है कि फालतू खाद्यान्न भंडारण वाले देश में हमें अब भी भुखमरी से होने वाली मौतों का सामना करना पड़ता है। इसका दोष सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की नीतियों पर मढ़ दिया जाता है जिससे आवश्यक भरण-पोषण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहुंच से बाहर हो जाता है। मौजूदा खाद्य भंडार रोजगार सृजन के लिए और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए

काम के बदले अनाज का व्यापक कार्यक्रम प्रदान कर सकता था। इसके स्थान पर, जो भी इस मामले में किया गया है वह यह है कि इस बजट में 371 करोड़ रुपये की वृद्धि की गयी है। इस फालतू खाद्यान्न भंडारों से भुखमरी के शिकार 6000 गांवों, अर्थात् देश के छः लाख गांवों के एक प्रतिशत गांवों को लक्ष्य बनाया जा सकता था जिनमें भूख से मौत हो रही है लेकिन इस अवसर को एक बार फिर से गंवा दिया गया।

शिक्षा अगला ऐसा सामाजिक क्षेत्र है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

आज, प्राथमिक शिक्षा के लिए 4900 करोड़ रुपये दिये गये हैं। सरकार के अपने अनुमान के अनुसार इसकी राशि 14,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए। अतः यह राशि काफी कम है। यह मानते हुए कि 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की संख्या 150 मिलियन है तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी पर होने वाला व्यय मात्र 1.50 रुपया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के पोषक आहार सहायता कार्यक्रम के लिए 1031 करोड़ रुपये की राशि को थोड़ा-सा बढ़ाकर 1057 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

महोदय, जो प्रश्न मैं करना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्र और राज्य इस परिव्यय की इतनी कम धनराशि से सभी विद्यार्थियों को दोपहर का निःशुल्क भोजन प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं? आज देश में संस्थागत उत्कृष्टता के चार स्तम्भों, भारतीय प्रबंध संस्थानों के परिव्यय को घटाकर अगले वित्त वर्ष में 102 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 72 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 1991-95 के दौरान, कांग्रेस सरकार वर्ष 2002 तक शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध थी। उस समय, शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत भाग प्रदान किया गया। तब से लेकर आज तक यह स्तर 3 प्रतिशत से नीचे आ गया है। मैं यह समझता हूं कि इस मुद्दे पर केन्द्र-राज्य एक-दूसरे पर निर्भर है। लेकिन हमें एक लक्षित कार्यक्रम और एक लक्षित पैकेज का विकास अवश्य करना चाहिए जिससे इसका स्तर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक उठ सके जैसी कि कीपेनहेगन, बीजिंग और बाली में हमने वचनबद्धता प्रकट की थी। महोदय, हमारा ज्ञान आधारित समाज है। आज विश्व ज्ञान आधारित समाज बन गया है। जब तक यह ज्ञान सबसे निचले स्तर तक नहीं पहुंचा जाता, तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता और भारत कभी विकास नहीं कर पायेगा।

अंत में मैं कुछ मिनट रोजगार के बारे में बात करूंगा। आज जब उद्योग और कृषि दोनों की स्थिति खराब हो रही है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 90 के दशक में रोजगार चाहने वालों की औसत वृद्धि दर लगभग 2.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। इसके विपरीत, भा.ज.पा. शासन के अंतिम चार वर्षों में रोजगार की औसत वृद्धि दर घटकर नकारात्मक 0.075 प्रतिशत हो गयी है। इसीलिए निष्कर्षतः रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हुए हैं। अंतिम चार वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों की इस श्रेणी में हमने 2.8 से 3 मिलियन की वृद्धि की है। लगभग, आज हमारी जनसंख्या का एक तिहाई भाग—285 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बढ़कर 35 हो गयी है। हमारे शहरों का प्रदूषण से दम घुट रहा है और बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव है। इसके लिए अब न केवल शहरी सुधारों के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है अपितु यह इस बात का एक आह्वान भी है, अग्रदूत भी है, पथप्रदर्शक भी है कि हम औद्योगिकरण को ग्रामीण जनता तक ले जायें। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी अधिक लोगों द्वारा उत्पादन में विश्वास करते थे। हमारे नीति-निर्माताओं को देश में डालर राशि के रूप में धन आने की चिंता नहीं होनी चाहिए बल्कि आज उनकी चिंता यह होनी चाहिए कि इनमें से प्रत्येक डालर रोजगार के कितने अवसर प्रदान करता है। हमें ऐसे क्षेत्रों पर विचार करना होगा जहां श्रम अनुपात की तुलना में पूंजी बहुत कम है।

आज, चीन ने ग्रामीण औद्योगिक राज्यों की आवधारणा को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। उन्होंने विशेष निर्यात जोन तैयार किये हैं जिनका फैलाव 500 से 750 कि.मी. तक है और ये सभी भीतरी प्रदेशों में हैं। कान्डला और सान्ताक्रूज स्थित हमारे विशेष निर्यात जोन इनकी तुलना में छोटे द्वीप भर हैं। ऐसी योजनाओं और ऐसे जोनो के माध्यम से ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण भीतरी प्रदेशों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोका जा सकता है। अतः निष्कर्षतः जनसंख्या में 1.9 प्रतिशत वृद्धि और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी 26 प्रतिशत जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं। 1.5 प्रतिशत की विकास दर पर हम रोजगार के नये अवसर उत्पन्न नहीं कर सकते। हम इस जनता का उत्थान नहीं कर सकते। तो फिर देश वस्तुतः किस ओर उन्मुख है? हम किस ओर जा रहे हैं? बार-बार के परिवर्तनों से और नीतियों में परिवर्तन से आज सरकार की विश्वसनीयता नष्ट हो रही है। हमने लाभांश पर कराधान के मामले

[श्री ज्योदिरादित्य मा. सिंधिया]

में यह देखा है। ब्रांडिड चाय अथवा कपड़ों पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के मामले में भी हमने यह पाया है। यही बात हमने साफ्टवेयर कंपनियों को दिये गये कर माफी के दर्जे में परिवर्तन के मामले में भी यह पाया है। एक मनमोहक बजट से दूर

[हिन्दी]

फिलहाल तो इस बजट ने हमें थोड़ी खुशी और बहुत ज्यादा गम दिया है।

[अनुवाद]

महोदय सारी की सारी बजटीय प्रणाली आज अव्यवहार्य हो चुकी है। इसका परिणाम यह होगा कि भावी पीढ़ियां इसका भारी कर्ज चुकाती रहेंगी। आज देश को एक संकल्पना की आवश्यकता है और देश की प्रगति के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता है। इसकी घोषणा लोगों के समक्ष करने की आवश्यकता है और उन्हें विश्वास में लेने की आवश्यकता है। भारत एक ऐसा देश है जो गर्व से उठता है और चुनौतियों का वीरतापूर्वक उत्तर देता है। हमने वर्ष 1991 में ऐसा ही किया था। लोग अच्छे परिणाम देने वाली साफ-सुथरी छवि वाली दक्ष सरकार के इच्छुक हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष के आरम्भ में इस वर्ष को कार्यान्वयन का वर्ष घोषित किया था। यहां पर मूल शब्द परिणाम और कार्यान्वयन है। यहां मूल शब्द कार्य निष्पादन है। ये शब्द वर्तमान सरकार के साथ खोखले सिद्ध होते हैं।

अब मैं, अपने स्वर्गीय पिता के शब्दों में जो अब भी गूंज रहे हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा था:

> ''देश को यह अवश्य बता दिया जाना चाहिए कि उनके लिए एक कार्य योजना है और भविष्य में आशा की किरण दिखाई देती है। उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य के संबंध में अवश्य आश्वस्त किया जाना चाहिए, विशेषकर हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और ऐसे करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनकी कमी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।''

जैसा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा:

> ''केवल सुधारों से काम नहीं चलेगा। हमें गरीबी की राजनीति को ध्यान में रखना होगा।''

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, नवयुवक द्वारा कहा गया यह भाषण मुझे यह आशा कराता है और इस आशावाद की ओर ले जाता है कि भविष्य में आशा की किरणें दिखाई देती हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूं।

महोदय, मैं बजट के केवल एक पहलू तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा। इस बजट के दो पक्ष हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसके दो मुंह हैं लेकिन इसके दो पक्ष हैं। एक है- वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि एक संवैधानिक दस्तावेज है और दूसरा माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण है। उनके भाषण के भाग 'क' में नीति वक्तव्य अथवा आश्वासन हैं और भाषण का भाग 'ख' हमें यह बताता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में अंकगणित और आंकड़े किस सीमा तक विश्वसनीय हैं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने इस सभा में लगातार पांचवां बजट प्रस्तुत किया है; संभवत: डा. मनमोहन सिंह से एक कम है। डा. मनमोहन सिंह ने सभा में लगातार छ: बजट प्रस्तुत किए थे। मैं विगत में नहीं जाना चाहता और मैं स्वयं को केवल श्री यशवन्त सिन्हा तक सीमित रखूंगा। एक पहलू जो मुझे बहुत बेचैन करता है, जिसका संबंध न केवल मुझसे है वरन सारी सभा और देश के समस्त समुदाय से है और जिससे माननीय वित्त मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, वह बजट में घाटा है। विश्व भर के अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि लगातार घाटा होने से विकास अवरुद्ध होता है और वास्तव में यह प्रगति का शत्रु है। यदि किसी राष्ट्र को राजस्व का लगातार घाटा होता है तो यह ऐसा वातावरण उतपन्न करता है जो विकास का शत्रु है। इस बात को सर्वत्र स्वीकार किया जाता है।

गत वर्ष, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो इसकी प्रशंसा यह कहकर की गयी थी कि यह सबसे अच्छे बजटों में से एक बजट है। श्री सीताराम येचूरी को छोड़कर दस व्यक्तियों में से नौ व्यक्तियों ने इसका अनुमोदन किया है। वर्ष 1986 में, जहां तक मुझे याद है, श्री वी.पी. सिंह ने एक बजट प्रस्तुत किया था जिसकी प्रशंसा उत्तम बजट के रूप में श्री नानी पालकीवाला और अन्य कई सदस्यों द्वारा की गयी थी। इसके बाद श्री पी. चिदम्बरम का एक आदर्श बजट आया और गत वर्ष श्री यशवन्त द्वारा प्रस्तुत बजट को सबसे अधिक प्रशंसा मिली। देश में प्रत्येक व्यक्ति ने इन बजटों की प्रशंसा की है।

लेकिन दुर्भाग्यवश गत वर्ष का बजट पूर्ण असफल रहा। मैं आपको केवल घाटे के आंकड़े बताता हूं। आप यह देखेंगे कि घाटा प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष घाटा अधिक होता जा रहा है और बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच अन्तर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। वास्तविक संदर्भों में घाटा बजटीय अनुमान की तुलना में बहुत अधिक है।

मैं इस सभा के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1998-99 में, बजट अनुमान में राजस्व घाटे का अनुमान 48,068 करोड़ रुपये लगाया गया था जो सकल घरेलू उत्पाद का

2.7 प्रतिशत था। सही अर्थों में, यह संशोधित अनुमान में यह 66,975 करोड़ रुपये हो गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 प्रतिशत निकला। वर्ष 1999-2000 में बजट अनुमान में राजस्व घाटा 54,147 करोड़ रुपये था और वास्तव में यह 67,596 करोड़ रुपये हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत था। वर्ष 2000-01 में, 77,424 करोड़ रुपये का बजटीय राजस्व घाटा हुआ था जो संशोधित अनुमान स्तर पर 85,234 करोड़ रुपये हो गया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत था। वर्ष 2001-02 में, बजट अनुमान में राजस्व घाटा 78,821 करोड़ था और यह संशोधित प्राक्कलन में 91,733 करोड़ रुपये तक हो गया और कोई नहीं जानता कि वास्तविक क्या होगा। वर्ष 2002-03 में, बजट प्राक्कलन में 95,377 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया था।

मेरी बात सीधी है। मेरा वित्तीय घाटे से कोई संबंध नहीं है।

जिस क्षण आप राजस्व घाटे को नियंत्रण में लाते, जिस क्षण यह शून्य हो जाता है, वित्तीय घाटा तब तक भार नहीं होता जब तक इसका निवेश उत्पादक कार्यों में किया जाता है। इससे अधिक से अधिक धनार्जन होता है। वित्तीय घाटे का अर्थ है—वर्ष भर का सरकार का कुल ऋण। मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं राजस्व घाटे के संबंध में सोचता हूं जिसके संबंध में वित्त मंत्री ने गत वर्ष अपने बजट भाषण के भाग 'क' के पैराग्राफ 76 में निरपेक्ष रूप से कहा था।

> ''मुझे उस भार ऋण और ब्याज, की बहुत चिंता है जो हम अपने अपव्यय के द्वारा आने वाली पीढ़ियों पर डाल रहे हैं। मैं इस स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता।''

पैरा 77 में, उन्होंने फिर कहा है:

> ''मैंने विगत वर्ष व्यय सुधार आयोग को नियुक्त किया और गत सत्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक पुर:स्थापित किया। इस विधेयक में अगले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे को 2 प्रतिशत कम करने और राजस्व घाटे को पूर्णतया समाप्त करने की बात की गई है।''

यदि विगत पांच वर्षों के दौरान, राजस्व-घाटा एक रुपया भी कम नहीं हो सका, तो यह आश्वासन कैसे दिया जा सकता है कि अगले पांच वर्षों में वह शून्य हो जायेगा? 97,000 करोड़ रु. का घाटा शून्य हो जायेगा! वित्त मंत्री को इसी मुख्य प्रश्न का उत्तर देना है। मैं आपसे कह देता हूं जब तक राजस्व-घाटे को नियंत्रित नहीं किया जाता इन सब नारों, वायदों और नीतियों, जिनका उन्होंने अपने भाषण के भाग 'क' में उल्लेख किया है—का कोई अर्थ नहीं है। और, सभा को यह जानने का अधिकार है कि वित्त मंत्री की अखिर क्या करने की योजना है? मैं इस शब्दावली का उपयोग करना नहीं चाहता कि, ''ये असफल रहे हैं''। लेकिन इन्होंने कुछ हासिल भी तो नहीं किया! हासिल करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, राजस्व-घाटे को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्व-घाटे, राजकोषीय-घाटे और प्रारंभिक-घाटे को नियंत्रित करने की दिशा में इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। यह गंभीर चिंता की बात है और वित्त मंत्री को इसे याद रखना चाहिए और इसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन ऐसा करना ही होगा। यह कठिन मामला हो चुका है, लेकिन असंभव नहीं। मेरा निवेदन सिर्फ वित्त मंत्री जी से ही नहीं है, बल्कि पूरी सरकार, पूरी सभा और सारे राजनैतिक दलों से भी है। नेताओं को साथ बैठाकर एक रास्ता निकालना चाहिए कि किस तरह पांच वर्षों की अवधि में बजट का यह राजस्व-घाटा नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि भविष्य का सही नियोजन किया जा सके। जब तक कि ठोस रूप में ऐसा न किया जाये, ये सब घोषणाएं और नीति-निरूपण व्यर्थ ही रहेंगे।

मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। कृषि के बारे में काफी बातें कही गयी। कुछ लोगों का कहना है कि यह एक कृषि-केन्द्रित बजट है। जहां तक कृषि कर्मियों का सम्बन्ध है, 2000-2001 के 'इकानमिक सर्वे' में अकुशल कृषि-श्रमिकों के बारे में एक पैराग्राफ है। 'इकानमिक सर्वे' में एक सारणी भी है। वर्ष 2000-2001 तक इसमें इसी प्रकार लिये जाने की परिपाटी थी। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में यह मामला उठाया गया कि कृषि-श्रमिकों को अकुशल-श्रमिक क्यों कहा जाता है। किस प्रकार के कृषि-श्रमिक अकुशल कहलायेंगे? कृपया परिभाषित करें। आश्चर्यजनक रूप से, इस वर्ष, 2001-2002 के 'इकानमिक सर्वे' में वह पैराग्राफ नहीं है। उसमें अकुशल कृषि-श्रमिकों का जिक्र तक नहीं है! सारणी को भी हटा दिया गया है।

यह हुआ है। 'इकानमिक सर्वे' में से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। मैं अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं अब प्राप्तिगत घाटे पर आता हूं, जिसके संदर्भ में इस वर्ष भी विधित: कर-हस्तांतरण के कारण राज्यों को हानि हुई है। सभी राज्यों को हानि हुई है, लेकिन अपेक्षाकृत निर्धन राज्य अधिक घाटे में रहे हैं। करगत-राजस्व में घाटे की वजह से अकेले उड़ीसा को, वर्ष 2001-2002 के दौरान 600 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। पिछड़े राज्य देयताओं का भारी बोझ कैसे उठा पाएंगे? बार-बार हम यह मांग करते आए है और जोर देकर कहते रहे हैं कि कोयला-रायल्टी में संशोधन किया जाए; यदि यह हो जाएगा, तो श्री यशवंत सिन्हा का राज्य भी इससे लाभान्वित होगा। इसमें पिछले पांच वर्षों से संशोधन नहीं हुआ है। इसकी वजह से अकेले

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य को ही 1200 करोड़ रु. का नुकसान हुआ है। केवल पश्चिम बंगाल को छोड़ दें, तो अन्य राज्य को भी घाटा हो रहा है। यदि पश्चिम बंगाल को कुछ नुकसान हो जाता, तो इसमें संशोधन कब का हो गया होता! मैं दु:खित हृदय से आपको कह रहा हूं कि एक अभिभावक के नाते, एक समवसरक के नाते, संसद और केन्द्र सरकार को इस ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि पिछड़े राज्यों का विकास हो। उन्हें उनके न्यायसंगत, तार्किक दृष्टि से उचित और विधिसम्मत अधिकार प्रदान नहीं किये जा रहे। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं। आपको जानकर विस्मय होगा कि अकेले उड़ीसा भर में प्रतिवर्ष उसके स्वार्जित राजस्व का 120 प्रतिशत केवल ऋण चुकाने और ब्याज का भुगतान करने में व्यय हो जाता है! वह इसे कैसे संभाले? केन्द्र सरकार की भी तो कोई भूमिका है। बल्कि, केन्द्र सरकार का तो इसके प्रति उत्तरदायित्व है। आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 293 और 294 के अंतर्गत केन्द्र का एक दायित्व निर्धारित किया गया है। बिना केन्द्र की अनुमति के राज्य एक रुपया तक उधार नहीं ले सकता। योजनागत-आबंटन में केन्द्र जो सहायता देता है। उसका 70 प्रतिशत तो ऋण के रूप में ही होता है। चूंकि यह सहायता काफी ऊंची ब्याज-दर पर दी जाती है। फलत: राज्य मुश्किल में पड़ जाते हैं; विशेषकर ऐसे राज्य, जिनका राजस्व-आधार काफी कम है। निर्धन और पिछड़े राज्य समस्याओं में फंस गए हैं। केन्द्र सरकार यहीं विफल हो गई है। समान अवसर प्रदान करने वाले अभिकरण की भूमिका निभाने में केन्द्र सरकार विफल रही है। मैं अधिक विस्तार से नहीं कहूंगा...*(व्यवधान)*

हमारा दल रा.ज.ग. का एक हिस्सा है, हमें इस बजट का समर्थन करना ही है। हम इस बजट का समर्थन करेंगे। प्रतिपक्ष को भी बजट का समर्थन करना होगा। तभी तो वह पारित होगा। समस्याओं को लेकिन सुलझाया नहीं गया है। जिन-जिन कारकों को हटाया जाना चाहिए था, इन्हें हटाया नहीं गया है; जिन बातों पर ध्यान दिया जाना था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। घाटों के प्रति मेरी विशेष चिंता है। जब तक राजस्व-घाटे को शून्य नहीं कर दिया जाता, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। दुनिया भर से और ऋण लेना पड़ेगा। जब तक घाटे को नियंत्रित नहीं किया जाता, न तो देश तरक्की करेगा और न ही समृद्ध होगा। हम बड़ी-बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है।

श्री एच.डी. देव गौड़ा (कनकपुरा): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं केवल कृषि पर ही ज्यादा बात करूंगा। मुझे समयसीमा मालूम है। लेकिन, मैं राजकोषीय-निष्पादन पर केवल एक शब्द में ही कुछ कहना चाहूंगा। 'फिक्की' को संबोधित करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया था। मैं वर्ष 2001-2002 के 'इकानमिक सर्वे' के आंकड़ों की बात नहीं करूंगा जिसे कि सभा-पटल पर रखा गया है।

वित्त मंत्री जी, यदि मैं सही हूं, तो 1 मार्च को 'फिक्की' को संबोधित करते समय आपने औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर असंतोष जाहिर किया था। आपने कहा था कि आपके द्वारा लगभग 16,000 करोड़ रु. की कर-रियायत दिये जाने के बावजूद भी, औद्योगिक-जगत सरकार को अपेक्षित राजस्व का संदाय नहीं कर पा रहा, और यह कि आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल राजस्व-घाटा लगभग 20,000 करोड़ रु. बैठ रहा है। राजकोषगत कार्यनिष्पादन पर यह आपके व्यक्त विचार हैं। मैं इस मुद्दे पर आगे बात नहीं करना चाहता। मैं सीधे कृषि क्षेत्र के मुद्दे पर आता हूं।

वित्त मंत्री जी, आपने किसानों की सहायता के लिए कुछ करने का प्रयास किया है। मैंने बड़े सावधानीपूर्वक इसे देखा है। आपके बजट-प्रस्तावों की बात करें, तो आपने कई लाभों की घोषणा की है। आपने दर्शाया है कि वर्ष 2002-2003 में आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी बातों से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी? ग्रामीण विकास और कृषि साथ-साथ चलते हैं। इसमें कोई विभेद नहीं है। सरकार या संबंधित मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास का कामकाज देखता है। द्वारा दिए गए कुछ आंकड़े भी यही स्थिति दर्शाते हैं। कहा गया कि दो लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। ये आंकड़े आपके अपने आंकड़े हैं। फिर आगे कहा गया है कि 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में समुचित सफाई-सुविधाएं नहीं हैं और 40 प्रतिशत ग्रामों में विद्यालय-भवन नहीं हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े हैं।

मैंने विभिन्न वित्त मंत्रियों के भाषणों को पढ़ा है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनके लिए अकेले आप जिम्मेदार हैं। साथ ही, मैं यह भी नहीं कह रहा कि देश ने तरक्की नहीं की है। पिछले 53 वर्षों के दौरान देश में कुछ तरक्की हुई है। किन्तु यह तरक्की समवितरित भाव से नहीं हुई है। कतिपय अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विकास को समवितरित होना चाहिए और इस बारे में सर्वसम्मति होनी चाहिए। कहने का आशय यह कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों के बीच का अन्तर बढ़ा है। स्वतंत्रता-पूर्व के समय की

तुलना में, पिछले 53 वर्षों में अवश्य कुछ विकास हुआ है। हमने कुछ तरक्की की है। हम यह नहीं कह सकते कि हमने कुछ भी नहीं किया। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर-कांग्रेसी दलों की—इसने अवश्य कुछ प्रगति की है। हमने कतिपय गलतियां भी की हैं। मेरा मतलब है कि, नीति-निर्माताओं, योजनाओं और अर्थशास्त्रियों से कुछ गलतियां हुई हैं। निश्चित ही हमने अवश्य कुछ भूलें की हैं।

संभव है कि हम योजना के संगत परिणाम प्राप्त न किए जा सके हैं। बफर-भण्डार 55 या 58 मिलियन टन से अधिक है। विगत वर्ष खाद्य-उत्पादन लगभग 210 मिलियन टन रहा। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या है? उड़ीसा के हमारे युवा मित्र ने अपने भाषण में जो कुछ कहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उड़ीसा में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? प्रैस में भी छपा है, और सभा में भी यह बात उठाई गई है—यद्यपि मैं उपस्थित नहीं था। यदि इतना खाद्य-उत्पादन और बफर-भण्डार हमारे पास हैं, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? पूरी सभा के लिए यह चिंताजनक बात है। यह अकेले इस या उस दल की ही बात नहीं है। कुल श्रमशक्ति का 65 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में नियोजित है। हम औद्योगिक क्षेत्र, सेवाक्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र के बारे में कुछ भी क्यों न कहें, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे ग्रामीण जनता को 65 प्रतिशत से अधिक काम मिलता है।

चारों ओर से चाहे यह बागवानी संबंधी फसल या नकदी फसल या परम्परागत फसल हो, किसानों को आज लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। यदि मैं आपके निर्णय के बारे में कुछ अच्छा कहता हूं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं सरकार द्वारा किए गए कुछ निर्णयों का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं। आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उत्पादों को स्वतंत्र रूप से लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है। किसानों की आवश्यकता पर विचार करके आपने यह निर्णय लिया है। यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे कहना चाहिए कि सरकार ने भरसक प्रयास किया है।

दूसरी बात यह है कि आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए आवंटन को 800 करोड़ रुपये बढ़ाकर यानि 2000 करोड़ रुपये से 2800 करोड़ कर दिया है। कृषि विस्तार और अनुसंधान योजना के लिए लगभग 91 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 'नाबार्ड' के मामले में इसके वित्तीय कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ की वृद्धि की गई है। औद्योगिक क्षेत्र को कतिपय रियायतें देने के विचार का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं इस सभा के लाभार्थ इसे उद्धृत करना चाहता हूं:

"20-वर्षीय ऋण को 50 वर्षीय ऋण में परिवर्तित किया जाना है।"

प्रेस रिपोर्ट के अनुसार आपने यह कहा है। आगे कहा गया है:

"आई.डी.एफ.सी., आई.एफ.सी.आई. और इंडियन बैंक के पश्चात्, सरकार ने देश की सबसे बड़ी और सबसे छोटी विकास वित्त संस्थाओं: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विनिवेश बैंक को उबारने का निर्णय लिया है। आई.एफ.सी.आई. और इंडियन बैंक से भिन्न इस बार सरकार का समर्थन वित्तीय नहीं है। इसके बजाय, इन संस्थाओं को अपने 20-वर्षीय ऋणों को 50-वर्षीय ऋणों में बदलने की अनुमति दी गई है।"

आप किसानों को यही लाभ क्यों नहीं दे सकते? नवीनतम सूचनाओं के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियां 60,000 करोड़ रुपये की होगी। इनमें से कितनी आस्तियां किसानों या कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं? कृपया हमें बताइए कि किसानों पर कितना बोझ है। यह 60,000 करोड़ की पूरी राशि गैर-कृषि क्षेत्र से संबंधित है शायद इसका एक भाग या 10,000 करोड़ हो। कृषि क्षेत्र से संबंधित हो। मैं नहीं जानता हूं। कृपया मुझे अवगत कराया जाए। आप यही लाभ किसानों को उबारने के लिए क्यों नहीं देते? आपको इस बात को बताने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए।

आपने बजट में भी कहा:

"31 मार्च, 1998 की तिथि के अनुसार 25,000 हजार रुपये तक की राशि के बकाया मूलधन वाले लघु ऋण के लिए एक बारगी निपटान योजना पहले से ही लागू है।"

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): कृपया आप मेरे बजट भाषण की अगली पंक्ति को पढ़िए। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने किसानों के लिए क्या किया है।

श्री एच.डी. देव गौड़ा: मैं इस पर आ रहा हूं:

"50,000 रुपये तक के ऋणों को शामिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु और सीमान्त किसानों के लिए एक विशेष ओ.टी.एस. योजना की घोषणा की जाएगी।"

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

इसकी घोषणा 1998 में की गई थी। आपने जो कहा वह है 31 मार्च, 1998 की तिथि के अनुसार 25000 करोड़ रुपये तक के लघु ऋणों के बकाया मूलधन के लिए एक बारगी निपटान योजना गैर-कृषि क्षेत्र में पहले से ही चल रही है। लेकिन इस वर्ष आपने कहा कि 50,000 रुपये तक के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। यह बजट प्रस्ताव है। मेरी प्रमुख चिंता यह है कि आज किसान उत्पादन में कमी के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि ऋण प्रक्रिया उनकी आशा के अनुकूल नहीं है। आपने किसानों को 62,000 के बराबर ऋण सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या आप, कृपया इसके अलग-अलग आंकड़े देंगे? क्या सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण बैंक लक्ष्य तक पहुंच गए हैं? मैंने पढ़ा कि आपका लक्ष्य 62000 करोड़ रुपये हैं? लेकिन क्या यह वास्तव में किसानों तक गया है? मुझे वस्ताविक वितरण ब्यौरे के बारे में बताइए।

आपने इस वर्ष 2.1 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है। क्या आप इसका ब्यौरा देंगे? राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गये कृपया मुझे अवगत करायें क्योंकि मैं उन आंकड़ों को नहीं प्राप्त कर पाया हूं। जहां कहीं मैं जाता हूं मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि मैं कृषक समुदाय से ही हूं। हम समाज के उच्च वर्ग से संबंधित नहीं हैं।

मैं विशेषरूप से उन लोगों के बारे में चिन्तित हूं जो कि गांवों में कष्टमय जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक सामान्य पंचायत सदस्य से देश के प्रधान मंत्री जैसे उच्च पद पर पहुंचा। हमें अपने देश के उड़ीसा राज्य के किसी गांव में जाना चाहिए। केवल कालाहांडी जिले के गांव में नहीं जहां से हमारे माननीय मित्र जिन्होंने हाल ही में वाकपटु भाषण दिया है और वहां की हालत देखनी चाहिए। हमें उनके गृह राज्य में जाना चाहिए और वहां कुछ जिलों के गांवों की हालत देखनी चाहिए। हमें अपने तर्कों की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या लकडवाला समिति की रिपोर्ट के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। इस सभा को एक समिति का गठन करना चाहिए और इस समिति को देश के प्रत्येक राज्य के कुछ गांवों में जाना चाहिए और वहां के व्याप्त हालातों का जायजा लेना चाहिए। हमने वहां अपने गांवों को बारामासी खुली सड़क नहीं तो एक कच्ची सड़क, एक पाठशाला भवन, बिजली के कनेक्शन और जलापूर्ति की व्यवस्था तो कर दी है लेकिन हमें यह देखना है कि क्या साल के सभी बारह महीनों जलापूर्ति की जाएगी यहां तक कि जब सूखे के दौरान भू-जल स्तर काफी नीचे चला जाता है उस समय भी हमें अपने देश के किसी गांव में जाना चाहिए और वहां आवासों की हालत देखनी चाहिए।

महोदय, चाहे हमारी उपलब्धि कुछ भी हों, लेकिन मुझे यह कहने में शर्म आ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र अभी भी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। मैं यह टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि यह सरकार चूंकी चार वर्षों से सत्ता में है तो यही इसके लिए जिम्मेदार है। हम सभी चाहे वे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या 'क' पार्टी या 'ख' पार्टी से हों- जो यहां बैठे हैं, को आत्म चिन्तन करना चाहिए और हमारे गांवों में व्याप्त कष्टकारी स्थिति को महसूस करना चाहिए। हमें उस ऐशो-आराम को भी देखना चाहिए जो हम शहरी क्षेत्रों में देख रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि हमें संयुक्त रूप से इसके लिए उपाय ढूंढने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस देश के पास धन नहीं है। धन उपलब्ध है; लेकिन यह कुछ ही लोगों तक सीमित है और हम उन्हें छू नहीं सकते। हमें उन्हें छूने में डल लगता है। कल ही, श्री मणिशंकर अय्यर ने चार या पांच औद्योगिक घरानों के नाम का उल्लेख किया था, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल औद्योगिक घरानों ने ही इस देश का सम्पूर्ण धन सम्पदा का शोषण किया है। महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। लेकिन अपने 10 महीने के उस अल्प कार्यकाल के दौरान जब मैं प्रधानमंत्री था तो मैंने वित्त मंत्री से कहा कि स्वैच्छिक आय-घोषणा योजना को लागू किया जाना चाहिए। वह मुझसे सहमत नहीं थे और उन्होंने कहा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ऐसी ही योजना की घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार 200 करोड़ रुपये भी प्राप्त नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार लगभग 780 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकती थी लेकिन सरकार को करदाताओं से दोष मोल लेना पड़ा था। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करके हमें करदाताओं के गुस्से का भाजन बनना पड़ेगा। मैंने वित्त मंत्री को यह कहकर सलाह दी कि आर्थिक सुधारों के उपरान्त कई लोगों के पास काफी काला धन जमा हो गया है और इसलिए हमें इस योजना को पुनः लागू करना चाहिए। तत्पश्चात् उन्होंने मुझसे वामपंथी दलों से बात करने का अनुरोध किया। जब मैंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु से बात की मुझे निष्पक्ष रूप से कहना चाहिए कि वह योजना के साथ आगे बढ़ने को सहमत हो गए।

अपराह्न 4.00 बजे

प्रत्येक को इस बारे में संदेह था कि इससे ज्यादा राजस्व नहीं मिलेगा। इस संबंध में 33,000 करोड़ की राशि घोषित की गई थी। आपको 10,800 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

हर बार विदेशी निवेशकों से मांग करने की आवश्यकता नहीं है। उनके तुष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह देश बहुत गरीब है, यह धन-धान्य से सम्पन्न है। हमारी कर प्रणाली उस दिशा में काम नहीं कर रही है जिसके बारे में उन्हें आशा थी। यह बात उन पर निर्भर करती है कि उन्हें संसाधनों को किस तरीके से जुटाना है। मैं इसे अपने तरीके से कह सकता हूं। यद्यपि, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं कि संसाधनों को कैसे जुटाया जाना है बशर्ते कि सभा सहमत हो।

मैं समझ सतका हूं कि एक गठबंधन वाली सरकार में निर्णय लेना कितना समस्या भरा होगा। यह इतना आसान नहीं है। हम इस प्रकार के राजनीतिक माहौल में आसानी से आलोचना कर सकते हैं। यह भा.ज.पा. ही नहीं है जो कि मात्र इसके लिए जिम्मेदार हो। प्रत्येक व्यक्ति ने एक पार्टी के शासन की समाप्ति में योगदान दिया है। हम सभी ने चाहे वह 'क' 'ख' या 'ग' हो ने इसमें योगदान दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक गठबंधन सरकार में जब तक कतिपय परिवर्तनकारी कदमों के उठाने के लिए सर्वसम्मत निर्णय न हो तब तक संसाधन जुटाने या उन क्षेत्रों का पता लगाने में भारी कठिनाई होती है जहां हम अपने संसाधनों की स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

विनिवेश आपका सिद्धान्त नहीं है। यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है। पिछली सरकार ने आर्थिक सुधारों को आरंभ किया था। उस समय मैं भी सदस्य था। मेरे मित्र डा. मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री भी नहीं है। इसी सभा में उन्होंने कतिपय निर्णयों की घोषणा की थी, उस समय इससे किसानों के हितों पर आघात लग रहा था। मैं अपने जीवन में पहली बार धरने पर बैठा था। मैंने विरोध किया। इस सभा में किसी ने भी मेरा समर्थन नहीं किया था। इससे कृषि क्षेत्र बर्बाद हो रहा था। विश्व बैंक हम पर दबाव डाल रहा है इसलिए गलती न करें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ।) सभी प्रकार की शर्तें लगा रहा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्री मनमोहन सिंह ईमानदार नहीं हैं। वह ईमानदार और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। मैं उन सभी मुद्दों पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मेरी चिंता थी कि उन्हें ग्रामीण जनता की जानकारी नहीं थी। उन्हें, आज भी किसानों के पास मूलभूत सुविधा के अभाव की जानकारी नहीं है। हमें उस समय शर्म आती है जब आप गांवों में वोट मांगने जाते हो। हम हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं तब हम भूल जाते हैं। हम यहां पर औद्योगिक विकास सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आज सभी व्याप्त समस्याओं का उपचार यही है।

सभापति महोदय: कृपया, समाप्त करें। आपने 25 मिनट का समय ले लिया है।

श्री एच.डी. देव गौड़ा: यही कारण है कि मैं अपने आप को कृषि क्षेत्र तक सीमित रख रहा हूं। मैं अन्य मुद्दों को नहीं उठाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हमेशा से कृषक समर्थक रहा हूं। हम उन्हें भूल नहीं सकते...*(व्यवधान)* मैं एक किसान हूं। यह कहते हुए कि मैं एक किसान हूं मैं शर्म महसूस नहीं कर रहा हूं। अभी भी मैं एक किसान हूं...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): प्रत्येक को किसान पर गौरव है...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देव गौड़ा: प्रत्येक को दलगत भावना को भूल जाना चाहिए। हमें सामूहिक रूप से निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि सरकार राहत के कुछ उपाय करे तो मैं उसको अपना समर्थन देने के तैयार हूं।

महोदय, विनिवेश के मामले पर, मैं यह प्रश्न नहीं करता कि सरकार कौन सा तरीका अपनाने जा रही है। दो या तीन मिनट की छोटी-सी अवधि में मैं विस्तार से स्पष्ट कर दूंगा। आर्थिक सुधारों के बावजूद उन्होंने निर्णय ले लिया है। हमने अपने शासन काल में सरकारी क्षेत्र के नौ उपक्रमों को 'नवरत्न' की श्रेणी में रखा था। हमें विनिवेश नहीं करना चाहिए। इसकी आवश्यकता कहां है?

उस समय श्री मारन उद्योग मंत्री थे। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि घाटे में चल रहे उपक्रम अकेले ही निवेशकों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित नहीं कर सकते, या प्रधान मंत्री जो भी तर्क दें, मैं उन सब पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन आज की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति सरकार की विनिवेश नीति की आलोचना कर रहा है।

[श्री एच.डी. देवगौड़ा]

भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के कुछ होटलों की जमीन की कीमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं बाजार के तथ्य और आंकड़े बता सकता हूं और यह भी बता सकता हूं कि आई.टी.डी.सी. के होटल कैसे बेचे जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपये की सम्पत्ति 2 करोड़ रुपये में बेची जा रही है। इसका मूल्यांकनकर्त्ता कौन है? वे किस प्रणाली के अनुसार कार्य करना चाहते हैं? इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। आप अपने ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप क्यों लेते हैं। यदि कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो आप 1952 से हुए भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं। जबकि वी.के. कृष्ण मेनन के समय में जीप घोटाला हुआ था जैसा कि मैंने सत्ता में रहते हुए इसी सभा में उद्धृत किया था।

मैं स्वार्थ होने का आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन मुद्दा यह है कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं आ सकती? हमें इस सभा में विनिवेश नीति पर विचार-विमर्श करना चाहिए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने भी बालको मामले पर रोक लगा दी है। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसका निर्णय सरकार के नीतिपरक निर्णय पर आधारित है। लेकिन हमें इस मुद्दे पर पुन: विचार करना चाहिए। हम सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों का विनिवेश करने जा रहे हैं हमें उनकी वास्तविक कीमत नहीं मिल रही है।

महोदय, एक दूसरी समस्या बागान के फसलों की है। सभापति महोदय, आप भी उस राज्य के रहने वाले हैं जहां काफी एवं चाय पैदा की जाती है। आज 80 प्रतिशत से अधिक काफी का निर्यात हमारे देश द्वारा किया जाता है। उन्होंने सीमा शुल्क लगा दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत से अधिक काफी का निर्यात करने के बावजूद हम क्यों काफी का आयात करना चाहते हैं। इससे काफी उत्पादक किस प्रकार लाभान्वित होंगे। इससे उन्हें वर्तमान संकट से मुक्ति मिलेगी; 900 करोड़ रुपये का ऋण है और उन्हें प्रति वर्ष 130 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत से अधिक वे काफी उत्पादक हैं जिनके पास एक हेक्टेयर, दो हेक्टेयर या तीन हेक्टेयर जमीन है। मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले का उल्लेख व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूं कि जब भी वे उत्तर दें तो इन काफी उत्पादकों के लिए कुछ निश्चित राहत की घोषणा करें। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे किसानों को किस प्रकार इस संकट से मुक्ति प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री ने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश में संशोधन की घोषणा की है और अब उन्होंने इसकी शुरूआत कर दी है। क्या इससे दुग्ध उत्पादकों की सहायता मिलेगी? डा. कुरियन ने इस क्षेत्र में पूरा प्रयास किया है। हम उन्हें दुग्ध आन्दोलन का जनक कहते हैं। इसमें मैं निजी क्षेत्र को अनुमति देने से वह आन्दोलन प्रभावित होगा।

अपने शासन के समय मैंने आईसक्रीम उत्पादन को लघु उद्योग क्षेत्र से हटाकर सहकारी क्षेत्र को दे दिया। अब उन्होंने एक निर्णय लिया है। मुझे भय है कि भविष्य में यह क्षेत्र हानि उठाएगा। जब आप गैर-सरकारी लोगों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देंगे तो इससे अंतत: उत्पादकों को कोई सहायता नहीं मिलेगी एवं यह सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक बहुत बड़ा निर्णय होगा।

महोदय, हम चेन्नई पत्तन से लगभग 4000 टन या 5000 टन बटर आयल का आयात कर रहे हैं उन्हें यह 75 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। मक्खन 115 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर या इतनी ही दर पर बेचा जा रहा है। वे मिलावटी घी 105 रुपये प्रति किग्रा. की दर से बेच रहे हैं। क्या इससे दुग्ध उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? माननीय मंत्री को इस पर विचार करना है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे किसानों को किस प्रकार राहत प्रदान करेंगे। केवल प्रतिबंधों को हटाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी, बिचौलिए पुन: महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कृषि के विविधिकरण से किसानों की समस्यायें हल नहीं होंगी।

1992 में तत्कालीन कृषि मंत्री डा. बलराम जाखड़ ने कृषि के विविधिकरण की घोषणा की थी, "यदि कृषि उत्पादन में एक प्रतिशत वृद्धि होती है तो बाजार में उपज की भरमार लग जाती है।" समय की कमी के कारण मैं अधिक बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज कृषि क्षेत्र सर्वाधिक नुकसान उठा रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें मरने न दें, आत्महत्या करने से रोकें। मुझे कोई ऐसा उद्योगपति बताइए जिसने आत्महत्या की हो।

वे आई.डी.बी.आई. को संकट से उबारना चाहते हैं, वे आई.सी.आई.सी.आई. को संकट से उबारना चाहते हैं, वे इन लोगों को इतना अधिक लाभ दे रहे हैं।

महोदय, मैं एक और मुद्दे पर बोलना चाहूंगा, वह है मिट्टी का तेल। मेरे शासन काल में भी हम इसी समस्या, लगभग 18000 करोड़ रुपये के तेल घाटे का सामना कर रहे थे। जब मामला मेरे सामने लाया गया तो मैंने कहा कि मैं मिट्टी के तेल के अलावा सभी विषयों पर विभाग के सभी प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हूं। मैंने कहा कि मैं मिट्टी के तेल की कीमत में एक पैसा भी नहीं बढ़ाऊंगा। उस समय, कच्चे तेल की कीमत 28 डालर प्रति बैरेल थी। जब यह सरकार सत्ता में आई तब यह बढ़कर 32 डालर या 34 डालर हो गया था। अब यह पुन: घटकर 18 डालर था 19 डालर हो गया है। जब कच्चे तेल की कीमत 50 प्रतिशत कम हो गई तो वे रसोई गैस की कीमत घटाना चाहते हैं।

कल तेलगु देशम के हमारे मित्र बता रहे थे कि श्री चन्द्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई योजना से 40 लाख लोगों को लाभ हुआ और इसके लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का निश्चय किया था। ऐसा हो सकता है कि वे माननीय वित्त मंत्री पर कुछ दबाव डालें। लेकिन मिट्टी के तेल का उपयोग करने वालों के लिए कौन पैरवी करेगा। वे सभी गरीब लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं। पुन: मिट्टी के तेल की कीमत में 75 पैसा या कुछ इसी प्रकार की वृद्धि की गई है। झोपड़ी में रहने वाले लोग पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं, वे मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मिट्टी के तेल की बढ़ी हुई कीमत पर पुनर्विचार करे। फिर कृषि क्षेत्र को जो थोड़ा बहुत दिया गया है वह उर्वरक की कीमत में बढ़ोत्तरी करके वापस ले लिया गया है। एक हाथ से उन्होंने कुछ लाभ दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। अत:, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उर्वरक के ऊपर लगे अधिभार पर पुनर्विचार करें। मिट्टी के तेल की कीमत घटाई जानी है और गैर-कृषि क्षेत्र के रूप में उद्योग क्षेत्र को जो लाभ दिया गया है वही लाभ कृषि क्षेत्र को दिया जाना चाहिए इसे 20 वर्ष, 50 वर्ष किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें कुछ लाभ दिया जाए।

कृपया उन्हें वैसे ही लाभ दीजिए। आपने सभा को आश्वासन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 50,000 रुपये की छूट दी जाएगी। क्या आप इसको क्रियान्वित करेंगे? यदि आप इसको क्रियान्वित करते हैं तो यह अच्छी बात है और मैं आपकी प्रशंसा करूंगा।

मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे और इस देश के किसानों तथा परेशानी का सामना कर रही जनता को संकट से उबारने के लिए कुछ उपचारी उपाय किए जाएंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं कल से ही आम बजट पर बोलने की प्रतीक्षा कर रही हूं।

महोदय, यदि मैं इस बजट का पूरा समर्थन करूं तो यह मेरे मन की बात नहीं होगी। यदि मैं इस बजट का विरोध करूं तो भी कुछ लोग कहेंगे, "आप राजग में हैं और कुछ बोल रही हैं।" मैं महसूस करती हूं कि मुझे सच कहना चाहिए। यदि टिप्पणी करने या राय देने से लोगों को कुछ लाभ हो तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं है।

मैं बजट पर कुछ भी बोलने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहती हूं कि मैं उनके या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रही हूं। मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां उद्धृत करती हूं: "मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं गरीबों को कभी न भूलूं और किसी अदम्य शक्ति के सामने न झुकूं।"

हमारे बीच में बजट के अच्छा या बुरा होने के बारे में भ्रम है लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि यह दिशाहीन है। मुझे सरकार की आर्थिक स्थिति ज्ञात है। सरकार बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि अन्य अनेक देश पाकिस्तान, बंगलादेश और अन्य देश भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कोई तानाशाह देश वित्तीय संकट के बारे में जो कुछ कह सकता है भारत नहीं कह सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यद्यपि हमारी वित्तीय स्थिति इतनी खराब आज नहीं है फिर भी हम इस स्थिति का सामना बहुत पहले से कर रहे हैं। परन्तु महोदय, सरकार सुधारों के नाम पर ऐसा नहीं कर सकती कि उससे केवल गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और आम लोग ही परेशानी उठाएं। इससे समस्या हल नहीं हो सकती।

हमने वित्तीय स्थिति के बारे में आंकड़ों की बात की। प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपनी राय व्यक्त की। आज हम व्यापक अर्थ में सोचे तो पाएंगे कि जहां चाह है, वहीं राह है। आज हममें इच्छा शक्ति का अभाव है। बिना किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं राजनीतिक सुधार के यह देश आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता इसके लिए हमें प्रणाली विकल्प सोच एवं दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करूंगी कि राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली और न्यायिक प्रणाली में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारा देश गरीब हैं किन्तु यह एक विकासशील देश है। क्या यह सच नहीं है कि हम प्रत्येक वर्ष चुनाव के नाम पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करते हैं? मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे चुनाव सुधार पर विचार करें, राज्य द्वारा वित्त पोषण करने के लिए कुछ धनराशि रखें और सरकार की ओर से चुनाव का वित्तपोषण शुरू करें जिससे कि बड़े घराने और राजनीतिक दल अपने काले धन का इसमें उपयोग न करे सकें। यदि आप इस काले धन को व्यवस्थित कर देंगे तो गरीब और आम जनता को कष्ट झेलना पड़ेगा। क्योंकि वही उनसे यह धन लेते हैं। मैं समझती हूं कि इसी कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक सुधार दोनों की आवश्यकता है। आम आदमी के दृष्टिकोण से इस बजट में मैंने यही देखा है। मिट्टी के तेल, रसोई गैस और उर्वरक की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण सेवानिवृत्त लोग, बेरोजगार युवक और लघु उद्योगों पर बोझ पड़ेगा। लेकिन इस देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां 100 करोड़ की आबादी है। हमें केवल 100 लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपना बलिदान नहीं देना चाहिए।

[कुमारी ममता बनर्जी]

इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप मेरे कुछ सुझावों पर ध्यान दें।

रसोई गैस की कीमत सरकार ने 20 रु. कम की है। गत 10 वर्षों में रसोई गैस की कीमतों में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सच नहीं है कि केवल शहरी अमीर लोग ही रसोई गैस का उपयोग करते हैं। यह देश में सभी लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है विशेषत: शहरी, अर्धशहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा भी इसका उपयोग होता है। कई गांव ऐसे हैं जहां विकास कार्य हुआ है। वे भी इस गैस का उपयोग करते हैं। आप रसोई घर को हाथ नहीं लगा सकते। यदि आप रसोई घर को हाथ लगाएंगे तो यह बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इस पर पुनर्विचार करें। आपने 20 रु. कम कर दिए हैं। यह ठीक है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यह पहले भी बढ़ाया गया था। अत: इसे पूरी तरह से कम किया जाना चाहिए। यह हमारा अनुरोध होगा।

अब मैं मिट्टी तेल की बात करूंगी। मैंने कुछ मित्रों को यह कहते सुना और मुझे यह जानकर बड़ा आघात पहुंचा कि गरीब लोग मिलावट और अन्य बातों के कारण मिट्टी तेल का उपयोग नहीं करते हैं। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यदि मिलावट होती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार है गरीब लोग नहीं। आप मिट्टी तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकते। कोई कह रहा है कि लोग मिट्टी तेल का उपयोग नहीं करते। हां इसका उपयोग इस देश में आम जनता और अत्यन्त गरीबों द्वारा किया जाता रहा है।

हम विदेशी शराब की कीमत क्यों कम कर रहे हैं? हम उर्वरक, मिट्टी तेल और रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप विदेशी शराब की कीमत और अधिक बढ़ाते जाइए। विदेशी शराब कौन खरीद सकता है? जिनके पास विदेशी शराब खरीदने की क्षमता है वे और रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन गरीब लोग प्रति लीटर 1.50 रु. अधिक देकर मिट्टी तेल नहीं खरीद सकते। रसोई गैस के मामले में, बीस रुपये बढ़ाए गए हैं। उर्वरक के मामले में, मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं जिन्होंने इसे किसानों का बजट कहा है। हमारे साठ प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अब आपने उर्वरक की कीमत बढ़ा दी हैं। वे आपको भोजन देते हैं। आप उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। यह मत कीजिए। आपने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी रेल बजट में मालभाड़े में बढ़ोत्तरी करके बढ़ा दिया है। मैं उसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहती। मेरे दल के लोग बोलेंगे। सभी आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि की गयी है। इसमें भी उर्वरक, रसोई गैस और मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि की गई है। आम जनता कहां जाएगी। मैं गलत हो सकती हूं क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं अर्थतंत्र का क, ख, ग भी नहीं जानती।

किन्तु, जमीनी स्तर पर हम महसूस करते हैं कि कई प्रकार के कर लगाए गए हैं। केन्द्र सरकार कर लगाती है। लोगों को केन्द्र सरकार को कर अवश्य देना चाहिए। राज्य सरकार कर लगाती है। नगरपालिका कर लगाती है और नगर निगम अन्य प्रकार का कर लगाता है। एक व्यक्ति को कितनी बार कर देना होगा? इसके लिए कोई समान नीति होनी चाहिए। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर सुधारों के संबंध में कोई एक समान नीति हो। कुछ राज्य आवश्यक वस्तुओं पर भी बिक्री कर लगा रहे हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे राज्य सरकारों से अनुरोध करें कि वे आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए करों पर पुनर्विचार करें क्योंकि इसका असर आम जनता पर पड़ता है। बचत और निवेश पर ब्याज दर कम करना विशेषत: छोटी बचत के मामले में ऐसा किया जाना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं। आप यह मानेंगे कि हमारे देश में सेवानिवृत्त लोग, गृहिणियां, शिक्षक और यहां तक कि रिक्शाचालक भी अपना पैसा सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्रों, यू.टी.आई. और इसी प्रकार की अन्य छोटी बचतों में निवेश करते हैं। पिछली बार ब्याज दर में 1.5 प्रतिशत की कमी की गयी थी। इस बार इसमें 0.5 प्रतिशत की कमी की गयी है। करोड़ों लोगों के.लिए सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों को पैसा देने का यही एकमात्र स्रोत है। इसी पैसे से वे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और अपना जीवन-यापन भी करते हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इस पर पुनर्विचार करें तथा छोटी बचतों पर ब्याज दर कम न करें। लोग जब अपना पैसा सरकारी संस्थानों में निवेश करते हैं तो हमें उन्हें सरकारी संगठनों में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल आम जनता को कष्ट झेलना पड़ता है जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कालाधन है। एक तरफ हम सरकारी क्षेत्र के अपने सभी उपक्रमों में विनिवेश कर रहे हैं। साथ ही, क्या आप बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर आज तक वापस नहीं करने वाले लोगों के नाम की सूची का श्वेत-पत्र सदन में रखेंगे? उन्हें नए ऋण भी मिल रहे हैं। चूककर्त्ता कौन हैं? मैं समझती हूं, यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती: हम इनसे सहमत हैं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: वे चूककर्त्ता हैं और वे बड़े औद्योगिक घरानों के मुखिया हैं। अत: कृपया इन चूककर्त्ताओं की सूची प्रस्तुत करें।...*(व्यवधान)*

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: यदि आप उनसे सहमत हैं तो पश्चिम बंगाल का सिरदर्द समाप्त हो गया।

श्री अजय चक्रवर्ती: ये हमारी बात को प्रभावी ढंग से रख रही हैं...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मैं आम आदमी के दृष्टिकोण को सामने रख रही हूं। मैं समझती हूं, सभी मेरा समर्थन करेंगे क्योंकि ये केवल मेरे विचार नहीं अपितु जो कुछ भी मैं कह रही हूं वह आम लोगों की राय है।...*(व्यवधान)*

केवल काली सूची में दर्ज उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों को संतुष्ट करने के लिए इस देश के सौ करोड़ लोगों को कष्ट दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हैं कि आम जनता पर अधिक कराधान हो रहा है? ऐसा क्यों है कि काली सूची में दर्ज उद्योगपतियों के लिए अधिक कराधान नहीं है? मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार उन चूककर्त्ताओं विशेषत: उन औद्योगिक घरानों जो बड़े औद्योगिक घरानों में अग्रणी हैं, की सूची जारी करने जा रही है।...*(व्यवधान)*

मैं अपना पक्ष नहीं बदलूंगी। मेरा पक्ष मेरे लिए सही है और यह मेरे लिए अच्छा है। मैं जो कहना चाहती हूं, कृपया मुझे वह कहने दिया जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे बाधा न पहुंचाएं।

श्री अजय चक्रवर्ती: हम केवल आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम आपको बाधा नहीं पहुंचा रहे बल्कि आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: इसी वजह से तो ये सशंयित हैं।

कुमारी ममता बनर्जी: जब मैं बोल रही हूं तब ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बाधा पहुंचा कर मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब देखें कि काली सूची में दर्ज उद्योपगति जब उद्योग खोलते हैं तो क्या करते हैं। वे कंपनी का बीमा कराते हैं। अगले दिन वे कंपनी बन्द कर देते हैं। वे भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेते हैं उसके बाद यू.टी.आई. से कई बार आई.आर.सी.आई., आई.डी.बी.आई. या आर.बी.आई. और उसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं। ये चूककर्त्ता लोग गुनाह कर रहे हैं। देश के धन को बर्बाद करना एक अपराध है किन्तु इन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कानून नहीं है।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि वे विदेशी शराब पर कम करने के लिए इस पैसे का समाजोन करना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक पैसा दे सकें। उन्होंने लघु उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लघु उद्योगों से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार पैदा करने की आशा की जाती है। हमारे देश में तीन करोड़ से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवक हैं। मैं शुरू से ही कहती रही हूं कि 'बेरोजगारी हटाओ' नाम का एक सरकारी कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहती हूं कि बेरोजगार युवकों के मामले पर और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए इस पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन अवश्य किया जाए पोटो के लिए नहीं बल्कि बेरोजगारी की समस्या के लिए- क्योंकि यह देश की मुख्य समस्या है।

पांच प्रतिशत अधिभार के विषय में मुझे यह कहना है कि यह सभी पर क्यों लगाया जाए? उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, आम करदाता है, आम कर्मचारी हैं और अमीर लोग भी हैं। मैं अमीर लोगों के विषय में कुछ नहीं कहने जा रही हूं। कई बार आप स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित आहार लेते हैं। आप अर्थव्यवस्था में मितव्ययिता लाने के लिए नियंत्रित आहार क्यों नहीं लेते? पहले मितव्ययिता अपनाएं। दान की शुरूआत अपने घर से होती है। सरकार की ओर से मितव्ययिता के उपायों के माध्यम से पैसा बचाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? सरकारी कार्यक्रमों के नाम पर केन्द्र सरकार विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च करती है? मैं केवल केन्द्र सरकार के विषय में बात नहीं कर रही, मैं राज्य सरकारों के विषय में बात कर रही हूं। उनका कोष प्रबन्धन इतना बुरा है कि उनके ऋण लेने की दर काफी ऊपर जा रही है। मेरे राज्य में, मैं जानती हूं कि उन्होंने 62,000 करोड़ रुपये का कुल ऋण लिया है। अगर इस देश में ये ऐसा ही करते रहे तो कर्ज चुकाएगा कौन? मैं नहीं जानती कि इस देश में क्या स्थिति उत्पन्न होगी। अधिभार के विषय में मेरा अनुरोध है कि कोई नीति अवश्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह हम केवल आज कह रहे हैं, रिकार्ड के लिए बता दूं कि इस पर पुनर्विचार करने के लिए हमने 7 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और मैं उसी

[कुमारी ममता बनर्जी]

में से उद्धृत कर रही हूं। हमने कहा है कि सुरक्षा के लिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक पर मातृभूमि की सहायता करने की जिम्मेदारी है। हां, आप करदाताओं पर एक प्रतिशत अधिभार लगा रहे हैं लेकिन बड़े व्यवसायी घरानों, निगमित क्षेत्र पर दस प्रतिशत अधिभार लगाइये। कोई नीति अवश्य होनी चाहिए। कोई मानक अवश्य होना चाहिए। देश में इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। यही कारण है कि हम आपसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की सहायता करने को कह रहे हैं। कोई कह रहा था कि कोई भी वेतनभोगी व्यक्ति 10,000 रुपये से कम नहीं कमाता है। हां, वो कमा रहे हैं। आपने कुछ वर्षों में रसोई गैस की कीमत 400 प्रतिशत बढ़ा दी है, किन्तु मुझे बताइये कि क्या उनकी आय भी उसी अनुपात में बढ़ती है? क्या आप चाहते हैं कि वे ईमानदारी से जीवन बिताएं या आप चाहते हैं कि वे धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं? क्या हम इस देश के आम लोगों की मदद करने जा रहे हैं या हम केवल उनकी मदद करने जा रहे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता।

मैं उर्वरकों, केरोसीन, रसोई गैस और डाक की कीमतों के विषय में एक अनुरोध कर रही हूं। डाक की दरें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। आम जनता की पहुंच इंटरनेट या मोबाईल या सेलुलर फोन तक नहीं है। वे केवल पोस्टकार्ड और लिफाफों का प्रयोग करते हैं और उनकी दरें भी बढ़ाई गयी हैं। क्यों? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि इस विषय में गम्भीरता से विचार करें जिससे आम जनता को परेशानी न हो।

उन्होंने महंगे होटलों पर कर कम कर दिए हैं। मेरा एक सुझाव है। जो लोग होटल में रह सकते हैं उनसे अधिक कर वसूला जाए। आम जनता होटलों में नहीं ठहरती है। आप उन पर अधिक कर लगाते हैं। मैं जानती हूं कि आप पर्यटन उद्योग की मदद कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की मदद के लिए यूथ होस्टलों की स्थापना करें। इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि आप होटल कर कम करते हैं तो मैं नहीं समझती कि इससे देश को कोई मदद मिलेगी।

महोदय, मुझे फेडरेशन आफ इण्डियन पब्लिशर्स ने इस आशय का पत्र दिया है कि पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर कर बढ़ाया जा रहा है, कई बार तो 200 रु. से 1600 रु. तक। मैं मानती हूं कि पुस्तक ज्ञान है और ये ज्ञान का आधार है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि प्रकाशित हो रही पुस्तकों पर कर न बढ़ाएं।

हमारा आपसे अगला अनुरोध सरकारी क्षेत्र के विनिवेश के संबंध में है। सरकार प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की इकाई का विनिवेश करने की योजना बना रही है। जी हां, मैं जानती हूं कि कुछ समस्याएं हैं। हम आधुनिकीकरण की योजना और व्यापक कार्य योजना की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की इकाई को बन्द किया जाए। आप इस्को का ही उदाहरण लीजिए। यह हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसके आधुनिकीकरण की योजना काफी समय से लम्बित है। कल तमिलनाडु के एक माननीय सदस्य तूतीकोरिन के बारे में बोल रहे थे। मैं उनका समर्थन करती हूं। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो काफी समय से लम्बित हैं। ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मेरे राज्य में सर्वाधिक सरकारी क्षेत्र की इकाइयां हैं। वहां एन.टी.सी., एन.जे.एम.सी. कई जूट मिलें, जेस्साप, बर्न स्टैण्डर्ड, ब्रेथवेट, एम.ए.एम.सी., साईकिल कारपोरेशन, टायर कारपोरेशन, बंगाल एम्यूनिशन इत्यादि इकाइयां हैं। वहां कई उद्योग हैं। आप सब कुछ बन्द कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि अमरीका ने कर दाताओं को कोई छूट नहीं दी थी लेकिन वे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराते हैं। हमें अपने दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। हमारा देश अमरीका या पाकिस्तान नहीं है।. हमारा देश भारत है। भारत भारत के लिए लड़ेगा। इसलिए माननीय वित्त मंत्री से हमारा अनुरोध होगा कि वे कृपया इस विषय पर पुनर्विचार करें और कुछ करें।

एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विषय में भी कह रहे हैं कि सभी यह लेना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक नहीं हैं। हम क्या करें? देश का दुर्भाग्य यह है कि आप कर्मियों को स्वैच्छिक़ सेवानिवृत्ति लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं लेकिन आप राजनीतिज्ञों को पी.आर.एस. 'राजनैतिक सेवानिवृत्ति योजना' लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। आप केवल कर्मियों के वी.आर.एस. देने में रुचि रखते हैं। यदि लोगों को ही निकाल दिया गया तो यह सरकार किसके लिए काम करेगी? लोकतंत्र में सरकार का अर्थ है कि यह जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। लेकिन यदि सरकार गरीबों, आम जनता, मध्यम वर्गीय लोग और अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों पर दबाव डालेगी तो सरकार की क्या परिभाषा होगी? इसीलिए हमारा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इसे व्यक्तिगत रूप से न लें किन्तु मैं उन्हें आम जनता के विचार बताऊंगी और वे इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह प्रस्ताव अब आम जनता को चोट पहुंचा रहा है। हमारे भाजपा के मित्र यह बात जानते हैं। वे भी कई बार इन मुद्दों को उठाते हैं। गठबंधन में हमारे सहयोगी भी इसे जानते हैं जो इन मुद्दों को उठाते हैं और यहां तक कि विपक्षी दल भी इसे जानते हैं। यदि हम कम से कम गरीबों के लिए शुद्ध अन्त:करण से कुछ कर सकें। मैं समझती हूं कि देश को इससे लाभ होगा और वे आपके आभारी होंगे। अन्यथा यह अत्यन्त कठिन होगा।

सभापति महोदय: महोदया, आपके दल के लिए नियत समय 12 मिनट है। मैंने आपको 10 मिनट का समय और दिया है। कृपया समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं जानती हूं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस सदन में कोई दो घंटे बोलता है और उस पर कोई रोक नहीं है। केवल जब हम लोगों के लिए बोलते हैं तब रोक लगायी जाती है। मुझे यह कहते दुख हो रहा है। हम लोगों के लिए बोलेंगे और लोगों के लिए बोलना जारी रखेंगे।

सभापति महोदय: हां, कृपया लोगों के लिए बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मेरी गलती क्या है? मुझे रा.ज.ग. के सहयोगी के रूप में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुझे अपने दल के समय में से बोलने का अवसर मिल रहा है। आप इसमें कटौती नहीं कर सकते। जब आप मेरे समय में कटौती करते हैं तो कृपया ध्यान में रखें कि हालांकि मेरा दल छोटा है कृपया यह न भूलें कि हम इस देश के एक करोड़ 42 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृपया इसे न भूलें। हमारा दल छोटा दल हो सकता है।

सभापति महोदय: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आपके दल को 12 मिनट का समय दिया जाना तय हुआ था। मैंने आपको 10 मिनट का समय और दिया है। आप कृपया लोगों के लिए बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, धन्यवाद। मैं अध्यक्षपीठ का कहा मानूंगी।

सभापति महोदय: मैंने आपको केवल याद दिलाया। आप लोगों के लिए बोलिए।

कुमारी ममता बनर्जी: नहीं, महोदय। मैं अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार चलूंगी और अपना भाषण समाप्त करूंगी। किन्तु मैं कहना चाहती हूं कि आप मुझे यहां रोक सकते हैं लेकिन आप मुझे बाहर नहीं रोक सकते।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। समय की सीमा का पूरा ध्यान रखते हुए मुझे अपनी बात जितनी जल्दी और जितना संक्षेप में हो सके कहने दी जाए। इसका मतलब यह है कि मेरे भाषण के दौरान बार-बार व्यवधान न पहुंचाया जाए।

लेकिन मैं बहुत अधिक आश्वस्त हूं कि जब मैं अपनी बात कहूंगा जो संगत, महत्वपूर्ण और अत्यधिक उपयोगी है, सभापति महोदय इसका ध्यान रखेंगे।

महोदय, कल और आज, सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा बहुत सी बातें कही गयी हैं। एक तरफ यह विशेषता रही। विपक्ष द्वारा उजागर की गई बुराइयों और कमियों का राजग पक्ष द्वारा शाबासी और प्रशंसा द्वारा कड़ाई से खण्डन किया गया है। अब मैं सीधे बजट के प्रस्तुतीकरण के मूल आधार को जानना चाहता हूं। मुझे यह बताया जाए कि आधुनिक तरीके से या परम्परागत तरीके से बजट की परिभाषा सुस्पष्ट की गयी है और क्या बजट के सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है। मेरी अपनी शंकाएं हैं। बजट को संतुलित होना चाहिए; बजट में आय तथा व्यय लगभग बराबर होना चाहिए। कोई एक दूसरे से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। यह पहला मूल सिद्धान्त है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि किए जा रहे प्राक्कलन यथार्थपरक, तर्कसंगत और सही होने चाहिए। तीसरा सिद्धान्त है कि एक लक्ष्य होना चाहिए और एक उपलब्धि होनी चाहिए। वादा होना चाहिए और निष्पादन होना चाहिए।

कृपया सहयोग करें। मैं कुछ ब्यौरा और आंकड़े उद्धृत करूंगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री को इस चालू बजट सहित पांच बजट प्रस्तुत करने का बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त है। पहले बजट अर्थात् अन्तरिम बजट में यह वादा किया गया था कि आधारभूत ढांचा क्षेत्र की अवरोधों को दूर किया जाएगा। तो, इस क्षेत्र में क्या किया गया? रुकावटें अभी भी हैं। उसके बाद उस वर्ष दूसरा वादा पूंजी बाजार में फिर से जान फूंकने और वित्तीय स्थिति को सुधारने का किया गया। वित्तीय स्थिति और बिगड़ी है। अब हम अगले बजट पर आते हैं। वादा किया गया कि औद्योगिक विकास (विनियमन) अधिनियम, आई.डी.आर.आई. में संशोधन किया जाएगा जिससे मुख्य ध्यान उद्योग के विकास की ओर रहे। ऐसा किया जाना अभी भी बाकी है। यह तो कार्यनिष्पादन है। पुन: वादा किया गया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वूसली संबंधी अधिनियम में उसके प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए इसमें संशोधन किया जाएगा। ऐसा किया जाना अब भी शेष है।

अब, मैं तीसरे बजट पर आता हूं। वादा किया गया कि निर्यात के त्वरित विकास और अधिक विदेशी निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत किया जाएगा। ये दोनों ही नहीं हुए। तब, वादा किया गया कि ऋण ढांचा और वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जाएगा जिसके बिना भारत की रणनीति के अन्य कारक विफल हो सकते हैं। उपलब्धि यह है कि वित्तीय अव्यवस्था वैसी ही है। उन्होंने 5.1 प्रतिशत के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा किन्तु दुर्भाग्यवश यह 5.7 प्रतिशत तक बढ़ गया। यह तो उपलब्धि है।

अब मैं अन्तिम बजट पर आता हूं। उन्होंने 4.7 प्रतिशत के वित्तीय घाटा का लक्ष्य रखा लेकिन यह 5.7 प्रतिशत तक बढ़ गया है। अत: उपलब्धियां इस प्रकार की थी।

[श्री के. मलयसामी]

अब मैं, बाह्य कठोरता को दूर करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम और ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन के वायदे की बात करता हूं जिसके विषय में कार्यनिष्पादन देखा जाना शेष है। अन्य वादा यह किया गया कि ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जो चूक की स्थिति में प्रतिभूतियों के प्रयोग से राशि की वसूली और प्रवर्तन की व्यवस्था करेगा। ऐसा होना भी अभी शेष है। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी पहले वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया।

जैसा कि मैंने बताया उससे यह स्पष्ट है कि कुछ भी नहीं किया गया है। कुमारी ममता बनर्जी ने राजनैतिक इच्छा शक्ति की बात की है। राजनैतिक इच्छा शक्ति हो सकती है लेकिन दुर्भाग्यवश इस राजनैतिक इच्छा शक्ति को क्रियान्वित करने वाला कौशल नहीं है। वायदों और उपलब्धियों के बीच भारी अंतर के पूर्व के उदाहरणों से मुझे वर्तमान बजट में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह प्राप्त किया जा सकेगा। इस विषय में भारी शंका है। मेरी शंका इस साधारण कारण से और बढ़ जाती है कि देश और विशेषत: राज्य बड़े वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं।

उस स्थिति में, इस प्रक्रिया में यह कहा जा सकता है कि विदेशी मुद्रा के विशाल भंडारों के बावजूद, खाद्यान्नों के विशाल भंडार के बावजूद और निजीकरण प्रक्रिया के अत्यधिक पारदर्शी होने के बावजूद आर्थिक विकास दर कम हो गयी है और वित्तीय घाटा बढ़ गया है। इन सभी चीजों के बावजूद आपका वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। आर्थिक सुधारों के सरल भाग को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। फिर भी, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि औद्योगिक विकास की दर इस समय 2.3 प्रतिशत पर स्थिर है और यह गत दशक में सबसे कम रहा है। इस स्थिति में बजट में उन्होंने जो प्रस्ताव किये हैं, उन्हें वह कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसी गंभीर स्थिति में, कोई यह कहने का प्रयास कर सकता है कि वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न यह है कि इसके लिए दूसरा कौन उत्तरदायी हो सकता है। वह न केवल इस बजट को बनाने वाले हैं, वरन् उन्होंने पिछले चार बजट भी बनाए हैं। इतना ही नहीं, भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार जिसकी कमान श्री वाजपेयी जी ने संभाली है, गत चार वर्षों से सत्ता में है। ऐसे दल के लिए कुछ ठोस कार्य करने के लिए चार वर्षों का समय पर्याप्त है। गत चार वर्षों के दौरान सभी बजट उन्होंने ही प्रस्तुत किए हैं इसीलिए वे ही उत्तरदायी हैं। सत्ता पक्ष तत्काल मुझसे पूछ सकता है, ''क्या कोई विशेषताएं अथवा कोई सकारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं?'' इस संबंध में मुझे संत थिरूवलुरल के प्रसिद्ध दोहे का स्मरण होता है:

''गुणम नडी, कुत्रमम नडी।
अवतरूल भिगाई नडी, मिक्का कोलल।''

इसका अर्थ है- ''किसी विषय पर निर्णय लेने से पहले मनुष्य को लाभ-हानि, गुण-दोष और महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए, और तत्पश्चात् तदनुसार ही निर्णय लिया जाना चाहिए।''

निश्चित रूप से मुझे इस बात की जानकारी है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। मुझे विश्वास है, रा.ज.ग. सहयोगियों वाला सत्ता पक्ष यह जानकर प्रसन्न होगा कि हम कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उन्होंने मुद्दे पर सही कदम उठाया है और वह है—कृषि। हमारे देश की समस्त जनसंख्या का सत्तर प्रतिशत भाग कृषक है। उन्होंने इस विषय पर भली-भांति विचार किया है और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कुछ ठोस काम किया है। बहुत-से लोगों ने उनकी प्रशंसा यह कह कर की है कि यह एक प्रकार की 'तीसरी क्रांति' होगी। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया है: इस प्रकार उन्होंने एक सही कदम उठाया है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं नोट कर पाया हूं वह यह है कि विनिवेश की प्रक्रिया में, उन्हें 12,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। यह आय का एक नया स्रोत होगा, जो पहले उपलब्ध नहीं था।

एक अन्य बात जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूं वह राज्यों को दी गयी सुधारों से जुड़ी सहायता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है। राज्यों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए कि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, वे उन्हें सुधारों से जुड़ी सहायता प्रदान करने वाले हैं। यह एक बहुत अच्छा कदम है।

उन्होंने कुछ अन्य सकारात्मक कदम भी उठाये हैं। यद्यपि, मैं यह नहीं जानता कि इन सकारात्मक उपायों से हमारे आर्थिक विकास की दर में वास्तव में वृद्धि होगी अथवा नहीं। मुझे विश्वास है कि आर्थिक असंतुलन ठीक कर दिया जायेगा और इस आर्थिक असंतुलन को ठीक करते समय कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं।

महोदय, मैं आरम्भ से ही यह देख रहा हूं कि सभापति महोदय लगभग सभी सदस्यों के प्रति बहुत उदार रहे हैं, चाहे वे किसी भी दल के सदस्य हों, और उन्हें अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय भी दिया। किन्तु मुझे बोलने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। सभापति महोदय आज मेरे प्रति बहुत उदार नहीं हैं। मुझे और भी कई बातें कहनी हैं।

महोदय, हम माननीय वित्त मंत्री जी का आदर्श बजट पहले देख चुके हैं। कई अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं ने कहा है कि इस बजट में नया कुछ नहीं है। क्यों? इसके बहुतेरे कारण हो सकते हैं। मैं उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समयाभाव के कारण मैं सभापति महोदय की बेचैन मन:स्थिति को

समझ सकता हूं। मैं केवल एक अथवा दो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा।

महोदय, इस बजट ने मध्यम वर्ग पर कर का भार बढ़ाया है। मैं विशेष रूप से रसोई गैस सिलेण्डर और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख करूंगा। न केवल मैंने, सारन् सारी सभा ने, यहां तक कि रा.ज.ग. सरकार के सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी कहा है कि रसोई गैस सिलेण्डरों और मिट्टी के तेल के मूल्यों में की गई वृद्धि को पूरी तह से कम कर दिया जाना चाहिए और उसे पूर्णत: वापस ले लेना चाहिए। इस सभा के सदस्य बढ़े हुए मूल्यों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग करते हैं।

महोदय, इस संबंध में मैं एक अन्य पहलू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। तमिलनाडु में लगभग 30 हथकरघा बुनकर हैं और वे लच्छा-धागा पर निर्भर हैं। लच्छा-धागा न केवल हथकरघा बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है, एक कच्चा माल है, अपितु तैयार वस्तुओं के निर्माण के लिए यह वस्त्र मिलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आदान और कच्चा माल है। दुर्भाग्यवश, इतिहास में पहली बार, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पर आठ से नौ प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया है। इस वस्तु पर पहली बार उत्पाद शुल्क लगाने के पीछे क्या दृष्टिकोण है, इसे मैं नहीं समझ सका हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस संबंध में विशेष उत्तर चाहूंगा।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल आपरेटरों पर ट्रेवल एजेन्टों पर, आयातित काफी पर और इसी प्रकार के अन्य कई क्षेत्रों में कर लगाने का प्रस्ताव किया है। इसीलिए, इन सभी क्षेत्रों से अत्यधिक कर वसूल किया जायेगा। अतिरिक्त कर लगाने और लाभांश कर को पुन: लागू किये जाने से मांग स्थिर हो जायेगी और इससे मांग कभी भी नहीं बढ़ेगी यदि आप मांग उत्पन्न नहीं करेंगे, तो निवेश भी नहीं होगा। इस प्रकार, करदाता, गृहिणियां, मध्यम वर्ग, पेंशनभोगी, जीवन बीमा करने वाले, केबल आपरेटर, समाज के लगभग सभी वर्ग नाखुश और नाराज हैं। आपको सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक प्रसन्नता प्रदान करने की आवश्यकता है। लेकिन लोगों की वह सर्वाधिक संख्या कहां है जो इस बजट से प्रसन्न होगी? अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या बजट के लिए मेरे पास कोई सुझाव है अथवा नहीं?...*(व्यवधान)* महोदय, मैं पांच मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करूंगा।

महोदय, जहां तक उपायों का संबंध है, मैं स्वयं को केवल महत्वपूर्ण बिन्दुओं तक सीमित रखूंगा। पहली बात तो यह है कि आप वित्तीय घाटे को कैसे नियन्त्रित करेंगे? वित्तीय घाटा वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वित्तीय घाटे में छोटा सा भी सुधार अवसंरचनागत विकास के लिए काफी धन का सृजन कर सकता है? यह कैसे किया जाये? जब आप अपने संसाधनों का विकास करना चाहते हैं तो आपको अपना व्यय सीमित करना होगा। जब आप व्यय को नियंत्रित करने को लेकर इनते चिंतित हैं तो आपको ''व्यय सुधार'' के संबंध में विशेष प्रयास करने के संबंध में सोचना चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि, सर्वाधिक दु:खद मुद्दा यह है कि आप ब्याज के रूप में अपने संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग का भुगतान कर रहे हैं। मुझे यह बताया गया है कि आप जो एक रुपया कमाते हैं उसमें से 25 पैसे ब्याज-भुगतान के रूप में दे रहे हैं। आप इसे कैसे नियन्त्रित करेंगे? इसके बाद, उपभोक्ता मांग और निवेश को लेकर प्रश्न है। आप श्रम बाजार, कृषि क्षेत्र, राज्य परिसम्पत्तियों के निजीकरण जैसे आर्थिक सुधारों के कतिपय नए क्षेत्रों के संबंध में सोच सकते हैं।

महोदय, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है? यह वाद-विवाद योग्य विषय है। उद्योग समाप्त हो गये हैं और मजदूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सरकार उद्योगों का संरक्षण कैसे करेगी? इन लाखों कर्मचारियों की आजीविका के संरक्षण के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे? उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने के संबंध में सोचा जा सकता है।

केन्द्र द्वारा संग्रहीत कुल राजस्व की राशि का 29.5 प्रतिशत राज्यों के बीच बांटा जा रहा है। संग्रह की गयी इस राशि में से लगभग 3,300 करोड़ रुपया तमिलनाडु को इसके हिस्से के रूप में दिये जाने चाहिए थे। यह केन्द्र सरकार की वचनबद्धता थी। इसी आधार पर, तमिलनाडु ने अपने बजट में प्रावधान किए थे। किन्तु केन्द्रीय करों की कम वसूली के कारण तमिलनाडु के हिस्से में 572 करोड़ रुपये की कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप, तमिलनाडु को वह धनराशि नहीं मिल पा रही है जिसका कि उसे वचन दिया गया था इसीलिए, तमिलनाडु ने केन्द्र सरकार से इस राशि का भुगतान खुले बाजार से ऋण के रूप में करने को कहा है। लेकिन केन्द्र ने तमिलनाडु सरकार को ऋण के रूप में सम्पूर्ण धनराशि उगाहने तक की अनुमति प्रदान नहीं की है। दूसरी ओर, केन्द्र ने केवल लगभग 200 करोड़ रुपये दिये हैं जो लगभग 50 प्रतिशत है। उस दिन श्री मणिशंकर अय्यर ने सभा में कहा था कि सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। कावेरी क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित किसानों के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

[श्री के. मलयसामी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सरकार प्रति संसद सदस्य केवल 2 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है जबकि राज्यों ने अपेन विधायकों की राशि में लाखों रुपये की वृद्धि की है। तमिलनाडु में एक विधान सभा क्षेत्र के एक विधायक को 82 लाख रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में छः निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसीलिए, किसी संसद सदस्य को प्रदान की जाने वाली धनराशि कम-से-कम 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए। हम छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल रहे हैं। मात्र 2 करोड़ रुपये की राशि से हम कैसे इतने विस्तृत क्षेत्र के प्रति न्याय कर सकते हैं? अब स्थिति यह है कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक संसद सदस्य से बेहतर कार्य कर सकता है।

श्री वैको (शिवकाशी): मंत्री सहित, इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस सुझाव का समर्थन करता है...*(व्यवधान)* महोदय, ऐसे कुछ सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कभी नहीं जाते इस धनराशि को पर्याप्त महसूस कर सकते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले सदस्य इस धनराशि से अपना कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

सभापति महोदय: मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी से सदस्यों की भावनाओं पर विचार करने की अपील करता हूं।

श्री के. मलयसामी: अंत में, महोदय उस दिन सेतुसमुद्रम परियोजना के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर भी अब हमें यह बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय से किसी आपत्ति की संभावना है। महोदय, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप यदि कोई मुश्किल हो तो उसे दूर करें और यह सुनिश्चित करें कि यह परियोजना शीघ्र कार्यान्वित हो।

अपराह्न 5.00 बजे

[**श्री श्रीनिवास पाटील** *पीठासीन* हुए]

***श्री पी.डी. एलानगोवन** (धर्मपुरी): माननीय सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना करने के उत्साह सहित और देश के लिए उज्ज्वल भविष्य में प्रवेश के दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत किया है। अपने दल पट्टाली मक्कल काची तथा हमारे संस्थापक नेता डा. रामदास की ओर से मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं। इस क्रांतिकारी बजट में कृषि क्षेत्र और किसान जो हमारे देश का मेरूदण्ड हैं, उनकी स्थिति में सुधार के लिए कतिपय उपाय सुझाए गए हैं। हमारी कृषि-अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन को बढ़ावा देकर तथा कृषि आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और हमारे निर्यात को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा है। इन सुधारों से हमारे कृषकों को सीधा लाभ प्राप्त होगा और तीसरी हरित क्रांति आएगी।

कृषि क्षेत्र से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास और कृषकों को ऋण वितरण हेतु धनराशि को 64 हजार करोड़ रु. से बढ़ाकर 75 हजार करोड़ रु. किया जाना भी प्रशंसनीय है। कृषि ऋण के दायरे में अधिक किसान आएंगे विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं अपनी सहायता करने वाले वर्ग भी इसके अंतर्गत आएंगे। कृषि बीमा निगम की रचना और नई सिंचाई योजनाओं तथा कृषि अनुसंधान के लिए बढ़ा हुआ आबंटन प्रशंसनीय है। ग्रामीण सड़क निर्माण पर बल तथा आधुनिक ऊर्जा वितरण करने से कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। मैं इनकी स्वागत योग्य विशेषताओं के रूप में सराहना करूंगा।

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के माध्यम से रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने के लिए स्वर्णजयन्ती स्वरोजगार योजना और जय प्रकाश रोजगार योजना शुरू की गई है। आपने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 50 लाख टन खाद्यान्न भी अलग रखा है। ये सब इस बजट की उत्साहवर्धक और सराहनीय विशेषताएं हैं।

देश का आवश्यक बुनियादी ढांचा यथा जल-भूतल परिवहन, राजमार्ग, विद्युत क्षेत्र, पत्तन, नागर विमानन और संचार को अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

विद्युत क्षेत्र के प्रशंसनीय सुधार और केन्द्र का सुधार पद्धति को अपनाने के प्रति बल देना तथा राज्य सरकारों को प्रभावित करने के लिए केन्द्र के प्रयास अति उत्सावर्धक हैं। विकास कार्य के लिए धनराशि का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किये गये स्थानीय प्रशासन के सशक्तीकरण को दुरूस्त किया जाना है। समृद्ध भविष्य में ले जाने के ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। एक विशेष कोष सहित सात सूत्री शहरी विकास योजना और पर्यटन विकास को लक्ष्य करके एक प्रस्तावित प्रोत्साहन इस बजट की स्वागतयोग्य विशेषताएं हैं। आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगभग 37,919 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है और इसके लिए मैं पुन: बजट का स्वागत करता हूं।

इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में कम वृद्धि दर वाले धीमे औद्योगिक क्षेत्र को पुन: पटरी पर लाने के लिए कई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। लघु उद्योगों और लघु उद्यमियों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधा को बढ़ाना जर्जर लघु उद्योग को पुनर्जीवित करने की

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

दिशा में उठाया गया सही कदम है। लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और ऋण सुविधा के आसानी से उपलब्ध होने की घोषणा इस बजट में की गयी है। ऋण राशि की सीमा 2 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी है। सरकार का लघु उद्यमियों को 5 लाख रु. तक का ऋण बिना किसी प्रतिभूति के देना एक बहु-प्रशंसनीय उपाय है।

वस्त्र निर्माताओं और परिधान उद्योग पर लगाए गए उत्पादन शुल्क में कमी की गयी है। विदेशी कंपनियों पर लगाए गए निगमित कर को 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इस्पात उद्योग को दिए गए प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार बढ़ी हुई वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में सकारात्मक रूप से झलक रहे हैं। ये इस वर्ष के बजट की प्रशंसनीय विशेषताएं हैं।

सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने तथा सुधार हेतु तथा ऋण सुविधा में सुधार हेतु 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। उन्नत आवास और इसके लिए धन जुटाने हेतु व्यवहार्य उपाय एवं उज्ज्वल भविष्य का वादा करते हैं।

इस बजट के माध्यम से शुरू किए गए 'सर्वशिक्षा अभियान द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए आबंटन को 4000 करोड़ से बढ़ाकर 4900 करोड़ रु. करना है। समृद्ध भविष्य के लिए एक बेहतर आधार तैयार करने वाला कदम है। जब हम इस योजना को क्रियान्वित किए जाने की मांग करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के और समाज में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल किया जाए। बच्चे विशेषत: लड़कियां माध्यमिक विद्यालय दर्जे तक अवश्य शिक्षा ग्रहण करें और ध्यान देकर हम बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर को कम करें। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी अवश्य अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार ने प्रभावी साक्षरता कार्यक्रम को चलाने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े 146 जिलों की पहचान की है। मैं इस सूची में तमिलनाडु का कोई जिला नहीं देख रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु के धर्मपुरी और उटकमंडलम् जिलों में साक्षरता दर कम है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इन जिलों को भी लक्षित-क्षेत्र साक्षरता-कार्यक्रम में शामिल किया जाए। शिक्षा को और बढ़ी हुई धनराशि मिलनी चाहिए और सरकार को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।

सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में 'जन रक्षा' नाम से एक पेंशन युक्त बीमा योजना घोषित की गयी है। इस बजट की मुख्य विशेषता के रूप में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण हेतु कई योजनाएं शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मनोरंजन उद्योग पर नवीन बल दिए जाने का प्रयास सरकार का प्रशंसनीय प्रयास है।

रबड़, चाय, काफी और बागान क्षेत्र के कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि से हमारे बागान मालिकों के हितों की रक्षा होगी। तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम परियोजना, होगनेक्कल पेयजल योजना, होगनेक्कल जल विद्युत संयंत्र परियोजना काफी समय से लंबित हैं। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि अति आवश्यक वित्तीय संसाधन और धनराशि आबंटन सुनिश्चित करे। तमिलनाडु उन कुछ राज्यों में से एक है जो केन्द्रीय राजकोष के लिए अधिक राजस्व संकलन करता है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शिक्षा, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और राजमार्ग के लिए बढ़ा हुआ आबंटन उपलब्ध कराएं।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेश से इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमानित लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। कर्मियों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिला है। अत: हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे सावधानी से चलें और वे विनिवेश और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण का पर्याप्त ध्यान रखें। सरकारी क्षेत्र की लाभकारी इकाइयों को निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाना चाहिए। केवल इन्हीं अर्थक्षम सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के बदौलत ही हम विश्व के औद्योगिक मानचित्र पर 12वां स्थान पा सके हैं। तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र का निजीकरण किया जा चुका है। अब लाभ अर्जित करने वाले नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का निजीकरण होने वाला है। मैं अपनी पार्टी पट्टाली मक्कल काची-पीएमके की ओर से चाहता हूं कि केन्द्र इस पर पुनर्विचार करे और इस निर्णय को निरस्त करे।

कृषि क्षेत्र को मिलने वाली राजसहायता हटाने, बैंक क्षेत्र के सुधार संबंधी कुछ उपाय और वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के दौर में कुछ नीतियों में परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र को बड़ा धक्का लगा है। अपर्याप्त प्राप्तियों के कारण क्रय शक्ति में कमी हुई है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। यह औद्योगिक वृद्धि की धीमी गति और आर्थिक वृद्धि दर में कमी से दिख रहा है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत का स्थान 137 देशों के बीच 100वां है। यह उत्सावर्द्धक नहीं है अपितु बेचैन करने वाला है। 2002 का यह वर्ष 'अच्छी शिक्षा का वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है और इससे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में एक नए अध्याय की शुरूआत होनी चाहिए। गत दस वर्षों में गरीबी और बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों

[श्री पी.डी. एलानगोवन]

की संख्या में वृद्धि चिन्ता का विषय है। जब हमारे गोदामों में खाद्यान्न यथा गेहूं और चावल के भारी भण्डार हैं तब हमें भूख और इससे संबंधित मृत्यु की खबरें मिलती हैं। मैं अपनी पार्टी पीएमके की ओर से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि भुखमरी को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

सरकारी व्यय को कम करने के लिए केन्द्र ने 12,200 सरकारी नौकरियों को कम करने का निर्णय लिया है और इससे केवल बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। शिक्षित बेरोजगार युवा इससे आशा और विश्वास खो देंगे और उनका मोह भंग हो जाएगा। उनमें उद्यमिता के लिए उत्साह नहीं रहेगा। इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग जैसे दलित वर्ग के सामाजिक न्याय और अधिकारिता को निजी क्षेत्र सुनिश्चित करेगा। जब निजीकरण पूरी गति से चल रहा है तो सरकार निजी क्षेत्र द्वारा नौकरियों में आरक्षण देने को अनिवार्य बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

समाज में संकीर्णता एक विषाणु फैलाती है। सामाजिक और आर्थिक असमानता से एक कैंसर की भांति सामाजिक विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है तथा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई के कारण हताशा उत्पन्न हो रही है। भारत अमीर देश के रूप में उभर रहा है किन्तु देश में गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी आर्थिक वृद्धि दर घट कर 5.4 प्रतिशत हो गयी है। इस गिरावट और अवरोध के कारकों की पहचान होनी चाहिए। जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा। औद्योगिक वृद्धि अवरुद्ध रहेगी। जब नकदी का आना अवश्य बढ़ना चाहिए तब चालू रुझान के नकारात्मक परिणाम होने का खतरा है।

मिट्टी के तेल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, यूरिया जैसे उर्वरकों पर राजसहायता की वापसी से गरीब और मध्यम वर्ग पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कृषक समुदाय को काफी कठिनाई होगी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस समय इस कदम को वापस लिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उदारीकरण हमारे लघु उद्योगों को खत्म कर सकता है, सरकार उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराए।

इस आशा के साथ कि सरकार हमारे देश की प्रगति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक उपायों को जारी रखेगी। मैं अपनी पार्टी पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) की ओर से इस बजट का स्वागत करता हूं और केन्द्रीय बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। महोदय, दो तत्वों से समाज शासित होता है। उनमें से एक है कानून और दूसरा है वित्त। ये प्रमुख तत्व हैं। तंत्र का निर्माण करके कानून को कार्यान्वित किया जाता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। कानून इस देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर मानता है। परन्तु जहां तक आय का प्रश्न है हम बहुत अधिक असमानता पाते हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि बजट विद्यमान आय में असमानता को कम करने, विभिन्न वर्गों के बीच आय का अंतर कम करने; यदि देश में क्षेत्रीय असंतुलन हो तो उसे कम करने का एक माध्यम है और यह माना जाता है कि चाहे वित्त हो अथवा प्राकृतिक संसाधन हों राज्य संसाधनों का आवंटन करते हुए एक न्यासी के रूप में कार्य करेगा। मैंने बजट का विश्लेषण करना बहुत देर से सीखा। जब से मैंने बजट का विश्लेषण करना सीखा है और जब भी इस सभा में और मेरे अपने राज्य में बजट प्रस्तुत किया जाता है तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि इस बजट में निर्माण श्रमिक के लिए क्या है? उन्हें इससे क्या मतलब है? कृषि श्रमिकों, जिनकी संख्या इस देश में दस करोड़ से कम नहीं है को इस बजट से क्या लेना देना। इस देश में लाखों लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उन्हें बजट से क्या लेना-देना है। आदिवासी, दलित, लघु और सीमांत किसान, वन श्रमिक और अन्य श्रमिक हैं। उन्हें बजट से क्या लेना-देना है? वे सब गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।

महोदय, जब श्री मणिशंकर अय्यर बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि किस आधार पर बजट में आवंटन किया जाता है। मैं उस आधार को उन लाखों लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था जो इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। वित्त मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। दो वर्ष पूर्व इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 260 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अतएव केवल दो वर्ष की अवधि में 60 मिलियन लोग गरीबी रेखा से उपर उठे हैं। पिछली रात मैंने लाकड़ावाला समिति की पूरी रिपोर्ट पढ़ी। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि लकड़ावाला समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण करते हुए 2400 कैलोरी को आधार माना था जबकि कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के लिए आई.सी.एम.आर. के मानदंडों में इसे 2700 कैलोरी और 3400 कैलोरी के बीच रखा गया है। मुझे बताया गया था कि हम अपने सैनिकों को लगभग 4500 कैलोरी युक्त भोजन देते हैं। अब भोजन लेने और इस भोजन को खरीदने के लिए आवश्यक धन का आधार पुन: रोजगार तथा न्यूनतम मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब यह देखना पड़ेगा कि क्या ये सभी मानदंडों, जो विशेषज्ञ समूह द्वारा लिये गए हैं में वास्तव में सभी

जमीनी वास्तविकताओं को शामिल किया गया है अथवा नहीं? हमारे पास देश में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नामक केवल एक ही संगठन है जो इस देश में नियमित सर्वेक्षण कराता है। सामान्यत: उन आंकड़ों को इस देश के शिक्षाविदों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण दर सर्वेक्षण में दिखाया जाता है कि गरीबी में कमी हुई है। यह कभी नहीं कहा जाता कि गरीबी में स्थायित्व हुआ है।

गुजरात जैसे राज्य में सूखा पड़ा था, भूकम्प आया था और चक्रवात भी आया था। इन प्राकृतिक आपदाओं में बहुत से लोगों ने अपने घर और परिवार खोये हैं। परन्तु यह माना जाता है कि एक बार कोई व्यक्ति अथवा कोई परिवार गरीबी रेखा को पार कर लेता है तो वह कभी भी पुन: गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। इसलिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आंकड़ें तैयार करने में कुछ गलती है। मैं इस बात पर आंशिक रूप से जोर दे रहा हूं क्योंकि सामाजिक क्षेत्रों तथा सभी तैयार की गई योजनाओं में समस्त आवंटन का उद्देश्य रोजगार सृजन के द्वारा गरीबी हटाने का होता है। यही आधार है और इसलिए इस आधार को ही सही करने की जरूरत है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या इस सभा को इस बात पर एक बार सम्पूर्ण रूप से चर्चा करनी चाहिए तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की गणना करने का क्रियाविधि तथा मानदंड निर्धारित करना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए क्या किया जाता है। हमें उत्तर दिया गया कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें जो कार्य दिया जाता है इसकी गणना श्रम दिवस में की जाती है। मैं श्रम दिवस को पूर्ण संकल्पना की बात कर रहा हूं। मुझे विशेषकर गुजरात में अपने निर्वाचन क्षेत्र में पता चला कि भूमि समतल करने वाली मशीन तथा ट्रैक्टर से किया गया कार्य को भी इसमें शामिल किया जाता है। वे ऐसी योजना पर खर्च की गई कुल राशि को लेते हैं और इसे न्यूनतम मजदूरी से विभाजित करते हैं और जो भी संख्या आती है उसे श्रम दिवस तथा किया गया कार्य माना जाता है। इसलिए, श्रम दिवस कार्य से वस्तुत: यह तात्पर्य नहीं है कि पैसा वास्तव में गरीब की जेब में चला गया। बहुत से अन्य घटक हैं जिन्हें श्रम दिवस की गणना में शामिल किया गया है और परिणामस्वरूप यह सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। इस सीमा तक गलत तस्वीर पेश की जाती है।

अगला मुद्दा है कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की समस्या से कैसे निपटें। जैसा मैंने बताया है कि ये सामाजिक क्षेत्र में खर्च बढ़ाते हैं। परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण में यहां कहा गया है कि 1997 से 1998 तक सामाजिक क्षेत्र में योजनाओं को चलाने में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई। यह 1.36 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत के बीच रही है। अत: सामाजिक क्षेत्र में खर्च स्थिर रहा है। अत: सामाजिक क्षेत्र में और ग्रामीण विकास हेतु सभी प्रमुख योजनाओं पर हम सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.1 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार की नीति अपनाकर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं लाया जा सकता है। मुझे संदेह है कि क्या इस बजट में आवंटित की गई धनराशि से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में कोई अंतर आएगा।

पिछली बार जब वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की थी मैंने एक बात कही थी कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो विशेषकर ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में बजट अनुमान अधिक होता है। परन्तु जब आप काफी योजनाओं में संशोधित अनुमान देखते हैं तो राशि को कम कर दिया जाता है। यदि आप संशोधित अनुमान में उन सभी प्रमुख बातों को देखें तो आपको सही तस्वीर पता चलेगी। उदाहरणार्थ सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास को लीजिए। महोदय, बजट अनुमान में 74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जो संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 8.21 करोड़ रह गए। अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी योजनाओं के संबंध में बजट अनुमान में 43 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और संशोधित अनुमान के स्तर पर यह घटकर 1.9 करोड़ रुपए रह गया। काफी योजनाएं हैं। जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। मुझे नहीं पता कि ये बजट अनुमान में दर्शाई गई राशि को अनुमानों को संशोधित करने के समय क्यों घटाते हैं। वे कारण नहीं बताते कि एक बार बजट में आवंटन करने के बाद उसमें कमी क्यों करते हैं।

यहां तक कि अन्नपूर्णा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के संबंध में इन्होंने आवंटन में कमी की है। अन्य उदाहरण भी हैं जहां 170 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए तथा 140 करोड़ रुपए इत्यादि की कटौती हुई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छानबीन नहीं होती। इसके परिणामस्वरूप यह आवंटन को कम करने के लिए बहुत आसान उपाय बन गया है। यदि आप यह करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से यह कर सकते हैं।

अब विशेषकर जहां तक समाज के कतिपय वर्गों का संबंध है मुझे एक और बात कहनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* मैंने एक सारणी की गणना की है। उस सारणी से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि अपने कुछ बजट में से हम लगभग 28.61 प्रतिशत ब्याज पर, लगभग 15.84 प्रतिशत रक्षा व्यय पर, 9.7 प्रतिशत राजसहायता पर 4.81 प्रतिशत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदानों पर तथा 11.75 प्रतिशत अन्य गैर-योजना व्यय पर खर्च करते हैं जो इसका लगभग 70 प्रतिशत बनता है। वास्तव में गरीबों से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए बहुत कम राशि बचती है। इसका एक कारण है। होता यह है कि चूंकि गैर-योजना खर्च बढ़ता रहता है

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

हमारे पास पैसा उधार लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज बढ़ रहा है। ऋण इस सीमा तक पहुंच गया है जहां हम कुल अदायगी का लगभग 61 प्रतिशत ऋण सेवा दायित्वों अर्थात् ऋण अदायगी तथा ब्याज अदायगी पर खर्च करते हैं। महोदय, मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो मुझे गत रात्रि मिली है, का हवाला दे रहा हूं।

मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वर्ष-दर-वर्ष अनुच्छेद 292 में कहा गया है कि संसद को उधार की सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। और वर्ष दर वर्ष लोक लेखा समिति ने अपनी टिप्पणी में उधार की सीमा तय नहीं करने का उल्लेख किया है। परिणामस्वरूप हम पैसा उधार लेते चले जाते हैं अंततोगत्वा जिसका परिणाम होता है अधिक से अधिक ब्याज का भुगतान और इसका परिणाम होता है विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित किए जाने वाले धन में कमी होना।

महोदय, कृपया मुझे एक-दो मिनट और बोलने की अनुमति दें। मैंने अधिक समय नहीं लिया है।

सभापति महोदय: आपके दल को आवंटित समय में से केवल 25 मिनट बचे हैं और तीन वक्ता और हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें 8 मिनट के करीब समय मिलेगा। मैं आपके दल का समय कम नहीं करना चाहता।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मुझे बहुत थोड़े से सुझाव देने हैं। मुझे लगता है कि यद्यपि यह विकासोन्मुखी बजट है परन्तु वास्तव में इससे कम ही नौकरियां सृजित हुई हैं। आपने विकास किया है परन्तु आपने बहुत कम नौकरियां सृजित की हैं। मेरे राज्य से संबंधित 1,50,000 में से गत दस वर्षों में केवल एक लाख नौकरियां सृजित की गई हैं। हमने विकास किया है परन्तु हमारे पास इस देश के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर अथवा रोजगार की संभावना नहीं है। वस्तुत: सी एम आई की रिपोर्ट के अनुसार 41.3 मिलियन लोग रोजगार मांगने वाले हैं। मेरे पास वित्त मंत्री के लिए कुछ सुझाव हैं। उनमें से एक है आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम में सुझाव दिया है कि यदि 1000 से कम कर्मचारियों वाला कोई संस्थान बंद करना चाहता है तो यह कतिपय धनराशि का भुगतान करने के पश्चात बंद किया जा सकता है। मैं आपसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत भुगतान को लागू करने के लिए भी कहता हूं। यह काफी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करना इतना धीमा है और विभाग को आवंटित धनराशि इतनी कम है कि इसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिकों को कभी भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती और वे स्थायी तौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जहां तक वन कानूनों का संबंध है आपको वन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने चाहिएं।

अंत में बड़े बांधों इत्यादि के संबंध में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना पूरा प्रयास करें और देखें कि गुजरात में आवश्यक अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ नर्मदा योजना को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। महोदय, समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण बीच में समाप्त कर रहा हूं।

श्री हसन खान (लद्दाख): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं केवल एक ही विषय पर बोलूंगा और कोई सामान्य बात नहीं बोलूंगा।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरदेशीय विमान यात्रा कर में छूट दी गई है। इसके अलावा, इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आने और जाने के लिए अंतरदेशीय विमान यात्रा कर में छूट देने का प्रस्ताव किया है। इस प्रसंग में मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण देश में लद्दाख एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो छ: माह से अधिक समय तक शेष विश्व से कटा रहता है। इन छ: महीनों में विमान यात्रा के अलावा कोई अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं होता है। परन्तु, पूर्वोत्तर राज्य सड़क अथवा समुद्री मार्ग से पूरी तरह कटे हुए नहीं रहते। फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों को छूट प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में तीस स्टेशनों को 1989 के वित्त अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत अंतरदेशीय विमान यात्रा कर से छूट प्रदान की गई है। जबकि ये सभी तीस स्टेशन समुद्री अथवा भू-मार्ग से जुड़े हुए हैं। परन्तु लद्दाख का छ: से सात माह तक विश्व के किसी भाग से कोई सम्पर्क नहीं होता। इस समय के दौरान इस क्षेत्र के लिए यात्रा का एकमात्र माध्यम विमान यात्रा है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह भिखारी हो या धनवान हो, विमान से ही यात्रा करनी पड़ती है।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि कृपया यह छूट लद्दाख क्षेत्र को भी प्रदान की जाए क्योंकि पूर्वोत्तर के सादृश्य कई अन्य रियायतें तथा सुविधाएं यथा—कर में छूट और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए ढुलाई प्रभारों में छूट लद्दाख को भी प्रदान की गई हैं। संभवत: यह माननीय वित्त मंत्री और नागर विमानन मंत्री के ध्यान में नहीं लाया गया। पूर्वोत्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में विमानन को बढ़ावा देने के लिए विमानन नीति में लद्दाख को सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर विचार किया जाए। मैं कोई और विषय नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे सहयोगी उसकी व्याख्या करेंगे। यह उस क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि सर्दियों के महीनों में विमान यात्रा ही परिवहन अथवा संचार का एकमात्र साधन है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन कुछ सुझाव दूंगा। बजट में बहुत कुछ ऐसी बढ़ोत्तरी है जिससे मैं सहमत हूं लेकिन कुछ चीजों के दाम जो घटे हुए हैं, उनसे मैं असहमत हूं। यह सही है कि पिछला वर्ष प्राकृतिक विपदाओं के साथ संघर्ष का भी वर्ष रहा है, चाहे वह गुजरात का भूकम्प हो, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विपदा हो, सीमा पार तनाव हो, आतंकवाद की बढ़ोत्तरी हो, कश्मीर विधान सभा पर हमला हो, लोक सभा पर हमला हो। इन सभी परिस्थितियों से जूझने में कहीं न कहीं अर्थ पर बोझ पड़ता है और इस बोझ को उठाते हुए सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे ढंग से इस लड़ाई में सफलता पाने का काम किया है।

देश में दो मद होती हैं, योजना मद और गैर-योजना मद। गैर-योजना मद में जो खर्च की राशियां हर साल आती हैं और जिस तरह से सी.ए.जी. की रिपोर्ट आती रहती हैं, हम यह कहते हैं कि इस सरकार को गैर-योजना मद में थोड़ी कटौती करनी चाहिए, क्योंकि गैर-योजना मद में कटौती करने से हमें लगता है कि जो आर्थिक मामला है, उसमें थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में आंकड़ों के माध्यम से वैसे आंकड़ों का जाल कहा जाये, आंकड़ों का जाल भी बिछाया है और आंकड़ों के माध्यम से ही विपक्ष से उत्तर भी मिले हैं। हम कहीं आंकड़ों में नहीं जाना चाहते। हम आपको कुछ सही स्थिति, हकीकत आपके सामने रखना चाहते हैं, वित्त मंत्री जी ने भाषण के शुरूआत में कृषि और कृषक से ही शुरू किया है। यह बात सही भी है कि यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषक हमारे देश की नींव भी हैं और सरकार की नीतियां भी कृषकों के लाभ के लिए बनती हैं और हम यह मानते हैं कि सरकार की नीयत भी अच्छी है, ये चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, कृषकों को लाभ मिले, लेकिन वित्त मंत्री जी के बजट में ही यह बात आई है कि ये मामले राज्य से जुड़े हुए हैं। हम वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप कृषि के विकास के लिए कृषकों के हित में जो राशि उपलब्ध कराते हैं, आप उसकी समीक्षा करने का काम तो जरूर करते होंगे। आप जब गांवों के लिए, किसानों के लिए जो राशि राज्यों को देते हैं, उस राशि का कितना उपयोग और कितना दुरूपयोग हुआ, कितना सही ढंग से धरती पर उतरता है या नहीं, आप अगर इसकी समीक्षा करते होंगे तो आपको यह जरूर महसूस होगा तो लगता है कि यह देश दो भागों में बंटा हुआ है, एक शहरी भाग और एक ग्रामीण भाग। जहां आप शहरों पर पैसा देते हैं, जहां शहरों को सुन्दर बनाने के लिए, जगमगाहट के लिए आप पानी का फव्वारा उड़ाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं किसान के खेत की फसल पानी के अभाव में सूखने का भी काम होता है। आखिर इतनी विषमता क्यों है? आप शहरों को सुन्दर बनाइये, पानी का फव्वारा उड़ाइये, इसमें हमारे जैसे लोगों को कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इतनी व्यवस्था तो जरूर कीजिए कि गांव के किसानों का खेत पानी के अभाव में सूखने नहीं पाये। आप एक तरफ बिजली की चकाचौंध के लिए धन खर्च करते हैं। आप गांवों में भी बिजली के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन जरा गांव के करीब जाकर देखिये, गांव के नजदीक देखिये कि एक टिमटिमाती हुई डिबिया भी देहात में गरीबों के घर में नसीब नहीं होती है। अगर आप जो पैसा देते हैं, उसका गांवों के विकास पर सही उपयोग होता है तो हम यह जानना चाहते हैं कि यह पैसा जाता कहां है।

रोजगार, बेरोजगार की बात आती है। हम लोग जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो हर दल का मेनीफेस्टो निकालते हैं। उसमें बेरोजगारी दूर करने के हम लोग वायदा करते हैं, लेकिन पता नहीं कितनी बेरोजगारी दूर हो पाती है, नहीं हो पाती है, यह तो समीक्षा करने का विषय है। जहां तक कृषि का सवाल है, इस देश में उत्पादन बढ़ा है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। इस देश में अच्छे-अच्छे कृषि वैज्ञानिक हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्र खुलते हैं, लेकिन कृषि विज्ञान केन्द्र और उन वैज्ञानिकों का लाभ गांव में तब पहुंचता है, जब कहीं न कहीं कोई दूसरा फार्मूला सामने आ जाता है, इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्र को गांवों की तरफ आप ले जाइये। जिले के स्तर पर केन्द्र खोलिये ताकि किसानों को इसका सही समय पर लाभ मिल सके।

वित्त मंत्री जी, हम एक बात और बताना चाहते हैं। किसान का उत्पादन बढ़ाने में बहुत से वैज्ञानिकों का कार्यक्रम है, उसका लाभ भी मिला है, लेकिन इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो स्टोर के लिए आपने पिछले साल स्कीम निकाली कि स्टोर बनेंगे, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा। बहुत से राज्यों में स्टोर बने हैं, आपके आंकड़ों में यह बात है, लेकिन आप यह पता करते हैं कि देश के जिन राज्यों में स्टोर नहीं बने हैं, जैसे बिहार है, आपने जो नीति बनाई है, वह बिहार में लागू क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है? क्या आपके देश में बिहार नहीं है? यदि बिहार में यह लागू नहीं हुआ तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जब आप नीति लागू करते हैं, वह देश के हर प्रान्त में लागू होनी चाहिए।

अगर नीति ठीक से लागू नहीं होती है तो आप उसकी समीक्षा करके कुछ रास्ता निकालेंगे या नहीं या सिर्फ इस लोक सभा में शब्दजाल से ही काम चलता हो कि उससे ही गांव का विकास हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं कहना है। अगर जाल से

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

काम नहीं चलता है, तो आप भंडारण की व्यवस्था करें। आप एक तरफ किसानों को कहते हैं कि हमने उनको क्रेडिट कार्ड दिए हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसकी समीक्षा की है कि कितने राज्यों में कितने किसानों को ये मिले हैं। अब आप झारखंड के निवासी हो चुके हैं, लेकिन मूलत: तो आप बिहार के ही हैं। बिहार में कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है, यह भी देखें। आप कहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण देते हैं। देश में जहां सहकारी बैंक हैं, वहां घपले और घोटाले होते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो। बिहार में सारे सहकारी बैंक बंद हो चुके हैं। अभी आपके विभाग से इस बारे में अपील भी की गई है। हमने पूछा कि क्यों बंद हुए, पहले तो चलते थे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त नहीं था। 20-25 वर्षों से बिहार में बिना लाइसेंस के ही सहकारी बैंक चल रहे थे। उनमें जितने लोगों का पैसा जमा था, वह सील हो गया है। अब किसानों को कहां से लाभ मिलेगा। बिहार में सहकारिता बैंकों में जहां लाइसेंस के अभाव में तालाबंदी हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी खुलवाने का काम करें।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपने कई योजनाएं चलाई हैं। उद्योग विभाग के माध्यम से नौजवान ऋण के लिए आवेदन करते हैं। नामों की स्वीकृति होती है, बैंक ऋण देता है। लेकिन बैंक में ऋण देने का प्रावधान क्या है, इसे हम सब जानते हैं, मैं यहां उसको कहना नहीं चाहता। आप इस बात की समीक्षा करें कि कितने प्रतिशत लोगों को ऋण मिलता है। अगर बेरोजगारी को दूर करने की बात आप करते हैं तो इन सब बातों पर ध्यान दें।

विद्युत की बात की जाती है कि देश में विद्युतीकरण हो गया है। बिहार में बिजली की बहुत बुरी स्थिति है। विद्युतीकरण के ऊपर वहां एक मीटिंग हुई थी, उसमें रघुनाथ झा जी भी थे। वहां पता चला कि गांव के गांव कागजों पर विद्युतीकृत हो चुके हैं। इस पर काफी चर्चा हुई थी। आप इस काम के लिए पैसा देते हैं, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं करते कि पैसा कहां खर्च होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वह पैसा केवल कागजों पर ही खर्च होता है। किसी गांव में खम्भा है तो तार नहीं है। अगर तार टांग दी गई है तो बत्ती गांव में नहीं दिखाई देती। जबकि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। उत्तर बिहार में पावर ग्रिड ने एक योजना चलाई थी। उसमें राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग लेना था। उस सम्बन्ध में विद्युत मंत्री जी से मीटिंग हुई थी। उसमें रघुवंश प्रसाद जी भी थे। वे बताएंगे कि उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले पर बात की है या नहीं, क्योंकि उन्होंने बात करने का वादा किया था। इस कारण बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हो गया है। आप चाहे कितना भी पैसा यहां से भेजें, वह खर्च होता है या नहीं, अगर उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी तो कोई फायदा बिहार की जनता को होने वाला नहीं है।

जहां तक ग्रामीण विकास की बात है, आपने ग्राम समृद्धि योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना और अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रोजगार गारंटी योजना जैसी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। आप इन योजनाओं के अंतर्गत पैसा देते हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी मात्रा में पैसा देते हैं, उसका उपयोग और दुरूपयोग की अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता कि उस पैसे का कोई अर्थ रह जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार, बाकी सब सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जो राशि आप देते हैं, उसका 50 प्रतिशत से ज्यादा भाग खर्च नहीं हो पाता। यह राशि खर्च करने में किस तरह की पेरशानी है, किस तरह के बिचौलिए हैं, किस तरह का प्रतिशत है, आप पैसा तो दे देते हैं, लेकिन वह धरती पर नहीं उतरता। आप इस पर नियंत्रण करें, समीक्षा करें, ताकि जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है, वह सही ढंग से उसी काम पर खर्च हो सके।

आपने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना भी चलाई गई है। हम मानते हैं कि आपकी नीयत है कि गांव का विकास हो, वहां सड़कों का निर्माण हो। यह योजना बहुत अच्छी है। इस योजना के तहत अभी तक देश में तीन किस्तें चली गई हैं, जिससे गांवों में सड़कों का निर्माण हो सके। बिहार में भी एक किस्त गई है। जो यह किस्त गई है, उसकी निविदा नहीं निकाली है।

निविदा यदि कुछ जगहों की निकल चुकी है, तो निविदा फाइनल नहीं हुई है, इसलिए वहां काम भी शुरू नहीं हुआ है और आप कहते हैं कि सन् 2005 तक पूरा कर लेंगे। किस आधार पर पूरा कर लेंगे? इस पर हमने कई बार चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने आग्रह किया था कि जिन राज्यों की राज्य सरकारें इस रुपये का उपयोग नहीं करती हैं तो आप दूसरी एजेंसी से काम कराइए। एक तरफ तो इसी देश का दूसरा प्रांत जहां सड़क निर्माण कराने के लिए कहीं न कहीं तत्पर है और वहां काम शुरू भी हो रहा है, वहीं एक प्रांत बिहार है, जहां पैसा जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि कम से कम ग्रामीण सड़क योजना जो प्रधान मंत्री जी के नाम पर है और इस योजना में आप राशि भी अच्छी दे रहे हैं, उसका काम भी अच्छा हो रहा है, ऐसी स्थिति में बिहार में काम कैसे शुरू होगा, इसकी व्यवस्था कराइए।

पेट्रोलियम उत्पादों के कुछ के दाम बढ़े हैं और कुछ के दाम घटे हैं। जो सदन में चर्चाएं चली हैं, उसमें हमें थोड़ी सी मत-

भिन्नता है। पेट्रोलियम में दो चीजों के दाम बढ़े हैं। मिट्टी के तेल और एलपीजी के दाम बढ़े हैं। हम इस दाम बढ़ने से सहमत हैं और हम इसलिए सहमत हैं कि जो भी पीडीएस के माध्यम से मिट्टी का तेल गांवों में जाता है और जिस वर्ग के उपयोग के लिए जाता है लेकिन कभी भी वह उनको नहीं मिल पाता है। वह या तो पीडीएस के दुकानदार या बिचौलिये और सरकारी कर्मचारी मिलकर काला बाजार में बेचते हैं और कालाबाजार के माध्यम से गरीबों को खरीदना पड़ता है। हम तो यह कहेंगे कि राशन में तेल का दाम कम होने से डीजल में मिलावट ज्यादा होती है। हम यह कहेंगे कि तेल का दाम और बढ़ा दीजिए और डीजल का दाम कम कर दीजिए। इससे जहां मिलावट रुक जाएगी, वहीं मिट्टी के तेल को फ्री कर दीजिए जिससे जहां जिस को मन होगा, वह वहां से ले लेगा। इससे मिलावट रुक जाएगी और गरीबों को इससे नुकसान भी नहीं होगा, उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। कारण यह है कि दाम बढ़ाएंगे तो भी गरीबों को बाजार से कम रेट पर पड़ेगा।

जहां तक एलपीजी के दाम बढ़ाने का सवाल है, आपसे एक आग्रह करेंगे कि एक बार यदि कोई दाम बढ़ा देते हैं तो गाड़ी को आगे और पीछे क्यों करते हैं? एक ही बार सोच-समझकर क्यों नहीं दाम बढ़ाते? आपने 40 रुपया तो बढ़ाकर रखते और इस दाम बढ़ाने में भी हम सहमत हैं क्योंकि एलपीजी का उपयोग गांवों में रहने वाले कितने प्रतिशत लोग करते हैं? अभी राम नाईक जी के जमाने में बहुत सी एजेंसी देश के देहातों में खुली हुई हैं और हमें जानकारी है कि तीन-तीन महीने से, चार-चार महीने से गैस की एजेंसी लोगों ने ले रखी हैं और 50-60 या 80 से ज्यादा कंज्यूमर नहीं मिल रहे हैं।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी को बीस मिनट मिले हैं और पन्द्रह मिनट आपने ले लिये हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम यह बता रहे थे कि देहातों में भी पूरे देश को मिला दिया जाये तो भी तीन से साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा लोग एलपीजी का उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई जैस शहरों में होता है तथा देहाती इलाकों के जिला मुख्यालय पर इसका उपयोग होता है। इन बड़े शहरों में जो रहते हैं, उनको पैसे की समस्या नहीं है। उनके लिए पैसा समस्या है और जो गांवों के लोगों की हित की बात करते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि गांवों के लोगों का खाना आज भी लकड़ी पर बनता है। उनका खाना मवेशी के गोबर का गोमठा और चिमड़ी पर बनता है। इसलिए ऐसी योजना बनाइए कि जो किसानों के खेतों से लकड़ी पैदा होती है, उस लकड़ी पर सब्सिडी की व्यवस्था कीजिए ताकि किसान लकड़ी का उत्पादन ज्यादा बढ़ाएं और उस उत्पादन बढ़ने से प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा और लोगों को बीमारी भी कम होगी, गोमठी और चिमड़ी का उत्पादन बढ़ाएं, उससे रासायनिक खादों का उपयोग भी खेत में कम होगा और गरीब तबके का मनोबल बढ़ेगा। उससे हम यह मानकर चलते हैं कि इससे गरीबों को आर्थिक लाभ मिलेगा। इसलिए इस बिन्दु पर आप गंभीरता से सोचिए।

हम आपसे सांसद मद की राशि के संबंध में निवेदन करना चाहते हैं। यह दुर्गति हो गई है। अच्छा होगा यदि यह दो करोड़ रुपया भी वापस ले लीजिए। वापस नहीं लीजिएगा तो दुर्गति मत करिए। आप गांवों का विकास चाहते हैं, लेकिन आपको ब्यूरोक्रेट्स पर इतना भरोसा है कि सारा धन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से आप खर्च कराते हैं। आपको सांसदों पर भरोसा नहीं है। अगर आप सांसदों की प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इस राशि को बढ़ा दीजिए, ताकि हम गांवों में सही ढंग से उपयोग कर सकें, नहीं तो इस राशि को वापिस ले लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो हम गाली सुनने से मुक्त हो जायेंगे। यदि आप गाली सुनवाना ही चाहते हैं, तो इससे खतरा आप पर भी बढ़ेगा, क्यों हम सांसद हैं और आप वित्त मंत्री हैं। यदि सांसद गोल हो जायेंगे, तो आप भी गोल हो जायेंगे। इसलिए हम आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इस राशि को साफ कर दीजिए, नहीं तो इसको जरूर बढ़ा दीजिए, ताकि गांवों में इस राशि का सही ढंग से उपयोग किया जा सके। ...*(व्यवधान)* विधान सभा के हिसाब से एक करोड़ रुपए कर दीजिए। यदि आप नहीं चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बद-से-बदतर है, तो आप दो करोड़ रुपए भी वापिस ले लीजिए और अपनी वित्तीय स्थिति सुधार लीजिए।

महोदय, एक निवेदन और करना चाहते हैं। उद्योग-धन्धों का विनिवेश कर रहे हैं। मुझे लगता है, इससे देश गुलामी की तरफ जाएगा। एक तरफ आप कल-कारखाने नहीं खोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप बेरोजगारी दूर करने की बात कह रहे हैं। आबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। जब यह स्थिति है, तो आप रोजगार किस प्रकार देंगे? महोदय, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ प्रान्त है। वहां जूट के अभाव में पांच-छः कारखाने बन्द हैं। वहीं दूसरी ओर पांच कारखाने जो पश्चिम बंगाल में हैं, सही ढंग से चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसी तरह से बरौनी में खाद का कारखाना है, वह भी बन्द है। बरौनी के खाद के कारखाने को सही ढंग से चलाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपसे मिले थे। हम भी साथ में थे और इस संबंध में आपसे निवेदन किए थे। इस समय भी हम आपसे नम्रता से निवेदन करना चाहते

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, एक तरफ तो वहां कल-कारखाने नहीं लग रहे हैं और जो लगे हुए हैं, वे बन्द हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वित्त मंत्री जी आप अपने आप को झारखण्ड का मत मानिए, आप बिहार के भी हैं और आप तो देश के वित्त मंत्री हैं। बिहार के हित में जितना हो सके, अधिक से अधिक कार्य करें और बरौनी में स्थित फर्टिलाइजर कारखाने को शुरू करायें।

इन शब्दों के साथ, आपको धन्यवाद देते हुए, हम बजट का समर्थन करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, गांधी जी की प्रार्थना है- "वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे।", लेकिन हम लोगों के यहां गांव में कहावत है- "जा के पैर न फटे बिवाई, ऊ क्या जाने पीड़ पराई।" मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूं। एक राजा थे और उनके यहां ठाकुर हज्जाम था। उनको दान में चावल आदि मिल जाता था, लेकिन एक जगह से उनको गाय मिल गई। रोज वे दूध-भात खाते। एक दिन राजा ने हज्जाम से पूछा-ठाकुर, तुम सब जगह घूमते हो, प्रजा के बीच में जाते हो, प्रजा की क्या हालत है? हज्जाम बोला—सारी प्रजा आराम से है, खुशहाल है। सब जगह लोग आनन्द से खा-पी रहे हैं। यही बात एक होशियार आदमी सुन रहा था, जो राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था और कह रहा था कि प्रजा की बहुत बुरी हालत है। लेकिन राजा के पास तो हज्जाम की रिपोर्ट थी। उस होशियार आदमी ने राजा को सुझाव दिया कि आप उस हज्जाम की गाय यहां मंगा लीजिए और फिर उससे पूछिए। राजा ने हुक्म दे दिया और उसकी गाय मंगा ली गई। अगले दिन फिर हज्जाम जब राजा के यहां गया, तो राजा ने पूछा—हज्जाम, तुम सब जगह घूमते हो, प्रजा का क्या हाल है? ठाकुर हज्जाम बोला—हुजूर, बहुत बुरी हालत है। सब जगह भुखमरी है। प्रजा की हालत बहुत खराब है। ऐसी ही स्थिति कुछ माननीय सदस्यों की है। गरीब की क्या पीड़ा है। यहां ये खुशामद में जय-जयकार बोल रहे हैं। इस बजट की बहुत से लोग फजीहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा भारी, बड़ा अच्छा बजट है। वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री को सब धन्यवाद, बधाइयां दे रहे हैं।

महोदय, अभी प्रभुनाथ सिंह जी बड़े गुस्से में बोल रहे थे कि मिट्टी के तेल के दाम बढ़ा दिए। देश भर में जो रूरल पापुलेशन है, उसमें 30 प्रतिशत नेशनल एवरेज ऐसी है, जिनके घरों में बिजली जलती है। बिहार में 5.6 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिशत घरों में बिजली है लेकिन 70 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। वहां मिट्टी के तेल से लैम्प आदि जला कर रोशनी करते हैं। सरकार ने इसके दाम बढ़ा दिए। इनकी तरफ से तर्क देने वाले लोग हैं—जो ब्लैक या एडलट्रेशन होता है, उनके बल पर जो सरकार बनी है, ये ब्लेकिए और एडलट्रेशन वाले इसे नहीं रोक पाएंगे। इनकी तरफ से यही सुझाव आएगा कि इसके दाम बढ़ा दिए जाएं। गरीबों पर खर्चे का बोझ बढ़ा दिया जाए। एलपीजी पर 40 रुपए बढ़ा कर 20 रुपए घटाए। ये कहते हैं कि इसे बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। मिडल क्लास के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अब तो गांवों में भी लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। वहां गैस की एजेंसी बंटवा रहे हैं और यहां कहते हैं कि बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसान पर भी खर्च बढ़ा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इससे बढ़ कर क्या उसकी पीड़ा का वर्णन किया जाए। उसके बाद यहां क्रेडिट कार्ड बंट रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद।

महोदय, किसान मर रहा है। हर तरह का किसान देश भर में है। उसने जो उत्पादन किया है, उसके दाम उसे नहीं मिल रहे हैं। उसे आधे दाम पर अपना उत्पादन बेचना पड़ रहा है। आलू, प्याज, गन्ना, नारियल, दलहन, तिलहन, चावल, गेहूं, दूध, तरकारी आदि हर तरह के किसान मर रहे हैं। नये मेम्बर कह रहे थे कि लालबहादुर शास्त्री जी का फार्मूला है-"जय जवान, जय किसान।" इनके राज में है—"क्षय जवान, क्षय किसान।" ये किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनके बजट की हालत का सब लोगों ने वर्णन कर दिया। इनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है, रेवेन्यू घटा है। बिहार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उड़ीसा का क्या हाल है—ये रेवेन्यू वसूल नहीं कर पाए, विफल रहे। रेवेन्यू में जो स्टेट का हिस्सा होता है, जो 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, उसमें बिहार को केवल 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ लेकिन ये कहते हैं कि आठ लाख करोड़ रुपए का काला धन है। अब आईडीबीआई और सब बैंकों को मिला कर 82,000 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं। बड़े लोगों पर 62,000 करोड़ रुपए इंकम टैक्स के बकाया हैं, लेकिन इसमें कहीं एक लाईन भी नहीं है कि यह सब पैसा वसूल करके घाटे की पूर्ति की जाए। किसान पर, आम आदमी पर खर्च बढ़ा, गरीब और मध्य वर्ग पर सिक्योरिटी सरचार्ज लग रहा है। पहले भूकम्प, कारगिल सरचार्ज लगा और अब सिक्योरिटी सरचार्ज मध्यम वर्गीय लोगों पर लग रहा है। हर वर्ग त्राहि-त्राहि कर रहा है। वह गरीबी से तबाह हो जाएगा।

महोदय, यह इनका पांचवां बजट है, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम बजट है। इसका महत्व है, लेकिन इस दिशाहीन बजट से देश की समस्याएं और बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप गरीब लोगों का आंकड़ा देखें। "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।" महोदय, गांवों में गरीबों का क्या हाल है—वहां बेरोजगारी और भुखमरी है। इनकी फूड पालिसी चौपट

है। छः करोड़ टन अनाज सड़ रहा है। ''एक तरफ अन्न सड़े और दूसरी तरफ अंतड़ी जले।'' एक तरफ गरीब भूख से तबाह है और एक तरफ अनाज सड़ रहा है। देवेन्द्र यादव जी की कमेटी की रिपोर्ट आई है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 185 करोड़ रुपये का अनाज इस तरह से सड़ा है कि वह पशुओं के खाने के लायक भी नहीं रहा। सरकार के लिए समस्या है कि इसे कहां रखा जाए? फूड पालिसी इनकी चौपट है, एक तरफ प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ अनाज को गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है। हर जगह बर्बादी है महोदय। इस बजट से हम कोई आशा नहीं कर सकते। चारों तरफ हर क्षेत्र में निराशा ही निराशा है, लोगों में घोर निराशा है।

विदेशों से शराब आ रही है और उसके दाम घटाए हैं लेकिन मिट्टी के तेल की कीमत ये लोग बढ़ाए हैं। सहयोगी दलों ने, समाज के सभी वर्गों ने इसे घटाने की मांग की है और हम भी मांग करते हैं कि खाद पर जो सब्सिडी घटाए हैं और मिट्टी के तेल पर कीमत बढ़ाए हैं, रसोई गैस पर जो 40 रुपये बढ़ाए फिर 20 रुपये वापस लिये, ये क्या मजबूरी है आपकी। इनको चाहिए था कि कालाबाजारियों से कालाधन निकालते लेकिन इन लोगों ने आम लोगों पर बोझा बढ़ा दिया है, क्यों नहीं बड़े लोगों पर बोझा बढ़ाते हैं।

गांधी जी ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले देखिये कि उससे गरीब आदमी को फायदा हो रहा है या नहीं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि दाम बढ़ाने से गरीब आदमी को क्या फायदा मिल रहा है, उसकी किस समस्या का समाधान हो रहा है। इनकी बजट नीति किसी काम की नहीं है। रूटीन बजट में ही काम चल रहा है।

योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं। कहीं 5000 रुपया बढ़ाया-घटाया गया है, कहीं नाम बदला गया है। जवाहर रोजगार योजना को जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना, ग्राम समृद्धि योजना कर दिया और भी कई योजनाओं के नाम इन्होंने बदल दिये हैं। विभिन्न योजनाओं के नाम बदलकर अपना काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी बड़ा काम ट्रिक से नहीं चल सकता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आपका दिशा-निर्देश गलत है। कहा गया है कि उसमें आल वैदर रोड बनाया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि उसमें ईंटकरण किया गया है या नहीं। पहले से आरएडीजीपी, एनआरईपी, सुनिश्चित रोजगार योजना, विधायक कोटा, सांसद कोटा और विभिन्न कोटा माध्यमों से जिन गांवों को जोड़ा गया है वह ईंटकरण से जोड़ा गया गया है लेकिन अब ईंटकरण का मामला खत्म हो गया है और हजारों की आबादी वाले हमारे गांव अभी सड़क से जुड़ने की सुविधा से बचे हुए हैं। इन विभिन्न योजनाओं से कुछ गांव जुड़े हैं लेकिन हजारों की संख्या में अभी भी बचे हुए हैं। जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई तो उसमें जो पहले का ईंटकरण जो बना है वह सड़क भी ली जा रही है। पहला ईंटकरण उखाड़ करके दूसरा ईंटा बिछाकर यह काम किया जाए, इस पर संसद में विचार नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना पर बहस होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इसे शुरू भी नहीं किया गया है।

पावर सैक्टर की चर्चा हो रही है लेकिन इसमें भी बड़ी ट्रिक चल रही है। एपीडीपी प्रोग्राम चला। वर्ष 2001-2002 के प्रथम किश्त में एक हजार करोड़ रुपये दूसरे वर्ष में 1500 करोड़ रुपये और इस तरह से 2500 करोड़ रुपये एपीडीपी में। लेकिन उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यह सरकार ट्रिक करती है। उसमें एक पेंच लगा दिया और कहा गया कि 50 प्रतिशत उसमें राज्य सरकार देगी और 50 प्रति लोन और अनुदान होगा। लेकिन इस प्रोग्राम को कोई भी राज्य सरकार नहीं ले सकी। इस वर्ष में 1500 करोड़ रुपये और 2002-2003 के लिए कुछ और बढ़ाया होगा लेकिन कोई खर्चा नहीं हुआ। कहा गया कि 50 प्रतिशत राज्य सरकार लगाए और 50 प्रतिशत लोन और अनुदान तो इससे राज्य सरकार को क्या फायदा होगा।

सभापति महोदयः अभी 6 बज रहे हैं तथा 15 स्पीकर बाकी हैं। सदन की राय हो तो दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः ठीक है महोदय।

सभापति महोदयः ठीक है, दो घंटे का टाइम बढ़ाया जाता है।

सायं 6.00 बजे

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः खुशी की बात है कि सरकार ने कहा है कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत गांवों का विद्युतीकरण करेंगे।

श्रीमती जयश्री बैनर्जीः आप जैसे समय बढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से समय भी बांट दीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना क्या है? बिहार को 36 करोड़ रुपए में से 18 करोड़ रुपए प्रथम किश्त के रूप में मिले। इसमें से 12 करोड़ रुपए लोन के रूप में और

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

6 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिले यानी दो तिहाई ऋण और एक तिहाई अनुदान। कहा गया कि इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कराएंगे। मीनिमम नीड्स प्रोग्राम देखें। बिहार को विद्युतीकरण के लिए 1996-97 में एक करोड़ 37 लाख रुपए मिले। 1998-99 में देश भर के लिए 2200 करोड़ रुपए मिले लेकिन बिहार को शून्य मिला। 1999-2000 में देश भर के लिए 3100 करोड़ रुपए मिले लेकिन बिहार को शून्य मिले। 2000-2001 में देश भर के लिए 4100 करोड़ रुपए मिले लेकिन बिहार को शून्य मिले। मैं चुनौती देता हूं अगर कोई मेरी बात को काटे। इस वर्ष पहली बार बिहार और झारखंड को 37 करोड़ रुपए मिले।

श्री प्रभुनाथ सिंह: पैसा नहीं मिला लेकिन जो मिला क्या उससे फर्जी काम नहीं हुए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 1998-99 में शून्य मिला, 1999-2000 में शून्य मिला, 2000-2001 में शून्य मिला लेकिन इस बार 37 करोड़ रुपए बिहार और झारखंड के हिस्से आए। इसमें से बिहार का कितना हिस्सा होना चाहिए? मैं इसमें श्री रघुनाथ झा या प्रभुनाथ जी को पंच मानने के लिए तैयार हूं। सदन का कोई भी माननीय सदस्य मुझे बताए कि इतनी राशि में बिहार को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? माननीय वित्त मंत्री इसका साफ तौर पर जवाब दें। आपने बिहार को केवल नौ करोड़ रुपए दिए यानी चौथाई हिस्सा और 28 करोड़ रुपए झारखंड को दिए। इस तरह की बेईमानी, अन्याय, दुश्मनी बिहार के साथ क्यों हो रही है? किस फार्मूले के हिसाब से उसे यह पैसा दिया गया, मैं साफ तौर पर इसका जवाब चाहता हूं? हमारी आबादी 8 करोड़ 20 लाख है और झारखंड की आबादी 2 करोड़ 60 लाख है। हमारी जमीन उनसे ज्यादा है, गांव की संख्या भी ज्यादा है। किस बुनियाद और किस क्राइटीरिया से हमें यह राशि दी गई? यह कैसी एनडीए की सरकार है? बिहार के साथ ऐसी दुश्मनी क्यों की जा रही है? विद्युतीकरण के नाम पर पहली बार पैसा मिला लेकिन उसमें भी अन्याय हुआ। सभी माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें। 37 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए बिहार को और 28 करोड़ रुपए झारखंड को मिले हैं। यह किस फार्मूले के हिसाब से मिले हैं? इस तरह की बदनीयती, दुश्मनी और अन्याय सैंटर की तरफ से बिहार के साथ हुई। ऐसे में बिहार जैसा गरीब राज्य कैसे तरक्की करेगा? आज अधिकांश राज्यों की हालत खराब है। स्टेट्स की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। पांचवां वेतन आयोग बिठाया गया। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में बढ़ोत्तरी होने से खर्चा बढ़ गया लेकिन केन्द्र से कोई मदद नहीं मिली।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में 4800 करोड़ रुपए सैंट्रल स्पौंसर्ड स्कीम पर खर्च किए गए। इसमें से बिहार और झारखंड दोनों को 480 करोड़ रुपए कम से कम मिलने चाहिए। उसमें से दसवां हिस्सा 50 करोड़ रुपये मिला। जहां हमें सालाना 100 करोड़ रुपये और मिलना चाहिये था, वहां श्री प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत पैसा बिहार को जा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये पीने के पानी हेतु 7800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसमें दसवां हिस्सा 7800 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड को मिलना चाहिये था, लेकिन मिला 80 करोड़ रुपये और इस तरह से 700 करोड़ रुपया कम दिया गया। सैंट्रल स्पांसर्ड स्कीम में 700 करोड़ रुपया न देकर बिहार का गला काटा गया। बिहार को सालाना 100 करोड़ रुपया से ज्यादा मिलना चाहिये था लेकिन देखा जाये तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में पांच वर्षों के हिसाब से या तो शून्य मिला अथवा नगण्य मिला। अपने हिस्से के मुताबिक नहीं मिला है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, उसे समझा जा सकता है। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो सब सदस्यों ने कहा था कि पैकेज दिलवायेंगे और हम लोग माननीय प्रधान मंत्री जी से भी मिले जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के 60 सदस्य मौजूद थे। प्रधान मंत्री जी को आर्थिक पैकेज देने के लिये ज्ञापन दिया गया और आग्रह किया गया कि केन्द्र का बिहार पर जो कर्जा है और बंटवारे के बाद बिहार का फाइनेंशियल डेफिसिट 3000 करोड़ रुपये का है, हमें 2100 करोड़ रुपये कर्जे के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं जिससे विकास का काम नहीं हो सकता। इसलिये राज्य की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए आर्थिक मदद की जाये। सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स में नगण्य राशि बिहार को जा रही है। विभिन्न राज्यों की आर्थिक हालत खराब है, उनका कर्जा माफ कर दिया जाये।

मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि बिहार की योजना का आकार छोटा कर दिया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 13 हजार करोड़ रुपये था लेकिन 8 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया और 5 हजार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। इसी तरह नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 18 हजार करोड़ रुपया था जिसमें 12 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया और छः हजार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। फिर योजना का नया आकार बना, उसमें भी कम खर्च किया गया। सैंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स में बिहार को मदद मिली। उसके एवज में कहा गया कि बिहार पर केन्द्र का बकाया कर्जा माफ किया जाये, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। इसके लिये पांच शर्त रखी गई जिसमें चार क्राइटीरिया फुलफिल करती हैं। बिहार प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सुखाड़ और जल जमाव से प्रभावित है। रिजर्व बैंक के आदेश पर सेन कमेटी जांच के लिये बिहार गई थी। उसने बताया कि बिहार सरकार के बस में इन समस्याओं का हल नहीं है लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। आज 10 लाख हैक्टेयर जमीन

जल जमाव से प्रभावित रहता है। उसमें एक लाख हैक्टेयर मोकामा में और 9 लाख हैक्टयर उत्तर बिहार में है। हर साल यह क्षेत्र बाढ़ से बरबाद होता है। इस संबंध में बिहार का हर एक सदस्य बोलता है कि भारत-नेपाल से समझौता किया जाये। बाढ़ नियंत्रण का काम, जल जमाव की निकासी का काम करके सुखाड़ से सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये लेकिन वह सब नहीं हो रहा है।

सभापति जी, मैं वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह कहा गया था कि बिहार को आर्थिक पैकेज देंगे। अगर किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला और कहा जाये कि बोनस देंगे, उसी तरह बिहार की हालत है। 10वें वित्त आयोग ने कहा था कि हर साल पंचायत मद में 125 करोड़ रुपया देंगे। 11वें वित्त आयोग ने भी कहा कहा इस हिसाब से पिछले 4 वर्षों में हमें चार-पांच सौ करोड़ मिलना चाहिये था। 11वें वित्त आयोग ने पंचायती राज मद में 625 करोड़ रुपया काट लिया है। हमने यहां सवाल उठाया था। वित्त मंत्री जी ने कहा था, जब श्री नीतिश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और बाद में जब श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने यहां पत्र लिखा था कि 10वें और 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज मद में हमें जो रुपया मिलना है, वह मिल जाये। मेरे पास वह प्रोसीडिंग्स रखी है जिसमें उन्होंने वचन दिया था लेकिन उस वचन का क्या हुआ। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 625 करोड़ रुपये का क्या हुआ। आज बिहार में पंचायती राज के चुनाव में एक लाख 37 हजार लोग चुनाव जीते हैं।

बाहर लोग लड़ रहे हैं कि वहां कुछ काम दो, लेकिन पैसा नहीं है। गरीब राज्य का पैसा विधान मंडल ने पारित किया था। उसने एक लाख 79 करोड़ रुपया पास किया था और कहा था कि हमें पैकेज मिलना चाहिए। पैकेज क्या मिलेगा दशम् वित्त आयोग, जो पंच होता है, 11वां वित्त आयोग जो पंच होता है, उसका कहा हुआ पैसा ये नहीं दे रहे हैं। इससे बढ़कर दुश्मनी और अन्याय क्या हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि ये गवर्नमैन्ट आफ एन.डी.ए. की तरह फंक्शन कर रहे हैं, गवर्नमैन्ट आफ इंडिया की तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं। देश के एक बड़े भूभाग की उपेक्षा कर दी जाए, उसे केन्द्र से हिस्सा न मिले, उससे दुश्मनी की जाए, यदि इतनी रीजनल डिस्पैरिटी, इतना रीजनल इम्बैलेन्स आर्थिक मामलों में होगा तो देश एक कैसे रहेगा। इसीलिए देश में दुश्मन भी हैं। सरकार को गवर्नमैन्ट आफ इंडिया की तरह फंक्शन करना चाहिए। यहां हर कोई शपथ लेता है कि हम राग-द्वेष से काम नहीं करेंगे, हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, भारत में एकता और अखंडता रखेंगे, लेकिन हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक गरीब राज्य से केन्द्र की दुश्मनी है।...*(व्यवधान)* लेकिन वहां की जनता से आपकी क्या दुश्मनी है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: झारखंड में सिंदरी फर्टीलाइजर यूनिट और नामरूप के लिए कमेटी ने कहा था कि ये वायबल हैं, इनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लागू होना चाहिए। लेकिन नामरूप का लागू हुआ, सिंदरी फर्टीलाइजर का लागू नहीं हुआ। बरौनी फर्टीलाइजर बंद है, उसे भी रिहैबिलिटेट करना है।

सभापति महोदय: अब आप खत्म करिये और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी आप शुरू करिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं खत्म कर रहा हूं। अमझोर का यूनिट बंद है। यह पी.पी.सी.एल. की यूनिट है। हम लोग उनके यहां गये थे तो वित्त मंत्री जी से ऐसा उत्तर आया, जैसे कोई दुश्मन बोल रहा हो। बिहार के साथ इनका ऐसा व्यवहार है। राज्य सरकारों पर सारा कसूर मढ़ देते हैं। राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर सारा कसूर मढ़ देंगी। दोनों कर रहे हैं, एक दूसरे पर धकियाई और उसमें हो रही है जनता की पिसाई। ये मेरे सारे सवालात हैं, जिन पर मैं इनसे उत्तर की मांग कर रहा हूं। बिहार के 60 सांसदों ने प्रधान मंत्री जी से मिलकर अपील की थी। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि क्या आप लोगों ने वित्त मंत्री जी से बात की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जिनका नाम पुकारा है वह खड़े हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वित्त मंत्री जी सो रहे हैं, उन पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। सूरदास के पद में आया है कि काले कम्बल पर चढ़े न दूजो रंग।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें। अन्यथा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारा आर्थिक पैकेज वाला सवाल, कर्ज वाला सवाल, विद्युतीकरण वाला सवाल और जो 330 करोड़ रुपये का ट्रांसमीशन का प्रोजेक्ट है।...*(व्यवधान)* यह प्रोजेक्ट केन्द्र के पास गया है, उसे स्पेशल पैकेज में शामिल किया जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। आपकी पार्टी को 25 मिनट आबंटित नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं खत्म कर रहा हूं। इस ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट का पैसा बढ़ा दिया जाए। मुगेर का पुल पूर्व घोषित है। मैं उसके लिए भी मांग करता हूं। सेतुसमुद्रम पर उठकर वित्त मंत्री जी ने बोल दिया था, लेकिन मुंगेर से पुल पर क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए चूंकि तमिलनाडु और केरल आदि के एम.पीज. आपस में लड़ते हैं, लेकिन राज्य के हित पर एक हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों में कमजोरी है।...*(व्यवधान)* बिहार से जो प्रोपोजल आया है, केन्द्र सरकार उस पर मौन बैठी है। आप इस बार बोल दीजिए कि इस बार की दसवीं पंचवर्षीय योजना में पैसा दिया जायेगा।

सभापति महोदय, बिहार के साथ अन्याय और अत्याचार न हो। इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी और जनविरोधी बजट को मेरी सदन से प्रार्थना है कि वह इसे खारिज करे और जनोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, किसानोन्मुखी बजट लागू करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति जी, वर्ष 2002-2003 के सामान्य बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

इस बजट में किसानों की आजादी की बात कही गई है, किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने क्रैडिट कार्ड के द्वारा इसकी कोशिश भी की है। मंत्री जी के पास जानकारी होगी कि पूरे देश में किसानों की आबादी कितनी है। कहते हैं कि 75 प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर करते हैं, लेकिन अभी तक 63 लाख से 1 करोड़ किसानों को क्रैडिट कार्ड मिल पाया है।

बजट में शीत भंडारण के निर्माण के लिए ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है और 70 करोड़ रुपये सब्सिडी आबंटित करने का बजट प्रस्ताव है। मैं कहना चाहता हूं कि मूल रूप में किसान की जो बुनियादी समस्या है, उस पर पूरी गंभीरता से विचार नहीं हुआ है। बजट में किसानों को सूखे तथा बाढ़ से निपटने के लिए जो दीर्घकालीन ठोस योजना होनी चाहिए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह तवज्जह नहीं दी गई है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं।

आज पूरे देश में किसान ही ऐसा समुदाय है जिसने अपने काम में उन्नति की है। बजट में आपने दावा किया है कि हम अन्न भंडारण में 60 मिलियन टन पर पहुंच गए हैं। यह भंडारण किसने पहुंचाया है? देश में सभी क्षेत्रों में डिटीरियोरेशन हो रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है, अवमूल्यन का दौर चल रहा है- चाहे लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, डिबेट का स्तर हो या कोई भी उद्योग हो, सब जगह स्तर गिर रहा है, मगर अकेले किसान है जो खाद्यान्न के मामले में रिकार्ड उत्पादन कर रहा है और देश को अन्न भंडारण के मामले में ऊपर ले जा रहा है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि किसाम का बेटा सरहद पर सीमा की सुरक्षा में लगा है, ग्लोबल टैररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और वहीं गांव में, खेत में घाटे का व्यवसाय भी किसान ही कर रहा है, अथाह अन्न पैदा कर रहा है और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। दोनों काम एक तरह से किसान ही करता है लेकिन किसान ही आज भूखा है। मैं कहना चाहता हूं कि देश तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा। किसान परेशानियों से फटेहालियों से और गरीबी से जूझ रहा है। गांव और किसान कहने से ही आपको गरीब कहने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। किसान कहने के बाद गरीब कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह गरीब होगा, परेशान होगा, फटेहाल होगा। यह वास्तविक स्थिति है इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं।

इस साल खरीफ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ, किसान के धान का दाम 530 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ और ए ग्रेड का धान, पैडी का 560 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए तय होता है? इस देश के करोड़ों किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इस उद्देश्य से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल रहा है मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले साल 123 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न बिहार में उत्पादन हुआ था लेकिन प्रोक्योरमेंट हुआ 6636 मीट्रिक टन। इस साल बिहार में बहुत जोर लगाने पर, बहुत मुस्तैदी के बाद 50000 मीट्रिक टन धान और चावल का मिलाकर प्रोक्योरमेंट हुआ। जबकि पंजाब में पैडी का प्रोक्योरमेंट 7083.215 मीट्रिक टन हुआ और यह 18 मार्च तक का रेकार्ड है। चावल का 7936042 मीट्रिक टन हुआ है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। एक करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट एक स्टेट पंजाब से होता है। पंजाब से प्रोक्योरमेंट हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय, हरियाणा में 34,90,060 मीट्रिक टन पैडी का प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो 13,99,281 मी. टन की फिगर है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाहता हूं कि सब मिलाकर मोटे अनाज का बिहार से प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है जैसे महुआ आदि है। जब मोटे अनाज की खरीद वहां से नहीं हो रही है तो गेहूं और चावल ही ऐसे दो अनाज

बचते हैं जिनकी वहां से खरीद कर किसान की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है, लेकिन उसमें भी भेदभाव की नीति, दोहरे मानदंड की नीति अपनाई जा रही है। आपके द्वारा जो अनाजों की खरीद की जा रही है वह इस बात को उजागर करती है कि किस प्रकार से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार के साथ ही नहीं बल्कि कर्नाटक आदि दूसरे राज्यों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दो-तीन राज्यों को छोड़कर जिनमें आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा के साथ भी इस मामले में न्याय नहीं किया जा रहा है। इसलिए एम.एस.पी. का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है क्योंकि दोहरे मानदंड स्थापित किए गए हैं।

महोदय, मैंने पिछले सदन में भी यह कहा था कि यदि ईमानदारी से जो अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, उस पर बिहार में खरीद की जाए तो बिहार के किसानों को 2000 करोड़ रुपए केवल खरीद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं किया जा रहा है। वहां समय पर खरीद केन्द्र स्थापित नहीं किए जाते हैं। 40 केन्द्र खोले गए उनमें से मुश्किल से 20 काम कर रहे हैं। कहीं तराजू नहीं है, कहीं पर अन्य उपकरण नहीं हैं, कहीं पर असिस्टेंट टैक्नीकल आफीसर नहीं है जो धान या गेहूं की क्वालिटी या ग्रेड चैक कर सके। मुझे मालूम है वहां ग्रेड निर्धारण में हेराफेरी की जाती है। वहां की शिकायत पर एक जांच कमेटी गई थी, उसमें हेरा-फेरी पकड़ी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि किसी एक विशेष प्रकरण में पर्टीकुलर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा बल्कि देश में एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से देश के किसान की समस्या दूर होगी, कैसे अन्न उत्पादक राज्यों को एम.एस.पी. का लाभ मिल सकता है। अभी आप देख लीजिए कि एम.एस.पी. का लाभ कितने प्रतिशत मिलता है। इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है इसको सोचने और समझने की बात है।

सभापति महोदय, अब गेहूं का सीजन आ रहा है। आज 20 मार्च को मैं सदन में बोल रहा हूं, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है और गेहूं का सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस वर्ष का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया है। किसान को पता ही नहीं है कि उसके गेहूं का सरकार ने इस वर्ष क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। आज हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के किसानों के मन में भय है कि उनका गेहूं किस रेट पर क्रय किया जाएगा, यह उन्हें पता ही नहीं है। पिछले साल गेहूं का अधिकतम समर्थन मूल्य 610 रुपए प्रति क्विंटल था। वही अभी तक चल रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को अब तक इस वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देना चाहिए, वह अब तक तय हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय और भी कई समस्याएं हैं। भंडारण की समस्या है, लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं अपने को केवल खरीद की समस्या तक ही सीमित रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय पूल में प्रोक्योरमेंट की सीमा तय की जाए। केन्द्रीय पूल वह है जहां से आप सभी जगह के लिए अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे जहां आवश्यकता हो, देश के हर हिस्से में अनाज उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके। यह खरीद की सीमा राज्य के उत्पादन के आधार पर तय होनी चाहिए। इसके साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में यह कोटा तय कीजिए कि कितना अनाज वहां की डोमैस्टिक जरूरत के अनुसार आवश्यक है और कितना ज्यादा है, अर्थात् सरप्लस अनाज है जिसको खरीदा जा सकता है और उसका कोटा सेंट्रल पूल में होना चाहिए। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि केवल बहस होती है, समस्या का जिक्र किया जाता है, लेकिन समस्या के समाधान के बारे में यहां कोई बात नहीं हो पाती है। इसलिए मैं समस्या के समाधान हेतु सुझाव दे रहा हूं कि प्रत्येक अन्न उत्पादक राज्य का सेंट्रल पूल में एक कोटा तय किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बफर स्टाक प्रत्येक राज्य में है उसका भी प्रतिशत तय हो और यह देश के स्तर पर तय होना चाहिए ताकि प्रत्येक राज्य से उसके अनुसार खरीद हो सके और तीसरा मेरा सुझाव है कि जो राष्ट्रीय नीति है उसके तहत जिस राज्य में जिस-जिस अन्न की ज्यादा खपत है, उसके उपलब्ध रहने पर, वह उसी राज्य से खरीदा जाए। यदि वहां अनाज उपलब्ध है तो उसे वहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाये। पी.डी.एस. में जो अनाज दिया जाता है, यदि वह उसी राज्य में उपलब्ध है तो वहां से ही क्यों नहीं लिया जाता। इससे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट घट जायेगी। जैसे पंजाब से अनाज रेल रेक्स या ट्रक में लोड करके बिहार या पश्चिम बंगाल में लाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा लगती है। जब डेफीसेट स्टेट में जहां अनाज उपलब्ध नहीं है वहां हम नजदीक के स्टेट से जहां अनाज उपलब्ध है वहां से हम अनाज ले सकते हैं। जो डोमेस्टिक कन्जम्पशन है, जो खपत है, उसके लिए हम नजदीक के स्टेट से अनाज ले सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए। मैं प्रोक्योरमैंट और अनाज के संबंध में सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं।

खासकर किसी विशेष राज्य में यदि खरीद के लिए अनाज बच जाये तो यह खरीद निर्यात के लिए हो। यदि अनाज बच जाये तो उस राज्य का हिस्सा भी एक्सपोर्ट के लिए फिक्स कर दीजिए। अच्छी क्वालिटी का अनाज है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और वह कम्पीट कर रहा है तो उस राज्य का भी हिस्सा एक्सपोर्ट होना चाहिए। एक ही राज्य का सारा अनाज एक्सपोर्ट हो रहा है तो फारन मनी सिर्फ एक ही राज्य को मिल रही है। हम चाहते हैं कि सभी राज्यों के किसानों पर एक समान नीति लागू हो।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मेरा चौथा प्वाइंट यह है कि घरेलू खपत के लिए जो अनाज का आवागमन है, उसे नियंत्रित किया जाये। सरकार ने फैसला लिया है कि वह इसे फ्री कर देंगी। आप इसे जरूर फ्री करिये लेकिन जो अनाज जा रहा है, वह आलरेडी ट्रेडर्स के बीच में जायेगा। जो किसी राज्य या क्षेत्र में समर्थन मूल्य को प्रभावित करेगा, तो ऐसे अनाज पर नियंत्रण करना जरूरी है। इससे जहां एम.एस.पी. प्रभावित होगा किसानों का समर्थन मूल्य प्रभावित होगा, वहां अनाज को नियंत्रित करना जरूरी है। आवाजाही फ्री जरूर हो, जैसे डोमेस्टिक तेल निर्यात के लिए जा रहा है, उसके लिए एक मार्क लगाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निर्यात के लिए जो भी अनाज की खरीद हो, क्षेत्रीय आवश्यकता पड़ोसी राज्यों से पूरी की जाये और निर्यात के लिए जितने अनाज की खरीद देश में आवश्यक हो, वह नजदीक वाले राज्यों से की जानी चाहिए। राज्यों में अनाज का विशेष उत्पादन अधिकतम तय करें। खेती की पैदावार अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप की जानी चाहिए तभी कृषि क्षेत्र में जो असंतुलन है, उस पर हम नजर रख सकते हैं, असंतुलन को दूर कर सकते हैं। प्रोक्योरमैंट पर मैंने कुछ सुझाव आपको दिये हैं। समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा दूसरे प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या मामला है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें क्योंकि आपने आवंटित समय का पहले ही उपयोग कर लिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सभापति जी, उधर से एक पार्टी से दो मैम्बर बोल रहे हैं। अगर आपका आदेश होगा तो मैं बैठ जाऊंगा क्योंकि हम नियम का पालन करने वाले आदमी हैं।

सभापति महोदय: आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि डब्ल्यू.टी.ओ. का जो मामला है, दोहा डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें भारत सरकार की ओर से श्री मुरासोली मारन जी गये थे। मारन साहब ने काफी जोर लगाया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हिन्दुस्तान के पक्ष को बहुत मजबूत ढंग से रखने की कोशिश की लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है। वहां जो एप्रोच पेपर तैयार हुआ, उसमें कहा गया है कि इसके लिए डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस को धीरे-धीरे रिड्यूस करना है क्योंकि वे ट्रेड को डिस्टार्ट करना चाहते हैं। मीनिमम सपोर्ट प्राइस की धीरे-धीरे कम करिये। यह विकसित देश विकासशील देश को कह रहा है कि आप धीरे-धीरे इसे घटाइये। हम भी उसके बदले एक्सपोर्ट सब्सिडी को धीरे-धीरे घटायेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका 250 प्रतिशत सब्सिडी अपने किसानों को दे रहा है। यह सब्सिडी वह न केवल एक्सपोर्ट पर बल्कि विभिन्न मदों में दे रहा है। वह खुद पैदावार पर 250 प्रतिशत सब्सिडी रखेगा और हमें कह रहा है कि आप एम.एस.पी. को पूरा घटाइये। जो एम.एस.पी. 610 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का है और साधारण धान का 530 रुपये प्रति क्विंटल है, उत्तम किस्म का धान 560 रुपये प्रति क्विंटल है, उसे घटाकर हम 400 रुपये प्रति क्विंटल पर ले आयेंगे। क्या इससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जायेगा? क्या किसानों को समर्थन मूल्य मिल जायेगा? यह हमारे देश के लिए घातक है, खतरा है। किसानों के पेट पर लात मारने की बात है। खेती ऐसा पेशा है जो अगर घाटे का विषय बन जायेगी तो हमें खेती के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना होगा। जिस दिन हम खेती के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे, उसी दिन हमारे देश की खुशहाली समाप्त हो जाएगी, हम आर्थिक रूप से पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में बंध जाएंगे, और धीरे-धीरे गुलामी आ ही रही है। खेती को बचाने की, कारपोरेट खेती से खेती पर हो रहे हमले तो रोकने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्किट में गेहूं का दाम चार-साढ़े चार सौ रुपये प्रति क्विंटल है और हमारा एम.एस.पी. का दाम 610 रुपये प्रति क्विंटल है। इस तरह हम मार्किट में कहां कम्पीट करेंगे? इसलिये हमको शंका है कि विकसित देश चाहते हैं कि तीसरी दुनिया का देश यानी भारत के किसान डोमैस्टिक सपोर्ट को कम कर दें यानी एम.एस.पी. को धीरे-धीरे बंद कर दें। अमरीका आदि का कृषि उत्पादन आसानी से हमारे देश में बिक सके और हिन्दुस्तान इंटरनेशनल मार्किट बन सके। हिन्दुस्तान विदेशी खाद्यान्न का डम्पिंग ग्राउंड बन जाए, यह उनका नियम है। यह मेरा स्पष्ट संकेत है जो बहुत बड़ा खतरा है।

सायं 6.31 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

आज देश के 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। वे कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट सब्सिडी भी हटाएंगे। मैंने इसलिए कहा कि इसे डम्पिंग ग्राउंड न बनने देने के लिए अभी समय है। आपके पास प्रोवीजन है। वित्त मंत्री जी काफी विद्वान हैं, फूड मिनिस्टर भी अनुभवी हैं, मुख्य मंत्री भी रहे हैं। आप काउंटर वेलिंग टैक्स लगा सकते हैं। हिन्दुस्तान विदेशी अनाज का डिम्पंग ग्राउंड न बने, उसके लिए आपके पास उपाय है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान के किसानों में हाहाकार मच जाएगा और किसानों के लिए नया संकट उपस्थित हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

मैं कह रहा था कि यूनीफार्म इन्फ्रास्ट्रक्टर हो। आज गांवों की क्या स्थिति है। मैं पिछले दिनों मंगरोनी नाम के एक गांव में गया था। वहां एक बच्चा जो चौथी क्लास में पढ़ता था, ब्लड कैंसर से मर गया। वह बहुत तंदुरूस्त था। मैंने पूछा कि 7-8 साल का बच्चा कैसे मर गया। मैं जब पहले गया था तो लोगों ने मुझे स्कूल में उसे दिखाया था। हमने पूछा कि उसे क्या हो गया था तो लोगों ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया था। हमने पूछा कि उसे ब्लड कैंसर कैसे हो गया था। उन्होंने बताया कि वह अपनी जेब में दस-दस गुटके के पाकेट रखता था और सुबह-शाम खाता था। उसका असर हो गया। डाक्टरों ने जब टैस्ट किया तो पता लगा कि गुटखा खाने से उसको ब्लड कैंसर हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी साजिश है। मैं शहर का विरोधी नहीं हूं लेकिन हमारे गांव अमृत पैदा करते हैं, दूध, मक्खन, चावल. गेहूं, फल, सब्जी पैदा करते हैं। किसानों के पास पैसा नहीं होता इसलिए वे अपने बच्चों को शहर भेजते हैं। गांव अमृत भेजते हैं और शहर जहर पैदा करते हैं। गांव में गुटखा, शिखर, राजा खैनी जैसी जहर भेजते हैं, पोलीथीन वाला लिकर भेजते हैं। यह रिश्ता थोड़ा ठीक होना चाहिए. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों पर, जो जहर की तरह असर करती हैं, इतना टैक्स लगा दिया जाए ताकि गांवों के बच्चों का नुकसान न हो, उनका स्वास्थ्य बचा रहे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं गांवों और शहरों का विरोधी नहीं हूं लेकिन कोई संतुलन होना चाहिए। गांव में अनाज पैदा होता है। गांव धागा पैदा करते हैं और शहरों में कपड़ा बनता है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसान कैश क्राप पैदा करते हैं, धान वाले, चावल वाले किसान आत्महत्या नहीं कर रहे, हड़ताल जरूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक वालों से पूछिए। ये कौन से किसान हैं? ये वही किसान हैं जो नकदी फसल पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, कपास पैदा करते हैं, रबड़ पैदा करते हैं, ऐसे किसान आज यहां आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यह सवाल देश के सामने है कि आज हमारा किसान आत्महत्या पर उतारू हो रहा है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह हमारे सामने चुनौती है, इस चुनौती का सामना हमको करना चाहिए, ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिले ताकि वह आत्महत्या न करे।

सभापति महोदय: कृपया अब आप समाप्त करें, आपने सुझाव दे दिये हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं समाप्त ही करता हूं, आपका आदेश हो गया। मैं अन्त में एक मांग जरूर करता हूं। एक मैंने कहा कि शिखर गुटखा, राज दरबार और लिकर पर टैक्स लगाइये लेकिन आपने लिकर को सस्ता कर दिया, विदेशी शराब सस्ती हो गई और मिट्टी का तेल महंगा हो गया। लिकर (विदेशी शराब) लैपटाप कम्प्यूटर और मोबाइल फोन सस्ता हो जायेगा और यूरिया खाद महंगा हो जायेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, जिसका आपने दावा किया है कि 60 मिलियन टन उत्पादन देता है, उस किसान का फर्टिलाइजर का दाम सीधे-सीधे पूरे तौर पर वापस लीजिए, पूरा रोल बैक कीजिए। फर्टिलाइजर की कीमत पर जो बढ़ोत्तरी हुई है और मिट्टी के तेल पर जो बढ़ोत्तरी की है, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, सदन के भीतर ही वित्त मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी भी समय है, आपके पास फाइनेंस बिल तक का मौका है। यदि इसको आप नहीं करेंगे तो इस प्रतिवाद को हम वापस नहीं लेंगे। हम सभी एलाइज अपनी भाषा बोल चुके हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे टी.डी.पी. हो चाहे डी.एम.के. हो, सब लोगों ने अपनी राय दी है, इसलिए हम फिर निवेदन करते हैं...*(व्यवधान)* सब लोग अपनी राय दे चुके हैं। इस फर्टिलाइजर पर कोई समझौता नहीं होगा, चूंकि मिट्टी का तेल गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वे उसका इस्तेमाल करते हैं। इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे 36 प्रतिशत लोग हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी की फीगर में थोड़ा घट गया है, 26 प्रतिशत रह गया है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें। श्री वाडियार। मैंने उनको बुला लिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने बहुत अधिक समय ले लिया है। कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 36 परसेण्ट थे, अब उन्हें 26 परसेंट दर्शाया गया है। पता नहीं, प्लानिंग कमीशन ने 1996-97 में एक नेशनल सैम्पल सर्वे किया था, लकड़वाला ग्रुप के फार्मूले के आधार पर एक्सपर्ट ग्रुप ने कराया था, सैम्पल सर्वे यहां पता नहीं, उसकी फीगर कोई डिपार्टमेंट नहीं देता, वह तो प्लानिंग कमीशन देगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त करें। अन्यथा, मुझे कहना पड़ेगा कि आपके भाषण को कार्यवाही-वृत्तात में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह योजना आयोग का काम है। गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, रोजगार का अवसर नहीं खुला, क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी और संख्या घट गई है तो यह मेरी समझ के बाहर है कि बी.पी.एल. का एस्टीमेट कैसे 36 से 26 परसेंट हो गया और पूरी हम पीठ ठोक रहे हैं कि बड़ी भारी उपलब्धि हो गई। जब गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ, पावर्टी एलीवेशन नहीं हुआ, जब गरीबों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ी, खरीददारी की ताकत, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी और रोजगार का अवसर नहीं बढ़ा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कर दीजिए, अन्यथा मुझे कहना पड़ेगा कि आपकी स्पीच रिकार्ड नहीं होगी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: पता नहीं, प्लानिंग कमीशन में यह कैसे हुआ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुंगेर पुल के विषय में तो रघुवंश जी बोले हैं, रघुनाथ जी बोले हैं और मुंगेर पुल का हम भी समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय: श्री वाडियार जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको केवल 10 मिनट का समय दिया गया है, 10 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिये।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सभापति महोदय: किस नियम के अंतर्गत?

श्री वरकला राधाकृष्णन: नियम 74 के अंतर्गत। मुझे आज 20 मार्च के लिए अनुपूरक कार्य सूची की एक प्रति मिली है।

नियम 74 में उपबंध है:

''परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हों और यदि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।''

अध्यक्षपीठ को सूचना नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि अध्यक्षपीठ को इसकी जानकारी नहीं है...*(व्यवधान)* यह आज के लिए निर्धारित है...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। मुझे समाप्त करने दीजिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपकी बात सुन रहा हूं। परन्तु आप इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसे आप उठा रहे हैं। अभी हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: नहीं। ये अब संशोधित कार्य-सूची प्रस्तुत नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं। मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: नहीं। यदि मैं गणपूर्ति की बात करता हूं तो क्या आप सहमत होंगे?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं। आप जो विषय उठा रहे हैं वह चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम आम सहमति के अनुसार चल रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: ये अब जाकर संशोधित कार्य सूची प्रस्तुत कर रहे हैं...*(व्यवधान)* इसे अब परिचालित किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम अभी सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं वह हमारे समक्ष नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि मैं गणपूर्ति का प्रश्न उठाता हूं तो क्या आप सहमत होंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब श्री वाडियार की स्पीच रिकार्ड की जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: आप अपने व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह मेरा अधिकार है। मेरे पास दो दिन के नोटिस का अधिकार है...*(व्यवधान)* अन्यथा, यदि मैं गणपूर्ति की बात उठाता हूं तो क्या आप सहमत होंगे?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ की ओर से मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप एक अत्यन्त विद्वान सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अब अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह सभा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत कार्य कर रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न सभा के समक्ष कार्य से सम्बद्ध होना चाहिए। विधेयक पर चर्चा अभी तक पूरी नहीं हुई है। अत: व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति अस्वीकार्य है। अब यह हमारे समक्ष नहीं है। हम सामान्य बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री वाडियार बोलेंगे।

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि बजट का विरोध करना होगा क्योंकि यह विकासोन्मुखी नहीं हैं और यह किसान विरोधी है तथा गरीब विरोधी है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अच्छी तस्वीर पेश की है। इन्होंने बताया है कि उनकी दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की योजना है और सुधारों को और आगे बढ़ाना होगा तथा राज्यों के स्तर पर ले जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि उनकी सार्वजनिक वित्तपोषण से जुड़े सुधारों की रणनीति पर कार्य करने की योजना है। इन्होंने खुलासा किया है कि उनकी कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था पर जोर देकर बुनियादी क्षेत्र में सरकारी तथा गैर-सरकारी निवेश में वृद्धि करना। वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, सुधारों को आगे बढ़ाना और तेजी प्रदान करना और औद्योगिक विकास को विनियमित करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। सुधारों को समेकित करना और केन्द्र तथा राज्य दोनों में वित्तीय समायोजन करना जारी रखना चाहिए।

मंत्री जी ने की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट में कृषि उत्पादों पर नियंत्रण को विनियंत्रित करने पर प्रकाश डाला है; चीनी से नियंत्रण हटाने, औषधियों के मूल्य नियंत्रण की अवधि में भारी कटौती करने कम्पनियों के पुनरुद्धार तथा उन्हें बंद करने से संबंधित कानूनों में संशोधन करने निजीकरण में प्रगति व्यय सुधारों को लागू करने और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को निजी कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने पर बल दिया है।

[श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार]

वित्त मंत्री ने दावा किया है कि सरकार ने किसान की आजादी की योजना बनाई है और यही इसका लक्ष्य है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि वह कृषि विविधता तथा खाद्य प्रसंस्करण में तीसरी क्रांति को बढ़ावा देना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में सहकारिताओं को कम्पनियों में बदलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। क्या मंत्री जी एक नई जमींदारी प्रथा को पुन: शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं।

वित्त मंत्री जी की ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार लाने की योजना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में केवल सड़कें ही नहीं आती अपितु इसमें जलापूर्ति, नालियां, बिजली, गांवों से गांवों को जोड़ना तथा गांवों के भीतर सड़कें और इसी तरह की चीजें शामिल हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांवों का नियोजित विकास होना चाहिए। गांवों में विद्यालयों की क्या स्थिति हैं? गांवों के अनेक विद्यालयों में पहली श्रेणी के लिए मुश्किल से एक कक्ष उपलब्ध है। अनेक विद्यालयों में पहली श्रेणी के लिए एक कक्ष भी उपलब्ध नहीं है। विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों के लिये आवास की सुविधा की भी कमी है जिसके कारण अच्छे शिक्षकों का मिलना भी मुश्किल काम है। मेरा प्रस्ताव है कि जलापूर्ति और सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ने को सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जाए।

कृषि उत्पादों के आवागमन और उनके भंडारण पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे सट्टेबाजों, जमाखोरों और कालाबाजारियों से किसानों और उनके उत्पादकों की किस प्रकार रक्षा करने जा रहे हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और कृषि निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आवश्यक है। मंत्री जी ने कृषि अनुसंधान के लिए कतिपय धनराशि का आवंटन करने का प्रस्ताव किया है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी भी आवश्यक है। उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना और इसकी लागत को घटाना आवश्यक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तब तक निरर्थक है जब तक कि ग्रामीण लोगों को कृषि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध न हों।

सड़कों का रख-रखाव करने की आवश्यकता है। मंत्री जी ने पूर्व में 5000 करोड़ प्रदान किये जाने के अलावा मौजूदा सड़कों के रख-रखाव के लिए चालू वर्ष में 2500 करोड़ प्रदान किये हैं। समय की मांग है कि हम मौजूदा सड़कों को पक्का बनाने, सड़कों के रख-रखाव और नई सड़कें बनाने का काम करें। गांवों के अन्दर की सड़कों हेतु शायद ही कोई प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जी ने ऐसे 80,000 गांवों के विद्युतीकरण हेतु 164 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु हमें कितना समय लगेगा। भारत को अपने अवसंरचनात्मक ढांचे के संबंध में अन्य विकासशील देशों के समकक्ष आना होगा।

दूरसंचार के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल हुई है जबकि पत्तनों और सड़कों के क्षेत्रों में उपलब्धि सामान्य है। विद्युत और रेलवे के क्षेत्र में स्थिति और भी भयावह है।

हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं। मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि राज्यों के परामर्श से केन्द्र सरकार नदियों के गुरूत्वीय बहाव का प्रयोग कर बिजली का उत्पादन कर सकती है। मैं समझता हूं कि जल विद्युत का उत्पादन करना सस्ता है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि वन और पर्यावरण मंत्री को ऐसी लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु निर्देश दिया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि कावेरी नदी के जल से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कई योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। महोदय, विद्युत उत्पादन एक चीज है और दूसरी चीज है इसका वितरण। बिजली चोरी बहुत हो रही है। मैं विद्युत उत्पादन के साथ-साथ वितरण के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहता हूं।

महोदय, शहरी क्षेत्र समाज विरोधी और आतंकवादी तत्वों के आश्रय स्थल बन गए हैं। 500 करोड़ रुपये की आवंटित की गई धनराशि नाकाफी है। बड़े नगरों और शहरों की संख्या हजारों में है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए 500 करोड़ की धनराशि बहुत ही कम है। अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जलमल निकास प्रणाली का अभाव है। वर्षा जल के निकास, मल जल व्ययन और जल उपचार संयंत्रों की आवश्यकता है। हमें कुशल और अच्छी प्रबंधन योजनाओं की भी आवश्यकता है। इसे बारहमासी सड़कों की आवश्यकता है। हमें यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपरिपुलों की भी आवश्यकता है। एक सस्ती और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

मेरे विचार में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आमंत्रित किया जाना चाहिए। महोदय, मैं समझता हूं कि लोगों के हितों की निरतंर रक्षा होनी चाहिए और संभवत: आप इन क्षेत्रों में सहायता के लिए निजी-क्षेत्र के अनेक संगठनों को असंगठित कर सकते हैं।

महोदय, मंत्री जी ने पर्यटन उद्योग को कुछ प्रोत्साहन दिये हैं जिसे मैं बहुत उत्तम समझता हूं लेकिन मैं सोचता हूं कि और बहुत कुछ किया जा सकता था। तथापि, कुछ अन्य सेवाएं हैं जो

होटलों द्वारा प्रदान की जाती हैं। पहले उन पर व्यय कर लगाया गया था लेकिन अब वे इसके अंतर्गत शामिल नहीं किये गये हैं। बहुत सी पार्टियां, सामाजिक समारोह, विवाह इत्यादि होटलों में आयोजित किये जाते है। मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों पर व्यय कर लगाना चाहिए।

महोदय, जहां तक अनिवासी भारतीयों का प्रश्न है पूंजी बाजार का उदारीकरण प्रशंसनीय है लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री जी ने अच्छी पृष्ठभूमि वाले कार्पोरेट घरानों को विदेशों में निवेश करने और संस्थानों और विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुमति क्यों नहीं प्रदान की? मंत्री जी ने कहा है कि वे फसल बीमा योजना शुरू करना चाहते हैं और वे असंगठित क्षेत्र के लिए एक पेंशन योजना उपलब्ध कराने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण को कहेंगे। महोदय, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत अच्छी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। इसलिए हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और उन योजनाओं को यहां लागू करना चाहिए।

स्वास्थ्य बीमा से संबंधित प्रस्ताव बहुत अच्छा है। एक अधिसूचित क्लिीनिक में भर्ती रोगी के लिए 3000 रुपये और बहि: रंग रोगी के लिए 2000 रुपये की धनराशि बहुत कम है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि आज क्षय और मधुमेह संबंधी रोग बहुत आम हैं और एक व्यक्ति जो अपने उपचार के लिए जाता है उसे 2 लाख से 3 लाख रुपये के बीच खर्च करना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बीमा राशि उपचार को आधी धनराशि के समतुल्य होनी चाहिए। अत: उस दिशा में एक नीति स्वागतयोग्य कदम होगा। महोदय, वित्त मंत्री जी ने कतिपय करदाताओं पर आयकर पर 5 प्रतिशत का अधिभार लगाया है। शायद इसका एक छोटा सा प्रतिशत राष्ट्रीय बीमा के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। मैं मंत्री जी से पूरी जनसंख्या को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने पर विचार करने का भी अनुरोध करूंगा।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि मध्यमवर्ग ने अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। मध्यम वर्ग ने प्रवीणता और आविष्कारी दृष्टिकोण के साथ शेयर बाजार में भी अपना योगदान दिया है। निवेशकों को मिलने वाले थोड़े से प्रोत्साहन को भी वापस लेकर वित्त मंत्री जी ने उनके मर्म-स्थल पर चोट करने की योजना बनाई है।

मुद्रा स्फीति की स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री जी को 1.5 लाख रुपये के कर स्लैब को बढ़ाना चाहिए था। मैं सुझाव दूंगा कि उन्हें 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच की आयात के लिए 10 प्रतिशत, 2.5 लाख रुपये से 3.5 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 15 प्रतिशत, 3.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय के लिए 20 प्रतिशत और 5 लाख रुपये से ऊपर की आय के लिए 30 प्रतिशत कर लगाना चाहिए।

कृषि उत्पादों पर 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक लगाया गया शुल्क बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां बेहतर किस्म की वस्तुओं की भरमार हो जाने की संभावना है। इसलिए कृषि उत्पादों पर कम से कम 250 प्रतिशत की शुल्क वृद्धि की जानी चाहिए थी। कांग्रेस के शासन में कृषि क्षेत्र को सहायता और सुरक्षा प्रदान की गई थी। सरकार ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। वर्तमान परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस देश के किसानों और कृषकों के हितों के लिए नुकसानदेह है। मैं मंत्री जी से सावधानी से आगे बढ़ने और इस पहलू पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे जिले का हूं जो काफी उत्पादक जिले के निकट है। काफी उत्पादकों की जीवन-शैली दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण हुआ करती थी। लेकिन आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं बखान नहीं कर सकता। मेरे सहयोगी श्री देव गौड़ा ने भी इसका उल्लेख किया है। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि काफी उत्पादकों को कुछ सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

मैं उस बजट को अस्वीकार करने के लिए सभा का आह्वान करने के साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): माननीय सभापति जी, मैं सन् 2002 और 2003 के बजट का समर्थन करती हूं। बजट देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समृद्धि का एक आईना होता है। यहां पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने भविष्य को देखते हुए एक लोंग टर्म प्रोग्राम बना कर इस बजट को पेश किया है। आज चारों तरह जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी हुई है, युवा वर्ग परेशान होकर घूमते हैं, उसे काम मिले इसलिए बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसमें आगे चल कर बेरोजगारी कम होगी। सब्सिडी कम करना—सब्सिडी कम करना एक बाध्यता है। यहां यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस के लिए हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारी बातें कही गईं। लेकिन वास्तविकता यह है कि दसवें वित्त आयोग का जो कार्यक्रम है, उसमें सब्सिडी कम करने के बारे में भी चर्चा हुई है। आठ प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और वित्तीय घाटा कम करने के लिए 25 प्रतिशत जो ब्याज दे रहे हैं, उसे भी कम करना है। वित्तीय व्यवस्था ठीक करने के लिए दोनों ही चीजें हैं—सब्सिडी

[श्रीमती जयश्री बैनर्जी]

कम करना और वित्त घाटा कम करना बहुत आवश्यक है। आपके सामने नान-प्लान और प्लान है। नान-प्लान में 265 हजार 282 करोड़ रुपए का प्लान है, अब इसे 296809 करोड़ बढ़ाया गया है। अब यह कहा गया है कि इसे कम करेंगे। नान-प्लान, फिजूलखर्ची कम होने से देश के विकास की दिशा में आर्थिक स्थिति बढ़ती है और उसमें काम बनता है। प्लान में 99,154 था, जिसे बढ़ाकर 113,500 किया है। इसे और बढ़ाया जा सकता है, जिसमें डेवलपमेंट हो सकता है और रोजगार का कार्य हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने कृषि प्रधान देश में कृषकों को फायदा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इन्होंने 200 करोड़ रुपया इस बार बढ़ाया है। यहां क्रेडिट कार्ड की बहुत बात हो रही थी, यह बात सही है कि आज किसान क्रेडिट कार्ड लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़े होकर बैंक में यह कह सकता है कि मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, मुझे भी लोन मिलना चाहिए। आज आपने उनकी समृद्धि के लिए काम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिजली की दिशा में भी 800 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में 2000 करोड़ रुपए दिए गए, कम्युनिकशन में एक हजार और सोशल सर्विस में 29,376 करोड़ रुपए दिए गए हैं,

सायं 7.00 बजे

जिससे महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी सहयोग मिलेगा, सैल्फ-हैल्प-ग्रुप को भी सहयोग मिलेगा। सर्व-शिक्षा विद्यालय व बालिकाओं को सहयोग मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको पोषण आहार की कमी रहती है, पोषण आहार मिलने से उनको सहयोग मिलेगा।

जिला प्राइमरी एजुकेशन में भी कार्य बढ़ेगा और इस दिशा में वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने इस बारे में सहयोग किया है। हमारे मध्य प्रदेश में जो राशि दी जाती है उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है इसलिए यह राशि कुछ और बढ़ाई जाए। जयप्रकाश रोजगार योजना भी शुरू की गयी है जिससे बेरोजगारों को काम मिलेगा। रूरल वाटर सप्लाई में 24000 करोड़ रुपये दिया गया है। पीने के पानी और रोड के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जो उन्होंने ध्यान दिया है उसके लिए भी बधाई देती हूं। पीने का पानी ग्रामीण महिलाओं को बहुत दूर से लाना पड़ता है और इसके लिए रूरल वाटर सप्लाई में जो उन्होंने सहयोग दिया है, उसके लिए भी बधाई देना चाहती हूं।

इसी तरह से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा गांवों के विकास के बारे में सरकार ने जो सोचा है उसके लिए बधाई देना चाहती हूं। उस तरफ से बातें तो बहुत की गयी हैं लेकिन इन 50 सालों में वे क्या करते रहे और आज ग्रामीण विकास की दुहाई दे रहे हैं। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हूं तो वे बताते हैं कि पिछले 50 सालों में उन्होंने किसी सांसद को नहीं देखा है। आज भी वहां शौच की, पानी की व्यवस्था नहीं है। इस बारे में ध्यान देने के लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने पानी के बारे में, रोड के बारे में ध्यान दिया जिससे शहर सड़कों के माध्यम से गांव के साथ जुड़ सकें और गांव का विकास हो सके।

माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि फिक्स डिपोजिट में रेट आफ इंट्रेस्ट को बढ़ाया जाए क्योंकि बुढ़ापे के लिए लोग फिक्स डिपोजिट करते हैं। इससे उन्हें लाभ और खुशी होगी। कर्मचारियों में आयकर को भी कम किया जाए। कर्मचारी आज परेशान हैं और वे सोचते हैं कि आय कर हमारे ऊपर भी आ गया है, इसलिए इसके ऊपर भी उन्हें सोचना चाहिए।

एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए और शराब के दाम जितना चाहे बढ़ा दो, ये कम नहीं होने चाहिए। गैस का दाम जो कम किया है उसके लिए भी मैं बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि उसको और भी कम किया जाएगा क्योंकि गैस आज गांव-गांव में पहुंच गयी है।

माननीय वित्त मंत्री जी, आप व्यवस्था सुधारने का जो काम कर रहे हैं मैं उसकी सराहना करती हूं और आशा करती हूं कि जो बैंक घाटे में चल रहे हैं या बंद हो गये हैं उनको भी आप राहत दिलाएंगे।

मध्य प्रदेश के जबलपुर के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि नर्मदा नदी के बहते हुए भी लोग पानी के लिए प्यासे बैठे हैं। पानी का पैसा उनको मिलता नहीं है और अगर मिलता भी है तो उसका ठीक से उपयोग नहीं होता है। इस तरफ भी आप ध्यान देंगे, ऐसी आशा मैं करती हूं। बजट बहुत अच्छा है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी सूझबूझ से बजट रखा है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): आदरणीय सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। इनके पूर्व बजट की तरह ही यह बजट भी हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न किसी भी समस्या को सुलझाने में असफल है। संक्षेप में यह इस सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों को जारी रखने वाला बजट है। यह बजट न तो उच्च वृद्धि अथवा रोजगार

को बढ़ावा देना है और न ही इसमें गरीबी पर हमला करने हेतु कोई ठोस प्रयास किया गया है। वास्तव में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस वर्ष के बजट के साथ-साथ पिछले वर्ष के बजट में दर्शायी गई आर्थिक नीतियों को इस देश के लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। हाल ही में विधान सभा के चुनावों के परिणाम इस बात के प्रमाण है।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी को अमीरों को राजसहायता प्रदान करने और गरीबों पर बोझ लादने में आनंद आता है। इस बजट में गरीबों पर हमले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है क्योंकि लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे मिट्टी के तेल, यूरिया, चीनी, रसोई गैस के मूल्यों और डाक दरों में भी वृद्धि कर दी गई है। रसोई गैस के मूल्यों में 40 रुपये की वृद्धि की घोषणा करना और बाद में इसे 20 रुपये घटा देने का संपूर्ण प्रकरण राजग के सहयोगियों के दबाव को दर्शाता है और इससे प्रभावित तबकों को कोई विशेष राहत नहीं मिली है। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लाभ पर कर की दर को 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करते हुए विशेषकर जनसंख्या के वेतनभोगी तबको से कर उगाही करके और लघु बचत पर ब्याज दर कम करके प्रत्यक्ष कर राजस्व की उगाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

वेतनभोगी तबका हमेशा प्रत्येक बजट में चपट खाने के लिए मौजूद होता है क्योंकि हरेक व्यक्ति जानता है कि संसाधनों को जुटाने के लिए यह सबसे आसान तरीका है। वह एक ऐसा वर्ग है जिन्हें बिना किसी कठिनाई के आसानी से कर के दायरे में लाया जा सकता है। वह एक ऐसा वर्ग है जिन्हें काटा जा सकता है और जिनकी बलि दी जा सकती है क्योंकि वे कोई संगठित प्रतिशोध करने में अक्षम हैं। मैं वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करता यदि वे इन वर्षों में बड़े चूककर्त्ताओं अथवा भारी संपत्ति देने वालों से कर संग्रह करने का साहस दिखाते। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है।

अर्थव्यवस्था में किस सीमा तक कुप्रबंधन व्याप्त है, यह कर संग्रहण में आई भारी कमी से स्पष्ट है। वर्ष 2001-2002 में कुल 30,000 करोड़ रुपये कर के रूप में एकत्रित किये गये जो पिछले वर्ष के बजट में किये गये अनुमान से कम है। इनमें से 10,000 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को स्थानांतरित की जानी थी। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता के बड़े हिस्से से वंचित है, जिससे उनकी वित्तीय अर्थव्यवस्था और खराब अव्यवस्था हुई है। इसके अलावा बजट में राज्यों पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। राज्य सरकारों के विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाये गये सुधारों को अपनाने के लिये कहा गया है। महोदय राज्यों को सुधार के लिये 12,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है और वृद्धि और विकास की कमी वाले क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिये 2500 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार विधिक तौर पर केन्द्रीय राशि का बड़ा हिस्सा उन राज्यों को दिया जा रहा जो केन्द्र सरकार के आर्थिक सुधार एजेण्डा को लागू करने के इच्छुक हैं। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। यह हमारे संघीय ढांचे पर आघात है और अंसवैधानिक है।

उन राज्य सरकारों जिनका केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही नीतियों से गंभीर मतभेद है, उनके साथ मतभेद किया जाता है। मंत्री महोदय, आप राज्य सरकारों को अपनी नीतियां लागू करने हेतु बाध्य कर रहे हैं। रकम का सांविधिक अंतरण, जिसके लिये प्रत्येक राज्य सरकार पात्र है, को केन्द्र सरकार के किसी नीति निर्देश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं सहयोगी दलों का इस मुद्दे पर उनके विचार जानना चाहता हूं। डी.एम.के. काफी समय से राज्य स्वायत्तता के लिये वकालत करती रही है। मैं तेलगुदेशम पार्टी के भी विचार जानना चाहूंगा। अन्ना डी.एम.के. भी इसी तरह का मत रखती है।

यदि आप राजस्व में आई गिरावट की बात करें, तो सीमा शुल्क में आई सारी गिरावट देखी जा सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उदारीकरण के इन वर्षों में सर्वाधिक कमी आयात शुल्कों और सीमा शुल्कों में आई है। हालांकि व्यापार बढ़ने और इससे सीमा शुल्क राजस्व में वृद्धि होने की अपेक्षा थी फिर भी सीमा शुल्क संग्रहण में जारी कमी का व्यापार में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यह आगामी वर्ष में भी ऐसी ही रहेगा। चालू वर्ष में सरकार ने कई कर लगाये हैं। महोदय, कर राजस्व के रूप में 39,107 करोड़ रुपये एकत्रित होने की उम्मीद है। इसमें से उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि धनी और निर्धन वर्ग समेत जनसंख्या के सभी वर्गों पर बोझ पड़ेगा और निर्धन तथा मध्यम वर्ग पर आघात होगा। लेकिन कर के इस बढ़े बोझ से भी सरकार को राजस्व में कमी से उबरने में सहायता नहीं मिलेगी, सरकार को पिछले वर्ष भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था। अनुमानित 39,107 करोड़ रुपये इससे प्राप्त नहीं होगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी को केवल 4 मिनट का समय आवंटित किया गया था आप पहले ही 10 मिनट से अधिक बोल चुके हैं।

श्री सुरेश कुरूप: बाकी अन्य सदस्यों ने अपना समय लिया है मैं कुछ मिनटों में अपनी बात समाप्त करूंगा...*(व्यवधान)*

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अनुमानित 39,107 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र नहीं होगा। राजस्व उपार्जन में केन्द्र सरकार की विफलता और खुले बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर बिना सोचे समझे कर्ज लेने से स्थिति और खराब होगी।

[श्री सुरेश कुरूप]

हमारे गोदाम खाद्यान्नो से भरे हैं। खाद्यान्न भंडार 60 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। यह स्थिति सबको पता है। सरकार को काम के बदले अनाज कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिये अपने पास उपलब्ध खाद्यान्न का प्रयोग करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में सहायता मिलेगी और आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को रोजगार मिलता काफी मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखने के भारतीय खाद्यान्न निगम का दबाव कम होता है और स्थिर अर्थव्यवस्था की आवश्यक मांग को बढ़ावा मिलता। यह करने के बजाय बजट में विदेशी पूंजी और बड़ी घरेलू पूंजी को समर्थन दिया गया और बिना किसी रूकावट के संक्रमण पूंजी हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया।

जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया है इस सरकार के सत्ता में आने के बाद जनता ने प्रत्येक चुनाव में इन नीतियों को पूरी तह अस्वीकार कर दिया है। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति को सही तरह से समझें। संदिग्ध आंकड़ों पर आधारित गरीबी में कमी लाने के बड़े दावों के बावजूद सच यह है कि आय-असमानता साल-दर-साल बढ़ रही है। एक ऐसे देश में जहां धीरू भाई अंबानी को वार्षिक आय 8.85 करोड़ रुपये हैं, वित्त मंत्री को गरीबों के लिये 1 मिनट का समय निकालना चाहिए जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। गरीब यह बात नहीं समझ रहा है कि जब भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न सड़ रहा हो, तो उन्हें अनाज क्यों नहीं मिल पाता मैं भी यह समझने में विफल हूं कि उन्हें क्यों नहीं अनाज मिल पाता।

साम्प्रदायिक विचारधारा वाली सरकार इस देश और अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर सकती। इस ओर वे उदारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दूसरी ओर देश को मध्यकालीन की ओर ले जा रहे हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था तभी समृद्ध हो सकती है जब कानून और व्यवस्था नियंत्रण में हो तथा समाज के हर वर्ग को महसूस हो कि सरकार उसके हितों की सुरक्षा कर रही है।

यह सरकार उन तत्वों को संरक्षण देती है जो देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं। एक ऐसे देश में जहां गुजरात जैसी घटनायें संबधित प्राधिकारियों के सहयोग से और उनकी मिलीभगत से होती है वहां अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो जायेगी और उसका कभी विकास नहीं होगा। वित्त मंत्री को एक क्षण के लिये सोचना चाहिए कि यदि इन्फोसिस का मुख्यालय अहमदाबाद में होता तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया होती। हर व्यक्ति जानता है कि अर्थव्यवस्था का विकास देश की अन्दरूनी राजनैतिक स्थिति से संबंधित है।

महोदय, यह सरकार देश भर में साम्प्रदायिक विचारधारा को प्रोत्साहन देती है और व्यस्थित तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमला करती है अत: अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकती है। ऐसे घर के निर्माण का क्या फायदा जब उसे रखने के लिए एक सुन्दर देश ही न हो? यही मैं कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कृषि क्षेत्र में हमारी श्रम शक्ति का लगभग 64 प्रतिशत हिस्ता है, जिससे लोग आजीविका प्राप्त करते हैं और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा है। दुनिया में दलहन की पैदावार में सबसे अधिक क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वप्रथम स्थान है। जितना दलहन भारत में पैदा होता है, जितनी इसकी खेती होती है, विश्व में किसी भी देश में दलहन की इतनी खेती नहीं होती है। भारत एक ऐसा देश है, जिसने कपास का संकर किस्म का बीज पैदा किया है। इस लोक सभा के अधिकांश सदस्य निश्चित रूप से किसान परिवारों से आये हैं और जितने वक्ता यहां बोले हैं, सबने किसानों के संबंध में बोला है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा देश अब कृषि विविधीकरण, खाद और पशु कान्ति के लिए तैयार इसके लिए तैयार है। इसके लिए नीति परिवर्तन, कृषि अनुसंधान एवं विस्तार पर नये सिरे से जोर देने की ऐसे परिवेश में आवश्यकता है। उन्नत ग्रामीण संरक्षा अनिवार्य है। आजादी हमारी नीति का मुख्य लक्ष्य है। हम.माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि देश में अभी किसानों की जो स्थिति है, जिसके लिए 64 हजार करोड़ रुपये ऋण लक्षित स्तर में 75 करोड़ रुपये देने का उन्होंने काम किया है।

सभापति महोदय, किसानों को जो ऋण मिलता है, वह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब किसान बैंक जाता है, ब्लाक जाता है तो किसान की खेती समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसे ऋण मिलता है। उस ऋण के मिलने में किसान को कितनी परेशानी होती है, उसे कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, अधिकांश सांसद जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान को फसल लगाने से पहले ऋण मिल जाए, तभी किसान सही मायनो में सही समय पर खेती कर सकता है और उसके अधिक उत्पादन करने से देश को लाभ होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों को देश में सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता है। अन्य कोई ऐसा संस्थान और उद्योग नहीं है, जिसमें लोगों को किसानों की तरह परेशानी उठानी पड़े। जब किसान की फसल का समय आता है और जब वह फसल लेकर मंडी में जाता है, उस वक्त सही मायनों में फसल लेने वाला कोई नहीं होता है। हम माननीय सदस्य लोक सभा में भी आवाज उठाते हैं कि बिहार में क्रय केन्द्र न खुलने से किसानों का धान व्यापारी मनमाने ढंग से खरीदते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि कुछ दिन बाद, होली के बाद नई फसल गेहूं की आएगी लेकिन जो धान की स्थिति देश में है खासकर बिहार में है, उसी तरह गेहूं बेचने के लिए भी किसान जब मंडी में जाएंगे तो उसे गेहूं का उचित दाम नहीं मिल पाएगा।

महोदय, इंदिरा आवास योजना में आज से पांच-सात साल पहले गरीबों को मकान बनाने के लिए 20 हजार रुपये मिलते थे। जब 20 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी, उस वक्त सीमेन्ट की कीमत सौ रुपये से नीचे थी, लोहे की कीमत कम थी, मजदूरी भी कम थी लेकिन अब सबकी कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी गरीबों को आवास बनाने के लिए 20 हजार रुपये ही इस योजना में मिलते हैं। कहीं देहात में शौचालय भी बनता है तो उसकी लागत कम से कम 25 हजार रुपये से कम नहीं होता और गरीब के घर का प्राक्कलन भी 20 हजार रुपये है। हम वित्त मंत्री से आग्रह करेंगे कि इंदिरा आवास योजना में गरीबों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रुपये करनी चाहिए ताकि समाज के अंतिम तबके का आदमी उसका लाभ उठा सके।

सभापति महोदय, आज देश की जनसंख्या सौ करोड़ से ज्यादा है लेकिन सही मायनों में किसी भी सरकार ने उसको रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किये। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जहां-जहां सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें छंटनी हो रही है। जब लोग बेरोजगार होंगे तो निश्चित रूप से खुराफात की ओर मुखातिब होंगे और गलत रास्ते पर जाएंगे। किसानों का जब सवाल उठता है तो आप उर्वरक की कीमतें ही देख लीजिए। कोई भी सरकार रही हो, 1991 से 1996 तक नरसिम्हाराव जी की सरकार रही, उस वक्त भी खाद की कीमतें बढ़ीं। खाद की कीमत बढ़ने से किसानों की फसल की कीमत नहीं बढ़ती है। यूरिया, पोटाश और कैल्शियम सब तरह की खादों की कीमतें बढ़ गई हैं पर जिस अनुपात में किसानों की फसल की कीमत बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ती है।

मैं पैट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एल.पी.जी. सैलेन्डर का दाम 20 रुपये घटाया है, लेकिन देश में और खास तौर पर मेरे क्षेत्र में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग मिट्टी का तेल जलाते हैं। 90 प्रतिशत लोगों के लिए जब बजट आता है, तो मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ जाती है और गांव में जो 10-20 रुपया मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको ब्लैक में मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है। हम उनके लिए आग्रह करेंगे कि मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर ध्यान देकर उसकी कीमत घटाएं। दाम बढ़ाने चाहिए टीवी और फ्रिज के, सिगरेट और शराब के तथा विलासिता संबंधी वस्तुओं के। निश्चित रूप से इनके दाम सौ से 200 प्रतिशत बढ़ा दें और जो गरीब किसान तथा मध्यम वर्ग के लोगों के उपयोग की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें घटानी चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे स्मरण है कि जब वी.पी. सिंह की सरकार थी, देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उस वक्त भी किसानों को बहुत सारी राहत देने की योजनाएं प्रारंभ की गई थी और बजट में किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने हेतु लिए गए ऋणों को माफ करने का ऐलान किया गया था, जिससे बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ था। मैं उम्मीद रखता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार में किसानों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और किसान निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में 792 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 889 करोड़ रुपए किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक विकास एवं जीवन में सुधार लाने हेतु और उच्च शिक्षा में सुधार हेतु धनराशि बढ़ाई गई है। छात्रों को छात्रवृत्ति देने, खाद्य बैंक की स्थापना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के लिए वित्त विकास निगम के तहत सहायता देने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 21 प्रतिशत धनराशि बढ़ाकर 290 करोड़ रुपए की गई है।

सभापति महोदय, गांव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा गरीब तबकों के बच्चे 60 से 70 प्रतिशत तक स्कूल नहीं जाते हैं। बिहार में आज से 25-30 साल पहले जो स्कूल बने वही चल रहे हैं और नए स्कूल नहीं खुले हैं। हो सकता है, सभापति महोदय, कि आपके यहां मध्य प्रदेश में नए स्कूल खुले हों, लेकिन बिहार में नहीं खुले हैं। इसलिए वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए तो नए स्कूल होने का सवाल ही नहीं उठता है। जब इन जातियों के बच्चों हेतु स्कूल ही नहीं हैं, तो वे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। जब स्कूल और शिक्षक नहीं हैं, तो वे किस प्रकार से पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग और अकलीयत के इलाके हैं वहां स्कूल खुलने चाहिए ताकि वहां के बच्चे पढ़ सकें।

[श्री सुकदेव पासवान]

सभापति महोदय, अंत में, मैं बिहार में मुंगेर में गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण की मांग करता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे अपना उत्तर दें, तो निश्चित रूप से मुंगेर में गंगा पर रेल एवं सड़क पुल के बारे में अपने विचारों से सदन को अवगत कराने की कृपा करें। इतना ही कह कर मैं बजट का समर्थन करते हुए बैठना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): माननीय सभापति महोदय, आम बजट वर्ष 2002-2003 जिसे माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में कोई दिशा नहीं है। यह दिशाहीन बजट है और गरीब, वृद्ध और किसान विरोधी यह बजट है। इससे किसानों की कोई भलाई होगी, इस बात की मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। सरकार ने लोगों की आवश्यकताओं की चीजों, जैसे कैरोसीन आयल, जिसका गरीब लोग सबसे ज्यादा व्यवहार करते हैं, गरीब लोग उपयोग करते हैं, देश के 80 प्रतिशत लोग इसका व्यवहार करते हैं, उसके दाम बढ़ाए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार गरीबों के पक्ष में काम नहीं करना चाहती है बल्कि ऐसा लगता है कि आई.एम.एफ., डब्ल्यू.टी.ओ. और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर अपनी आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है।

सायं 7.00 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, यह सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर उनके अनुसार अपनी नीतियों को बनाकर देशवासियों को डिक्टेट कर रही है। उस तरह की नीतियों को हमारे देश पर यह सरकार लागू करना चाहती है, जो ठीक नहीं है।

आज हमारे किसानों की हालत बहुत गंभीर है। जिन किसानों को सस्ती बिजली चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सस्ती दर पर बीज चाहिए, उन किसानों को वह नहीं मिल रहा है। जो उर्वरक मिलने चाहिए, वे नहीं मिल रहे हैं। आज यूरिया की और एम.ओ.पी. की जो कीमतें है, उन कीमतों में बढ़ोत्तरी करके यह सरकार किसान विरोधी कानून लागू करना चाहती है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

मैं मांग करता हूं कि उर्वरकों की कीमतों में जो वृद्धि की जा रही है, उस पर पुनर्विचार करके उसे वापिस लिया जाये। मैं यह भी मांग करता हूं कि जैसे इस सरकार के सहयोगी दलों के माननीय सदस्यों ने बजट में जो प्रावधान रखे गये हैं, उनका विरोध यहां पर किया, उसी तरह मैं भी उन्हीं की तरह यह मांग करता हूं कि मिट्टी के तेल की कीमतों में जो बढ़ोत्तरी की गई है, उसको वापिस लिया जाये।

आज गांव में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रावधान रखा गया है, उसका इम्प्लीमैंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। गांव के लोगों की उन्नति के लिए जो भी प्रावधान रखे गये हैं, बजट में जो भी घोषणाएं की जाती हैं, उसको कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि एक करोड़ लोगों को नौकरी दी जायेगी लेकिन आज जो बेरोजगार लड़के-लड़कियां हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगार लोगों को काम न देकर उसके बदले 42 हजार लोगों को फालतू करार देकर नौकरी से निकालने का काम किया जा रहा है। मैं इसका भी विरोध करता हूं।

डिसइन्वेस्टमैंट के नाम पर जो सार्वजनिक इकाई मुनाफा कमाती हैं, उन सार्वजनिक इकाइयों को पानी के दाम में बेचने का काम यह सरकार कर रही है। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो टारगेट रखा है, वह टारगेट प्राप्त कर सकें। यह हमारे देश के हित में नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि यह सरकार जिस तरह से नीतियां बनाती जा रही है, आर्थिक ढांचे को खराब करते हुए जिस तरह से आर्थिक नीति बना रही है, उससे ऐसा लगता है कि हमारा देश कहीं आर्थिक गुलामी के चंगुल में न चला जाये। इसलिए मैं सरकार को सावधान करता हूं कि अभी भी समय है। आप अपनी नीतियों की समीक्षा कीजिए। आपने जो नीतियां बनाई हैं, और जो आर्थिक नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कीजिए अन्यथा हमारे देश को गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा और हमारे देश के विकास की जो गति होनी चाहिए, वह गति धीमी पड़ जायेगी।

मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी नीयत ऐसी है कि आप सिर्फ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां को ही मदद देने चाहते हैं। यह सरकार चाहती है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में आयें और हमारे देश में जितनी भी सार्वजनिक इकाइयां हैं, उन पर वे अधिकार कर लें और धीरे-धीरे हमारी पूंजी पर उनका अधिकार हो जाये। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ज्यादा मुनाफा मिले, इस तरह का कानून यह सरकार लागू करना चाहती है लेकिन हमारे देश में जो गरीब जनता है, आम जनता है, उनके पक्ष में जो नीति बननी चाहिए, वह नहीं बन रही है। इससे पूरी जनता को निराशा हो रही है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार ज्यादा दिन न चले क्योंकि यह सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, वह बढ़ती ही जा रही है। यह गैर बराबरी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आज स्वाधीनता मिले हुए 54-55 साल हो गये हैं लेकिन आज भी

अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, वह पटती नजर नहीं आ रही है। इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो आर्थिक नीति बनाई गई, आज एन.डी.ए. की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसी तरह का कानून बना रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई बनी हुई है, वह बनी रहेगी। मैं इस तरह की आर्थिक नीति का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसमें परिवर्तन हो। गरीब किसानों के पक्ष में कानून बनाना चाहिए ताकि गरीब किसान की उन्नति हो। जब उनकी जिन्दगी में सुधार होगा तभी हमारे देश आगे बढ़ सकता है अन्यथा वह विदेशी कम्पनियों के हाथों में चला जाएगा और हमारा आर्थिक विकास रूक जाएगा। इसलिए मैं इस सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना करते हुए मांग करता हूं कि आप गरीब लोगों के विषय में चिन्ता कीजिए, ऐसी आर्थिक नीति बनाइए ताकि गरीबी और अमीरी की खाई दूर हो सके। एक अच्छा और संतुलित समाज बनाने का प्रयास करें। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): आदरणीय सभापति जी, मैं वित्त वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित केन्द्रीय बजट के विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। पूर्व नौकरशाह वित्त मंत्री जी ने, नौकरशाही की परम्परा का ही निर्वहन करते हुए देश की जनता के समक्ष जो बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं क्योंकि आज देश जिन हालात से गुजर रहा है, देश को अंदरूनी और बाहरी आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी आज देश के समक्ष मुंह बाए खड़ी हैं, ऐसे हालात में इससे बेहतर बजट बनाया तो जा सकता था लेकिन उसके लिए जो जोखिम उठाने पड़ते, उनसे वित्त मंत्री जी ने परहेज किया है।

हमारा देश कृषि प्रधान है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। हमारे देश में कृषि न केवल रोजी-रोटी और रोजगार का जरिया है बल्कि यह उद्योग जगत का भी आधार स्तम्भ है। मौजूदा बजट में कृषि के त्वरित आधुनिकीकरण के लिए बजट आबंटन को 684 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 775 करोड़ रुपये किए गए हैं जो सरकार के लिए एक प्रशंसनीय कदम है। ग्रामीण रोजगार के नए कार्यक्रम-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई उम्मीद की किरण जागी है, जैसे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, किसान क्रैडिट कार्ड। किसान फसल बीमा योजना के लिए नए निगम स्थापित करने के लिए 800 करोड़ रुपये और किसानों के विकास की दिशा में इस योजना के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी, वह किसान की प्रगति की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम सिद्ध होगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में 800 करोड़ रुपये की एकमुश्त बढ़ोत्तरी और कृषि अनुसंधान के लिए चालू वर्ष में 91 करोड़ रुपये का प्रावधान करना, कृषि क्षेत्रों से संबंधित निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा देना, सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सरकार किसानों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कें, बिजली, पानी और दूरसंचार व्यवस्था के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध कराने का जो संकल्प दोहराया है, संसद के अंदर उनके वक्तव्य से इस बात की उम्मीद जगी है कि शायद इस क्षेत्र में प्रगति और विकास की गति तेज होगी। चालू वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये सरकारी खर्चों में कटौती की गई है। यह भी मितव्ययिता की तरफ एक अच्छा कदम है। इन सबके बावजूद 2002-03 के बजट के बारे में बेखटके और डंके की चोट पर कहना चाहूंगी कि इस बजट को बनाने में दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। मगर दिल से इसका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इधर जब से सुधारवादी केन्द्रित बजट बनने लगे हैं, तब से लोगों को इस बात में रुचि घट गई है कि किस चीज के दाम बढ़ रहे हैं और किस चीज के दाम कम हो रहे हैं। इस सब के बावजूद भी लोगों को मौजूदा बजट में बड़ी उम्मीदें थी और लोगों को यह विश्वास था कि शायद इस वर्ष के बजट में जो मंदी से कराहते हुए आम आदमी के आंसू पोंछने का इन्तजाम किया जायेगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है गुड़ न दे, मगर गुड़ जैसी बात तो कर-लेकिन वित्त मंत्री जी ने उर्वरकों की कीमत बढ़ाकर और उन पर मिलने वाली सब्सिडी कम करके गरीब किसान के मुंह की मिठास छीन ली है। कैरोसीन, डाक सामग्री और गैस इत्यादि की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया गया है। इनकी बढ़ी हुए कीमतें तुरन्त वापस ली जानी चाहिए। आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए यह एक अच्छा कदम होगा। वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की सरकार से पुरजोर अपील करती हूं।

आयकर छूट सीमा देखिये, उस पर छूट की सीमा 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी। कम से कम यदि इस सरकार को बढ़ानी नहीं थी तो कम से कम घटानी तो नहीं चाहिए थी, 20 प्रतिशत ही रहने दी जाती।

माननीय वित्त मंत्री जी ने ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन को समूचे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी न बताते हुए गहरी चिन्ता व्यक्त की है और गैर-खाद्यान्न या नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर देने के लिए कहा गया है। जब तक किसानों को इनके बारे में प्रेरित नहीं किया जायेगा, किसान को इस बारे में प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा और वे तमाम सुविधाएं किसान को मुहैया नहीं कराई जाएंगी, जो कि इसके लिए जरूरी हैं तो मैं समझती हूं कि यह एक दिवास्वप्न के अलावा कुछ भी कारगर साबित नहीं होगा। यदि कोई किसान फूलों या सब्जी की खेती करेगा तो जब तक मार्केट

[श्रीमती कैलाशो देवी]

में उठाने का उसका उचित प्रबन्ध नहीं किया जायेगा, क्योंकि यह एक ऐसी खेती है, जो जल्दी खराब हो जाती है। इसी प्रकार की और भी अनेकों प्रकार की किस्में देश के विभिन्न स्टेट्स में हो सकती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पुरजोर अपील करती हूं कि वे यदि इस बजट से सम्बन्धित जो-जो सांसदों ने सुझाव दिये हैं, उन पर विचार करके इसमें यथासम्भव परिवर्तन करें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी।

मैं वित्त मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगी कि यदि और थोड़ा जोखिम उठाया जाता और कुछ ठोस निर्णय लिए होते तो देश की अर्थव्यवस्था को और अच्छी तरह से बखूबी पटरी पर लाया जा सकता था और आम आदमी को ज्यादा राहत प्रदान की जा सकती थी।

वर्षों से कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम, एस.वाई.एल. लिंक नहर, जिसके बारे में अभी कोर्ट ने भी फैसला दिया है, दादुपुर नलवी नहर, पानीपत रिफाइनरी, यमुनानगर सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट, समूचे देश में ऐसी अनेकों परियोजनाएं हैं, जिनको कि सरकारों की दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में पंचवर्षीय योजना को 50 वर्षीय योजनाओं में तब्दील कर दिया गया। इनको यदि पूरा किया जाये तो लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और वाटर लेविल ऊपर आने से किसान को बिजली सस्ती और ज्यादा मिल सकती है। किसान आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हमारे छोटे और मझोले उद्योग-धंधे फेल होने से बचेंगे, वे फलेंगे-फूलेंगे और देश बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से बचेगा, जो इस देश को गुलामी की कगार पर ले जाने को आतुर हैं। जो आज भारत के मार्केट में बड़े बाजार में इण्टरनेशनल अपनी चीजें बेचने के लिए देख रही हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं को तो पूंजी का रिस्क लेकर भी पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे उत्पादन लाभ त्वरित प्राप्त होता और त्वरित उत्पादन लाभ को बाद में सारा घाटा और पूंजी का सारा रिस्क ब्याज सहित पूरा किया जा सकता है।

काम के बदले अनाज जैसी योजनाएं भी अभी तक पूरी तरह से क्या रत्ती भर भी, मैं तो कहती हूं कि लागू नहीं की गई। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सरकार के पास लाखों टन अनाज बफर स्टाक के रूप में पड़ा है और वह अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीब के पेट तक नहीं जा रहा है। ये गरीब बेचारे दिन के दिन बड़े-बड़े डैम खड़े कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी नहरें खोद सकते हैं और वे बदले में सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, इसलिए उनको काम के बदले अनाज मिले तो ऐसी योजनाओं को तत्परता से लागू करना होगा।

हमारे किसानों ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, अन्न भंडारों को खचाखच भर दिया, लेकिन उसको क्या मिला? वह बदले में आज आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। किसान के लिए अमीर और गरीब सभी बराबर हैं, वह सभी का पेट भरता है। इसलिए उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

अभी तक कुल दो करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू हुए हैं, जबकि देश में 40 करोड़ किसान हैं। इसलिए सबको किसान क्रेडिट कार्ड देने चाहिए। फसल बीमा योजना तत्काल लागू हो। गेहूं का सीजन आ रहा है इसलिए उसका समर्थन मूल्य अविलम्ब 700 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि सभी सदस्यों के सुझाव लेकर इस बजट को सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय बनाने का प्रयास करें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): प्रस्ताव यह है कि मैडम को वित्त मंत्री बना दें।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को दिये गये बजट भाषण में अच्छी तस्वीर पेश की है लेकिन 'दि इकोनामिक सर्वे' में सरकार के आर्थिक निष्पादन की धुंधली तस्वीर प्रस्तुत की गई है।

'दि इकोनामिक सर्वे' में अभूतपूर्व औद्योगिक मंदी की बात स्वीकार की गई है। सरकार देश के सम्मुख ज्वलंत समस्याओं से निपटने में बुरी तरह असफल रही है, चाहे औद्योगिक मंदी हो, या बेरोजगारी हो या कृषि हो। हर मुद्दे पर सरकार बुरी तरह विफल रही है।

इस बजट से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुये हैं। रसोई गैस, मिट्टी का तेल और डाक टिकटों पर मूल्य वृद्धि तथा लघु बचतों पर ब्याज दरों में कटौती से आम आदमी के पारिवारिक बजट ही अस्थिर हो जायेगा। रक्षा व्यय के आधार पर लगाये गये 5 प्रतिशत के आय कर अधिभार से मध्य वर्ग की स्थिति और भी खराब होगी। यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. पर राजसहायता में कटौती से आत्महत्या के कगार पर खड़े किसानों की समस्यायें और भी बढ़ जाएंगी। साथ ही सरकार ने विदेशी कंपनियों द्वारा आठ प्रतिशत की कर दर में कटौती की

घोषणा की है। 1,35,524 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा चौकाने वाला सूचकांक है। सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत है। देश अपनी प्राप्तियों का एक चौथाई ब्याज के रूप में भुगतान करता है और 29 पैसे उधार लेता है और ब्याज के रूप में 25 पैसे का भुगतान करता है। यह केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल योजना व्यय से भी अधिक है।

सरकार ने विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये अर्जन का लक्ष्य रखा है, जैसाकि पिछले वर्ष भी किया गया था। सरकार को विनिवेश से पिछले वर्ष लक्ष्य का 42 प्रतिशत हिस्सा मिला था जो 5000 करोड़ रुपये है। अत: वित्तीय घाटा अभी और बढ़ेगा।

बजट में रुग्ण उद्योगों और उर्वरक इकाइयों, तेल शोधक कारखानों तथा जूट और वस्त्र इकाइयों के पुनरुद्धार कार्यक्रमों जैसी नितांत आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा है। दूसरी ओर सरकार ने लघु इकाइयों को अनारक्षित किया है। उत्पाद शुल्कों में कटौती से लघु उद्योगों की स्थिति और खराब होगी।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना जैसी नए रोजगार कार्यक्रम कागजी शेर ही साबित हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में कोई ठोस योजना और कार्यक्रम परिलक्षित नहीं होते। माननीय प्रधान मंत्री ने संसाधन जुटाते समय परम्परागत तरीका अपनाया है। उन्होंने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के हाल के उस निष्कर्ष की अनदेखी की जिसमें कहा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत हिस्सा काला धन है। बजट की अगली चौंकाने वाली बात यह है कि देश का आन्तरिक कर्ज 10 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार कर गया है। विदेशी कर्ज 68,519 करोड़ रुपये तथा आन्तरिक कर्ज 10,21,739 करोड़ रुपये का है। अत: बजट विकासोन्मुखी नहीं है। यह दिशाहीन और गरीब विरोधी बजट है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने देश के लिए बड़ा ही संतुलित, दूरदर्शी और जनहितकारी बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारा देश जो हमारे गांवों में बसा हुआ है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री सड़क योजना और ग्रामीण विकास के लिए जिसके कारण हम उस किसान के लिए बार-बार कहते हैं कि किसान की हालत खराब है, उसके आने जाने के लिए सड़क, उसकी फसलों को रखने के लिए वेअरहाउसेज, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके निश्चित रूप से दूरगामी इसका परिणाम किसान के लिए हितकारी होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के विषय में अनेक बातें सामने आई हैं लेकिन दो-एक बातों के विषय में ही मैं अपनी बात रखूंगा।

पर्यटन के विषय में पचास प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में अनेक सुंदर स्थल हैं। उसका एक पैकेज तैयार किया जा सकता है और उसके द्वारा इस इलाके को विकास की गति दी जा सकती है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, ओरछा, कालिंजर का फोर्ट, पन्ना जिले में चौमुखनाथ, पांडव प्रताप, नेशनल पार्क, मगरमच्छ की सेंक्चुअरी, नदी तट पर स्थित चौमुखनाथ, पशुपतिनाथ का मंदिर और भगवान शिव की जो मूर्ति है और उसी के पास सिद्धनाथ, बेड़ा घाट, जटा शंकर, कुंडलपुर, नैना देवी इत्यादि तमाम एतिहासिक और धार्मिक स्थलों का यदि विकास किया जाये, सड़कों का विकास किया जाये तो निश्चित रूप से आपने जो प्रावधान किया है, उसके अंतर्गत हमारे भारत के सबसे पिछड़े हुए स्थल बुंदेलखंड का विकास किया जा सकता है। इसी तरह बीना में एक रिफाइनरी थी, जिसकी स्थापना ओमान के साथ होनी थी लेकिन विलम्ब होने के कारण ओमान ने उससे संबंध-विच्छेद कर लिया। पर्यावरण से संबंधित उसकी परमीशन मिल चुकी है और गुजरात से पाइप-लाइन की परमीशन भी मिल चुकी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुन्देलखण्ड के विकास में इस दिशा में कदम उठाने से एक नई कड़ी जुड़ेगी।

महोदय, इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। हम आपको धन्यवाद देंगे, आपने पिछली बार फसल बीमा योजना लागू की थी, लेकिन राज्य सरकारों ने फसल बीमा योजना लागू नहीं की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि किसानों को राज्य सरकारों के भाग्य भरोसे न छोड़ा जाए। इसके लिए आपने अलग इंश्योरेंस की व्यवस्था की है। इंश्योरेंस करा कर किसानों की प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसले बरबाद होती हैं और जिसके कारण उनको आत्म-हत्या करनी पड़ती है, इससे छुटकारा मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि इसको सख्ती से लागू किया जाए।

दूसरा निवेदन है, मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना में केन्द्र से भरपूर राशि दी गई है। लेकिन समाचार आया है, लगभग 800 करोड़ रुपए लैप्स होने की स्थिति में है। इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था आपको करनी होगी कि राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग करें और साथ ही जिस मद में उपयोग के लिए पैसा दिया गया है, उसी मद में पैसे का उपयोग होना चाहिए।

[श्री रामकृष्ण कुसमरिया]

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो भी योजनायें यहां से राज्यों को जाती है, उनमें सांसदों की कोई भागीदारी नहीं है। आपके सांसदों का सम्मान बढ़े, जो केन्द्र की योजनायें हैं, उनमें उनकी भागीदारी हो, उनको उद्घाटन करने में सम्मानजनक रूप से बुलाया जाए, तो निश्चित रूप से योजनाओं का प्रसार होगा, प्रचार होगा और लोगों को केन्द्र द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी मिलेगी।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। किसानों के विकास की दिशा में हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। किसानों द्वारा खेती में जो चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे बीज, खाद, बिजली आदि, उनका ख्याल रखा जाए, जिससें उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।

इन शब्दों के साथ, प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: बजट पर सात सदस्यों ने अपने विचार रखने हैं। सदन की सहमति हो, तो एक घण्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: सभा की सहमति से एक घण्टे का समय बढ़ा दिया गया। श्री अधीर चौधरी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): धन्यवाद, सभापति महोदय। वित्त मंत्री पहले ही बजट प्रस्तावों को बता चुके हैं जो उनका लगातार पांचवां बजट है। नि:सन्देह भारत के वित्त मंत्री होने पर उनके जीवन का यह अत्यधिक असाधारण कार्य है। तथापि, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के प्रत्यक्ष प्रयास में यह बजट आर्थिक तदर्थवाद और आकर्षी आवेगों से परिपूर्ण है। माननीय वित्त मंत्री ने घुमा-फिराकर कठोर उपाय किए हैं जिन्होंने हमारे देश के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। अत: बजट भाषण से सरासर निराशा और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है।

रात्रि 8.00 बजे

महोदय, हैमलिन की भांति बांसुरी बजाकर उन्होंने हमें असफल रूप से विश्वास दिलाने की चेष्टा की है कि प्रत्येक चीज विखंडित हो रही है किन्तु वास्तविकता इसके प्रतिकूल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में उन्हें कैसे याद किया जाएगा, इसका निर्धारण जीवन की गुणवत्ता के अनुसार और आर्थिक साधनों के अनुसार किया जाएगा जिनका उपयोग हम उनके कार्यकाल में कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था के कीन्स के रूप में पहचाने जाने को अधिक पसन्द करते हैं। अत: महोदय, उन्होंने हमारे गणतंत्र की आर्थिक सम्प्रभुता की कीमत पर ऐसे उपायों को अपनाया है ताकि उन्हें विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वरदहस्त मिले और वाहवाही मिले।

तथापि, वह प्रशंसा के पात्र हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान अब 115 वां है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 126वां था। तथापि, यह श्रीलंका से अभी बहुत दूर है जिसका स्थान 81वां है। यदि खरीददारी की ताकत के स्तर पर देखें तो भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथापि, इससे किसी के मुंह में पानी तो आ सकता है लेकिन इससे देश के गरीब लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता।

महोदय, वह अपने बजट में दावा कर रहे हैं कि आर्थिक मूल तत्व मजबूत हैं। उन्होंने 50 मिलियन अमेरिकी डालर के फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) भंडारों और 1.1 प्रतिशत की सरल मुद्रा स्फीति दर का उदाहरण दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या फोरेक्स का विशाल भंडार और सरल मुद्रा स्फीति दर को भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का हल माना जा सकता है? महोदय, चीन के पास 212 बिलियन अमेरिकी डालर का फोरेक्स भंडार हैं और हांग कांग के पास भी 80 बिलियन डालर का फोरेक्स भंडार है। महोदय, यह 'हाई-कास्ट' भण्डार है।

महोदय, दक्षिण-पूर्व एशिया का आर्थिक संकट का संरक्षण हमारे मन में अभी भी स्पष्ट है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या भारत निकट भविष्य में चालू खाता संपरिवर्तनीयता शुरू करने जा रहा है। महोदय, मैं इस तथ्य से चिन्तित हूं कि हमारे रुपए की कीमत तेजी से गिर रही है। हमारे रुपए की कीमत निर्बाध रूप से गिर रही है। महोदय, जिस बात पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या यह गुप्त रूप से रुपए का अन्तर अथवा अवमूल्यन है या नहीं? महोदय, भाजपा की सरकार सदैव रुपए की मजबूत कीमत का समर्थन करती है। इस समय, हमारे रुपए की कीमत एक डालर के मुकाबले 49.85 है। इससे निर्यातकों की सहायता हो सकती है किन्तु हमारे यहां व्यापार में गम्भीर असंतुलन हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय रुपए की कीमत में आ रही निर्बाध गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होगी अथवा नहीं।

महोदय, हमारे यहां लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी गिर रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। जहां तक उपभोग का संबंध है उपभोक्ता बाजार में भी गिरावट आई है।

पिछले वर्ष में 5.3 प्रतिशत की तुलना में इस समय यह अभूतपूर्व रूप से कम होकर 2.9 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, जून के अंत में हमारे ऊपर 98.3 बिलियन अमेरिकी डालर का विदेशी ऋण है। कुल ऋण में से आई एम एफ के ऋण को छोड़कर बहुपक्षीय ऋण की दर इस समय 31.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। वाणिज्यिक ऋष भी 24.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। आन्तरिक और बाह्य ऋण समेत इस समय कुल ऋण 15,12,497.91 करोड़ रुपए है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 71 प्रतिशत से अधिक है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत तो अभी भी बिना लेखे जोखे का काला धन है। अत: महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था ऋण जाल की तरफ बढ़ रही है और इस समय हम आर्थिक अकर्मण्यता की तरफ बढ़ रहे हैं।

महोदय, अब जबकि पाकिस्तान से हमारे संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं, ऐसे समय में सेना के लिए पूंजीगत व्यय केवल 21,441 करोड़ रुपए था। हमारी सेना आधुनिकीकरण, उन्नत जेट, ट्रेनर्स, अवाक्स और आधुनिक प्रणाली की अत्यधिक मांग कर रही है। ये सभी चीजें हमारी सेना के लिए आवश्यक चीजें हैं। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि सेना को सुरक्षा अधिभार से मुक्त रखा जाए क्योंकि वह पहले ही हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना खून दे रही हैं।

महोदय, जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, तो यह क्षेत्र भी अपर्याप्त निष्पादन का प्रदर्शन कर रहा है। हमारे उद्योग में 2.3 प्रतिशत के निम्न ह्रास पर वृद्धि हो रही है। एक ओर हमारा वित्तीय घाटा बढ़ रहा है और इस समय यह घाटा 5.3 प्रतिशत है, दूसरी ओर हमारी मुद्रा स्फीति का ह्रास कम अर्थात् 1.1 प्रतिशत है। तथापि, उड़ीसा के लोग अपने को जीवित रखने के लिए आम की गुठलियां खा रहे हैं। इसलिए महोदय, सरकार ने यह परिकल्पना की है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ही हमारी अर्थव्यवस्था की सहायता नहीं कर सकते। वे इस समय कृषि क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं किन्तु अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है क्योंकि जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, समय और स्थान का आयाम एक गम्भीर मामला है अब हम आशा कर सकते हैं क्योंकि आशा ही इस वर्तमान आर्थिक संकट में भारत के प्रत्येक दयनीय स्थिति का निदान है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सरकार का ध्यान अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों की अत्यधिक दयनीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा मुस्लिमों के लिए विशेषरूप से एवं अन्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास हेतु ठोस, उपयुक्त और त्वरित कार्यक्रम की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु त्वरित कार्यक्रम की यह मांग करते समय नि:संदेह मुझे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किये जाने वाले घोर विध्वंश को देखकर अत्यधिक कुंठा है। फिर भी, यह महसूस किया जाना चाहिए कि ये सभी कारक इस संबंध में कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर अधिक जोर देते हैं। कोई समूह अथवा वर्ग जो शैक्षणिक और आर्थिक विकास के मामले में पीछे रह जाता है, वह देश पर बोझ बन जाता है लेकिन यह महसूस किया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा बोझ नहीं बनना चाहेगा। इसलिए अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों के विकास हेतु त्वरित कार्यक्रम की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे पास मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में आ रही लगातार गिरावट की बहुत धूमिल तस्वीर है। मुस्लिमों की प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 3678 रुपए है। यह आय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रति व्यक्ति आय के समान है जो क्रमश: 3504 और 3237 रुपए है। सभी नागरिकों के मामले में समग्र प्रति व्यक्ति आय 4485 रुपए है और हिन्दुओं की प्रति व्यक्ति आय 4514 रुपए है। इस स्थिति में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए त्वरित कार्यक्रम की आवश्यकता है। नि:संदेह मुझे मालूम है कि कुछ मंत्रालयों द्वारा कुछ उपाय और योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। किन्तु न तो वे पर्याप्त हैं और न ही उनके लाभ वास्तव में पूर्णरूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचते हैं।

महोदय, हमारे पास मौलाना आजाद फाउन्डेशन है। इस संगठन की संग्रह निधि क्या है? यह समूचे राष्ट्र के लिए सत्तर करोड़ रुपए की धनराशि है जो मामूली है। पर्याप्त मात्रा में संग्रह निधि को बढ़ाने हेतु बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम है। इस निगम को अभी तक पूरी धनराशि नहीं मिली है। जब इस निगम की स्थापना हुई थी तो यह परिकल्पना की गई थी कि इसे पांच सौ करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। इस समय इसके पास मुश्किल से 125 करोड़ की धनराशि है। धनराशि की इस निधि को प्रदान करने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि इस धनराशि को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है और यह धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

[श्री जी.एम. बनातवाला]

महोदय, अल्पसंख्यकों के कुछ पारम्परिक व्यवसाय है। इन पारम्परिक व्यवसायों के क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है। इस स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से और शिल्पियों समेत अल्पसंख्यकों के पारम्परिक व्यवसायों के क्षेत्रों में विकास हेतु उपाय सुझाने के लिए एक आयोग अथवा विशेषज्ञ दल नियुक्त किया जा सकता है।

महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण कार्यक्रमों के विशेष लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और इसकी निगरानी उचित रूप से की जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि बैंको को इस संबंध में विशेष विवरणी दाखिल करनी होती है। किन्तु यदि हम इन विवरणियों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि अल्पसंख्यकों को ऋण की आपूर्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य का कालम खाली रहता है...*(व्यवधान)* महोदय, ये तो प्रारम्भिक बातें हैं और मैं अभी बजट पर आ रहा हूं। मैं यथा सम्भव इन बातों का शीघ्र और संक्षिप्त रूप से पूरा करूंगा।

वित्त मंत्री का दावा है कि बजट सुधारों को सुदृढ़, व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए है। दूसरी पीढ़ी के सुधारों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प है। लेकिन उससे पहले हमें पहली पीढ़ी के सुधारों के प्रभाव को देखना है। हम देख रहे हैं कि वे अर्थव्यवस्था का विकास तेज करने में बुरी तरह विफल हुए हैं। वे अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने में विफल हुए हैं। नब्बे के दशक के दूसरे भाग तक वृद्धि की औसत वार्षिक दर अस्सी के दशक में रिकार्ड की गई दर से कम थी। पहली पीढ़ी के सुधारों की अर्थव्यवस्था पैकेज में जो नहीं था उसकी व्यवस्था दूसरी पीढ़ी के सुधारों के पैकेज में करनी पड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अधिकतर मांग की कमी से रूका हुआ है। खाद्यान्नों के जमा होते भंडारों, उद्योग की उपयोग न की गई क्षमता, बिक्री बढ़ाने के लिए चलाए गए जोरदार अभियान और अन्य बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट है।

सभापति महोदय, यह आवश्यक है कि दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों में आपूर्ति के पहलू पर ही नहीं बल्कि मांग बढ़ाने के लिए मांग के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, बजट में ऐसे उपायों की घोषणा की गई है जिनसे मांग में कमी आएगी। हमने 10,500 करोड़ रुपये की बड़ी रकम अतिरिक्त कर राजस्व के माध्यम से जुटाने का प्रस्ताव किया है। हाल के वर्षों में कर राजस्व के माध्यम से जुटाई जाने वाली यह सबसे बड़ी रकम है। छोटी बचतों पर ब्याज दरों में कटौती छोटे निवेशकों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। लाभांश पर पुन: कर लगाए जाने, आयकर पर पांच प्रतिशत अधिभार लगाए जाने, खण्ड 88 के तहत कर छूट में लाभ में कमी करने के सभी उपायों से मांग में कमी आएगी। मांग को बढ़ावा देने की बजाय हम उस पर रोक लगा रहे हैं। न्यूनतम कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप जन सामान्य पर कर का बोझ बढ़ता है। रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि, मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि, डाक दरों में वृद्धि, राशन की दुकानों के माध्यम से बिकने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि, इन सभी उपायों से मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से इन उपायों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। इन उपायों को पूरी तरह वापिस लेना होगा।

अंत में यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि बजट की नीति का मुख्य बिन्दु मध्यमवर्ग के लोगों से कर वसूल करना है। इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाभ पहुंचाने, विदेशी कम्पनियों को कर लाभ देने पर बल दिया गया है। कार्पोरेट जगत पर 48 प्रतिशत के कर को घटाकर 40 कर दिया गया है। और यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था की कीमत पर किया जा रहा है। बजट, कृषि क्षेत्र के विकास में आए गतिरोध को दूर करने, उद्योग विकास के गतिरोध को दूर करने, बढ़ती हुई बेरोजगारी से निपटने और मांग में कमी से निपटने में विफल रहा है। और ये ही हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। इन मुद्दों पर सरकार की ओर से गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): समय की कमी के कारण, मैं केवल कुछ मुद्दों पर ही बात करूंगा।

बजट के बारे में जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि जन सामान्य या गरीबों के लिए स्थिति सबसे मुश्किल होने जा रही हैं क्योंकि मिट्टी के तेल, उर्वरक के मूल्यों, डाक दरों, आदि में वृद्धि की गई है। इन्हें वापिस लिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह घोषणा करें कि कुछ परिवर्तनों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

कृषि के संबंध में मुझे खुशी है कि विभिन्न फसलें उगाने और खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बजट में किसानों को वास्तविक स्वतंत्रता देने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाने, प्रक्रियात्मक दुरूहता को समाप्त करने और कृषिविदों को आसान कृषि ऋण देने की परिकल्पना की गई है। सर्वाधिक ध्यान देने योग्य पहलू यह सुनिश्चित करना है कि किसान को उसके उत्पादों का बेहतर मूल्य देकर किस प्रकार सबल किया जा सकता है। यह बजट के कार्यान्वयन के पहलू पर ध्यान दिए जाने

का मुख्य पक्ष होना चाहिए। पच्चीस हजार रुपये की राहत को बढ़ाकर पचास हजार किया जाना स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी तक कई बैंकों को 25,000 रुपये तक की राहत के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

अब मैं केरल से सीधा संबंध रखने वाले एक-दो मुद्दों की बात करता हूं क्योंकि इनके बजट भाषण में इनकी बात नहीं की गई है। मुझे खुशी है कि चाय और काफी पर आयात-शुल्क बढ़ा दिया गया है। चाय पर उत्पाद-शुल्क दो रुपये से घटाकर एक रुपया कर दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि चाय उगाने वाले किसानों की कठिन परिस्थिति को देखते हुए उत्पाद कर को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार करें।

दूसरे, मैं रबड़ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने इस बजट में रबड़ क्षेत्र की बात की है। परन्तु दुर्भाग्यवश, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले आम किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आम किसान केवल रबड़ शीट ही बनाता है जिसे सूखा रबड़ कहा जाता है। सूखे रबड़ को टायर विनिर्माता प्रयोग में लाते हैं। टायर विनिर्माता किसी प्रकार प्रबंध कर लेते हैं और इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि 'स्मोक रबड़' पर आयात शुल्क न बढ़े। लेकिन, सामान्य रबड़ के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अत: ऊपरी तौर पर देखने से यह आभास हो सकता है कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। यदि आम किसान को इससे लाभ दिलाना है तो उसे 'स्मोक रबड़' पर आयात शुल्क लगाकर लाभ दिया जा सकता है क्योंकि आम किसान इसी रूप में रबड़ तैयार करता है। अत: माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में कुछ करें।

मैं जानता हूं कि निर्धारित की गई शर्तों के कारण कुछ बाध्यताएं होंगी। यदि ऐसा है तो वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह बताएं कि हम इस स्थिति से किस प्रकार बाहर आ पाएंगे और यदि सरकार का इस संबंध में अगर कोई कदम उठाने का इरादा है तो वह क्या है?

जहां तक कृषि निर्यात का संबंध है, इस निर्यात पर काफी बल दिया गया है। निर्यात राजसहायता के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताएं हो सकती हैं। लेकिन राजसहायता और बराबरी पर लाए जाने संबंधी उपायों पर हुए समझौते (ए एस सी एम) के अनुसार 1,000 डालर प्रति व्यक्ति आय से कम वाले विकासशील देश निर्यात में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होने तक निर्यात पर राजसहायता दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा निर्यात विश्व निर्यात के 3.25 प्रतिशत से बहुत कम है और इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में राजसहायता दी जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए, और कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

रात्रि 8.25 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

जहां तक कृषि उत्पादों के निर्यात का संबंध है, मैं यही कहूंगा। भारत के कई भागों में नारियल होता है; लक्ष्यद्वीप सहित कई राज्यों में नारियल पैदा होता है।

महोदय, नारियल एक ऐसा उत्पाद है जिसका प्रसंस्करण करके और इसके लिए उचित बाजार तलाश करके हमें बहुत अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। नारियल विकाश बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार नारियल के लिए 5,000 उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और इससे 5,000 कामगारों को रोजगार मिल सकता है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि चाय, रबड़, काफी, सुपारी, काजू और अन्य ऐसी ही कुछ फसलों को प्रोत्साहन देना होगा जिनका जिक्र हम कृषि की बात करते हुए सामान्यत: नहीं करते। इसमें धान और अन्य ऐसे कृषि उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इन पर भी विचार किया जाए और इस संबंध में कुछ किया जाए।

माननीय वित्त मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि मत्स्य पालन क्षेत्र के परेशानी में फंसे मत्स्य पालकों के लिए कुछ राहत की घोषणा करें।

अंत में, हमारी पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ वक्तव्य है। वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आयुर्वैदिक पद्धति के लिए हमारे पास सभी सुविधाओं से लैस एक अखिल भारतीय केन्द्र होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास एलोपैथी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है उसी प्रकार आयुर्वेद और होमयोपैथी पद्धतियों के लिए भी केन्द्र होने चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री अपने बजट का कार्यान्वयन करते समय इन चीजों पर विचार करेंगे।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बजट से लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार की जन-विरोधी, किसान-विरोधी नीतियों का पता चलता है।

मैं आर्थिक विकास दर और अन्य ऐसी चीजों के विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी है। इससे देश की आम जनता का कुछ भला नहीं होगा। हालांकि, यह सरकार किसानों के लिए कभी भी हितकारी नहीं रही है फिर भी यह आशा थी कि इस बजट से कृषक समुदाय

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

को लाभ होगा। माननीय वित्त मंत्री किसानों के उस सम्पन्न वर्ग के बारे में सोच रहे हैं जो कुल किसानों का मात्र आधा प्रतिशत है। चूंकि सम्पन्न किसान पहले ही सुस्थापित हैं, उन्हें सरकारी समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव है कि 10,000 करोड़ रुपये की राशि से एक आवर्ती निधि (रिवाल्विंग फंड) बनाई जाए जिससे असमय वर्षा, सूखे की स्थिति से फसलों को होने वाले भारी नुकसान और कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से पीड़ित किसानों की मदद की जा सके।

कर्नाटक राज्य दूध के अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री के संबंध में गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सरकार की ओर से दुग्ध और दुग्ध-उत्पादक नियंत्रण आदेश में संशोधन की बात कही गई है। यह संशोधन कर्नाटक और अन्य प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए आगे आ रही है।

जहां तक किसान क्रैडिट कार्डों का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसान मासिक प्रीमियम अदा करने की स्थिति में नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि उनका प्रीमियम माफ कर दिया जाए।

भारत के किसानों की मुख्य समस्या कृषि उत्पादों के मूल्य के उतार-चढ़ाव आता रहता है। गरीब किसान लाभ की आशा में कृषि में भारी निवेश कर रहे हैं परन्तु कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण उसे लाखों रुपये की हानि हो रही है। इसलिए, किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले हैं। सरकार को किसानों की रक्षा करनी है।

सरकार ने उन स्थानों पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जहां आम जैसे फलों का प्रचुर उत्पादन नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की इकाइयां उन क्षेत्रों में स्थापित की जाएं जहां इस प्रकार के फलों का प्रचुर उत्पादन होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के प्रसार एवं शोध के संबंध में किसानों के व्यावहारिक अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए।

पेय जल के संबंध में मेरा कहना है कि 1991-95 के दौरान केन्द्र में कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी पेय जल मिशन के अधीन तीन जिलों की पहचान की गई थी। वे तीनों जिसे तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हैं। सरकार ने प्रत्येक राज्य को 10 करोड़ रुपये दिए। लेकिन यह योजना कार्यान्वित नहीं की गयी है। यह ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब कार्यान्वित की जाएगी। अनेक क्षेत्रों में पेय जल सुविधा नहीं है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। गर्मी पहले ही शुरू हो चुकी है। इसलिए हमें जल समस्या को हल करना है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि अन्य नदियों को गंगा और महानदी से जोड़ा जाए। नदियों को जोड़े जाने से लगभग 125 जिलों में पानी की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन वे जल की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक धनराशि व्यय कर रहे हैं लेकिन वे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर रहे हैं।

महोदय, स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरूवात की थी। ये किसानों को बिना किसी लाभ एवं हानि के आधार पर धन देने के लिए स्थापित किए गए थे। ये गरीबों, सीमान्त किसानों एवं कृषि मजदूरों को सहायता देने के लिए स्थापित किए गए थे। अब वे इसे बन्द करने जा रहे हैं। अब इन्हें शहरों में स्थानान्तरित किया जा रहा है। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि इससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक न्याय का है उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण आवंटन की एक या दो प्रतिशत धनराशि भी नहीं दी है। वे निधियों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं। महोदय, मैंने परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी सुझाव दिया है कि उन्हें गरीब लोगों की सहायता करने के लिए नवोदय विद्यालय जैसी संस्थाएं शुरू करनी चाहिए।

*यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजग ने विनिवेश के लिए एक पूर्णकालिक मंत्री नियुक्त किया है। इस सरकार ने विनिवेश की अवधारणा का गलत अर्थ लगाया है। विनिवेश का उद्देश्य घाटे में चल रहे संगठनों को बेचना या लाभ कमाने वाले संगठन में बदलना था। लेकिन इस सरकार ने उच्च लाभ देने वाले उद्योगों को भी बेचना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य से आप हैरिटेज होटल जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं।

कोई भी सरकार व्यापारी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। तथापि कुछ संस्थानों की बिक्री बहुत गलत तरीके से हुई उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। जब श्री अनन्त कुमार पर्यटन मंत्री थे तो उन्होंने बंगलौर में कहा था कि किसी भी कीमत पर बंगलौर अशोक को नहीं बेचा जाएगा लेकिन उसके चार-पांच माह के अन्दर ही यह केवल 47 करोड़ रुपये (लगभग) में बेच दिया गया। मंत्री महोदय मुझे बताएं कि क्या ऐसे स्थान पर इतनी धनराशि से ऐसी सम्पत्ति खरीदना संभव है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं और विरासत में प्राप्त हैरिटेड संस्थाओं की स्थिति जैसे सामाजिक दायित्वों को दृष्टि में रखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। यह समय देश की विरासत

*भाषण का यह अंश सभा पटल पर रखा गया।

एवं संस्कृति की कीमत पर प्रतिष्ठापूर्ण संस्थाओं की बिक्री रोकने का है। यदि लाभ अर्जित करना ही केवल मापदण्ड है तो प्रबंधन में परिवर्तन, स्थापनाओं को पट्टे पर देना और आयोग कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि जैसी रणनीतियों को अपनाया जाए।

इसी प्रकार मैं सरकार से अनुरोध करता रहा हूं कि बीजीएमएल-केजीएफ को संकट से उबारा जाए क्योंकि हजारों कर्मचारी बेरोजगार हैं। इसलिए इसके विषय में सोचने का यह अत्यन्त उपयुक्त समय है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं खानों को इच्छुक पार्टियों को समयबद्ध भुगतान के आधार पर पट्टे पर देने का प्रयास किया जाए। दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अच्छे उदाहरण हैं- बीईएमएल और कुद्रेमुख।

इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि संगठन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जो कि जमीनी वास्तविकता नहीं जानते, को नियुक्त करने के बजाए किसी तकनीकी विशेषज्ञ या ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जिसे उस क्षेत्र विशेष का अच्छा ज्ञान हो। इससे संगठन को संकट से उबारने में मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को आबंटित धनराशि सन्तोषजनक नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विभाग को किए गए आबंटन में वृद्धि की जाए। अनु.जा./अनु.ज.जा. के लोगों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए मैं निम्न कदम उठाए जाने का सुझाव देता हूं:

(क) सस्ती लोकप्रियता पर आधारित कार्यक्रमों को बन्द किया जाए;

(ख) रोजगार आधारित अध्ययन या अनु.जा./अनु.ज.जा. के विद्यार्थियों को जीविका प्रदान करने वाले अध्ययन में विश्वास व्यक्त कराना;

(ग) परम्परागत तरीकों से शिक्षा देने पर रोक लगाई जाए जिसमें बेरोजगार स्नातक पैदा किए जाते हैं;

(घ) अनु.जा./अनु.ज.जा. के उन विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए जो कि प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, सं.लो.से.आ. की परीक्षा में बैठना चाहते हैं एवं आर्थिक अक्षमता के कारण महत्वपूर्ण शहरों में जाने में सक्षम नहीं है;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में मूल शिक्षा पर जोर दिया जाए जिससे वे शहरी विद्यार्थियों से प्रतियोगिता कर सकें।

मैं अपनी बात एक सुझाव के साथ समाप्त करना चाहूंगा वह है महात्मा गांधी की सलाह का स्मरण। गांधी जी को याद करने का यह अत्यन्त उपयुक्त समय है। उन्होंने हमें गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का पाठ पढ़ाया है। इसलिए हमें शहरी क्षेत्रों में हो रही वृद्धि को रोकना है। क्योंकि किसी दिन इन शहरों में मूलभूत सुविधाओं जैसे जल, सफाई और प्रदूषण, कानून एवं व्यवस्था जैसी बड़ी समस्याओं के कारण बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

अंतत:, हमें सुधारों के क्षेत्र में चीन का अनुकरण करना है, हम बहुत देर तक भ्रम में नहीं रह सकते, इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए। देश के लाभ के लिए हमें इस मामले पर आम सहमति कायम करनी चाहिए एवं समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, समय की कमी है इसलिए मैं केवल कृषि क्षेत्र के संबंध में किए गए प्रस्तावों पर ही बोलूंगा।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विशेष रूप से कहा है कि उनका इरादा किसानों को स्वतन्त्रता देने का है। उन्होंने कहा कि उनकी नीति का प्रमुख उद्देश्य किसानों को स्वतन्त्रता देना है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि प्रस्ताव को पढ़ने के बाद हममें से प्रत्येक को, इस देश के किसानों को निराशा हुई है। महोदय, हम अपने देश में नकदी फसलों जैसे चाय, काफी, रबर, काली मिर्च, इलायची आदि का उत्पादन करते हैं। वित्त मंत्री ने किसानों को विशेषकर नकदी फसल उत्पादक किसानों की लम्बे समय से लम्बित मांग पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने चाय एवं काफी पर 100 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ा दी है।

महोदय, देश में चाय एवं काफी की वास्तविक स्थिति क्या है। अब लगभग सभी चाय बगान बन्द किए जा रहे हैं। एक किग्रा. चाय के 45 रुपये मिलते हैं और उस पर 65 रुपये की उत्पादन लागत आती है। एक किग्रा. काफी के मात्र 8 रुपये मिलते हैं जबकि उसकी उत्पादन लागत स्वभावत: किसानों को मिलने वाली धनराशि से पांच से दस गुना होगी। भारत, श्रीलंका के बीच हुए चाय संबंधी समझौते के तहत श्रीलंका से बहुत अधिक मात्रा में चाय का अत्यन्त मामूली 11.5 प्रतिशत की दर से आयात किया जा रहा है और उस चाय की गुणवत्ता भी अत्यन्त निम्न कोटि की है। इस चाय को हमारे यहां की उच्च गुणवत्ता की चाय के साथ मिलाया जाता है जिससे परिणामस्वरूप यहां की चाय की कीमत दिन प्रतिदिन गिर रही है। महोदय, लाखों कामगार बेरोजगार हो रहे हैं और चाय के अनेक बागान बन्द हो रहे हैं। अत: हम बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। कामगारों की मजदूरी में कटौती की जा रही है। अत: हमें चाय पर शुल्क 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। महोदय विश्व व्यापार संगठन समझौता के तहत हम शुल्क में 300 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्री ने इन दो वस्तुओं के शुल्क में बड़ी मुश्किल से 100 प्रतिशत की वृद्धि की।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

महोदय, जैसा कि श्री थामस ने उल्लेख किया है, यह स्पष्टत: देखा जा सकता है कि प्राकृतिक रबर पर 70 प्रतिशत शुल्क बढ़ाया गया है। रबर के 10 लाख किसानों में से 99 प्रतिशत छोटे एवं सीमान्त किसान हैं जो कि प्राकृतिक रबर शीट का उत्पादन करते हैं। यह 70 प्रतिशत लाभ केवल प्राकृतिक रबर के दूध पर दिया गया है। रबर की एक शीट कैसे बनाई जाती है? मुझे इस बात पर सन्देह है कि माननीय मंत्री को इसकी प्रक्रिया का ज्ञान है। यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक रबर शीट पर शुल्क को 25 प्रतिशत इस तर्क के आधार पर रखा गया है कि यह एक औद्योगिक उत्पाद है। उनका सोचना है कि रबर शीट किसी प्रक्रिया से बनाई जाती है।

हम प्राकृतिक रबर के दूध के साथ केवल पानी एवं फार्मिक एसिड मिलाते हैं। हम यह अपने घरों पर ही करते हैं। मैं रबर का किसान हूं और मेरे पास रबर के पेड़ हैं। हम प्राकृतिक रबर के दूध के साथ फार्मिक एसिड एवं पानी मिलाते हैं और रातों रात यह आयताकार आकार में बदल जाता है। यह सूखा एवं कठोर होता है। छोटे किसानों के यहां ये सारे कार्य उनकी पत्नी एवं बच्चों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक रबर शीट का उत्पादन किसी औद्योगिक गतिविधि द्वारा नहीं किया जाता है। आपने प्राकृतिक रबर पर यह शुल्क 25 प्रतिशत क्यों रखा है जो कि टायर का प्रमुख अवयव है? हमें संदेह है कि ऐसा देश की टायर उत्पादक लाबी के दबाव में किया गया है। स्वयं विश्व व्यापार संगठन समझौते में किसी मंदी (डिस्ट्रेस्ड) कृषि संबंधी वस्तु पर 150 प्रतिशत तक सीमा शुल्क बढ़ाने का उपबंध है। अपने विचारानुसार मैं ठीक कह रहा हूं। वित्त मंत्री को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। यदि इसे 50 प्रतिशत बढ़ाया जाना संभव हो तो मैं 10 लाख रबर के किसानों और लगभग उनके परिवार के 50 लाख सदस्यों की तरफ से अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक रबर शीट पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए। इस उपाय से सामान्य किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। अन्यथा प्राकृतिक रबर पर की गई 70 प्रतिशत की वृद्धि से केवल रबर के दूध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। कहने के लिए अन्य अनेक बाते हैं। उदाहरण के लिए काली मिर्च को लीजिए जिसे इस देश में काला सोना कहा जाता है। वास्को-डी-गामा और क्रिस्टोकर कोलम्बस ने भी भारत की खोज उस समय करने का प्रयास किया जबकि वे इस काले सोने (काली मिर्च) एवं अन्य मसालों की खोज कर रहे थे। आज काली मिर्च की क्या स्थिति है? वित्त मंत्री यह कहने वाले हैं कि शुल्क में 70 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। लेकिन गत वर्षों में हमारे निर्यात में गिरावट आती रही है और गत वर्ष इसमें 22 प्रतिशत की दर से गिरावट आई है। ऐसा क्यों है? ऐसा होने का कारण यह है कि वियतनाम से निम्न कोटि की काली मिर्च का आयात किया गया है क्योंकि शुल्क (ड्यूटी) की दर कम है। हम इसे 200 प्रतिशत तक क्यों नहीं बढ़ा सकते? मुझे समझ में नहीं आता कि मुश्किल क्या है?

इसी प्रकार, हमारे देश में एक दक्षिण अमरीकी देश-ग्वाटेमाला-से निम्न स्तर की इलायची का आयात किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इस वर्ष ग्वोटमाला में इलायची की भारी उपज हुई है। अत:, आयात बड़ी मात्रा में होगा और इससे हमारे किसानों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम इन सभी मसालों का निर्यात करके कीमती विदेशी मुद्रा कमाते आये हैं। अब, निर्यात रूक गया है और बदले में हम बड़े पैमाने पर आयात करने लगे हैं। निश्चित ही मंत्रालय में मंत्री महोदय को भरमाया जा रहा है। मुझे मालूम है कि श्री यशवंत सिन्हा ऐसे निष्ठुर व्यक्ति नहीं हैं कि वे किसानों का दु:ख-दर्द न समझ सकें। मैं यह विश्वास रखता हूं। मंत्रालय में उन्हें निश्चित तौर पर गलत जानकारियां दी जा रही हैं। वे कृपया किसानों की परेशानियों को समझें।

इस देश में लगभग पचास लाख नारियल-कृषक हैं। पिछले साल, कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को, चोरी-छुपे, 75 प्रतिशत से कम करके 65 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसा करने की क्या आवश्यकता या अनिवार्यता हो गई थी? माननीय वित्त मंत्री और माननीय वाणिज्य मंत्री द्वारा अनेक बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, कच्चे पाम तेल पर शुल्क को 10 प्रतिशत कम कर दिया गया। बड़े पैमाने पर पाम तेल के आयात का अर्थ होगा-नारियल तेल और नारियल की वर्तमान कीमत में गिरावट। आज नारियल कृषक काफी मुश्किल की स्थिति में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं एक नारियल-उत्पादक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और नारियल-कृषकों की समस्याओं से वाकिफ हैं। इस देश के किसानों की वास्तविक कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक अच्छे उपायों का उल्लेख किया है और हम सब उनका स्वागत करते हैं। इन स्वागत योग्य कदमों में से कुछ हैं-एक आधुनिक एकीकृत खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग का प्रस्ताव, शीतागार और ग्रामीण भण्डागार योजना की क्षमता में वृद्धि, सभी प्रकार के कृषि-उत्पाद के लिए वायदा व्यापार, आदि। इस क्षेत्र पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। उन्हें चाय के वायदा व्यापार को तत्काल स्वीकृति दे देनी चाहिए। चाय-उत्पादक संघ की यह मांग रही है। वित्त मंत्री जी द्वारा इस कदम की घोषणा एक स्वागतयोग्य कदम है।

इसके साथ ही, छोटे और सीमांत कृषकों के लिए एकमुश्त-निपटान योजना की घोषणा की गई है। इसके लिए अधिकतम सीमा 50,000 रु. तय की गई है। हम यह एकमुश्त-निपटान सुविधा बड़े समृद्ध किसानों को दे रहे हैं। उन्होंने बैंक से करोड़ों रु. उठाया है और दरअसल, वे केवल आधी राशि ही वापस कर रहे हैं। और इन किसानों के लिए केवल 50,000 रु. की सीमा रखी गई है मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस धनराशि को बढ़ाकर एक तर्कसंगत स्तर तक लाएं।

मैं दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी क्षेत्र को अर्थक्षम बनाया जायेगा। फार्म-कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उन्होंने कृषि-निर्यात क्षेत्रों की घोषणा की है, इस योजना को अंतिम रूप दें तो केरल का ध्यान अवश्य रखें।

हम विश्व की परमाणु-शक्तियों में अपना स्थान बना चुके हैं। परमाणु-ऊर्जा का उपयोग कृषि-प्रयोजनों, कृषि-क्षेत्र के लाभार्थ किया जा सकता है। अविकिरणकारी परमाणु-संयंत्रों के माध्यम से देश के खाद्य-उत्पादों, फल तथा साग-सब्जियों की सुरक्षण क्षमता बढ़ायी जा सकेगी तथा मसालों और समुद्री खाद्य-पदार्थों से फफूँद जन्य संदूषण को भी हटाया जा सकेगा। इस तरह के इसका उपयोग हो सकता है। वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को उदारतापूर्वक सहायता तथा अनुदान प्रदान करें जिससे कि जिन-जिन राज्यों में ऐसी आवश्यकता है-वहां ये संयंत्र स्थापित किये जा सकें।

महोदय, मैं एक बैंक-कर्मचारी हूं। मुझे बैंकों के बारे में एक बात कहनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र को गैर-निष्पादनकारी अस्तियों के माध्यम से 12,860 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्री ने देश की मौजूदा गैर-निष्पादनकारी अस्तियों का उल्लेख नहीं किया। हमारे बैंकों के पास 60,000 करोड़ रु. की गैर-निष्पादनकारी अस्तियां हैं। यदि आप ब्याज को भी जोड़ें, तो यह राशि एक लाख करोड़ रु. को पार कर जाती है। लोगों से केवल 12,860 करोड़ रु. की ही वसूली हो सकी है। जिन लोगों से वसूली नहीं हुई है, वे देश के प्रभावशाली व्यक्ति, बड़े-बड़े उद्योगपति और कारपोरेट-जगत के लोग हैं। ये लोग इस देश की जनता के धन को लूट रहे हैं। यदि हम इनसे पूरी राशि की वसूली कर लें, तो बजट-घाटा निश्चित तौर पर पूरा हो जायेगा। किन्तु, वित्त मंत्री जी तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की एल.टी.सी. सुविधा देने से इंकार कर रहे हैं। रेलवे, रक्षा क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को तो यह सुविधा प्राप्त हो रही है लेकिन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एल.टी.सी. न देने से आखिर कितनी बचत हो रही है? मैं वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन सभी बातों पर विचार करें और कोई अनुकूल निर्णय करें।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, सभा को एक मुद्दे पर बात करनी है तथा वह वाकई चिंता का विषय है-और इस सम्मानित सभा की चिंता पूरे देश की चिंता है।

उपाध्यक्ष महोदय: रात्रि के भोजन की व्यवस्था है। माननीय सदस्य भोजन शुरू कर सकते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: भारत-जो आर्थिक तौर पर, डगमग करके चलने वाले भीमकाय हाथी के समान है-को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, जो-बेशक अविशिष्ट से-फुलाये भरते हुए चीते के समान दौड़ रहा है! हमारी अर्थव्यवस्था संक्रमण-काल से गुजर रही है संक्रमण सदैव कष्टकारक होता है। माननीय वित्त मंत्री ने सतर्क तरीके से बहुत संतुलन बनाकर बजट पेश किया है जिससे कर-दाताओं को कम से कम तकलीफ हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि निचले तबके के लोगों के लिए यह चिन्ता का विषय हो गया है कि मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ गई! मेरे अनुभव के अनुसार मेरे निर्वाचन क्षत्र के दूर-दराज के इलाकों, जैसे-गुरेज, सुलेल, तंगधार, मुचिल और उड़ी तहसील के ऊपरी हिस्सों में रहने वाले लोग थड़थड़ाती ठण्ड के दिनों में मिट्टी के तेल पर ही निर्भर रहते हैं और इस मूल्य वृद्धि से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। मैं वित्त मंत्री से यह विनीत अनुरोध करूंगा कि इस पक्ष पर ध्यान दें-जो उन अत्यधिक गरीब लोगों के हित साधनार्थ अत्यंत आवश्यक बात है, जो कि इस मूल्य वृद्धि से बहुत आहत हुए हैं।

इस माहौल में, जब कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने की इच्छा रखते हैं, हमारे समक्ष बाधाएं हैं और हम सभी उनसे परिचित भी हैं। कभी-कभी इतिहास की किसी विरासत के निशान ऐसे दर्ज रह जाते हैं कि उन्हें पोंछकर अलग कर देना मुश्किल हो जाता है!

मुझे समय सीमा का ध्यान है। मैं अपने राज्य की समस्याओं की बात करना चाहूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था को 1960 में सिंधु जल संधि के रूप में एक गहरा आघात लगा था जिस पर 1961 से अमल किया गया। इस संधि को हमारे लोकप्रिय नेतृत्व के पीठ पीछे किया गया। इस दुर्भाग्यजनक संधि ने हमारी अर्थव्यवस्था को सुखा डाला और हमें आगे के लिए पंगु कर दिया। हमारे छोटे से राज्य के आर्थिक तंत्र के लिए यह दुर्भाग्यशाली संधि रक्त कैंसर की तरह है! 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला हमारा विद्युत घर ठप्प हो गया और हम अभी केवल इसकी 2 प्रतिशत

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

क्षमता को ही काम में ला पा रहे हैं, कार्यान्वयन के चरण में केवल 2.5 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर पायेंगे-विभिन्न स्तरों पर वित्तीय आदानों के लिए तरसने और बार-बार काम रोक देने की दशा है। यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। यद्यपि जम्मू और कश्मीर में पनबिजली उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं, फिर भी उच्च लागत पर विद्युत का आयात किया जा रहा है। पंजाब में विद्युत-परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से रावी-व्यास परियोजना से, हम 55 पैसे से लेकर 85 पैसे प्रति यूनिट लागत की विद्युत का उत्पादन करने में समर्थ है. वह क्षेत्र उसका लाभ उठा रहा है। लेकिन, दुर्भाग्यवश हमें नुकसान हो रहा है। नदी में तलछट होने की वजह से हमारी वर्तमान पनबिजली उत्पादन क्षमता कम हो गई है। दुर्भाग्यवश इस संधि की वजह से हम उस तलछट को साफ भी नहीं कर सकते। शीतकाल के दौरान तलछट जमने की समस्या की वजह से झेलम की विद्युत-उत्पादन क्षमता गिरकर केवल 23 मेगावाट ही रह गई है। इस सिंधु जल संधि की कठोर वास्तविकताओं के मद्देनजर, इस बजट में हमें इस तरह से आदानों का प्रदाय किया जाना था-जिससे हम तेजी से विकास कर सकते। मैं बहुत सी बातें नहीं करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में वृद्धि के पैरा में कहा है कि ''कार्यान्वयन और प्रशासन'' के जरिये निचले तबके के लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मैं उन अधिकारिता योजनाओं की बात कर सकता था, जिसका लाभ विभिन्न क्षेत्रों के निचले तबके के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन चूंकि मुझे जम्मू और कश्मीर के बारे में कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है, अत: मैं वह बात नहीं करूंगा। कहना यह है कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर रूका पड़ा है। इसकी वजह से हमारे राज्य की छोटी से अर्थव्यवस्था दबाव के बोझ तले कराह रही है।

महोदय, आतंकवाद के केवल एक दुर्दांत प्रहार से ही विश्व अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 11 सितम्बर को विश्व की आर्थिक महाशक्ति ने उस प्रहार की भीषणता को अनुभव किया। तो उस छोटे से राज्य के बारे में क्या कहा जाय, जो पिछले 12 वर्षों से आतंकवादी हिंसा का शिकार बना हुआ है? हमारे कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर अटके पड़े हैं। जम्मू और कश्मीर से होने वाले निर्यात के संवर्धन के एक पैकेज को प्राय: अंतिम रूप दिया ही जा चुका था, लेकिन उसका कार्यान्वयन रूका पड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों की तर्ज पर जम्मू और कश्मीर के लिए भी एक औद्योगिक पैकेज अंतिम चरण में है। लेकिन उन इकाइयों, जो पिछले बारह वर्षों से ऐसी स्थिति में पड़ी है तथा रूग्ण घोषित कर दी गई है, के पुनरुद्धार के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। इस योजना पर अमल ही नहीं हुआ है। सी.आई.बी. योजना के अधीन जम्मू में 'अंतर्देशीय कन्टेनर डिपू' स्थापित करने का कार्यक्रम भी विभिन्न विभागों में अटका पड़ा है और इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। योजनाओं की उपयुक्तता और इनके लिए निधिपोषण का निर्धारण तभी किया जा सकता है जबकि इनका कार्यान्वयन हो, विशेषकर जम्मू और कश्मीर जैसे दरिद्रता की स्थिति तक पहुंचे राज्यों के लिए दूसरे राज्यों की भी अपनी-अपनी समस्याएं हैं। लेकिन इस समय में उनकी बात नहीं कह सकता। हम इस सभा में 'पर्वतीय राज्य विकास परिषद्' का सृजन करने के लिए एक संकल्प लाए थे, जो कि ऐसे राज्यों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक अच्छी कार्यान्वयनगत उपाय हो सकता था। जम्मू और कश्मीर में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है-बागवानी। हम बागवानी निर्यात कार्यक्रमों के लिए कहते रहे हैं। योजनाएं बनी और कार्यक्रम बने-लेकिन उनका कार्यान्वयन ही अटक गया।

बागवानी-उत्पादों के लिए कोई उपयुक्त पैकेज देना पड़ेगा। यह योजना पहले से ही विचाराधीन है। 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग' ने एक रिपोर्ट तैयार की है और वह विभाग में ही अटकी पड़ी है। ऐसी कई बातें कहने के लिए हैं। असलन खेल-सामग्री को ही लें। हमारी विल्लो लकड़ी क्रिकेट के बल्ले के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हमें आश्चर्य है कि इसे कच्चे माल के तौर पर राज्य से बाहर भेजा जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन: एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।

यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिससे राज्य को बहुत मदद होती। मैं कहना चाहूंगा कि देश को जिस सर्वप्रमुख बुनियादी-तत्व और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार संरचना की आवश्यकता है, वह है-शांति। यदि हम कतिपय क्षेत्रों में शांति बहाल कर सकें, तो देश के विकास की सर्वाधिक सशक्त आधारसंरचना तैयार कर देंगे। जब तक हम जम्मू और कश्मीर के विकास की ओर ध्यान नहीं देते, तब तक हम शायद इस क्षेत्र में शांति नहीं ला सकेंगे, जहां हजारों बेरोजगार नौजवान भूखे मर रहे हैं और निराशामय जीवन जी रहे हैं। मैं सरकार से जम्मू-कश्मीर के युवकों को रोजगार के लिए एक पैकेज तैयार करने का बार-बार अनुरोध कर चुका हूं ताकि हम आतंकवाद और हिंसा के नर्क से निकल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़): अभी-अभी जिन माननीय सदस्य ने बोला है उन्होंने इस बात पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है कि इस बजट ने किस प्रकार इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। मैं स्वयं को पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा। यह क्षेत्र अलगाववाद की समस्या से जल रहा है। इसके साथ ही, यह क्षेत्र

प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ों से तबाह हो जाता है। इसके अतिरिक्त, वहां पर बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही समस्या अर्थात् बाढ़ की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित कर दिया जाना चाहिए।

इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए केवल 10 करोड़ रुपये और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए केवल 20 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। केन्द्र सरकार से मांगी गयी आवश्यक वित्तीय सहायता से यह काफी कम है। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बाढ़ समस्या की जांच कराने और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अन्य ज्वलंत समस्या चाय बागानों की है। एक मिलियन से भी अधिक लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के चाय बागानों में कार्यरत हैं। चाय बागान उद्योग बहुत विकट समय से गुजर रहा है। पहले भी, जब चाय उद्योग की स्थिति खराब थी, तब डा. मनमोहन सिंह ने उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया था। किन्तु सरकार ने 2 रुपये का उत्पाद शुल्क फिर लगा दिया है। मंत्री महोदय, आप एक रुपया वापस लेने के लिए सहमत हो गये हैं। मैं आपसे उत्पाद शुल्क को पूर्णत: समाप्त करने का आग्रह करूंगा और सरकार किस प्रकार चाय उद्योग की सबसे अच्छे ढंग से सहायता कर सकती है यह देखने के लिए एक समिति गठित करने का आग्रह करूंगा क्योंकि यह देश के सबसे बड़े श्रमिक-बहुल उद्योगों में से एक है जिसमें प्रत्यक्षत: दो मिलियन से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और दो मिलियन लोगों को अप्रत्यक्षत: रोजगार प्राप्त है जो चाय उद्योग में कार्यरत हैं। चाय उद्योग की कठिनाइयों के संबंध में सरकार को जांच करानी चाहिए।

ऐसी दो महत्वपूर्ण एजेन्सियां हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत हैं। डा. मनमोहन सिंह जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम की स्थापना की थी ताकि उस क्षेत्र में कुछ नये उद्यमियों को ला सकें और रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इस संगठन का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संगठन की समस्या की जांच-पड़ताल करें ताकि वह इस क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सके।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम नाम का एक अन्य संगठन है। आप यह जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के मामले में बहुत समृद्ध है। आपने इस संगठन के पुनर्संगठन के लिए एक करोड़ और पचास लाख की बहुत छोटी सी राशि प्रदान की है। मैं समझता हूं कि यह संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों की बहुत सहायता कर सकता है। इसीलिए, मैं आपका ध्यान इस समिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यहां ऐसी दो बड़ी परियोजनाएं हैं जो काफी लम्बे समय से लंबित हैं। एक है- गैस क्रेकर परियोजना और दूसरी है-बोगिविल ब्रिज। रेल मंत्रालय ने अपनी असमर्थता प्रकट की है क्योंकि उनके पास वित्त नहीं है। सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश, इन दोनों परियोजनाओं की आधारशिला एक के बाद दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा रखी गयी थी, सरकार को इसके लिए धन अवश्य प्रदान करना चाहिए। इन्हें कार्यान्वित न करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के विकास के लिए एक बागवानी मिशन तैयार किया है।

हमने बागवानी मिशन की रिपोर्ट नहीं देखी है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस मिशन के लिए धनराशि प्रदान करने की कृपा करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र की मुख्य समस्याएं अलगाववाद और बेरोजगारी है। इस क्षेत्र में बागवानी के विकास की काफी समस्याएं हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बागवानी मिशन के संबंध में कुछ करने का अनुरोध करूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र वनस्पतिजगत, प्राणिजगत और प्राकृतिक सौन्दर्य के मामले में बहुत समृद्ध है। लेकिन पर्यटन के विकास के लिए कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जिसका परिणाम यह है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। पर्यटन के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास से क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। मैं यह अनुरोध करता हूं कि पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास की दिशा में केन्द्र सरकार को अवश्य कदम उठाने चाहिए।

वर्ष 1997 में, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने वालों के लिए कर अवकाश घोषित किया था। कर अवकाश के बावजूद इस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया। इसीलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इस मामले की जांच कराने और इस क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने की कुछ नयी घोषणा करने का आग्रह करूंगा ताकि इस क्षेत्र में अधिकाधिक उद्योग स्थापित किये जा सकें।

इस क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने के लिए उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत राहत की घोषणा करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। मैं वित्त मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहूंगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

नुमालीगढ़ स्थित एकोर्ड रिफाइनरी के उद्घाटन के समय इसके लिए उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत राहत की घोषणा की थी। लेकिन इस बजट में मैं नहीं जानता कि क्यों 100 प्रतिशत घटकर 50 प्रतिशत रह गया है। इस संबंध में, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इसे पुन: 100 प्रतिशत तक बहाल करने का आग्रह करूंगा। ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित राहत को वापस लिया जाए। अन्यथा, इससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए गलत संदेश जायेगा।

मैं आपसे न्यूनतम वैकल्पिक कर समाप्त करने हेतु क्षेत्र के छोटे उद्यमियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग की जांच-पड़ताल कराने का आग्रह करूंगा। वित्त मंत्री जी इस क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पर ध्यान दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। शायद अंडमान-निकोबार द्वीप पर कुछ न कहे तो लगता है कि जनरल बजट पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती है। चूंकि अंडमान भारत के आखिरी किनारे पर है, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरा भाषण कम से कम सुनें और उस पर क्रियान्वित करने की कोशिश करें। अंडमान-निकोबार द्वीप के लोग बहुत जगह पर बैठे हैं। प्राब्लम आफ कम्युनिकेशंस, इस पर माननीय मंत्री जी ने नार्थ-ईस्ट पर बहुत बड़ी राहत दी थी। 15 प्रतिशत इंलैंड एयर ट्रैवल टैक्स नार्थ-ईस्ट के लोगों ने इस साल के बजट में यह प्रावधान रखा है, मेरा अनुरोध है कि यह सुविधा अंडमान-निकोबार को दी जाये। चूंकि अंडमान-निकोबार के लोग लक्षद्वीप के लोग...*(व्यवधान)* जब नेशनल हाईवे की बात आ रही है, जब पैसे की बात होती है तो अंडमान-लक्षद्वीप इसकी मांग नहीं कर सकते। रेलवे बजट की जब बात हो रही है तो अंडमान-लक्षद्वीप इस पर चर्चा नहीं कर सकते, मांग भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शांता कुमार जी और आडवाणी जी,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: समय को 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। क्या इस मामले के पूरा होने तक समय बढ़ाने की सभा की इच्छा है?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: समय बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: नार्थ-ईस्ट को जो सुविधा देने जा रहे हैं, सेम सुविधा जो आदरणीय आडवाणी जी ने होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मीटिंग में डिसीजन लिया था और उसे कुछ कार्यान्वित भी किया था। शांता कुमार जी, भारत के इतिहास में अंडमान-निकोबार द्वीप के लोगों के लिए पीडीएस मुख्य चीजों के जो दाम हैं, वे अभी भी करीब-करीब हर किलों अधिक रहे।

रात्रि 9.00 बजे

माननीय मंत्री श्री शांता कुमार जी ने 16 जनवरी से पीडीएस के लिए हिल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम पर अंडमान-निकोबार को भी शामिल किया है। इसी दिशा में आदरणीय आडवाणी जी ने 5 मार्च, 2001 को होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मीटिंग में निर्णय लिया और राम नाईक जी ने उस दिशा में कदम उठाया। अब अंडमान-निकोबार को भी भारत के अन्य राज्यों के अनुसार एलपीजी की सुविधा दी जा रही है। निकोबार डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल लोग रहते हैं। आज से कुछ साल पहले यहां एक सिलेंडर की कीमत 384 रुपये था। माननीय नाम नाईक जी ने बात को सुना और ध्यान देते हुए भारत के साथ अंडमान और निकोबार में भी एल.पी.जी. सिलेंडर के दाम कम किए। अंडमान-निकोबार में एलपीजी सिलैंडर की कीमत 20 रुपए अभी भी अधिक है। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी राहत दी गई है, जासे रंगत और निकोबार लेकिन दिगलीपुर और मायाबंदर आदि जगहों पर यह राहत नहीं दी गई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों के लिए भी सब्सिडी दी जाए। इसी प्रकार 5 मार्च को यह भी निर्णय हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में सब्सिडी के आधार पर अंडमान-निकोबार में इंटर-हिल हैलीकाप्टर सर्विस दी जाए। अंडमान-निकोबार में भगवान के दिए हुए बहुत से टापू हैं और इन क्षेत्रों में टूरिज्म का काफी महत्व है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र में टूरिज्म के विकास के लिए एक पैकेज दिया जाए।

अंत में, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अंडमान-निकोबार में दो फसलें प्रमुख हैं-सुपारी और नारियल। इस बात को सभी जानते हैं कि वहां सुपारी का दाम बहुत ही घट चुका है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वे इस ओर खास तौर से ध्यान दें। इस दिशा में पहले ही भारत सरकार को पहले ही एमआईएस स्कीम दी हुई है, जिसके अनुसार सुपारी का दाम 70 रुपए प्रति किलो फाइनल किया जाए। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना भाषण पढ़ने की अनुमति चाहिए क्योंकि मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहता और जो भी समय मेरे पास उपलब्ध है उसका मैं अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सभा के इस सत्र में यह मेरा पहला नियमित भाषण है। सबसे पहले मैं लोक सभा के दिवंगत अध्यक्ष, श्री जी.एम.सी. बालयोगी की स्मृति को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री बालयोगी एक सज्जन पुरुष थे, वे बहुत विचारशील और सदस्यों को प्रिय थे। उन्होंने इस सभा की कार्रवाई सबसे अच्छे ढंग से चलायी। लोक सभा के इतिहास की कथा में उनके नाम को गौरव और महत्व का स्थान प्राप्त होगा।

विगत समय में, संसद एक वर्ष में 150 से अधिक दिन तक बैठती थी। हाल के समय में इसकी वर्ष में 100 अथवा 110 दिन बैठकें होती है। यहां तक कि कम हुए इन दिनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। सभा स्थगित हो जाती है और उपलब्ध समय के कई घंटे नष्ट हो जाते हैं।

संसद को सार्वजनिक महत्व की योजनाओं, नीतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पर्याप्त दिनों तक चर्चा की जानी चाहिए। आम बजट पर पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिए। अन्तर्निहित मूलभूत सिद्धान्तों और रेल विभाग के विकास से संबंधित मुद्दों और समेकित परिवहन प्रणाली पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्तों पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। विगत समय में पंचवर्षीय योजना और कार्यकरण के मध्यावधि मूल्यांकन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये सभी पहलु भारतीय अर्थव्यवस्था और सर्वतोमुखी विकास के खराब कार्यकरण में दृष्टिगत होते हैं। इससे कार्यपालिका की विधान मंडल के प्रति जवाबदेही कम हो जाती है विधान मंडल में जन प्रतिनिधियों का प्रभाव कम हो जाता है और ये और अधिक असहाय हो जाते हैं।

क्या हमें इस रवैये को बदल देना चाहिए अथवा नहीं? क्या हमें बजट की योजनाओं और नीतियों पर विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिए अथवा नहीं? हमें इन सब बातों का उत्तर देना चाहिए और सकारात्मक उत्तर देना चाहिए। कई बार, हमने इन सब बातों पर चर्चा की है। इसी प्रकार, परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं है। हम आशा करें कि हम भविष्य में बेहतर कार्य करेंगे। हम यह आशा करें कि इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होगा।

वित्त मंत्री बजट तैयार करते हैं और उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। फिर भी आर्थिक और अन्य प्रकार के विकास कार्यों को करना उनके स्वयं के लिए संभव नहीं है। वे निश्चित रूप से सर्वतोमुखी आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। वांछित परिणाम प्राप्ति के लिए अन्य मंत्रियों और अन्य मंत्रालयों, सरकारी क्षेत्र और यहां तक कि गैर सरकारी क्षेत्र को उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं होता। मामलों की ऐसी स्थिति देश के लिए लाभदायक नहीं हो सकती। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के उत्तरदायित्व का भार न केवल वित्त मंत्री अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा ही वहन नहीं किया जाना चाहिए। अपितु अन्य सभी मंत्रियों और मंत्रालयों को भी पूरी तरह से यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।

बजट बीते वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त की गयी उपलब्धियों की जानकारी प्रदान कराता है। आने वाले वर्ष में देश में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए तैयार की गयी योजना का प्रारूप दिखाता है। इस मुद्दों से संबंधित सभी मामलों पर यह प्रकाश डालता है। आओ हम समाप्त होने जा रहे इस वित्त वर्ष में हुए आर्थिक विकास पर दृष्टि डालें।

मैं कृषि उद्योग रोजगार, राजस्व और वित्तीय घाटा आदि के संबंध में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण, 2001-2002 में दी गयी कुछ पंक्तियों और टिप्पणियों को पढ़ता हूं। इन टिप्पणियों से वह स्थिति स्पष्ट हो जायेगी जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था आज है और इससे प्राप्त उपलब्धियां स्पष्ट हो जायेंगी। इन टिप्पणियों से पता चलेगा कि गत वर्ष के बजट में लक्ष्य देशनांको को प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं।

अब रिपोर्ट का प्रथम वाक्य वह है:

''भारतीय अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही है।''

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जो 6.5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से काफी कम है। औद्योगिक विवाद में बहुत गिरावट आई है। खनन क्षेत्र में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2000-2001 के 3.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-2002 में 1.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी अवधि में उत्पादन वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई जबकि विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति के संदर्भ में यह 6.2 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई।

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2000-2001 में 5.5 प्रतिशत और 2001-2002 में 5.1 प्रतिशत

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रहने का अनुमान है। राजस्व में बहुत अधिक गिरावट आई है, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं- औद्योगिक उत्पादन में गिरावट-तेल एवं गैर तेल के आयात में अत्यधिक गिरावट के कारण अप्रत्यक्ष करों में बहुत कमी आई है। चालू वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रहण लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। इस वर्ष के अंत तक केन्द्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा बजट में निर्धारित लक्ष्यों से बढ़ने की संभावना है।

"31 जनवरी, 2002 को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का 2001 से आगे का जो तुरंत अनुमान उपलब्ध कराया गया है उसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद अत्यधिक रूप से 1999-2000 के 6.1 प्रतिशत से घटकर 2000-2001 में चार प्रतिशत हो गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कुल मूल्य वृद्धि में 1999-2000 के 1.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2000-2001 में दो प्रतिशत की गिरावट आई है। वित्तीय और जमीन जायदाद क्षेत्र के असन्तोषजनक निष्पादन का कारण नकारात्मक वृद्धि दर है जो कि बैंकिंग सेक्टर में 2.2 प्रतिशत है। नारियल-जटा और आधारभूत संरचना क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर रिकार्ड किए जाने की आशा है।"

"उत्पादित वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि में प्रत्यक्ष गिरावट आई है और नारियल-जटा एवं आधारभूत संरचना उद्योग की विकास दर में गिरावट आई है। आईआईपी के संदर्भ में अप्रैल-दिसम्बर 2001-2002 के दौरान सकल औद्योगिक वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.8 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.3 प्रतिशत रही।"

"सभी बड़े क्षेत्रों और इन सभी वस्तुओं के क्षेत्र में औद्योगिक मंदी देखी गई है।"

मैं वे सभी बातें नहीं पढ़ना चाहता जिनका उल्लेख किया गया है। लेकिन उससे जो कुछ उजागर होता है पहले हमें उस पर विचार करना चाहिए। ये टिप्पणियां विपक्षी सदस्यों की हैं। वे स्वयं सरकार की तरफ से की गई हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि गत वर्ष का बजट ऐसा नहीं था कि उसे 10 में से 9 अंक दिए जाएं अर्थात् बजट बहुत अच्छा नहीं था। यह बहुत अच्छा बजट नहीं था। सरकार का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं था, आर्थिक वृद्धि में गिरावट आई। इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार को लेनी चाहिए। विश्वसनीय एवं रचनात्मक बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी वित्त मंत्री की होनी चाहिए।

सरकार की इस असफलता के क्या कारण हैं। इसके कारण हैं, विश्व की आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा और कारगिल युद्ध। क्या हम इन स्पष्टीकरणों को पूर्णत: स्वीकार करें? मेरे विचार में इसमें आंशिक सत्यता है। लेकिन इसके केवल यही कारण नहीं हैं। अन्य अनेक कारण भी हैं जिनकी वजह से सरकार असफल रही है। वे अन्य कारण क्या हैं?

अन्य कारण हैं- दूर दृष्टि का अभाव, गलत नीति, अकुशल प्रशासन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग का अभाव- केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों हेतु संवाद का अभाव, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग एवं सम्यक संतुलन का अभाव- पंचवर्षीय योजना को लागू करने में लापरवाही, विश्व आर्थिक स्थिति पर प्रभाव की नासमझी, आधारभूत संरचना का विकास न किया जाना, गैर सरकारी शक्तियों एवं प्रयासों पर बहुत अधिक निर्भरता, कामगारों की वास्तविक समस्याओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता, प्रबन्धन की अद्यतन विधियों पर निर्भर न होना, प्रशासन एवं सरकार, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग के प्रति लापरवाही, उद्योग की अपेक्षा व्यापार पर अधिक निर्भरता, कृषि की अपेक्षा उद्योग पर निर्भरता, श्रम एवं ज्ञान की अपेक्षा, पूंजी पर निर्भरता, उत्पादन के नये क्षेत्रों की खोज हेतु प्रयास न किया जाना, आर्थिक न्याय के सिद्धान्तों पर ध्यान न देना, बेइमानी एवं गलत साधन अपनाने की समस्याओं के प्रति उपयुक्त ध्यान न दिया जाना, मंदिर बनाने जैसे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों को अधिक महत्व देना और आर्थिक विकास के आधुनिक मंदिर यथा सिंचाई, बांधों, विद्युत स्टेशनों, उद्योगों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं आदि के निर्माण पर कम ध्यान देना, संकुचित दृष्टि, इस बात का विश्वास हो जाना कि सत्ताधारी दल अगले आम चुनाव के बाद सत्ता में नहीं आएंगे, सरकार के मामलों में अनुभवहीनता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): आप लोगों को बार-बार मंदिर का नाम लेने की आदत पड़ गई है। आप बता दीजिए कि सरकार ने मंदिर के लिए कितना पैसा दिया है और कितना खर्च किया है? आप हर बात पर मंदिर का नाम लेते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुवीक्षण में चल रही 200 परियोजनाओं के लिए जितनी समय एवं लागत निर्धारित थी उससे अधिक समय एवं लागत लग गई है, मुझे बताया गया कि इस पर लगभग 17,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च हो गए हैं जैसा कि वित्त समिति की रिपोर्ट में बताया गया है। इससे संबंधित और सूचनाएं हैं। फिर भी यहां सभी कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पहचान बाद में सुधार लाने के लिए एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाएगी। गत वर्ष के बजट पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की समाज के किसी वर्ग ने प्रशंसा नहीं की। माननीय वित्त मंत्री जो कि पूरे समय इस

सभा में बैठे रहते हैं, ने बजट की आलोचना सुनी होगी। उनके दल के दो या तीन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों ने बजट की आलोचना की है। इसने सभी को निराश किया है। हमें आशंका है कि यह बजट उस बजट से अधिक अनर्थकारी होगा जो कि कुछ दिनों में व्यपगत होना वाला है।

इस वर्ष का बजट दूरदृष्टि और कल्पनाशीलता पर आधारित नहीं है तथा यह यांत्रिक, नकारात्मक विषयवस्तु, प्रेरणा शून्य तथा विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों का संकलन मात्र है, यह अपने आप में संपूर्ण नहीं है जो कि सकारात्मक एवं सक्षम परिणाम दे सके बल्कि यह अव्यविस्थत है। यह अत्यन्त निराशाजनक दस्तावेज है। वित्त मंत्री महोदय आर्थिक सुधारों और आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण की बात करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम इसे पढ़ा हुआ मान लें?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा क्यों किया जाए?...*(व्यवधान)* मैं कठोर भाषा में आलोचना नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: मैं दलों के लिए किए गए समय प्रबंधन की बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय आबंटित किया गया था और कितना समय दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या आपके कहने का मतलब है कि यदि मैं शोर मचाऊंगा तो आप मुझे समय देंगे, और यदि मैं तर्कसंगत वक्तव्य दूंगा तो आप मुझे समय नहीं देंगे?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सदस्यों के दो या तीन मिनट बोलने के बाद उन्हें बैठने को कहने लगते हैं? क्या कोई समय-प्रबंधन है? हम इसे पढ़ा हुआ मान सकते हैं क्योंकि इसे पढ़ा जा रहा है। इसे सभा-पटल पर रखा जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक समय आबंटन की बात है उसके विषय में मुझे निर्देश उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिया जाएगा न कि किसी सदस्य द्वारा...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): महोदय उन्हें सभा के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चलना चाहिए कि भाषण पढ़ा न जाए...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं आर्थिक सुधारों के बारे में बात कर रहा हूं। आर्थिक सुधारों से गरीबी उन्मूलन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी, उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना, उत्पादन के नए क्षेत्रों का प्रयोग, आर्थिक अनिश्चितता के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों की प्रगति हेतु प्रोत्साहन जैसे कार्यों में सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार जिन सुधारों पर विचार कर रही है। उनकी प्रकृति क्या है? वे सरकार का आकार छोटा कर रहे हैं राजसहायता घटा रहे हैं, बाजार की शक्तियों को अपनी भूमिका अदा करने की अनुमति दे रहे हैं, नियंत्रण को घटाकर न्यूनतम स्तर पर ला रहे हैं, निजीकरण एवं विनिवेश किया जा रहा है, कर में कमी एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। ये उन अर्थिक सुधारों की विशेषताएं हैं जिन्हें सरकार लाना चाहती है।

हम इन सभी पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। मैं जोर देकर अपनी बात कह रहा हूं कि हम इन सभी पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन कुछ मुद्दों पर आपत्ति कर रहे हैं जो कि लोगों के देश के एवं आर्थिक विकास के हित में नहीं हैं।

यधि आर्थिक न्याय न किया जाए, समाज की संपत्ति केवल कुछ लोगों को दे दी जाए, गरीबी न घटाई जाए, लोगों में और कुछ करने की भावना न जगाई जाए, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि न हो, कार्य कर रहे लोग बेरोजगार हो जाएं और बेरोजगारों को बाध्य होकर अपनी व्यवस्था अपने आप करनी पड़े और तथाकथित सुधारों के परिणामस्वरूप उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित हो तो हम इन्हें वास्तविक सुधार कैसे माने? ठीक यही होने वाला है। क्या हमें इस प्रकार के सुधारों के स्वागत करना चाहिए? क्या हम इस प्रकार के सुधारों का चुनाव नहीं कर सकते जिससे लोगों को वर्तमान एवं भविष्य में सहायता मिले और सर्वांगीण विकास का वातावरण तैयार हो सके? हमें सुधार करने हैं, वास्तविक सुधार न कि इस प्रकार के सुधार करने हैं जिनसे अनेक समस्यायें पैदा हों।

पंडित जी ने हमारी अर्थव्यवस्था में सिंचाई के लिए बाध बनाकर, विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना करके, भूमि जोतने वालों को भूमि का बंटवारा करके, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करके और वर्तमान एवं भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करके सुधार किए।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्यमशील व्यक्तियों को निधियां उपलब्ध कराकर गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाकर, समुद्र, अन्तरक्षि, जैव प्रौद्योगिकी के संसाधनों के उपयोग की शुरूवात करके और

[श्री शिवराज वि. पाटील]

खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाकर इन सुधारों को जारी रखा।

श्री राजीव गांधी ने नीतियों में सुधार करके और उत्पादन के क्षेत्र में संचार प्रणाली और इलेक्ट्रानिक जेनेटिक्स लाकर यही किया था।

श्री नरसिंहराव ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का काम किया और आगे बढ़ने में मदद की। विश्व भर में सुधार और संशोधन लाए जा रहे हैं। भारत में इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। यह अन्य देशों से सीखने का इच्छुक है। साथ ही भारत उत्पादन, वितरण और प्रबंधन के क्षेत्रों में नई-नई विधियां विकसित करना चाहेगा, उनकी खोज करना चाहेगा। भारत अपने आंख-कान खुले रखकर अन्य देशों का अनुकरण करेगा। यह दूसरों से सीखने में भी नहीं झिझकेगा और अपने आविष्कार करने से भी दूर नहीं हटेगा। यह अन्य देशों से अलग-अलग पड़ना नहीं चाहता, यह दूसरों के साथ ही आगे बढ़ेगा। साथ ही, यह विश्व के अन्य देशों में लागू सुधार सिद्धान्तों का अंधानुकरण नहीं करेगा क्योंकि उन देशों की क्षमताएं और समस्याएं हम से अलग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अंतिम बिन्दु पर आएं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा था। मैं केवल आलोचना ही नहीं करूंगा बल्कि सुझाव भी दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कितना समय चाहिए?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे कुछ समय तो चाहिए। यदि इसमें कोई परेशानी है तो मैं अपना भाषण सभा-पटल पर रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण पढ़ सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं पूरी सभा के लिए असुविधा उत्पन्न नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, इनका भाषण टेबल पर ले करा दीजिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का प्रयास कर रहा था। यदि असुविधा हो रही है तो मैं इसे टाइप कराकर सभा-पटल पर रखा सकता हूं।

आर्थिक विकास धीमा हो गया है। इस प्रवृत्ति को बदला जाना चाहिए। निवेश के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकार को अधिक निवेश करना चाहिए। अधिक निवेश आकर्षित किया जाना चाहिए। परन्तु, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि यह बजट सकारात्मक होता तो इसमें इस प्रकार के प्रावधान होते। बजट को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिनमें अधिशेष उपलब्ध हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में अंतरित किया जाना चाहिए जहां ये आय का स्रोत बन सकें और इनसे उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि हो।

लेकिन ऐसे उपाय कहीं दिखाई नहीं दे रहे और इससे अर्थव्यवस्था के सुधार में सहायता नहीं मिलेगी। यह एक ऐसी त्रासदी होगी जो भारत के साथ घटित नहीं होनी चाहिए।

आर्थिक और चहुंमुखी विकास के लिए आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। इनका विकास देश में किया जा सकता है या बाहर से खरीदा जा सकता है। भारत में मुख्यत: इनका विकास केन्द्र सरकार करती है, राज्य सरकारें नहीं। अन्य विकसित देशों की तरह भारत में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास में निवेश नहीं करते। अत: राष्ट्रीय सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त आबंटन करे परन्तु 2002-03 के बजट में ऐसा नहीं किया गया है। बजट से यह परिलक्षित होता है कि सरकार ने इस वास्तविकता को नहीं समझा है। आबंटन बहुत ही कम किया गया है। यह आबंटन अपर्याप्त और असंतोषजनक है और इसकी वजह से उद्योग, कृषि, शिक्षा, ढांचागत सुविधा क्षेत्र, रक्षा, संचार और परिवहन प्रभावित होंगे। वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व पूंजी से अधिक है और इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा जाना चाहिए। यदि हम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देना होगा और इस कार्य के लिए अधिक निधियां जुटानी होंगी कुछ सौ या हजार रुपयों की जो निधियों दी जाती हैं, वे एक परियोजना के लिए भी पर्याप्त नहीं होती हैं। यदि हम पूरे देश में अनुसंधान कार्य के लिए कुछ सौ या हजार रुपये आबंटित करके ही संतोष कर लेंगे, तो हमें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला।

ग्रामीण भारत कृषि पर निर्भर करता है। मनुष्य और मवेशी खाने और चारे के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। यदि कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होता तो ग्रामीण जनता बेरोजगार, दरिद्र और

पीड़ित होगी। भारत में कृषि के विकास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ हमें निम्नलिखित की आवश्यकता है, नामत: सिंचाई सुविधाओं का विकास होना चाहिए; सिंचाई के लिए आबंटन अपर्याप्त है, किसानों को कृषि संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए; इस संबंध में नीतियां स्पष्ट नहीं हैं; नई किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक तैयार किए जाने चाहिए और कृषकों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए; और उत्पादकों को कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।

इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार कहती है खरीद का काम राज्य सरकारों को करना चाहिए। भारत सरकार बाजार से हट रही है। यदि भारत सरकार बाजार से हटती है तो कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आऐगी ही। राज्य सरकारें बाजार में आने वाले खाद्यान्नों की खरीद की इच्छुक नहीं हैं। भारत सरकार बाजार से हट रही है। तो फिर किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे दे पाएंगे? यह एक समस्या बन गई है। इस समस्या पर सरकार और संसद तथा यहां बैठे हम सभी लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। यदि आप खाद्यान्नों की खरीद और निर्यात में रूचि नहीं लेने वाले इन लोगों को यह जिम्मेवारी सौंपते हैं तो न तो खाद्यान्नों की खरीद होगी और न निर्यात। किसानों के लिए अन्य देशों को खाद्यान्नों का निर्यात कर पाना संभव नहीं है। वे नहीं जानते कि अन्य देशों में किस प्रकार के बाजार हैं। वे खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: इस प्रकार का एकतंत्र होना चाहिए जो खाद्यान्न, फल, फूल और सब्जियां प्राप्त करके उनका निर्यात कर सके। कुछ वर्ष पहले विदेश व्यापार विभाग ने कुछ वर्षों पूर्व कुछ योजनाएं बनाई थीं लेकिन उन योजनाओं पर कार्रवाई नहीं हुई। उन योजनाओं पर कुछ कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कृषि उत्पादों का निर्यात हो पाए और उन देशों को निर्यात हो जो तेल उत्पादक देश हैं और जहां खेती नहीं होती और कृषि उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं।

पर्याप्त ऋण सुविधा दी जानी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों को 65,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण दिए जाएंगे।

मैं यह समझने का प्रयास कर रहा हूं कि 65,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता क्या हमारे देश के कृषि क्षेत्र के लिए जिस पर 70 प्रतिशत जनता निर्भर करती है, पर्याप्त है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है और कहा है कि कृषकों को 40 प्रतिशत ऋण दिए जाएंगे। भारत सरकार ने देश के सभी बैंकों को यह निदेश दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, शहरी बैंकों ने किसानों को मात्र छह से आठ प्रतिशत ऋण ही दिए हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि जो धन किसानों को दिया जाना था उसे नाबार्ड को अंतरित कर दिया जाए और नाबार्ड, किसानों को ऋण दे। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार का बैंक नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु अन्य क्षेत्रों को दिए गए 40 प्रतिशत ऋणों का वितरण भी नहीं कर सका। केवल 12 से 16 प्रतिशत ऋणों का ही वितरण हुआ- कुछ क्षेत्रों में 12 प्रतिशत और कुछ अन्य में 16 प्रतिशत। अत: किसानों को दिया गया 65,000 करोड़ रुपये का ऋण अपर्याप्त है। इसमें भी, हमने पता लगाया है कि बैंक, किसानों को उचित तरीके से ऋण नहीं दे रहे हैं। यदि किसानों को ऋण नहीं दिया जाता है तो हम अपने देश में कृषि का विकास कैसे कर पाएंगे? समस्या, वस्तुत: यह है।

जैव संवर्धन भी एक ऐसी चीज है जिसे हमें विकसित करना होगा। हमारे पास जैव-संवर्धन विभाग है। जैव संवर्धन विज्ञान का विश्वविद्यालयों में विकास होना चाहिए। राज्य सरकारें इसमें योगदान करें और भारत सरकार को भी योगदान करना चाहिए।

आगामी वर्षों में भूमि की उर्वरता एक महत्वपूर्ण समस्या बनने जा रही है। भारत में कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक परेशान करने वाली बात भूमि की उर्वरता है, जिस पर सिंचाई सुविधाओं और रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भूमि की उर्वरकता के पहलू पर ध्यान दिया है और इस पर भारत सरकार को ध्यान देना होगा। यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो हम अगले 10-15 वर्षों में पाएंगे कि कितने ही हैक्टेयर भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई है। गंगा सिंचित क्षेत्र में भूमि पहले ही अनुर्वर हो गई है और नहर सिंचित भूमि भी अनुर्वर होता जा रही है। यदि आप भारत में कृषि संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस पहलू पर ध्यान देना होगा।

जहां तक खाद्य भंडारों का संबंध है, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस विषय पर गत वर्ष विस्तृत चर्चा हुई थी। इस वर्ष भी गोदामों में खाद्यान्न भरे पड़े हैं परन्तु उनको नहीं मिल रहे जिन्हें मिलने चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं होने के कारण हो रहा है। भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि देश के प्रत्येक जिले में खाद्य बैंक होने चाहिए। क्या आपने इस सुझाव पर ध्यान दिया है? यदि पंजाब और तमिलनाडु में गेहूं और चावल पैदा होता है तो उड़ीसा जैसे राज्यों में लोगों को चावल उपलब्ध होना चाहिए, पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों को गेहूं और चावल उपलब्ध होना चाहिए। यदि दूरी ही समस्या है तो समय से पहले ही कदम उठाकर उन्हें गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मुझे कई मुद्दों पर बात करनी है। उद्योग के संबंध में भी हम औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उद्योगों की विकास दर में भी गिरावट आई है। भारत में उद्योगों की समस्याएं

[श्री शिवराज वि. पाटील]

दोहरी हैं- (1) नए उद्योगों की स्थापना, और (2) यह सुनिश्चित करना कि रूग्ण उद्योग रूग्ण न बना रहे। यदि हमें सचमुच औद्योगिक विकास करना है तो हमें उन क्षेत्रों को चुनना होगा जहां हम उद्योगों का विकास कर सकते हैं और उन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। सभी क्षेत्रों में उद्योग का विकास करना और अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता भी करना संभव नहीं है।

अब श्रम सुधार की बात करते हैं, श्रम सुधार क्या है? विपक्ष की माननीय नेत्री ने भी श्रम सुधारों का उल्लेख किया।

यदि श्रम सुधार श्रमिक को दी गई सुरक्षा को कम करना है, यदि श्रम सुधार श्रमिक को बेरोजगार बनाता है, यदि श्रम सुधार श्रमिक को रोजगार देने वालों की दया पर छोड़ देता है, तो क्या हम इसे श्रम सुधार कह सकते हैं? यदि यह आवश्यक है, तो हम इसे इस तरह करें कि अंततः श्रमिक को सहायता मिले। सिर्फ श्रमिक को ही नहीं बल्कि श्रम सुधार से श्रमिक उपभोक्ता और उत्पादक सभी को लाभ प्राप्त होना चाहिए। यदि श्रम सुधार सिर्फ इसलिए है कि "हायर एंड फायर" की नीति अपनाई जाए और श्रमिक को निकाल बाहर किया जाए तो इस तरह के श्रम सुधार वास्तव में श्रम सुधार नहीं है।

यहां पर सरकार द्वारा हर समय निजीकरण पर चर्चा की जाती रही है। कांग्रेस पार्टी निजीकरण के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मिश्रीत अर्थव्यवस्था की नीति को स्वीकार किया है। इसका मतलब है कि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र होने चाहिए। लेकिन होता यह है कि सरकार द्वारा अपनाए एवं क्रियान्वित किए जा रहे निजीकरण के आधारहीन सिद्धान्तों के कारण यह सफल नहीं है। इसे मैंने तब समझा जब मैं दो दिन पूर्व ही राजस्थान का दौरा किया। वहां की सरकार ने मुझे बताया कि राजस्थान स्थित सूरतगढ़ परियोजना, जो कि विद्युत उत्पादन इकाई है, को पिछले 20 वर्षों में भी स्थापित नहीं किया जा सका है। इसे सिर्फ धनाभाव के कारण ही स्थापित नहीं किया जा सका ऐसा नहीं है लेकिन इसे इसलिए स्थापित नहीं किया जा सका कि सरकार इस बात का ही निर्णय नहीं कर सकी कि जो निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए या कि सरकारी क्षेत्र में। यह निर्णय लिया गया कि यदि निजी क्षेत्र आगे नहीं आ रहा है तो इसे सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे स्थापित किया गया और परियोजना 28 महीनों के भीतर ही पूरी हो गई। बिजली उत्पादन की लागत 4 करोड़ प्रति मेगावाट से घटकर 3.80 करोड़ प्रति मेगावाट हो गई। इसलिए, निजीकरण के इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन इसे बहुत ही सावधानी के साथ अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक आखिरी बात रखूंगा और अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। यह वित्तीय घाटे के बारे में है। हम वित्तीय घाटे पर चर्चा कर रहे हैं। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या समाधान सुझाए गए हैं? एक है विनिवेश और दूसरा राज सहायता को कम करना। यही दो तरीके है जिनके माध्यम से सरकार वित्तीय घाटे को कम करना चाहती है। तीसरी चीज जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं वह है किसी तरह का विधान बनाना जिससे वित्तीय घाटा कम करने में उन्हें वास्तव में मदद मिल सके।

लेकिन ये नकारात्मक तरीके हैं। ये सकारात्मक नहीं हैं। यदि सचमुच आप वित्तीय घाटा कम करना चाहते हैं, तो उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, यह देखना आवश्यक है कि देश में स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो। यदि इसे कम करना है तो बिजली की चोरी को रोकना होगा। केवल तभी आप ऐसा करने में समर्थ हो सकेंगे।

यदि सरकार का ध्यान और इच्छा शक्ति ऐसा करने की नहीं है, तो यह संभव नहीं है। कानून बनाकर, आप वित्तीय घाटा कम करने में समर्थ नहीं होंगे। आप बहाने बनाएंगे कि वित्तीय घाटा क्यों कम नहीं हो पाया। लेकिन यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो कानून या नियमों सहित या बिना नियमों के भी केवल कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके आप ऐसा करने में समर्थ होंगे।

मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं इतना समय देने के लिए आपका और सत्तापक्ष का एवं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनू कुमारी (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनट बोलना चाहती हूं। जब से इंतजार कर रही हूं। मुझे दो मिनट का ही समय दे दीजिए। मैं भी बजट पर बोलना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: रेनु जी, आपकी पार्टी के दो मैम्बर बोल चुके हैं। मंत्री जी को भी कम से कम 45 मिनट बोलने के लिए चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश का बजट भी लेना है। काफी समय हो चुका है। आप थोड़ा चेयर के साथ कोआपरेट कीजिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस अवसर पर स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी जी की स्मृति को नमन करना चाहूंगा। मुझे याद है, 28 फरवरी को जिन दिन मैं इसी सदन में अपना बजट पेश कर रहा था, श्री बालयोगी

जी उस कुर्सी पर बैठे थे। उस अवसर पर और अन्य कई अवसरों पर जिस सूझ-बूझ से, जिस विद्वता के साथ जिस ज्ञान के साथ उन्होंने इस सदन की कार्यवाही को संचालित किया, वह हम सबके लिए स्मरणीय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, उन्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अंग्रेजी भाषांतरण सुन सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन 44 सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस सामान्य बजट की चर्चा में भाग लिया और लगभग 14 घंटे तक चली इस चर्चा में अनेक सुझाव दिये गये और हमारा ज्ञानवर्द्धन किया। मैं मानता हूं कि जितनी बुद्धि और विवेक के साथ मैं कल इस सदन में बैठा था, आज उस बुद्धि की मात्रा बढ़ी हुई है। बुद्धि की मात्रा भी बढ़ी है और अंडरस्टैंडिंग की मात्रा भी बढ़ी है। श्री मणि शंकर अय्यर जी ने इस चर्चा को शुरू किया और श्री शिवराज पाटिल जी ने कांग्रेस की तरफ से अंतिम भाषण इस चर्चा में किया। दोनों की भाषा में जो अंतर था, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन शुरू में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जब श्री मणि शंकर अय्यर जी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त बोल रहे थे तो उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांझी जी का जिक्र किया। उनके कार्यकाल के चार वर्ष के समय आर्थिक विकास की प्रगति की दर क्या रही, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का नाम लिया और उनके चार वर्षों में आर्थिक विकास की दर क्या रही और उसके बाद डा. मनमोहन सिंह जी का नाम लिया कि उनके नेतृत्व में देश ने चार वर्षों में कैसे प्रगति की, यह सब बताया। बीच में एक नाम छूट गया, क्या मुझे याद दिलाने की आवश्यकता है? एक नाम नहीं लिया। मैं कांग्रेस पार्टी की राजनीति में कोई दखल नहीं देना चाहता हूं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैंने वाजपेयी जी का नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया। मैं यह दो नाम भूल गया।

श्री यशवन्त सिन्हा: अगर आप थोड़ा धीरज और धैर्य के साथ मेरी बात सुने जिस धैर्य के साथ मैंने आपकी बात सुनी तो आपकी बुद्धि का भी थोड़ा सा विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस साल 2002-2003 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हम बहुत अतीत में गये। बहुत अतीत में जाकर जो तुलना हमको शायद नहीं करनी थी, तो कम्पेरीजन हमको नहीं करना था, वह कम्पेरीजन करने का भी काम यहां पर किया। अब कितनी दूर इतिहास में जाना चाहते हैं। मेरे चार वर्ष बहुत बुरे रहे। अटल जी के नेतृत्व में जो सरकार चार वर्षों से चल रही है, आपके अनुसार उसने देश की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी विकास की दर नीचे आ गई। सन् 2000-01 में 4 प्रतिशत, 2001-02 में आज के अनुमान के अनुसार 5.4 प्रतिशत। इस पर आपकी निराशा है और उसकी तुलना आपने श्री राजीव गांधी के चार वर्षों के साथ, श्री मनमोहन सिंह के चार वर्षों के साथ और श्रीमती इंदिरा गांधी के चार वर्षों के साथ की। अगर उससे भी ज्यादा इतिहास में जाएं, मैंने इसीलिए तैयार करवाया, 1951-52 से 1976-77, कांग्रेस के शासन के जो 25 वर्ष इस देश में रहे, आर्थिक विकास की दर क्या थी-3.6 प्रतिशत थी, 25 वर्षों तक लगातार।

[अनुवाद]

वर्ष 1980-81 से 1988-89 तक, नौ से दस वर्षों के कांग्रेस शासन के दौरान विकास दर क्या थी? औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत थी। तत्पश्चात् वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक, कांग्रेस शासन काल के अन्य पांच वर्षों के स्वर्ण युग में औसत विकास दर 5.4 प्रतिशत थी। यह 5.4 प्रतिशत क्यों थी? हम बहुत उदार रहे हैं क्योंकि अपनी सभी गणनाओं में हमने वर्ष 1991-92 के संकट-ग्रस्त वर्ष को निकाल दिया। हमने स्वयं कहा है कि वर्ष 1991-92 संकट ग्रस्त वर्ष था और इसलिए, इसकी गणना नहीं की जानी चाहिए। इसलिए हम भी नरसिम्हा राव और श्री मनमोहन सिंह के कार्य काल के अंतिम चार वर्षों की विकास दर की ही गणना करते हैं जिसमें उच्च विकास दर थी। लेकिन जब आप वर्ष 1991-92 को भी इसमें शामिल करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा, यह 5.4 प्रतिशत हो जाएगी, इसलिए इस देश के पूरे इतिहास में कांग्रेस शासन में औसत विकास दर 4.9 प्रतिशत बैठती है। हम इतिहास में चले मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): कांग्रेस ने देश को गुलामी से निकाला। उसे भी जरा बोलिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि आप मेरे न्यूनतम दो वर्षों को हाथ में ले लीजिए और आपके जो

[श्री यशवन्त सिन्हा]

सबसे उत्तम वर्ष रहे, उनसे उनकी तुलना करें तो यह क्या सही तुलना होगी? मैं इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं। हम जब 1998-99 में सरकार में आए, उस समय क्या स्थिति थी।

[अनुवाद]

वर्ष 1997-98 में विकास दर घटकर 4.8 प्रतिशत हो गयी थी। औद्योगिक मंदी पहले ही शुरू हो गई थी।

[हिन्दी]

उसके बाद मेरे प्रथम वर्ष में

[अनुवाद]

विकास दर 6.6 प्रतिशत थी। आपने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया?

[हिन्दी]

यह कोई तर्क नहीं है, कुतर्क है कि हमारे जो सबसे कम ग्रोथ के वर्ष हैं, उसे ले लें और आपके सबसे ज्यादा ग्रोथ के वर्षों से उसकी तुलना करने लगें और कहें कि आप फेल कर गए, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। उसी प्रकार अगर आंकड़ों में जाएं तो आप पाएंगे कि देश की कृषि के विकास में उतार-चढ़ाव हर समय हुआ है, लगातार हुआ है, कभी गिरा है। 5.6 प्रतिशत अगर कृषि की विकास दर 1995-96 में गिर गई, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो क्या उसके लिए हम आपको कोस रहे हैं-नहीं कोस रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की कृषि कई और इस प्रकार के बाह्य कारणों पर आधारित है जिस पर किसी सरकार, किसी वित्त मंत्री का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए आटोनोमसली वह बढ़ता है और कई कारणों के चलते गिरता भी है। नीतियों की उसमें निश्चित रूप से एक भूमिका है और उन्हीं नीतियों को अपने हर बजट में, जो मेरा पांचवां बजट था, मैंने कृषि से संबंधित उन नीतियों को सदन के सामने, देश के सामने रख कर। कृषि के विकास की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया है। हमारे सदस्यों ने सही कहा, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस साल के बजट का अगर कोई मुख्य अंश है, थ्रस्ट है तो वह भारत की कृषि का विकास है। यहां मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया है, जिन परिस्थितियों में इस बजट का मैंने निर्माण किया और उन परिस्थितियों में बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत थीं, प्रतिकूल थीं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए हमें बजट बनाना था। मैं जानता था कि इस बजट में कई ऐसी बातें हैं, जिनको लेकर लोगों में कुछ नाराजगी पैदा होगी, कुछ कठिनाई उनको हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मैंने देश के हित में उचित समझा, वहीं मैंने किया। आपने क्या एक पल के लिए भी पलटकर सोचा कि मैं भी तो इसी सदन का एक निर्वाचित सदस्य हूं, मैं भी चुनकर आया हूं, मैं इस हाउस का कोई नोमिनेटिड मैम्बर नहीं हूं और अच्छे मतों से जीतकर आया हूं। मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है, इस देश के गरीब से गरीब इलाके में उसकी गिनती होती है, क्या उसका दृश्य मेरे सामने नहीं था, क्या मैं उसको भूल गया था? लेकिन ये जो आरोप लगाते हैं, यह वातावरण उचित नहीं है, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं।

इस सदन में बहुत सारे सदस्यों ने सहमति की बात की, केंसेंसस की बात की है और मैं शत-प्रतिशत उनके साथ सहमत हूं कि सहमति बननी चाहिए। आर्थिक नीतियों के आधार पर ऊपर सहमति बननी चाहिए और सहमति बनाकर ही हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से कहना चाहूंगा कि सहमति है, प्रधानमंत्री यहां पर बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमारे अन्य सहयोगी मंत्री यहां पर बैठे हैं। हम जब-जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो वह सहमति बिल्कुल झलकती हुई हमारे सामने आती है। वे भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन समस्याओं से हम यहां केन्द्र में जूझ रहे हैं। केरल में क्या हुआ? इतने दिनों तक वहां एक स्ट्राइक चली, आप बड़े खुश हो रहे थे, जब हमारें वामपंथी मित्र हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे थे। केरल में क्या वे आपके साथ थे, इतने दिनों तक जो स्ट्राइक चली, किसने मदद की, केरल के चीफ मिनिस्टर की मैंने मदद की। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि जब केरल के चीफ मिनिस्टर से मेरी स्वयं की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी ट्रेजरी बन्द हो गई है, आप कहीं से इसके लिए संसाधन की व्यवस्था कीजिए, तो मैंने कहा कि मैं कहूंगा। निश्चित रूप से जो लोग शासन में आज के दिन हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके बीच में सहमति है, चाहे वे किसी भी दल के हों।

[अनुवाद]

देश में आर्थिक सुधार और आर्थिक नीतियों पर एक राय है। इसलिए मैं नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इन कुछ आर्थिक नीतियों संबंधी मुद्दों को हम शुद्र राजनीति से बाहर निकालें। सचमुच यह इस देश के लिए और इसके भविष्य के लिए

सबसे बड़ा दिन होगा यदि आप इन मूलभूत बातों पर सहमत होंगे और मैं जानता हूं कि जहां तक मूल बातों का संबंध है, कोई मत भिन्नता नहीं है। श्री शिवराज पाटील और श्री मणि शंकर अय्यर कह सकते हैं

[हिन्दी]

कि आपकी जो डिसइन्वेस्टमेंट की पालिसी है, हम उससे सहमत नहीं हैं। अगर यह सरकार शाम को पांच बजे डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो वे कहते हैं कि आपसे मेरा मतभेद था, क्योंकि हमने उसको 11 बजे सुबह किया होता, हमारा मतभेद है, क्योंकि हम पांच बजे शाम को करना चाहते हैं और आप उसको 11 बजे सुबह करना चाहते हैं, यही मतभेद है। जब तक आपकी सरकार रही, जिसकी आप यहां व्याख्या कर रहे थे, उसने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो उस समय आपको कोई यह बात ध्यान में नहीं आई और उसी डिसइन्वेस्टमेंट की नीति को अगर हमने और देवेगौड़ा जी यहां नहीं हैं, उन्होंने भी इस बजट की चर्चा में भाग लिया...*(व्यवधान)*

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): हैं, बैठे हैं। अब हम एक से दो हो गये।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा: मैंने ध्यान नहीं दिया।

[हिन्दी]

उन्होंने और गुजराल साहब की दो वर्ष सरकार रही। देवेगौड़ा जी की सरकार और श्री गुजराल की सरकार, उन दोनों सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट की नीति पर चलने का काम किया। आप कह रहे हैं कि पालिसी क्या है, आपकी नीयत क्या है, स्पष्ट करिए, क्योंकि आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दो बजट इसी सदन में हुए हैं। अगर उनको आप गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। नीयत का यह मतलब नहीं हुआ कि हम 50 पेज का दस्तावेज तैयार करें, तभी नीयत बनती है। नीयत अगर स्पष्ट होती है तो चार लाइन में भी नीयत स्पष्ट हो सकती है। उसी तरह सूत्र में हमने उस नीयत को स्पष्ट किया है और उसी पर चलने का काम हम कर रहे हैं। आप तो छोटे-छोटे टुकड़ों में डिसइन्वेस्टमेंट करते थे। मैं आपसे कहता हूं कि सदन की कोई समिति इसकी जांच कर ले कि आपके समय में जो विनिवेश हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, उसमें कितनी कीमत आपको प्राप्त हुई और आज जिस तरीके से हम विनिवेश कर रहे हैं, उसमें कितनी अधिक कीमत हमें प्राप्त हो रही है। इस बात की जांच कर ली जाए। प्रधान मंत्री जी ने कहा है, बार-बार कहा है कि हम क्या पब्लिक सेक्टर के विरोध में हैं, कतई नहीं। हमने बहुत सरकारी संसाधन को व्यय करके 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर कम्पनीज को रिवाइव करने का काम किया है। अगर हम उसके विरोध में होते तो हम यह काम नहीं करते। हम कहते कि जाओ, हम नहीं करते, जहां जाना है, जाओ, हमको चिंता नहीं है। लेकिन हमने चिंता की है। हजारों-करोड़ रुपए खर्च करके हम पब्लिक सेक्टर कम्पनीज को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन को रिवाइव करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाया है। उसमें क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने न केवल यह तय किया कि केवल कम्पनी ही नहीं, हम एक-एक यूनिट को देखेंगे। एक-एक यूनिट अगर वायबल हो सकती है, उसे करेंगे। उस यूनिट में भी अगर एक डिपार्टमेंट है, वह वायबल नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है, इतने विस्तार में हम लोग जाकर जहां-जहां रिवाइवल कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पंचमढ़ी का मैं रिजोल्यूशन देख रहा था।

[अनुवाद]

''प्रतियोगिता के माहौल में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां,'' यही वर्णन है।

[हिन्दी]

उसका विनिवेश नहीं होना चाहिए। अब आप बिठाएं एक कमीशन जो यह तय करे कि

[अनुवाद]

''प्रतियोगिता के माहौल में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां''

[हिन्दी]

प्रोफिटेबल है या नहीं है। और पब्लिक कम्पीटिटीव एन्वायरन्मेंट में आज के दिन है तो कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी।

[अनुवाद]

मैं कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वह नीति त्रुटिपूर्ण है।

[श्री यशवन्त सिन्हा]

[हिन्दी]

इसीलिए विनिवेश पर हमारी नीयत स्पष्ट है। उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई ओपेकनैस नहीं है। उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम सही नीति पर चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी समस्या क्या है इस देश के सामने बजट बनाते समय, हमने पांच बार उसको फेस किया है। आने वाले वर्षों में जो भी बजट बनाएगा, सबसे बड़ी समस्या देश के वित्त मंत्री, देश के प्रधान मंत्री और देश की सरकार के सामने क्या होगी कि

[अनुवाद]

दोनों सिरों को कैसे जोड़ा जाए?

[हिन्दी]

यहां पर बात होती है पांच करोड़ रुपए की, दस करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की, 800 करोड़ रुपए की और 1000 करोड़ रुपए की। मेरे लिए तो एक करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं जब बैठकर हिसाब करता हूं बजट बनाते समय, तो एक-एक रुपए का हिसाब करना पड़ता है। एक-एक रुपए का हिसाब हम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या स्थिति है फिस्कल डेफिसिट की, इसका जिक्र कई सदस्यों ने किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो आमदनी है, हमारा जो खर्च है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। उसको हम कैसे पाटते हैं, हम कर्ज लेकर पाटते हैं, कैसे पाटते रहे अतीत में, कर्ज लेते रहे पाटते रहे, कर्ज लेते रहे पाटते रहे। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, ये बहुत पुराने नहीं हैं।

[अनुवाद]

वर्ष 1995-96 में केन्द्र सरकार पर ब्याज का बोझ केवल 50,000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2002-03 में यह कितना है? यह 1,17,390 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

50,000 करोड़ रुपए से एक लाख 17 हजार करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज है। एक लाख 17 हजार करोड़ रुपए हम सिर्फ ब्याज दे रहे है।

[अनुवाद]

कुल गैर योजना व्यय का 40 प्रतिशत ब्याज है। राजस्व प्राप्ति का 48 प्रतिशत तो केवल ब्याज के भुगतान में गया।

[हिन्दी]

क्या हम चला सकते हैं, इसको अगर कोई कहे कि हां हम चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना चाहो हर साल बौरो करते चले जाओ। यहां पर आंकड़ा दिया गया है कि हमारे देश के ऊपर कर्जा कितना है।

रात्रि 10.00 बजे

हम कर्ज लेते जाएं, ऋण लेते जाएं, बहुत पोपुलर वित्त मंत्री बन जाएंगे-फिर हम सारी छूट दे देंगे, सबकी सब बात मान लेंगे और फिसकल डैफिसिट जो होगा, वह 1,30,000 करोड़ रुपये, जो हम बोरो करने जा रहे हैं, 1,35,000 करोड़ रुपये, वह उतना नहीं जबकि हम 1,80,000 करोड़ रुपये और कर लेंगे। आने वाली पीढ़ियां समझेंगी, मेरा क्या जाता है लेकिन जब हम जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

क्या यह सब हमारे लिए शोभनीय है?

[हिन्दी]

मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। मैंने पिछले साल इंटर जनरेशनल ईक्विटी की बात इसी सदन में उठाई थी। क्या हमारा आज हक बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम इस भार से लादकर जाएं? आज हम मौज-मस्ती कर लें और कल उनके ऊपर जैसे हमारे ऊपर यह भार पड़ा हुआ है, हम मौज करके चले जाएं और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां समझेंगी और आप खर्चे की बात करते हैं। यहां इस सदन में हमारे सदस्यों ने इस बात को रखा कि खर्चे में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की सेविंग्स इस साल के बजट में हमने करने का प्रयास किया और वह उस परिस्थिति में जबकि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप अवसर दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं इसे समझना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: शिवराज पाटील जी, यह योजना व्यय में कटौती की बात नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आप अवसर दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। यही समय है जब हम समझ सकते हैं, नहीं तो, इसकी कोई संभावना नहीं है...*(व्यवधान)* हम यह चर्चा कर रहे हैं कि घाटा कैसे कम किया जा सकता है। माननीय मंत्री शायद यह कहना चाह रहे हैं कि घाटा केवल विनिवेश द्वारा और राजसहायताओं को कम करके ही कम किया जा सकता है और...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मैंने ऐसा नहीं कहा...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं उनसे पूछना की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप देश में स्थापित उत्पादन इकाइयों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हैं तो क्या आपको और अधिक राजस्व नहीं मिलेगा? यदि आपने अपने बजट में राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है, और यदि आप राजस्व का संग्रहण नहीं कर रहे हैं और जो राजस्व आपने निर्धारित किया, उसे आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे?...*(व्यवधान)* यदि आप लगने वाली अधिक लागत और समय को कम नहीं करते तो आप इसे कैसे कम करेंगे?...*(व्यवधान)* आप लगने वाली अधिक लागत और समय को कम क्यों नहीं करते और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त क्यों नहीं करते?...*(व्यवधान)* मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं...*(व्यवधान)* इस तरह की आपत्ति से अज्ञानता आ सकती है...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं केवल यही स्पष्टीकरण दे सकूंगा। मैंने कभी सुझाव नहीं दिया कि विनिवेश इस अंतर को भरने का या हटाने का एक मात्र तरीका है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और मुझे पता नहीं कि ऐसे गलतफहमी कैसे हो गई।...*(व्यवधान)*

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल प्राप्ति पक्ष वित्तीय घाटे का ही उल्लेख कर रहा हूं। व्यय की कठोरता की तरफ देखिए। हमारी राजस्व प्राप्ति का, जैसा कि मैंने कहा, 48 प्रतिशत तो अकेले ब्याज के भुगतान पर ही चला जाता है। रक्षा व्यय पर 26 प्रतिशत, राजसहायता पर 16 प्रतिशत। यह सब मिलाकर हमारे राजस्व का 90 प्रतिशत व्यय हो जाता है।

[हिन्दी]

अगर उसमें आप देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी ग्रान्ट्स टू स्टेट पेंशन पुलिस यह अगर एक साथ ले लेते हैं तो

[अनुवाद]

इन सबके लिए भारत सरकार का 89 प्रतिशत व्यय होता है। शेष 11 प्रतिशत स्थापना, मंत्रियों के व्यक्तिगत कर्मचारियों आदि पर व्यय होता है। यह सब 11 प्रतिशत में से होता है।

हमारे पास बचाव का रास्ता कहां है? देश के वित्त मंत्री के पास गुंजाइश कहां है? मैंने इस प्रश्न को सभा में बार-बार रखा है। लेकिन इस समस्या का मेरे पूर्व के वित्त मंत्रियों ने भी सामना किया, और उसी समस्या का सामना आज मैं कर रहा हूं; इसी समस्या का सामना भविष्य के वित्त मंत्री भी करेंगे। हम वित्तीय घाटे की भरपाई कैसे करें? कई आसान सुझाव दिए गए और उसके आसान उत्तर भी हैं। लेकिन जब आप कार्यभार संभालते हैं, तो आपको वे आसान उत्तर नहीं मिलते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए अगर इतना आसान होता, तो फिस्कल डैफिसिट का रिकार्ड हमने इस मुल्क में कांग्रेस के उस गोल्डन-इरा रिजीम का मेटेन करके रखा हुआ है। एक माननीय सदस्य ने विक्रमादित्य से तुलना की थी। विक्रमादित्य के शासन के बाद अगर कोई बढ़िया शासन, स्वर्णीम युग इस देश में आया था, तो उनका था। फिस्कल डैफिसिट की स्थिति यह थी कि

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर जिसका उल्लेख कर रहे थे उस स्वर्ण युग में वित्तीय घाटा 9 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इतनी आसानी से इस समस्या का समाधान होता, तो किसी-न-किसी ने इसका हल निकाल लिया होता। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि राजनैतिक सहमति के अभाव में जब हम इस देश की सर्वोच्च पंचायत में बात कहते हैं, तो राजनैतिक सहमति का अभाव यहां

[श्री यशवन्त सिन्हा]

दिखाई देता है, तो उससे समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलती है। मैं यही एक छोटा सा बिन्दु, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, जब हम किसी योजना में घटाने-बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, तो जाहिर है, इसी सदन में कहा गया कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्युटीओ तथा मल्टीनेशन्ल कम्पनीज के दबाव में आकर यह बजट बना दिया। मैं आपसे बहुत-बहुत नम्रता के साथ, बहुत ही ह्युमिलिटी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मानसिकता को हम निकाल दें। हमारे जो वामपंथी मित्र हैं, कल रूपचंद पाल जी बोल रहे थे। उन्होंने कल जाते हुए मुझे एक नोट देकर गए, शायद उनको कही जाना था, कहा कि वे आज सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। लेकिन वामपंथी मित्र जो यहां सदन में उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष तौर से दूसरे भी सदस्य जो इस भ्रान्ति के शिकार हैं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्युटीओ तथा मल्टानेशनल कम्पनीज के दबाव में यह बजट बनाया है।

श्री मुलायम सिंह यादव: भ्रान्ति मैं कौन हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा: किसी की भी ताकत नहीं है कि भारत की नीतियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव बना सकें। मैं यह किसी विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाते हैं, पिछले चार वर्षों का अनुभव रहा है, तो हम शान के साथ जाते हैं और शान के साथ अपनी बात रखते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: दोहा में जब यहां से टेलीफोन गया, तभी व्यापार मंत्री ने दस्तखत किए और किसानों को बरबाद कर दिया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। कोई कहे, तो कहे, लेकिन आप मत कहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, आईएमएफ के अंतर्गत 37 देश हैं, जो चल रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश...*(व्यवधान)* कई देश हैं, जो आईएमएफ के दरवाजे पर गए हैं। रघुवंश जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी। आपने कहा था-''जा के पैर न फटे बिवाई, ऊ क्या जान पीड़ पराई।'' मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बैलेंस आफ पेमेंट की स्थिति को अगर किसी ने भुगता है और स्थिति को जानता है, तो वह नाचीज है यशवंत सिन्हा, क्योंकि मैंने 1990-91 की स्थिति को देखा है। जब आपका एक बिलियन रिजर्व रह जाता तो क्या स्थिति बनती। प्रधानमंत्री जी ने जब से इस पद की जिम्मेदारी मुझे दी है, तब से लगातार अगर एक लक्ष्य लेकर मैं चला तो यही लक्ष्य लेकर चला कि इस देश में और कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

हमने इन चार वर्षों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 25 बिलियन डालर जमा किया। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 51 बिलियन डालर पार कर चुका है और यह 52 बिलियन डालर के करीब है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, हम जब शासन में आए थे, उस समय से लेकर आज तक लगातार हम अपने एक्सटर्नल सैक्टर को कैसे सुदृढ़ रख सकते हैं, यह बात हमने बराबर सोची है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर इस बात का दोषारोपण कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट चार प्रतिशत था, जो अब 5.4 प्रतिशत हो गया। ठीक है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। आप मेरे ऊपर दोषारोपण कीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। फिजिकल डेफिसिट के ऊपर नियंत्रण नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। मुझे बहुत पीड़ा और तकलीफ हुई, जब इस साल का फिजिकल डेफिसिट मैंने इसी सदन में कहा कि 4.7 के बदले 5.7 होगा। इस साल 5.3 करते वक्त मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए इस बजट में मैं किसी लोकप्रियता के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि सरकार को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना है कि अपने घाटे को कम करें, क्योंकि आलरेडी हमारे सामने बहुत ज्यादा है। उसी बजट स्ट्रेटजी के तहत हमने अपने बजट को बनाया है।

उसके बाद ग्रोथ की बात आती है कि डिमांड कैसे बढ़ेगी, बहुत तरह की बातें आईं। हमने कृषि के ऊपर विशेष ध्यान एक बार फिर दिया और मैं यह कोई नारेबाजी के लिए नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

''किसान की आजादी'' केवल नारेबाजी नहीं थी।

[हिन्दी]

मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब से आर्थिक उदारवाद की नीति इस देश में चली है, हमने सिर्फ अपने औद्योगिक क्षेत्र की चिन्ता की है कि उसमें उदारवाद कैसे हो। एक्सटर्नल सैक्टर में कैसे

उदारवाद हो। किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, उसमें उदारवादी नीतियां लागू करने के बारे में जितना हमें सोचना चाहिए, उतना सोचने का काम नहीं किया गया। इसलिए मैंने कहा कि किसान के ऊपर जितने नियंत्रण हैं, उन्हें हटाने का काम किया जाए। पिछले बजट में भी मैंने इस बात को कहा था और सरकार ने केबिनेट में बैठ कर फैसला किया कि हम उन नियंत्रणों को समाप्त करेंगे। इस साल के बजट में भी उसी परम्परा और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि और स्वतंत्रता मिले।

मुलायम सिंह जी, सुमन जी तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने यहां बार-बार आलू के सवाल को उठाया। काफी प्लांटेशन की बात देवेगौड़ा जी ने की, रबड़ की बात थामस जी और जार्ज साहब ने की। हमारी बहुत सारी जो कृषि की उपज है, उसकी कीमत हमें अच्छी मिल सकती है। अभी शांता कुमार जी, हमारे सहयोगी मंत्री जी ने मुझे आंकड़े बताए कि सवा चार हजार करोड़ रुपए का निर्यात हमने गेहूं का और थोड़ा-बहुत चावल का, दोनों को मिला कर दिया है। 74 लाख टन अनाज का निर्यात किया है। आज भारत अनाज निर्यातक के रूप में दुनिया में पहचाना जा रहा है। वह भारत, जोकि भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमता-फिरता था, हम लोग पीएल 480 को नहीं भूले हैं,...*(व्यवधान)* इस देश को उसे नहीं भूलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना चाहिए। इसमें आपका योगदान नहीं है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): आप पहले कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हो।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष जी, रघुवंश प्रसाद जी उस समय पीठासीन थे, कुर्सी पर आसीन थे।...*(व्यवधान)* मैंने 14 घंटे धैर्य के साथ बिना टोका-टाकी किये आपको सुना है। केवल जब माननीय देवगौड़ा जी बोल रहे थे तो स्पष्टीकरण के लिए एक वाक्य मैंने कहा था। मैं अपने उस तरफ के मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे सच्चाई सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखें।...*(व्यवधान)* थोड़ा सच्चाई को सुनने की आदत डालिये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सच्चाई को कबूल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: फूड फार वर्क प्रोग्राम के बारे में जब रघुवंश बाबू पीठासीन थे तब यहां से कहा गया कि हमने जो बीपीएल, एपीएल में अनाज दिया वह क्यों दिया, वह गलत दिया। एपीएल, बीपीएल चल रहा है। अंत्योदय की योजना किसने शुरू की थी? इस सरकार ने शुरू की थी। माननीय मणिशंकर जी कह रहे थे कि कीमतों के चलते आफ-टेक नहीं हो रहा है। हम दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल बेच रहे हैं, क्या कभी कांग्रेस ने इतने सस्ते दामों पर बेचा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जिन लोगों के पास राशन कार्ड पुराने हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए हमने उनको 30 लाख टन से ज्यादा अनाज उपलब्ध कराया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मइलादुतुरई): यह आप क्या कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि वे ऐसे बीच में टोक कर क्या साधारण शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या मैं साधारण शिष्टाचार के योग्य भी नहीं हूं जो बार-बार मुझे टोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप गलत क्यों बोल रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र: आप बीच में क्यों टोका-टाकी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: आपने जितनी गलत बातें कहीं, मैंने तो एक बार भी टोकने का कार्य नहीं किया। तीस लाख टन अनाज,...*(व्यवधान)* संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह योजना क्या है...*(व्यवधान)* यह फूड फार वर्क प्रोग्राम है।...*(व्यवधान)* आप थोड़ा धैर्य से सुनें। मैंने भी आपको धैर्य से सुना है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: आप अपने सदस्यों को देखें, जो 20-20 इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। क्या यह शिष्टाचार है? इसी को क्या शिष्टाचार कहते हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अय्यर, कृपया अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि राज्य सभा सदस्य माननीय अमर सिंह जी को बुलाना पड़ेगा।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वाद-प्रतिवाद और एक-दूसरे की आलोचना के लिए यह सदन बना है। हम सरकार में हैं। आप हमारी आलोचना कर सकते हैं। जब आप सरकार में होंगे, हम आपकी आलोचना करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना की घोषणा मैंने अपने बजट में की लेकिन उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। मैं अपने मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं कि डिविडैंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बहुत चर्चा हुई लेकिन लोकनायक जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना की चर्चा कहीं नहीं आई। इसके अंतर्गत इस देश में जो सबसे पिछड़े जिले हैं, जहां सबसे ज्यादा आबादी कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की है, ऐसे जिलों को चुना जाएगा। मैं यह क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यह मेरा बड़ा ब्रिलियेंट आइडिया आरिजिनल है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ प्रधान मंत्री जी ने एक स्टैंडिंग कमेटी बनायी है। उनके साथ समय-समय पर हमारी चर्चा होती है। उसमें यह सुझाव दिया गया कि सम्पूर्ण रोजगार योजना पूरे देश के हर जिले में चलेगी लेकिन जो डिस्ट्रैस्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए एक विशेष योजना हो। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर जो रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की है, उसके लिए रूरल डैवलपमैंट मिनिस्टर श्री वैंकय्या नायडू के नेतृत्व में एक समूह बनेगा जो इस योजना की देखभाल करेगा। उसमें हमारा उद्देश्य क्या होगा? उसमें सेल्फ एम्पालयमैंट और वेज एम्पालयमैंट दोनों को मिलाकर हर बेरोजगार व्यक्ति को काम देने की गारंटी दी जाएगी।

इसके साथ-साथ ग्रेन बैंक की भी चर्चा हुई। इस प्रकार के क्षेत्रों में अगर वहां की पंचायत चाहे, या वहां वैल रेटिड एनजीओ के माध्यम से हम ग्रेन-बैंक स्कीम उन जिलों में शुरू करना चाहते हैं ताकि वहां कोई भूखे पेट सोने के लिए विवश न हो। यह बात मैंने इस सदन के सामने रखी। हम इस योजना को शीघ्र से शीघ्र लागू करेंगे और गारंटी देंगे। इसके अलावा जितने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए हमारी योजना मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक करके तैयार हो गई है। हम देश में इस प्रकार की ग्रेन बैंक स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे गोदामों में जो गल्ला पड़ा है, वह मुफ्त का नहीं है। हमने उसे बाजार से खरीदा है, एफसीआई ने उसे खरीदा है। उसकी इकानोमिक कास्ट काफी महंगी है। हम मुफ्त में अनाज ग्रेन बैंक के लिए, फूड फार वर्क के लिए, ग्रामीण रोजगार योजना के लिए, जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना गारंटी योजना के लिए राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं। उनके लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसका भार केन्द्र सरकार के ऊपर पड़ेगा।

गरीबी के आंकड़ों को लेकर यहां बहुत चर्चा हुई। मुझे याद है सदन में पिछले वर्ष भी इसकी चर्चा हुई। गरीबी के आंकड़ों के बारे में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने 1993-1999 के पीरियड का एक सर्वे किया था। उसमें यह निष्कर्ष आया कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 36 प्रतिशत से घट कर 26 प्रतिशत तक आ गई है। मैथाडालोजी क्या बदल गई? इसकी विस्तार से चर्चा हुई थी। एक 30 डेज रीकाल होता है। एनएसएसओ का एन्यूमेरेटर जाकर पूछता है कि पिछले 30 दिनों में क्या-क्या खाया? उसे बताया जाता है कि यह खाया। वे इसी बेस पर एन्यूमेरेट करते हैं। अब तक कितने गरीबी के आंकड़े कालैक्ट हुए हैं, वे 30 डेज रीकाल के आधार पर हुए हैं। इस बार इन्होंने 30 डेज रीकाल के बारे में पूछा है।

श्री लक्ष्मण सिंह: क्या उसमें आम की गुठली जोड़ ली है?

श्री यशवन्त सिन्हा: श्री दिग्विजय सिंह जी को भी जोड़ लिया है।

इस बार इन्होंने यह भी पूछा कि पिछले सात दिनों में क्या खाया? इस प्रकार का एक 7 डेज रीकाल हुआ। 30 डेज रीकाल के बेसिस पर 36 परसैंट टू 26 परसैंट है।

[अनुवाद]

सात दिन के रिकाल के आधार पर यह 36 से 23 प्रतिशत हो गया।

[हिन्दी]

लेकिन हम 23 प्रतिशत की 36 प्रतिशत से तुलना नहीं कर रहे बल्कि हम 36 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की तुलना कर रहे हैं जो

30 डेज रिकाल के ऊपर है। श्री मणि शंकर अय्यर ने हमारे सहयोगी मित्र श्री अरुण शौरी पर आरोप लगाया। श्री शौरी आजकल मैक्सिको में एक महत्वपूर्ण कांफ्रेंस अटैंड कर रहे हैं। श्री अय्यर ने कहा कि वे उनके साथ पढ़ते थे।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा कि श्री अरुण शौरी ने गलत आंकड़े दिए। उन्होंने इसे प्रेस को लीक कर दिया।

[हिन्दी]

इतना बड़ा आरोप इन्होंने उनके ऊपर लगा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा इसकी तह में जाकर देखें

[अनुवाद]

नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) एक स्वतंत्र एजेंसी है। जो सरकार की तरफ से ऐसा सर्वेक्षण करती है।

[हिन्दी]

आप एन.एस.एस.ओ. की बात छोड़ दीजिये।

[अनुवाद]

सरकार का केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) पर नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

क्या मैं उनसे लड़ने गया? हमने उसे स्वीकार कर लिया।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री भी किसी अन्य मंत्री के रूप में हम सी.एस.ओ. को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करते, एन.एस.एस.ओ. की तो बात ही छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

एन.एस.एस.ओ. आज नहीं बना, यह 1950 से चला आ रहा है जिसके अध्यक्ष स्व. श्री बिसारिया थे जो इस देश के अपने जमाने में जाने-माने अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में यह सर्वे का काम हुआ। अब इस बारे में यह कह देना कि श्री शौरी ने फिगर्स फज करा दी तो मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं कि आप उनके ऊपर आरोप लगा दें जब वे स्टैसटिक्स विभाग के मंत्री थे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां 1993 से 1999 की बात हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि 1993-94, 1994-95, 1995-96 में किस का शासन था? 1996-97 और 1997-98 में किसका शासन था? श्री देवेगौड़ा, श्री इन्द्र कुमार गुजराल का था जब कि उसके तीन साल पहले श्री नरसिंह राव का शासन था। उसमें हमारे दो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 आये तो क्या आप दो वर्ष को कंडेम करने के लिये अपने तीन वर्षों को भी कंडेम करने के लिए तैयार हैं?

[अनुवाद]

वर्ष 2001 में विकास दर 4 प्रतिशत थी। मुद्दा क्या है?

[हिन्दी]

यह कह देना की फिगर्स फज कराई जा रही हैं लेकिन जो फिगर्स कलैक्ट करने का तरीका है, उसमें कमजोरी है, कमी है। इसलिये

[अनुवाद]

वर्ष 1997 में, हमने कहा था कि उन कमियों को दूर करने के क्रम में, हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेंगे।

[हिन्दी]

हमने आंध्र प्रदेश के गवर्नर और रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसने इस बात पर विचार किया कि कैसे इस देश में फिगर्स इकट्ठी की जाती हैं। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया है जिस पर सरकार विचार कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आंकड़े इस प्रकार के हों जिसकी विश्वसनीयता पर कोई आंच न आये। हमने इस प्रकार की चिन्ता की है लेकिन आप लोगों को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यहां यह आई कि पब्लिक सेविंग के आंकड़े गिरते जा रहे हैं। इकौनिमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं

[अनुवाद]

वे बहुत शिक्षाप्रद हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय मंत्री जी, ये लिखे हुये हैं, इसे क्या पढ़ेंगे?

श्री यशवन्त सिन्हा: लेकिन इसे पढ़ना इसलिये जरूरी है कि कुछ लोगों को समझाना जरूरी है। इस बात पर चर्चा की गई है कि डोमैस्टिक हाउसहोल्ड, प्राइवेट कारपोरेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में सेविंग रेट गिर गया है लेकिन हम यह कहेंगे कि लोगों ने सेविंग करना कम कर दिया है।

[अनुवाद]

तीन तरह की बचत होती हैं-घरेलू, निजी निगमित क्षेत्र की और सरकारी क्षेत्र की।

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2001 के जो आंकड़े हैं

[अनुवाद]

अद्यतन आंकड़ों, जो कि वर्ष 2000-2001 के हैं से पता चलेगा कि घरेलू बचत बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गयी है, जो कि देश में अब तक रिकार्ड किए गए प्रतिशत से सर्वाधिक है।

अभी घरेलू बचत 20.9 प्रतिशत है और यह इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा।

[हिन्दी]

प्राइवेट सैक्टर सेविंग 2000-2001 में कितनी थी, वह 4.2 परसेन्ट थी।

[अनुवाद]

कुल बचत दर 23.4 प्रतिशत थी, जो पूर्व वर्ष के 23.2 प्रतिशत और इससे भी पूर्व के वर्ष के 21.7 प्रतिशत से ज्यादा है। लेकिन यह कम क्यों हुई? ऐसा सरकारी क्षेत्र के कारण हुआ जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारें आदि शामिल हैं, जिनकी 1.7 प्रतिशत की ऋणात्मक बचत दर थी। इसी कारण यह कम हुई है।

[हिन्दी]

पब्लिक सेक्टर सेविंग रेट जो हमारा कम हो गया, वह क्यों कम हो गया। यह कोई पहली बार कम नहीं हुआ है। 1986-87 में पहली बार यह माइनस हो गया, उसके बाद से लगातार गिरता रहा और जब पांचवें पे कमीशन की भार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर पड़ी।

[अनुवाद]

यह सरकारी क्षेत्र की बचत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यही कारण है कि इस देश में घरेलू बचत दर में कमी आई है, ऐसा पारिवारिक बचत के कारण नहीं हुआ है जो कि लगातार बढ़ती रही है।

[हिन्दी]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आपस में लड़ते हैं कि गरीबी हटी या नहीं। इस सदन में जो चर्चा होती है वह दुनिया भर के लोग देखते हैं। श्री मणि शंकर अय्यर जी बहुत फेमस हिन्दुस्तानी है। मैं राजा हिन्दुस्तानी तो नहीं कहूंगा। लेकिन बहुत मशहूर हिन्दुस्तानी हैं और देश-विदेश में लोग उन्हें जानते हैं। उन्होंने कह दिया कि हमारे पावर्टी के आंकड़े गलत हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कई सदस्यों ने कहा कि क्वालिटी आफ लाइफ, लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उसमें कौन सा अन्तर आया है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप गरीबी के आंकड़ों को क्वालिटी आफ लाइफ के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखें तो आप पायेंगे कि वे अलग-अलग नहीं है। उनका कहीं न कहीं संबंध है। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ह्यूमैन डेवलपमैन्ट रिपोर्ट जो यू.एन.डी.पी. की है और हमारे यहां इकोनोमिक सर्वे के जो आंकड़े हैं, वे पूरा का पूरा इसको शो करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। क्योंकि इस बात को बहुत लोग जानते हैं कि हमारे देश में इकोनोमिक सर्वे के पेज नम्बर 125 ऊपर दिया हुआ है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों पर व्यय लगातार कम होता जा रहा है।

[हिन्दी]

तो हम कहेंगे कि क्या लोगों ने खाना कम कर दिया। यह निष्कर्ष कोई निकाल सकता है कि एक्सपेन्डीचर आफ फूड ग्रेन्स टोटल एक्सपेन्डीचर का काम हो रहा है तो क्या हुआ।

[अनुवाद]

वर्ष 1972-73 में 63.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 44.10 प्रतिशत हो गया और इसी

तरह शहरी क्षेत्रों के लिए यह घटकर 31.85 प्रतिशत हो गया। लेकिन फल एवं सब्जियों पर व्यय के संबंध में क्या हुआ? वह काफी बढ़ा है। दूध, अंडे और मछली पर व्यय के संबंध में क्या हुआ? वह भी काफी बढ़ा है। यह हमारी जनता की उपभोग प्रणाली में आए बदलाव को दर्शाता है। इससे हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में हो रहे सुधार का पता चलता है। ये आंकड़े हैं और आप इन पर विश्वास करें तो स्वागत है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बातें जो यहां कही गई, दुर्भाग्य से बहुत विस्तार से उनमें जाने का मौका नहीं है। लेकिन जार्ज साहब, श्री पी.सी. थामस साहब ने और हमारे मित्रों ने एक बात उठाई थी और उन्होंने कहा है इम्पोर्ट ड्यूटी लेटेक्स रबड़ के ऊपर हमने 35 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दी है। लेकिन स्मोक शीट के ऊपर 25 प्रतिशत ही क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं हम इसे 70 प्रतिशत कर पाये। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं, कु. ममता बनर्जी और अन्य मित्रों ने यह भी सवाल उठाया कि विदेशी शराब के ऊपर मैंने ड्यूटी कम कर दी। चाहे वह रबड़ शीट हो, चाहे विदेशी शराब हो, किस दस्तावेज से हम आज के दिन बंधे हैं। वह दस्तावेज, जिसके ऊपर 1994 में माराकेश में उस समय की कांग्रेस सरकार ने हस्ताक्षर किये थे।...*(व्यवधान)* डब्ल्यू.टी.ओ. पर किसने हस्ताक्षर किये।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसीस जार्ज, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन ने 'स्मोक शीट रबर' की दर 25 प्रतिशत निर्धारित किया है।

केरल के मुख्य मंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, ने वाणिज्य मंत्री के पास एक पत्र लिखा है। मैं उनके वक्तव्यों को उद्धृत कर रहा हूं। मुख्य मंत्री ने कहा है: ''वर्ष 1994 की गलती को सुधारा जाना चाहिए।'' मेरे मित्र, श्री मारन ने इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष उठाया ताकि वे रबर की बंधी हुई बाउंड रेट दर में संशोधन कर सकें।

श्री मणि शंकर अय्यर: इससे शराब का क्या संबंध है।

श्री यशवन्त सिन्हा: आपने जो विश्व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है उसके अंतर्गत शराब पर से आयात शुल्क को कम करना पड़ेगा। हमें इसे कम करना पड़ेगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: क्या आप बताएंगे कि शराब की बंधी हुई दर (बाउंड रेट) क्या है?

श्री यशवन्त सिन्हा: यह 182 प्रतिशत है। यही मैंने इस वर्ष कहा है।

[हिन्दी]

और आपको सोचना चाहिए था उस समय जब आपने हस्ताक्षर किये डब्लू.टी.ओ. पर कि विदेशी शराब जैसी वस्तु पर क्यों बाउंड रेट हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। हम डब्ल्यू.टी.ओ. में इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि इनसे हमें मुक्ति मिले, इस देश को मुक्ति मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। समय बहुत हो गया है, मैं सबका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जितने सुझाव हमारे सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों की तरफ से आए हैं, उन सारे सुझावों को बहुत नियमित रूप से मैंने नोट किया है, हमारे पदाधिकारियों ने भी नोट किया है। बहुत सारे टैक्स के मुद्दे उठाए गए। जब फाइनेन्स बिल पर चर्चा होगी तो हम टैक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारी जो बातें यहां पर उठाई गई है, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार विचार करेगी। सरकार संवेदनशील है, सरकार समझती है कहां तकलीफ है, क्या है और इसलिए हम प्रयास करते हैं जो ओवरआल फ्रेमवर्क है, उसमें हम ठीक कर सकें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम आर.बी.आई. का जो रिलीफ फंड है, उसमें दो लाख रुपये की सीमा प्रति वर्ष बांधी थी कि दो लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास सूचना थी कि बहुत से लोग उसमें करोड़ों रुपया जमा करके टैक्स का लाभ उठा रहे हैं। छोटे निवेशकों से कोई झगड़ा नहीं है, छोटे निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। छोटे निवेशकों के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वहीं हाई नैटवर्क इनडिविजुअल्स हैं जो करोड़ों रुपये लगाकर टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेन्ट्स में पूरे का पूरा इनकम टैक्स फ्री बना देते हैं, और दो करोड़ से 15 करोड़ रुपये साल भर में बचाने वाला कोई साधारण व्यक्ति इस देश का नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यह बताया गया कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, बैंक के हों, लोकल बाडीज के हों या प्राइवेट सैक्टर के हों, ऐसे लोग जो धन रखेंगे, सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक अलग से स्कीम है कि उसमें

[श्री यशवंत सिन्हा]

वह अपने धन को जमा कर सकते हैं जिसमें टैक्स की छूट भी मिलती है और सीमा भी अधिक है। इसलिए प्राइवेट सैक्टर भी इसमें आ जाए और सबसे लिए यह छूट उपलब्ध हो, इसलिए सरकार की तरफ से हमने तय किया है कि जो रिटायरिंग इप्लाइज हैं-गवर्नमेंट के, पब्लिक सैक्टर के, बैंक्स के और प्राइवेट सैक्टर के, उन रिटायरिंग इंप्लाइज को अपना जो टर्मिनल बैनिफिट है, रिटायरमैंट का बैनिफिट है, उस राशि को रिलीफ बान्ड में जमा करने में हम कोई सीमा नहीं बांधेंगे, उनको जितना मिलता है, उसमें वह जमा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30, 31, 33 से 58, 60 से 92, 94, 95 और 97 से 102 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 2002-2003 के लिए स्वीकृत लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	539,76,00,000	36,16,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	249,80,00,000	
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	71,70,00,000	3,89,00,000
कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय			
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	110,92,00,000	35,,00,000
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	8,65,00,000	14,68,00,000
6.	उर्वरक विभाग	1949,84,00,000	84,87,00,000
नागर विमानन मंत्रालय			
7.	नागर विमानन मंत्रालय	180,56,00,000	10,79,00,000
कोयला और खान मंत्रालय			
8.	कोयला विभाग	77,34,00,000	16,58,00,000
9.	खान विभाग	177,69,00,000	4,81,00,000

1	2	3	4
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
10.	वाणिज्य विभाग	221,08,00,000	63,83,00,000
11.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	59,46,00,000	
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
12.	डाक विभाग	882,98,00,000	21,43,00,000
13.	दूरसंचार विभाग	561,65,00,000	17,00,000
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	100,45,00,000	7,94,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
15.	रक्षा मंत्रालय	778,90,00,000	56,13,00,000
16.	रक्षा पेंशन	1783,31,00,000	
17.	रक्षा सेवा-थल सेना	5237,56,00,000	
18.	रक्षा सेवा-नौसेना	774,69,00,000	
19.	रक्षा सेवा-वायु सेना	1404,18,00,000	
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	1294,50,00,000	
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		3565,99,00,000
	विनिवेश मंत्रालय		
22.	विनिवेश मंत्रालय	13,92,00,000	...
	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग		
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	62,31,00,000	13,45,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
24.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	181,38,00,000	3,80,00,000
	विदेश मंत्रालय		
25.	विदेश मंत्रालय	527,57,00,000	69,70,00,000
	वित्त मंत्रालय		
26.	आर्थिक कार्य विभाग	368,36,00,000	71,93,00,000
27.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	149,40,00,000	117,17,00,000
28.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	338,30,00,000	291,31,00,000
30.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	3514,17,00,000	...

1	2	3	4
31.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		133,33,00,000
33.	व्यय विभाग	20,48,00,000	6,00,000
34.	पेंशन	725,88,00,000	
35.	लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	154,66,00,000	2,00,00,000
36.	राजस्व विभाग	168,82,00,000	1,36,00,000
37.	प्रत्यक्ष कर	173,03,00,000	20,83,00,000
38.	अप्रत्यक्ष कर	178,25,00,000	6,68,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
39.	उपभोक्ता मामले विभाग	34,98,00,000	730,00,000
40.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3570,26,00,000	43,45,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			
41.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,50,00,000	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
42.	स्वास्थ्य विभाग	417,16,00,000	47,03,00,000
43.	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	32,23,00,000	1,25,00,000
44.	परिवार कल्याण विभाग	974,97,00,000	
गृह मंत्रालय			
45.	गृह मंत्रालय	113,07,00,000	4,04,00,000
46.	मंत्रीमंडल	29,43,00,000	83,00,000
47.	पुलिस	1576,29,00,000	142,23,00,000
48.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	77,83,00,000	
49.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	94,15,00,000	62,85,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
50.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1194,20,00,000	
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	813,10,00,000	1,00,000
52.	महिला और बाल विकास विभाग	596,17,00,000	...

1	2	3	4
	भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		
53.	सरकारी उद्यम विभाग	2,11,00,000	
54.	भारी उद्योग विभाग	190,10,00,000	286,80,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		
55.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	205,76,00,000	49,84,00,000
	श्रम मंत्रालय		
56.	श्रम मंत्रालय	163,96,00,000	2,40,00,000
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	विधि और न्याय	78,58,00,000	26,00,000
58.	निर्वाचन आयोग	1,69,00,000	
60.	कम्पनी कार्य विभाग	91,10,00,000	50,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
61.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	82,25,00,000	21,68,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय		
62.	संसदीय कार्य मंत्रालय	70,00,000	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
63.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	34,26,00,000	2,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
64.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1084,91,00,000	...
	योजना मंत्रालय		
65.	योजना मंत्रालय	7,69,00,000	1,25,00,000
	विद्युत मंत्रालय		
66.	विद्युत मंत्रालय	304,62,00,000	428,69,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
67.	ग्रामीण विकास विभाग	4671,57,00,000	25,00,00,000
68.	भूमि संसाधन विभाग	167,30,00,000	
69.	पेय जलापूर्ति विभाग	921,72,00,000	...

1	2	3	4
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
70.	विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग	161,20,00,000	8,78,00,000
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	172,64,00,000	85,00,000
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	39,26,00,000	...
	लघु उद्योग मंत्रालय		
73.	लघु उद्योग मंत्रालय	66,19,00,000	...
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
74.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	635,49,00,000	2,72,00,000
	इस्पात मंत्रालय		
75.	इस्पात मंत्रालय	11,37,00,000	2,33,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
76.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1029,69,00,000	1518,21,00,000
	नौवहन मंत्रालय		
77.	नौवहन मंत्रालय	69,10,00,000	58,99,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
78.	कपड़ा मंत्रालय	164,89,00,000	99,58,00,000
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
79.	पर्यटन विभाग	24,12,00,000	18,75,00,000
80.	संस्कृति विभाग	81,08,00,000	
	जनजाति कार्य मंत्रालय		
81.	जनजाति कार्य मंत्रालय	20,99,00,000	5,34,00,000
	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
82.	शहरी विकास विभाग	125,54,00,000	89,16,00,000
83.	लोक निर्माण कार्य	112,04,00,000	48,52,00,000
84.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	29,82,00,000	4,00,000
85.	शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग	70,12,00,000	36,88,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
86.	जल संसाधन मंत्रालय	124,25,00,000	8,84,00,000

1	2	3	4
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
87.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	225,92,00,000	18,89,00,000
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
88.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	54,61,00,000	24,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
89.	परमाणु ऊर्जा	297,60,00,000	188,99,00,000
90.	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	277,60,00,000	265,83,00,000
	महासागर विकास विभाग		
91.	महासागर विकास विभाग	33,05,00,000	17,00,000
	अंतरिक्ष विभाग		
92.	अंतरिक्ष विभाग	325,24,00,000	52,16,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
94.	राज्य सभा	12,49,00,000	
95.	लोक सभा	29,83,00,000	
97.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	17,00,000	...
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
98.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	129,76,00,000	32,33,00,000
99.	चंडीगढ़	127,03,00,000	23,93,00,000
100.	दादरा और नगर हवेली	63,93,00,000	6,38,00,000
101.	दमन और दीव	37,78,00,000	5,22,00,000
102.	लक्षद्वीप	36,59,00,000	9,94,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	**45094,60,00,000**	**8247,74,00,000**

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

''कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4 से 6, 8 से 10, 12, 18, 21, 23 से 25, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42 से 47, 50 से 53, 57, 59, 62, 64 65, 71 से 76, 78, 80, 81, 83 से 88, 92, 93 और 96 से 100 तक के सामने दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कतिपय अन्य आवश्यक राशियों को कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	60,03,00,000	70,58,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	7,04,00,000	
4.	खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग विभाग	42,00,000	1,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	1,00,000	45,35,00,000
6.	उर्वरक विभाग	356,64,00,000	20,33,00,000
	कोयला मंत्रालय		
8.	कोयला मंत्रालय	50,39,00,000	
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
9.	वाणिज्य विभाग	3,00,000	
10.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	
	संचार मंत्रालय		
12.	दूरसंचार विभाग	931,66,00,000	500,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
18.	रक्षा आयुध निर्माणियां	536,91,00,000	
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
21.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	11,12,00,000	
	वित्त मंत्रालय		
23.	आर्थिक कार्य विभाग	46,34,00,000	
24.	मुद्रा, सिक्का निर्माण और स्टाम्प		1,00,000
25.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	229,21,00,000	4621,60,00,000

1	2	3	4
27.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	1636,29,00,000	
30.	व्यय विभाग	..	1,00,000
32.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	5,24,00,000	
34.	प्रत्यक्ष कर विभाग		1,00,000
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			
37.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3892,07,00,000	1,00,000
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
38.	स्वास्थ्य विभाग	60,51,00,000	
40.	परिवार कल्याण विभाग	78,82,00,000	
गृह मंत्रालय			
42.	मंत्रीमंडल		1,00,000
43.	पुलिस	1,00,000	2,00,000
44.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	4,00,000	1,00,000
45.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	104,74,00,000	21,80,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
46.	प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	
51.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	5,00,000	
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय			
50.	भारी उद्योग विभाग	1,09,00,000	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय			
51.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		4258,08,00,000
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
52.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	72,00,00,000	
श्रम मंत्रालय			
53.	श्रम मंत्रालय	1,00,000	

1	2	3	4
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय		
57.	कम्पनी कार्य विभाग	1,00,000	
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
59.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	28,30,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
62.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	9000,00,00,000	
	विद्युत मंत्रालय		
64.	विद्युत मंत्रालय	47,73,00,000	140,43,00,000
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
65.	ग्रामीण विकास विभाग	3,00,000	
	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय		
71.	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय	2,00,000	
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
72.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	70,00,00,000	
	इस्पात मंत्रालय		
73.	इस्पात मंत्रालय	2,65,00,000	89,44,00,000
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		
74.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2,00,000	73,52,00,000
	नौवहन मंत्रालय		
75.	नौवहन मंत्रालय	450,50,00,000	4,00,000
	कपड़ा मंत्रालय		
76.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	138,83,00,000
	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय		
78.	पर्यटन विभाग	2,00,000	
	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
80.	शहरी विकास विभाग	4,45,00,000	75,79,00,000

1	2	3	4
81.	लोक निर्माण कार्य		16,46,00,000
82.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग		14,00,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय		
84.	जल संसाधन मंत्रालय		11,73,00,000
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		
85.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	
	युवा मामले और खेल मंत्रालय		
86.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	7,14,00,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
87.	परमाणु ऊर्जा	7,86,00,000	
88.	नाभिकीय विद्युत योजना	109,61,00,000	
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		
92.	राज्य सभा	11,11,00,000	
93.	लोक सभा	27,05,00,000	
	विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	61,47,00,000	
97.	चंडीगढ़	24,73,00,000	54,45,00,000
98.	दादरा और नगर हवेली	53,86,00,000	3,31,00,000
99.	दमन और दीव	5,36,00,000	1,83,00,000
100.	लक्षद्वीप	...	6,60,00,000
	कुल जोड़	**17964,37,00,000**	**10192,56,00,000**

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 1998-99 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 5, 11, 13, 16 से 20, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 60, 63, 73, 78, 80, 81, 87, 95, 96 और 98 से 103 के सामने दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त अनुदानों की मांग की राशि रुपए
1	2	3
I. राजस्व से पूरा किया गया व्यय		
1.	कृषि	3178070646
11.	चीनी और खाद्य तेल विभाग	671239867
13.	वाणिज्य विभाग	277072682
16.	दूरसंचार विभाग	3008514363
17.	रक्षा मंत्रालय	650797355
18.	रक्षा पेंशन	13467942021
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	1316813931
20.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	1432513214
25.	विदेश मंत्रालय	30192735
26.	आर्थिक कार्य विभाग	3611009746
28.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	25667644785
34.	पेंशन	13724532713
35.	लेखापरीक्षा	185575524
37.	प्रत्यक्ष कर	473824923
38.	अप्रत्यक्ष कर	261733290
41.	भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग	34682815
43.	गृह मंत्रालय	127753908
45.	पुलिस	1291162469
47.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	834100000
52.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति व संवर्धन	520921182
54.	भारी उद्योग विभाग	3573363103
56.	सूचना, फिल्म और प्रचार	8763692
60.	निर्वाचन आयोग	10257795

1	2	3
78.	इस्पात मंत्रालय	111437037
80.	सड़क	5792551
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	1138453043
95.	राज्य सभा	24256656
96.	लोक सभा	110868525
98.	उप राष्ट्रपति का सचिवालय	3699304
99.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	227177822
100.	चंडीगढ़	937938422
101.	दादरा व नगर हवेली	140342287
102.	दमन व दीव	83288835
103.	लक्षद्वीप	123369521
कुल राजस्व		**77265106762**
II. पूंजी से पूरा किया गया व्यय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन	29500000
11.	चीनी और खाद्य तेल विभाग	796957561
28.	वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	13817004738
31.	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	568102644
47.	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	94800000
54.	भारी उद्योग विभाग	632633250
63.	खान मंत्रालय	598899335
73.	ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग	500000000
78.	इस्पात मंत्रालय	129900000
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	378483214
87.	जल संसाधन मंत्रालय	6422483
101.	दादरा व नगर हवेली	10728158
जोड़-पूंजी		**17563431383**
कुल जोड़		**94828538145**

रात्रि 10.44 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक* 2002

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 25 और 26 पर एक साथ विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-2 दिनांक 20.3.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 10.46 बजे

विनियोग विधेयक, 2002*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-2 दिनांक 20.3.2002 में प्रकाशित।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

रात्रि 10.48 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*, 2002

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए उन सेवाओं पर व्यय की गई थीं उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए इन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-2 दिनांक 20.3.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के लिए इन सेवाओं पर व्यय की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 10.50 बजे

उत्तर प्रदेश बजट, 2002-2003
लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 2002-2003
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश), 2001-2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगली मद-उत्तर प्रदेश बजट पर विचार करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)* व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता मिलती है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब इस उद्घोषणा को संसद की अनुमति दी जानी है। संसद का अर्थ लोक सभा और राज्य सभा है। इसे केवल लोक सभा या केवल राज्य सभा ही पारित नहीं कर सकती। माननीय मंत्री सभा में लेखानुदान और विनियोग विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यय की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। और, इसे केवल लोक सभा मंजूरी देगी, राज्य सभा नहीं। अत: यदि राष्ट्रपति का लोक सभा और राज्य सभा अनुमोदन नहीं करती हैं तो विधेयक का क्या होगा, बजट का क्या होगा? इसे इस सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और पारित की भी कर दिया जाएगा। यदि संसद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं करती है लेकिन लोक सभा बजट पारित कर देती है, तो यह एक विरोधाभास हो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बेहतर होगा कि सरकार पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन का संकल्प लाए और बाद में उत्तर प्रदेश में व्यय की अनुमति प्राप्त करने के लिए विधेयक लाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार एक विसंगति खड़ी हो जाएगी। एक संवैधानिक विसंगति खड़ी हो जाएगी और वह संवैधानिक विसंगति समस्या खड़ी करेगी।

बोम्मई मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन से पूर्व या दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन से पूर्व सभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। सभा को अनुमोदन के बाद ही भंग किया जा सकता है। इस प्रकार की विसंगति से बचने के लिए ही यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन हम ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें सभा में बजट पेश किया गया है हमसे आशा की जा रही है कि हम इस पर विचार करें और निर्णय लें; और राष्ट्रपति शासन पर सभा में बहस बाद में की जाएगी। फिर यह राज्य सभा में जाएगा और पारित हो जाएगा। इस प्रकार एक बहुत बड़ी संवैधानिक विसंगति खड़ी हो जाएगी। इसीलिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस संबंध में सही और स्पष्ट विनिर्णय दिया जाए ताकि हम भारी संवैधानिक भूल से बच सकें। मुझे अध्यक्षपीठ से इस प्रकार के विनिर्णय की आशा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इसी विषय पर आपका भी व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज पाटील ने जो कहा, हम भी वही कहना चाहते हैं कि यह संवैधानिक मामला है कि राष्ट्रपति शासन को अभी तक लोक सभा की स्वीकृति नहीं मिली है। जब राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति नहीं मिली है तो जो वोट आन ऐकाउंट ले रहे हैं, यह परम्परा अच्छी नहीं है। एक तो हम बहस में जाएंगे, यहां बहस नहीं होगी, तो जनता के बीच में जाएंगे।

जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वह भी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अन्दर कई राजनीतिक मंच पर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट के भू.पू. जज से लेकर सभी ने राष्ट्रपति शासन को पूर्णतया असंवैधानिक बताया। राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन जब संसद की स्वीकृति नहीं मिली है और वोट आन एकाउंट यहां पेश किया गया है, यह परम्परा अच्छी नहीं है। कोई भी सरकार केवल बहुमत के बल पर या कभी-कभी संविधान की कहीं कोई धारा या उप-धारा का सहारा लेकर नहीं चलती। जो असल सरकार चलाने का तरीका है, उसमें नैतिकता सर्वोच्च है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चलाने के लिए नैतिकता सर्वोच्च है। यह सरकार हर कार्य अनैतिक तरीके से कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि आप राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति इस सदन से लें। उसके बाद ही वोट आन एकाउंट पेश किया जाए।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा अनुरोध है कि यह मामला जो अभी पाटिल जी ने कहा, वोट आन एकाउंट पेश करने की अनुमति न दी जाए जब तक राष्ट्रपति शासन को सदन की स्वीकृति नहीं मिल जाती है क्योंकि राष्ट्रपति शासन की अनुमति के बगैर बजट पेश किया जा रहा है। यह विसंगति पैदा की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि इन परम्पराओं और नैतिकता को बनाये रखना भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, यह अलोकतंत्रीय काम है कि बिना सदन की स्वीकृति के, लोक सभा की स्वीकृति के बजट पेश किया जा रहा है, बजट पेश होने का मतलब हम सभी जानते हैं। यह सही है कि अगर राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति पहले ले लेंगे तो ठीक है, फिर तो पास करना है। इसको हम कोई जबरदस्ती रोकने के लिए भी तैयार नहीं हैं, लेकिन एक नैतिकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान और कानून से भी कभी कोई सहारा मिल जाता है, उससे ही काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, नैतिकता सर्वोच्च है, जो सरकार चलाई जाती है तो लोकतंत्र चलाया जायेगा तो उसमें नैतिकता सर्वोच्च है, इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आपसे जरूर चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था दें, जिससे देश के अन्दर जो परम्पराएं चल रही हैं, जो लोकतांत्रिक परम्पराओं को तहस नहस किया जा रहा है, नैतिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है, मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका भी यही प्रश्न है?

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पंडा (मिदनापुर): यहां पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं मैं भी स्वयं को उनके साथ संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, दो मुद्दे उठाये गये हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने परम्परा से जुड़ा मुद्दा उठाया है और शिवराज पाटिल जी ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या हम संविधान की दृष्टि से कोई गलत काम कर रहे हैं, इस प्रकार की आशंका प्रकट की गई है।

धारा 356 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रपति शासन किसी प्रदेश में लागू होता है तो वह तुरन्त प्रभावी होता है। यह सच है कि दोनों सदनों से दो महीने के अंतर्गत अगर उसकी स्वीकृति न मिले, स्वीकृति न मिले या सरकार स्वीकृति न मांगे, तो दो महीने के बाद यह राष्ट्रपति शासन अपने आप या तो किसी एक सदन में हारने के कारण या सरकार ने वह लाया नहीं, इस कारण दो महीने के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाता है। लेकिन जिन दो महीनों के अंतर्गत यह राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वह तुरन्त प्रभावी रहता है और अपनी पूर्ण शक्ति में प्रभावी रहता है। हम सब संसद सदस्य जानते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन आता है तो जो सारे राज्य के प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वे प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल के पास चले जाते हैं और जो कानूनी अधिकार में बजट लेकर आये हैं, इसलिए पहले दो महीने के अन्दर यह तुरन्त प्रभावी हो जाते हैं, यह पहला मुद्दा हमें ध्यान रखना चाहिए अथवा पास होने के लिए रूके नहीं रहते।

दूसरा मुद्दा यह है कि अभी जो वोट आन एकाउण्ट यहां पेश किया जा रहा है, वह कोई उत्तर प्रदेश का पूर्ण बजट नहीं है। यह वोट आन एकाउण्ट है, अगर यह वोट आन एकाउन्ट हम आज पेश न करें, जिससे कल राज्य सभा में भी पास करना जरूरी है तो वहां एक अप्रैल से संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा, जिस संकट के कारण हम वहां तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का उल्लेख किया गया, हम पहले तो इस बात को समझ लें कि बोम्मई का जजमेंट 1994 में आया था।

[श्री प्रमोद महाजन]

रात्रि 11.00 बजे

उस जजमेंट के पहले बहुत बार राष्ट्रपति शासन लगाकर विधान सभाएं विसर्जित की जा चुकी हैं। जब बोम्मई का मामला उठा, मैं उसके पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता कि बोम्मई केस में राष्ट्रपति शासन किसने लगाया। जिस किसी ने भी लगाया हो, जब विधान सभा विसर्जित हुई तब यह मुद्दा आया कि विधान सभा का विसर्जन इरिवर्सबिल प्रोसेस बन जाता है, अगर संविधान उसे ठुकराए। मैं पूरी जजमेंट इस समय रात को 11 बजे पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। बोम्मई केस के जजमेंट की विस्तार से चर्चा करने के बाद केवल इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में यह फैसला दिया है कि अगर आपको किसी विधान सभा का विसर्जन करना है तो, आप तुरंत मत करिए, क्योंकि अगर आप विधान सभा का तुरंत विसर्जन करेंगे और संसद अगर राष्ट्रपति शासन की अनुमति न दे, तो उस विधान सभा को हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते। यह बात इस बजट के लिए लागू नहीं होती। इस बजट में आने वाली सरकार जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। यह तो वोट आन एकाउंट है। दो मिनट के लिए मान ले कि बजट हो, तो जो भी सरकार वहां बन सकती है, वह जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। इसलिए बोम्मई केस में विधान सभा विसर्जन की इनरिवर्सबिल नेचर से इसका दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको याद होगा जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो सब लोग चाहते थे कि वहां विधान सभा विसर्जित हो और चुनाव हों। तब भी हमने राष्ट्रपति शासन का निर्णय मंत्रीपरिषद की बैठक में किया, हमने विधान सभा विसर्जित नहीं की। दोनों सदनों में पास होने के बाद विधान सभा विसर्जित की गई। इसलिए इस नियम का पालन हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने यहां कि यह वोट आन एकाउंट है। अब रही बात राष्ट्रपति शासन की, जो आदेश है, वह दोनों सदनों में बजट का वोट आन एकाउंट पारित हो जाता है, बहुत अच्छा होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि जब से संसद का, 25 फरवरी से, सत्र शुरू हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव: बीजेपी, बीएसपी मिलकर यदि सरकार बनाती है तो बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई उप मुख्य मत्री बन रहा है, कोई उप-राष्ट्रपति बन रहा है, कोई मुख्य मंत्री तो कोई स्पीकर बनाने का सौदा कर रहा है। हम भी खरीद-फरोख्त करके और मंत्रियों की लम्बी फौज बनाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। खरीद-फरोख्त से और मंत्रियों की लम्बी फौज से मुलायम सिंह सरकार बनाने वाला नहीं है। न उ.प्र. को लूटेंगे और न ही लूटने देंगे।

श्री प्रमोद महाजन: यह संसद से बाहर का मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सोचा कि आपने ईल्ड किया, इसलिए वह कह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: बाहर का मुद्दा आप बना रहे हैं। जब प्रधान मंत्री जी का प्रतिनिधि उप-मुख्य मंत्री बनना चाहता है, मुख्य मंत्री और स्पीकर तथा उप राष्ट्रपति बनने का सौदा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी कुछ ले लें और कुछ दे दें।

श्री प्रमोद महाजन: समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह जी का एकाधिकार चलता है, यह मुझे मालूम है। लेकिन वे और पार्टियों पर भी अधिकार चलाना चाहते हैं। हम किस प्रकार राजनीति करें, उसके लिए भी आदेश दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: नाटक क्यों कर रहे हैं। सौदागिरी हो रही है।

श्री प्रमोद महाजन: हम दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को विचार करने के लिए कहेंगे। मैं यह कह रहा था कि आपने देखा होगा कि परम्परा का भी हमने पालन किया। दुर्भाग्य से जिस तरह इस सत्र के कई दिन ऐसे ही चले गए, इससे हमारा सारा काम रह गया। अभी हम रेल बजट तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए प्रोक्लेमेशन पहले लाना होता, पहले भी ले आते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए कानून में, संविधान में और परम्परा में कोई गलती नहीं है। उसका पालन न करें, तो हम उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक संकट खड़ा करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वह संकट न खड़ा करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट को पास न करके, वोट आन एकाउंट को पास न करके, उत्तर प्रदेश में कोई अड़चन निर्माण हो, इसमें हमारा हित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: हमारा भी नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: उनका भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है। इसलिए सरकार ने इसको यहां रखा है। लेकिन बात यह है कि जैसा मंत्री जी ने भी कहा, अगर हम पहले यह प्रोक्लेमेशन एप्रूवल के लिए लाते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने भी इसको माना है। इसलिए मेरी चेयर से विनती है कि यह रूलिंग ऐसी है, जिसका सम्बन्ध संविधान से है, जिसका सम्बन्ध हमारे काम से है। अब यह बजट पास कराना है तो करा लें, मगर रूलिंग जो है, वह इसके पूरे अंगों को देखकर और जो चर्चा हुई है, उसको देखकर हो तो ठीक रहेगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): प्वाइंट आफ आर्डर आपने उठाया है तो जवाब भी आज ही अभी सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यदि आप विनिर्णय देने के लिए तैयार हैं तो हम भी इसे सुनने के लिए तैयार हैं। *..(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय है। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन मैंने कहा कि प्रोक्लेमेशन पहले होता तो अच्छा होता। यह परम्परा की दृष्टि से है। कानूनी रूप से हम लोक सभा को इससे बांध नहीं सकते कि पहले प्रोक्लेमेशन पास होना चाहिए और बाद में वोट आफ एकाउंट होना चाहिए। हम सब संविधान से बंधे हैं और उसी से बंधे रहे, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इस पर रूलिंग दे सकते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) में यथापेक्षित उद्घोषणा की एक प्रति 19 मार्च, 2002 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। उद्घोषणा में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या संसद के प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाएंगी। 8 मार्च, 2002 को जारी की गई उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति अर्थात 8 मई 2002 को निष्प्रभावी हो जाएगी, बशर्ते दोनों सभाओं तत्संबंधी संकल्पों का अनुमोदन न दें या इसे पहले ही रद्द नहीं कर दिया जाता।

उत्तर प्रदेश के बजट पर बहस और मतदान आज की कार्यसूची में है। जैसा कि सभा को विदित ही है कि चालू वित्त वर्ष 31 मार्च, 2002 को समाप्त हो रहा है। यदि हम उत्तर प्रदेश के बजट (लेखानुदान) पर 31 मार्च, 2002 से पहले चर्चा नहीं करते और इसे पारित नहीं करते तो राज्य में वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। पहले इस प्रकार के कई उदाहरण रहे हैं जब राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन होने से पहले उन राज्यों के बजट (लेखानुदान) पारित किए गए हैं।

अत: मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

अब मैं वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 28, 30 से 55, 58 से 73, 75 से 82 और 84 से 94 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	आबकारी विभाग	121631000	
2.	आवास विभाग	118156000	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	195621000	36904000
4.	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	39985000	
5.	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	57846000	

1	2	3	4
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	138429000	
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	15000000	50002000
8.	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	259285000	
9.	ऊर्जा विभाग	4486647000	2331376000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	275683000	9500000
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	4229533000	1404461000
12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	424220000	
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	3931643000	1994201000
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	4087377000	
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	964912000	12484000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	69238000	10650000
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	131169000	
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	224813000	142001000
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	7106000	
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	3873000	
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	611718000	13870000000
22.	खेल विभाग	67503000	15925000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	240543000	
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी)	182262000	
25.	गृह विभाग (कारागार)	545606000	44373000
26.	गृह विभाग (पुलिस)	9912510000	230541000

1	2	3	4
27.	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	4937106000	...
28.	गृह विभाग राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	284106000	
30.	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	5970000	
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	938088000	
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	3826278000	349211000
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	607141000	5794000
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	284081000	23050000
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2201547000	30000000
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	883404000	
37.	नगर विकास विभाग	1473760000	1000
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	38659000	3000
39.	भाषा विभाग	15980000	
40.	नियोजन विभाग	165298000	102491000
41.	निर्वाचन विभाग	206684000	
42.	न्याय विभाग	1279746000	100002000
43.	परिवहन विभाग	126747000	483000
44.	पर्यटन विभाग	35641000	10607000
45.	पर्यावरण विभाग	609752000	600000000
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग	4475000	
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	363498000	23637000
48.	मुस्लिम वक्फ	732908000	30119000
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1838071000	2000000
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	813150000	456110000

1	2	3	4
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	806753000	1000
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	2652240000	7023000
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	617000	50000
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2253936000	
55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)	179126000	45852000
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	2630393000	3319755000
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	75815000	
60.	वन विभाग	596269000	289001000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	10412642000	290500000
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	9290495000	
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	266310000	
64.	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	3913000	
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	262895000	
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	3951000	
67.	विधान परिषद सचिवालय	46442000	...
68.	विधान सभा सचिवालय	119658000	
69.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)		10000000
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	94846000	1250000
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19958438000	501000
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	9997491000	56435000
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2479843000	20000000
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	217122000	9750000
76.	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	359674000	

1	2	3	4
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	360366000	21000
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग	696329000	
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	305389000	1000
80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3235685000	39902000
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	25880000	4300000
82.	सतर्कता विभाग	51954000	
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	1952000	
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	19097000	...
86.	सूचना विभाग	139731000	10000
87.	सैनिक कल्याण विभाग	80844000	
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	6837000	
89.	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	803221000	46205000
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	34274000	
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	222886000	
92.	संस्कृति विभाग	59382000	17545000
93.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2621211000	405366000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण)	1118890000	3737484000
	जोड़	121063837000	30186878000

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग संख्या 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13 से 19, 21 से 24, 32, 36 से 38, 43, 47, 49, 50, 52, 59 से 62, 70, 71, 77, 79, 80, 84 से 86, 92 और 94 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उत्तर प्रदेश)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
2.	आवास विभाग	1626000	3793000
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	43500000	46400000
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	1000	0
7.	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2000	1000
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	12947000	0
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2001000	0
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	53353000	0
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	9150000	0
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	6575000	7060000
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	21758000	0
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	1085000	0
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	5424000	0
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	30861000	0
21.	खाद्य तथा रसद विभाग	18501000	0
22.	खेल विभाग	850000	2324000
23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	1850000	0
24.	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	0	1459095000

1	2	3	4
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	2000	0
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2000	0
37.	नागर विकास विभाग	7100000	0
38.	नागरिक उड्डयन विभाग	0	22719000
43.	परिवहन विभाग	65820000	1031000
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग	31264000	0
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1000	0
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	60000000	0
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	41076000	0
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	500000	0
60.	वन विभाग	7315000	15658000
61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	1422000	0
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	150000	0
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	29400000	0
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	58400000	0
77.	श्रम विभाग (सेवायोजन)	1000	0
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1020000	0
80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	622000	0
84.	सामान्य प्रशासन विभाग	1000000	0
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग	569000	0
86.	सूचना विभाग	25000000	0
92.	संस्कृति विभाग	0	1000
94.	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	0	70942000
	योग	1020325000	1629024000

रात्रि 11.10 बजे

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक*, 2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अनुपूरक कार्यसूची की मद संख्या 33ए पर विचार करेगी।

श्री बालासाहिब विखे पाटील

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं इसे श्री बालासाहिब विखे पाटील की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 20.3.2002 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के एक भाग की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 11.12 बजे

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक*, 2002

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 33ग पर विचार करेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 20.3.2002 में प्रकाशित।

प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और तीन विधेयक में जोड़ दिए गये

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 21 मार्च, 2002/30 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पी.एल.एस.–48.23.15/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 20 मार्च, 2002/ 29 फाल्गुन,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
23	8	(क) से (च)	(क) से (घ)
166	5	श्रीमती मारग्रेट आल्वा	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
150	6	2659	2649